

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची  
फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026

भाग-1  
तारांकित प्रश्नोत्तर

## धमतरी व कांकेर जिले में अवैध प्लाटिंग

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. ( \*क्र. 746 ) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 31 जनवरी, 2026 तक धमतरी में व कांकेर जिले में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कुल कितने खसरो की शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें से कितने खसरो की जांच हो चुकी है? अगर जांच नहीं हुई है तो किस स्तर पर लंबित है और क्यों लंबित है? (ख) जिले में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है एवं उनके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो कब से प्रक्रियाधीन है और किस अधिकारी के पास प्रक्रियाधीन है? (ग) अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी के लिए कौन-कौन से अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हां, तो क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या कोई रेरा से स्वीकृत कॉलोनी में बाह्य एवं आंतरिक निर्माण बिना पूर्ण किए नगर पालिका या नगर निगम द्वारा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया है? अगर हां, तो किस आधार पर दिया गया? ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई है ?

राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क) प्रश्नावधि में धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग की कुल 03 शिकायत प्राप्त हुई है। जो 03 खसरो से संबंधित है। जिसमें से 02 खसरो की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा किया गया है तथा 01 खसरो की जांच नगर पालिका निगम धमतरी के अधिकारी द्वारा किया गया है। जिला उत्तर बस्तर कांकेर में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के संबंध में कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई है। जो 175 खसरो से संबंधित है। इनमें से 08 खसरो की जांच हो चुकी है तथा 167 खसरो की जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम, 2013 अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी है। जिला धमतरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 प्रकरणों तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 39 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए निर्मित अवैध मुरूम रोड हटाया गया एवं मार्ग विच्छेद किया गया, तथा कुछ स्थानों पर अवैध प्लाटिंग हेतु गाड़े गये खुटों एवं बाउंड्रीवाल को हटाया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। जिला कांकेर में कुल 14 खसरो के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। (ग) जिला धमतरी में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं

कर्मचारी की जानकारी निरंक है। जिला कांकेर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जिला धमतरी एवं जिला कांकेर में रेरा से स्वीकृत कॉलोनी में बाह्य एवं आंतरिक निर्माण बिना पूर्ण किये नगर पालिका या नगर निगम द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

### **विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में धारा 170-ख अंतर्गत दर्ज प्रकरणों पर कृत कार्यवाही**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. ( \*क्र. 1367 ) श्रीमती गोमती साय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक अनुसूचित जनजाति, आदिवासी भूमि के क्रय-विक्रय के कितने प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) अंतर्गत दर्ज हैं? (ख) प्रश्नांक "क" वर्षानुसार कुल प्रकरणों की संख्या ग्रामवार/तहसीलवार विवरण देवें? कितने प्रकरणों में भूमि को मूल आदिवासी स्वामी को पुनः वापस किया गया? कितने प्रकरण लंबित हैं तथा कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? विवरण देवें? (ग) प्रकरणों में कितने आदिवासी भूमि पर अवैध क्रय-विक्रय अथवा कब्जा पाया गया? उक्त प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण देवें? (घ) धारा 170 (ख) अंतर्गत कितने प्रकरण डायवर्सन हेतु प्राप्त हुए? कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी गई? कितने निरस्त किये गये? वर्षवार विवरण देवें?

राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क) जशपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के अंतरण के कुल 19 प्रकरण भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) अन्तर्गत दर्ज हैं। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में आदिवासी भूमि का अवैध क्रय-विक्रय का मामला प्रकाश में नहीं आया है। 02 प्रकरणों में अवैधानिक कब्जा होने से आदिवासी भूमिस्वामी को भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया है। (घ) संहिता की धारा 170 (ख) अंतर्गत आदेशित भूमियों में से 01 प्रकरण में डायवर्सन किया गया है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - एक" ]

### **प्रदेश में नजूल भू-स्वामियों से भू-भाटक शुल्क की वसूली हेतु तय नियम/शर्तें**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. ( \*क्र. 1549 ) श्री देवेन्द्र यादव (श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में नजूल भू-स्वामियों से भू-भाटक शुल्क वसूली करने हेतु क्या-क्या नियम शर्तें तय की गई हैं? क्या राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ-4-47/सात-1/2013, दिनांक 12.02.2015 के द्वारा भू-भाटक वसूली के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है? जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित आदेश क्रमांक अनुसार कंडिका (2) की उप कंडिका (2.1) में नजूल भूमि स्वामियों द्वारा भू-भाटक निर्धारण मानक दर की वसूली के क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? जानकारी आदेश क्र. सहित देवें? (ग) क्या प्रश्नांश 'क' अनुसार दुर्ग संभाग हेतु भू-स्वामियों से भू-भाटक वसूली हेतु पृथक से आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो आदेश जारी करने हेतु किन-किन नियम शर्तों का पालन किया गया है एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है? जानकारी आदेश क्रमांक सहित दिनांकवार, जिलेवार देवें?

राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क) नजूल भूमि के भू-भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-1 की कंडिका-30 में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार आबंटिती द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात के 01 अप्रैल की तारीख से अथवा आबंटिती द्वारा भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, से

भू-भाटक लिये जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 12.02.2015 में नजूल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आबंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। (ख) विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ4-43/सात-1/2013, दिनांक 12.02.2015 की कंडिका 2.1 में नगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की नजूल भूमि का पट्टा आबंटन के प्रकरणों में वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण मानक दर पर चालू वर्ष से किये जाने का निर्देश है। यदि किसी मामले में भू-धारक के द्वारा भूस्वामी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में भू-धारक से प्रीमियम अथवा भू-भाटक नहीं लिये जाने का निर्देश है।

(ग) जी नहीं।

### महासमुंद जिले के जंगलबेड़ा में वृक्षारोपण एवं अवैध पेड़ कटाई

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. ( \*क्र. 2514 ) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2025 में क्या महासमुंद वनमण्डल के सरायपाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगलबेड़ा में नर्सरी अथवा वृक्षारोपण का कार्य किया गया था? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के कुल कितने वृक्ष कितने क्षेत्रफल में लगाए गए थे? (ख) क्या उपरोक्त नर्सरी की भूमि को उद्योग विभाग अथवा सोलर प्लांट स्थापना के लिए उपयोग करने हेतु वन विभाग द्वारा एनओसी जारी की गई थी ? यदि हां, तो किन शर्तों के तहत कब एनओसी जारी की गई थी? (ग) क्या उक्त अवधि में जंगलबेड़ा में अवैध पेड़ कटाई के प्रकरण विभाग के संज्ञान में आए हैं ? यदि हां, तो अवैध पेड़ कटाई पर विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ?

वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### रायपुर संभाग की सहकारी सोसायटियों में धान शॉर्टेज

[सहकारिता]

5. ( \*क्र. 2566 ) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2024-25 की धान खरीदी में रायपुर संभाग की कितनी सहकारी सोसायटी में धान शॉर्टेज बताया गया ? (ख) वर्ष 2024-25 में रायपुर संभाग में धान शॉर्टेज बताने वाले कितने सहकारी समिति प्रभारी इस वर्ष 2025-26 में भी सोसायटी में धान खरीदी करवा रहे हैं ? (ग) रायपुर संभाग में वर्ष 2025-26 में कितने राइस मिलर्स और समिति प्रभारी पर धान खरीदी में अनियमितता पर FIR दर्ज हुई है ?

वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) : (क) वर्ष 2024-25 के धान खरीदी में रायपुर संभाग की 161 सहकारी सोसायटियों के 200 धान उपार्जन केंद्रों में धान शॉर्टेज पाया गया। (ख) वर्ष 2024-25 में रायपुर संभाग अंतर्गत धान शॉर्टेज बताने वाले 71 समिति प्रभारी एवं 26 उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा वर्ष 2025-26 में भी धान खरीदी का कार्य किया गया है। (ग) रायपुर संभाग में वर्ष 2025-26 में 03 राइस मिलर्स, 03 समिति प्रभारियों एवं 09 उपार्जन केन्द्र प्रभारियों पर धान खरीदी में अनियमितता पर FIR दर्ज कराया गया है।

### जिला गौरैला-पेंड़ा-मरवाही में स्वीकृत कार्यों का भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

6. ( \*क्र. 2498 ) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला गौरैला-पेंड़ा-मरवाही में वर्ष 2024-25 से 18 फरवरी, 2026 तक कितने कार्य किस-किस मद से कितनी राशि

के कराए गए हैं ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** उपरोक्त कार्यों का भुगतान किस-किस फर्म/एजेंसी को कितना-कितना किया गया है? क्या किसी फर्म/लेबर का भुगतान शेष है? यदि है तो क्यों?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में वर्ष 2024-25 से 18 फरवरी, 2026 तक कराए गए कार्यों की संख्या, मद एवं राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** **(ख)** उपरोक्त कार्यों हेतु फर्म/एजेंसी को किए गए भुगतान का विवरण, फर्म का भुगतान शेष होने का कारण **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** किसी भी लेबर का भुगतान शेष नहीं है, किन्तु 06 फर्म का भुगतान शेष है, कारण सहित विवरण **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

### रायगढ़ जिला अंतर्गत साल्हेपाली एनीकट की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

**7. ( \*क्र. 2135 ) श्री उमेश पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत साल्हेपाली एनीकट की स्वीकृति कब हुई थी? अद्यतन स्थिति क्या है? क्या साल्हेपाली एनीकट पूर्ण न होने के कारण किसानों के फसल नुकसान का प्रकरण प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** रायगढ़ जिला अंतर्गत साल्हेपाली एनीकट की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05.10.2018 को राशि ₹. 1906.82 लाख की प्राप्त हुई थी। साल्हे एनीकट निर्माण कार्य में एनीकट के शीर्ष कार्य मुख्य बॉडी वाल एवं अबटमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका है। एनीकट में बंड प्रोटेक्शन का कार्य एवं एप्रोच रोड़ का कार्य ग्राम-साल्हेपाली में भू-अर्जन प्रकरण पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं कराया जा सका। वर्तमान में ग्राम साल्हेपाली में पूर्व प्रेषित भू अर्जन प्रकरण में राजस्व रिकार्ड सुधार उपरांत भू-अर्जन की सामाजिक समाघात की बैठक 16.12.2025 को एवं विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 25.02.2026 को की जा चुकी है। भू अर्जन हेतु धारा 11 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साल्हे एनीकट पूर्ण न होने के कारण कृषकों द्वारा फसल नुकसान की शिकायत की गई थी, किन्तु नुकसान वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से माण्ड नदी में आये बाढ़ के कारण हुआ है। अतएव एनीकट के निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण फसल नुकसान नहीं हुआ है।

### पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की प्रगति

[ऊर्जा]

**8. ( \*क्र. 1525 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने विद्युत उपभोक्ता हैं? एल.टी., एच.टी., कृषि पंप, व्यावसायिक, औद्योगिक, घरेलू बी.पी.एल. आदि श्रेणियों की जानकारी पृथक-पृथक भी बतावें? **(ख)** प्रदेश में पी.एम. सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना तथा पी.एम. कुसुम योजना में कितने-कितने हितग्राहियों के सोलर प्लान्ट लगाए जा चुके हैं तथा लक्ष्य कितना-कितना था? दिनांक 28.02.2026 की स्थिति में हितग्राहियों को सॉलर की केन्द्रांश तथा राज्यांश की कितनी-कितनी राशि दी जा चुकी है ? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के अनुसार सोलर प्लान्ट लगाने के बाद माह दिसंबर तथा जनवरी में कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ? सोलर प्लान्ट लगाने हेतु पंजीकृत एजेन्सियों (वेंडर्स) द्वारा दरों का निर्धारण का मापदण्ड क्या है? प्रति किलोवाट के अनुसार बतावें? **(घ)** वर्ष 2047 तक कितने उपभोक्ताओं के सोलर प्लान्ट लगाए जाने का लक्ष्य है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित आवासगृहों में भी राज्य शासन के व्यय पर सोलर प्लान्ट लगाए जाएंगे?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** प्रदेश में माह दिसंबर 2025 की स्थिति में कुल 65 लाख 91 हजार 100

उपभोक्ता है। जिनमें से 65 लाख 86 हजार 838 निम्नदाब तथा 4,262 उच्चदाब उपभोक्ता है। उक्त कुल उपभोक्ताओं में से बी.पी.एल श्रेणी सहित 51 लाख 46 हजार 302 घरेलू उपभोक्ता, 4 लाख 51 हजार 341 गैर घरेलू (व्यवसायिक) उपभोक्ता, 42 हजार 346 औद्योगिक उपभोक्ता, 8 लाख 24 हजार 760 कृषि उपभोक्ता एवं 1 लाख 26 हजार 351 अन्य श्रेणी के उपभोक्ता है। **(ख)** प्रदेश में पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 32,377 एवं पी.एम. कुसुम योजना (घटक-ए) में 9 हितग्राहियों (7 मेगावॉट) के सोलर प्लांट लगाये जा चुके हैं। पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2027 तक 1.30 लाख सोलर प्लांट स्थापित करने का, पी.एम. कुसुम योजना (घटक-ए) में 366 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट एवं पी.एम. कुसुम योजना (घटक-सी) में 10 हजार विद्यमान कृषि सिंचाई पंप के फीडर सोलराईजेशन हेतु सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। पी.एम. कुसुम योजना (घटक-ए) में किसी भी प्रकार के केन्द्रांश/राज्यांश का प्रावधान नहीं है, पी.एम. कुसुम योजना (घटक-सी) के हितग्राही को लागत राशि की 30 प्रतिशत राशि केन्द्रांश सब्सिडी देय है। पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में दिनांक 28.02.2026 की स्थिति में हितग्राहियों को कार्य पूर्ण होने के उपरांत केन्द्रांश की राशि रू. 223.47 करोड़ एवं राज्यांश की राशि रू. 90.02 करोड़ देय थी, जिसमें केन्द्रांश की राशि रू. 191.46 करोड़ एवं राज्यांश की राशि रू. 66.53 करोड़ भुगतान की जा चुकी है। **(ग)** उत्तरांश (ख) के अनुसार सोलर प्लांट लगाने से पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में माह दिसंबर, 2025 में 4.72 मिलियन यूनिट एवं माह जनवरी, 2026 में 6.33 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। पी.एम. कुसुम योजना में दिसंबर 2025 एवं जनवरी 2026 में कुल 0.9 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ है। सोलर प्लांट लगाने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बेन्चमार्क लागत 2 किलोवॉट क्षमता तक के सोलर प्लांट के लिए रू. 50,000 प्रति किलोवॉट एवं 2 किलोवॉट से अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट के लिए रू. 45,000 प्रति किलोवॉट का निर्धारण किया गया है। परंतु उपभोक्ता नेशनल पोर्टल पर पंजीकृत वेंडर का चयन कर पंजीकृत वेंडर एवं उपभोक्ता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर अलग अलग कंपनी के सोलर प्लांट एवं उनकी दर का निर्धारण करते हैं। **(घ)** वर्ष 2047 तक उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट लगाये जाने का लक्षित लक्ष्य नहीं है तथापि 31 मार्च, 2027 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1.30 लाख का लक्ष्य है, जिसे अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभांशित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा स्वमेव मार्च, 2027 तक बढ़ाकर 5 लाख निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित आवास गृहों में सोलर प्लांट लगाने की कार्य योजना विचाराधीन है।

### नये ट्रांसफार्मर एवं अस्थाई/स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

[ऊर्जा]

**9. ( \*क्र. 2534 ) श्री मोतीलाल साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक कितने नये ट्रांसफार्मर एवं अस्थाई/स्थायी विद्युत कनेक्शन तथा खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कुल कितने ट्रांसफार्मर/अस्थाई/स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गये हैं? कितने लंबित हैं? जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक नये ट्रांसफार्मर हेतु 304, अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु 13517, स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु 32455 तथा खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु 171 स्थलों, इस प्रकार कुल 46447 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ख)** उत्तरांश "क" के विरुद्ध नये ट्रांसफार्मर के 293, अस्थाई विद्युत कनेक्शन के 13,517, स्थाई विद्युत कनेक्शन के 32,349 तथा खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु 163, इस प्रकार कुल 46,322 प्रकरणों का

निराकरण किया गया। नये ट्रांसफार्मर लगाने के 11, अस्थाई कनेक्शन के निरंक, स्थायी कनेक्शन के 106 तथा खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु 8, इस प्रकार कुल 125 आवेदन लंबित है।

### **छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषयों की मांग**

[उच्च शिक्षा]

**10. ( \*क्र. 2486 ) श्री रामकुमार यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में कुल कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं ? नामवार एवं जिलावार विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के उत्तर अनुसार संचालित महाविद्यालयों में वर्ष 2025 में कौन-कौन से नवीन विषय की मांग गई है ? जिसमें कितने पूर्ण कर लिये गये हैं और कितने शेष हैं ? शेष विषयों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी ? **(ग)** प्रदेश के कौन-कौन से स्थलों में नवीन महाविद्यालय की मांग की गई है ? जिसमें कितने पूर्ण कर लिये गये हैं और कितने शेष हैं ? शेष नवीन महाविद्यालयों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ में कुल 343 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। सभी 87 नवीन विषय प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। जिसमें 08 पूर्ण कर लिये गये हैं और 45 शेष हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### **नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम संचालन की स्थिति**

[उच्च शिक्षा]

**11. ( \*क्र. 1690 ) श्री दीपेश साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बेमेतरा के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कला संकाय प्रथम वर्ष एवं वाणिज्य संकाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सामान्य चुनाव (जनरल इलेक्टिव) में विषय आबंटित किए गए हैं? **(ख)** वीएसी (मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम) एवं एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) के अंतर्गत संचालित सीसीएफयूपी पाठ्यक्रम अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में बैठक व्यवस्था पर्याप्त है अथवा नहीं? **(ग)** एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) अंतर्गत कौन-कौन से विषय और टॉपिक रखे गए हैं? उक्त विषय से स्किल डेवलपमेंट कर विद्यार्थियों को स्वरोजगार अथवा रोजगार की प्राप्ति कैसे होगी? जानकारी देवें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जी हां। **(ख)** बैठक व्यवस्था पर्याप्त है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। इन विषयों के पढ़ाई से विद्यार्थी को कम्प्यूटर सेवा केन्द्र, बिजली मिस्त्री, कंपोस्ट खाद निर्माण, बिजनेस लेखा कार्य, फलों की खेती, यात्रा एवं पर्यटन उद्योग आदि क्षेत्र में रोजगार अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

### **जिला महासमुंद में रेलवे ओवरब्रिज हेतु अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**12. ( \*क्र. 2550 ) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद में रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति कब और कितनी लागत राशि से की गई है ? उक्त हेतु शहरी एवं ग्रामीण नागरिकों अथवा कृषकों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार अधिग्रहीत जमीनों के परिप्रेक्ष्य में किन-किन प्रभावित शहरी नागरिकों एवं

ग्रामीण किसानों को कितना-कितना मुआवजा प्रदाय किया जा चुका है और वर्तमान में कितना प्रदाय करना शेष है? एक ही खसरा नम्बर से क्या कई किसानों /शहरी नागरिकों को मुआवजा प्रदाय किया गया है ? तो क्यों? एवं कितना शेष है ? बतावें? (ग) लंबित मुआवजा का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? बतावें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :**(क) जिला महासमुंद में रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु राशि रूपये 7182.36 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 15-10-2014 को प्रदान की गई है। उक्त कार्य हेतु कुल 96 भू-धारियों की भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है जिसमें से अभी तक कुल 89 भू-धारियों की कुल रकबा 8432 वर्गमीटर भूमि का आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया गया है। विवरण **संलग्न प्रपत्र अ** में है। (ख) कुल 89 भू-धारियों को प्रदाय मुआवजा की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** में तथा शेष 07 भू-धारियों की लंबित मुआवजा राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है। उक्त प्रकरण में एक ही खसरा नं. से कई किसानों/शहरी नागरिकों को मुआवजा प्रदाय नहीं किया गया है। (ग) लंबित मुआवजा राशि लोक निर्माण विभाग (सेतु) द्वारा कलेक्टर के भू-अर्जन खाते में जमा किये जाने उपरांत प्रभावित भू-धारियों को नियमानुसार कार्यवाही कर प्रभावित भू-धारियों द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 अंतर्गत प्रारूप 'ख' में सहमति दिये जाने के पश्चात् प्रभावित भूमि एवं स्थावर संपत्तियों का पंजीयन कराया जाकर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

[ संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

### **वन परिक्षेत्र गौरेला में रेत का अवैध उत्खनन एवं जंगलों की कटाई**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**13. ( \*क्र. 1859 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वनमंडल जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही अंतर्गत विगत 2 वर्षों में अवैध रेत उत्खनन किस-किस उपवन मंडल/परिक्षेत्र एवं स्थान में हो रहा है, की जानकारी कब-कब प्राप्त हुई? (ख) विगत 02 वर्षों में गौरेला उपवन मंडल/परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई हुई है? अगर हाँ, तो कौन से उपवन मंडल/परिक्षेत्र गांव एवं बीट में हुई है? काटे गये वृक्षों के नाम प्रकार एवं संख्या क्या है? (ग) क्या वन कर्मचारियों की अवैध रेत खनन एवं वनों की कटाई में संलिप्त होने की शिकायत अथवा जानकारी प्राप्त हुई है? अगर हाँ, तो की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) वनमंडल जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही अंतर्गत विगत 2 वर्षों में अवैध रेत उत्खनन की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।**(ख) विगत 02 वर्षों में गौरेला उपवन मंडल/परिक्षेत्र में वनों की अवैध कटाई उपवन मंडल/ परिक्षेत्र गांव व बीटवार वृक्षों के नाम प्रकार एवं संख्या सहित **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।**(ग) वन कर्मचारियों की अवैध रेत खनन एवं वनों के कटाई के संलिप्त होने की शिकायत अथवा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

### **सारंगढ़ में किसानों की धान खरीदी में कटौती**

[सहकारिता]

**14. ( \*क्र. 2310 ) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या सारंगढ़ के सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा किसानों के धान में कटौती व टोकन पेंडिंग करने व रकबा सरेंडर करने का निर्देश वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सारंगढ़ एवं बरमकेला ब्लॉक के समिति प्रबंधको को दिया गया था? यदि हाँ, तो क्यों एवं किसके आदेश से ? (ख) सारंगढ़ और बरमकेला ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में सत्र 2024-25 में और इस सत्र 2025-26 में कितना धान खरीदी हुआ? केंद्रवार जानकारी देवें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) सारंगढ़, बरमकेला विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों में सत्र 2024-25 में क्रमशः सारंगढ़ में 16,44,165.60 किंटल एवं बरमकेला में 13,40,741.20 किंटल तथा वर्ष 2025-26 में क्रमशः सारंगढ़ में 15,63,210.40 किंटल एवं बरमकेला में 13,03,783.20 किंटल कुल धान खरीदी हुई है। धान खरीदी केन्द्रवार जानकारी संलग्न 'प्रपत्र' में है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - छः" ]

### जिला रायगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण का भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**15. ( \*क्र. 2477 ) श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में कितने हितग्राहियों ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य किया है? कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कितना भुगतान किया जाना शेष है? समितिवार वर्षवार जानकारी दें? (ख) तेंदूपत्ता बोनस राशि का भुगतान कब तक का लंबित है? कब तक भुगतान कर लिए जाएंगे? (ग) तेंदूपत्ता बीमा दावा राजमोहिनी देवी योजना के कितने आवेदन लंबित हैं? कब तक निराकरण कर भुगतान कर दिए जाएंगे?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कुल 2,59,750 हितग्राहियों ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य किया है। संग्राहकों को कुल राशि रू. 174.73 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं है। समितिवार, वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।** (ख) जिला रायगढ़ अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2023 का तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि रू. 21.89 करोड़ का भुगतान किया जाना है। प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का भुगतान 04 माह की समयावधि में पूर्ण कर लिया जावेगा। (ग) राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले में कुल 341 आवेदन लंबित है। इनके परीक्षण उपरांत पात्र प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही 03 माह की समयावधि में कर दी जावेगी।

### जांजगीर-चांपा जिले के भीमा तालाब को नहर से जोड़ने का कार्य

[जल संसाधन]

**16. ( \*क्र. 2441 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत भीमा तालाब को नहर से जोड़ने हेतु नाली निर्माण के लिए कब-कब कितनी राशि किस मापदंड के नाली निर्माण के लिए स्वीकृत की गयी है ? कृपया जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्य में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने कार्य निर्माणाधीन हैं? कृपया जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक "क" ख" के अनुसार स्वीकृत एवं निर्माणाधीन नाली निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? कृपया जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत भीमा तालाब को नहर से जोड़ने नाली निर्माण के 01 कार्य के लिए दिनांक 23.11.2017 को राशि रू. 47.11 लाख की स्वीकृति जिला खनिज संस्थान न्यास, जांजगीर-चांपा द्वारा जल संसाधन के विभागीय मापदंड से नाली निर्माण के लिए स्वीकृत की गयी है। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार स्वीकृत कार्य निर्माणाधीन है। (ग) प्रश्नांक "क" ख" के अनुसार स्वीकृत एवं निर्माणाधीन नाली निर्माण कार्य, ठेकेदार द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण रायपुर में दायर याचिका के निर्णय उपरांत ही नाली निर्माण कार्य में आवश्यक सुधार एवं शेष कार्य को पूर्ण कराया जा सकेगा।

बस्तर संभाग में खनिज उत्खनन हेतु दी गई अनुज्ञा

[खनिज साधन]

**17. ( \*क्र. 2542 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2025 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक बस्तर संभाग के कितने स्थानों पर आयरन ओर खनिज उत्खनन हेतु किन-किन को कितनी समयावधि के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया है तथा शासन को इससे रॉयल्टी के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** कण्डिका 'क' के उत्खनन क्षेत्रों में से पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र का कुल पृथक-पृथक रकबा कितना है? वन क्षेत्र में आने वाले उत्खनन स्थलों में वनों की सघनता कितनी थी/है तथा खनिज उत्खनन से कितने रकबे एवं कितनी राशि की वन संपदा को क्षति हुई है या होगी? क्षति हुए वनों की भरपाई के लिए क्या प्रावधान बनाये गये हैं?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** खनिज आयरन ओर के उत्खनन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

### मीडिया माध्यमों पर विज्ञापन व्यय

[जनसंपर्क]

**18. ( \*क्र. 2494 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में आउटडोर, LED, रेलवे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों पर विभाग द्वारा किए गए कुल विज्ञापन व्यय की वर्षवार जानकारी दें ? **(ख)** उपर्युक्त अवधि में इन माध्यमों हेतु निर्गत कार्यदेशों का एजेंसी-वार एवं वर्ष-वार विवरण तथा अब तक किए गए कुल भुगतान की जानकारी दें ? **(ग)** उक्त अवधि में क्या National Herald को विज्ञापन जारी किए गए ? यदि हाँ, तो जारी विज्ञापनों की कुल राशि, अब तक किया गया भुगतान तथा विज्ञापनों के एवज में प्रकाशित राज्य योजनाओं/उपलब्धियों की मदवार जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में आउटडोर, LEDरेलवे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों पर विभाग द्वारा किए गए कुल विज्ञापन व्यय की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

मद	राशि (रूपए में)		
	2021-22	2022-23	2023-24
क्षेत्र प्रचार	42,61,68,901	1,14,62,60,357	2,27,35,05,761
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	41,37,79,134	73,12,74,684	1,64,64,29,237
प्रिंट मीडिया	49,30,94,175	74,07,95,875	1,45,34,26,663
सोशल मीडिया	32,41,855	2,78,29,111	5,63,44,569
डिजिटल सोशल मीडिया	6,86,52,805	21,07,09,493	65,24,91,250

**(ख)** उपर्युक्त अवधि में इन माध्यमों हेतु निर्गत कार्यदेशों का एजेंसी-वार एवं वर्ष-वार विवरण तथा अब तक किए गए कुल भुगतान की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में **National Herald** को जारी विज्ञापनों की कुल राशि एवं अब तक किया गया भुगतान तथा विज्ञापनों के एवज में प्रकाशित राज्य योजनाओं/उपलब्धियों की मदवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	विज्ञापन की कुल राशि (रूपए में)	भुगतान की गई राशि (रूपए में)	विज्ञापनों के एवज में प्रकाशित राज्य योजनाओं/ उपलब्धियों

2021-22	68,00,000	68,00,000	राज्य शासन के उपलब्धियों के संबंध में प्रदर्शन विज्ञापन मद से प्रचार-प्रसार
2022-23	1,28,00,000	1,28,00,000	
2023-24	1,36,00,000	1,36,00,000	
कुल:-	3,32,00,000	3,32,00,000	

### प्राकृतिक आपदाओं से दिवंगतों के परिजनों को प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**19. ( \*क्र. 2082 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) बिलासपुर संभाग में जनवरी, 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक पानी में डूबने, सर्प/अन्य जीव जंतुओं के काटने, गाज गिरने एवं अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? दिनांक 31.01.2026 तक राजस्व परिपत्र 6-4 के अंतर्गत कितने दिवंगतों के परिजनों द्वारा मुआवजा हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है? विधानसभावार बतावें? (ख) प्रस्तुत मुआवजा प्रकरणों में कितने प्रकरणों का दिनांक 31.01.2026 तक परीक्षण कर मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? क्या राजस्व परिपत्र 6-4 अनुसार दिये जाने वाले मुआवजा की राशि चार लाख रुपये में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? जानकारी दें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) प्रश्नाधीन अवधि में बिलासपुर संभाग में प्राकृतिक आपदा से कुल 2123 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिनांक 31.01.2026 तक आर्थिक अनुदान सहायता हेतु प्राप्त प्रकरणों की विधानसभावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख) प्राप्त प्रकरणों में से दिनांक 31.01.2026 तक 1983 प्रकरणों का परीक्षण कर आर्थिक अनुदान सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा 140 प्रकरण विचाराधीन है। मुआवजा राशि में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

[ संलग्न "परिशिष्ट - सात" ]

### बालको कम्पनी द्वारा अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं वृक्ष कटाई

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**20. ( \*क्र. 2555 ) श्रीमती विद्यावती सिदार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) कोरबा जिले के बालको नगर क्षेत्र में भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के कितने निर्माण कार्य एवं कितने सार्वजनिक मार्गों को अवरूद्ध किया गया है? कितनी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें शासन/जिला प्रशासन के संज्ञान में आई है? जनवरी, 2024 से फरवरी, 2024 की स्थिति में उपरोक्त जानकारी बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' हेतु कलेक्टर, कोरबा द्वारा अब तक कितनी शिकायतों की जांच कराई गई? क्या कार्यवाही की गई? अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण का पृथक-पृथक बतावें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड बालको द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ग्राम कोहड़िया में सीमेंट बैच मिक्सिंग प्लांट 03 यूनिट, स्वीच यार्ड एवं श्रमिक आवास का निर्माण कार्य एवं बालको प्रबंधन द्वारा बिना अनुमति के स्मेल्टर परियोजना विस्तार 5.75 से 10.85 लाख टन प्रति वर्ष का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिस पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कार्यवाही की गई है। जनवरी 2024 से फरवरी 2024 तक की स्थिति में कोरबा जिले के बालको नगर क्षेत्र में भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के निर्माण कार्य एवं सार्वजनिक

मार्गी को अवरूद्ध तथा अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु दिनांक 01/02/2024 को श्री डिलेन्द्र यादव, निखिल मित्तल, गोविन्द शर्मा, विनय यादव, आ.ए. नारायण शांतिनगर पुनर्वास समिति बालको नगर कोरबा, दिनांक 13/02/2024 को निखिल मित्तल सदस्य शांतिनगर पुनर्वास समिति बालको नगर कोरबा तथा दिनांक 20/2/2024 को शांतिनगर पुनर्वास समिति एवं दिनांक 26/02/2024 को समस्त शांति नगर, रिंग रोड के बालको परियोजना से प्रभावितों के मुआवजा एवं पुनर्वास के मुद्दों तथा बालकों द्वारा बिना पर्यावरण अनुमति एवं संचालन सम्मति के उद्योग विस्तारीकरण कंपनी द्वारा अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण, प्रदूषण आदि विषयों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पर न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा में प्रकरण क्रमांक 202302050400130/39/ब-121/2022-23 , दर्ज कर दिनांक 15-10-2025 आदेश पारित कर निराकरण किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी.) 6577/2025 दायर किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। (ख) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा प्रश्नांश क के परिप्रेक्ष्य में बिना अनुमति निर्माण के संबंध में नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य पर दिनांक 31-01-2023 को रोक लगाई गई थी तदोपरांत अर्थ दंड (शमन शुल्क) जमा कराने के उपरांत दिनांक 26-04-2024 को तीन वर्ष की अवधि हेतु अस्थायी अनुमति दी गई है। बिना अनुमति स्मेल्टर विस्तार परियोजना के संबंध में भी अर्थ दंड तथा अनुमति हेतु आवश्यक शुल्क जमा कराया जाकर दिनांक 13-02-2024 को स्मेल्टर परियोजना विस्तार की अनुमति दी गई है। कलेक्टर कोरबा को दिनांक 01/02/2024 को श्री डिलेन्द्र यादव, निखिल मित्तल, गोविन्द शर्मा, विनय यादव, आ.ए. नारायण शांतिनगर पुनर्वास समिति बालको नगर कोरबा, दिनांक 13/02/2024 को निखिल मित्तल सदस्य शांतिनगर पुनर्वास समिति बालको नगर कोरबा तथा दिनांक 20/2/2024 को शांतिनगर पुनर्वास समिति एवं दिनांक 26/02/2024 को समस्त शांति नगर, रिंग रोड के प्रभावितों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा द्वारा प्रकरण का विधिवत निराकरण किया गया है तथा शासकीय नियमों/प्रावधानों के उल्लंघन के बिन्दुओं पर संबंधित विभाग/प्राधिकारी तथा बालको प्रबंधन को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। न्यायालय अपर कलेक्टर कोरबा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/2025 के विरूद्ध भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी. 6577/2025 दायर किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

### **धमतरी जिला में कोटवारी/कोतवाली भूमि एवं आदिवासी भूमि की अवैध खरीदी-बिक्री**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**21. ( \*क्र. 2564 ) श्री ओंकार साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह तथ्य सही है कि धमतरी जिला में कोटवारी/कोतवाली भूमि एवं आदिवासी वर्ग की संरक्षित भूमि को नियमों के विरूद्ध क्रय-विक्रय एवं कलेक्टरों द्वारा विधि विरूद्ध आदिवासी से गैर आदिवासी अनुमति आदेश पारित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 से 19-02-2026 तक जिला में ऐसे कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? विवरण दें? **(ग)** उक्त मामलों में कितने प्रकरणों में जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? **(घ)** जांच उपरांत कितने दोषियों पर कार्यवाही की गई है? क्या शासन द्वारा अवैध रूप से बेची गई कोटवारी/आदिवासी भूमि को पुनः शासकीय अथवा मूल हितग्राही के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कितने प्रकरणों में भूमि वापस दिलाई गई है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला धमतरी अंतर्गत तहसील भखारा में कोटवारी सेवा भूमि का नियम विरूद्ध क्रय विक्रय किये जाने के संबंध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिले में आदिवासी कृषक की भूमि का नियम विरूद्ध विक्रय की अनुमति कलेक्टर द्वारा दिये जाने के संबंध में 02 शिकायत प्राप्त हुई है। 1. सर्व

आदिवासी समाज, जिला-धमतरी द्वारा दिनांक 02.07.2025 को प्रस्तुत शिकायत, 2. हरिशंकर मरकाम, निवासी कलेक्ट्रेट रोड धमतरी द्वारा जनदर्शन दिनांक 15.09.2025 को प्रस्तुत आवेदन (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार वर्ष 2022-23 से 19.02.2026 तक तहसील भखारा अंतर्गत कोटवारी सेवा भूमि विक्रय के संबंध में प्राप्त 02 शिकायतों का विवरण इस प्रकार है - 1. ग्राम कोसमर्रा स्थित भूमि खसरा नं. 900/3 रकबा 0.56 हे. को विक्रेता मानसिंग पिता आनंद राम द्वारा क्रेता मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया है। 2. ग्राम जुगदेही स्थित खसरा नं. 746 रकबा 0.62 हे. को वर्ष 2024 में विक्रेता जानकी बाई जोजै भागीरथी ढीमर द्वारा क्रेता शैलेन्द्र कुमार साहू पिता खिलावन राम साहू को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों में जांच की जा रही है। प्रश्नाधीन अवधि में आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को नियम विरुद्ध विक्रय अनुमति से संबंधित प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त दोनों शिकायतों की जांच में विक्रय अनुमति नियमानुसार दिया जाना पाया गया। (ग) वर्तमान में कोटवारी भूमि के 02 प्रकरणों की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को विक्रय की नियम विरुद्ध अनुमति की शिकायत में जांच पूर्ण हो चुकी है। (घ) कोटवारी भूमि के 02 प्रकरण की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आदिवासी से गैर आदिवासी को नियम विरुद्ध भूमि विक्रय अनुमति के संबंध में प्राप्त शिकायत की पुष्टि नहीं होने से शिकायत नस्तीबद्ध किया गया है।

### **मरवाही वनमंडल में गोबर खाद आपूर्ति के प्रमाणक लेखा में समायोजन**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**22. ( \*क्र. 2518 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या अक्टूबर, 2024 में मरवाही वनमंडल अधिकारी द्वारा परिक्षेत्र मरवाही में गोबर खाद आपूर्ति के प्रमाणक लेखा में समायोजित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रमाणक के फुटर में क्या तिथि अंकित है? प्रमाणक समायोजन पूर्व भुगतान हेतु किन अधिकारी-कर्मचारी एवं उपमंडल अधिकारी, पेण्ड्रा के हस्ताक्षर से किस जावक क्रमांक दिनांक का प्रपत्र-3 एवं देयक वनमंडल अधिकारी, मरवाही को किस आवक क्रमांक से प्राप्त हुआ? उक्त प्रकरण में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उपवनमंडल अधिकारी, वनमण्डल अधिकारी की पदस्थिति उनकी पदस्थापना में कब से कब तक रही? जानकारी दें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** जी हाँ। प्रमाणक के फुटर में तिथि 04.05.2024 अंकित है। प्रमाणक में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम, परिक्षेत्र कार्यालय, उपवनमण्डल कार्यालय का जावक क्रमांक एवं दिनांक, वनमण्डल कार्यालय का आवक संबंधी जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में तथा पदस्थिति की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - आठ" ]

### **प्रदेश में संचालित सहकारी शक्कर कारखानों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति**

[सहकारिता]

**23. ( \*क्र. 1063 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने सहकारी शक्कर कारखाना संचालित हैं? उसके आयुक्त कौन हैं ? उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं? कितने कारखाना घाटे/फायदे में चल रहे हैं और उसका कारण क्या है? सरकार द्वारा इसके सुधार के लिये क्या-क्या कदम, कब-कब उठाये गये हैं और उसका परिणाम क्या रहा? (ग) दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में उक्त शक्कर कारखानों पर स्थापना ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण कितना -कितना है? बकाया पर प्रभारित ब्याज एवं दंड ब्याज कितना है तथा कुल कितना ऋण है? कारखानावार अलग-अलग बतायें? (ख) वर्ष

2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में उक्त शक्कर कारखाना द्वारा छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को कितनी दर पर आपूर्ति की गई है? क्या उसकी उत्पादन लागत दर से कम/ज्यादा रहती है? उसका दर निर्धारण कैसे व किनके द्वारा किया जाता है? प्रचलित बाजार दर से कितना मूल्य कम/ज्यादा है? यदि कम है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? अब तक कितनी-कितनी राशि की क्षतिपूर्ति दी गयी है? कारखानावार बतायें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) प्रदेश में 04 सहकारी शक्कर कारखाना संचालित है। सहकारी शक्कर कारखानों के स्टाफिंग पैटर्न में आयुक्त का पद स्वीकृत नहीं है, अतः उनके प्राप्त अधिकार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रदेश के चारों सहकारी शक्कर कारखाने घाटे में चल रहे हैं, जिसका कारण निम्नानुसार है :- 1. कारखानों की पेराई क्षमता उपयोगिता का कम होना। 2. शक्कर का उत्पादन लागत अधिक होना। 3. कारखानों द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जारी शक्कर के मासिक औसत थोक मूल्य से कम दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शक्कर का विक्रय किया जाना। सरकार द्वारा इसके सुधार के लिए उठाये गये कदम- 1. कारखानों की आय में वृद्धि के संबंध में भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना की भांति अन्य 03 कारखानों में भी पीपीपी मोड पर मल्टीफीड आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. कारखानों के बेहतर संचालन एवं लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ, नई दिल्ली तथा वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे से तकनीकी रिपोर्ट / सुझाव प्राप्त किया गया है। रिपोर्ट का परीक्षण प्रक्रियाधीन है। (ख) शक्कर कारखानों द्वारा छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः राशि रू. 33,000/- एवं रू. 35,000/- प्रति मी.टन की दर पर शक्कर की आपूर्ति की गई थी तथा वर्ष 2025-26 में राशि रू. 37,000/- प्रति मी.टन की दर से शक्कर की आपूर्ति की जा रही है। कारखानों की शक्कर उत्पादन लागत आपूर्ति दर से अधिक रहती है। नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदाय शक्कर आपूर्ति दर का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा "उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समिति" की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2025-26 में प्रचलित औसत बाजार दर (भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जारी शक्कर के मासिक औसत थोक मूल्य) राशि रू. 4013.74/- प्रति क्विंटल से राशि रू. 313.74/- प्रति क्विंटल कम है। सहकारी शक्कर कारखानों से पीडीएस में शक्कर प्रदाय से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति संबंधी विभागीय प्रस्ताव से वित्त विभाग सैद्धांतिक रूप से सहमत है। क्षतिपूर्ति की राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।(ग) जानकारी 'प्रपत्र' में संलग्न है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - नौ" ]

### **राज्य अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु EWS कोटा**

[सामान्य प्रशासन]

**24. ( \*क्र. 2508 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केंद्र सरकार के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को EWS के तहत 10% आरक्षण प्रदान करने हेतु मामला शासन के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब से ? (ख) राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में EWS कोटा प्रणाली लागू करने हेतु कब-कब और क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 लाया जाकर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया जाकर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तरीय पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 4 प्रतिशत तथा संभाग एवं जिला में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए जनसंख्या के आधार पर, किन्तु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान किये जाने का प्रयास किया गया है।

### **बालोद जिले में अवैध ईट निर्माण पर कृत कार्रवाई**

[खनिज साधन]

**25. ( \*क्र. 2427 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) बालोद जिले में कितने ईट भट्टे (हाथ भट्टे व चिमनी भट्टे) अवैध रूप से संचालित हैं? खनिज विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में अवैध भट्टों पर कितनी बार छापेमारी की गई और कुल कितनी जुर्माना राशि की वसूली की गई? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) दिसम्बर, 2025 में बालोद जिले के नरटोला (डौण्डी) में अवैध ईट भट्टे में पानी टंकी में गिरने से हुई दो महिलाओं की मृत्यु के मामले में दोषी भट्टा संचालक पर क्या कार्यवाही की गई तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार मृतकों के आश्रितों को कितना मुआवजा शासन एवं भट्टा संचालक द्वारा प्रदान किया गया?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) बालोद जिला में कुल 16 ईट भट्टे अवैध रूप से संचालित होने की जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की गई है। जिन पर कार्यवाही करते हुए वर्ष 2023-24 में 04 प्रकरणों में रूपये 01 लाख 15 हजार 250 तथा वर्ष 2024-25 में 12 प्रकरणों में रूपये 04 लाख 73 हजार 250 जुर्माना के रूप में वसूल किया गया है। (ख) दिसंबर, 2025 में बालोद जिले के नरटोला (डौडी) में अवैध ईट भट्टे में पानी टंकी के गिरने से दो महिलाओं की मृत्यु के मामले में दोषी भट्टा संचालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 33/2026 धारा 106 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भट्टा संचालक द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार मृतकों के आश्रितों को कमशः 2 लाख 50 हजार एवं 2 लाख 50 हजार एवं श्रम विभाग के कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के परिपालन में मृतकों के आश्रितों को कमशः 1 लाख 50 हजार एवं 1 लाख 50 हजार की मुआवजा राशि दिया गया है।

---

## भाग-2

### नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

#### जिला गरियाबंद अंतर्गत कैम्पा मद से किये गए कार्य एवं व्यय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. ( क्र. 30 ) श्री रोहित साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला गरियाबंद अंतर्गत वन विभाग द्वारा कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2022 -23 से जनवरी 2026 तक किन-किन कार्यों के लिए कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है, परिक्षेत्रवार जानकारी प्रदाय करेंगे? (ख) प्राप्त राशि का किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया, क्या अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) : (क) जिला गरियाबंद अंतर्गत वन विभाग द्वारा कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशि की परिक्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है ।(ख) प्राप्त राशि के विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है । अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है । निराधार शिकायतों को जाँच उपरांत नस्तीबद्ध किया गया है तथा शेष शिकायतों में या तो जाँच की कार्यवाही प्रगति में हैं या जाँच उपरांत निर्णय प्रक्रियाधीन है ।

#### अन्य विभागों से निर्माण/विकास कार्यों के NOC हेतु लंबित प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. ( क्र. 40 ) श्री रोहित साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला गरियाबंद में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 की अवधि में अन्य विभागों से निर्माण/विकास कार्य NOC हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुये? (ख) कितने प्रकरण पर NOC दी गई, कितने लंबित हैं, शेष कार्यों के NOC हेतु क्या कार्ययोजना है?

वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) : (क) जिला गरियाबंद में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 की अवधि में अन्य विभागों से निर्माण / विकास कार्यों हेतु कुल 33 प्रकरण एन.ओ.सी. के लिए प्राप्त हुए हैं ।(ख) प्रशंसा 'क' के आलोक में 29 प्रकरणों में एन.ओ.सी. दी गई है एवं 03 प्रकरणों में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के कारण अधिनियम के स्थापित प्रक्रिया अनुरूप आवेदन करने हेतु प्रकरण आवेदक संस्थान को वापस किया गया है । शेष 01 प्रकरण में वनमंडल कार्यालय द्वारा आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं होने का लेख करते हुए वांछित अभिलेख हेतु आवेदक संस्थान को वापस किया गया है।

#### कोरबा वनमंडल के द्वारा कैम्पा मद से कराए गये निर्माण कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. ( क्र. 127 ) श्री फूलसिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कोरबा वनमंडल के द्वारा वर्ष 2023-2024 से जनवरी, 2026 तक कैम्पा मद से जो-जो निर्माण कार्य कराये गये हैं, उसकी स्वीकृत राशि, व व्यय राशि एवं निर्माण एजेंसी किसको बनाया गया है और कराये गये निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण राशि भुगतान किया जा चुका है या नहीं? जानकारी दें ? (ख) वन

विभाग के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि एवं लागत राशि में अन्तर है, यदि हाँ तो क्या इसकी जांच कराई गई?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। (ख) हाँ। निर्माण कार्यों की लागत राशि, स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर है अतः जाँच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

### अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवापारा में नाबार्ड से स्वीकृत कन्या महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

**4. ( क्र. 357 ) श्री इन्द्र कुमार साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवापारा में नाबार्ड से स्वीकृत कन्या महाविद्यालय निर्माण कार्य की निविदा कब जारी की गई ? (ख) क्या जारी निविदा का कार्यदेश दिया जा चुका है ? यदि हाँ तो निविदा उपरांत किस ठेकेदार/व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्था को किस तिथि को कार्यदेश जारी किया गया है? (ग) क्या सम्बंधित ठेकेदार/व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? (घ) उक्त निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवापारा में नाबार्ड से स्वीकृत कन्या महाविद्यालय निर्माण कार्य की निविदा लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2025 द्वारा जारी की गई। (ख) जी नहीं। प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) उक्त निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक में 100/- का टोकन स्वीकृत किया गया है।

### भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी (बालको) के जल आबंटन/रिजर्वायर की प्रदत्त अनुमति

[जल संसाधन]

**5. ( क्र. 362 ) श्री फूलसिंह राठिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बालको के नए स्मेल्टर प्लांट 5.75 MTA से 10 MTA के लिए कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है ? क्या इसकी सिंचाई विभाग से अनुमति प्राप्त की गई है? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में कब अनुबंध हुआ यदि अनुबंध नहीं है, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की रही है ? (ख) क्या बालको द्वारा अपने प्लांट के लिए जल आबंटन की शर्तों के अनुसार 15 दिन से 1 महिने के लिए रिजर्वायर बनाया जाना है यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा यह बनाया गया है? यदि नहीं तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की कियी गया है? (ग) बाएं तट नहर से सीधे आहरण पर आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं इस नहर की मरम्मत कब की गई है ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) बालको के नए स्मेल्टर प्लांट 5.75 MTA से 10 MTA के लिए कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है के संबंध में विभाग को कोई भी आवेदन अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा तत्संबंध में अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) जी हाँ, बालको को उनके कोरबा स्थित 540 मेगावाट ताप विद्युत गृह हेतु दिनांक 06.01.2026 एवं उनके 1200 मेगावाट ताप विद्युत गृह हेतु दिनांक 17.01.2018 को किये गये संशोधित जल आबंटन की अनुमति में निहित शर्तों के अनुसार 15 दिन से 1 महिने के लिए रिजर्वायर बनाया जाना था, किन्तु संस्थान ने रिजर्वायर का निर्माण नहीं किया है। बैलेसिंग रिजर्वायर का निर्माण संस्थान के द्वारा जल आपूर्ति में आकस्मिक कमी की स्थिति में आवश्यक जल संग्रहण के लिए किया जाता है। बैलेसिंग रिजर्वायर का निर्माण नहीं करने के कारण विपरित स्थिति के लिए संस्थान स्वयं जिम्मेदार होता है, अतः विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। (ग) बालको को उनके कोरबा

स्थित एल्युमिनियम संयंत्र-1, 540 मेगावाट ताप विद्युत गृह एवं 1200 मेगावाट ताप विद्युत गृह के लिये आबंटित जल का आहरण हसदेव बांयी तट नहर के आर.डी. 2970 मीटर से ही किया जा रहा है। निरंतर जल प्रवाह होने के कारण नहर के भीतरी हिस्सों में मरम्मत नहीं की गई है, अपितु नहर के बाहरी स्लोप एवं सर्विस रोड पर रख-रखाव एवं संधारण का कार्य वर्ष 2022-23 में किया गया है।

### शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाठागांव में नये उपाधि पाठ्यक्रम

[उच्च शिक्षा]

6. ( क्र. 959 ) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या फरवरी 2024 में विधानसभा में प्रस्तुत बजट में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाठागांव, रायपुर में एम.काम. उपाधि एव बी.ए. में इतिहास विषय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त महाविद्यालय में सत्र 2025-26 तक ये उपाधि और विषय प्रारंभ कर दिए गए हैं? यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ किए जायेगे?

राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : जी हां। जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### नवीन विश्वविद्यालय स्थापना के नियम

[उच्च शिक्षा]

7. ( क्र. 964 ) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में नवीन विश्वविद्यालय स्थापना हेतु सभी मापदंड की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात, क्या अनुमति मिलने की समय-सीमा निर्धारित की गई है? (ख) कितने ऐसे प्रकरण हैं ,जिन्हें सभी मापदंडों को पूर्ण करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में अनुमति प्रदान नहीं की गई है?

राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित माइंसों में स्थानीय लोगों को रोजगार

[खनिज साधन]

8. ( क्र. 979 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित माइंसों में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है? जानकारी देंगे? (ख) क्या माइंस प्रबंधनों के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों तथा लोगों के लिए कोई जन कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है? यदि हां तो जानकारी देंगे ?

मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित मुख्य खनिज की माइंस/खदानों में स्थानीय लोगों को प्रदान किये गये रोजगार की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

### पेड़ों की कटाई के बदले लंबित मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

9. ( क्र. 980 ) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या कांकेर में संचालित आरीडोंगरी लौह खनन परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

की 132 KV DCSS लाइन के लिए लोगों के निजी तथा सामुदायिक जमीन से पेड़ों की कटाई की गई थी? यदि हाँ, तो क्या उसका मुआवजा लोगों को अभी तक छत्तीसगढ़ पेसा नियम में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार 30 साल का वनोपज का मुआवजा जोड़कर नहीं दिया गया है ? **(ख)** यदि हां तो इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है तथा प्रभावितों को मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क)** जी हां। ग्राम कच्चे, तहसील भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर में संचालित आरीडोंगरी लौह खनन परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन के लिए ग्राम पुत्रवाही, चवेला, संबलपुर, कराठी, धनगुड़रा, टेढ़ईकोन्दल, भैसमुण्डी, भैसाकन्हार, टेकाढोड़ा, कच्चे एवं बासना कुल 11 ग्रामों के प्रभावित कृषकों की निजी तथा सामुदायिक भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की गई थी। प्रभावित कृषकों की निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि का निर्धारण शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार किया गया है। प्रभावितों द्वारा छत्तीसगढ़ पेसा नियम के प्रावधान अनुसार वनोपज एवं कृषि उत्पाद की क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग पर तथाप्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से प्रभावितों को छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं पेसा नियम, 2022के प्रावधान अनुसार वनोपज एवं कृषि उत्पाद की क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही लंबित है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्रकरण में कलेक्टर से अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

### **इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ अंतर्गत सहायक कुलसचिव की नियुक्ति**

[उच्च शिक्षा]

**10. ( क्र. 1064 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ अंतर्गत सहायक कुलसचिव की नियमित एवं संविदा भर्ती हेतु कब-कब विज्ञापन जारी किये गये? क्या इनके लिये विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी थी? यदि हां तो कब-कब अनुमति दी गयी थी और उनकी न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता क्या रखी गयी थी? **(ख)** उक्त भर्ती अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिये और उनमें से कितने अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिये बुलाया गया और कितने उपस्थित हुये थे और चयन समिति द्वारा किस अभ्यर्थी का चयन किया गया है? **(ग)** उक्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री क्या भारत के अन्दर अथवा विदेश से प्राप्त की गयी है? यदि हाँ, तो क्या वह डिग्री यूजीसी/एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली से मान्यता प्राप्त है? या समकक्षता है? यदि नहीं तो किस आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया गया है? **(घ)** क्या उक्त चयनित आवेदक के संबंध में शासन/यूनिवर्सिटी को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो किन-किन विषयों पर, किनके द्वारा, कब-कब प्राप्त हुयी है? तथा उस क्या कार्यवाही कब की गयी है? यदि जांच समिति बनायी गयी है तो उसके परिणाम क्या आये? यदि निष्कर्ष पर नहीं पहुचे हैं तो अवधि क्या तय की गयी है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार - **(क)** नियमित नियुक्ति का विज्ञापन दिनांक 09.09.2013, संविदा नियुक्ति का विज्ञापन दिनांक 06.07.2013 को जारी किया गया। जी हां। नियमित नियुक्ति हेतु अनुमति दिनांक 03.02.2014 को दी गई। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 23(2)(o) के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि। वांछनीय-अध्यापन/प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव की अर्हता रखी गयी थी।

(ख) नियमित भर्ती हेतु कुल 46 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, 35 को बुलाया गया, 23 उपस्थित हुये, श्री विजय कुमार सिंह का चयन किया गया। संविदा भर्ती हेतु कुल 06 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, 06 को बुलाया गया, 06 उपस्थित हुये, श्री विजय कुमार सिंह का चयन किया गया। (ग) जी हां। जी नहीं। चयन समिति द्वारा जारी मेरिट लिस्ट एवं विश्वविद्यालय कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया गया। (घ) जी हां। उपाधि एवं नियुक्ति के संबंध शिकायत प्राप्त हुई। श्री अंकित अग्रवाल दिनांक निरंक, श्री अंकित अग्रवाल दिनांक 15.09.2025, श्री राजेश कुमार गुप्ता दिनांक 02.02.2026 के द्वारा शिकायते प्राप्त हुई। लोक भवन द्वारा सहायक कुलसचिव के पद पर नियुक्ति की जांच हेतु लोक भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 2850/199/2024/रास/यू.4 दिनांक 21.06.2024 द्वारा उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गयी एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा भी जांच समिति आदेश क्रमांक 55/1090/आउशि/शिका.प्र./2025 दिनांक 08.12.2025 गठित की गई थी। आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित जांच समिति के जांच उपरांत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के पूर्व ही लोक भवन के पत्र क्रमांक 6643/199/2024/रास/यू.4 दिनांक 29.12.2025 द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, सहायक कुलसचिव के पद पर नियुक्ति संबंधी शिकायते निराधार होने के कारण शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

### **कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत हाथियों से हुए नुकसान का प्रदत्त मुआवजा**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**11. ( क्र. 1070 ) श्री प्रेमचंद पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में हाथियों द्वारा ग्रामीणों के घरों, फसलों और जान माल को हुए नुकसान का विवरण व मुआवजा के रूप कुल कितने प्रभावितों को कितनी राशि प्रदान की गई है? विवरण दें ।

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में हाथियों द्वारा ग्रामीणों के मकान क्षति के 38, फसल क्षति के 975, जनहानि के 03, पशुहानि के 15 एवं अन्य संपत्ति क्षति के 30 प्रकरण हुए हैं । **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।** मुआवजा के रूप में कुल 1061 प्रकरणों में 1061 प्रभावितों को रूपये 1,16,07,033/- (रूपये एक करोड़ सोलह लाख सात हजार तैतीस) का मुआवजा भुगतान किया गया है। मुआवजा भुगतान हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

### **कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत कार्य**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**12. ( क्र. 1071 ) श्री प्रेमचंद पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितने कार्य स्वीकृत हुए तथा कितने कार्य पूर्ण है और कितने कार्य अपूर्ण है, जानकारी प्रदान करें।

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल 50 कार्य स्वीकृत हुए । इनमें से 19 कार्य पूर्ण एवं 31 कार्य अपूर्ण (प्रगतिरत) हैं।

### **स्टोन क्रेशर द्वारा संबंधित नियमों/न्यूनतम दूरी का पालन**

[खनिज साधन]

**13. ( क्र. 1111 ) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बलरामपुर जिले में संचालित स्टोन क्रेशर कई स्थानों पर शासकीय भवनों, प्राथमिक एवं माध्यमिक

शालाओं, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं ग्राम पंचायत भवनों के समीप स्थापित हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो राज्य शासन के नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टोन क्रेशर को उपरोक्त संवेदनशील संस्थानों से न्यूनतम कितनी दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए ? क्या प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत स्थित स्टोन क्रेशर प्लान्ट्स में इन नियमों का पालन किया जा रहा है ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश **(ख)** उद्भूत नहीं होता है।

### **बलौदाबाजार वन मंडल अंतर्गत कोठारी वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से हुई मृत्यु**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**14. ( क्र. 1160 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या 25 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 के बीच बलौदाबाजार वन मंडल अंतर्गत कोठारी वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है? यदि हां तो जानकारी दे ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार क्या निगरानी दल द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में निगरानी की जाती है ? यदि नहीं तो क्यों?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** हाँ। बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कोठारी वन परिक्षेत्र में 01 फरवरी, 2026 को कोठारी निवासी श्री सोनाराम बरिहा वल्द लक्ष्मण बरिहा, उम्र-62 वर्ष की हाथी के हमले से मृत्यु हुई है। **(ख)** वन परिक्षेत्र कोठारी के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा हाथी मित्र दल द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में निगरानी की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

### **जिला महासमुंद में मोबाइल टॉवर की स्थापना**

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

**15. ( क्र. 1162 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-महासमुंद में मोबाइल टॉवर लगाने हेतु शासन द्वारा कोई योजना संचालित है ? अगर हाँ तो योजना का नाम बतावे? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार कौन-कौन से क्षेत्रों को मोबाइल टॉवर लगाने हेतु शासन द्वारा चयनित किया गया है, विकासखंडवार, जानकारी देवे?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला-महासमुंद के कुल 1160 ग्रामों में से 1159 ग्रामों में मोबाइल कवरेज की उपलब्धता है, शेष 1 ग्राम (लतादादर), डिजिटल भारत निधि (DBN) योजनांतर्गत मोबाइल टावर लगाये जाने का कार्य प्रगतिरत है। **(ख)** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

### **जिला गरियाबंद व धमतरी अंतर्गत किए गए विभिन्न निर्माण कार्य**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**16. ( क्र. 1221 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन विभाग द्वारा गरियाबंद/धमतरी जिले अन्तर्गत वर्ष 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक किए गए विभिन्न निर्माण कार्य, रेनोवेशन, सामग्री क्रय, वानिकी, वृक्षारोपण, वन सुधार, सड़कों, कार्यालय भवन, चौकी, नर्सरी, जल संरचना (तालाब, चेकडैम आदि), बाड़बंदी, फेंसिंग कार्यों की जानकारी प्रदाय करें ? **(ख)** उपरोक्त प्रत्येक कार्य के वर्तमान भौतिक स्थिति तथा स्वीकृत एवं व्ययित राशि, कार्य प्रारंभ व पूर्णता की तिथि बताएं तथा कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम क्या है ? **(ग)** संबंधित कार्यों में किस-किस मद (बजट शीर्ष) से राशि स्वीकृत की गई,

उसकी जानकारी (वार्षिक/योजना/राज्य योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना आदि) प्रदाय करें ? (घ) क्या विभाग द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण एवं लेखा परीक्षण (आडिट) कराया गया है ? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाए ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) वन विभाग द्वारा गरियाबंद / धमतरी जिले अन्तर्गत वर्ष 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक किए गए विभिन्न निर्माण कार्य, रेनोवेशन, सामग्री क्रय, वानिकी, वृक्षारोपण, वन सुधार, सड़कों, कार्यालय भवन, चौकी, नर्सरी, जल संरचना (तालाब, चेकडैम आदि), बाड़बंदी, फेंसिंग कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।** (ख) उपरोक्त प्रत्येक कार्य के वर्तमान भौतिक स्थिति तथा स्वीकृत एवं व्ययित राशि, कार्य प्रारंभ व पूर्णता की तिथि तथा कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।** (ग) संबंधित कार्यों में मदवार स्वीकृत की गई राशि (वार्षिक/योजना/राज्य योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना आदि) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।** (घ) धमतरी एवं गरियाबंद वन मंडल के विभागीय कार्यों का मई 2024 से सितम्बर 2025 की अवधि तथा उदन्ती सीतानदी टाईगर रिजर्व, गरियाबंद के विभागीय कार्यों का अक्टूबर 2021 से अगस्त 2025 तक की अवधि का लेखा परीक्षण महालेखाकार, छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा किया गया है, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध है। ऑडिट रिपोर्ट माननीय राज्यपाल को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुतीकरण उपरांत सदन में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार रखी जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति **परिशिष्ट-1** (पृष्ठ क्र. 01 से 75 तक धमतरी वनमंडल, पृष्ठ क्र. 76 से 149 तक गरियाबंद वनमंडल, पृष्ठ क्र. 158 से 182 तक उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद) में संलग्न है। इसके अलावा गरियाबंद वन मंडल के मनरेगा कार्यों का वर्ष 2024-25 की अवधि का ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट **परिशिष्ट-1** के पृष्ठ क्र. 150 से 157 पर संलग्न है। लेखा परीक्षण की स्थिति **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" में कॉलम क्रमांक 12 अनुसार है।**

### **जल संसाधन प्रबंध क्रमांक-1 रायपुर में निर्माण कार्य**

[जल संसाधन]

**17. ( क्र. 1547 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जल संसाधन प्रबंध संभाग क्रमांक-1 रायपुर अंतर्गत वार्षिक संधारण हेतु कितनी राशि प्रावधानित की गई थी? कितनी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई? वृहद योजना/माध्यम योजना/लघु सिंचाई योजना अंतर्गत कार्य का नाम सहित पृथक-पृथक जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश 'क' हेतु तकनीकी स्वीकृति कितने राशि की, किस अधिकारी द्वारा, कब जारी की गई? सूची उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार किए गए कार्यों की सूची उसमें व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई? प्राप्त निविदा दरों में पूर्व की प्रचलित एवं वर्तमान स्वीकृत दर का पृथक-पृथक अंतर सहित विवरण देवे?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) वार्षिक संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में जल संसाधन प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर को राज्य के सभी लघु योजनाओं के लिए राशि ₹. 2090.80 लाख के बजट प्रावधान में से राशि ₹. 1078.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी लघु योजनाओं के लिए राशि ₹. 5300.00 लाख के बजट प्रावधान में से राशि ₹. 1475.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। वार्षिक संधारण कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई योजनाओं के नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (घ) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों हेतु पीस वर्क पद्धति अपनाई गई है। वर्ष

2024-25 में स्वीकृत दर, प्रचलित दरों से 06 प्रतिशत कम तथा वर्ष 2025-26 में स्वीकृत दर, प्रचलित दरों से 08 प्रतिशत कम है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

### **तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय भर्ती**

[सामान्य प्रशासन]

**18. ( क्र. 1625 ) श्री आशा राम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बस्तर संभाग के विभिन्न विभागों में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय भर्ती पूर्व में लिए गए निर्णय के आधार पर की जावेगी? **(ख)** यदि हां तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती स्थानीय उम्मीदवारों से भर्ती कब तक की जाएगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जी नहीं। **(ख)** "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

### **बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिला-स्तरीय विभागों की स्थापना**

[सामान्य प्रशासन]

**19. ( क्र. 1627 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बिलाईगढ़ क्षेत्र के नागरिकों को जिला-स्तरीय कार्यों के लिए आज भी सारंगढ़ जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ रहा है? **(ख)** यदि हां तो बिलाईगढ़ क्षेत्र में कौन-कौन से जिला-स्तरीय विभाग स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं तथा उनकी स्थापना हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है? जिला-स्तरीय विभागों की स्थापना की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** हाँ, जिला-स्तरीय कार्य जिला मुख्यालय से संचालित होने के कारण बिलाईगढ़ क्षेत्र के नागरिक जिला मुख्यालय पर निर्भर हैं। **(ख)** बिलाईगढ़ क्षेत्र में जिला-स्तरीय विभाग स्थापित नहीं है, बिलाईगढ़ अनुभाग है, जिसमें अनुविभाग स्तर के अधिकारी पदस्थ एवं कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

### **शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में सोलर पैनल लगवाने की योजना**

[उच्च शिक्षा]

**20. ( क्र. 1652 ) श्री सुनील कुमार सोनी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में सोलर पैनल लगवाने हेतु शासन की कोई योजना है? इस हेतु क्या अलग से बजट का प्रावधान किया गया है? अभी तक शासकीय योजना के अंतर्गत किन-किन शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सोलर पैनल लगवाने की स्वीकृति प्रदाय की जा चुकी है एवं स्वीकृति प्राप्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? कितने कार्य प्रारंभ/प्रगतिरत हैं?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** जी नहीं। प्रश्न उदभुत नहीं होता। **ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार:-** शासकीय योजना के अंतर्गत कोई भी शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सोलर पैनल लगवाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है किन्तु क्रेडा के द्वारा डिपोजिट वर्क अंतर्गत ऑनग्रिड/ऑफग्रिड सौर संयंत्र स्थापित किये जाते हैं। आज दिनांक तक डिपोजिट वर्क (हितग्राही विभागों से प्राप्त राशि) अंतर्गत क्रेडा द्वारा शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में 1470 नग सोलर ऑफग्रिड सोलर पॉवर प्लांटों की स्थापना की गई है

जिनकी जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। इसी प्रकार 20 नग ऑनग्रिड सोलर पॉवर प्लांटों की स्थापना की गई है जिनकी जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र- 'ब' अनुसार है तथा कुल 16 नग ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जिनकी जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र- 'स' अनुसार है। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार:- पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।

### बिलाईगढ़ में बसों के संचालन में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[परिवहन]

**21. ( क्र. 1710 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) क्या विधानसभा मुख्यालय बिलाईगढ़ में प्रवेश का वैध परमिट होने के बावजूद बसें बिलाईगढ़ में प्रवेश न कर बाहरी मार्ग से ही संचालित हो रही हैं? यदि हां तो क्यों? कब तक नियमित प्रवेश प्रारंभ किया जावेगा? (ख) क्या वर्ष 2024 एवं 2025 बस संचालकों द्वारा ओवरलोड सवारी एवं मनमाना किराया वसूली किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं क्या कार्यवाही की गई है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत संचालित बसों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (संलग्न प्रपत्र)

[ संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" ]

### राडा आटो एक्सपो में परिवहन टैक्स में दी गई छूट

[परिवहन]

**22. ( क्र. 1745 ) श्री राजेश मूणत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के माध्यम से विगत दिनों आयोजित मेले (राडा आटो एक्सपो) में वाहनों की बिक्री पर टैक्स की छूट प्रदान की गई थी? यदि हां तो यह छूट कौन-कौन सी वाहनो की बिक्री पर थी? (ख) प्रनांश "क" के तहत दी गई छूट राज्य के अंदर चलने वाली वाहनों के लिए थी या राज्य के बाहर चलने वाले वाहनों के लिए भी लागू थी? (ग) इन वाहनों का पंजीयत कहां किया गया? राज्य के बाहर ले जाई गई गाड़ी पंजीयन उपरांत ले जाने दी गई अथवा बिना पंजीयन? यदि पंजीयन उपरांत ले जाने दी गई है तो क्या अन्य राज्यों में उन्हें चलाने के लिए अनापत्ति दी गई है या दी जायेगी? विवरण दें। (घ) क्या मेले में मिल रही छूट का लेते हुए मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि के नागरिकों ने भी वाहन क्रय की है? यदि हां तो वे उस वाहन का पंजीयन कहां करायेंगे छ.ग. में या अपने निवास वाले राज्यो में?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जी हाँ। विभागीय अधिसूचना दिनांक 02.01.2026 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़ कर समस्त वाहनों के बिक्री पर जीवनकाल कर के भुगतान में छूट दी गई है। (ख) प्रश्नांश क के तहत दी गई छूट राज्य के अंदर पंजीकृत वाहनों पर ही दी गई है। (ग) इन वाहनों का पंजीयन राज्य के भीतर किया गया है। पंजीयन उपरांत राज्य के बाहर कोई भी वाहन अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर नहीं ले जाई गई है। राज्य में पंजीयन उपरांत अन्य राज्यों में चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी गई है, आवेदन करने पर नियमतः अन्य राज्य में पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाएगी। (घ) मेले में मिल रही छूट का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थाई अथवा अस्थायी रूप से निवास करने वाले नागरिकों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर पंजीकृत किये जाने पर दी गई है।

### वन मंडल सुकमा तथा दंतेवाड़ा आदि में तेन्दूपत्ता बोनस राशि में अनियमितता

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**23. ( क्र. 1752 ) श्री कवासी लखमा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वनवृत्त जगदलपुर के वन मंडल सुकमा, दंतेवाड़ा आदि में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक की राशि का वितरण करने के बजाए वन विभाग के अधिकारियों तथा लघु वनोपज समितियों के कर्मचारियों के द्वारा गबन करने की घटनाएं 2023-24 से 2024-25 की अवधि में प्राप्त हुई है? **(ख)** यदि हां तो गबन की राशि, तेन्दूपत्ता संग्राहकों की संख्या तथा लघु वनोपज समितियों के नाम बताएं? **(ग)** गबन की गई राशि की वसूली करने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दे। **(घ)** पीड़ित संग्राहकों को क्या अतिरिक्त पारिश्रमिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि हां तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि का और यदि नहीं तो उसका कारण क्या है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** वन वृत्त, जगदलपुर अंतर्गत मात्र जिला यूनियन/वनमण्डल सुकमा में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित किये जाने वाले सीजन 2021 एवं सीजन 2022 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि के वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** 17 समितियों के 34,423 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भुगतान की जाने वाली राशि रूपये 5,74,72,231/- के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया है। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के नाम **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। (ग)** छ.ग राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है। 01 वनमण्डलाधिकारी, 07 पोषक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है। 11 समिति प्रबंधकों को बर्खास्त किया जा चुका है। **(घ)** वर्तमान में पीड़ित संग्राहकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। छ.ग राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रकरण की जांच उपरांत प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

### जिला खनिज संस्थान न्यास गरियाबंद में सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्य

[खनिज साधन]

**24. ( क्र. 1784 ) श्री जनक ध्रुव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला खनिज संस्थान न्यास गरियाबंद में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितनी राशि सभी स्रोतों से प्राप्त हुई है? **(ख)** इस मद से कितनी कितनी राशि के कितने कार्य न्यास में शामिल सदस्यों के अनुशंसा पर स्वीकृत किए गए हैं? सदस्यों के नाम सहित वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला-गरियाबंद की न्यास निधि में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कुल रूपये 43 करोड़ 67 लाख 95 हजारप्राप्त हुआ है। **(ख)** जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति, शासी परिषद द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार किये जाते हैं। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

### रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण

उपरांत नामांतरण, पुनः आवंटन एवं पंजीयन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**25. ( क्र. 1805 ) श्री संदीप साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण तो किया गया, परंतु अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः आवंटन एवं पंजीयन की कोई स्पष्ट

प्रक्रिया वर्तमान अधिनियमों एवं नियमों में निर्धारित नहीं है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाइज़र का पंजीकरण) नियम, 1999 में विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने के पश्चात की कार्यवाही (नामांतरण, पंजीयन एवं आवंटन) के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है? **(ग)** क्या प्लॉट धारकों द्वारा पूर्व में अदा किए गए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के समायोजन अथवा छूट के संबंध में शासन द्वारा अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? **(घ)** क्या यह भी तथ्य है कि भुईया पोर्टल एवं ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रकरणों में नामांतरण हेतु कोई तकनीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रकरणों का ऑनलाइन निस्तारण बाधित हो रहा है? **(ङ)** क्या रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के ले-आउट में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव, नाला/मार्ग संबंधी तकनीकी त्रुटियों एवं ले-आउट संशोधन की स्थिति अभी तक अस्पष्ट बनी हुई है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : जानकारी एकत्र की जा रही है।**

### **मरवाही वन मंडल में वृक्षारोपण कार्य में आर्थिक अनियमितता**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**26. ( क्र. 1873 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मरवाही वन मण्डल अन्तर्गत पेन्द्रा, गौरैला, खोंडरी एवं मरवाही परिक्षेत्रों में वर्ष 2025 में कैम्पा (CAMPA) एवं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मद के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार सिंचित वृक्षारोपण कार्य हेतु गड्डों का निर्माण क्या श्रमिकों से कराया जाना प्रावधानित था? यदि हां, तो कुल कितने श्रमिकों से उक्त कार्य संपन्न कराया गया? **(ख)** क्या मरवाही वन मण्डल अन्तर्गत उक्त गड्डों की खुदाई स्वीकृत मापदण्डों के विपरीत जेसीबी एवं अन्य उपकरणों से कराये जाने संबंधी शिकायत मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 09/09/2025 के माध्यम से प्रधान वन संरक्षक, रायपुर को की गई? यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** क्या उक्त अनियमितता के संबंध में विभाग द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो किस स्तर पर जांच करायी गई तथा जांच में क्या तथ्य पाये गये ? क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या जांच में मशीनों के माध्यम से गड्डों के स्थान पर श्रमिकों द्वारा खुदाई कराया जाना एवं श्रमिकों के नाम से भुगतान के आहरण किया जाना पाया गया ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों के नाम से कुल कितनी राशि आहरण की गई ? तथा राशि किन-किन श्रमिकों के खातों में भुगतान की गई? कृपया सूची सहित सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :****(क)** यह सही है कि मरवाही वनमण्डल अंतर्गत पेन्द्रा, गौरैला, खोड्री एवं मरवाही परिक्षेत्रों में वर्ष 2025 में कैम्पा मद एवं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मद के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार सिंचित वृक्षारोपण कार्य हेतु गड्डों का निर्माण श्रमिकों से कराया जाना प्रावधानित था। कुल 1362 श्रमिकों से उक्त कार्य सम्पन्न कराया गया।**(ख)** यह सही है कि मरवाही वनमण्डल अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु गड्डों की खुदाई स्वीकृत मापदण्डों के विपरीत जेसीबी एवं अन्य उपकरणों से कराये जाने संबंधी शिकायत मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर के पत्र दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को प्रेषित की गई। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, रायपुर के आदेश क्रमांक /मु.व.सं./सर्त.शि./वरि.नि.सहा./75 दिनांक 11.09.2025 द्वारा श्री गुरूनाथन एन. (भा.व.से.) प्रभारी वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई है, जिसकी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कैम्पा योजना के तहत उक्त कार्य मशीनों के माध्यम से नहीं अपितु श्रमिकों के माध्यम से कराया गया है।**(ग)** उक्त अनियमितता के संबंध में मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के आदेश क्रमांक /नि.स./196 दिनांक 13.06.2025 द्वारा श्री चन्द्रकांत टिकरिहा, स.व.स. उपवनमण्डलाधिकारी पाली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। उक्त जांच समिति के प्रतिवेदन उपवनमण्डल पाली

के पत्र क्रमांक 684 दिनांक 29.07.2025 अनुसार ग्रीन क्रेडिट योजना अंतर्गत कक्ष 2361 परिसर अमारू परिक्षेत्र पेण्ड्रा रकबा 9.00 हेक्टेयर में गढ़ड़ा खुदाई मशीन के माध्यम से और कक्ष 2210 परिसर सधवानी परिक्षेत्र खोडरी रकबा 10.00 हेक्टेयर, कक्ष 2210 परिसर सधवानी परिक्षेत्र खोडरी रकबा 15.00 हेक्टेयर, कक्ष 2206 परिसर सधवानी परिक्षेत्र खोडरी 15.00 हेक्टेयर में जे.सी.बी. के माध्यम से गढ़ड़ा खुदाई का कार्य होना पाया गया है। चूंकि ग्रीन क्रेडिट मद अंतर्गत कराये गये समस्त कार्यों की जांच हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, रायपुर के आदेश क्रमांक /मु.व.सं./सर्त.शि./वरि.नि.सहा./75 दिनांक 11.09.2025 द्वारा श्री गुरुनाथन एन. (भा.व.से.) वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई है, तथा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कैम्पा योजना अंतर्गत गढ़ड़ा खुदाई कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिससे जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।(घ) यह सही नहीं है कि जांच में मशीनों के माध्यम से गढ़ड़ों के स्थान पर श्रमिकों द्वारा खुदाई कराया जाना एवं श्रमिकों के नाम से भुगतान के आहरण किया जाना पाया गया। अपितु गर्मी का समय होने के फलस्वरूप रोपण स्थल में कहीं-कहीं पर कठोर एवं मुरूमी मिट्टी होने के कारण श्रमिकों के द्वारा हस्तचलित (हैण्डब्रोक) का उपयोग करते हुए गढ़ड़ा खुदाई कार्य कराया गया एवं उक्त कार्य का भुगतान संबंधित श्रमिकों को किया गया।

### **इंदिरा निकुंज माना रोपणी में संचालित श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह के कार्य**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**27. ( क्र. 1874 ) श्री अनुज शर्मा (श्री भूपेश बघेल) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) क्या दिनांक 05.03.2025 के तारांकित प्रश्न संख्या-05 (क्रमांक 1254) के उत्तर में गलत/भ्रामक जानकारी प्रदान करने के संबंध में विभाग द्वारा जांच उपरांत कितने अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गई?विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.) द्वारा वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर एवं दो अन्य का निलंबन एवं अन्य चार के विरुद्ध सक्षमतानुसार कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया था?यदि हां तो 31.01.2026 तक इन अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण प्रदान करें? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या वर्तमान समय में आदेश में नामजद अधिकारी अभी भी निलंबित है अथवा इनका निलंबन वापस ले कर पुनः उन्हीं पदों और स्थानों में कार्यरत है? यदि हां किस आदेश के तहत इनका निलंबन वापस लिया गया ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :**(क) दिनांक 05.03.2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1254 के उत्तर में गलत/भ्रामक जानकारी प्रदान करने के संबंध में विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच उपरांत सात अधिकारी/कर्मचारियों को जवाबदेह पाया गया। इन अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है।**(ख)जांच प्रतिवेदन के आधार पर वनक्षेत्रपाल (तत्का.परिक्षेत्र अधिकारी, रायपुर परिक्षेत्र) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर द्वारा एवं चार कर्मचारियों को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा निलंबित किया गया। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. नवा रायपुर द्वारा स्पष्टीकरण तथा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। साथ ही छ.ग.शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 31.01.2026 तक उक्त सात अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है।**(ग) प्रश्नाधीन प्रकरण में जवाबदेह कोई अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान समय में निलंबित नहीं है। निलंबित किये गये 05 अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबन से बहाली उपरांत

उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया गया है जहाँ वे निलंबन बहाली के पूर्व पदस्थ थे। निलंबन से बहाली आदेश का विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

### अवैध रेत घाट से हुये राजस्व की हानि

[खनिज साधन]

**28. ( क्र. 1944 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में वर्तमान में कितने रेत घाट स्वीकृत हैं? स्वीकृत रेत घाट का नाम स्थान एवं स्वीकृति अवधि क्या है? वर्ष 2025-26 हेतु रेतघाट से निर्धारित राजस्व का लक्ष्य क्या था और लक्ष्य के विरुद्ध कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? **(ख)** उक्त रेत घाटों में 31.01.2026 तक हुये रेत उत्खनन एवं रायल्टी की जानकारी दें? **(ग)** क्या यह सत्य है कि बिलासपुर जिले में अनेक स्थानों पर अवैध रेत घाट का संचालन, उत्खनन एवं दोहन की शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हाँ तो किन किन स्थानों पर? **(घ)** क्या उक्त अवधि में अवैध रेत घाट संचालन उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई है? अगर हाँ तो क्या कार्रवाई /कार्यवाही की गई है?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** बिलासपुर जिले में वर्तमान में 05 रेत खदानें स्वीकृत है। स्वीकृत रेत घाट का नाम स्थान एवं स्वीकृति अवधि की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। रेत खदान हेतु पृथक से राजस्व लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।**(ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।(ग)** जी हां, बिलासपुर जिले में प्रश्नाधीन अवधि में लावर, घुटकू, खपरी, लोफंदी, करहीकछार, रतखण्डी, लछनपुर, निरतू, लमेर, कोनचरा, कोनी, मंगला, सोढाखुर्द इत्यादि क्षेत्रों में रेत अवैध उत्खनन एवं दोहन की शिकायतें प्राप्त हुई है।**(घ)** जी हां, प्रश्नाधीन अवधि में खनिज रेत के अवैध परिवहन के 306 प्रकरण दर्ज कर 66 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज किया गया है तथा शेष प्रकरणों में 49 लाख 09 हजार 624 रूपये समझौता राशिवसूल किया गया। अवैध उत्खनन के 6 प्रकरणों में 8 लाख 29 हजार 080 रूपये तथा अवैध भण्डारण के 10 प्रकरण दर्ज कर राशि 13 लाख 42 हजार 152 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

### प्रदेश में सरकारी पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति को आरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

**29. ( क्र. 2001 ) श्री इंद्र साव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र. 591/2012 में दिनांक 19.09.2022 को पारित आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिये भर्ती में आरक्षण की सीमा 16 प्रतिशत को घटाकर 12 प्रतिशत किये जाने वाली अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया गया है? **(ख)** क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उक्त आदेश पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है? **(ग)** यदि हां, तो छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में, सीधी भर्ती के पदों हेतु चलाये जाने वाले रोस्टर में अनुसूचित जाति के लिये कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? **(घ)** क्या छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों / मंडल/कंपनी को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भर्ती में 16 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु कोई स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं?, यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** मान0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई अंतरिम राहत के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागों में सीधी भर्ती के सभी पदों हेतु चलाये जाने वाले रोस्टर में,

अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान किया गया है, उक्त आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. 19668/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगा। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

### **नहर निर्माण, लाइनिंग कार्य, जलाशय, बांध, एनीकट, निर्माण व मरम्मत, संधारण कार्य**

[जल संसाधन]

**30. ( क्र. 2067 ) श्री भोलाराम साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2022-23 से 31.01.2026 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले अंतर्गत कौन-कौन से सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण, लाइनिंग कार्य, जलाशय, बांध, एनीकट, आदि निर्माण, मरम्मत, संधारण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब, किन-किन अधिकारी के द्वारा किया गया एवं निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियाँ पाई गई है तथा किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार, स्थलवार, कार्यवार, निरीक्षणकर्ता के नाम सहित दिनांकवार जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2026 तक जिला राजनांदगांव एवं जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत संचालित सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत नहर निर्माण, लाइनिंग कार्य, जलाशय, बांध, एनीकट निर्माण, मरम्मत एवं संधारण कार्यों हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि, (1) जिला - राजनांदगांव विभाग अंतर्गत जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2026 तक सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण कार्य के लिए कोई पृथक प्रशासकीय स्वीकृति राशि प्रदान नहीं की गई है। 15 लाइनिंग कार्य हेतु राशि रू. 18,471.01 लाख स्वीकृति हुई एवं राशि रू. 4,925.86 लाख व्यय हुई है। उक्त अवधि में जलाशय एवं बांध निर्माण हेतु कोई पृथक प्रशासकीय स्वीकृति राशि प्रदान नहीं की गई। एनीकट एवं अन्य 02 निर्माण कार्यों के लिए राशि रू. 1,985.79 लाख स्वीकृत हुई एवं राशि रू. 1,457.99 लाख व्यय हुई। मरम्मत एवं संधारण के 297 कार्यों हेतु राशि रू. 371.84 लाख स्वीकृत हुई एवं राशि रू. 371.84 लाख व्यय हुई। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** (2) जिला - मोहला-मानपुर-अं.चौकी विभाग अंतर्गत जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी में वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2026 तक सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण कार्य के लिए कोई पृथक से प्रशासकीय स्वीकृति राशि प्रदान नहीं की गई है। 08 लाइनिंग कार्य हेतु राशि रू. 6,009.26 लाख स्वीकृति हुई एवं राशि रू. 4,861.34 लाख व्यय हुई। उक्त अवधि में 01 जलाशय कार्य हेतु राशि रू. 2,282.94 लाख स्वीकृति हुई एवं राशि रू. 2,163.04 लाख व्यय हुई। बांध निर्माण हेतु कोई पृथक से प्रशासकीय स्वीकृति राशि प्रदान नहीं की गई है। एनीकट एवं अन्य 05 निर्माण कार्यों के लिए राशि रू. 1,326.01 लाख स्वीकृत हुई एवं राशि रू. 843.72 लाख व्यय हुई। मरम्मत एवं संधारण 22 कार्यों हेतु राशि रू. 5286.13 लाख स्वीकृत हुई एवं राशि रू. 4478.81 लाख व्यय हुई। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि में कुल 27 निर्माण कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता, प्राक्कलनानुसार प्रगति एवं तकनीकी मानकों का परीक्षण किया गया। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ व उन पर की गई कार्यवाही का नामवार, दिनांकवार, वर्षवार, विकासखण्डवार, स्थलवार एवं कार्यवार का विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" ]**

## अविभाजित जिला-राजनांदगाव में शासकीय महाविद्यालय के संचालन व भवन निर्माण

[उच्च शिक्षा]

**31. ( क्र. 2104 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) अविभाजित राजनांदगांव जिले में कुल कितने नवीन/पुराने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? एवं कितने के पास स्वयं का भवन हैं एवं कितने भवन विहीन/जर्जर हैं, विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी देवें? (ख) कितने शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन की वित्तीय राशि 2022-23 में आने के बाद वापिस कर ली गई है व कितने स्वीकृत भवन आज पर्यन्त तक लंबित हैं, जानकारी देवें? (ग) शासकीय महाविद्यालयों में कुल कितने-कितने पद स्वीकृत है एवं कितने भरे हुए हैं एवं कितने रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी, विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी देवें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) अविभाजित राजनांदगांव जिले में 08 नवीन एवं 17 पुराने शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जानकारी निरंक है। प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस" \]](#)

## किसानों के मोटर पंप कनेक्शन में विद्युत बिल के छूट का प्रदाय

[ऊर्जा]

**32. ( क्र. 2110 ) श्री आशा राम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के 5 एचपी तक मोटर पंप कनेक्शन में किन-किन वर्गों को बिजली बिल में छूट दी गई है? (ख) यदि एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग के हितग्राहियों को छूट दी गई है तो ओबीसी वर्ग के हितग्राहियों को फ्लैट रेट में फॉर्म भरवा कर प्रति माह ₹300 बिल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्यों लिया जा रहा है? अद्यतन जानकारी देवें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) डा. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना के तहत कृषकों के 5 एचपी तक कृषि पंप कनेक्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को संपूर्ण वार्षिक खपत पर तथा अन्य वर्ग के कृषकों को 3 एच.पी. क्षमता तक 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 एच.पी. क्षमता तक के पंपों पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है। (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित छूट के अतिरिक्त योजना के तहत कृषि सिंचाई पंपों हेतु फ्लैट रेट विकल्प की भी सुविधा प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार कृषकों को फ्लैट रेट विकल्प चयन करने पर 5 एच.पी. क्षमता तक के प्रथम पंप पर रूपये 100 प्रति एच.पी. प्रतिमाह का विकल्प है। इसके अतिरिक्त अन्य पंपों पर फ्लैट रेट का विकल्प निम्न तालिका अनुसार है:-

क्र.	पंप की क्षमता	फ्लैट रेट की दर
1	5 एच.पी. क्षमता तक द्वितीय पंप पर	रूपये 200 प्रति एच.पी. प्रतिमाह
2	5 एच.पी. से अधिक क्षमता के प्रथम एवं द्वितीय पंप पर	रूपये 200 प्रति एच.पी. प्रतिमाह
3	5 एच.पी. तक के एवं 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर	रूपये 300 प्रति एच.पी. प्रतिमाह

फ्लैट रेट के विकल्प का चयन करने वाले कृषकों के द्वारा उक्तानुसार फ्लैट रेट का भुगतान किया जा रहा है।

### **मनगटा वनचंतना केंद्र, जिला राजनांदगांव के आसपास अवैध प्लाटिंग/कब्जा**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**33. ( क्र. 2121 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) जिला राजनांदगांव में वर्ष 2023-24 से आज पर्यन्त 2026 तक मनगटा वनचेतना केन्द्र के आस-पास ग्राम मनगटा, जोरातराई एवं झूराडबरी के कितने हेक्टेयर शासकीय/निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग/कब्जा कर कॉलोणियों, रिसोर्ट, रेस्टोरेण्ट, दुकान, ढाबा, लॉज, हॉटल आदि का निर्माण किया गया है, खसरावार, रकबा सहित वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त वर्षों में अवैध प्लाटिंग/कब्जा के कितने शिकायत प्राप्त हुई है या विभाग के संज्ञान में आयी हैं? प्राप्त शिकायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही किनके-किनके विरुद्ध व किनके द्वारा की गयी हैं? (ग) उक्त वर्षों में मनगटा वनचेतना के आस-पास कितने रिसोर्ट, रेस्टोरेण्ट, ढाबा, लॉज, हॉटल निर्मित किया गया हैं? उनमें से कितने वैध है एवं कितने वैध/अवैध के मालिकों से राजस्व कर की राशि प्राप्त की गई, वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) जिला- राजनांदगांव के राजनांदगांव अनुविभाग में वर्ष 2023-24 से दिनांक 09.03.2026 तक मनगटा वनचेतना केन्द्र के आस-पास के ग्राम मनगटा, जोरातराई व झूराडबरी के शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/अवैध प्लाटिंग कर कॉलोनी, रिसोर्ट, रेस्टोरेण्ट, दुकान, ढाबा व लॉज आदि के निर्माण की जानकारी निरंक है। प्रश्नाधीन अवधि में दिनांक 09.03.2026 तक ग्राम मनगटा, जोरातराई, झूराडबरी के निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर कॉलोणियो, रिसोर्ट, रेस्टोरेण्ट, दुकान, ढाबा, लॉज की जानकारी प्राप्त होने पर 10 प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। उक्त जानकारी, खसरावार, रकबा सहित वर्षवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष-2026 में ग्राम झूराडबरी के शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा की 04 शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त अवैध कब्जा के संबंध में राजस्व मामला दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है, उक्त जानकारी खसरा वार रकबा सहित वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** निजी भूमि पर ग्राम झूराडबरी में कब्जा कर अतिक्रमण किए जाने की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। जिस पर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। उक्त जानकारी, खसरावार, रकबा सहित वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।** (ग) उक्त वर्षों में मनगटा वनचेतना के आस-पास में ग्राम मनगटा में 01 भूमि स्वामी के द्वारा कुल 03 खसरो, ग्राम झूराडबरी में कुल 45 भूमि स्वामी के द्वारा 49 खसरो में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराया गया है, जिसमें रिसोर्ट, ढाबा, रेस्टोरेण्ट इत्यादि निर्मित किया गया है। इनमे से ग्राम मनगटा के 01 व्यक्ति के द्वारा कुल राशि 22769.00 रू. एवं ग्राम झूराडबरी के 45 भूमि स्वामीयों के द्वारा 529712.00 रू. व्यपवर्तन / पुनर्कर निर्धारण से भू-राजस्व के रूप में कुल राशि 552481.00 रू. प्राप्ति हुई है। उक्त **जानकारी संलग्न प्रपत्र "द" अनुसार है।**

[ संलग्न "परिशिष्ट - बीस" ]

### **बिजली बिल हाफ योजना के उपभोक्ता**

[ऊर्जा]

**34. ( क्र. 2136 ) श्री उमेश पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला में बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत कितने उपभोक्ता इस योजना में शामिल थे? तथा योजना बंद होने से कितने उपभोक्ता इससे बाहर हो चुके हैं? बाहर हो चुके उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दिलाने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना को संशोधित कर दिनांक 01.12.2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना लागू की गयी है। जिसके अंतर्गत रायगढ़

जिले में 1 लाख 75 हजार 240 उपभोक्ता लाभांविता है, तथा योजना में निहित प्रावधानों के तहत रायगढ़ जिले के 3472 उपभोक्ताओं की खपत योजना की निर्धारित सीमा खपत 400 यूनिट से ज्यादा होने के कारण योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त 63 हजार 603 उपभोक्ता विगत 6 माह या 6 माह से अधिक समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिनके द्वारा बकाया बिल का भुगतान करने पर योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा। बिजली बिल से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्वयं के परिसर में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट एवं 3 किलोवाट या अधिक क्षमता के सोलर रूफ टॉप स्थापित करने हेतु क्रमशः राशि रूपये 30,000/-, रूपये 60,000/- एवं अधिकतम रूपये 78,000/- तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा राज्य शासन द्वारा 1 किलोवाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु राशि रूपये 15,000/- तथा 2 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना पर अधिकतम राशि रूपये 30,000/- की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे कि उपभोक्ता स्वयं अपने आवास की पक्की छत पर सोलर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन कर सकें। बकाया राशि के कारण योजना से लाभांविता नहीं हुए उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान हेतु विभाग द्वारा लगातार प्रेरित किया जा रहा है ताकि भुगतान उपरांत मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत रियायती बिजली का लाभ पुनः मिल सके।

### जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी अन्तर्गत संचालित नवीन महाविद्यालय औंधी हेतु विभिन्न सुविधाएं

[उच्च शिक्षा]

**35. ( क्र. 2158 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय औंधी में कौन-कौन सी कक्षाएं किस-किस संकाय की संचालित हैं? उक्त महाविद्यालय में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं संकायवार जानकारी दें। **(ख)** औंधी में संचालित नवीन महाविद्यालय में प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है? स्वीकृत पदों में कौन-कौन से विषय के पद भरे एवं रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? पदवार जानकारी दें। **(ग)** क्या नवीन महाविद्यालय औंधी में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को समस्त परीक्षा के लिये 50 किलोमीटर दूर मानपुर महाविद्यालय जाना पड़ता है? यदि हां तो छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिये नवीन महाविद्यालय औंधी को परीक्षा केन्द्र क्यों नहीं बनाया गया? जानकारी दें तथा कब तक परीक्षा केन्द्र बना दिया जावेगा?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी हां। नवीन महाविद्यालय औंधी को परीक्षा केन्द्र इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि महाविद्यालय के पास स्वयं का भवन उपलब्ध नहीं है। प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" ]

### कैम्पा एवं अन्य मदों के अंतर्गत स्वीकृत कार्य व राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**36. ( क्र. 2160 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला -मानपुर-अं चौकी अंतर्गत आने वाले विभिन्न वन परिक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 में अलग-अलग कुल कितनी राशि मदवार कितने कार्यों हेतु प्राप्त हुई एवं व्यय की गई है? कार्य एवं व्यय की अद्यतन स्थिति क्या है? जानकारी दें। **(ख)** जिले अंतर्गत वन परिक्षेत्रों में प्रश्न "क" अनुसार वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 अंतर्गत वन विभाग द्वारा कितने पौधों का पौधारोपण किया गया? पौधारोपण में कुल कितनी राशि व्यय की गई? कुल कितने प्रतिशत पौधे वर्तमान में जीवित हैं? जानकारी परिक्षेत्रवार दें? कैम्पा मद

अंतर्गत किन किन परिक्षेत्रों में कितने पौधों का रोपण किया गया जानकारी दें। (ग) जिला मोहला-मानपुर-अंतर्गत वन विभाग एवं वन विकास निगम अंतर्गत कितने रपटा, तालाबों का निर्माण, तार फैसिंग, पीट नाली का निर्माण कहां कहां किया गया है, एवं कुल कितनी राशि खर्च की गई है जानकारी परिक्षेत्रवार दें? दिनांक 31.01.2026 तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, यदि अपूर्ण हैं तो कितने?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत वन परिक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभिन्न मदों में 128 प्रकार के कार्यों हेतु कुल राशि रूपये 56,29,40,756/- प्राप्त एवं रूपये 35,24,36,343/- व्यय किया गया है। कार्य एवं व्यय की अद्यतन स्थिति **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ " अनुसार है ।** (ख) जिले अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग द्वारा 18,09,000/- पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें कुल राशि रूपये 21,93,93,853/- व्यय किया गया है। वर्तमान में 89 प्रतिशत पौधे जीवित हैं । परिक्षेत्रवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब " अनुसार है ।** कैम्पा मद अंतर्गत उत्तर मानपुर परिक्षेत्र में 17,460 पौधों का रोपण किया गया है।(ग) जिला अंतर्गत विभाग द्वारा कुल 123 रपटा, तालाब, तार फैसिंग, पीट नाली का निर्माण किया गया है, जिस पर राशि रूपये 10,72,26,448/- खर्च की गई है, परिक्षेत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-स " अनुसार है ।** दिनांक 31.01.2026 तक 78 कार्य पूर्ण एवं 45 कार्य अपूर्ण (प्रगतिरत) हैं। वन विकास निगम द्वारा कोई भी रपटा, तालाब, तार फैसिंग, पीट नाली का निर्माण नहीं कराया गया है।

### विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मैनापाट में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का क्रय/विक्रय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**37. ( क्र. 2162 ) श्री रामकुमार टोप्यो :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक मैनापाट में वर्ष 2019 से जनवरी 2026 की स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग की कितनी जमीन गैर आदिवासी द्वारा किस नियम/प्रावधान के तहत खरीदी/बिक्री की गई है? उक्त जानकारी वन भूमि/वन अधिकार पट्टा सहित ग्राम पंचायतवार, रकबा सहित जानकारी प्रदान करें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** जिला सरगुजा के विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील मैनापाट में वर्ष 2019 से जनवरी 2026 तक की स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का क्रय-विक्रय गैर आदिवासी द्वारा नहीं किया गया है और न ही वन भूमि अथवा वन अधिकार पत्र की भूमि का क्रय-विक्रय अनुसूचित जनजाति वर्ग से गैर आदिवासी वर्ग के मध्य किये जाने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

### जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में किसानों की भूमि का सीमांकन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**38. ( क्र. 2274 ) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सच है कि जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 1 जनवरी 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक किसानों द्वारा भूमि सीमांकन हेतु तहसीलवार (खैरागढ़, छुईखदान, गंडई ,उपतहसील जालबंधा, सालहेवारा) प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी हैं? (ख) उपरोक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने किसानों ने निर्धारित चालान (शुल्क) जमा कर दिया है? वर्तमान में ऐसे कितने प्रकरण शेष हैं, जिनमें शुल्क जमा होने के उपरांत भी सीमांकन की कार्यवाही आज तक प्रारंभ नहीं की गयी है? पृथक-पृथक तहसीलवार लंबित प्रकरणों की जानकारी दें। (ग) प्राप्त आवेदनों में से कुल कितने प्रकरणों में मौके पर जाकर भौतिक सीमांकन का कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2026 की अवधि में तहसीलवार सीमांकन के प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

तहसील का नाम	01.01.2024 से 30.09.2024	01.10.2024 से 30.09.2025	01.10.2025 से 31.01.2026	<b>01.01.2024 से 31.01.2026</b>
खैरागढ़	350	380	122	852
छुईखदान	111	156	34	301
गण्डई	90	96	33	219
साल्हेवारा	45	57	16	118
उप तहसील जालबांधा	70	161	8	239
कुल प्राप्त आवेदन	666	850	213	1729

**(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार प्राप्त सभी सीमांकन आवेदन में आवेदकों द्वारा सीमांकन शुल्क(चालान) जमा कर दिया गया है। वर्तमान में प्रश्नांक (क) अनुसार चालू राजस्व वर्ष (दिनांक 01.10.2025 से 31.01.2026) में प्राप्त कुल आवेदन 213 में से 136 प्रकरण सीमांकन हेतु शेष है। तहसीलवार लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील का नाम	01.01.2024 से 30.09.2024	01.10.2024 से 30.09.2025	01.10.2025 से 31.01.2026
खैरागढ़	0	0	88
छुईखदान	0	0	20
गण्डई	0	0	19
साल्हेवारा	0	0	6
उप तहसील जालबांधा	0	0	3
कुल प्राप्त आवेदन	0	0	<b>136</b>

**(ग)** प्राप्त आवेदनों में मौके पर जाकर भौतिक सीमांकन कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

<b>भौतिक/स्थल सीमांकन की जानकारी</b>			
तहसील का नाम	01.01.2024 से 30.09.2024	01.10.2024 से 30.09.2025	01.10.2025 से 31.01.2026
खैरागढ़	350	380	34
छुईखदान	111	156	14
गण्डई	90	96	14
साल्हेवारा	45	57	10
उप तहसील जालबांधा	70	161	5
कुल प्राप्त आवेदन	666	850	<b>77</b>

### **मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**39. ( क्र. 2281 ) श्री दिलीप लहरिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15 फरवरी 2026 तक मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत एवं संपादित किए गए? यदि हाँ, तो वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों की संख्या, प्रस्तावित एवं वास्तविक रोपित पौधों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं वास्तविक व्यय राशि, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की तिथि तथा प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण दें। क्या सभी

कार्यों का जियो-टैगिंग एवं तृतीय पक्ष सत्यापन कराया गया? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? **(ख)** उक्त में से कितने स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया गया, कितने कार्यों में अनियमितता पाई गई, कुल क्षति की मात्रा एवं वित्तीय हानि का आकलन कितना है? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर पौध संरक्षण (ट्री-गार्ड, सिंचाई, रख-रखाव) हेतु स्थलवार स्वीकृत राशि, वास्तविक भुगतान राशि का विवरण देवें।

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** जी हाँ। वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार प्रशंसा का पूर्ण **विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।****(ख)** वृक्षारोपण कराये गये पांचों स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया गया है, किसी भी कार्य में अनियमितता नहीं पाई गई है, इसलिए वित्तीय क्षति, हानि एवं किसी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर पौध संरक्षण (ट्री-गार्ड, सिंचाई, रखरखाव) हेतु स्थलवार स्वीकृति राशि, वास्तविक भुगतान का **विवरण संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

### **बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन विभाग के विभिन्न पदों हेतु स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**40. ( क्र. 2292 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन रक्षक, उप वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (वन) के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति जिलेवार व वर्गवार बतावें ? **(ख)** वर्ष 2023-24 से अब तक किन-किन पदों पर कितनी संख्या में नवीन नियुक्ति/भर्ती हुई है ? पदोन्नति से व नियमित नवीन भर्ती की पृथक-पृथक जिलेवार जानकारी देवें ? **(ग)** प्रशंसा "क" में उल्लेखित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या है ? कृपया बतावें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** बस्तर संभाग अंतर्गत जिलों में आने वाले वनमण्डल/कार्यालयों में वनरक्षक, उप वनक्षेत्रपाल (उप वन परिक्षेत्राधिकारी), वनक्षेत्रपाल (वन परिक्षेत्राधिकारी) एवं सहायक वन संरक्षक (अनुविभागीय अधिकारी, वन के समकक्षीय) की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति जिलेवार व वर्गवार **प्रपत्र-अ** अनुसार दर्शित है।**(ख)** वर्ष 2023-2024 से अब तक बस्तर संभाग अंतर्गत आने वाले वनमण्डल/कार्यालयों में पदोन्नति एवं नियमित नवीन भर्ती की जिलेवार जानकारी पृथक-पृथक **प्रपत्र- "ब"** अनुसार दर्शित है। **(ग)** प्रशंसा "क" में उल्लेखित पदों पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार है-

क्र/पदनाम	भर्ती की प्रक्रिया
1 वनरक्षक	(1) छ.ग. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम-2012 के अनुसार वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं लिखित परीक्षा दोनों निर्धारित है।(2) साथ ही छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश 14.06.2013 के प्रावधानानुसार वनरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाता है।
2 उप वनक्षेत्रपाल (उपवनपरिक्षेत्राधिकारी)	छ.ग. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम-2012 के अनुसार वनपाल से उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है।
3 वनक्षेत्रपाल (वनपरिक्षेत्राधिकारी)	(1) 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती, हेतु छ.ग. लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित/साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाती है। लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण विभाग स्तर से किया जाकर

		नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।(2) 50 प्रतिशत पदों हेतु विभागीय भर्ती नियम अनुसार उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है।
4	सहायक वन संरक्षक (अनुविभागीय अधिकारी, के समकक्षीय	(1) 67 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती, हेतु छ.ग. लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित/साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाती है। लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण विभाग स्तर से किया जाकर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।(2) 33 प्रतिशत पदों हेतु विभागीय भर्ती नियम अनुसार वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]**

**शासकीय विज्ञापनों हेतु स्वीकृत, आबंटित एवं भुगतान हेतु राशि**

[जनसंपर्क]

**41. ( क्र. 2294 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 31.01.2026 तक जनसंपर्क विभाग के द्वारा राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर जारी शासकीय विज्ञापनों की संख्या (इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मिडिया पृथक-पृथक), इस हेतु स्वीकृत, आबंटित अथवा जारी राशि एवं भुगतान की स्थिति बतावें ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ही उल्लेखित वर्षों में मीडिया एजेंसियों को दिये गये विज्ञापनों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं भुगतान तथा भुगतान हेतु लंबित प्रकरण व राशि की स्थिति बतायें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जनसंपर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शासकीय विज्ञापन जारी किया जाता है। वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 31.01.2026 तक जारी शासकीय विज्ञापनों की संख्या (इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पृथक-पृथक), स्वीकृत राशि एवं भुगतान राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	मीडिया	वर्ष	विज्ञापनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपए में)	भुगतान राशि (रूपए में)
1	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	2023-24	1924	174,42,72,176	164,64,29,237
		2024-25	765	77,50,75,648	74,66,89,106
		2025-26 में 31.01.2026 तक	1053	73,42,45,183	42,58,16,145
2	प्रिंट मीडिया	2023-24	12847	145,34,26,663	145,34,26,663
		2024-25	10468	67,95,91,182	67,95,91,182
		2025-26 में 31.01.2026 तक	17800	84,29,99,052	53,54,23,512

**(ग)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ही उल्लेखित वर्षों में मीडिया एजेंसियों को दिए गए विज्ञापनों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं भुगतान तथा भुगतान हेतु लंबित प्रकरण व राशि की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	मीडिया	वर्ष	विज्ञापनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपए में)	भुगतान राशि (रूपए में)	लंबित भुगतान राशि
1	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	2023-24	1924	174,42,72,176	164,64,29,237	कोई प्रकरण लंबित नहीं है। वास्तविक कार्य अनुसार भुगतान पूर्ण हो चुका है
		2024-25	765	77,50,75,648	74,66,89,106	

		2025-26 में 31.01.2026 तक	1053	73,42,45,183	42,58,16,145	308429038
2	प्रिंट मीडिया	2023-24	12847	145,34,26,663	145,34,26,663	निरंक
		2024-25	10468	67,95,91,182	67,95,91,182	निरंक
		2025-26 में 31.01.2026 तक	17800	84,29,99,052	53,54,23,512	307575540

### गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत राजापड़ाव क्षेत्र में विद्युत सुविधा की उपलब्धता [ऊर्जा]

**42. ( क्र. 2420 ) श्री जनक ध्रुव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत राजापड़ाव क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य लगभग 40 ग्रामों में बिजली नहीं पहुँच पाई है ? यदि हाँ, तो इस वनांचल क्षेत्र के विद्युतविहीन ग्रामों में कब तक विद्युत सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में राजापड़ाव क्षेत्र में आने वाले 40 ग्रामों में परंपरागत स्रोतों से बिजली नहीं पहुँच पाई है, तथापि उक्त सभी ग्रामों में सोलर प्लांट स्थापित है। स्थापित सोलर प्लांटों में से 34 ग्रामों के सोलर प्लांट कार्यशील है एवं 6 ग्रामों की सोलर होम लाइट अकार्यशील है, जिनकी वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त सभी ग्राम संरक्षित वन क्षेत्र एवं टाईगर रिजर्व की परिधि में स्थित है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व) एवं वन्यजीव गलियारों के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली 33 के.व्ही. एवं इससे निम्न वोल्टेज की विद्युत लाईनों हेतु आवश्यक वन बाधा अनुमति उपरांत मात्र भूमिगत केबल का ही उपयोग किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि वित्तीय रूप से असाध्य एवं व्यवहारिक नहीं है।

### भारतमाला परियोजना में जांच व कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**43. ( क्र. 2431 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के क्षेत्रांतर्गत भारतमाला परियोजना में कब-कब, किसके द्वारा, किसके आदेश से जाँच कराई गई, जाँच प्रतिवेदन में क्या-क्या अनियमितता बताई गई व दोषी कौन-कौन पाया गया? प्रत्येक जाँच समिति में जांच के जाँच-प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी/विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन अधिकारियों द्वारा उक्त अनियमितताओं में अर्जित भूमि का पुनः मुआवजा, निजी भूमि का गलत मुआवजा, बैंकडेट में बंटवारा व नामांतरण, भूमि स्वामी के बदले किसी अन्य को मुआवजा, निजी भूमि का गलत मुआवजा, उपखण्ड विभाजित व बटांकन कर मुआवजा देने की अनियमितता में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की/स्वीकृति प्रदान की गई है व इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? पदनाम व नाम सहित जानकारी दें। (ग) विगत 5 वर्षों में प्रश्नांश (क) परियोजनांतर्गत किन-किन खसरो के संबंध में क्या एवं किसकी शिकायत की गई तथा क्या इन शिकायतों पर जांच की गई, यदि नहीं, तो क्यों? खसरावार व शिकायतवार जानकारी दें।

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** जानकारी एकत्र की जा रही है।

### बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कोल डिपों की जांच

[खनिज साधन]

**44. ( क्र. 2432 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विकासखण्ड पथरिया, जिला मुंगेली में किनके नाम से, कितनी क्षमता के एवं कितनी लाईसेंस अवधि के कोल डिपों कब से संचालित हैं? जानकारी देवें? इनमें कितने वैध व अवैध कोल डिपों है? **(ख)** जनवरी, 2024 से 31.01.2026 दिनांक तक कितने कोल डिपों की जांच की गई और कितनी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है? कोल डिपोवार जानकारी देवें? अवैध लाईसेंस अवधि के, अवैध कोल भण्डारण, अवैध परिवहन तथा कोयले की धूल से प्रदूषण और निर्धारित मापदण्डों का पालन न करने वाले कोल डिपों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** जनवरी, 2024 से उक्तानुसार कोल डिपों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र- "अ" अनुसार है।**(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कोल डिपो की जाँच की जानकारी संलग्न प्रपत्र- "ब" अनुसार है एवं पर्यावरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।**(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में उपरोक्तानुसार कोल डिपो के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र "द" अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

### जिला बालोद में संचालित वैध/अवैध मुरुम उत्खनन

[खनिज साधन]

**45. ( क्र. 2463 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में मुरुम खनन हेतु विभाग द्वारा अनुमति देने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है? **(ख)** बालोद जिले अंतर्गत गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग द्वारा किन-किन स्थानों में मुरुम खनन की अनुमति प्रदान की गई है ? वर्षवार, तहसीलवार, स्थानवार, भू-स्वामी का नाम, खनन एजेंसी नाम , खसरा नं. सहित जानकारी देवें ? **(ग)** क्या गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति/नियम विरुद्ध मुरुम खनन की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन पर क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार, तहसीलवार, नामवार, स्थानवार जानकारी देवें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** मुरुम खनन हेतु विभाग द्वारा छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 42 के तहत उत्खननपट्टा तथा नियम 58 के तहत उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।**(ख)** प्रश्नांकित अवधि में बालोद जिले अंतर्गत गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा मुरुम खनन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अपितु छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 के तहत "गहरीकरण एवं भूमि सुधार कार्य के दौरान प्राप्त गौण खनिज मुरुम / मिट्टी के निपटारे के लिये अनुमति प्रदान की गई है। खनिज मुरुम/मिट्टी के निपटारे हेतु जारी अनुमतियों की वर्षवार, तहसीलवार, स्थानवार, भू-स्वामी का नाम, परिवहनकर्ता का नाम, खसरा नं. सहित विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

### जांजगीर-चांपा जिले की नहरों की मरम्मत एवं लाईनिंग हेतु व्यय राशि

[जल संसाधन]

**46. ( क्र. 2465 ) श्री ब्यास कश्यप :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में संचालित प्रमुख नहरों एवं वितरकों की कुल लंबाई कितनी है? वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में

नहर मरम्मत/लाईनिंग हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा दें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार नहर मरम्मत/लाईनिंग के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन ठेकेदारों को ठेका दिया गया था? कार्यवार भुगतान की गई राशि का विवरण दें? कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन क्षेत्रों में नहर क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई प्रभावित हो रही हैं? टेल एरिया तक पानी पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? किन-किन क्षेत्रों की नहरों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं और क्यों? जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में संचालित प्रमुख नहरों एवं वितरकों की कुल लंबाई 1746.45 कि.मी. है। स्वीकृत कार्यों एवं व्यय की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'ख' की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित नहीं हो रही है। नहरों के टेल एरिया तक पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छबीस" \]](#)

### **मरवाही वन मण्डल के वन परिक्षेत्रों में कैम्पा एवं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मद के अंतर्गत पौधरोपण**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**47. ( क्र. 2490 ) श्री संदीप साह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मरवाही वन मण्डल के वनपरिक्षेत्र पेण्ड्रा, गौरेला, खोंडरी एवं मरवाही वनपरिक्षेत्रों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कैम्पा (CAMPA) एवं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मद के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार सिंचित वृक्षारोपण कार्यों हेतु कुल कितने क्षेत्रों में पौधरोपण किया जाना निर्धारित था? पौधरोपण के संरक्षण हेतु कुल कितनी मात्रा में चैनलिंग की खरीदी किस माध्यम से की गई? कार्यदिश किस फर्म को दिया गया एवं आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के निर्धारित मापदण्ड क्या थे? **(ख)** क्या आपूर्ति की गई सामग्रियों के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 09/09/2025 को आपूर्ति की गई चैनलिंग की मोटाई निर्धारित माप के अनुसार न होने संबंधी शिकायत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को की गई थी? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच दल गठित की गई तथा जांच के उपरांत क्या-क्या पाया गया एवं क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या चैनलिंग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अमानक सामग्री प्रदाय किये जाने के बावजूद संबंधित फर्मों को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त सामग्री के सत्यापनकर्ता अधिकारी, सामग्री प्राप्तकर्ता अधिकारी एवं भुगतानकर्ता अधिकारी कौन-कौन हैं? पर्यवेक्षण में क्या-क्या पाया गया? क्या उक्त अनियमितता हेतु संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** मरवाही वन मण्डल के वनपरिक्षेत्र पेण्ड्रा, गौरेला, खोंडरी एवं मरवाही वन परिक्षेत्रों में कैम्पा मद अंतर्गत परियोजनाओं में रोपण वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण का कार्य निरंक है एवं वर्ष 2025-26 में रकबा 155.205 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मद अंतर्गत परियोजनाओं में वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण कार्य निरंक है एवं वर्ष 2025-26 में स्वीकृत रकबा 311.00 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना निर्धारित था जिसमें से रकबा 281.00 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। पौधारोपण के संरक्षण हेतु कैम्पा मद अंतर्गत 119896 कि.ग्रा. एवं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मद अंतर्गत 317332 कि.ग्रा. चैनलिंग की खरीदी जेम खुली निविदा के माध्यम से की गई।

क्र.	योजना का नाम	चैनलिक प्रदाय करने वाले फर्म का नाम	अनुबंध क्रमांक एवं दिनांक	चैनलिक की मात्रा
1	कैम्पा मद	मेसर्स एस.जी. इंडस्ट्रीज मनेन्द्रगढ़	जेईएमसी 511687718742992 दिनांक 09.04.2025	77932 कि.ग्रा.
2	कैम्पा मद	मेसर्स मौर्या नेटिंग वर्क्स इंदौर	जेईएमसी 511687766229106 दिनांक 09.04.2025	41964 कि.ग्रा.
3	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम	मेसर्स दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	जेईएमसी 51168774418767 दिनांक 07.04.2025	198332 कि.ग्रा.
4	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम	मेसर्स शुभ एग्रो इंडस्ट्रीज सूरजपुर	जेईएमसी 511687750259535 दिनांक 07.04.2025	119000 कि.ग्रा.

आपूर्ति की जाने वाली सामग्री (चैनलिक) का निर्धारित मापदण्ड आईएस 2721 अनुसार 4 एमएम (8 गेज) था। **(ख)** जी हॉ, आपूर्ति की गई सामग्रियों के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 09.09.2025 को आपूर्ति की गई चैनलिक की मोटाई निर्धारित माप के अनुसार न होने संबंधी शिकायत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, रायपुर के आदेश क्रमांक /मु.व.सं./सर्त.शि./वरि.नि.सहा./75 दिनांक 11.09.2025 द्वारा श्री गुरूनाथन एन. (भा.व.से.) प्रभारी वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई है, जिसकी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** यह सही है कि एक फर्म को अमानक सामग्री चैनलिक प्रदाय होने के बावजूद भुगतान किया गया है। कैम्पा मद अंतर्गत 2024-25 ए.पी.ओ. में मेसर्स एस.जी. इण्डस्ट्रीज चैनपुर मनेन्द्रगढ़ को परिक्षेत्राधिकारी पेण्ड्रा एवं उपवनमंडलाधिकारी पेण्ड्रा से सत्यापन उपरांत भुगतान किया गया है। भुगतान की गई सामग्री का सत्यापन श्री मोहरसिंह मरकाम (स.व.स.) उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा, श्री ईश्वरी प्रसाद खुंटे वन परिक्षेत्र अधिकारी पेण्ड्रा, सामग्री प्राप्तकर्ता श्री रमेश रजक, परिक्षेत्र सहायक कोड़गार, श्री मानस पटेल, परिसर रक्षक कोड़गार एवं भुगतानकर्ता अधिकारी श्रीमती ग्रीष्मी चांद भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी मरवाही हैं। पर्यवेक्षण में उक्त सामग्री (चैनलिक) 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 गेज तक का होना पाया गया। उक्त अनियमितता हेतु सामग्री की पावती देने वाले प्राप्तकर्ता, उपयोगकर्ता, सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी जिसमें 02 उपवनमंडलाधिकारी, 04 परिक्षेत्र अधिकारी, 11 परिक्षेत्र सहायक एवं 15 परिसर रक्षक को कार्य में लापरवाही बरतने के लिये वनमंडलाधिकारी मरवाही द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया। वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. के द्वारा मरवाही वनमंडल में कैम्पा योजना एवं ग्रीन क्रेडिट योजना के कार्यों में सामग्री आपूर्ति की जांच हेतु उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई है। जांच निष्कर्ष उपरांत दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

### **न्यू-स्वागत के विहार-कॉलोनी भूमि अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः-आवंटन एवं पंजीयन**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**48. ( क्र. 2492 ) श्री संदीप साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि रायपुर की न्यू-स्वागत विहार-कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण तो किया गया, परंतु अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः-आवंटन एवं पंजीयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया वर्तमान अधिनियमों एवं नियमों में निर्धारित नहीं है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम-पंचायत (कॉलोनाइज़र का पंजीकरण) नियम, 1999 में विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने के पश्चात की कार्यवाही (नामांतरण, पंजीयन एवं आवंटन) के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है? **(ग)** क्या भुईया पोर्टल एवं ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रकरणों में नामांतरण हेतु कोई तकनीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रकरणों का ऑनलाइन निस्तारण बाधित है? **(घ)** क्या प्लॉट धारकों द्वारा पूर्व में अदा किए गए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के समायोजन अथवा छूट के संबंध में शासन द्वारा

अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? (ड) क्या रायपुर विकास प्राधिकरण के ले-आउट में सक्षम-अधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव, नाला/मार्ग संबंधी तकनीकी त्रुटियों एवं ले-आउट संशोधन की स्थिति अभी तक अस्पष्ट बनी हुई है? क्या छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109-110 के अंतर्गत नामांतरण के प्रावधानों का पालन हो रहा है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : जानकारी एकत्र की जा रही है।**

### पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना

[ऊर्जा]

**49. ( क्र. 2495 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों से कितने-कितने के नहीं क्षमता के नवीन विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने हेतु मांग प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा इन मांगों में से कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त प्रस्तावित स्थानों में नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं? यदि नहीं, तो स्वीकृति किस स्तर पर लंबित है तथा स्वीकृति प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना हेतु प्राप्त मांगों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता निर्धारण किन मानकों के आधार पर किया जा रहा है ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत 4 ग्रामों यथा कारेसरा, कोयलारीडीह, पौनी एवं भुवालपुर में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र एवं ग्राम सहसपुर लोहारा में 1 नग 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित किए जाने हेतु मांग प्राप्त हुई, उक्त में से 4 ग्रामों में 4 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के ग्राम कारेसरा, कोयलारीडीह, पौनी एवं भुवालपुर में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ग्राम सहसपुर लोहारा में प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य पूंजी निवेश योजना 2025-26 में समाहित है एवं उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् उपकेन्द्र निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी जिसकी निर्धारित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त मांगों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण तकनीकी मानक आधार पर किया जाता है, जिसमें 33 के.व्ही. अथवा 11 के.व्ही. विद्युत लाईनों के बेहद लंबे होने के कारण अंतिम छोरों में निर्मित लो-वोल्टेज की समस्या अथवा संबंधित 33 के.व्ही. अथवा 11 के.व्ही. फीडर अतिभारित होने के कारण समय-समय पर विद्युत व्यवधान के स्थायी निराकरण हेतु यथोचित लोड सेंटर पर नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का निर्धारण किया जाता है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" ]

### जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में वनों की कटाई की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**50. ( क्र. 2499 ) श्री प्रणव कुमार मरपची :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कितने बीटगार्ड क्षेत्र में भवन निर्मित हैं कितने बीटगार्ड क्षेत्र में भवन निर्मित नहीं हैं? जानकारी देवें? (ख) क्या बीटगार्ड अपने पदस्थ क्षेत्र में निवास करते हैं ? अगर नहीं तो क्यों? क्या जिला में वृक्षों की अवैध कटाई की शिकायत प्राप्त हुई ? अगर हां तो क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मरवाही वनमण्डल अंतर्गत 65 बीटगार्ड

क्षेत्र में भवन निर्मित है एवं 06 बीटगार्ड क्षेत्र में भवन निर्मित नहीं है।(ख) हां, मरवाही वनमण्डल अंतर्गत पदस्थ 65 बीटगार्ड क्षेत्र में बीटगार्ड अपने कार्यक्षेत्र में स्थित शासकीय भवन में निवासरत है तथा शेष 06 बीट में पदस्थ बीटगार्ड शासकीय आवास नहीं होने के कारण अपने कर्तव्य क्षेत्र में किराये के मकान में निवास करते हैं। जिला गौरला-पेंड्रा-मरवाही के मरवाही वनमण्डल में वृक्षों की अवैध कटाई की 08 शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस"]

### तहसील लोरमी अंतर्गत ग्राम खुड़िया को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा का प्रस्ताव

[जल संसाधन]

**51. ( क्र. 2509 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला मुंगेली, तहसील लोरमी अंतर्गत ग्राम खुड़िया की स्वतंत्र ग्राम के रूप में गिनती न होकर सिंचाई ग्राम के रूप में होती है? (ख) क्या ग्राम खुड़िया को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने हेतु प्रस्ताव शासन के पास लंबित है? यदि हाँ, तो कब से ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि राजस्व ग्राम का दर्जा न होने के कारण ग्रामवासियों को नामांतरण, सीमांकन, भू-अधिकार, शासकीय योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं के लाभ में कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? (घ) कंडिका "क" के ग्राम की अद्यतन स्थिति क्या है और कब तक राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) नहीं, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी अंतर्गत ग्राम खुड़िया की गिनती सिंचाई ग्राम के रूप में नहीं होती है। (ख) ग्राम खुड़िया को वर्ष 2023 में राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा चुका है। (ग) विभाग से संबंधित नहीं है। (घ) कंडिका "क" के ग्राम को राजस्व ग्राम वर्ष 2023 में घोषित किया जा चुका है।

### बस्तर संभाग से प्राप्त राजस्व

[खनिज साधन]

**52. ( क्र. 2510 ) सुश्री लता उसेंडी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2026 तक बस्तर संभाग अंतर्गत कितने कम्पनी/संस्थानों (शासकीय/ अशासकीय) द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है एवं शासन को प्रति वर्ष उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? जिलेवार विगत 5 वर्षों की जानकारी दें? (ख) खदान/खनन अवशिष्ट के प्रबंधन हेतु शासन के द्वारा क्या दिशा निर्देश/ नियम निर्धारित हैं एवं उक्त की निगरानी हेतु कौन जिम्मेदार है? नियमों एवं मापदंड की अनदेखी करना या पालन न करने की स्थिति में शासन द्वारा क्या कार्यवाही का प्रावधान है? (ग) क्या बस्तर संभाग में खदान /खनन अवशेष प्रबंधन हेतु निर्धारित मापदंड का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है? क्या विगत 3 वर्षों में उक्त निर्धारित मापदंड के पालन नहीं करने के संबंध में आर्सेलर मित्तल कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि है, तो कब और किस संबंध में एवं उसपर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) बस्तर संभाग अंतर्गत विगत 05 वर्षों में जनवरी, 2026 तक 224 कम्पनी/संस्थानों (शासकीय/अशासकीय) द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। इनसे उक्त अवधि में शासन को प्रति वर्ष प्राप्त राजस्व की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 2017 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के तहत अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृतियों में विहित प्रावधानों के अनुसार खदान/खनन अवशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। पर्यावरण विभाग सहित मुख्य खनिजों हेतु भारत सरकार के भारतीय खान ब्यूरो (IBM) तथा गौण खनिजों हेतु राज्य

शासन के खनिज साधन विभाग के जिला स्तरीय अमले द्वारा निगरानी किया जाता है। नियमों में विहित मापदण्डों का पालन नहीं होने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने, खदानों का संचालन निलंबित किये जाने, शास्ति आरोपित किये जाने, खदान निरस्त करने, पर्यावरण विभाग द्वारा उत्पादन बंद करने, पर्यावरणीय क्षति अधिरोपित करने तथा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जाने के प्रावधान हैं। (ग) जी हाँ। बस्तर संभाग अन्तर्गत स्वीकृत खनिजपट्टा एवं उत्खनिजपट्टा के खदान/खनन अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विगत 03 वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। मेसर्स आर्सेलर मित्तल निष्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, किरंदुल कंपनी के पक्ष में कोई खनिजपट्टा स्वीकृत नहीं है। तथापि उक्त संस्थान द्वारा लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के अपशिष्ट निस्तारण हेतु भू-भराव के लिये आबंटित स्थल के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर पर्यावरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

### **परिवहन विभाग अंतर्गत संचालित फिटनेस सेंटर**

[परिवहन]

**53. ( क्र. 2511 ) सुश्री लता उसेंडी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस हेतु कितने दायरे में फिटनेस सेंटर संचालित करने का प्रावधान है? बस्तर संभाग में वर्तमान में कितने फिटनेस सेंटर संचालित है? फिटनेस सेंटर के संचालन हेतु क्या मापदंड एवं अर्हताएं निर्धारित हैं एवं उनके द्वारा क्या क्या सुविधा प्रधान की जाती है एवं उक्त हेतु क्या शुल्क निर्धारित है? (ख) वर्तमान वाहन अनुपात अनुसार बस्तर संभाग के सभी जिलों में फिटनेस सेंटर की स्थापना हेतु शासन की क्या कार्ययोजना है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के फिटनेस हेतु फिटनेस सेंटर के दायरे का प्रावधान नहीं किया गया है परन्तु केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के 21 वें संशोधन नियम, 2021 के नियम 175 में परीक्षण स्टेशन के लिए पंजीयन प्रक्रिया का उल्लेख है। नियम 175 के उप-नियम 4 (II) में उल्लेखित है कि:-रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस नियम के अधीन एक आवेदन पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए वाहनों की संख्या और निकटता दोनों के संबंध में क्षेत्र में परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार होगा। वर्तमान में बस्तर संभाग में 01 फिटनेस सेंटर संचालित हैं। शेष विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। (ख) बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में जिला बस्तर (जगदलपुर) में एक फिटनेस सेंटर संचालित है तथा जिला कांकेर में 01 फिटनेस सेंटर स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में फिटनेस सेंटर स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन के गुण-दोष अनुसार निर्णय लिया जाता है।

### **राज्य में भूमि खरीदी बिक्री के ऑटोमैटिक नामांतरण प्रक्रिया में हो रही अनियमितता**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**54. ( क्र. 2516 ) श्रीमती चातुरी नन्द :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2025 से लेकर 17 फरवरी, 2026 तक राज्य में भूमि की खरीदी-बिक्री के पश्चात हुए ऑटोमैटिक नामांतरण संबंधी प्रकरणों में विभिन्न प्रकार की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो जिला-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण दें? (ख) क्या छोटे-बड़े झाड़ का जंगल, जलमग्न भूमि, चारागाह एवं घास मद जैसी शासकीय भूमि, पूर्व राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के बावजूद वर्तमान अभिलेखों में अनुपस्थित होने के कारण उनकी रजिस्ट्री करने तथा तत्पश्चात ऑटोमैटिक नामांतरण भी कर दिया गया संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि

हाँ, तो ऐसे प्रकरणों की कुल संख्या, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तथा अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

**बालोद वनमंडल परिक्षेत्र डौंडी के बिटेझर परिसर में अवैध सागौन की कटाई**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**55. ( क्र. 2519 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बालोद वनमंडल परिक्षेत्र डौंडी के बिटेझर परिसर के कक्ष क्रं.164 आर.एफ. के सड़क किनारे सूखे जड़ सहित उखड़े सागौन के गिरे वृक्ष के परिपेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र संरक्षक 206, बालोद 04-02-2026 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के पत्र क्रमांक/संरक्षक/966, दिनांक 06-02-2026 नियम निर्देश का पालन नहीं कर लापरवाही बरती गयी तथा काष्ठागार बालोद के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भी लापरवाही परिलक्षित पायी गयी? यदि हां तो प्रकरण के संबंध में संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की दिनांकवार, अधिकारीवार/कर्मचारीवार जानकारी देवें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** बालोद वनमंडल के परिक्षेत्र डौंडी के बिटेझर परिसर के कक्ष क्रमांक-164 आर.एफ. के सड़क किनारे सूखे जड़ सहित उखड़े सागौन के गिरे वृक्ष के परिपेक्ष्य में वनमंडलाधिकारी बालोद ने पत्र क्रमांक /स्टेनों/संरक्षण/206 दिनांक 04/02/2026 के माध्यम से एक प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक दुर्ग को उपलब्ध कराया था, जिस पर संज्ञान लेकर मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त ने पत्र क्रमांक संरक्षण /966 दिनांक 06/02/2026 से वनमंडलाधिकारी दुर्ग को निर्देशित किया था कि परिलक्षित लापरवाही के संबंध में संबंधितों के विरूद्ध सक्षमतानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावे। मुख्य वन संरक्षक के उक्त पत्र के अनुसार काष्ठागार बालोद के संबंधित अधिकारी /कर्मचारी की लापरवाही पाई गई। प्रकरण में संबंधित दोषी अधिकारी /कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की दिनांकवार अधिकारी/कर्मचारीवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. दिनांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	की गई कार्यवाही
1. 18.02.2026	श्री ईश्वर राम ठाकुर	वन रक्षक	निलंबित किया गया।
2. 20.02.2026	श्री जीवन लाल भोण्डेकर	वनक्षेत्रपाल	कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया गया।
3. 20.02.2026	श्री डामन लाल ठाकुर	वनपाल	मु.व.सं. दुर्ग वृत्त के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।
4. 20.02.2026	श्री घनश्याम मानकुर	वनपाल	मु.व.सं. दुर्ग वृत्त के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

**पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अंतर्गत जिला बलौदाबाजार- भाटापारा में किए गए कार्य**

[ऊर्जा]

**56. ( क्र. 2533 ) श्री इंद्र साव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पुनर्गठित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में वर्ष 2025 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत है ? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? एवं कौन-कौन से कार्य लंबित है ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :**रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) वर्ष 2022-23 में

प्रारंभ की गई है, जिसके तहत जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा हेतु स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य एवं लंबित कार्य **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तीस" ]

### **शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**57. ( क्र. 2535 ) श्री मोतीलाल साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से दिनांक 01.01.2026 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा /निर्माण की कितनी-कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आयी ? रकबा, खसरा नंबर तथा अवैध कब्जाकर्ता व्यक्ति/कंपनी/ संस्थान/ समूह/कॉलोनाईजरो के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक क के अवैध कब्जा वाली कितनी एवं कहां-कहां भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया ? कितने प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं? रकबा खसरा सहित जानकारी उपलब्ध करावें? शेष भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत, कब्जाकर्ता, भूमि ख.नं. एवं रकबा का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में अवैध कब्जा मुक्त कराये गये भूमि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। शेष भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" ]

### **गागर फीडर बांध से प्रभावितों को मुआवजा**

[जल संसाधन]

**58. ( क्र. 2539 ) श्री प्रबोध मिंज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** गागर फीडर बांध किस गांव एवं किस जिले में स्थित है? **(ख)** उक्त बांध का संचालन वर्तमान में किस उप संभाग जल संसाधन विभाग से किया जा रहा है? **(ग)** उक्त बांध से किन-किन ग्रामों में कितने रकबे में सिंचाई की जा रही है, अथवा सिंचाई करने की योजना है? **(घ)** उक्त बांध के डूबान क्षेत्र में कौन-कौन से गांव आते हैं? कितने लोगों को मुआवजा, कितनी राशि दी गयी है एवं कितने लोगों की कितनी राशि देना शेष है? नामवार और ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** गागर फीडर बांध ग्राम कुन्दीकला, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला-सरगुजा (छ.ग.) में स्थित है। **(ख)** उक्त बांध का संचालन वर्तमान में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग राजपुर के द्वारा किया जा रहा है। **(ग)** प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांश की नामवार और ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।

### **प्रदेश में संचालित सहकारी शक्कर कारखानों की उत्पादन क्षमता**

[सहकारिता]

**59. ( क्र. 2543 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्तमान में कितने सहकारी शक्कर कारखाना संचालित हैं एवं इनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है?

जानकारी देवें? **(ख)** वर्ष 2023, 2024, 2025 एवं वर्ष 2026 में 15 फरवरी, तक उक्त सहकारी शक्कर कारखानों में लक्ष्य के विरुद्ध कितनी-कितनी मात्रा में गन्ना की पेराई की गयी है एवं कितनी मात्रा में शक्कर का उत्पादन किया गया है? वर्षवार बतावें? **(ग)** कण्डिका 'ख' के वर्षों में प्रदेश में संचालित सहकारी शक्कर कारखानों के रखरखाव एवं मरम्मत में व्यय की गयी राशि की वर्षवार जानकारी देवें? **(घ)** विगत 03 वित्तीय वर्षों में उक्त सहकारी शक्कर कारखानों को हुए वित्तीय लाभ या हानि का विवरण देवें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** प्रदेश में वर्तमान में 04 सहकारी शक्कर कारखाना संचालित है। इनकी उत्पादन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. कारखाना का नाम	दैनिक पेराई क्षमता (मी.टन मे)
1. भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	3500
2. लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	2500
3. मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	2500
4. दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	1250

**(ख)** जानकारी **प्रपत्र-'अ'** में **संलग्न** है। **(ग)** जानकारी **प्रपत्र-'ब'** में **संलग्न** है। **(घ)** जानकारी **प्रपत्र-'स'** में **संलग्न** है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" ]

### **वनवृत्त जगदलपुर तथा कांकेर में तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**60. ( क्र. 2556 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वनवृत्त जगदलपुर तथा कांकेर के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के संग्राहकों की संख्या कितनी है? संग्रहण एवं निराकरण का कार्य (लघु वनोपज संघ द्वारा) विभागीय रूप से क्यों किया जाने लगा है? इस पद्धति से संग्रहण करने के कारण क्या संग्रहण की मात्रा में कमी आई है? क्या इससे संग्राहकों की आय में भी कमी आई है? **(ख)** विगत सीजन में किये गये विभागीय संग्रहण की मात्रा कितनी-कितनी थी ? उसमें से कितनी-कितनी मात्रा का विक्रय हो चुका है तथा कितनी-कितनी मात्रा शेष है? वनमंडलवार बताएं? **(ग)** विभागीय संग्रहण जो किये गये हैं उनमें क्या अतिरिक्त पारिश्रमिक की पात्रता आ रही है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी? यदि नहीं तो उसका कारण क्या है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** संग्रहण वर्ष 2025 में वनवृत्त जगदलपुर के अंतर्गत 1,01,368 तेन्दूपत्ता संग्राहकों एवं वनवृत्त कांकेर के अंतर्गत 1,74,097 तेन्दूपत्ता संग्राहकों के द्वारा संग्रहण कार्य किया गया। शासन द्वारा निर्धारित नवीन नीति अनुसार दोनों वृत्तों में विभागीय संग्रहण कार्य किया गया। इस पद्धति से संग्रहण करने के कारण संग्रहण मात्रा में कमी नहीं आई हैं । प्राकृतिक कारणों (लगातार बेमौसम बारिश, आंधी तूफान) से वर्ष 2024 की अपेक्षा संग्रहण मात्रा में कमी आई है । संग्राहकों को वर्ष 2024 की भाँति रूपये 5500 प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया गया है । **(ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।(ग)** विभागीय संग्रहण उपरांत अभी तक हुई बिक्री के अंतर्गत संग्रहण पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई राशि की पात्रता नहीं आ रही है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" ]

## प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं खपत

[ऊर्जा]

**61. ( क्र. 2557 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2024 से 19-02-2026 तक बिजली का उत्पादन एवं खपत कितना-कितना था? किन-किन श्रेणी के कितने उपभोक्ताओं द्वारा, कितनी-कितनी बिजली की खपत कितने रूपये प्रति यूनिट की दर से की गई थी? वर्षवार अलग-अलग बतावें? **(ख)** बिजली बिल हाफ योजना कब तक प्रचलन में थी? कितनी-कितनी यूनिट खपत तक थी? बिजली बिल हाफ योजना से हाफ किए गए बिजली बिल की राशि का भुगतान शासन द्वारा विद्युत कम्पनियों को कब-कब कितनी राशि का दिया गया? कम्पनियों की डिमांड राशि क्या थी? कितनी राशि शेष रह गयी है? विद्युत कम्पनियों को कितनी राशि की क्षति हुई? उसकी पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? जानकारी दें? **(ग)** जनवरी, 2024 से 19-02-2026 तक बिजली बिल की दरों में कब-कब कितनी-कितनी की वृद्धि की गई? पृथक-पृथक टैरिफवार समुचित जानकारी दें? **(घ)** विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों को वर्ष 2025-26 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ? राजस्व हानि कितनी हुई ? किन-किन कारणों से हुआ ? बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 2024 में 20723.85 मिलियन यूनिट, वर्ष 2025 में 20786.61 मिलियन यूनिट, वर्ष 2026 की अद्यतन स्थिति में 2787.52 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन किया गया है एवं इन्हीं अवधि में क्रमशः वर्ष 2024 में 33652.26 मिलियन यूनिट, वर्ष 2025 में 35166.51 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 2026 की अद्यतन स्थिति में 2785.11 मिलियन यूनिट की खपत की गई है। जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2025 तक छ.ग.स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं द्वारा की गयी खपत की श्रेणीवार वर्षवार प्रति यूनिट दर की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों (बिजली बिल हाफ) में राहत योजना 30 नवंबर 2025 तक थी। जिसे संशोधनों के साथ मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना में परिवर्तित किया गया है। बिजली बिल हाफ योजना में जुलाई 2025 तक सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी खपत सीमा प्रथम 400 यूनिट की खपत पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान था। जिसे अगस्त 2025 से संशोधित कर घरेलू उपभोक्ताओं की खपत 100 यूनिट तक सीमित किया गया। 01 दिसंबर 2025 से प्रभावशील मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के प्रथम 200 यूनिट की खपत पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। बिजली बिल हाफ योजना से हाफ किये गये बिजली बिल राशि का शासन द्वारा विद्युत कंपनी को भुगतान राशि, विद्युत कंपनी की डिमांड राशि एवं शेष राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ग)** जनवरी 2024 से 19.02.2026 बिजली बिल की दरों में प्रथम बार 01 जून 2024 को एवं दूसरी बार 11 जूलाई 2024 को वृद्धि की गयी। टैरिफवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है। **(घ)** विद्युत उत्पादन कंपनी को वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक रूपये 5850.89 करोड़ एवं विद्युत वितरण कंपनी को वर्ष 2025-26 में दिसंबर, 2025 तक रूपये 19,638 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। विद्युत उत्पादन कंपनी को वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। विद्युत वितरण कंपनी को वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक तकनीकी लाईन लॉस एवं कमर्शियल लॉस (जो मुख्यतः विद्युत चोरी के कारण होता है) के कारण रूपये 2363.63 करोड़ की राजस्व हानि हुई है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

### प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के द्वारा ऋण विवरण

[सहकारिता]

**62. ( क्र. 2559 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के द्वारा अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में खरीफ तथा

रबी सीजनों में वितरित अल्पकालीन वस्तु एवं नकद कृषि ऋणों की राशि तथा कृषकों की संख्या जिलेवार तथा सीजनवार बतावें? **(ख)** क्या पैक्स के द्वारा कृषकों को स्वीकृत ऋण सीमा में से अवितरित राशि का अंतरण कृषकों के बचत खातों में किया गया है? यदि हां तो विवरण बताएं? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं? इसके कारण राज्य सरकार पर क्या अनावश्यक आर्थिक भार आया है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के द्वारा अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में खरीफ तथा रबी सीजनों में वितरित अल्पकालीन वस्तु एवं नकद कृषि ऋणों की राशि तथा कृषकों की संख्या जिलेवार तथा सीजनवार 'प्रपत्र' में संलग्न है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस" \]](#)

### जिला बस्तर में रिकार्ड दुरुस्तीकरण/त्रुटि सुधार

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**63. ( क्र. 2563 ) श्री किरण देव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर में अंतिम बार रिकार्ड दुरुस्तीकरण कार्य/बंदोबस्त कब किया गया था ? क्या उक्त कार्य में जिले के कुछ ग्रामों को छोड़ दिया गया था ? यदि हां तो कारण बतावें? किये गये एवं नहीं किये गये क्षेत्रों/गांवों की विस्तृत जानकारी तहसीलवार उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांवों की जमीन संबंधी रिकार्ड में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री /नामांतरण नहीं हो पाने अथवा खसरा, रकबा में गलत नाम रिकार्ड में दर्ज होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो वर्ष 2020 से 19-02-2026 तक कितनी-कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई? तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के प्रकरणों में से कितनों का निराकरण कर दिया गया है ? कितने लंबित हैं? त्रुटि सुधार हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? त्रुटिसुधार का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला बस्तर में विगत बंदोबस्त कार्य वर्ष 1990-1996 के मध्य किया गया था। उक्त बंदोबस्त कार्य में कुल 10 तहसील में से 06 तहसील के 18 ग्रामों में बंदोबस्त संक्रियाएं बंद होने के कारण बंदोबस्त कार्य नहीं हुआ था। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांवों की जमीन संबंधी रिकार्ड में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री/नामांतरण नहीं हो पाने संबंधी शिकायतें किसी भी तहसील में प्राप्त नहीं हुई है तथापि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामान्य त्रुटि सुधार एवं खसरा, रकबा में गलत नाम रिकार्ड में दर्ज होने से संबंधित प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के प्रकरणों में से निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। लंबित प्रकरण निराकरण हेतु विचाराधीन है, जिसका शीघ्र निराकरण किया जाना लक्षित है।

### विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्रामों को डी .एम. एफ. योजना में अंतर्गत शामिल करना

[खनिज साधन]

**64. ( क्र. 2578 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड बम्हनीडीह और उससे लगे भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन खनन कंपनियों से कितनी-कितनी राशि जिला खनिज फाऊंडेशन (डी.एम.एफ.) में प्राप्त हुई है? वर्षवार एवं खनन कंपनी के अनुसार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार वि.ख. बम्हनीडीह

के खनिज खनन से प्रभावित ग्रामों को जिला खनिज फाउंडेशन (डी.एम.एफ.) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कराए जाने वाले विकास कार्यों में शामिल क्यों नहीं किया गया है ? जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :**(क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत विकासखण्ड बम्हनीडीह एवं उससे लगे भौगोलिक सीमा क्षेत्रांतर्गत खनन कंपनियों से न्यास निधि में प्राप्त राशि की जानकारी खनन कंपनीवार बताया जाना संभव नहीं है। अपितु जांजगीर-चांपा जिला खनिज न्यास संस्थान को वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक न्यास निधि में कुल 62 करोड़ 90 लाख रूपये प्राप्त हुये है। (ख) विकासखण्ड बम्हनीडीह के खनिज खनन से प्रभावित ग्रामों को जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) के अंतर्गत विकास कार्यों में शामिल किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

### कौशल विकास मंत्री तथा उनके विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्रा

[सामान्य प्रशासन]

**65. ( क्र. 2640 ) श्री कवासी लखमा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या कौशल विकास विभाग के मंत्री तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जनवरी, 2025 से 19 फरवरी, 2026 की अवधि में विदेश यात्रा की गई है? (ख) यदि हां, तो उनके नाम, पदनाम, विदेश यात्रा की अवधि, स्थानों के नाम तथा प्रयोजन बतायें? इस यात्रा की पूर्व अनुमति किसे-किसे दी गई थी? यदि नहीं तो त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) विदेश यात्रा से वापस आकर क्या अधिकारियों ने कोई प्रतिवेदन दिया है? यदि हां तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) जी हाँ। (ख) माननीय मंत्री, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास द्वारा अपने परिवार के साथ पारिवारिक भ्रमण हेतु दिनांक 26/01/2026 से 01/02/2026 तक दुबई प्रवास की अनुमति ली गई है। श्री सुशांत राय, विशेष कर्तव्य अधिकारी एवं श्री रामजी वर्मा, निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास की निजी स्थापना को परिवारजनों से मिलने के प्रयोजन हेतु दिनांक 27/01/2026 से 02/02/2026 तक संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) की यात्रा की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई है। शेष भाग की जानकारी निरंक है। (ग) यात्रा निजी है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

### जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की वित्तीय एवं प्रगति स्थिति

[खनिज साधन]

**66. ( क्र. 2706 ) श्री ओंकार साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) योजना अंतर्गत कांकेर जिला, बालोद जिला तथा जनपद पंचायत धमतरी क्षेत्र में विगत दो वित्तीय वर्षों में कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? उनके कार्यों के नाम, स्वीकृत राशि, एजेंसी का विवरण पृथक-पृथक दें। (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने कार्य प्रगतिरत हैं एवं कितने कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं? कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारणों सहित जानकारी दी जाएगी? (ग) क्या डीएमएफ मद से कराए गए कार्यों के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता की जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो पाई गई अनियमितताओं तथा दोषी अधिकारियों/एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) एवं (ख) की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) जिले में डीएमएफ मद से कराए गए कार्यों के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता की जांच जिले पर

पदस्थ संबंधित विभागीय अमलों के द्वारा किया जाता है। डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की जानकारी निरंक है।

### **जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में श्री सीमेंट और अन्य संयंत्रों के विस्तार को लेकर हुई जनसुनवाई**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**67. ( क्र. 2727 ) श्री संदीप साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के प्रभावित गांवों जैसे खपराडीह, रिसदा और धनधनी में श्री सीमेंट और अन्य संयंत्रों के विस्तार को लेकर हुई जनसुनवाई में प्रभावित किसानों/ग्रामीणों ने बाजार मूल्य से कम मुआवजा, पुनर्वास एवं आजीविका के समुचित प्रावधान न होने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने संबंधी शिकायतें प्रस्तुत की हैं? **(ख)** उक्त जनसुनवाई में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की कुल संख्या कितनी है? क्या इन पर विभाग द्वारा परीक्षण/जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की स्थिति क्या है? **(ग)** क्या रोजगार प्रदान करने के संबंध में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/संयंत्र प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित या की गई है? **(घ)** शासन द्वारा प्रभावित ग्रामों के लिए पुनर्वास, मुआवजा पुनर्निर्धारण एवं स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** जानकारी एकत्र की जा रही है।

### **लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में गौड़ खनिज**

[खनिज साधन]

**68. ( क्र. 2752 ) श्री प्रबोध मिंज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन खदानों से गौड़ खनिज मद में कितना राजस्व सत्र 2023 से दिनांक 15.02.2026 तक प्राप्त हुआ ? कृपया पंचायत वार जानकारी दें। **(ख)** उक्त अवधि में जिन-जिन पंचायत से गौड़ खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है उन्हें गौड़ खनिज मद से कितने-कितने राशि निर्माण कार्यों के लिए आबंटित की गई है? **(ग)** उक्त गौड़ खनिज मद की राशि को जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत वार जानकारी दें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से 15.02.2026 तक गौण खनिज से प्राप्त राजस्व (रायल्टी) की खदानवार एवं पंचायतवार **जानकारी "संलग्न प्रपत्र अनुसार"** है। **(ख)** वर्ष 2023 से 15.02.2026 तक गौण खनिजों के उक्त खदानों से प्राप्त राजस्व के संवितरण की प्रक्रियागत कार्यवाही प्रचलन में है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

### **पथरिया व्यपवर्तन/बैराज योजना की स्वीकृति एवं पुनरीक्षित स्वीकृति**

[जल संसाधन]

**69. ( क्र. 2845 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्त-विभाग द्वारा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र की पथरिया व्यपवर्तन/बैराज योजना की स्वीकृति एवं पुनरीक्षित स्वीकृति कब, कितनी राशि, कितने क्षेत्र की सिंचाई हेतु जारी की गयी थी? योजना का निर्माण कब से और क्यों बंद है? पुनःपुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रकरण कितनी राशि का, कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु किस-किस

स्तर पर लंबित था/है? शेष नहर कार्य पूर्ण करने पर कितनी राशि के री.आर.ए.ए. की आवश्यकता होगी? **(ख)** क्या उक्त योजना में वर्तमान में नहरों के शेष कार्य के स्थान पर पाइप-सिंचाई-प्रणाली प्रावधान किया गया है? यदि हां तो वर्तमान लागत, प्रस्तावित सिंचाई, लागत प्रति हेक्टेयर कितनी आ रही है? कार्य-विभाग नियमावली की कंडिका 2.005(3) अनुसार ओरिजिनल-प्रपोज़ल से काफ़ी बदलाव होने पर आर.ए.ए. लेने की आवश्यकता की इस कंडिका के तहत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की श्रेणी में होने के बावजूद री.आर.ए.ए. नहीं दिये जाने का क्या कारण है? **(ग)** क्या बिना शेष नहर निर्माण अथवा बिना पाइप सिंचाई प्रणाली के उक्त योजना का री.आर.ए.ए. दिया जा रहा है? यदि हां तो, कितनी लागत, कितनी सिंचाई हेतु? क्या सिंचाई योजना हेतु स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बिना सिंचाई सुविधा प्रस्तावित की जा सकती है? यदि हां तो किन नियमों के तहत? जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** बिल्हा विधानसभा क्षेत्र की पथरिया बैराज योजना की राशि रू. 3586.20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.03.2012 को प्रदान की गई थी। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति योजना से 1640 हेक्टेयर खरीफ एवं 285 हेक्टेयर रबी कुल 1925 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जारी की गई थी। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अभी जारी नहीं की गई है। योजना का निर्माण वर्ष 2012 से प्रारंभ किया गया था एवं वर्ष 2017 से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य बंद है। योजना में भू-अर्जन दर व पुनर्वास प्रावधान के तहत मुआवजा राशि में एवं विभागीय दर अनुसूची दिनांक 22.08.2022 में वृद्धि होने पर संशोधित प्रस्ताव राशि रू. 19118.60 लाख का दिनांक 11.03.2024 को शासन को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन था। दिनांक 01.04.2024 को जारी संशोधित भू-अर्जन दर में दी गई 30 प्रतिशत की छुट को शासन द्वारा समाप्त करने के कारण व पुनर्वास प्रावधान के अनुसार पुनः गणना करने पर योजना की कुल लागत राशि रू. 23540.12 लाख हो गई थी। उपरोक्त प्रस्ताव अव्यवहारिक होने के कारण भूमिगत पाइप लाईन द्वारा उद्वहन सिंचाई प्रस्तावित कर योजना की लागत कम कर, 4800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किये जाने के उद्देश्य से योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण राशि रू. 13765.00 लाख का प्रकरण शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन था। वित्त विभाग द्वारा तकनीकी जांच उपरांत उद्वहन सिंचाई योजना (पाइप लाईन) को नहर निर्माण से पृथक कर नवीन बजट में प्रस्तावित करने हेतु परामर्श दिया गया, तदनुसार पाइप लाईन सिंचाई प्रणाली (उद्वहन सिंचाई योजना) की अनुमानित लागत राशि रू. 8000.00 लाख को वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया गया है। उपरोक्त पाइप लाईन सिंचाई प्रणाली (उद्वहन सिंचाई योजना) की प्राक्कलित लागत राशि रू. 8158.39 लाख को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव की राशि रू. 13765.00 लाख में से पृथक करने के उपरांत शेष नहर निर्माण एवं शीर्ष कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 5606.61 लाख का प्रस्ताव वर्तमान में वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी हां, पूर्व में योजना के शेष नहर निर्माण कार्य के स्थान पर पाइप लाईन सिंचाई प्रणाली प्रावधान किया गया था, जिसकी लागत 13765.00 लाख एवं प्रस्तावित सिंचाई 4800 हेक्टेयर थी। योजना की प्रति हेक्टेयर लागत 2.867 लाख रूपये आ रही थी। जो कार्य विभाग की नियमावली की कंडिका 2005(3) के अनुसार था। प्रकरण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की श्रेणी का ही है, री.आर.ए.ए. का नहीं। **(ग)** बिना शेष नहर निर्माण अथवा बिना पाइप लाईन सिंचाई प्रणाली के उक्त योजना का री.आर.ए.ए. नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रकरण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसकी संशोधित लागत राशि रू. 5606.61 लाख है। योजना पूर्ण होने से कुल 1925 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सिंचाई योजना हेतु स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बिना सिंचाई सुविधा कार्य विभाग की नियमावली की कंडिका 2005(3) के नियमों के तहत प्रस्तावित की जा सकती है।

### भाग-3

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### जमीन बिक्री के समय बिक्री नकल निकाले जाने की अनिवार्यता

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. ( क्र. 25 ) श्री रोहित साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला गरियाबंद में भूमि विक्रय के समय विक्रेता को बिक्री नकल निकाले जाने की अनिवार्यता है? यदि हाँ तो है क्या नियम/प्रावधान हैं ? **(ख)** भूमि विक्रय हेतु आवेदन किये जाने पर विभाग द्वारा नकल प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा क्या है? **(ग)** निर्धारित अवधि के भीतर नकल प्रदाय नहीं करने पर कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? **(घ)** क्या नकल प्रदाय की प्रक्रिया ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम है, यदि हाँ तो जिला गरियाबंद में क्या स्थिति है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** गरियाबंद जिले के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालयों में भूमि विक्रय पंजीयन के समय विक्रेता के लिये बिक्री नकल की अनिवार्यता नहीं है । **(ख)** किसी भी भूमिस्वामी को चालू राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि की आवश्यकता होने पर भूईयां पोर्टल में डिजिटल बी-1, पी-2 एवं भू-नक्शा पोर्टल में नक्शा उपलब्ध है, जिसे आवेदक स्वयं निकाल सकता है । नॉन-डिजिटल भू-अभिलेख (जो भूईयां, भू-नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है) तहसील एवं जिला अभिलेखागार में संधारित है, जिसके नकल के लिये आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने पर विभाग द्वारा नकल प्रदान करने की निर्धारित समय-सीमा 07 कार्य दिवस है । **(ग)** निर्धारित अवधि के भीतर नकल प्रदाय नहीं करने पर संबंधित तहसीलदार/प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार जवाबदेह है । **(घ)** चालू राजस्व अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति हेतु आवेदक के द्वारा स्वयं ई-डिस्ट्रीक के माध्यम से अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसके आधार पर सत्यापित प्रतिलिपि जिला अभिलेखागार से प्रदाय किया जाता है । जिले के तहसील कार्यालयों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन लेकर नकल प्रदाय किया जाता है । वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन समस्त आवेदन निराकृत है । ऑफलाइन कुल 31 नकल आवेदन लंबित है ।

### राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कपसीडीह एवं सेम्हरतरा को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. ( क्र. 34 ) श्री रोहित साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड फिंगेश्वर के ग्राम पंचायत टेका के कपसीडीह एवं रोहिना के सेम्हराडीह को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की कार्यवाही किस स्तर पर लम्बित है, राजस्व ग्राम घोषणा संबंधी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला गरियाबंद के राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम टेका के कपसीडीह एवं रोहिना के सेम्हराडीह को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु दावा आपत्ति प्राप्त कर सामान्य जानकारी (मकबूजा, गैर मकबूजा मदवार) तैयार कर लिया गया है। नक्शा के आधार पर भौतिक सर्वेक्षण कर नक्शा सत्यापन एवं अभिलेख तैयार करने अधिकारी/कर्मचारियों की टीम गठित की गई

है तथा सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। (ख) ग्राम टेका के कपसीडीह एवं रोहिना के सेमहराडीह को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए भौतिक सर्वेक्षण एवं नक्शा सत्यापन कार्य प्रगति पर हैं। राजस्व ग्राम घोषणा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने लगभग चार माह का समय लगना अनुमानित है।

### **जमीन बन्दोबस्त त्रुटि सुधार**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**3. ( क्र. 371 ) श्री विनायक गोयल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बस्तर जिले अंतर्गत बन्दोबस्त त्रुटि के अधिसूचित 22 ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण प्रारंभ किये जाने की घोषणा छ.ग. राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो क्या चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत सिंगनपुर, बड़े मारेंगा, टेकामेटा धरमाउर विकासखंड तोकापाल जिला बस्तर के ग्रामों का राजस्व बंदोबस्त त्रुटि निराकरण किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक उक्त ग्रामों का राजस्व बंदोबस्त त्रुटि निराकरण कर लिया जाएगा? **(ख)** क्या इस संबंध में आयुक्त भू-अभिलेख से तकनीकी साहयता हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाने संबंधी समय-सीमा निर्धारित की गयी है, यदि नहीं तो कब तक किया जावेगा?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला बस्तर अंतर्गत 24 ग्रामों के बंदोबस्त त्रुटि के संबंध में राजस्व सर्वेक्षण हेतु दिनांक 17.10.2026, 01.07.2019, 23.05.2022 को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत सिंगनपुर, बड़े मारेंगा, टेकामेटा, धरमाउर विकासखण्ड तोकापाल जिला-बस्तर के ग्रामों का राजस्व बंदोबस्त त्रुटि निराकरण हेतु सर्वे-रिसर्वे कार्यक्रम अंतर्गत जिओ-रिफ्रेसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र संपादित किया जायेगा। ग्राम धरमाउर का आई.आई.टी. रूड़की के तकनीकी सहयोग से भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं प्रथम चरण के कार्य हेतु नक्शा प्राप्त होते ही सत्यापन का कार्य किया जायेगा। **(ख)** रिसर्वे हेतु शासन द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इसी क्रम में शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/2024/7-1 नवा रायपुर दिनांक 08.07.2024 द्वारा कैडेस्ट्रल नक्शा के जिओ रिफ्रेसिंग, असर्वेक्षित भू-भाग का भू-सर्वेक्षण तथा भू-सर्वेक्षण/सर्वेक्षित भू-भाग का पुनः भू-सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। भविष्य में आवश्यकता होने पर इस संबंध में शासन द्वारा पुनः आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

### **सी.एस.ई.बी कोरबा के बंद पड़े 440 मेगावाट पावर प्लांट**

[ऊर्जा]

**4. ( क्र. 965 ) श्री फूलसिंह राठिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सी.एस.ई.बी कोरबा के बंद पड़े 440 मेगावाट पावर प्लांट में अब तक कितनी मात्रा में लो लाईन भूमि पर राख डालने की स्वीकृति दी गई है ? क्या इस पावर प्लांट के भूमि पर पहले कभी पानी भरने की समस्या हुई है ? यदि नहीं तो फिर क्या राख डालने की अनुमति किस आधार पर दी गई? **(ख)** सी.एस.ई.बी के बंद पड़ा रिसदा राखड़ बांध, जो कि पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त में टूट गया था, उस पर संबंधित अधिकारियों के उपर क्या कार्यवाही की गयी?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** सी.एस.ई.बी. कोरबा के बन्द पड़े 2x120 मेगावाट एवं 4x50 मेगावाट कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (KTSPS), कोरबा पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कुल 2,97,867 मीट्रिक टन भराव की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त पावर प्लांट के बंद होने के बाद परिसर स्थित मुख्य प्लांट बिल्डिंग एवं अन्य सहायक संरचनाओं को डिमोलिश की प्रक्रिया में बहुत सी संरचनाएं जो पावर प्लांट के शून्य

लेवल के नीचे भी स्थित थी के डिमोलिशन होने से प्लांट परिसर में गहरे गड्ढे निर्मित हो गए थे। बरसात के दौरान इन निर्मित गड्ढों में पानी का भराव होने से जनधन हानि होने की संभावना प्रबल हो गई थी। डिमोलिशन से निर्मित गड्ढों के समतलीकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फ्लाइ एश से भराई की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त गड्ढों में फ्लाइ एश भराई एवं उपरी सतह मिट्टी से ढंक कर प्लांट के शून्य लेवल तक समतलीकरण कार्य किया गया है।(ख) सी.एस.ई.बी. के बन्द पड़े रिसदा राखड़ बांध का स्थिरिकरण (Stabilized) किया जा चुका है इसलिए उक्त राखड़ बांध में स्लरी प्रवाह बन्द है। यद्यपि बांध में वार्षिक रूप से रखरखाव करने की व्यवस्था की जाती है। माह सितंबर-अक्टूबर, वर्ष 2025 में अधिक वर्षा के कारण बांध के उपर पानी का भराव अत्यधिक मात्रा में होने के फलस्वरूप तटबंध के कटने से कुछ मात्रा में राखड़ बह कर निचली सतह में फैल गई। अत्यधिक वर्षा की स्थिति में तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करते हुए रेन-कट्स को नियंत्रित किया गया एवं स्थाई मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। कटाव की प्रक्रिया प्राकृतिक घटना होने से एवं इस कटाव से विद्युत उत्पादन बाधित नहीं होने एवं जन धन की हानि नहीं होने के फलस्वरूप किसी अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

### छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड (नम भूमि) प्राधिकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**5. ( क्र. 1065 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रदेश में छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड (नम भूमि) प्राधिकरण का गठन हो गया है ? यदि हां तो कब हुआ ? इसके अध्यक्ष/सदस्य कौन है एवं उनको कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है? विगत दो वर्षों में कितने वेटलेण्ड चिन्हित किये गये हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है? तथा इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन का क्या दिशा-निर्देश है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितनी राशि का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है? प्राप्त राशि का उपयोग कर किन-किन स्थलों के लिये, कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्यों में व्यय किया गया? **(ग)** उक्त प्राधिकरण के गठन के बाद से 31 जनवरी, 2026 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी है और कितने के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** जी हां। छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आदेश क्रमांक F.N.-4-02 /2020/32, दिनांक 01.07.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F.N.-9-55/2016/1/5, दिनांक 17.12.2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं - 1. माननीय मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन - उपाध्यक्ष 3. प्रमुख सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - सदस्य 4. सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग - सदस्य 5. सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - सदस्य 6. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य 7. सचिव, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग - सदस्य 8. सचिव, कृषि एवं मछली पालन विभाग - सदस्य 9. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग - सदस्य 10. सचिव, पर्यटन विभाग - सदस्य 11. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् - सदस्य 12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) - सदस्य 13. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल - सदस्य 14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु- सदस्य परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर, महाराष्ट्र 15. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड - सदस्य सचिव भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों की सूची पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है। विगत दो वर्षों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार ग्राउंडटूथिंग एवं बाउंड्री डिमार्केशन उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य में 2.25 हेक्टे. से ऊपर के 11,096

वेटलैण्ड्स को चिन्हित किया गया है। जिनका क्षेत्रफल 1,72,283.60 हेक्टे है। भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 में प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 एम.के. बालाकृष्णन एवं अदर्स वर्सेस यूनियम ऑफ इंडिया डब्ल्यू पी.सी. 230/2001 के तहत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी आफिशियल मेमोरेंडम दिनांक 08 मार्च, 2022 में प्राप्त निर्देशों के अनुसार इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यवाही की जा रही है। **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र- ब " अनुसार है ।(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया था-

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रावधानित राशि रू. लाख में	प्राप्त राशि रू. लाख में	उपयोग की गई राशि रू. लाख में
1	2023 - 24	1000.00	400.00	322.17
2	2024 - 25	1000.00	200.00	260.43
3	2025 - 26	1000.00	650.00	162.90

प्राप्त राशि के उपयोग का विवरण (स्थल/राशि/कार्य) **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-स " अनुसार है ।** छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को कोई भी केन्द्रीय अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** उक्त प्राधिकरण के गठन के बाद से 31 जनवरी 2026 तक कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-द " अनुसार है ।**

### **मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का क्रियान्वयन**

[परिवहन]

**6. ( क्र. 1066 ) श्री अजय चंद्राकर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना प्रदेश के किन क्षेत्रों में लागू है? जिन क्षेत्रों में लागू है उसका चयन किसके द्वारा किस प्रक्रिया के तहत किया गया है? ये योजना कब से प्रभावशील है? क्या यह योजना शासन द्वारा चिन्हित सभी क्षेत्रों/सड़कों में क्रियान्वित हो रही है? यदि सभी में क्रियान्वित नहीं हो रही है तो उसके कारण क्या है और कब तक सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दी जायेंगी? **(ख)** बस ऑपरेटरों के चयन के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी एवं आपरेटरों को क्या-क्या सुविधाएं/सब्सिडी दी जा रही हैं? सब्सिडी/छूट का निर्धारण कैसे और किस प्रक्रिया के तहत किया गया ? **(ग)** सुचारू/नियमित/उचित संचालन की जांच के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है? अब तक कितनी बार जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गयी है? **(घ)** अब तक कितना भुगतान आपरेटरों को कर दिया गया है और कितना भुगतान शेष है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रथम चरण में यह योजना सरगुजा एवं बस्तर संभाग के जिलों में लागू किया गया है। योजना की कंडिका (14) के अनुसार जारी मार्गदर्शिका (एसओपी) दिनांक 06/06/2025 के तहत प्रथम चरण में यह योजना सरगुजा एवं बस्तर संभाग के जिलों में लागू किया गया है। जिन क्षेत्रों में लागू है उसका चयन शासन द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना दिनांक 13 मई 2025 से प्रभावशील है। जी हाँ। यह योजना शासन द्वारा चिन्हित प्रथम चरण में लागू सरगुजा एवं बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित हो रही है एवं सड़कों/मार्गों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित सड़कों में क्रियान्वित हो रही है। **(ख)** बस ऑपरेटरों का चयन की निविदा की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें राज्य शासन द्वारा देय अधिकतम वित्तीय सहायता की दर से न्यूनतम बिड करने वाले आवेदक

का चयन किया जाता है (छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राजपत्र दिनांक 13 मई 2025 के कंडिका 9.2)। वाहन संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा इस योजना के लाभार्थी को प्रति किलोमीटर की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसमें प्रथम वर्ष 26 रू. प्रति कि.मी., द्वितीय वर्ष 24 रू. प्रति कि. मी., तृतीय वर्ष 22 रू प्रति कि.मी. निर्धारित की गई है (छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राजपत्र दिनांक 13 मई 2025 के कंडिका 11.1)। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन हेतु प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 03 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जायेगी (छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राजपत्र दिनांक 13 मई 2025 के कंडिका 6.5)। सब्सिडी/छूट का निर्धारण बस संचालन में आने वाले प्रति किलोमीटर खर्च (मेनपावर, मेनटेनेंस खर्च, डीजल खर्च) व सवारी की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है (ग) सुचारु/नियमित/उचित संचालन की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) निर्माता/डीलर द्वारा उपलब्ध कराई गई (वीएलटीडी) डिवाइस वाहनों पर अनिवार्य की गई है। कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से बसों को ट्रैक किया जा रहा है। संचालित बसों की जांच एक-एक बार संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

### **वन मंडल महासमुंद में सामग्री खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**7. ( क्र. 1195 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन विभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में महासमुंद, वन मंडल अंतर्गत किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध सामग्री खरीदी व अन्य कार्यों में अनियमितता के संबंध में किसके द्वारा व किनको शिकायत की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्रवाई/ जांच कब एवं किसके द्वारा की गई है तथा शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है? शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** जिला महासमुंद में वन विभाग के विभिन्न मंडल एवं अन्य कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों (सीधी भर्ती, पदोन्नति, व अन्य) की जानकारी देवें? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** वन विभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत सामग्री खरीदी व अन्य कार्यों में अनियमितता के संबंध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं शिकायतवार विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है। **(ख)** जिला महासमुंद में वन विभाग के विभिन्न मण्डल एवं अन्य कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों (सीधी भर्ती, पदोन्नति व अन्य) की विस्तृत जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है। रिक्त पदों की पूर्ति समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" ]

### **आदिवासी भूमि का गैर आदिवासी को विक्रय की प्रदत्त अनुमति**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**8. ( क्र. 1328 ) श्री जनक ध्रुव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या रायपुर संभाग में वर्ष 2024-25 में आदिवासी से गैर आदिवासी को भूमि विक्रय मंजूरी दी गई है? क्या भूमि विक्रय मंजूरी अधिनियम, 165 ख के अंतर्गत कमिश्नर को भूमि विक्रय मंजूरी देने का अधिकार है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** जी हां, रायपुर संभाग में वर्ष 2024-25 में आदिवासी से गैर आदिवासी को भूमि विक्रय की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (6)(दो) के प्रावधान अनुसार धारा 165(6) के खण्ड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में किसी

ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा।

### **बीजापुर जिले में कैम्पा मद से प्राप्त एवं व्यय राशि**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**9. ( क्र. 1503 ) श्री विक्रम मंडावी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर जिले के वन मण्डल (सा./उ.) में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कैम्पा निधि से किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? परिक्षेत्रवार जानकारी देवे? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है? परिक्षेत्रवार जानकारी देवे? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार कैम्पा मद से स्वीकृत किए गए कार्यों की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति क्या है? परिक्षेत्रवार जानकारी देवे?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** बीजापुर जिले के बीजापुर वनमंडल में वर्ष 2023-24, 2024-25, एवं 2025-26 में कैम्पा निधि से विभिन्न कार्यों हेतु कार्यवार प्राप्त राशि की परिक्षेत्रवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार प्राप्त राशि के व्यय की कार्यवार एवं परिक्षेत्रवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार कैम्पा मद से स्वीकृत किए गए कार्यों की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति की परिक्षेत्रवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

### **बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन**

[खनिज साधन]

**10. ( क्र. 1656 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वर्ष 2025 में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छपोरा और उसके आसपास के मैदानी व नदी क्षेत्रों में रेत/मुरूम/पत्थर के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि, हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** ग्राम छपोरा में उत्खनन के लिए विभाग द्वारा कितनी खदानें स्वीकृत की गई हैं और उनके संचालन की समय-सीमा क्या है? क्या स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर उत्खनन किया जा रहा है? **(ग)** अवैध उत्खनन कार्य को रोकने के लिए विभाग द्वारा पिछले छह महीनों में कितनी बार छापेमारी की गई और कितने वाहन/मशीनें जब्त की गईं?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** वर्ष 2025 में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छपोरा और उसके आसपास के मैदानी व नदी क्षेत्रों में रेत/मुरूम/पत्थर के अवैध उत्खनन की कुल 08 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से 06 प्रकरणों पर 2 लाख 88 हजार 960 रूपयें समझौता राशि वसूल किया गया है तथा 02 प्रकरण जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार-भाटापारा में विचाराधीन है। **(ख)** ग्राम छपोरा में खनिज रेत/मुरूम/पत्थर की कोई खदान स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले छह महीनों में अवैध उत्खनन पर रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार सतत् कार्यवाही की गई है, जिसमें 03 मशीनों को जब्त किया गया है।

## जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जल संसाधन विभाग का संभागीय मुख्यालय

[जल संसाधन]

**11. ( क्र. 1698 ) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या जल संसाधन विभाग का संभागीय कार्यालय जिला मुख्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थानांतरित हो गया है? यदि नहीं तो कब तक स्थानांतरित होगा ? कृपया जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** जी नहीं। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में नवीन संभागीय कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु कार्यालय कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा जिला-रायगढ़ का पुनर्विनियोजन एवं उपसंभागों के प्रशासकीय नियंत्रण में परिवर्तन की कार्यवाही वित्त विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

## अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) प्रधान कार्यालय रायपुर में अधीक्षण अभियंता के स्वीकृत पद

[ऊर्जा]

**12. ( क्र. 1711 ) श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) प्रधान कार्यालय रायपुर में अधीक्षण अभियंता के कितने पद स्वीकृत हैं ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), प्रधान कार्यालय रायपुर में राज्य शासन द्वारा अधीक्षण अभियंता के 02 पद स्वीकृत है।

## ग्राम जम्हार में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई और जांच की निष्पक्षता

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**13. ( क्र. 1717 ) श्रीमती कविता प्राण लहरे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बार नवापारा क्षेत्र में लगे पिथौरा वन परिक्षेत्र, ग्राम जम्हार, कक्ष क्रमांक-242 में 90 से अधिक परिपक्व सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण का विवरण और कार्यवाही पूर्णता की समयसीमा क्या है? **(ख)** इस प्रकरण में अब तक किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** प्रकरण की जांच किस अधिकारी/समिति द्वारा की जा रही है? **(घ)** अवैध कटाई से हुई अनुमानित आर्थिक क्षति कितनी आंकी गई है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** हाँ । बार नवापारा क्षेत्र में लगे पिथौरा वन परिक्षेत्र, ग्राम जम्हार, कक्ष क्रमांक-242 में 90 से अधिक परिपक्व सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का प्रकरण दर्ज हुआ है। इस प्रकरण का विवरण और कार्यवाही पूर्णता की समयसीमा की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।(ख)** प्रकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।(ग)** प्रकरण की जांच करने वाले अधिकारी/समिति की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है।(घ)** अवैध कटाई से हुई अनुमानित आर्थिक क्षति अभी अंतिम रूप से नहीं आंकी गई है । प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 10,82,246 रू. की हानि की गणना की गई है । सम्पूर्ण जाँच पूर्ण करने के उपरांत ही अंतिम रूप से हुई हानि की गणना हो सकेगी ।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

## नगर निगम भिलाई द्वारा कुरुद (जामुल) में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट का स्थल परिवर्तन [ऊर्जा]

**14. ( क्र. 1730 ) श्री रिकेश सेन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सच है कि नगर निगम भिलाई द्वारा जामुल (कुरुद) के समीप बायोप्यूल/बायोगैस प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो इस परियोजना की कुल लागत, क्षमता और वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** क्या उक्त स्थल चयन से पूर्व स्थानीय निवासियों की सहमति ली गई थी या कोई जनसुनवाई आयोजित की गई थी? यदि नहीं, तो प्लांट को स्वीकृति किस आधार पर दी गई? **(ग)** क्या शासन उक्त प्लांट को वर्तमान प्रस्तावित स्थल से हटाकर किसी अन्य निर्जन या उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** यह सच है नगर निगम भिलाई द्वारा जामुल (कुरुद) के समीप बायोप्यूल / कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 60.00 करोड़ है, इसकी क्षमता 130 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण है तथा वर्तमान में परियोजना हेतु ग्राम जामुल तह. व जिला-दुर्ग में 2.75 एकड़ भूमि एवं ग्राम-कुरुद तह. व जिला-दुर्ग में 2.75 एकड़ भूमि का लीज डीड का पंजीयन दिनांक 11.12.2025 को निष्पादित किया गया है। **(ख)** उक्त स्थल की लीज डीड पंजीयन के पूर्व न्यायालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग द्वारा उक्त स्थल के संबंध में दिनांक 14.11.2025 को शाम 5:00 बजे सुनवाई आयोजित किया गया था। **(ग)** प्लांट को वर्तमान प्रस्तावित स्थल से हटाकर किसी अन्य निर्जन या उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सीबीडीए के समक्ष विचाराधीन नहीं है। क्योंकि वर्तमान प्रस्तावित स्थल की उपयोगिता की पुष्टि कलेक्टर, जिला-दुर्ग द्वारा जारी राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र दिनांक 05.12.2025 में की गयी है।

### कोटवारी भूमि का क्रय विक्रय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**15. ( क्र. 1753 ) श्री कवासी लखमा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या कोटवारी भूमि का क्रय विक्रय, तबादलानामा किया जा सकता है? यदि हां, तो नियम प्रक्रिया की जानकारी दें? **(ख)** ग्राम पंचायत हथबन्द, प.ह.न.-33 रा.नि.म. धनेली, वि.ख. धरसीवा जिला रायपुर स्थित कोटवार सेवा भूमि का खसरा नं. एवं रकबा बतावें? उक्त भूमि का वर्तमान में किस स्वामी द्वारा काशत किया जा रहा है? क्या ग्राम पंचायत की कोटवारी एवं घास भूमि में पशुपालन कर डेयरी व्यवसाय का काम किया जा सकता है? **(ग)** ग्राम हथबन्द (अटारी) खसरा नं. 130/1, 143/5, 108/1, 110, 74, 85, 95, 101, 141, 145, 186 का भूमि स्वामित्व कौन है? भूमि का प्रयोजन क्या है? क्या उक्त भूमि का क्रय विक्रय किया गया है? यदि हां, तो विवरण दें।

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जी नहीं। **(ख)** तहसील धरसीवा अंतर्गत प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. रायपुर-19 धनेली तहसील धरसीवा जिला रायपुर के ग्राम हथबन्द के निस्तार पत्रक में ख.नं. 84/5, 87/1, 85, 95, 101, 141, 145, 186, 143/3, 143/5 रकबा क्रमशः 0.72 एकड़, 0.17 एकड़, 0.51 एकड़, 0.84 एकड़, 0.85 एकड़, 0.58 एकड़, 1.37 एकड़, 3.14 एकड़, 1.50 एकड़, 0.32 एकड़, कुल खसरा नं. 10 कुल रकबा 10.00 एकड़ खोरबाहरा (कोटवार) वल्द छेरका के नाम पर दर्ज है, उक्त कोटवारी भूमि पर वर्तमान कास्तकारों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। ग्राम पंचायत की कोटवारी एवं घास भूमि में पशुपालन कर डेयरी व्यवसाय का काम नहीं किया जा सकता है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" ]**

## अनुभाग एवं तहसील कार्यालयों को आहरण एवं वितरण अधिकार का प्रदाय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**16. ( क्र. 1945 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) छत्तीसगढ़ में कितने अनुभाग और तहसील कार्यालय संचालित है? (ख) क्या अनेक अनुभाग एवं तहसील कार्यालयों को आहरण एवं वितरण अधिकार (डी.डी.ओ) पदस्थ नहीं हैं? अगर हाँ तो ऐसे कितने और कौन कौन से अनुभाग एवं तहसील कार्यालय हैं? (ग) क्या आहरण एवं वितरण अधिकार (डी.डी.ओ) से वंचित अनुभाग एवं तहसील को आहरण एवं वितरण अधिकार (डी.डी.ओ) प्रदान किया जायेगा? अगर हाँ तो कब तक प्रदान किया जायेगा?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) छत्तीसगढ़ में कुल 119 अनुविभाग कार्यालय तथा 252 तहसील कार्यालय संचालित हैं। (ख) जीहाँ, राज्य के अनेक तहसील कार्यालयों में आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) पदस्थ नहीं है, जिसकी जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। अनुविभागीय कार्यालय में आहरण एवं संवितरण अधिकारी पदस्थ नहीं होते। (ग) जी हां, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी. ओ.) से वंचित तहसीलों में सेटअप स्वीकृति/ आहरण एवं संवितरण अधिकार (डी.डी.ओ.) प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" ]

## प्रदेश में नवीन सिंचाई साधनों की स्वीकृति

[जल संसाधन]

**17. ( क्र. 2052 ) डॉ. चरण दास महंत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 31.01.2026 तक कुल कितनी नवीन सिंचाई परियोजना व सिंचाई साधन कितने-कितने राशि के स्वीकृत किए गए? कितनी सिंचाई परियोजनाएं उपरोक्तानुसार वर्षों में बजट में घोषित की गई वर्षवार जानकारी योजना का नाम सहित देंगे? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार स्वीकृति सिंचाई परियोजनाओं में से कितने प्रारंभ, कितने अप्रारंभ, कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण, कितने कार्यों का अनुबंध किया गया? वर्षवार जिलेवार जानकारी देंगे? (ग) दिसम्बर 2023 की स्थिति में सिंचाई की कुल कितनी क्षमता वास्तविक व रूपांकित निर्मित थी? तथा जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक उक्तानुसार कितनी क्षमता निर्मित की गई? विवरण देंगे?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 31.01.2026 तक नवीन सिंचाई परियोजना व सिंचाई साधन की स्वीकृत राशि तथा बजट में घोषित की गई सिंचाई परियोजना की वर्षवार योजना का नाम **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार स्वीकृति सिंचाई परियोजनाओं में से कितने प्रारंभ, कितने अप्रारंभ, कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण, कितने कार्यों का अनुबंध किया गया की वर्षवार जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ग) दिसम्बर 2023 की स्थिति में सिंचाई की कुल रूपांकित, निर्मित एवं वास्तविक क्षमता तथा जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक की स्थिति में सिंचाई की कुल रूपांकित, निर्मित एवं वास्तविक क्षमता का **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

## सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य व सेटअप

[सुशासन एवं अभिसरण]

**18. ( क्र. 2059 ) श्रीमती शेषराज हरवंश :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) सुशासन एवं अभिसरण विभाग हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितना-कितना बजट स्वीकृत किया

गया? कितना-कितना विभाग को आबंटन जारी किया गया? आबंटित राशि में क्या कार्य किए गए? वर्षवार, कार्यवार जानकारी बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के विभाग हेतु शासन स्तर, संचालनालय स्तर, जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर कार्य संचालन हेतु स्वीकृत सेटअप की जानकारी दें? कितने पदों पर भर्ती कर दी गयी है? कितने पदों पर भर्ती किया जाना है? **(ग)** विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियां बतावें? विभाग गठन का उद्देश्य भी बतावे?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** वर्ष 2024-25 में स्वीकृत बजट निरंक है। वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 7437.10 लाख का बजट स्वीकृत किया गया जिसमें से विभाग को राशि रूपये 2944.71 लाख का आबंटन जारी किया गया। आबंटित राशि से लेखन सामाग्री एवं फार्मों की छपाई, सहायता अनुदान, व्यावसायिक सेवाओ हेतु अदायगी, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति एवं सम्मलेन कार्य किये गये। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुशासन एवं अभिसरण विभाग हेतु 14 पद सृजन किया गया है। शासन स्तर पर 10 स्वीकृत पदों की पूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गयी है। वर्तमान में 10 पद भरे हुए तथा शेष 04 रिक्त हैं। संचालनालय, जिला, तथा ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत पदों की संख्या निरंक है। **(ग)** विभाग की 02 वर्ष की उपलब्धियां तथा विभाग गठन का उद्देश्य की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" ]

### स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से भी अध्ययन की अनुमति

[उच्च शिक्षा]

**19. ( क्र. 2063 ) श्री राजेश मूणत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय अटारी, रायपुर में अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से भी अध्ययन की अनुमति का प्रस्ताव शासन के समक्ष में विचाराधीन है? यदि हां तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है? **(ख)** क्या उक्त महाविद्यालय में स्पोर्ट्स हॉल का सेमीनार हाल की स्वीकृति का प्रस्ताव संचालनालय/सचिवालय में विचाराधीन है? यदि हां तो कितने लागत का तथा इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उद्भूत नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### ग्राम पंचायत तरेकेला खसरा नम्बर 54,56,76,78,79,838 के संबंध में प्राप्त शिकायत कृत कार्रवाई

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**20. ( क्र. 2064 ) डॉ. सम्पत अग्रवाल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ग्राम पंचायत तरेकेला तहसील पिथौरा के खसरा नम्बर 54,56,76,78,79,838 व रकबा 4.40 हे. भूमि सन 1929 से 1994 तक किसके नाम पर दर्ज थी? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है? **(ग)** क्या उक्त जमीन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो, क्यों कारण सहित बतावें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** प्रश्नांश के संबंध में जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक (क) के परिपेक्ष्य में उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में गोपालदास पिता सुकदेव वगै. अनु0 जनजाति जाति गोड़ भूमिस्वामी कृषि भूमि दर्ज है। **(ग)** जी हाँ, 1) उक्त जमीन के संबंध में आवेदक महंत हरीश चन्द्र दास (खास मुख्तियार ग्राहिता श्री गोपाल दास) निवासी तरेकेला द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा द्वारा रा.प्र.क 202512120400010 वर्ष

2025-26 दर्ज किया गया है, जो कि विचाराधीन है। 2) उक्त जमीन के संबंध में आवेदक लखन मुनि प्राचीन कबीर कुटी ग्राम तरेकेला के आवेदन पर सनुवाई कर, न्यायालय नायब तहसीलदार उपतहसील पिरदा के रा.प्र.क्र. 2025058123400018 ब 121 वर्ष 2024-25 आदेश दिनांक 12-02-2026 को पारित किया गया है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

### अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना अंतर्गत स्वीकृत राशि एवं निर्माण कार्य

[ऊर्जा]

**21. ( क्र. 2069 ) श्री भोलाराम साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2023-24 से 10 फरवरी 2026 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना अंतर्गत कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि में से कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी के क्या-क्या कार्य किये गये ? विकासखण्डवार, स्थलवार, कार्यवार, राशिवार, दिनांकवार, जानकारी देवें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** वर्ष 2023-24 से 10 फरवरी 2026 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना अंतर्गत कोई भी परियोजना प्रस्तावित अथवा स्थापित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

### सोलर लाईट/पोल स्थापना का कार्य

[ऊर्जा]

**22. ( क्र. 2083 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मुंगेली में क्रेडा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 में किन किन ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट पोल स्थापना का कार्य किया जा रहा है? उक्त कार्य हेतु किस मद से, कब कब कुल कितने राशि के कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार कितने कार्य पूर्ण तथा अपूर्ण हैं, उपरोक्त कार्य हेतु कार्य एजेंसी/ठकेदार कौन हैं?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :****(क)** जिला मुंगेली अंतर्गत क्रेडा द्वारा वर्ष 2025 में 10 ग्राम पंचायतों में 12 नग सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की स्थापना के कार्य स्वीकृत किये गये है। उक्त अवधि में क्रेडा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गई है। स्वीकृत कार्यों के मद, स्वीकृति दिनांक एवं राशि तथा कराये जा रहे कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार स्वीकृत सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के पूर्ण अथवा अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं स्थापनाकर्ता इकाई की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

### नवीन महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु सहायक प्राध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति

[उच्च शिक्षा]

**23. ( क्र. 2084 ) श्री इन्द्रशाह मंडावी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत सत्र 2023-24 में कितने शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए गए महाविद्यालयों के नाम सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार सत्र 2023-24 में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए कितने सहायक प्राध्यापक की व्यवस्था की गई थी ? महाविद्यालयीन वार जानकारी देवें। **(ग)** क्या नवीन महाविद्यालय में प्राध्यापकों/ प्राचार्यों की भर्ती की गई ? यदि हों तो जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हों तो प्राध्यापकों/ प्राचार्यों की नियुक्ति के पश्चात् संचालन हेतु संलग्न प्राध्यापकों को उनके मूल महाविद्यालय

हेतु कार्यमुक्त किया गया? **(च)** यदि नहीं तो कौन-कौन से महाविद्यालयों से 31.01.2026 की अवधि तक कार्यमुक्त नहीं किए गए? महाविद्यालय एवं प्राध्यापकों के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। कार्यमुक्त नहीं होने का कारण भी बताएं।

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश-ग' के संदर्भ में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(च)** प्रश्नाधीन अवधि तक कार्यमुक्त नहीं किए गए। जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन को सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

### खनिज न्यास डी.एम.एफ फंड

[खनिज साधन]

**24. ( क्र. 2116 ) श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 31.01.2026 दिनांक तक जिला खनिज न्यास का किन-किन जिलों में गठन किया गया है? जिला- मुंगेली में जनवरी, 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक डी.एम.एफ फंड में कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में मुंगेली जिला को प्राप्त डीएमएफ फंड में किन-किन ग्रामों में कितने कार्यों हेतु कुल कितनी राशि का कार्य स्वीकृत किया गया? ग्राम वार, राशि वार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न दिनांक तक जिला मुंगेली में डीएमएफ मद में कितनी राशि शेष है? विधायक मुंगेली द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं? प्रस्तावित कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें ? क्या डीएमएफ फंड के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो की गई कार्यवाही सहित विवरण देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** दिनांक 31.01.2026 तक राज्य के समस्त जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया जा चुका है। जिला-मुंगेली में जनवरी, 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक डी.एम.एफ फंड में राशि रूपये 85 करोड़ 55 हजार प्राप्त हुआ है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	न्यास निधि में प्राप्त राशि (लाख रूपये में)
1.	2023-24 (01.01.2024 से 31.03.2024 तक)	2408.49
2.	2024-25	5472.78
3.	2025-26 (31 जनवरी, 2026 तक)	619.28

**(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। **(ग)** प्रश्न दिनांक तक जिला मुंगेली अंतर्गत डीएमएफ मद में शेष राशि रूपये 60 करोड़ 63 लाख 39 हजार है। जिला खनिज न्यास मद से जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। प्रश्नाधीन अवधि में डी.एम.एफ. फंड के दुरुपयोग के संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

### डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत राजस्व विभाग में भूमि बंटवारा/नामान्तरण के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**25. ( क्र. 2122 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भूमि विवाद, नामान्तरण, विलोपन के कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं? लंबित होने के क्या कारण है? लंबित प्रकरणों की संख्या प्रदान करें? वर्ष 2025 में फर्जी तरीके से भूमि का नामान्तरण, विलोपन की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायत पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की

गई है? कौन कौन दोषी पाए गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी? जानकारी देवे? **(ख)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक अवैध रूप से भूखंड के क्रय-विक्रय के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? स्थान व खसरा नंबर सहित पृथक-पृथक पूर्ण जानकारी देवे? **(ग)** क्या अवैध रूप से विक्रय कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु वर्ष 2023 से जनवरी 2026 तक जिला प्रशासन द्वारा पंजीयक से पत्राचार किया गया था? यदि हां तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरणों में अवैध कब्जा हटाए गए व पंजीयन निरस्त किया गया और कितने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई एवं कितने खसरों के पंजीयन पर बैन (ब्लॉक) किया गया? पूर्ण जानकारी देवे?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नामांतरण के 105, बंटवारा के 54, सीमांकन के 09 एवं अवैध कब्जा के 23 कुल 191 प्रकरण वर्तमान में लंबित है। लंबित प्रकरण साक्ष्य/प्रतिवेदन/अन्य कारणों से लंबित है। लंबित प्रकरणों की संख्या 191 है। वर्ष 2025 में फर्जी तरीके से भूमि नामांतरण, विलोपन की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक अवैध रूप से भूखंड के क्रय-विक्रय के 0 (निरंक) प्रकरण दर्ज किए गए है। **(ग)** अवैध रूप से विक्रय कर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु वर्ष 2023 से जनवरी 2026 तक जिला प्रशासन द्वारा पंजीयक से पत्राचार नहीं किया गया है। परंतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ द्वारा अवैध प्लॉटिंग के परिप्रेक्ष्य में डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अछोली के 21 खसरे, ग्राम करवारी के 01 खसरे एवं ग्राम छिरपानी के 02 खसरे , कुल 24 खसरों में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु पत्र जिला पंजीयक/उप पंजीयक, जिला राजनांदगाव को जारी किया गया है, जिसे NGDRS सॉफ्टवेयर के प्रतिबंधित लिस्ट में दर्ज कर दिया गया है।

### **प्रदेश में लेमरु हाथी परियोजना अंतर्गत स्वीकृत व व्यय राशि**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**26. ( क्र. 2137 ) श्री उमेश पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में लेमरु हाथी रिजर्व परियोजना कब प्रारंभ की गयी थी तथा वर्तमान स्थिति क्या है? इस परियोजना हेतु कब कितना बजट दिया गया और कितना खर्च हुआ? वर्षवार जानकारी देवे।

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** प्रदेश में लेमरु हाथी रिजर्व की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को जारी हुई, जिसमें कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ एवं सरगुजा वनमण्डलों के 1995.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि रूपये 1000.00 लाख के विरुद्ध लेमरु हाथी रिजर्व के विभिन्न कार्य हेतु दिनांक 09.05.2025 को रूपये 890.77 लाख आबंटित किया गया है तथा दिनांक 27.02.2026 की स्थिति में रूपये 507.87 लाख व्यय हुआ है। विवरण **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है ।**

**[ संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस" ]**

### **रायगढ़ जिला अंतर्गत केलो परियोजना नहर निर्माण**

[जल संसाधन]

**27. ( क्र. 2138 ) श्री उमेश पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़ जिला अंतर्गत केलो परियोजना में नहरों का निर्माण कार्य कितना पूर्ण हो चुका है और कितना अधूरा है? नहरों से कितने गाँव के कितने किसानों की कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है? यह परियोजना कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** रायगढ़ जिला अंतर्गत केलो परियोजना की नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है मुख्य नहर की कुल लंबाई 28.310 कि.मी. है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शाखा नहर की कुल लंबाई 15.90 कि.मी. है, जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। 07 नग वितरक नहर की कुल लंबाई 73.62 कि.मी. है, जिसमें से 69.20 कि.मी. नहर निर्माण हो चुका है शेष 04.42 कि.मी. अपूर्ण कार्य प्रगतिरत है। केलो परियोजना के अंतर्गत कुल 87 माईनर है, जिसकी कुल लंबाई 194.11 कि.मी. है, जिसमें से 140.388 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका तथा शेष 53.722 कि.मी. अपूर्ण कार्य प्रगतिरत हैं। ट्रायल के तौर पर वर्ष 2025-26 में खरीफ सिंचाई हेतु 75 ग्रामों के 4906 किसानों के 9432.27 हेक्टेयर भूमि सिंचित की गयी है। इस परियोजना को माह जून-2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

### आदिवासियों बाहुल्य क्षेत्र की भूमि पट्टा अन्य कार्य हेतु प्रदाय किया जाना

[खनिज साधन]

**28. ( क्र. 2245 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जनवरी, 2024 से 31.01.2026 तक बस्तर और सरगुजा संभाग में अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत आदिवासियों की भूमि को व्यावसायिक अभियोजन कार्य पट्टा (भंडारण/उत्खनन) आदि के लिए अन्य को प्रदाय किया गया है? यदि हां तो किसको-किसको दिया गया है, नाम, पता सहित जानकारी दें? क्या आदिवासियों की भूमि प्रदाय किए जाने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्रदाय की गयी है? **(ख)** क्या प्रश्न **(क)** अनुसार ऐसे मामले की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :****(क)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख)** जी नहीं। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

### विद्युत यांत्रिकी, लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संचालन शाखा द्वारा संपादित कार्य

[जल संसाधन]

**29. ( क्र. 2273 ) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अविभाजित जिला राजनांदगांव (जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला मानपुर चौकी) में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विद्युत यांत्रिकी, लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संचालन शाखा में सिंचाई नलकूपों एवं बांधों के गेट के संचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त शाखाओं में कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? पदनामवार एवं संभाग/खंडवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** कर्मचारियों की कमी की स्थिति में सिंचाई नलकूपों एवं बांध गेट के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य किस प्रकार संपादित किया जा रहा है? जानकारी प्रदान करें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** अविभाजित जिला राजनांदगांव (जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई व मोहला- मानपुर-चौकी) में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विद्युत यांत्रिकी, लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संचालन शाखा में सिंचाई नलकूपों एवं बांधों के गेट के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कार्यपालन अभियंता, वि/या. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, दुर्ग के अंतर्गत नियमित स्थापना में 70 स्वीकृत पद के विरुद्ध 41 कार्यरत है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** कार्यभारित कर्मचारियों का स्वीकृत पद 360 के विरुद्ध वर्तमान में 81 कर्मचारी कार्यरत है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** कार्यभारित कर्मचारी (सांख्येत्तर) के 46 पद स्वीकृत है, के विरुद्ध 46 कर्मचारी कार्यरत हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** कार्यपालन अभियंता, वि/यां, लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, दुर्ग के अधीन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,

वि/यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट उपसंभाग, राजनांदगांव में कार्यालय स्तर का स्वीकृत पदों की संख्या 138 है तथा उनके विरुद्ध 20 कर्मचारी कार्यरत हैं। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है** तथा सांख्येत्तर के 16 पद स्वीकृत है, के विरुद्ध सांख्येत्तर 16 कर्मचारी कार्यरत है। पदनामवार एवं खंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-इ अनुसार है।** (ख ) कर्मचारियों की कमी की स्थिति में सिंचाई नलकूपों एवं बांध गेट के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास" \]](#)

### 33/11 केवी के विद्युत स्थापित उपकेन्द्र में सोलर पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति

[ऊर्जा]

**30. ( क्र. 2275 ) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) क्या जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 33/11 केवी के कितने विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं? उपकेन्द्रवार नाम, स्थान तथा प्रत्येक में स्थापित पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता (एमवीए में) का विवरण प्रदान करें। (ख) वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? विकासखंड/ग्रामवार प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में), स्वीकृत, लंबित एवं अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या क्या है? (ग) जिले के किन-किन उपकेन्द्रों को सोलर पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है? उपकेन्द्रवार प्राप्त क्षमता (मेगावाट/एमवीए) का विवरण दें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 33/11 केवी के 21 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं। उपकेन्द्रवार नाम स्थान एवं स्थापित पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना (पी.एम. सूर्यघर को छोड़कर) हेतु कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें 46 आवेदन स्वीकृत एवं 1 आवेदन अस्वीकृत किया गया है कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। विकासखंड/ग्रामवार प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में), स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) जिले के 5 उपकेन्द्रों को सोलर पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है। उपकेन्द्रवार प्राप्त क्षमता (मेगावाट/एमवीए) की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

### डोमा-उगेतरा स्थित वन को वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**31. ( क्र. 2277 ) श्री इन्द्र कुमार साहू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डोमा-उगेतरा स्थित वन को आधिकारिक रूप से वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य स्वीकृत किया जा चुका है? (ग) यदि नहीं तो कब तक घोषित कर दिया जावेगा?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) तदाशय का इस विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### व्यावसायिक प्रयोजन के लिए परिवर्तित कृषि भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**32. ( क्र. 2293 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022 से 15 फरवरी, 2026 तक जिला बस्तर में ऐसे राजस्व भूमि प्रकरण के आवेदनों की संख्या बतायें, जो कृषि

भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए परिवर्तित करने से संबंधित था ? कृपया जिला का नाम दशति हुये तहसीलवार संख्या बतायें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में ही प्रस्तुत आवेदन में कितने प्रकरणों में स्वीकृति, कितनों को अस्वीकृत व कितने लंबित अथवा प्रक्रियाधीन तथा कितने प्रकरण को विवादास्पद पाया गया है ? कृपया बतायें ? **(ग)** लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए क्या कोई समय-सीमा है ? कृपया बतायें ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2022 से 15 फरवरी, 2026 तक कृषि भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए परिवर्तित करने संबंधी तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण के लिए पूर्व में समय-सीमा 90 कार्य दिवस निर्धारित था। विभागीय अधिसूचना दिनांक 28.07.2025 के अनुसार व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित किया गया था। वर्तमान में विभागीय अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2025 अनुसार नियम-12 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा भूमि के व्यपवर्तन हेतु देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व जमा करने के उपरांत व्यपवर्तन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को प्रारूप-एक में जमा करने के 15 कार्य दिवस में निराकरण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन" \]](#)

### वाहनों को जारी परमिट

[परिवहन]

**33. ( क्र. 2295 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ0ग0 राज्य के जिलों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में परिवहन विभाग को कितने भारी वाहन, सामग्री ढुलाई से संबंधित परिवहन व मात्री परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए परमिट मिलने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये ? जिलेवार व वाहनों की श्रेणीवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्राप्त आवेदनों में से कितने स्वीकृत, कितने अस्वीकृत तथा कितने प्रकरण लंबित अथवा प्रक्रियाधीन हैं ? कृपया बतायें ? **(ग)** क्या विभाग को विभागीय जांच व परीक्षण में वाहन बिना परमिट के संचालित होना पाया गया है? यदि हां तो विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में बतायें ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** परिवहन विभाग के अंतर्गत स्थाई यात्री परमिट मुख्यालय स्तर पर एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय से दी जाती है, तथा अन्य अस्थायी यात्री परमिट एवं मालयान परमिट क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय, सीमावर्ती जांच चौकी के द्वारा प्रदान की जाती है। एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय अंतर्गत यात्री परिवहन से संबंधित वर्ष 2024-25 में कुल 641 एवं वर्ष 2025-26 में कुल 576 आवेदन प्राप्त हुये हैं। शेष प्रश्नांश के उत्तर जिलेवार एवं सीमावर्ती जांच चौकियों अनुसार श्रेणीवार **जानकारी पुस्तकालय में प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख)** मुख्यालय स्तर पर एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में यात्री बस हेतु प्राप्त आवेदन में से वर्ष 2024-25 के 641 प्रकरणों में से 346 प्रकरण स्वीकृत एवं 295 प्रकरण अस्वीकृत किये गये हैं, तथा वर्ष 2025-26 के 576 प्रकरणों में 290 प्रकरण स्वीकृत, 128 प्रकरण अस्वीकृत एवं 158 प्रकरण वर्तमान में लंबित है। शेष प्रश्नांश के उत्तर जिलेवार व सीमावर्ती जांच चौकी **अनुसार जानकारी पुस्तकालय में प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ग)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

## हाट-बाजार की शासकीय भूमि की खरीदी-बिक्री की प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**34. ( क्र. 2315 ) श्री ओंकार साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या नगर पंचायत भखारा अंतर्गत शासकीय भूमि जो कि हाट-बाजार के लिये आरक्षित की गयी थी एवं जिस पर चबूतरा, पचरी एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया था,को किसी अन्य व्यक्ति के नाम विक्रय करते हुए पंजीयन कराया गया? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो प्राप्त शिकायतों पर क्या जांच की गई है एवं जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं? **(ख)** क्या शासन द्वारा उक्त प्रकरण में शासकीय भूमि को पुनः सुरक्षित अभिलेखों में दर्ज कर अतिक्रमण हटाने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :****(क)** जी नहीं। जिला धमतरी के नगर पंचायत भखारा के हाट-बाजार के लिए आरक्षित ख.नं. 1602 एवं 1603 की तथा एक अन्य भूमि ख.नं. 675/2 की अवैध बिक्री के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। ख.नं. 1602 एवं 1603 को नगर पंचायत भखारा हाट-बाजार के लिए वर्ष 2014 में आरक्षित किया गया जिसमें खरीदी बिक्री नहीं होना पाया गया है। ख.नं. 675/2 रकबा 0.40 हे. जिसे वर्ष 2004 में कलेक्टर द्वारा आबादी घोषित किया गया है जिसका रिकार्ड दुरुस्ती करते समय 0.40 हे. के स्थान पर 0.56 हे. का त्रुटिपूर्ण नक्शा काटा गया है, मूल रकबा (0.40 हे.) से अतिरिक्त 0.16 हे. भूमि जो शासकीय घास भूमि ख.नं. 1603 की सीमा से लगा है में से 0.10 हे. भूमि पर नगर पंचायत भखारा का पौनी पसारी निर्मित है, शेष रकबा 0.06 हे. भूमि का क्रय-विक्रय किया गया है। अतिरिक्त रकबा 0.16 हे. हेतु नया ख.नं. 675/3 का सृजन किये जाने तथा 0.06 हे. भूमि पर किये गये क्रय-विक्रय को व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर शून्य घोषित कराये जाने एवं त्रुटिपूर्ण नक्शा/नकल करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी आदेश कलेक्टर, धमतरी द्वारा जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में दायर याचिका WPC No. 1895/2023, WPC No. 3178/2023 विचाराधीन है, जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किये जाने के कारण यथास्थिति बना हुआ है।**(ख)** विक्रय की गई भूमि 0.06 हे. वर्तमान में रिक्त है, किसी का कब्जा नहीं है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में शेष कार्यवाही लंबित है।

## राज्य में ग्रामों/शहरों और चौक तथा रास्तों के नामकरण एवं नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

[सामान्य प्रशासन]

**35. ( क्र. 2405 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**राज्य में ग्रामों/शहरों और चौक तथा रास्तों के नामकरण एवं नाम परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है? **(ख)**दिसम्बर 2023 से दिनांक 31.01.2026 तक जिला - रायपुर में किन-किन स्थलों ,ग्रामों/शहरों एवं चौक,रास्तों के नामकरण या नामपरिवर्तन की कार्यवाही हुई?विवरण प्रदान करें? **(ग)**ग्रामों/शहरों के पूर्व में प्रचलित नामों के विरूपण होने के बाद पुनः प्राचीन नामकरण के लिये शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश के भाग-4 के बिन्दु क्र. "ढढ" (जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है) में उल्लेखित ऐसे मामले, जो नगरों, ग्रामों, नदियों तथा रेल्वे स्टेशनों आदि के नाम परिवर्तन करने से संबंधित हो, भारसाधक मंत्री द्वारा विचार करने के पश्चात् संबंधित विभाग के सचिव द्वारा मुख्य सचिव के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को समन्वय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति/असहमति दी जाती है। तत्पश्चात् भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 130/53-पब्लिक दिनांक

11 सितंबर 1953 (जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है) एवं केन्द्रीय गृह मंत्री जी के पत्र क्रमांक 11/2/1993 एम. एण्ड जी दिनांक 19 फरवरी 1993 (जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है) में दिये गये निर्देशानुसार राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त कर, राज्य में ग्रामों/शहरों का नाम परिवर्तन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जा कर राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के निर्देश हैं। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** ग्रामों/शहरों के पूर्व में प्रचलित नामों के विरूपण होने के बाद पुनः प्राचीन नामकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उत्तरांश 'क' में उल्लेखित अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बावन" ]**

### **जिला रायपुर अंतर्गत भूमिहीन कृषकों को भूमिहीन कृषक कल्याण योजना की जानकारी**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**36. ( क्र. 2406 ) श्री अनुज शर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायपुर अंतर्गत कितने भूमिहीन कृषकों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** इस योजना हेतु पात्र हितग्राहियों की सूची में नाम जुड़वाने की क्या प्रक्रिया है तथा इस योजनांतर्गत कितनी राशी प्रदान किये जाने का प्रावधान है? **(ग)** कृषि मजदूरों एवं भूमिहीन किसानों को राज्य शासन द्वारा किसानों के लिये चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभ भी प्रदान किया जा सकता है, यदि हां तो क्या?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला रायपुर अंतर्गत 53219 हितग्राहियों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है। विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है-

विकासखंड धरसीवा	विकासखंड आरंग	विकासखंड अभनपुर	विकासखंड तिल्दा	कुल योग
16434	14218	12318	10249	53219

**(ख)** योजना अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में किया जाता है। तत्पश्चात उक्त आवेदन तहसीलदार के आई.डी. में प्रेषित किया जाता है, जिसके द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जाता है। संबंधित तहसीलदार द्वारा अभिलेख जांच एवं पात्रता निर्धारण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन स्थानीय निकाय द्वारा किया जाकर दावा आपत्ति मंगाया जाता है, तदोपरांत सूची का अनुमोदन ग्राम सभा/नगरीय निकाय की सामान्य सभा द्वारा किया जाकर सूची को पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है। उक्त योजना अंतर्गत पात्र परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000/- रूपये (दस हजार मात्र) एकमुश्त/किशतों में बैंक खातों में हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। **(ग)** जानकारी निरंक है।

### **विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत रेत खनन हेतु अधिकृत खदान**

[खनिज साधन]

**37. ( क्र. 2410 ) श्री रामकुमार टोप्पो :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत कितने रेत खदान खनन के लिए अधिकृत हैं? वर्ष 2020-21 से जनवरी 2026 तक की स्थिति में ब्लॉकवार, ग्रामपंचायत वार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या इन रेत खदानों से छ.ग. राज्य के अलावा अन्य राज्य में भी परिवहन किया जाता है? अगर हां तो प्रति खदान वार, वर्षवार, रेत भंडारण व परिवहन की जानकारी प्रदान करें। **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार वर्तमान में उन खदानों की स्थिति क्या है? रेत खनन व परिवहन से नदियों की स्थिति, भूजल स्तर, आस पास के पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? जानकारी प्रदान करें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत वर्तमान में 01 रेत खदान खनन हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत हैं तथा 03 रेत खदानों में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय पत्र जारी किया गया है। वर्ष 2020-21 से जनवरी 2026 तक की स्थिति में स्वीकृत रेत खदानों की ब्लॉकवार, पंचायतवार जानकारी **“संलग्न प्रपत्र अनुसार”** हैं। **(ख)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांक 'क' के परिप्रेक्ष्य में रेत खदानों की स्थिति की जानकारी **“संलग्न प्रपत्र अनुसार”** है। विभाग द्वारा आई.आई.टी, रूड़की से कराये गये अध्ययन अनुसार रेत खनन व परिवहन से नदियों की स्थिति, भूजल स्तर, आस पास के पारिस्थितिक तंत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

### विज्ञापन हेतु प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भुगतानित राशि

[जनसंपर्क]

**38. ( क्र. 2424 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024 की स्थिति में न्यूज चैनलों को विज्ञापन हेतु कुल कितनी राशि एवं किन-किन चैनलों को कितनी राशि भुगतान क्यों की गई, विवरण देवें। **(ख)** उक्त अविध में कौन-कौन से प्रिंट मिडिया को प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन दिया गया है एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया जानकारी दे ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क)** अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024 की स्थिति में न्यूज चैनलों को विज्ञापन हेतु कुल राशि एवं चैनलों को शासकीय प्रचार-प्रसार हेतु जारी कार्यदिश के विरुद्ध प्राप्त देयक राशि रूपये 16,44,83,933/- का भुगतान किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ** अनुसार है। **(ख)** अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024 की स्थिति में प्रिंट मीडिया को विज्ञापन हेतु कुल राशि एवं उक्त प्रिंट मीडिया को शासकीय प्रचार-प्रसार हेतु जारी कार्यदिश के विरुद्ध प्राप्त देयक राशि रूपये 29,28,78,977/- का भुगतान की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब** अनुसार है।

### अवैध रेत उत्खनन पर कृत कार्रवाई

[खनिज साधन]

**39. ( क्र. 2426 ) श्रीमती अनिला भेंडिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बालोद जिले में तांदुला एवं क्षेत्र स्थित अन्य नदियों से अवैध रेत उत्खनन के पिछले दो वर्षों में कितने प्रकरण दर्ज हुए? **(ख)** इन प्रकरणों से कितनी रेत जप्त की गई एवं कितनी राशि की वसूली (जुर्माना) के रूप में की गई? संबंधित अधिकारियों/ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार व विकासखण्ड वार जानकारी उपलब्ध करावें।

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) : (क)** तांदुला एवं क्षेत्र स्थित अन्य नदियों सहित संपूर्ण बालोद जिले में रेत के अवैध उत्खनन के वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल 20 प्रकरण दर्ज किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में रेत की कुल 3067 घनमीटर मात्रा जप्त की गई एवं 16 लाख 61 हजार 8 सौ 75 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है। अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

**आधार सेवा केंद्र का संचालन**  
[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

**40. ( क्र. 2434 ) श्री धरमलाल कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
(क) बिलासपुर जिले में "इन-हाउस मॉडल" के अंतर्गत आधार सेवा केंद्र संचालन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों एवं उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किस स्तर पर तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा सत्यापित अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? चयन प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए गए? बोनस अंक का निर्धारित मापदंड क्या था? (ख) क्या चयन/दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में अनियमितता अथवा पक्षपात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है? शिकायतवार जानकारी दें? (ग) दिनांक 31/01/2026 तक आधार सेवा केंद्र संचालक को उनकी कमीशन का कितने बार भुगतान किया गया और किस माध्यम से और नहीं किया गया तो क्यों? क्या प्रतिमाह केंद्र संचालक को उनकी कमीशन भुगतान की व्यवस्था है या नहीं? नहीं तो क्यों?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर जिले में "इन-हाउस मॉडल" के अंतर्गत आधार सेवा केंद्र संचालन हेतु 90 आवेदन प्राप्त हुए थे (पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है ) । इन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं शैक्षणिक योग्यताओं से सम्बंधित प्रमाण-पत्रों की जांच जिला ई गवर्नेस समिति बिलासपुर के द्वारा की गई । इन आवेदनों की प्रारम्भिक जांच पश्चात दावा आपत्ति आमंत्रित करने सूची प्रकाशित किया गया एवं प्राप्त 9 दावा आपत्ति में से 4 स्वीकृत एवं 5 अस्वीकृत कर निराकरण पश्चात 49 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया (पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब एवं स अनुसार है) । दावा आपत्ति में शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित दावा आपत्ति व शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होने से सत्यापन नहीं कराया गया है। यद्यपि अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर अंक प्रदाय किया जाना था इसलिए जारीकर्ता एवं सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (रा०), उपायुक्त नगर पालिक निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जोन कमिश्नर, सचिव कृषि उपज मंडी समिति, जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापन कराने पश्चात अनुभव के आधार पर 38 पात्र अभ्यर्थियों के अनुभव हेतु अंक मान्य किये गए हैं। चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 14-7-2025 की चयन मानदंड सम्बन्धी कंडिका अनुसार अनुभव हेतु प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर 2 अंक अधिकतम 20 अंक निर्धारित किये गए, अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की गई, न्यूनतम 6 माह के अनुभव हेतु 1 अंक प्रदाय किया गया एवं 6 माह से कम अनुभव मान्य नहीं किया गया (पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है) । (ख) जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार चयन प्रक्रिया अवधि में फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करने के सम्बन्ध में एक सामान्य शिकायत प्राप्त हुई थी जिसको प्रारंभिक जाँच पश्चात तथ्य के आभाव में अस्वीकृत किया गया ( पुस्तकालय में रखे प्रपत्र त अनुसार है) । यद्यपि समस्त अनुभव प्रमाणपत्र को अनुभव जारीकर्ता एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापन की कार्यवाही की गई है । अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई शिकायत आवेदन लंबित है । (ग) UIDAI से अगस्त 2025 तक के भुगतान हेतु चिप्स को राशि प्राप्त हुआ है आधार सेवा केंद्र संचालकों को उनकी कमीशन का 19 बार आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से निम्न अवधि का भुगतान किया गया है । ( पुस्तकालय में रखे प्रपत्र थ अनुसार है) UIDAI से चिप्स को राशि प्राप्त होने के उपरांत आधार सेवा केंद्र संचालकों को भुगतान किया जाता है । आधार सेवा केंद्र संचालकों द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए नामांकन एवं अद्यतन कार्य के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा उक्त कार्य में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में दंड राशि की कटौती उपरांत एकमुश्त राशि चिप्स को

प्राप्त होती है। उक्त राशि प्राप्त होने उपरांत आधार सेवा केंद्र संचालकों के स्टेशन आईडी के अनुसार गणना पत्रक (देय/कटौती राशि) तैयार कर संबंधित संचालकों को भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

### **जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में तालाब खनन हेतु स्वीकृत राशि**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**41. ( क्र. 2439 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वन विभाग अंतर्गत जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में वर्ष 2023-24 से 15 फरवरी, 2026 तक कुल कितने तालाब खनन की स्वीकृति कितनी राशि की प्रदाय की गई ? इसमें किन-किन तालाबों में कार्य पूर्ण/अपूर्ण है तथा कितनी राशि का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? **(ख)** उक्त के संबंध में कितनी शिकायतों की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है व कौन दोषी पाया गया तथा जांच किसके द्वारा की गई ? **(ग)** जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती क्षेत्र अंतर्गत राज्य कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 15 फरवरी, 2026 तक कितनी राशि जारी की गई तथा उक्त राशि का कितने कार्यों में उपयोग किया गया? वर्षवार जानकारी दें ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :****(क)** वन विभाग अंतर्गत जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में वर्ष 2023-24 से 15 फरवरी, 2026 तक खनन किये गये कुल तालाबों की संख्या, स्वीकृत राशि, तालाबों में कार्य के पूर्ण/अपूर्ण होने की स्थिति, फर्मों को भुगतान की गई राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि की **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ "** में दर्शित है। **(ख)** उक्त के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, अतः शिकायत की जांच करने एवं दोषी पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती क्षेत्र अंतर्गत राज्य कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 15 फरवरी, 2026 तक जारी की गई राशि तथा उक्त राशि के कार्यों पर उपयोग की वर्षवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब "** में दर्शित है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - पचपन" \]](#)

### **रेत का अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन करने के दर्ज प्रकरण पर की गई कार्यवाही**

[खनिज साधन]

**42. ( क्र. 2453 ) श्री बालेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले अंतर्गत ग्राम बम्हनीडीह, पिपरदा, खपरीडीह, करही, किकिरदा, डोटमा में वर्ष 2024-2025 से 15/02/2026 तक रेत का अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के कितने प्रकरण किनके-किनके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं ? कृपया, जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार प्रकरणों में जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के भी संलिप्त होने शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया, जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जानकारी "संलग्न प्रपत्र अनुसार" है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

### **जिला दुर्ग अंतर्गत अवैध मुरूम एवं रेत खनन**

[खनिज साधन]

**43. ( क्र. 2456 ) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दुर्ग जिले के अंतर्गत 01 जनवरी, 2024 से 01 फरवरी, 2026 तक अवैध मुरूम एवं रेत खनन के कितने प्रकरण,

किन-किन पर किस-किस स्थानों के लिये दर्ज किये गये ? **(ख)** दर्ज किये गये प्रकरणों में किन-किन से कितनी-कितनी राशि वसूली की गई ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** एवं **(ख)** की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

### **जिला जशपुर के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता एवं ग्रेडिंग की स्थिति**

[उच्च शिक्षा]

**44. ( क्र. 2464 ) श्रीमती गोमती साय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि जिला जशपुर अंतर्गत पथलगांव विधानसभा, जशपुर विधानसभा एवं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) अथवा अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा महाविद्यालयों का मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन किया गया है? यदि हाँ, तो प्रत्येक महाविद्यालय को प्राप्त ग्रेड का विवरण क्या है? **(ख)** गत तीन वर्षों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किन-किन मदों में राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? क्या ICT लैब, पुस्तकालय उन्नयन, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला सुदृढीकरण एवं संकाय पदों की पूर्ति की गई है? **(ग)** कितने महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्वीकृत पद रिक्त हैं? रिक्तियों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** जिन महाविद्यालयों की ग्रेडिंग निम्न है, उनके उन्नयन हेतु क्या कार्ययोजना निर्धारित की गई है? विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-'स' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** NAAC मूल्यांकन के पूर्वतरत क्राइटेरिया अनुसार महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय में ग्रेड उन्नयन हेतु विभिन्न प्रयास किए गए, जैसे - शैक्षणिक एवं अनुसंधान गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यशालाएँ, सेमिनार, FDP, तथा विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए गए, CCOST से शोध परियोजनाएँ स्वीकृत हुई, आदि। ग्रेड उन्नयन हेतु महाविद्यालयवार गतिविधियों का विवरण प्रपत्र 'द' अनुसार है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

### **वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति प्लांटेशन के लिए दी गई भूमि**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**45. ( क्र. 2468 ) श्री ब्यास कश्यप :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत महाजेको को आबंटित कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर-दो में प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति प्लांटेशन के लिए संस्थान द्वारा कब कहां व किस जगह पर भूमि दी गई है व प्लांटेशन हेतु विभाग को कितनी धनराशि दी गई है? **(ख)** क्या कोल ब्लॉक प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति प्लांटेशन के लिए दी गई भूमि का विभाग द्वारा 19/02/2026 तक सीमांकन कर चिन्हांकन किया जा चुका है? यदि हां, तो कब और किन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत महाजेको को आबंटित कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर-दो में प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति प्लांटेशन के लिए संस्थान द्वारा रायगढ़ जिले के तहसील रायगढ़ अंतर्गत रा.नि.मं. रायगढ़-01 के ग्राम चक्रधरपुर प.ह.नं. 33 रकबा 115.184 हेक्टेयर, ग्राम बंगुरसिया प.ह.नं. 33 रकबा 4.225 हेक्टेयर एवं ग्राम नटवरपुर प.ह.नं. 34 रकबा 95.460 हेक्टेयर, इस

प्रकार कुल रकबा 214.869 हेक्टेयर निजी भूमि हस्तांतरण फलस्वरूप दिनांक 22.07.2022 से वन विभाग को रजिस्ट्री के माध्यम से दी गई है तथा संस्थान द्वारा प्लांटेशन हेतु विभाग को राशि रू. 25,13,27,972/- दी गई है। (ख) जी हां। कोल ब्लॉक प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति प्लांटेशन के लिए दी गई भूमि का विभाग द्वारा 19.02.2026 तक सीमांकन कर चिन्हांकन किया जा चुका है। दिनांक 19.08.2021 को संस्थान द्वारा दी गई निजी भूमि को वन विभाग के वन परिक्षेत्र सहायक, बंगुरसिया पूर्व एवं राजस्व विभाग के संबंधित हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर सीमांकन, चिन्हांकन किया गया है।

### जिला रायगढ़ में सेवा सहकारी समितियों में मांग अनुरूप खाद एवं बीज आपूर्ति

[सहकारिता]

**46. ( क्र. 2478 ) श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं जनवरी, 2026 तक सेवा सहकारी समितियों द्वारा कितनी कितनी मात्रा में खाद बीज की मांग की गई थी? मांग अनुरूप कितनी पूर्ति की गई? सेवा सहकारी समितिवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या मांग अनुरूप सभी समितियों की खाद बीज की पूर्ति की गई? यदि नहीं तो आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं? (ग) क्या सेवा सहकारी समितियों में किसानों के नाम पर अत्यधिक मात्रा में खाद बीज निकाल कर बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी है एवं क्या कार्यवाही की गई है? समिति वार जानकारी देवे?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में (खरीफ सीजन 01.04.2024 से 30.09.2024 एवं रबी सीजन 01.10.2024 से 31.03.2025 में) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में (खरीफ सीजन 01.04.2025 से 30.09.2025 एवं रबी सीजन 01.10.2025 से 31.01.2026 तक) खाद बीज की मांग एवं आपूर्ति की, सेवा सहकारी समितिवार जानकारी क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024-25 **संलग्न प्रपत्र-'अ'** एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 **संलग्न प्रपत्र-'ब'** में है। (ख) मांग अनुरूप सभी समितियों को खाद एवं बीज की पूर्ति की गई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) सेवा सहकारी समितियों में किसानों के नाम पर अत्यधिक मात्रा में खाद बीज निकाल कर बेचे जाने की शिकायतें संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

### जिला रायगढ़ अन्तर्गत पुनर्वास नीति के तहत लंबित रोजगार

[पुनर्वास]

**47. ( क्र. 2479 ) श्री लालजीत सिंह राठिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सी पुनर्वास नीति लागू है? जिला रायगढ़ अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिलाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितनों को पुनर्वास नीति को संपूर्ण लाभ दिया गया है? (ख) धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम लात पुनर्वास के कितने लोगों का रोजगार/ नौकरी लंबित है? कब तक नौकरी प्रदान की जाएगी?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) छत्तीसगढ़ में आदर्श पुनर्वास नीति 2007 लागू है। जिला रायगढ़ अंतर्गत विगत 03 वर्षों में पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिलाने हेतु कुल 1848 आवेदन प्राप्त हुये हैं। कुल 1742 को पुनर्वास नीति का संपूर्ण लाभ दिया गया है। (ख) धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम लात में पुनर्वास के कुल 39 लोगों को रोजगार/नौकरी हेतु लंबित है। प्रभावितों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार पात्र पाए जाने पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## जिला बालोद में जिला खनिज न्यास मद से प्रभावित क्षेत्र

[खनिज साधन]

**48. ( क्र. 2481 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बालोद में खनिज न्यास मद (DMF) से होने वाले विकास कार्यों को खनिज प्रभावित क्षेत्र से कितने कि.मी. की परिधि में किए जाने का प्रावधान किया गया है? किस शासनादेश/नियम/दिशानिर्देश के आधार पर लागू किया गया है तथा खनिज प्रभावित क्षेत्र का चयन किस आधार पर किया गया है ? जानकारी दें ? **(ख)** क्या गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र को खनिज न्यास मद से होने वाले विकास कार्यों से वंचित रखा गया है? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण एवं क्या आधार है?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, नियम-2015 (यथा संशोधित) अधिसूचना दिनांक 12.09.2025 अनुसार मुख्य खनिज खान एवं खान समूह से 15 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र तथा 25 कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया है।**(ख)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में जिला खनिज संस्थान न्यास मद में विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु वर्तमान नियमों के परिपेक्ष्य में गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्र की परिधि में शामिल नहीं है।

## गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के बजट में सम्मिलित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

**49. ( क्र. 2482 ) श्री कुंवर सिंह निषाद :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन कार्यों को बजट में शामिल किया गया तथा बजट में शामिल किन-किन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई? किन-किन कार्यों की निविदा जारी की गयी तथा कितने कार्य प्रगतिरत हैं? कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं ? किन-किन कार्यों की निविदा शेष है? यदि शेष है तो क्या कारण हैं ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन कार्यों को बजट में शामिल किया गया तथा बजट में शामिल किन-किन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, किन-किन कार्यों की निविदा जारी की गयी तथा कितने कार्य प्रगतिरत हैं, कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं, किन-किन कार्यों की निविदा शेष है और शेष रहने का कारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी बताया जाना संभव नहीं है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - साठ" \]](#)

## चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत लंबित राजस्व प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**50. ( क्र. 2487 ) श्री रामकुमार यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन एवं अभिलेख सुधार के कितने प्रकरण वर्ष अप्रैल, 2024 से दिनांक 19/02/2026 तक प्राप्त हुए हैं ? कितने प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज कर लिया गया है ? **(ख)** कितने आवेदन लम्बित हैं तथा क्यों ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला सक्ती के चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नामांतरण के 3759 प्रकरण, बंटवारा के 773 प्रकरण, डायवर्सन के 332 प्रकरण एवं अभिलेख सुधार के 1390, कुल 6254 ऑनलाईन प्रकरण दर्ज हुये है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 23 प्रकरण ऑनलाईन दर्ज करने हेतु प्रक्रियाधीन है, जो निर्धारित समयावधि के भीतर है। प्रकरणों के सुसंगत दस्तावेजों का अभाव, पक्षकारों की अनुपस्थिति, साक्ष्य की कमी के कारणों से लंबित है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" ]**

### **मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित नवीन महाविद्यालय स्थापना की स्वीकृति**

[उच्च शिक्षा]

**51. ( क्र. 2496 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2025 को नगर पंडरिया में आयोजित कार्यक्रम में पंडरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बीरेन्द्र नगर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना एवं भवन निर्माण कार्य हेतु घोषणा की गई थीं ? (ख) क्या विभाग द्वारा महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? (ग) वर्तमान में उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु प्रस्ताव किस विभागीय स्तर पर लंबित है? जानकारी दें? (घ) ग्राम बीरेन्द्र नगर में महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन की क्या स्थिति है? क्या राजस्व विभाग द्वारा भूमि चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो इसमें देरी का कारण क्या है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** (क) जी हां। (ख) जी नहीं। (ग) उच्च शिक्षा विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

### **पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार संचालन**

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**52. ( क्र. 2497 ) श्रीमती भावना बोहरा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने वनोपज आधारित एवं उत्पाद आधारित साप्ताहिक हाट-बाजार संचालित हो रहे हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) उक्त संचालित हाट-बाजारों में से कितने हाट-बाजारों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं-शेड, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा आदि का अभाव है? यदि हाँ, तो ऐसे सभी हाट-बाजारों का विकासखण्डवार विवरण दें? उपरोक्त सुविधाएं इन हाट बाजारों में कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 वनोपज आधारित हाट-बाजार एवं 05 उत्पाद आधारित साप्ताहिक हाट-बाजार केन्द्रों का संचालन हो रहा है । विकासखण्डवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र"में दर्शित है। हाट बाजारों में प्राक्कलन में प्रावधान अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये गए है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" ]**

### **जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही में प्राप्त राजस्व मामलों का निराकरण**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**53. ( क्र. 2501 ) श्री प्रणव कुमार मरपची :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही में राजस्व मामलों के प्रकरण वर्ष 2023 से 19/02/2026 तक कितने प्राप्त हुए हैं ? कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ है एवं कितने प्रकरण शेष हैं? वर्षवार, हल्कावार, नामवार,

तहसीलवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या जिले में किसानों का खसरा, बी वन ऑनलाइन अपडेट हो गया है ? अगर नहीं तो कितने शेष हैं और कब तक ऑनलाइन हो जायेंगे ? जानकारी देवें ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में जिले में दर्ज, निराकृत एवं शेष प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है-

जिला	2023-24	2024-25	दिनांक 19.02.2026 की स्थिति में
गौ.पे.म.	प्राप्त 5559 निराकृत 5505 शेष- 54	प्राप्त 4922 निराकृत 4828 शेष- 94	प्राप्त 2415 निराकृत 1304 शेष - 1111

तहसीलवार, वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

तहसील	2023-24	2024-25	दिनांक 19.02.2026 की स्थिति में
पेण्डूरोड	प्राप्त 1294 निराकृत 1294 शेष - 0	प्राप्त 1357 निराकृत 1357 शेष - 0	प्राप्त 822 निराकृत 667 शेष - 155
पेण्डू	प्राप्त 431 निराकृत 431 शेष - 0	प्राप्त 453 निराकृत 453 शेष -- 0	प्राप्त 612 निराकृत 386 शेष - 226
सकोला	प्राप्त 1090 निराकृत 1090 शेष - 0	प्राप्त 852 निराकृत 852 शेष - 0	प्राप्त 220 निराकृत 138 शेष - 82
मरवाही	प्राप्त 948 निराकृत 948 शेष - 0	प्राप्त 765 निराकृत 765 शेष - 0	प्राप्त 165 निराकृत 0 शेष - 165
योग	प्राप्त 3763 निराकृत 3763 शेष - 0	प्राप्त 3427 निराकृत 3427 शेष - 0	प्राप्त 1819 निराकृत 1191 शेष - 628

प्रकरणों की नामवार, हल्कावार जानकारी संधारित नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जिले में सभी किसानों का खसरा, बी-1 आनलाईन अपडेट हो गया है।

### **महासमुंद जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर की मांग व उपलब्धता**

[ऊर्जा]

**54. ( क्र. 2502 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में 1 जनवरी, 2025 से 18 फरवरी, 2026 तक की अवधि में उपभोक्ताओं/कृषकों द्वारा मांग की गई विद्युत ट्रांसफार्मर की संख्या व उपलब्ध कराई गई संख्या माहवार बताएं ? मांग अनुरूप समय पर उपलब्धता में कमी का क्या कारण है ? **(ख)** उपभोक्ताओं/कृषकों को विद्युत कटौती, लोवोल्टेज, ट्रांसफार्मर खराब की स्थिति पर मांग अनुरूप ट्रांसफार्मर आपूर्ति की समय सीमा क्या है ? ट्रांसफार्मर हेतु शुल्क लिये जाने का क्या प्रावधान है ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में विद्युत ट्रांसफार्मर आपूर्ति हेतु अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा क्या-क्या कार्रवाई की गई ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** महासमुंद जिले में 1 जनवरी, 2025 से 18 फरवरी, 2026 तक की अवधि में विद्युत कनेक्शनों को प्रदान करने हेतु 514 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता हुई, जिनमें 286 ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये। माहवार आवश्यकता/उपलब्ध कराये गये ट्रांसफार्मर की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। शेष 228 ट्रांसफार्मर की मांग सिंचाई पंप ऊर्जाकरण योजना के अंतर्गत नवीन कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु हैं, जिसका लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर ट्रांसफार्मर की स्थापना की जा सकेगी। **(ख)** महासमुंद जिले में सामान्यतः आबादी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जा रही है एवं किसी भी क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या नहीं है। कृषि सिंचाई पंप हेतु पृथकीकृत 11 के.व्ही. फीडर सायंकाल 5 बजे से रात्रि

11 बजे तक बंद किये जा रहे हैं ताकि रहवासी आवासों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति पर मांग अनुरूप शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिनों में ट्रांसफार्मर बदलने अथवा समीपस्थ अन्य वैकल्पिक साधन से विद्युत आपूर्ति बहाल करने की समयसीमा है। स्थायी कनेक्शनों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर शुल्क नहीं लिया जाता है। तथापि अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होने पर ट्रांसफार्मर सहित व्यय राशि का भुगतान आवेदक द्वारा देय है, जो अस्थायी अवधि पूर्णतः उपरांत नियमानुसार समायोजन कर वापस की जाती है। (ग) प्रश्नांक "क" की अवधि में विद्युत ट्रांसफार्मर आपूर्ति हेतु अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

### छत्तीसगढ़ में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं की लागत

[जल संसाधन]

**55. ( क्र. 2505 ) श्री द्वारिकाधीश यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में विगत 03 वर्षों में लघु, मध्यम एवं बृहद सिंचाई परियोजनाओं हेतु स्वीकृत बजट एवं व्यय राशि तथा अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या वर्षवार, परियोजनावार बताएं ? (ख) कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंबित हैं ? प्रत्येक परियोजना की मूल स्वीकृत लागत एवं संशोधित लागत परियोजनावार, वर्षवार बताएं ? विलंब का क्या कारण है ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) छत्तीसगढ़ में विगत 03 वर्षों में लघु, मध्यम एवं बृहद सिंचाई परियोजनाओं हेतु स्वीकृत बजट एवं व्यय राशि तथा अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या की वर्षवार, परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंबित हैं, प्रत्येक परियोजना की मूल स्वीकृत लागत एवं संशोधित लागत तथा विलंब के कारण है की परियोजनावार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

### ग्रामीण क्षेत्रों में नया ट्रांसफॉर्मर, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं ट्रांसफार्मर बदलने के प्रावधान

[ऊर्जा]

**56. ( क्र. 2506 ) श्री धर्मजीत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ऊर्जा विभाग अंतर्गत नया ट्रांसफॉर्मर एवं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने का क्या-क्या प्रावधान है? (ख) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 02 वर्षों में नया ट्रांसफॉर्मर, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने हेतु कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ? (ग) कंडिका "ख" के अंतर्गत कितने नये ट्रांसफॉर्मर, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं? क्या खराब ट्रांसफार्मर बदला गया है एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गयी है ? कितनी लंबित हैं ? लंबितों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा ?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) ऊर्जा विभाग अंतर्गत नया वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाने का प्रावधान नवीन विद्युतीकरण कार्य एवं नये कनेक्शन के आवेदन में आवश्यकतानुसार किया जाता है। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का प्रावधान विद्यमान अधोसंरचना में निम्नदाब लाईन के अंतिम छोर में लो-वोल्टेज की स्थिति निर्मित होने अथवा विद्यमान ट्रांसफार्मर के अतिभारित होने एवं एल.टी. लाईन के विद्यमान लाईन के लंबाई के अनुरूप किये जाने का प्रावधान है। खराब एवं फेल ट्रांसफार्मर को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिनों में एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टों में बदलने अथवा वैकल्पिक साधन से विद्युत आपूर्ति बहाल करने का प्रावधान है। ट्रांसफार्मर की

क्षमता वृद्धि करने हेतु आबादी क्षेत्र में विद्यमान ट्रांसफार्मर क्षमता के अनुरूप 80 प्रतिशत से अधिक विद्युत भार की लोडिंग दर्ज होने पर यथोचित क्षमता वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 2 वर्षों में नवीन/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हेतु 61 नग, खराब ट्रांसफार्मर बदलने हेतु 34 नग एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने हेतु निरंक सूचनाएं प्राप्त हुई। **(ग)** उत्तरांश "ख" के अंतर्गत विगत 02 वर्षों में 21 नग नवीन/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं तथा 40 नग का कार्य प्रगति पर है। खराब ट्रांसफार्मर बदलने हेतु प्राप्त सभी 34 सूचनाओं पर सभी खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु प्राप्त सूचना निरंक है। नये ट्रांसफार्मर/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने के लंबित 40 नग कार्य जुलाई, 2026 तक किये जाने के प्रयास रहेंगे, साथ ही 3 स्थानों पर स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि भी स्वीकृत की गई है, जिनके कार्य प्रगतिरत है।

### राज्य में भूमि डायवर्सन की नवीन प्रक्रिया

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**57. ( क्र. 2515 ) श्रीमती चातुरी नन्द :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी को 14 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा उक्त अवधि में आदेश पारित न होने की स्थिति में स्वतः डायवर्सन लागू होने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो यह व्यवस्था राज्य में किस तिथि से प्रभावशील हुई है तथा इसके लिए जारी अधिसूचना/परिपत्र का विवरण दे? **(ख)** क्या उक्त स्वतः डायवर्सन की व्यवस्था छोटे-बड़े झाड़ के जंगल, जलमग्न भूमि, घास भूमि, आवंटित भूमि एवं चारागाह मद की भूमि पर लागू नहीं की गई है? यदि हाँ, तो ऐसे प्रकरणों में प्राप्त डायवर्सन आवेदनों को निरस्त करने की विधि, सक्षम प्राधिकारी, समय-सीमा क्या है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जी हाँ। विभागीय अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2025 अनुसार नियम-12 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा भूमि के व्यपवर्तन हेतु देय प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित भू-राजस्व जमा करने के उपरांत व्यपवर्तन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को प्रारूप-एक में जमा करने के 15 कार्य दिवस में निराकरण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित है। उक्त अवधि में आदेश पारित न होने की स्थिति में स्वतः डायवर्सन का प्रावधान नियम-14 में किया गया है। **(ख)** स्वतः डायवर्सन की व्यवस्था ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से की गई है जिसमें शासकीय भूमि (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल, जलमग्न भूमि, घास भूमि, आवंटित भूमि एवं चारागाह मद इत्यादि) जो धारणाधिकार में नहीं है के संबंध में पोर्टल में भुईया के अभिलेख के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने के कारण आवेदन किया जाना संभव नहीं है।

### सरायपाली एवं बसना तहसील में शासकीय/ हस्तांतरित भूमि का नामांतरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**58. ( क्र. 2517 ) श्रीमती चातुरी नन्द :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023 से दिनांक 15 फरवरी, 2026 तक सरायपाली एवं बसना तहसील में कितनी शासकीय/अहस्तांतरणीय भूमि का नामांतरण किया गया है? खसरा क्रमांक, गांव का नाम, नामांतरण विवरण सहित जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रत्येक प्रकरण में कलेक्टर, महासमुंद की अनुमति प्राप्त की गई थी? यदि हाँ तो अनुमति प्राप्त प्रकरण की जानकारी तहसीलवार बताएं? **(ग)** क्या सरायपाली तहसील के अंतर्गत पालीडीह अथवा सरायपाली/बसना तहसील में कलेक्टर महासमुंद की बिना अनुमति के शासकीय/अहस्तांतरणीय भूमि का नामांतरण किया गया है? यदि हाँ तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :**(क) प्रश्नाधीन अवधि में सरायपाली तहसील में पुराने बंदोबस्त अभिलेखों में शासकीय दर्ज भूमि के 02 खसरों का नामांतरण किया गया है। सरायपाली तहसील के उक्त प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम	खसरा	प्रकरण क्रमांक
1	पैकिन	606	202411122100002
2	पैकिन	610	CG 2024 SRP-1-627

बसना तहसील के संबंध में जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संबंध में कलेक्टर, जिला महासमुंद से अनुमति नहीं ली गई थी। (ग) सरायपाली तहसील के अंतर्गत पालीडीह एवं बसना तहसील में कलेक्टर महासमुंद की बिना अनुमति के शासकीय/अहस्तांतरणीय भूमि के नामांतरण के संबंध में जानकारी निरंक है। सरायपाली तहसील अंतर्गत ग्राम पैकिन में स्थित भूमि खसरा नंबर 606 एवं 610 रकबा क्रमशः 0.810, 0.810 हे. का कलेक्टर महासमुंद की बिना अनुमति के शासकीय/अहस्तांतरणीय भूमि का नामांतरण किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उक्त प्रकरण की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में उक्त भूमि पूर्व के मिसल अभिलेख तथा वर्ष 1955-56 के अधिकार अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज पाया गया किन्तु वर्तमान बंदोबस्त अभिलेखों में उक्त भूमि भूमिस्वामी मद में दर्ज है। प्रकरण में विस्तृत जांच प्रक्रियाधीन है।

### राजनांदगांव वृत्त में 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का संचालन

[ऊर्जा]

**59. ( क्र. 2520 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव वृत्त के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 19/02/2026 तक 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की संख्या कितनी है एवं संचालन हेतु किन-किन ठेकेदारों (प्लेसमेंट) को निविदा के माध्यम से किन-किन शर्तों के आधार पर आदेशित किया गया है तथा प्रत्येक उपकेन्द्रों के संचालन हेतु कितने आपरेटरों की नियुक्ति की गई है? (ख) उपरोक्त आपरेटरों को निविदा शर्तों के अनुसार कितना वेतन भुगतान किया जा रहा है एवं कितनी ई.पी.एफ राशि काटी जा रही है एवं कब-कब शासन के खाते में जमा की गई है? वर्षवार, जिलावार, ईपीएफ जमा की राशिवार जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** (क) राजनांदगांव वृत्त के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 69, वर्ष 2023-24 में 73, वर्ष 2024-25 में 80 नग 33/11 केव्ही के उपकेन्द्र थे एवं वर्तमान में कुल 82 उपकेन्द्र स्थापित है। वर्तमान में स्थापित 82 उपकेन्द्रों के संचालन हेतु 6 प्लेसमेंट एजेंसी क्रमशः (1) मेसर्स तनु रिजवी, (2) मेसर्स एन. विश्वनाथ, (3) मेसर्स भिलाई कंस्ट्रक्शन्स, (4) मेसर्स जे.एम.डी. सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, (5) मेसर्स आई.पी. पटेल प्लेसमेंट एजेंसी, (6) मेसर्स कंचन क्रियेशन इंदौर को अवार्ड किया गया है एवं 328 ऑपरेटरों की नियुक्ति की गयी है। शर्तें निविदा में निहित प्रावधानों के तहत है, जो कि **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।** (ख) ऑपरेटरों को वेतन के रूप में कलेक्टर दर पर प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है तथा 12% राशि प्रतिमाह ईपीएफ मद में काटी जा रही है। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वेतन (राशि रूपये में)			ई.पी.एफ. (राशि रूपये में)		
	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	राजनांदगांव	मोहला-मानपुर	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
2022-23	10,64,25,2990	0	0	1,33,61,6190	0	0
2023-24	1,99,52,244	50,01,835	93,23,782	25,04,989	6,27,977	11,70,594
2024-25	2,17,53,643	60,91,304	99,80,164	27,31,154	7,64,759	12,53,003
2025-26 (अद्यतन)	1,87,16,547	52,00,030	86,36,910	23,49,849	6,52,860	10,84,358

### छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों के पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया

[उच्च शिक्षा]

**60. ( क्र. 2523 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों के लगभग 595 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही सितम्बर, 2025 में पूर्ण की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या दस्तावेज सत्यापन के दौरान परीक्षणकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थियों से शोध अनुभव के साथ सफलतापूर्वक डॉक्टरेट के विद्यार्थियों का मागदर्शन करने का साक्ष्य मांगा गया, जबकि राजपत्र दिनांक 08/06/2023 की कंडिका 06 **(क)** (02) में "और/अथवा" शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि विकल्पात्मकता का घोटक है? **(ख)** क्या आयोग एवं विभाग द्वारा "और/अथवा" की व्याख्या केवल "और" के रूप में किया जाना राजपत्र की मूल भावना एवं मंशा के विपरीत है? **(ग)** यदि हां तो "और/अथवा" की व्याख्या व्याकरणिक एवं विधिक दृष्टि से सही रूप में लागू किये जोन हेतु क्या निर्देश जारी किए गए हैं/किए जाएंगे?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जी हां। जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

### जांजगीर-चाम्पा जिले में डोलोमाईट, चूना पत्थर एवं अन्य खनिज खदानों का संचालन

[खनिज साधन]

**61. ( क्र. 2525 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में कितनी खनिज खदानें संचालित हैं? उक्त खदानों से कौन-कौन से खनिज निकाले जा रहे हैं? संचालनकर्ताओं के नाम, पता सहित विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या संचालित खदानों को बफर जोन/ग्रीन बेल्ट/बेरियर जोन रखना अनिवार्य है? यदि हां, तो कितनी क्षेत्रफल की? जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** जिले में संचालित कौन-कौन सी खदानों ने बफर जोन/ग्रीन बेल्ट/बेरियर जोन में टेन कर रखा है? कितने खदानों ने नहीं? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें एवं उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध वर्ष 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में कुल 160 खदानें संचालित हैं, जिनमें से चूनापत्थर, डोलोमाईट, साधारण पत्थर, गौण खनिज चूनापत्थर, साधारण मिट्टी (ईट) एवं साधारण रेत खनिज निकाले जा रहे हैं। शेष जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। धात्विक खान अधिनियम, 1961 के प्रावधान आकृष्ट होने वाले खदानों में 7.5 मीटर, गौण खनिज साधारण रेत हेतु नदी के दोनों तटों से नदी की चौड़ाई का 10 प्रतिशत क्षेत्र तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के गाईडलाईन अनुसार साधारण मिट्टी (ईट) के उत्खनिपट्टा में 01 मीटर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र रखा जाना प्रावधानित है। **(ग)** जिले में संचालित खदानों में से 17 खदानों द्वारा बफर जोन/ग्रीन बेल्ट/बेरियर जोन संधारित किया गया है जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** अनुसार है। शेष जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

### ग्रामों का रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण /बंदोबस्त

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**62. ( क्र. 2528 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में अंतिम बार रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण/ बंदोबस्त कब किया गया? उक्त कार्य संपूर्ण प्रदेश में किया गया था अथवा कुछ क्षेत्रों को छोड़ा गया था? यदि हां तो कारण बताएं? बंदोबस्त किए गये एवं नहीं किए गये क्षेत्रों की विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या जिला बिलासपुर के गांवों के रिकॉर्ड में त्रुटि के कारण

रजिस्ट्री/नामांतरण नहीं किये जाने अथवा खसरा रकबा का गलत नाम पर रिकार्ड में दर्ज होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो कितनी-कितनी शिकायतें, कहां-कहां से प्राप्त हुई? तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश "ख" संबंधी त्रुटि सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो क्या-क्या कार्रवाई की गई? त्रुटि सुधार का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

### प्रदेश में वृक्षारोपण की असफलता पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**63. ( क्र. 2529 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023 से 20 फरवरी, 2026 तक प्रदेश में किन-किन जिलों में कितने-कितने वृक्षारोपण किए गये? किए गए वृक्षारोपण में कितने एवं कहां-कहां के वृक्षारोपण असफल रहे? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के संबंध में विभाग द्वारा उक्त असफल वृक्षारोपण की रिपोर्ट तैयार की गई थी? यदि हां, तो वृक्षारोपण असफल होने हेतु जिम्मेदार /अधिकारियों कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** वर्ष 2023 से 20 फरवरी, 2026 तक प्रदेश में जिलेवार रोपित पौधों की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र " अनुसार है। विभागीय प्रावधानों के तहत वृक्षारोपण के 03 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत रोपण की सफलता का मूल्यांकन कराये जाने का प्रावधान है। वृक्षारोपण वर्ष 2023 एवं उसके बाद किये गये वृक्षारोपण की सफलता का मूल्यांकन नहीं हुआ है, इसलिए असफलता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

### छत्तीसगढ़ भू-राजस्व अंतर्गत विलुप्त हुए चांदे एवं पारगामी भर्ती हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएं

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**64. ( क्र. 2530 ) श्री इंद्र साव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में कुल कितने चांदे हैं एवं उनमें से कितने चांदे वर्तमान में मौजूद हैं तथा कितने चांदे विलुप्त हैं? **(ख)** विलुप्त चांदों को पुनर्स्थापित करने के लिए भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार गणितीय टॉवर्स डाटा की सहायता से अपनायी जाने वाली पद्धति की जानकारी देवें ? **(ग)** वर्तमान में राजस्व विभाग में चांदों के सर्वेक्षण एवं पुनर्स्थापित हेतु कितने पारगामी पदस्थ हैं तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ? जानकारी दें? **(घ)** पारगामी भर्ती नियम के अनुसार पारगामी की आवश्यक निर्धारित योग्यता की जानकारी देवें ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** विधानसभा क्षेत्र भाटापारा अंतर्गत कुल 1751 चांदे स्थापित किये गये थे, जो वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। सभी कुल 1751 चांदे विलुप्त है। **(ख)** विलुप्त चांदों को पुनर्स्थापित करने के लिए भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार गणितीय ट्रावर्स डाटा की सहायता से अपनायी जाने वाली पद्धति की जानकारी के लिए भू-अभिलेख राजस्व भू-मापन (केडस्ट्रल सर्वे) संबंधित अनुदेश प्रपत्र में संलग्न है। **(ग)** राजस्व विभाग में चांदों के सर्वेक्षण एवं पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत पारगामी के सभी 08 पद रिक्त है। शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** भर्ती नियम के अनुसार पारगामी की आवश्यक निर्धारित योग्यता निम्नानुसार है:-  
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" ]**

**जनसंपर्क विभाग द्वारा व्यय राशि**

[जनसंपर्क]

**65. ( क्र. 2536 ) श्री मोतीलाल साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्तमान में कितने समाचार पोर्टल इम्पेनल हैं? वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 (01.01.2026 तक) राज्य सरकार द्वारा डिजिटल समाचार पोर्टल्स , समाचार पत्रों , टी0वी0 चैनलों, रेडियो स्टेशनों को जारी सरकारी विज्ञापन और आबंटित राशि का विवरण देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :**जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्तमान में 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल हैं। वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 (01-01-2026 तक) राज्य सरकार द्वारा डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों, रेडियो स्टेशनों को जारी सरकारी विज्ञापन और आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये में)

अवधि	विज्ञापन संख्या/आबंटित राशि	2023-24	2024-25	2025-26 (01-01-2026 तक)
डिजिटल समाचार पोर्टल	विज्ञापन संख्या	3071	2254	3294
	आबंटित राशि	65,24,91,250	15,67,22,540	22,20,40,969
समाचार पत्र	विज्ञापन संख्या	12847	10468	16008
	आबंटित राशि	1,45,34,26,663	67,95,91,182	76,16,89,086
टी.वी. चैनलों एवं रेडियो स्टेशन	विज्ञापन संख्या	1924	765	855
	आबंटित राशि	1,71,32,87,621	76,38,66,311	71,87,35,576

डिजिटल समाचार पोर्टल, समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों तथा रेडियो स्टेशनों को आबंटित राशि की सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

**राज्य शासन द्वारा अकाल मृत्यु पर देय सहायता राशि**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**66. ( क्र. 2537 ) श्री मोतीलाल साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य शासन द्वारा अकाल मृत्यु (आपातकालीन परिस्थितियों ) पर कितनी राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किस-किस को, कब-कब, कितनी-कितनी मुजावजा राशि प्रदान की गई है? **(ख)** कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि लंबित है? कितने प्रकरणों को निरस्त अथवा अपात्र घोषित किया गया है?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक विपत्तियों के कारण मृत्यु होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार प्रति व्यक्ति रूपये 4.00 लाख देने का प्रावधान है। प्रश्नाधीन अवधि में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मृतकों के परिजनों को दी गई आर्थिक अनुदान सहायता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** कोई प्रकरण लंबित नहीं है। कोई प्रकरण निरस्त अथवा अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

**[ संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ" ]****नामांतरण, बंटवारा, फौती, सीमांकन आदि के निराकृत एवं लंबित प्रकरण**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**67. ( क्र. 2545 ) श्रीमती संगीता सिन्हा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अविवादित

एवं विवादित नामांतरण, अविवादित एवं विवादित बंटवारा, फौती उठाने, सीमांकन एवं पट्टा नवीनीकरण के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? तहसीलवार जानकारी दें? **(ख)** कण्डिका 'क' के कितने प्रकरणों को निर्धारित समयसीमा में निराकृत किया गया है? कितने को निर्धारित समयसीमा के बाद निराकृत किया गया है एवं कितने प्रकरण किन कारणों से कितनी समयावधि से लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) : (क)** जिला बालोद में संजारी-बालोद में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील बालोद व तहसील गुरूर में जनवरी, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक बंटवारा, फौती नामांतरण/नामांतरण, सीमांकन, पट्टा नवीनीकरण के प्राप्त आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	मद का नाम	तहसील बालोद	तहसील गुरूर	योग
1	अविवादित नामांतरण	3447	6333	9780
2	विवादित नामांतरण	435	387	822
3	अविवादित बंटवारा	905	1849	2754
4	विवादित बंटवारा	145	386	531
5	फौती उठाने	2429	1710	4139
6	सीमांकन	89	514	603
7	पट्टा नवीनीकरण	0	0	0
योग		7450	11179	18629

**(ख)** जिला बालोद में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील बालोद व तहसील गुरूर में निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	मद का नाम	तहसील बालोद			तहसील गुरूर		
		कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत	लंबित	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत	लंबित
1	अविवादित नामांतरण	3447	3018	429	6333	6197	136
2	विवादित नामांतरण	435	398	37	387	365	22
3	अविवादित बंटवारा	905	747	158	1849	1799	50
4	विवादित बंटवारा	145	119	26	386	356	30
5	फौती उठाने	2429	2168	261	1710	1640	70
6	सीमांकन	89	52	37	514	509	05
7	पट्टानवीनीकरण	0	0	0	0	0	0
योग		7450	6502	948	11179	10866	313

तहसील बालोद अंतर्गत 948 आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष है जिसमें से विवादित नामांतरण का 01 प्रकरण विवादित प्रकृति का होने के कारण फर्द बंटवारा प्रस्ताव अप्राप्त होने से लंबित है फर्द बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होते ही शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा एवं विवादित नामांतरण हेतु 01 प्रकरण लंबित है जो वर्तमान में न्यायालय अपर कलेक्टर बालोद में पुनरीक्षण निराकरण हेतु लंबित है। पुनरीक्षण निराकरण पश्चात शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा तथा शेष 946 प्रकरण समय सीमा के भीतर है जिसका समय सीमा के भीतर निराकरण कर लिया जायेगा। तहसील गुरूर अंतर्गत 313 आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष है। लंबित आवेदन समय-सीमा के भीतर है, जिसका निराकरण समय-सीमा में कर लिया जायेगा।

### **विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य**

[जल संसाधन]

**68. ( क्र. 2551 ) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021 से 19/02/2026 तक महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य किस-

किस योजना/मद से कब-कब स्वीकृत किए गए हैं ? वर्षवार /मदवार विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार उक्त स्वीकृत कार्यों की पूर्ण /अपूर्ण/अप्रारंभ की जानकारी देवें? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? बतावें? **(ग)** अपूर्ण अथवा अप्रारंभ कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? बतावें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** वर्ष 2021 से 19/02/2026 तक महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की वर्षवार / मदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** अपूर्ण अथवा अप्रारंभ कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - छैसठ" \]](#)

### अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**69. ( क्र. 2562 ) श्री किरण देव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 19-02-2026 तक कितने कार्य, कितनी-कितनी लागत के, कहां-कहां स्वीकृत किये गये? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कितने किन कारणों से अप्रारंभ हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 19.02.2026 तक स्वीकृत 18 कार्यों की लागत सहित विकासखंडवार एवं ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत 18 कार्यों में से 12 कार्य पूर्ण एवं 5 कार्य अपूर्ण तथा 01 कार्य अन्य योजना से स्वीकृत होने के कारण अप्रारंभ है। अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। **(ग)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता के संबंध में किसी भी तरह की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी निरंक है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ" \]](#)

### वनमंडल मरवाही अंतर्गत कार्यों में हुई अनियमितता पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**70. ( क्र. 2568 ) श्री अटल श्रीवास्तव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वनमंडल मरवाही अंतर्गत वर्ष 2023 से 2025 तक कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है? अगर हाँ तो वर्ष, योजना, कार्य स्थान, राशि की जानकारी क्या है तथा कार्यों में क्या क्या अनियमितता पाई गई है एवं दोषी किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** हाँ। प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ" एवं "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।**

### सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में खनिज न्यास मद से स्वीकृत कार्य

[खनिज साधन]

**71. ( क्र. 2575 ) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक जिला खनिज न्यास मद से कौन-कौन से निर्माण कार्यों की स्वीकृति कहाँ-कहाँ हुई, जानकारी देवें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** जानकारी "संलग्न प्रपत्र अनुसार" है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ" ]

### नवीन/पूर्व मिसल बंदोबस्त के प्रकरणों में भूमि अभिलेख में त्रुटि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**72. ( क्र. 2579 ) श्रीमती गोमती साय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जशपुर अंतर्गत पथलगांव विधानसभा क्षेत्र में नवीन एवं पूर्व मिसल बंदोबस्त के प्रकरणों में भूमि अभिलेखों (खसरा, बी-1, नक्शा आदि) में पाई गई त्रुटियों की वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक ऐसे कितने प्रकरण सामने आए जिनमें नामांतरण, रकबा, सीमांकन, वर्गीकरण अथवा स्वामित्व संबंधी त्रुटियाँ पाई गईं? विकासखण्डवार आंकड़े उपलब्ध कराएं? **(ग)** इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कितने लंबित हैं? **(घ)** त्रुटियों के प्रमुख कारण क्या पाए गए (जैसे सर्वे त्रुटि, अभिलेख अद्यतन में विलंब, तकनीकी त्रुटि आदि)? **(ङ)** संबंधित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु कितने प्रकरणों में विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला जशपुर के विधानसभा क्षेत्र पथलगाँव में नवीन एवं पूर्व मिसल बन्दोबस्त के भूमि अभिलेखों में पाई गई त्रुटि के संबंध में बन्दोबस्त त्रुटि सुधार के कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। **(ख)** विधानसभा पथलगाँव क्षेत्र अन्तर्गत नामांतरण, सीमांकन, अभिलेख त्रुटि सुधार संबंधी दर्ज किये गये प्रकरणों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** विधानसभा पथलगाँव क्षेत्र अन्तर्गत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा एवं अभिलेख त्रुटि सुधार संबंधी दर्ज एवं निराकरण किये गये प्रकरणों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (घ)** विधानसभा क्षेत्र पथलगाँव में नामान्तरण एवं सीमांकन में त्रुटि की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व अभिलेखों में तकनीकी त्रुटि एवं अन्य कारणों से हुए त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है। **(ङ)** जिला जशपुर के विधानसभा क्षेत्र पथलगाँव में नवीन एवं पूर्व मिसल बन्दोबस्त के भूमि अभिलेखों में पाई गई त्रुटि के संबंध में कोई मामला लंबित नहीं होने के कारण तथा त्रुटि सुधार के लंबित प्रकरण में कोई गंभीर मामला नहीं होने के कारण किसी राजस्व अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

[ संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर" ]

### हेलीकाप्टर व विमान के लिए किया गया भुगतान

[विमानन]

**73. ( क्र. 2580 ) श्री देवेन्द्र यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में दिसंबर, 2023 से 19 फरवरी, 2026 तक हेलीकाप्टर व विमान के लिए कुल कितना भुगतान किन-किन कार्यों के लिए किया गया? इसमें निजी हेलीकाप्टर व विमान सेवा के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस फर्म को, किस आधार पर भुगतान की गई? कार्यवार, फर्मवार जानकारी दें? **(ख)** कंडिका "क" की अवधि में उक्तानुसार कार्यों के लिए क्या-क्या शिकायतें, किसके द्वारा की गईं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई विवरण दें?

**मुख्यमंत्री ( श्री विष्णु देव साय ) :** **(क)** प्रदेश में दिसंबर, 2023 से 19 फरवरी, 2026 तक हेलीकाप्टर एवं विमान के लिए किये गये भुगतान तथा निजी हेलीकाप्टर व विमान सेवा के लिए कार्यवार व फर्मवार किये गये राशि भुगतान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्ष 2023 में किये गये रेट इम्पैनलमेंट के आमंत्रित

किराया दर की स्वीकृति के आधार पर निजी हेलीकॉप्टर एवं विमान सेवा के लिए राशि का भुगतान किया गया। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर" \]](#)

### **दुर्ग संभाग में निजी महाविद्यालयों का संचालन**

[उच्च शिक्षा]

**74. ( क्र. 2582 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
**(क)** दुर्ग संभाग में कितने निजी महाविद्यालय किन-किन नामों से संचालित हैं एवं उक्त महाविद्यालयों को शासन के द्वारा किन-किन मद से कितना-कितना अनुदान दिया गया है? जानकारी देवें? **(ख)** वर्ष 2023 से दिनांक 19 फरवरी, 2026 तक इन महाविद्यालयों का निरीक्षण किनके द्वारा किया गया एवं अनियमितता पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें एवं अनियमितता पाये जाने के कारण कितने महाविद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है ? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रा/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो महाविद्यालयवार कितने -कितने छात्रा/छात्राओं को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई व कितनी शेष हैं ? क्या इस संबंध में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? जानकारी देवें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

### **राजस्व न्यायालय में लंबित बटवारानामा, नामांतरण, फौत के मामले**

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

**75. ( क्र. 2608 ) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-  
**(क)** जिला राजनांदगांव व केसीजी में वर्ष 2023-24 से आज पर्यन्त तक राजस्व न्यायालय में बटवारानामा, नामांतरण, फौत के कितने प्रकरण दर्ज हैं दर्ज प्रकरणों में से कितने पूर्ण है कितने अपूर्ण हैं एवं दिनांक 15.02.2026 तक कितने प्रकरण लंबित हैं, वर्षवार विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** जिला/अनुभाग/तहसील में विगत एक वर्ष से कितने राजस्व न्यायालय बटवारा, नामांतरण,फौत के कितने प्रकरण लंबित हैं और क्यों ? कारण सहित पूर्ण जानकारी देवे? **(ग)** क्या लंबित राजस्व प्रकरण किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से लंबित हैं ? यदि हां तो उक्त अधिकारी के ऊपर दिनांक 15.02.2026 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई व की जाना प्रस्तावित है जानकारी देवें?

**राजस्व मंत्री ( श्री टंक राम वर्मा ) :** **(क)** जिला राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई मे वर्ष 2023-24 से 15.02.2026 तक राजस्व न्यायालय में बटवारा, नामांतरण के दर्ज, निराकृत, लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। **(ख)** जिला राजनांदगांव में विगत एक वर्ष से अधिक के लंबित बटवारा के कुल 02 प्रकरण एवं नामांतरण के कुल 02 प्रकरण है। जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है तथा जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई की जानकारी निरंक है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर" \]](#)

### प्रदेश में लघु वनोपज संग्रहण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**76. ( क्र. 2641 ) श्री कवासी लखमा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कितने प्रकार के कौन-कौन से लघु वनोपजों का संग्रहण होता है? कितने संग्रहण केन्द्र हैं? किन-किन वनोपज का कितना-कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है तथा वानिकी वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 में 15.02.2026 तक कितनी-कितनी मात्रा में वनोपज का संग्रहण हुआ? संग्रहीत वनोपज का राज्य सरकार द्वारा कितनी मात्रा में किस दर पर खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया था और कितनी खरीदी की गई? जानकारी वर्षवार अलग-अलग बतावें? **(ख)** प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण वानिकी वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किन-किन वर्षों में कितनी मात्रा में किस दर पर (प्रति मानक बोरा) तेन्दूपत्ता खरीदी का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य के अनुरूप कितनी मात्रा में किस दर पर खरीदी की गई? कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बतावें? **(ग)** किन-किन वर्षों में कितने हिताहियों को तेन्दूपत्ता बोनस की कितनी राशि वितरण करना था? उनमें से कितने हिताहियों को वितरण किया जा चुका है? कितना शेष है और कब तक वितरण कर दी जाएगी? वर्षवार बतावें?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** **(क)** प्रदेश में कुल 67 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण होता है। लघु वनोपज संग्रहण हेतु कोई स्थाई प्रकृति का संग्रहण केन्द्र संचालित नहीं है। लघु वनोपजों की उपलब्धता तथा संग्राहकों की सुविधा अनुसार ग्राम एवं हाट बाजारों में लघु वनोपजों का क्रय महिला समूहों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 में 15.02.2026 तक वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दर, समर्थन मूल्य दर एवं संग्रहण मात्रा **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है(ख)** तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, अपितु संग्राहकों द्वारा विक्रय हेतु लिए गए निर्धारित मानक/गुणवत्ता वाले सभी पत्तों की खरीदी की जाती है। प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तेन्दूपत्ता खरीदी हेतु दर एवं खरीदी की मात्रा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा मानक बोरा (लाख में)	संग्रहण दर (रू. प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4
1.	2023	12.94	4,000
2.	2024	15.56	5,500
3.	2025	13.57	5,500

तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन 2023 का तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का भुगतान होना शेष हैं। तेन्दूपत्ता संग्रहण 2024 एवं 2025 का तेन्दूपत्ता का संपूर्ण विक्रय एवं विक्रय राशि की प्राप्ति शेष होने के कारण प्रोत्साहन राशि की गणना नहीं हुई है। **(ग)** तेन्दूपत्ता सीजन वर्ष 2023 में कुल 7,15,225 हिताहियों को राशि 162.32 करोड़ रूपये वितरण किया जाना है, इस राशि का वितरण चार माह के समयावधि में कर दिया जाएगा।

[\[ संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर" \]](#)

### तेलीबांधा में कृष्ण कुंज उद्यान निर्माण हेतु व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**77. ( क्र. 2899 ) श्री सुशांत शुक्ला :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कृष्ण कुंज गार्डन, तेलीबांधा रायपुर के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई? निर्माण में कितना व्यय संभावित है? गार्डन का निर्माण कब तक पूर्ण किया जाना है? क्या गार्डन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं तो अद्यतन स्थिति बताएं? निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के गार्डन की निर्माणाधीन/निर्मित दीवार को तोड़कर मुख्य मार्ग से जोड़कर डामरयुक्त सड़क का निर्माण किया गया है? यदि हां तो सड़क

निर्माण कितनी लागत से एवं किस प्रयोजन से किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" के सड़क निर्माण का स्थानीय नागरिकों द्वारा विरोध किया गया अथवा शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हाँ तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति बतावें ?

**वन मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) कृष्ण कुंज गार्डन, तेलीबांधा रायपुर के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 29.08.2022 को प्रदान की गई। निर्माण में कुल राशि रूपये 147.33 लाख व्यय हुआ है। गार्डन का निर्माण मार्च 2023 तक किया जाना था, जो पूर्ण कर लिया गया है।(ख) सड़क निर्माण का कार्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिये प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

---

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पंरीशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1367) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	वर्ष	तहसील का नाम	पक्षकार का नाम एवं ग्राम का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	8
1	2022-2023	पत्थलगांव	छोगोशासन विरुद्ध श्यामनारायण गुप्ता ग्राम पालीडीह	प्रचलनशील
2	2022-2023	पत्थलगांव	सुन्दरी बाई विरुद्ध अशोक गुप्ता ग्राम पत्थलगांव	प्रचलनशील
3	2022-2023	पत्थलगांव	धरमसाय विरुद्ध भोजराम वगै ग्राम तिलडेगा	दिनांक 22.11.2024 को मूल भूमिस्वामी / आदिवासी के वारिशानों को भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया।
4	2022-2023	पत्थलगांव	कौशल्या विरुद्ध श्यामसुन्दर वगैरह ग्राम लुडेग	प्रचलनशील
5	2022-2023	पत्थलगांव	गायत्री विरुद्ध प्रेमचन्द गुप्ता ग्राम बागबहार	दिनांक 30.08.2024 को मूल भूमिस्वामी / आदिवासी के वारिशानों को भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया।
6	2022-2023	पत्थलगांव	पवन साय विरुद्ध फुलो पन्ना वगैरह ग्राम पालीडीह	प्रचलनशील
7	2022-2023	पत्थलगांव	संतोष विरुद्ध डिलेश्वर यादव ग्राम बुलडेगा	दिनांक 22.01.2024 को प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से खारीज किया गया।
8	2022-2023	पत्थलगांव	जोधन विरुद्ध तोता राम वगैरह ग्राम मुड़ापारा	दिनांक 22.09.2025 को प्रकरण में धारा 170 (ख) आकर्षित नहीं होने से प्रकरण खारीज
9	2022-2023	पत्थलगांव	भीमसेन विरुद्ध कुरसो यादव वगैरह ग्राम चिकनीपानी	दिनांक 12.01.2022 को प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से खारीज किया गया।

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

10	2022-2023	पत्थलगांव	चमरा राम वगैरे विरुद्ध सुरेन्द्र वगैरेह ग्राम मुडेकेला	प्रचलनशील
11	2022-2023	पत्थलगांव	मुन्नी राम विरुद्ध उद्धो राम वगै ग्राम पाकरगांव	दिनांक 09.05.2025 को प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से खारीज किया गया।
12	2022-2023	पत्थलगांव	गजपति सिंह विरुद्ध प्रसन्न वगैरेह ग्राम कोकियाखार	दिनांक 29.09.2025 को प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से खारीज किया गया।
13	2023-2024	पत्थलगांव	वेदप्रकाश विरुद्ध श्यामनाथ वगैरेह ग्राम गोलियागढ़	दिनांक 16.01.2026 को प्रकरण खारीज किया गया।
14	2023-2024	पत्थलगांव	निहारी मिंज विरुद्ध गोविन्द प्रसाद वगै ग्राम शेखरपुर	दिनांक 30.01.2026 को प्रकरण खारीज किया गया।
15	2023-2024	पत्थलगांव	दिलसाय भगत विरुद्ध महेन्द्र सिंह वगै ग्राम मुडेकेला	प्रचलनशील
16	2024-2025	पत्थलगांव	जगरन्नाथ विरुद्ध दिलेश्वर वगैरेह ग्राम केराकछार	दिनांक 22.09.2025 को प्रकरण खारीज किया गया।
17	2024-2025	पत्थलगांव	महेन्द्र वगै विरुद्ध प्रमोद वगैरेह ग्राम तिलडेगा	प्रचलनशील
18	2024-2025	पत्थलगांव	लक्ष्मण सिदार विरुद्ध मिनकेतन यादव ग्राम तिलडेगा	प्रचलनशील
19	2024-2025	पत्थलगांव	जोसेफ विरुद्ध धनेश्वर ग्राम टुकूपखना	दिनांक 18.09.2025 को प्रकरण खारीज किया गया।

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परीशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 2498) की जानकारी

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रु. में)	फर्म/एजेंसी का नाम जिन्हें भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि (रु. में)	शेष भुगतान की राशि (रु. में)	भुगतान शेष होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024-25	10-2406 (2536) पर्यावरण वानिकी	वनमहोत्सव	1	571555	-	-	-	-
2024-25	10-2406 (2965) बिगड़े वनों का सुधार	सुरक्षा कार्य	22	4634835	-	-	-	-
2024-25	10-2406 (3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन	ए.एन.आर.	55	17082674	-	-	-	-
2024-25	10-2406 (7089) किसान वृक्ष मित्र योजना	पौधा वितरण	1	11111952	-	-	-	-
2024-25	41-2406 (6516) ग्रा.व.स. के माध्यम से लघुवनीषी रोपण	सुरक्षा कार्य	6	999964	-	-	-	-
2024-25	41-2406 (6992) वनअधिकारों की मान्यता	मुनारा निर्माण	178	89114	-	-	-	-
2024-25	64-2406 (2962) बिगड़े वनों का सुधार	सुरक्षा कार्य	14	3533459	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	भूविपरीत स्थिति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष	5 स्थल	41585854	ए.ए.जी. इन्टरप्राइज, रायपुर	6389366	नहीं है	-
					रितिशा सेल्स, सागर	997649	नहीं है	-
					केदारनाथ इन्फोकॉम	1098183	नहीं है	-
					श्याम सोड नर्सरी	225930	नहीं है	-
					अग्रहरी प्लारिस्टिक	66699	नहीं है	-
					ए.आर. इंट्रस्ट्रिज	217691	नहीं है	-
					संकटमोवन ट्रेडर्स, बिलासपुर	1913424	नहीं है	-
					श्याम सोड नर्सरी	475439	नहीं है	-
					देशराज इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड बोयटल्स, अठिकापुर	4606708	नहीं है	-
					टी.एम.कृषियुग, बिलासपुर	1357550	नहीं है	-
					रितिशा सेल्स, सागर	671664	नहीं है	-
					आर.ए.ओ.सीएसपीडीसीएल बिलासपुर	222075	नहीं है	-
					अप्पी इंडस्ट्रीज, बलसामपुर	2995924	नहीं है	-
					संकटमोवन ट्रेडर्स, बिलासपुर	625967	नहीं है	-
					मनोज कुमार अग्रवाल	334236	नहीं है	-
					मौर्या नेटिंग वर्क्स इवोर	-	2433445	चैनेलिक की मोटाई निर्धारित माप के अनुसार न होने संबंधी शिकायत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को की गई थी। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, रायपुर के आदेश क्र./मु.व.सं./सर्त.शि./वरि.नि.सहा./75 दिनांक 11.09.2025 द्वारा श्री गुणनाथन एन. (भा.व.सं.) प्रमारी वन संरक्षक (फू-प्रबंध) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई है, जिसका जांच प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रु. में)	फर्म/एजेंसी का नाम जिन्हें भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि (रु. में)	शेष भुगतान की राशि (रु. में)	भुगतान शेष होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024-25	कैम्पा मद	कारिपूर्ति सिंचित बुझारोपण (द्वितीय वर्ष से दशम वर्ष)	18 स्थल	7783500	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	एन.पी.सी मद बुझारोपण (द्वितीय वर्ष से पंचम वर्ष)	6 स्थल	1699888	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	भू-जल संरक्षण परम्पत कार्य	19 नग	7559365	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	आग्नि सुरक्षा कार्य	71 बोट	2916434	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	रट्टाईक फार्स	5 नग	1398900	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	सवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	10 सुरक्षा श्रमिक	1209398	-	-	-	-
2024-25	कैम्पा मद	मुनाच निर्माण कार्य	1777 नग	16841671	जय हनुमान ट्रेडर्स, बिलासपुर	415333	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	वनपरिक्षेत्र अधिकारी निवासगृह निर्माण कार्य	1 नग	1081920	ए आर इंटरप्राइजेस, पेण्डारोड	2112146	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	वनपाल निवासगृह निर्माण कार्य	1 नग	1042957	ए आर इंटरप्राइजेस, पेण्डारोड	866040	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	वनरक्षक निवासगृह निर्माण कार्य	1 नग	677984	जय हनुमान ट्रेडर्स, बिलासपुर	4265993	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	वनरक्षक निवासगृह निर्माण कार्य	1 नग	347160	ए आर इंटरप्राइजेस, पेण्डारोड	4341437	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	हाईटेक नर्सरी (रखरखाव कार्य)	1 स्थल	292024	ए.के.एस. पेण्डारोड	325581	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	एबीफ्रीना	3 स्थल	2112400	पूर्ण प्रगति सामाजिक संस्था, जगदलपुर	160696	नहीं है	-
2024-25	कैम्पा मद	सूचना प्रौद्योगिकी	1 नग	166110	मिस्त्री इन्फोटेक, रायपुर	249900	नहीं है	-
2024-25	मनरेगा	चारागाह विकास कार्य	16	766665	-	-	-	-
2024-25	मनरेगा	फलदार मिश्रित प्रजाति के पौधा तैयारी कार्य 200000 पौधा	1	632000	-	-	-	-
2024-25	मनरेगा	मिश्रित प्रजाति के पौधा तैयारी कार्य 100000 पौधा	1	727218	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रु. में)	फर्म/एजेंसी का नाम जिन्हें मुगतान किया गया	मुगतान की गई राशि (रु. में)	शेष मुगतान की राशि (रु. में)	मुगतान शेष होने का कारण
1 2024-25	2 ग्रीन क्रैडिट मद	3 ग्रीन क्रैडिट वृक्षारोपण योजना	4 17 स्थल	5 805012053	6 केदारनाथ इन्फोकॉन, मुंगोली ए.आर. इंटरप्राइजेस, पेण्डुरोड श्याम सीड नर्सरी, कोरबा साहिल इंटरप्राइजेस, बिलासपुर रितिशा सेल्स, सागर मां नर्मदा सेल्स अंशुल कुमार जैन मनोज कुमार अग्रवाल जय अम्बे सीमेंट प्रोडक्ट श्री सिध्दी विनायक एग्रीकल्चर कंपनी, गुजरात श्री सिध्दी विनायक एग्रीकल्चर, गुजरात शिव शक्ति बायोटेक, गुजरात डिजिटल स्टोरी, भिलाई जयमंगल सिंह, पेण्डुरा स्वीट इंडिया रेस्टोरेंट पेण्डुरा ए.एम.एस. ओरिजन इंडिया, बिलासपुर बब्बाजी ट्रांसपोर्ट, पेण्डुरोड आकाश लेबोरेटरी रायपुर गुजरात लाईफ साइंस, गुजरात बाबरा इंटरप्राइजेस, अंबिकापुर काम्या इंटरप्राइजेस, बिलासपुर श्याम सीड नर्सरी, कोरबा श्याम सीड नर्सरी, कोरबा शुभ एग्रो इंडस्ट्रीज सूरजपुर दीपाली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	7 731791 986037 755197 2062862 2720430 524469 852741 17106109 5868556 667878 146134 742701 616550 115600 84400 94468 541314 1868499 188102 432783 277937 - - - -	8 नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है 248187 नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है 405368 नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है 149250 - - -	9 - - - - मुगतान संबंधी बिल परीक्षण में है। - - - - मुगतान संबंधी बिल परीक्षण की प्रक्रिया में है। - - - - मुगतान संबंधी बिल परीक्षण की प्रक्रिया में है। श्याम सीड नर्सरी के पत्र दिनांक 02.03.26 द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में दर्शित बीज सत्याई से संबंधित जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत सही पाये जाने पर मुगतान की कार्यवाही की जावेगी। वैनलिक की मोटाई निर्धारित माप के अनुसार न होने संबंधी शिकायत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को की गई थी। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, रायपुर के आदेश क्र /मु.व.सं./सर्तशि./वर्ति.नि.सहा./75 दिनांक 11.09.2025 द्वारा श्री गुरुनाथन एन. (शा.व.से.) प्रमारी वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित की गई है, जिसका जांच प्रक्रियाधीन है।
		योग (2024-25) :-		930347154		68658532	3236250	

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रु. में)	फर्म/एजेंसी का नाम जिन्हें भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि (रु. में)	शेष भुगतान की राशि (रु. में)	भुगतान शेष होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025-26	10-2406 (2536) पर्यावरण वानिकी	उन्नयन कार्य एवं	2	919905	ए.आर. इंटरप्राइजेस	495220	नहीं है	-
2025-26	10-2406 (2965) बिगड़े वनों का सुधार	सुरक्षा कार्य	14	5025540	साहिल इंटरप्राइजेस	176400	नहीं है	-
2025-26	10-2406 (3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन	ए.एन.आर.	51	7384739	-	-	-	-
2025-26	10-2406 (7089) किसान वृक्ष मित्र योजना	पौधा वितरण	1	5961234	-	-	-	-
2025-26	41-2406 (6516) ग्रा.व.स. के माध्यम से लघुवनौषधी रोपण	सुरक्षा कार्य	6	252960	-	-	-	-
2025-26	41-2406 (6992) वनअधिकारों की मान्यता	मुनारा निर्माण	0	0	-	-	-	-
2025-26	64-2406 (2962) बिगड़े वनों का सुधार	सुरक्षा कार्य	1	0	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	भक्तिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण प्रथम वर्ष	4 स्थल	0	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	भक्तिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण (द्वितीय वर्ष से दशम वर्ष)	23 स्थल	20232085	शिव शक्ति बायोटेक, गुजरात	345305	नहीं है	-
					सिद्धि विनायक एग्रीकल्चर, गुजरात	184720	नहीं है	-
					सिद्धि विनायक कंपनी, गुजरात	186578	नहीं है	-
					गुजरात लाईफ साईंस प्राइवेट लिमिटेड	139497	नहीं है	-
					श्री लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज	420550	नहीं है	-
					आकाश लेबोरेट्रीज	1158794	नहीं है	-
					शुभ एग्रो इंडस्ट्रीज	6849448	नहीं है	-
					साहिल इंटरप्राइजेस	154350	नहीं है	-
2025-26	कैम्पा मद	एन.पी.डी मद वृक्षारोपण (द्वितीय वर्ष से पंचम वर्ष)	6 स्थल	0	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	एन.पी.डी मद 20 प्रतिशत - हाईटेक नर्सरी	1 स्थल	0	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	10 सुरक्षा श्रमिक	223623	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	स्ट्राइक फोर्स	5 नग	784848	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	आग्नि सीजन	71 बीट	0	-	-	-	-
2025-26	कैम्पा मद	जनकल्याणकारी योजनाओं की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं ड्रोनग्राफी	1 नग	99500	पुखराज फिल्मस्, रायपुर	99500	-	-

वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रु. में)	फर्म/एजेंसी का नाम जिसे भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि (रु. में)	शेष भुगतान की राशि (रु. में)	भुगतान शेष होने का कारण
1	2025-26	मनरेगा	3	5	6	7	8	9
		फलदार मिश्रित प्रजाति के पौधा तैयारी कार्य 100000 पौधा	1	162000	--	--	--	--
		योग (2025-26) :-		41046434	--	10210362	0	--
		कुल योग (2024-25 एवं 2025-26) :-		971393588	--	78868894	3236250	--

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 (विकास योजना/ बजट लेखा एवं ऑडिट)  
 छत्तीसगढ़, अटल नगर  
 धरम

प्रपत्र

**Common List of SEC conducted  
In The Colleges of Bemetara district**

1	CASEC-01	ICT Based Learning
2	PHSEC-01	Basic Electrical Skill
3	ZOSEC-01	Vermiculture & Vermicomposting
4	HNSEC-01	सम्प्रेषण कला एवं सर्जनात्मक हिन्दी
5	GOSEC-01	Principle of Map Making
6	ENSEC-01	Creative Writing
7	COSEC-01	Accounting for Everyone
8	MASEC-01	Introduction to Latex
9	PSSEC-02	Citizenship duties & E-Governance
10	BOSEC-01	Gardening & Floriculture
11	SOSEC-01	Ethics, Politics and skill in social research
12	ECSEC-01	SPSS
13	MASEC-02	Python
14	AHSEC-01	Travel and Tourism
15	ICSEC-01	Water Remediation and Conservation
16	ITSEC-01	MS-Office
17	FSSEC-01	Drawing Foundation
18	GESEC-01	Rain Water Harvesting
19	CHSEC-01	Green Chemistry
20	BTSEC-01	Bio-pesticides and Bio-fertilizers



अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परोशेष्ट - चार


तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2550) की जानकारी

प्रपत्र :- 'अ'

विषय :- रेलवे ओवरब्रिज हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा।  
पंजीयन एवं भुगतान पूर्ण हितग्राहियों की जानकारी

महासमुन्द की ओर

क्र.	सू-स्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा वर्ग मीटर	अर्जित रकबा वर्ग मीटर	चेक क्र.	दिनांक	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कल्लू सोनी पिता सुन्नी लाल सोनी	1190/1/32/ 2/2	81.78	81.780	807065	16.03.2018	2638298.00
2	मनोज कुमार पिता गिरधारी लाल सोनी	1190/1/34	43.35	43.350	807066	16.03.2018	4196339.00
3	मोटेश कुमार सोनी पिता सुब्बाराव	1190/1/33/ 1	43.72	43.720	807067	16.03.2018	4038081.00
4	इन्द्रकुमार सोनी पिता छबीराम सोनी	1190/1/33/ 2	24.18	24.180	807068	16.03.2018	2038163.00
5	रोशन लाल चन्द्राकर पिता छबीराम चन्द्राकर	1190/1/32	210.59	138.000	807069	16.03.2018	9640700.00
6	रामशरण शर्मा पिता रामाधीन शर्मा	1190/1/29/ 1 1190/1/37/ 2	121.56	75.000	807070	16.03.2018	5395715.00
7	हेदर अली पिता पीर अली	1190 का भाग (पट्टेघारी)	26.57	26.570	807071	16.03.2018	829690.00
8	घमन लाल बेलदार पिता बरहु बेलदार	1184/3 एवं 1190/1	116.91	116.910	219116	13.12.2018	1779545.00
9	जीवराखन पिता ठाकुर राम बेलदार	1184/1 1190/1/85/ 1	80.00	80.000	219117	19.12.2018	1324888.00
			20.07	20.070			
10	रफीक खान पिता फकीर मोहम्मद खान	1185/4	20.44	20.440	219118	19.12.2018	1761718.00
11	प्रदीप सिंह, सुरेन्द्र सिंह पिता देवराज सिंह	1185/2 एवं 1190/4	53.34	53.340	219119	19.12.2018	4256115.00
12	बिहारी लाल देवांगन	1190/8	72.39	72.390	219121	06.02.2019	1268181.00
13	राजेश पिता कन्हैया, विनीता बाई	1185/5	31.54	31.540	219124	11.06.2019	464373.00
14	लीलबाई छुप	1190/11	54.79	54.790	219122	11.06.2019	4503908.00

  
अनुभाग अधिकारी  
राजस्थान एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	सू-स्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा वर्ग मीटर	अर्जित रकबा वर्ग मीटर	चेक क्र.	दिनांक	शुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	राजू पिता त्रिजलाल, जगोती बाई	1180/12	57.89	57.890	219123	11.06.2019	4396878.00
16	रमेशर पिता केदार यादव	1188/2	50.14	50.140	219125	11.07.2019	4529971.00
17	विमला कापसे पति स्व. किशन कापसे	1180/10	108.55	108.550	219126	02.08.2019	9191270.00
18	घमन, सोहन, मोहन, घमेलीबाई, बेशाखीनबाई, सोहाराबाई, बिसोबाई, भोलोबाई, पिता स्व. भरत बेलदार, करण, आकाश, किरण, प्रिती पिता स्व. टीगू बेलवार वली मां कोशिल्या बाई, कोशिल्या बाई बेवा टीगू बेलदार	1184/4	81.00	81.000	219127	02.08.2019	1191288.00
19	राजेश, दिनेश, अनेश पिता स्व. कन्हैया बेलदार व बेवा विमला बाई	1180/5 एवं 1185/3	92.38	92.380	219128	02.08.2019	1892785.00
20	श्रीमती राधा शर्मा पति स्व. सविक्रम शर्मा	1180/14	202.41	202.410	219130	24.10.2019	13779400.00
21	शंकरलाल सोनी पिता स्व. पुनाराम सोनी	1180/18	113.84	113.840	219133	10.12.2019	2621040.00
22	मधुसुदन सोनी पिता पुनाराम सोनी, मंजू सोनी पिता मनराजन सोनी	1180/17	72.02	72.020	219134	10.12.2019	4138774.00
23	राजचन्द्र राठी पिता श्रीमल राठी	1180/15	202.41	202.410	219136	07.01.2020	14349964.00
24	कुन्दलाल, मोहनलाल, मदनलाल पिता तोरनलाल	1180/19	19.51	19.510	219137	10.01.2020	2166392.00
25	प्रकाश कुमार सोनी पिता सीताराम सोनी	1180/22	94.33	94.330	219138	10.01.2020	6090570.00
26	माधव लाल सोनी पिता पुनाराम सोनी	1180/25 एवं 1180/24	30.48	30.480	219139	16.01.2020	4656353.00
			71.18	71.180			
27	राजू, रामकुमार स्वाई पिता सीमावल स्वाई	1180/20 एवं 1180/21	10.45	10.450	219140	16.01.2020	1106870.00
28	देवसिर बाई धुव पति स्व. फेरु सिंह धुव	1180/23	154.64	108.170	219143	27.01.2020	2626800.00

क्र.	धू-स्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा वर्ग मीटर	अर्जित रकबा वर्ग मीटर	चेक क्र.	दिनांक	मुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
29	सोनू, कृष्ण कुमार, देवानंद, सीमा, भीनाबाई, दुलारीबाई पिता लखन लाल बेलदार	1190/18	15.05	15.050	219147	19.03.2020	2762892.00
30	मीलीबाई सेन पति स्व. कार्तिकराम सेन एवं मनोज पिता स्व. गणेशराम सेन	1190/28	41.728	41.728	219148	07.07.2020	2523796.00
31	गणेश्वर राव ठाकरे पिता स्व. मारुती राव ठाकरे	1190 का भाग	9.293	9.293	542681	03.02.2021	1021524.00
32	श्रीमती तुलसी बेलदार बेवा राज बेलदार	1190/1 का भाग	177.50	177.500	542682	03.02.2021	1747098.00
33	तुकाराम, पुनितराम, पीलाचाम, रामखिलावन, ओमकार पिता स्व. भूनेश्वर यादव, श्रीमती नैनी बाई यादव, बेवा भूनेश्वर यादव	1188/3	50.14	50.140	542706	10.03.2021	3220074.00
34	सौरभ बग्गा पिता हरबंश लाल बग्गा	1190/1 का भाग	19.50	19.500	542725	13.10.2021	393626.00
35	शशिकला धीरे पति स्व. रेशाशंकर चौब	1190/1/89	61.33	61.330	542726	13.10.2021	7415600.00
36	हार्दिक पिता किरानदयाल सोना वर्गी	1190/1/81/2	68.87	68.866	801	02.11.2021	3368822.00
37	रामकुमार पिता साखाराम केवट	1190/1/10	158.82	158.820	808	29.11.2021	1847467.00
38	संतोष यादव पिता मन्मूलाल यादव	1190/8	23.42	23.420	809	04.01.2022	211396.00
39	दिनेश कुमार कहार पिता मंगला प्रसाद कहार	1190/8	105.36	105.360	810	04.01.2022	1922252.00
40	राजेन्द्र, सत्यभामा, गोपिका, केशर बाई नंदागीरी पिता स्व. मन्मूलाल नंदागीरी	1190/8	63.197	63.197	811	04.01.2022	860640.00
41	कुंदरिया बाई पिता जगदू बेलदार	1184/2	80.85	80.850	812	04.01.2022	831948.00
42	राजू गायगीरे पिता टीकाराम गायगीरे	1190/1/81/1	55.29	55.290	000001	21.04.2022	7574386.00
43	पंचकुमारी पति स्व. द्वारिका सिंह राजपुत	1190/1/14	88.52	23.920	000003	25.04.2022	146198.00
44	नासिर अली पिता स्वर्गीय श्री ठैय्यब अली	1187/48/2	35.526	35.526	000010	09.12.2022	4632450.00
45	अली अहमद पिता हबीब हुसैन	1187/48/3 1191 1192/1/183 1192/2/184	362.38	362.360	000011	03.03.2023	33562634.00

क्र.	सू-स्वामी का नाम	खसरा न.	कुल एकबा वर्ग मीटर	अर्जित एकबा वर्ग मीटर	चेक क्र.	दिनांक	मुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
46	समारू, श्यामलाल, चंदाबाई, भोतिमबाई, रम्भाबाई, वशोदा बाई, गणपत हेमंत, छम्बी सविता संतोष, राजू बल्ला	1190/1/9/1	178.85	178.850	000034	05.10.2023	8598906.00
<b>तुमगांव की ओर</b>							
47	दिनेश कुमार पिता खेतमल लब्बा	690/2/35 (क) 690/2/35 (ख)	153.08	37.100	495570	11.05.2017	1540798.00
48	खोमन लाल पिता मनहरण लाल चन्दाकर	690/2/25/1 /1	779.48	37.800	495569	11.05.2017	1452560.00
49	हेमनदास भानिकपुरी पिता सुखदास	690/3		61.000	495572	11.05.2017	2862176.00
50	मदन लाल शर्मा पिता सरजू प्रसाद शर्मा	690/2/25/2 690/27	142.19	86.500	495573	11.05.2017	3664931.00
51	कस्तुरचंद राठी पिता रामलाल राठी	690/10 690/2/25/6		114.260	495574	11.05.2017	5450353.00
52	भागवती पिता मन्जुलाल डीडी	685,686/56/ 3	198.600	9.030	495575	12.05.2017	727556.00
53	झारिका सेन पिता बुधराम	मुखण्ड क्र.682 राजीव गांधी आश्रय योजना पट्टेधारी 1998	73.600	73.600	495576	12.05.2017	1947733.00
54	श्रीमती सरिता साहू प्रति देवकुमार साहू	685,686/59 685,686/60 683/1/61/2 683/1/60/1 683/1/61/1	312.640	312.640	495577	12.05.2017	5561418.00
55	ईशुचरण बाघ पिता लोकुराम बाघ	685,686/32	91.640	91.640	495578	12.05.2017	3326839.00

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा न.	मूल रकबा वर्ग मीटर	अर्जित रकबा वर्ग मीटर	चेक क्र.	दिनांक	युगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
56	विमल प्रधान, विकास प्रधान, जसोवंती प्रधान	685,688/38	356.31	148.925	495571	22.05.2017	5871964.00
	विमल प्रधान, विकास प्रधान, जसोवंती प्रधान	690/40	182.820	21.680	219113	25.10.2018	709268.00
57	भारत भूषण माहेश्वरी पिता खेतमल	685,688/34/ 2	10.220	10.220	495583	23.05.2017	936917.00
58	जीवन लाल माहेश्वरी पिता कन्हैया लाल माहेश्वरी	690/2/25/3 691/2	219.610	90.200	495584	23.05.2017	3622294.00
59	बद्रीनारायण माहेश्वरी पिता कन्हैया लाल माहेश्वरी	691/3 690/2/25/4	212.830	85.280	495585	23.05.2017	3717107.00
60	नीता साहू पति पंचूलाल साहू	683/1/1	239.310	159.080	495586	23.05.2017	3277955.00
61	प्रेमानिधि पिता गणेश पटेल	690/2/25/4	78.990	47.610	495591	05.06.2017	1849926.00
62	जुगचम पिता रच.आर. बनौटे	690/4/1	380.370	168.400	495592	05.06.2017	7141914.00
63	उषा साहू पति राजू साहू	685,688/33/ 1 685,688/56/ 4	61.98 91.060	61.980 91.060	495593	05.06.2017	6235478.00
64	चन्द्रपाल पिता मेवालाल साहू	690/35/4 690/2/25/5	376.740	162.640	495595	05.06.2017	7060809.00
65	सलीत कुमार पिता हरीशंकर गांधी	690/2/25/5	74.340	26.600	495596	05.06.2017	1352755.00
66	श्रीमती देवकुमारी पति श्रीराम पाण्डे	685, 688 का मार्ग	96.060	96.060	495594	13.06.2017	1171563.00
	श्रीमती देवकुमारी पति श्रीराम पाण्डेय				219103	09.04.2018	172146.00
67	महेन्द्र सिंह चावला पिता श्री मोहन सिंह चावला	690/2	146.720	91.700	495597	13.06.2017	3834315.00
68	श्रीमती कुलदीप कौर पति श्री सुरिन्दर सिंह चावला	685,688/28/ 2	111.520	97.440	495598	13.06.2017	3079557.00
69	श्रीमती राजी इंदीकर पति जितेन्द्र इंदीकर	685,688/56/ 1/2	48.790	48.790	495599	13.06.2017	1758432.00
70	श्रीमती बबीता सिंह पिता स्व. ऐवीन कुमार	खसरा न. उपलब्ध नहीं	76.000	48.000	495600	13.06.2017	945101.00
71	श्रीमती मनोरमा पति स्व. आर्धर सालोमन	690/7/2 690/29	131.870	83.800	495601	14.06.2017	3131240.00
72	मनोरिया बाली पति हेमन्ती बाली	690/21	101.300	78.180	495602	07.07.2017	2623900.00
73	देवेन्द्र कुमार पिता हरिशचन्द्र साहू	690/2/25/3 685/688/56 /5	111.520	92.930	495607	02.08.2017	4134848.00

क्र.	सू-स्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा वर्ग मीटर	अर्जित रकबा वर्ग मीटर	चेक नं.	दिनांक	मुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
74	मुन्नु लाल छर्फ तरुण कुमार साहू पिता बघई	885,888/33/ 2	140.080	103.060	495608	02.08.2017	4232368.00
	मुन्नु लाल छर्फ तरुण कुमार साहू पिता बघई	885,888/34/ 1		15.980	219101	09.04.2018	602311.00
75	मों. जाबिर पिता मों. इवरिज	683/67/1/5	388.94	194.228	495609	02.08.2017	3394450.00
76	तोफिक अहमद पिता गुलाम काबीर	890/27	170.070	83.800	495610	02.08.2017	2606720.00
77	प्रमलता बेवा, जंगबहादुर, सुधा, सुषमा, राजू, जितेन्द्र, प्रमोद	885,888/38	40.520	40.520	495611	02.08.2017	1673929.00
78	हेमलता पति स्व. गोकूल प्रसाद साहू	685,888/34/ 3	10.220	10.220	495612	02.08.2017	1089384.00
79	जीवनलाल पिता दानी कोसरीया	885,888/58/ 7	412.54	148.155	495617	16.08.2017	6237117.00
80	देवेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह	685,888/56/ 4	350.092	108.000	495618	26.08.2017	3879099.00
	देवेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह	685,888/56/ 3	1301.480	646.500	807040	05.10.2017	8293312.00
					219120	01.01.2019	8293312.00
81	अफजल अहमद पिता अराफाक	885,888/51	148.23	79.625	219102	09.04.2018	1454568.00
82	श्रीमती नीता लददा पति दिनेश कुमार लददा	690/34 690/35	275.838	70.550	219110	23.08.2018	3831927.00
83	श्रीमती केसर बाई पति खेतमल लददा	690/24 690/36	223.040	65.250	219111	23.08.2018	3113228.00
84	श्रीमती साता माहेरवरी पति बट्टीनाथयण माहेरवरी	690/37	287.190	137.600	219112	25.08.2018	5481448.00
85	शिवचन्द साहू पिता राधेरयाम साहू	690/38	124.900	72.800	219114	25.10.2018	3954136.00
86	सन्तोष कुमार निकलस पिता बसंत कुमार निकलस	682/18	70.630	70.630	219129	05.08.2019	2022220.00
87	राजेश कुमार शर्मा पिता बल्लभ लाल शर्मा	690/17	308.550	67.070	219131	13.11.2019	3983565.00
88	श्रीमती रत्नप्रभा शर्मा पति बसंत कुमार शर्मा	690/29 690/30	170.060	45.650	219132	13.11.2019	2711339.00
89	श्रीमती सीमा ठाकुर पिता स्व. बैसाखू राम छुप	682/17 का भाग	211.170	211.170	542683	03.02.2021	1945870.00
	कुल योग :-		13372.92	8432.463			357477934.00

  
 अनुष्ठीग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नक्स रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र :- 'ब'

विषय :-रेलवे ओवरब्रिज हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा।

अधिकृत हेतु शेष लंबित मुआवजा					
स.क्र	हितग्राही का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (वर्ग मीटर में)	अर्जित रकबा (वर्ग मीटर में)	राशि (रुपए में)
1	सेंट पीटर चर्च महासमुंद	689/3	185.870	73.325	2436490.00
2	अख्तर हुसैन पिता स्वर्गीय श्री सैफुद्दीन	1187/43/1, 1187/44/1, 1191,1190/1/66/ 1 का टुकड़ा एवं 1190/1/42	468.870	468.870	60586884.00
3	मीना पति आनंद राम साहू	1190/1	67.100	67.100	1610328.00
4	जसबीर सिंह बग्गा पिता कृष्ण बग्गा	1190/41/3 एवं 1190/41/5	34.820	34.820	1177283.00
5	जसबीर सिंह बग्गा, हरमित कौर, मंजीत कौर, सुरिन्दर सिंह पिता कृष्ण बग्गा	1190/2/41/1	34.820	34.820	470643.00
6	परवीन्दर कौर प्रति जसबीर सिंह बग्गा	1190/2/41/2 एवं 1190/41/4	209.100	88.470	1083483.00
7	इन्द्र कुमार पिता घनाराम, बेदराम पिता कंगलू बम्हदट	1190/1/66/4	175.650	175.650	1813510.00
	योग		1176.230	943.055	69178621.00

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परोक्ष - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1859) की जानकारी

## प्रपत्र-अ

(वनपरिक्षेत्र गौरेला में रेत का अवैध उत्खनन एवं जंगलों की कटाई (प्रश्नांश क))

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	अवैध रेत उत्खनन के दर्ज पी.ओ.आर. क्रमांक एवं दिनांक	अवैध रेत उत्खनन का स्थान (कस क्र./बीट क्र./ गदि ही नो)	मात्रा (घमी में)	जप्त वाहन का विवरण	राजसात वाहन	अभिसंधानित/ नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत	प्रक्रियाधीन	कसूल की गई मावजा / महसूल की राशि (सशि.रु. में)
1	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	18717/15 24.01.2024	पकरिया 2289	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	10000
2	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	26/18 07.04.2024	तरईगाव	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	6000
3	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	156/19 08.04.2024	पीपरखूटी 2305	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	6000
4	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	156/20 08.04.2024	पीपरखूटी 2305	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	6000
5	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	161/11 04.06.2024	डेगाडांड 2115	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	7000
6	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	161/12 04.06.2024	डेगाडांड 2115	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	7000
7	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	161/13 04.06.2024	डेगाडांड 2115	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	7000
8	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	156/22 08.11.2024	पीपरखूटी 2305	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	7100
9	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	9307/09 21.11.2024	कबीर 266	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	1500
10	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	156/25 28.07.2025	पीपरखूटी 2305	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	10000
11	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	127/19 20.08.2025	आमाडोब 2264	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	10000
12	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	108/11 23.08.2025	पीपरखूटी 2305	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	10000
13	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	84/15 23.08.2025	पीपरखूटी 2305	5.00	01 नग छोटा हाईबा	-	अभिसंधानित	-	-	15920
14	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	159/21 15.10.2025	अधियारखोह ख.न. 109	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	12000
15	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	26/22 14.11.2025	अधियारखोह	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	10000

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	अवैध रेत उत्खनन के दर्ज पी.ओ.आर. क्रमांक एवं दिनांक	अवैध रेत उत्खनन का स्थान (अक्ष. क्र./दीर्घ. क्र./ यदि हो तो)	अवैध रेत उत्खनन में की गई कार्यवाही						
							मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वाहन का विवरण	राजसात वाहन	अभिसंधानित/ नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत	प्रक्रियाधीन	वसूल की गई मावजा / महसूल की राशि (लाक्षि रु. में)
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	26/23 14.11.2025	अधियारबाह	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	10000
17	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	17761/05 01.12.2025	करंगरा बैरियर	12.00	01 नग छोटा हाईवा	-	अभिसंधानित	-	-	30000
18	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	18761/04 01.12.2025	करंगरा बैरियर	12.00	01 नग छोटा हाईवा	-	अभिसंधानित	-	-	30000
19	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	18767/12 12.12.2025	तवाडवरा 2302	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	-	-	प्रक्रियाधीन	-
20	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	18767/13 12.12.2025	तवाडवरा 2302	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	-	-	प्रक्रियाधीन	-
21	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	18767/14 26.12.2025	तवाडवरा 2302	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	-	-	प्रक्रियाधीन	-
22	2025	मरवाही	गौरला	गौरला	18767/17 27.12.2025	पकासिया 2295	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	-	-	प्रक्रियाधीन	-
<b>योग -</b>							<b>86.00</b>	<b>22 नग</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>195520</b>	
23	2024	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	9317/23 27.04.2024	परिसर बरगावा	9.00	03 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	3000
24	2024	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	9348/17 8.05.2024	परिसर सखटाटोला	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	3000
25	2024	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	18722/15 24.09.2024	परिसर खन्ता	2.50	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	5000
26	2025	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	18769/01 09.02.2025	परिसर खन्ता	2.50	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	2000
27	2025	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	18769/02 09.02.2025	परिसर खन्ता	2.50	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	2000
28	2025	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	18769/03 09.02.2025	परिसर खन्ता	2.50	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	2000
29	2025	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	152/23 31.05.2025	परिसर पिपरिया क.क. 1975	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	5000
30	2025	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	152/24 31.05.2025	परिसर पिपरिया क.क. 1975	3.00	01 नग ट्रेक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	5000
31	2025	मरवाही	मरवाही/ पेण्ड्रा	मरवाही	18722/19 09.06.2025	परिसर मुढका क.क. 1965	15.00	01 नग हाईवा	-	अभिसंधानित	-	-	10000

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	अवैध रेत उत्खनन के दर्ज पी.ओ.आर. क्रमांक एवं दिनांक	अवैध रेत उत्खनन का स्थान (कक्ष क्र./बीट क्र./ यदि हो तो)	अवैध रेत उत्खनन में की गई कार्यवाही						वसूल की गई मावजा / महसूल की राशि (शक्ति रु. में)
							मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वाहन का विवरण	राजसात वाहन	अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत	प्रक्रियाधीन	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	2025	मरवाही	मरवाही/पेण्ड्रा	मरवाही	152/25 02.09.2025	परिसर पिपरिया	3.00	01 नग ट्रैक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	5000
33	2025	मरवाही	मरवाही/पेण्ड्रा	मरवाही	148/06 19.09.2025	परिसर खत्ता	0.50	01 नग ट्रैक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	5000
34	2025	मरवाही	मरवाही/पेण्ड्रा	मरवाही	18769/05 21.09.2025	परिसर खत्ता	3.00	01 नग ट्रैक्टर	-	अभिसंधानित	-	-	5000
योग :-							49.50	14 नग	-	12	0	0	52000
महायोग :-							135.50	36 नग	-	30	0	4	247520

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

## प्रपत्र-ब

(वनपरिक्षेत्र गौरेला में रेत का अवैध उत्खनन एवं जंगलों की कटाई (प्रश्नांश ख))

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	गांव एवं बीट का नाम	अवैध कटाई में दर्ज पी.ओ. आर. क्रमांक एवं दिनांक	वृक्ष का नाम	वृक्ष का प्रकार (ईमारती, अर्द्ध इमारती एवं जलाऊ)	वृक्ष की संख्या	काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (चदर में)	बल्ली (लग में)	का गई कार्यवाही की जानकारी		
													अभिसंधानित / नस्तीबद्ध में प्रस्तुत	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पड़वनिया	9296/10 05.01.2024	साल एवं नीलगिरी	ईमारती एवं अर्द्ध इमारती	2	1.216	0	9	अभिसंधानित		
2	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/17 21.01.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
3	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीपरखुंटी	156/17 01.02.2024	सागौन	ईमारती	16	0.656	0	0	अभिसंधानित		
4	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/18 05.02.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	5.000	0	अभिसंधानित		
5	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीपरखुंटी	156/18 07.02.2024	सागौन	ईमारती	2	0.560	0	0	अभिसंधानित		
6	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	धनौली	82/23 17.02.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	2.000	0			प्रक्रियाधीन
7	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पटपरी	9301/22 20.02.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	1.000	0	अभिसंधानित		
8	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/19 25.02.2024	सागौन एवं साल	ईमारती	9	0.326	1.000	10	अभिसंधानित		
9	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	आमाडोब	127/14 07.03.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	1.000	0	अभिसंधानित		
10	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अधियारखोह	169/12 12.03.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	1.000	0	अभिसंधानित		
11	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अधियारखोह	169/13 14.03.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	2.000	0	अभिसंधानित		
12	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	आमाडोब	127/15 16.03.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	1.000	0	अभिसंधानित		
13	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/04 18.03.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	1.000	0	अभिसंधानित		
14	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	ढेंगाडांड	161/09 27.03.2024	सागौन	ईमारती	2	0.900	0	0	अभिसंधानित		
15	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	ढेंगाडांड	161/10 30.03.2024	सागौन	ईमारती	2	0.786	0	2	अभिसंधानित		
16	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पण्डरीपानी	18708/09 08.04.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	2.000	0	अभिसंधानित		
17	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पकरिया	168/04 05.05.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	0.500	0	अभिसंधानित		
18	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पटपरी	9301/23 08.05.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	0	5	अभिसंधानित		

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	गाव एवं बीट का नाम	अवैध कटाई में दर्ज पी.ओ. आर. क्रमांक एवं दिनांक	वृक्ष का नाम	वृक्ष का प्रकार (ईमारती अर्द्ध इमारती एवं जलाऊ)	वृक्ष की संख्या	काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (घटे में)	बल्ली (ल. में)	का गई कार्यवाही की जानकारी		
													अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/05 09.05.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	0.500	0	अभिसंधानित		
20	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	आमाडोब	127/16 14.05.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	1.000	0	अभिसंधानित		
21	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/20 16.05.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.000	0.500	0	अभिसंधानित		
22	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पण्डरीपानी	18708/10 06.06.2024	साल एवं सागौन	ईमारती	40	0.000	0.500	0			प्रक्रियाधीन
23	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/06 07.07.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.180	0	4	अभिसंधानित		
24	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीढा	84/13 03.09.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0.720	0	12			प्रक्रियाधीन
25	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पकरिया	168/05 05.09.2024	सागौन	ईमारती	0	0.480	0	9	अभिसंधानित		
26	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	हेगाडांड	161/14 30.08.2024	सागौन	ईमारती	2	0.778	0	9			प्रक्रियाधीन
27	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/21 19.09.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
28	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पटपरी	9301/24 03.10.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
29	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	जालेश्वर	128/10 10.10.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
30	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	चुकतीपानी	18701/11 19.10.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	5	0.200	0.000	5			प्रक्रियाधीन
31	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अधियारखोह	169/14 18.10.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	5.000	0	अभिसंधानित		
32	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अधियारखोह	169/15 18.10.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	5.000	0	अभिसंधानित		
33	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीपरखूटी	156/21 19.10.2024	सागौन	ईमारती	2	0.183	0.000	5	अभिसंधानित		
34	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	गौरखेडा	108/10 19.10.2024	साल	ईमारती	1	0.262	0.000	4	अभिसंधानित		
35	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	बानघाट	7221/24 19.10.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
36	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/07 16.11.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
37	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तरईगांव	113/18 21.11.2024	सागौन	ईमारती	2	0.130	0	3			प्रक्रियाधीन
38	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/08 02.12.2024	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0	अभिसंधानित		

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	गाव एवं बीट का नाम	अवैध कटाई में दर्ज पी.ओ. आर. क्रमांक एवं दिनांक	अवैध कटाई में वृक्षों का विवरण एवं जाट वनोपज				का गई कार्यवाही की जानकारी				
							वृक्ष का नाम	वृक्ष का प्रकार (ईमारती, अर्द्ध इमारती एवं जलाऊ)	वृक्ष की संख्या	काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (घट्टे. में)	बल्ली (घ.मी. में)	अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत	प्रक्रियाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	2024	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीपरखूटी	156/23 18.12.2024	साल एवं मिश्रित	अर्द्ध इमारती	6	0.323		12			प्रक्रियाधीन
40	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	चुकतीपानी	113/19 17.01.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0			प्रक्रियाधीन
41	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पटपरी	9301/25 24.01.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
42	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कबीर	9307/10 02.02.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
43	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	केंवची	7327/17 07.02.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
44	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/22 08.02.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
45	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	आमाडोब	127/18 18.02.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0	अभिसंधानित		
46	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अंधियारखोह	169/16 22.02.2025	सेन्धा	अर्द्ध इमारती	12	0.480	0	12	अभिसंधानित		
47	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	बानघाट	7321/25 24.02.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0	अभिसंधानित		
48	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/09 01.03.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0			प्रक्रियाधीन
49	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीढा	84/14 03.03.2025	बीला सजा हल्क, साल अन्य	ईमारती	9	0.958	0	6			प्रक्रियाधीन
50	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टेंगाडाड	161/16 10.03.2025	साजा	ईमारती	1	0.345	0	0			प्रक्रियाधीन
51	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टेंगाडाड	161/17 10.03.2025	भेलवा	अर्द्ध इमारती	3	0.393	0	0			प्रक्रियाधीन
52	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18707/23 12.03.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
53	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अंधियारखोह	169/17 16.03.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	3.000	0	अभिसंधानित		
54	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तवाडबरा	164/11 08.04.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
55	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	बानघाट	8768/01 15.04.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित		
56	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पटपरी	18766/01 18.04.2025	सेन्धा	अर्द्ध इमारती	3	0	0	3	अभिसंधानित		
57	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	चुकतीपानी	18701/16 27.04.2025	साल	ईमारती	1	0.900	0	0			प्रक्रियाधीन
58	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अंधियारखोह	169/18 02.05.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0	अभिसंधानित		

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	गाव एव बीट का नाम	अवैध कटाई में दर्ज पी.ओ. आर. क्रमांक एवं दिनांक	अवैध कटाई में वृक्षों का विवरण एवं जलत वनोपज				का गई कार्यवाही की जानकारी					
							वृक्ष का नाम	वृक्ष का प्रकार (ईमारती, अर्द्ध ईमारती एवं जलाऊ)	वृक्ष की संख्या	काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (घट्टे में)	बल्ली (म. में)	अभिसंधानित / नरतीबद्ध	च्यायालय में प्रस्तुत	जानकारी	
1	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/11 13.05.2025	मिश्रित	अर्द्ध ईमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित	15	16	
59	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पडवनिया	18760/02 22.05.2025	मिश्रित	अर्द्ध ईमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित			
60	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तवाडबरा	9296/15 01.06.2025	मिश्रित	अर्द्ध ईमारती	0	0	0.500	0	अभिसंधानित			
61	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पण्डरीपानी	18755/02 08.06.2025	सागौन	ईमारती	16	0.160	0	16	अभिसंधानित			
62	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाडपथरा	18712/12 10.06.2025	मिश्रित	अर्द्ध ईमारती	0	0	0.500	0				प्रक्रियाधीन
63	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	गोरखेडा	18754/14 15.06.2025	साल	ईमारती	2	0.426	0	5				प्रक्रियाधीन
64	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	ढेंगाडांड	161/11 15.06.2025	साल	ईमारती	6	9.629	0	35	अभिसंधानित			
65	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तवाडबरा	164/12 16.06.2025	साल	ईमारती	2	0.180	0	5	अभिसंधानित			
66	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पकारिया	168/06 04.07.2025	साल, सेन्धा, धावडा	ईमारती	5	0.240	0	5	अभिसंधानित			
67	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18777/03 10.07.2025	नीलगिरी	अर्द्ध ईमारती	3	0.120	0	3	अभिसंधानित			
68	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पण्डरीपानी	18755/03 15.07.2025	सागौन	ईमारती	9	0.356	0	21				प्रक्रियाधीन
69	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पण्डरीपानी	18755/04 15.07.2025	सागौन	ईमारती	18	0.914	0	21				प्रक्रियाधीन
70	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	जालेश्वर	128/12 18.08.2025	सेन्धा	अर्द्ध ईमारती	5	0.200	0	5	अभिसंधानित			
71	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	बानघाट	18768/02 24.08.2025	मिश्रित	अर्द्ध ईमारती	0	0	0.500	0				प्रक्रियाधीन
72	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तरईगांव	113/21 09.09.2025	साल	ईमारती	1	0.240	0	3				प्रक्रियाधीन
73	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	अधियारखोह	169/19 11.09.2025	मिश्रित	अर्द्ध ईमारती	0	0	0.500	0				प्रक्रियाधीन
74	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	गोरखेडा	108/12 22.09.2025	साल	ईमारती	1	0.302	0	4				प्रक्रियाधीन
75	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पडवनिया	18760/03 22.09.2025	नीलगिरी	अर्द्ध ईमारती	5	0.300	0	5				प्रक्रियाधीन
76	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	बुकतीपानी	18701/17 22.09.2025	साल एवं सेन्धा	ईमारती	10	0.500	0	10				प्रक्रियाधीन

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	उपवनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	गांव एवं बीट का नाम	अवैध कटाई में दर्ज पी.ओ. आर. क्रमांक एवं दिनांक	अवैध कटाई में वृक्षों का विवरण एवं जल वनोपज				का गई कार्यवाही की जानकारी				
							वृक्ष का नाम	वृक्ष का प्रकार (ईमारती, अर्द्ध इमारती एवं जलाऊ)	वृक्ष की संख्या	काष्ठ (घ.मी. में)	जलाऊ (घ.घटे में)	बल्ली (लग. में)	अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत	प्रक्रियाधीन
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कैवची	7327/19 23.09.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	0.500	0			प्रक्रियाधीन
79	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीढा	84/16 23.09.2025	साल	ईमारती	1	0.441	0	5			प्रक्रियाधीन
80	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तवाडबरा	164/13 24.09.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	5	0.085	0	5			प्रक्रियाधीन
81	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पीपरखुटी	18794/01 24.09.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0			प्रक्रियाधीन
82	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तरईगांव	113/22 28.09.2025	साल	ईमारती	1	0.158	0	1			प्रक्रियाधीन
83	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तरईगांव	113/23 28.09.2025	साल	ईमारती	1	0.106	0	1			प्रक्रियाधीन
84	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	कोरजा	18777/04 10.10.2025	सेन्धा	अर्द्ध इमारती	5	0.200	0	0	अभिसंधानित		
85	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	तरईगांव	113/24 14.10.2025	साल	ईमारती	3	0.954	0	10			प्रक्रियाधीन
86	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	टाइपथरा	18712/15 15.10.2025	साल	ईमारती	3	0.120	0	3			प्रक्रियाधीन
87	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	धनौली	18761/03 18.10.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0			प्रक्रियाधीन
88	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	चुकतीपानी	18701/18 31.10.2025	मिश्रित	अर्द्ध इमारती	0	0	1.000	0			प्रक्रियाधीन
89	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	चुकतीपानी	18701/19 13.11.2025	साल	ईमारती	10	2.059	0	27			प्रक्रियाधीन
90	2025	मरवाही	गौरेला	गौरेला	पकारिया	168/07 18.12.2025	सेन्धा एवं कर्क	अर्द्ध इमारती	5	0.300	0	5			प्रक्रियाधीन
योग :-									237	28.766	51.500	305	55	0	35

अपर प्रधान-मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

## पारिशेष - छ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2310) की जानकारी

## प्रपत्र

विकासखंड सारंगढ़ एवं बरमकेला के धान खरीदी केन्द्रों में उपार्जित धान की केन्द्रवार जानकारी

(मात्रा विचटल में)

क्र.	विकासखंड का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	विपणन वर्ष 2024-25 में कुल धान खरीदी	विपणन वर्ष 2025-26 में कुल धान खरीदी
1	सारंगढ़	अमझर	69779.60	67310.40
2		उलखर	68420.00	62734.40
3		कटेली	55738.40	52656.80
4		सहसपानी	18891.60	14565.20
5		केडार	50675.60	49292.80
6		भड़िसार	34328.00	31252.80
7		कनकविरा	46116.80	44294.80
8		बोहराबहाल	49560.00	46148.40
9		कपरतुंगा	80202.80	80289.60
10		कोतरी	50260.80	45776.80
11		कोसीर	82086.80	76861.60
12		रक्सा	38860.40	36664.00
13		कोसीर छोटे	56733.60	55318.40
14		खेरा बडे	45088.80	43477.20
15		गुडेली	76031.20	72930.00
16		गाताडिह	34612.40	32791.60
17		लिनधरा	62174.80	59566.80
18		छिंद	45442.80	44274.40
19		लिमगाँव	22610.80	22310.00
20		जशपुर	88147.60	82472.80
21		दानसरा	66168.40	62224.80
22		नोरंगपुर	74014.80	72000.00
23		परसदा बडे	60400.00	58500.00
24		बरहुला	63779.20	60978.00
25		भेडवन	67032.40	62040.00
26		मल्दा (ब)	50773.60	49390.80
27		सहसपुर	72410.40	68332.00
28		सालर	55043.20	50985.60
29		हरदी	58780.80	57770.40
योग			1644165.60	1563210.40

1	बरमकेला	कंठीपाली	56888.00	54870.00
2		कुम्हारी	48966.00	46860.40
3		करनपाली	62538.40	61352.40
4		कालाखूटा	62202.00	61068.00
5		गोबरसिया	58282.00	55727.20
6		तोसिर	50801.20	49319.60
7		गोरडीह	61836.00	61294.00
8		झिकीपाली	42656.00	41544.00
9		दूलोपाली	46876.40	43842.00
10		देवगाँव	62134.00	60054.00
11		पंचधार	45532.80	44763.60
12		बडे नावापारा	71436.00	69620.40
13		बुदेली	22912.80	22186.00
14		बरमकेला	61418.00	57834.40
15		बोहरडीह	39617.20	39731.60
16		बार	58084.00	56040.00
17		बोदा	67482.00	66486.00
18		लुकापारा	74180.40	72862.00
19		साकरा	20737.60	20319.20
20		लेंध्रा	83966.40	81044.00
21		लोथिया	51969.20	52138.80
22		सरिया	114258.00	111005.20
23		साल्हेओना	75966.80	73820.40
योग			1340741.20	1303783.20

(देवलम भारती)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

## परीक्षित - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2082) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी 2024 से 31.01.2026 तक प्राकृतिक आपदाओं से दिवंगतों के परिजनों को मुआवजा के संबंध में प्राप्त प्रकरणों की जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	प्राप्त प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5
1	बिलासपुर	बिलासपुर	31	31
2		बेलतरा	76	76
3		बिल्हा	71	71
4		मस्तुरी	114	114
5		कोटा	69	69
6		तखतपुर	88	88
योग			<b>449</b>	<b>449</b>
1	रायगढ़	लैलूंगा	24	24
2		रायगढ़	68	68
3		खरसिया	39	39
4		धरमजयगढ़	100	100
योग			<b>231</b>	<b>231</b>
1	कोरबा	रामपुर	78	78
2		कोरबा	53	53
3		कटघोरा	82	82
4		पाली-तानाखार	235	235
योग			<b>448</b>	<b>448</b>
1	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	117	117
2		अकलतरा	92	82
3		पामगढ़	96	96
योग			<b>305</b>	<b>305</b>
1	सक्ती	सक्ती	166	166
2		जैजैपुर	27	27
3		चन्द्रपुर	58	58
योग			<b>251</b>	<b>251</b>
1	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़	119	119
2		बिलाईगढ़	105	105
योग			<b>224</b>	<b>224</b>
1	मुंगेली	मुंगेली	37	37
2		लोरमी	66	66
3		बिल्हा	18	18
योग			<b>121</b>	<b>121</b>
1	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	70	70
2		कोटा	24	24
योग			<b>94</b>	<b>94</b>
महायोग			<b>2123</b>	<b>2123</b>

## प्रपत्र-अ

अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिनके हस्ताक्षर प्रमाणक में अंकित है	वनपरिक्षेत्र कार्यालय का जावक क्रमांक दिनांक का प्रपत्र -3	उपवनमण्डल कार्यालय का जावक क्रमांक दिनांक (परिक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र-3 को मूलतः वनमण्डल कार्यालय को प्रेषण)	देयक वनमंडल अधिकारी मरवाही को किस आवक क्रमांक से प्राप्त हुआ
श्री रौनक गोयल, भा.व.से. (तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी मरवाही, पेण्डारोड)	786 दि.03.06.2022 एवं 600 दि.25.05.2022	532 दि.16.06.2022 एवं 538 दि.27.06.2022	वनमण्डल अधिकारी मरवाही को प्राप्त देयक प्रपत्र -03 में आवक क्रमांक अंकित नहीं है।
श्री नवीन निराला, रा.व.से. तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी पेण्डा			
श्री दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही			
श्री मानिक लाल राय उपवनक्षेत्रपाल			
श्री चंदनसिंह मरावी, वनपाल			
श्री श्रीकांत परिहार, वनरक्षक			
श्री सुरेश कुमार राठौर, वनचौकीदार			

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)  
छत्तीसगढ़ अटल नगर  
३१/५

## प्रपत्र-ब

क्र.	नाम एवं पदनाम	पदस्थापना	पदस्थिति अवधि
1	श्री रौनक गोयल, भा.व.से. (तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी मरवाही, पेण्डारोड)	वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल पेण्डारोड	16.03.2024 से 30.04.2025 तक
2	श्री अविनाश एम्मानुएल, स.व.सं. संलग्नाधिकारी मरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड	उपवनमण्डलाधिकारी पेण्डा के प्रभार में (श्री मोहर सिंह मरकाम रा.व.से., उपवनमण्डलाधिकारी पेण्डा अर्जित अवकाश में रहने के दौरान)	15.10.2023 से 31.10.2023 16.04.2024 से 31.05.2024 तक
3	श्री मोहर सिंह मरकाम, रा.व.से.	उपवनमण्डलाधिकारी पेण्डा	04.08.2022 से 17.10.2022, 21.09.2023 से 15.10.2023, 31.10.2023 से 16.04.2024 तक, 31.05.2024 से वर्तमान तक
4	श्री नवीन निराला, रा.व.से. तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी पेण्डा	उपवनमण्डलाधिकारी पेण्डा	17.10.2022 से 21.09.2023
5	श्री रमेश कुमार खैरवार, वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही	23.08.2023 से 02.01.2026 तक
6	श्री दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल,	परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही	21.07.2020 से 07.03.2023 तक
7	श्री मानिक लाल राय उपवनक्षेत्रपाल,	परिक्षेत्र सहायक सिवनी	19.11.2021 से 31.05.2023 तक
8	श्री चंदनसिंह मरावी, वनपाल,	परिक्षेत्र सहायक खंता	10.09.2020 से 30.06.2025 तक
9	श्री श्रीकांत परिहार, वनरक्षक	परिसर रक्षक, चुवाबहरा	05.10.2018 से वर्तमान तक
10	श्री सुरेश कुमार राठौर, वनचौकीदार	परिसर रक्षक, पिपरिया	31.08.2022 से वर्तमान तक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(विकास योजना / बजट लेखा एवं ऑडिट)  
छत्तीसगढ़ अटल नगर  
भारत

पारिशेष - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1063) की जानकारी

‘प्रपत्र’

प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों पर बकाया स्थापना ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण तथा ऋण पर प्रभारित ब्याज एवं दंड ब्याज की कारखानावार जानकारी  
(दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में)

(राशि रू. करोड़ में)

क्र	कारखाने का नाम	बकाया स्थापना ऋण				बकाया कार्यशील पूंजी ऋण				कुल बकाया
		मूलधन	ब्याज	दण्ड ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	दण्ड ब्याज	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा	0	0	0	0	108.50	60.15	33.35	202.00	202.00
2	लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	0	0	0	0	164.50	75.29	22.82	262.61	262.61
3	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	23.78	45.51	11.08	80.37	101.00	56.59	17.85	175.44	255.81
4	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	21.825	24.47	8.50	54.795	80.25	51.31	17.22	148.78	203.575
योग		45.605	69.98	19.58	135.165	454.25	243.34	91.24	788.83	923.995

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशेष - दस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 127) की जानकारी

विषय :- रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोरबा वनमण्डल के द्वारा कैम्पा मद से कराए गये निर्माण कार्य

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	क्या संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	13.205	13.109	हैं
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	6.149	6.125	हैं
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	12.096	12.046	हैं
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	10.671	10.636	हैं
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	2.491	2.480	हैं
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	43.029	42.772	हैं
2023-24	मिनी परकोलेशन टैंक	वन विभाग	9.303	9.278	हैं
2023-24	परकोलेशन टैंक	वन विभाग	9.049	8.733	हैं
2023-24	परकोलेशन टैंक	वन विभाग	12.675	12.256	हैं
2023-24	भूपरकोलेशन टैंक	वन विभाग	21.242	21.123	हैं
2023-24	परकोलेशन टैंक	वन विभाग	11.947	11.944	हैं
2023-24	परकोलेशन टैंक	वन विभाग	11.537	11.531	हैं
2023-24	परकोलेशन टैंक	वन विभाग	13.539	13.537	हैं
2023-24	गैबियन	वन विभाग	10.533	10.531	हैं
2023-24	गैबियन	वन विभाग	4.101	4.033	हैं
2023-24	गैबियन	वन विभाग	4.018	4.017	हैं
2023-24	गैबियन	वन विभाग	3.749	3.730	हैं

वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	क्या संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6
2023-24	गैबियन	वन विभाग	15.240	15.236	हाँ
2023-24	गैबियन	वन विभाग	8.808	8.744	हाँ
2023-24	वनपाल भवन निर्माण	वन विभाग	10.880	10.879	हाँ
2023-24	परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन	वन विभाग	30.460	30.455	हाँ
2023-24	वनरक्षक भवन निर्माण	वन विभाग	7.130	7.129	हाँ
2023-24	वनपाल भवन निर्माण	वन विभाग	10.880	10.880	हाँ
2024-25	वॉच टावर निर्माण कार्य	वन विभाग	15.000	11.373	नहीं
2024-25	मुनारा निर्माण कार्य	वन विभाग	5.773	5.559	हाँ
2024-25	मुनारा निर्माण कार्य	वन विभाग	6.415	6.394	हाँ
2024-25	मुनारा निर्माण कार्य	वन विभाग	4.875	4.850	हाँ
2024-25	मुनारा निर्माण कार्य	वन विभाग	10.006	9.997	हाँ
2024-25	मुनारा निर्माण कार्य	वन विभाग	5.773	4.599	हाँ
2024-25	मुनारा निर्माण कार्य	वन विभाग	5.003	5.000	हाँ
2024-25	बोर खनन एवं पानी सप्लाई, सॉसर पिट	वन विभाग	40.000	24.342	नहीं
2024-25	वॉच टावर निर्माण कार्य	वन विभाग	20.000	11.632	नहीं
2024-25	वॉच टावर निर्माण कार्य	वन विभाग	20.000	11.938	नहीं
2024-25	क्रियेशन ऑफ वाटर होल एण्ड मेनटेनेंस	वन विभाग	13.160	13.159	हाँ
2024-25	क्रियेशन ऑफ वाटर होल एण्ड मेनटेनेंस	वन विभाग	6.140	6.104	हाँ
2024-25	क्रियेशन ऑफ वाटर होल एण्ड मेनटेनेंस	वन विभाग	12.700	12.402	हाँ
2024-25	क्रियेशन ऑफ वाटर होल एण्ड मेनटेनेंस	वन विभाग	12.700	12.580	हाँ
2024-25	क्रियेशन ऑफ वाटर होल एण्ड मेनटेनेंस	वन विभाग	23.560	23.483	हाँ

वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	क्या संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6
2024-25	चबूतरा निर्माण, घोसला निर्माण, दीवार में जीवन्त चित्रकार कार्य, प्राकृतिक वासयुक्त पेड़ों पर सुरक्षा, फेंसिंग, कृत्रिम जाली निर्माण कार्य	वन विभाग	25.000	10.553	नहीं
2025-26	हाथी पेट्रोलिंग कैम्प	वन विभाग	10.450	1.029	नहीं
2025-26	हाथी पेट्रोलिंग कैम्प	वन विभाग	10.450	1.029	नहीं
2025-26	वाटर होल एण्ड डिगिंग ऑफ स्मॉल पोंड	वन विभाग	4.999	0.000	नहीं
2025-26	अर्दन डेम	वन विभाग	4.998	0.000	नहीं
2025-26	वाटर होल एण्ड डिगिंग ऑफ स्मॉल पोंड	वन विभाग	9.989	0.000	नहीं
2025-26	मिनी अर्दन डेम	वन विभाग	2.000	0.000	नहीं
2025-26	वाटर होल एण्ड डिगिंग ऑफ स्मॉल पोंड	वन विभाग	9.989	0.000	नहीं
2025-26	मृदा संरक्षण कार्य	वन विभाग	3.992	0.000	नहीं

(टीप : वित्तीय वर्ष 2025-26 की जानकारी माह जनवरी, 2026 तक की स्थिति में है।)

अनुभाग अधिकारी  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, नवरा सयपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - ग्यारह  
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 979) की जानकारी

प्रपत्र- "अ"

स.क्र.	माईस/खदान का नाम	रोजगार प्राप्त करने वाले स्थानीय निवासियों की संख्या
1	2	3
1.	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	1096
2	मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	381
3.	मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड	190
4.	मेसर्स पुष्प स्टील एवं मायनिंग प्रायवेट लिमिटेड	282
5.	मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	191
6.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	170
<b>योग</b>		<b>2310</b>

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:27:48

## प्रपत्र- "ब"

खदान का नाम	स.क्र.	कार्य का विवरण	स्थान
1	2	3	4
गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड लौह अयस्क खदान	1	शाल्हे चौक से कच्चे गांव तक सी.सी. रोड का निर्माण (शेष कार्य 2024-25)	खदान के आस-पास के गाँवों में
	2	कच्चे गांव में प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र की परिचालन लागत	कच्चे
	3	पर्रैकोडो गांव में 04 विभिन्न बस्तियों को कवर करते हुए सीसी रोड का निर्माण	पर्रैकोडो
	4	धूल नियंत्रण के लिए लगाए गए पानी के टैंकर की व्यवस्था	कच्चे
	5	माइंस के निकटवर्ती ग्रामों के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सामुदायिक अंशकालिक शिक्षकों का सत्र-2025 के लिए वेतन	कच्चे
	6	ग्राम कच्चे में गोदावरी देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्माण	कच्चे
	7	ग्राम पंचायत कच्चे में बुनियादी ढांचे का विकास कार्य	कच्चे
	8	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को वित्तीय सहायता	भानुप्रतापपुर
	9	डायग्नोस्टिक सेंटर (हमार लैब), भानुप्रतापपुर की परिचालन व्यवस्था	भानुप्रतापपुर
	10	ग्राम कच्चे में स्टॉप डैम का निर्माण	कच्चे
	11	पेय जल हेतु खदान के आस-पास के गांवों में बोरवेल और पाइपलाइन खुदाई का कार्य	कच्चे
	12	आदिवासी महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र का परिचालन	कच्चे
	13	ग्राम कच्चे में स्ट्रीट लाइट का रखरखाव	कच्चे
मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	14	ग्राम मेडों के शासकीय विद्यालय में 2 शिक्षकों का मानदेय	मेडों
	15	ग्राम पंचायत चाहचाड़ के आश्रित ग्रामों में बोर खनन कार्य	आमापारा और बाजार पारा
	16	नवीन संचालित लाइब्रेरी "मावा मोदोल" को कम्प्युटर, प्रिंटर एवं पानी पीने हेतु बोर पंप लगवाया गया	दुर्गुकोंदल
	17	ग्राम पंचायत साधुमिचगांव के आश्रित ग्रामों में 1-1 नग पुलिया का निर्माण कार्य	भुसकी, ओडाहुर एवं पडगाल
	18	आंगन बाडी की छत ढलाई कार्य	चाहचाड़
	19	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 70 नग टेबल बेंच की व्यवस्था	भानुप्रतापपुर
	20	आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में औषधालय का लक्ष्य हर्बल गार्डन हेतु गमला एवं गार्डन चैयर स्थापना	कोदापाखा
	21	थाना परिसर वाटर कूलर की स्थापना	दुर्गुकोंदल
	22	रोड मरम्मत कार्य	पडगाल, चाहचाड़ एवं मेडों
	23	नालियों की सफाई एवं तालाब गहरीकरण कार्य	चाहचाड़, मेडों एवं भुडकागुदूम

खदान का नाम	स.क्र.	कार्य का विवरण	स्थान
1	2	3	4
मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड	24	ग्राम साधूमिचगांव के माध्यमिक शाला 01 नग कंप्यूटर सेट की व्यवस्था	साधूमिचगांव
	25	ग्राम पंचायत कार्यालय दुर्गूकोदल के प्रांगण में पेयजल के लिये नलकूप लगाया गया	हाहालदी
	26	ग्राम दोड़दे में हेल्थकैम्प का आयोजन	दोड़दे
	27	पेयजल की आपूर्ति हेतु नलकूप, स्थानीय त्योहारोत्सव, स्थानीय लोगों की शिक्षा एवं सामान्य जागरूकता, आश्रित ग्राम के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय	दुर्गूकोदल
मेसर्स पुष्प स्टील एवं मायनिंग प्रायवेट लिमिटेड	28	एम्बुलेंस एवं स्वास्थ्य सेवाएँ	चेमल, अदगुड, तुमरिसुर, भेंझार एवं बोदेली
	29	सड़कें एवं पुल का मरम्मत कार्य	
	30	गाँव की अन्य विकास गतिविधियाँ	
मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	31	कलवर गांव से कलवर माइंस तक वन क्षेत्र से होकर डब्ल्यू.बी. एम. सड़क, पुलिया एवं रपट का निर्माण कार्य।	झिटका टोला पंचायत
	32	चिकित्सा शिविर	झिटका टोला पंचायत
मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	33	एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्य के तहत पर्यावरण वानिकी को बढ़ावा देने हेतु नगरीय/शहरी क्षेत्रों के समीप 14700 नग पौधों का वृक्षारोपण किये जाने हेतु डीएफओ भानुप्रतापपुर पूर्व को राशि उपलब्ध कराई गई है	भानुप्रतापपुर
	34	ग्राम पंचायत कच्चे में गड़दों के समतलीकरण के लिए अनुदान राशि	कच्चे

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:25:56

## पारिशेष - बारह

पारिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1070) की जानकारी

प्रपत्र

राशि रुपये में

क्र.	वित्तीय वर्ष	जनहानि		जनघायल		पशुहानि		फसलक्षति			मकान क्षति		अन्य संपत्ति हानि		कुल प्रकाश संख्या	कुल प्रदाय मुआवजा राशि	
		प्रकाश संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि	रकबा (हे. में)	प्रकाश संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि	प्रकाश संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि			प्रकाश संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2025-26	3	1800000	0	0	15	161600	975	377.04	8385009	38	845388	30	415036	1061	11607033	

अपर प्रधेज मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)  
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

परिशेष - तेरह  
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1547) की जानकारी

प्रपत्र

## वार्षिक संधारण वर्ष 2024-25

राशि रु लाख में

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनाई गई पद्धति	रिमांक
		दिनांक	राशि				
1	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 16 के आर.डी. 0 मी. से 21540 मी. तक निस्तारी तालाब को भरने का कार्य	1.04.2024	9.45	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	9.36	पीस बर्क	पूर्ण
2	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र. 7, 7-A, 8, 9, एवं 10 में निस्तारी तालाब को भरने का कार्य	1.04.2024	14.65	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	14.50	पीस बर्क	पूर्ण
3	दुलना एनीकट से नवापारा एवं अभनपुर में जल प्रदाय का कार्य	1.04.2024	6.07	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	6.01	पीस बर्क	पूर्ण
4	आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य	1.04.2024	390.26	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	286.40	पीस बर्क	पूर्ण
5	अभनपुर नहर उद्बहन परियोजना के अप्रोच चैनल एवं पंप हाउस में सिल्ट क्लेयरेंस का कार्य	20.05.2024	19.58	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.39	पीस बर्क	पूर्ण
6	महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 67195 मी.में VRB का मरम्मत कार्य	20.05.2024	2.69	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.66	पीस बर्क	पूर्ण
7	महानदी मुख्य नहर के के आर.डी. 62370 मी.में VRB का मरम्मत कार्य	20.05.2024	2.88	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.85	पीस बर्क	पूर्ण
8	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 22 एवं 23 के माइनर का मरम्मत कार्य	24.06.2024	19.41	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.22	पीस बर्क	पूर्ण
9	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 24,25 एवं उनके माइनर का मरम्मत कार्य तथा सोनभट्टा माइनर का मरम्मत कार्य	24.06.2024	19.89	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.69	पीस बर्क	पूर्ण
10	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र. 2 का मरम्मत कार्य	27.06.2024	19.98	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.78	पीस बर्क	पूर्ण
11	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र. 4 का मरम्मत कार्य	27.06.2024	4.85	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.80	पीस बर्क	पूर्ण
12	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 06 के आर.डी. 0 मी. से 7200 मी. तक मरम्मत कार्य	27.06.2024	18.53	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	18.35	पीस बर्क	पूर्ण
13	महानदी मुख्य नहर के कौडापार क्रॉस रेगुलेटर के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	27.06.2024	17.48	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	17.31	पीस बर्क	पूर्ण
14	मांडर शाखा नहर के चंडी क्रॉस रेगुलेटर के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	27.06.2024	17.48	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	17.31	पीस बर्क	पूर्ण
15	मांडर शाखा नहर के मुख्य नहर, वितरक नहर एवं माइनर नहरों से खरीफ सिंचाई हेतु ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	27.06.2024	22.31	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	22.09	पीस बर्क	पूर्ण
16	मांडर शाखा नहर के बेन्दी क्रॉस रेगुलेटर के खरीफ सिंचाई हेतु ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	27.06.2024	17.48	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	17.31	पीस बर्क	पूर्ण
17	अभनपुर नहर उद्बहन परियोजना के मुख्य नहर, वितरक नहर एवं माइनर नहरों से खरीफ सिंचाई हेतु ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	27.06.2024	12.39	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	12.27	पीस बर्क	पूर्ण
18	मुंडरा एनीकट के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	27.06.2024	17.48	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	17.31	पीस बर्क	पूर्ण

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनाई गई पद्धति	रिपोर्ट
		दिनांक	राशि				
19	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 20, 21 एवं उनके माइनर नहरों के मरम्मत का कार्य	12.07.2024	19.26	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.07	पीस वर्क	पूर्ण
20	जल संसाधन मंत्री के कार्यालय भवन रायपुर में RCC स्लैब (सीपेज कंट्रोल ट्रीटमन्ट) के मरम्मत का कार्य	15.07.2024	18.89	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	18.70	पीस वर्क	पूर्ण
21	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 16 के आर.डी. 0 मी. से 7500 मी. के मरम्मत का कार्य	15.07.2024	19.90	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.70	पीस वर्क	पूर्ण
22	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 16 के आर.डी. 7500 मी. से 15000 मी. के मरम्मत का कार्य	15.07.2024	19.99	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.79	पीस वर्क	पूर्ण
23	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 16 के आर.डी. 15000 मी. से 21540 मी. के मरम्मत का कार्य	15.07.2024	19.79	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.59	पीस वर्क	पूर्ण
24	जल प्रबंध उपसंभाग क्रमांक 03, रायपुर के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के खरीफ सिंचाई के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	22.07.2024	25.47	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	25.22	पीस वर्क	पूर्ण
25	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 16 का वर्ष 2024-25 के खरीफ सिंचाई के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	02.08.2024	7.37	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	7.30	पीस वर्क	पूर्ण
26	मांडर शाखा नहर के आर. डी. 22000 मी. से 39000 मी. एवं वितरक क्र 7, 7 a, 8, 9 और 10 के खरीफ सिंचाई हेतु ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	02.08.2024	29.42	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	29.13	पीस वर्क	पूर्ण
27	महानदी मुख्य नहर के आर. डी. 78 किमी से किमी 99 तक का वर्ष 2024-25 के खरीफ सिंचाई के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	13.08.2024	28.56	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	28.28	पीस वर्क	पूर्ण
28	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 15, 17, 18, 18 a, 19 एवं खोला फीडर का वर्ष 2024-25 के खरीफ सिंचाई के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	13.08.2024	31.68	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	31.37	पीस वर्क	पूर्ण
29	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 17 के आर. डी. 11197 मी. से 26175 मी. तक मरम्मत का कार्य	13.08.2024	19.74	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.54	पीस वर्क	पूर्ण
30	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 17 के आर. डी. 0 मी. से 7235 मी. तक मरम्मत का कार्य	13.08.2024	19.83	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.63	पीस वर्क	पूर्ण
31	मांडर शाखा नहर के आर. डी. 43350 मी. से 43750 मी. तक रैन कट के मरम्मत का कार्य	30.08.2024	2.48	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.46	पीस वर्क	पूर्ण
32	मांडर शाखा नहर के आर. डी. 25200 मी. से 25600 मी. तक रैन कट के मरम्मत का कार्य	30.08.2024	2.46	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.44	पीस वर्क	पूर्ण
33	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 11 a, 14, 15, 16 और 17 के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का कार्य	30.08.2024	16.88	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	16.71	पीस वर्क	पूर्ण
34	महानदी मुख्य नहर के वितरक एवं माइनर नहरों के नहर बैंक का सुदृढीकरण कार्य	01.10.2024	10.33	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	10.23	पीस वर्क	पूर्ण
35	दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य	14.10.2024	390.34	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	252.06	पीस वर्क	पूर्ण
36	यनौद निरीक्षण गृह के मरम्मत का कार्य	20.01.2025	0.91	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
37	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 10 के निकट मांडर निरीक्षण गृह के मरम्मत का कार्य	13.02.2025	4.47	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.43	पीस वर्क	पूर्ण

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनवाई गई पद्धति	रिमांक
		दिनांक	राशि				
38	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 20,21,21 a, 21 b, 22,23 a, 23 j, 24,25 एवं सोनभट्टा माइनर का टैंक फिलिंग के दौरान ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	13.03.2025	16.84	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
39	जल प्रबंध उपसंभाग क्र 03 के अंतर्गत सांडर शाखा नहर के आर. डी. 39 किमी से 52.80 किमी एवं उनके वितरक नहरों के टैंक फिलिंग 2025 के दौरान ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	19.03.2025	14.84	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
40	जल संसाधन उपसंभाग अभनपुर के अंतर्गत टैंक फिलिंग के दौरान पेट्रोलिंग का कार्य	19.03.2025	34.28	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
41	अभनपुर नहर उद्वहन परियोजना अभनपुर के अंतर्गत टैंक फिलिंग के दौरान ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	19.03.2025	24.78	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
42	अभनपुर नहर उद्वहन परियोजना अभनपुर के अंतर्गत वितरक नहर क्र 1,2,3 एवं 4 के टैंक फिलिंग के दौरान ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	19.03.2025	9.53	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
43	जल संसाधन सर्वेक्षण उपसंभाग रायपुर के अंतर्गत टैंक फिलिंग के दौरान ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	24.03.2025	24.24	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
44	कार्यालय प्रमुख अभियंता शिवनाथ भवन नवा रायपुर, कार्यालय मुख्य अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता एवं कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्र 01 रायपुर और कार्यालय केनाल डिप्टी कलेक्टर रायपुर मे गरम मौसम से बचाव का कार्य	28.03.2025	19.98	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
45	दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य	28.03.2025	4.40	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
46	थनीद निरीक्षण गृह के मरम्मत का कार्य	28.03.2025	1.46	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
47	खोरपा निरीक्षण गृह के मरम्मत का कार्य	28.03.2025	3.04	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	0.00	पीस वर्क	पूर्ण
48	दुलता एनीकट से नवापारा एवं अभनपुर में जल प्रदाय हेतु ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	20.01.2025	5.77	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	5.71	पीस वर्क	पूर्ण
	योग		1479.784		1077.97		

*K. K. K.*  
कार्यपालन अभियंता,  
जल प्रबंध संभाग क्र. 1  
रायपुर (छ. ग.)

*2/5*  
*Pr...*  
मुख्य अभियंता (प्रबो.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
शिवनाथ भवन  
रायपुर

## वार्षिक संधारण वर्ष 2025-26


राशि रु लाख में

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनाई गई पद्धति	रिमांक
		दिनांक	राशि				
1	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 24 के मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	9.58	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	9.49	पीस बर्क	पूर्ण
2	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 06 के आर.डी. 0 मी. से 7200 मी. तक मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	18.53	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	18.35	पीस बर्क	पूर्ण
3	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 19 के मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	9.98	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	9.88	पीस बर्क	पूर्ण
4	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 16390 मी. से 21500 मी. तक नहर बैंक का सुदृढीकरण कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	11.18	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	11.07	पीस बर्क	पूर्ण
5	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र. 02 के आर.डी. 0 मी. से 1700 मी. तक मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	19.98	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.78	पीस बर्क	पूर्ण
6	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 10847 मी. में VRB का मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	7.26	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	7.19	पीस बर्क	पूर्ण
7	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 31160 मी. में ओवर हेड साइन बोर्ड के मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	5.24	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	5.19	पीस बर्क	पूर्ण
8	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 19000 मी. से 22000 मी. तक मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	04.04.2025	19.41	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.22	पीस बर्क	पूर्ण
9	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 16000 मी. से 19000 मी. तक मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	07.04.2025	19.44	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	19.25	पीस बर्क	पूर्ण
10	महानदी मुख्य नहर के आर. डी. 71.304 किमी., 70.168 किमी., 71.935 किमी., 73.73 किमी., 93.238 किमी., 97.447 किमी. के dc मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	07.04.2025	8.99	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.90	पीस बर्क	पूर्ण
11	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 22 के मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	07.04.2025	8.58	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.50	पीस बर्क	पूर्ण
12	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 23 के बनरसी माइनर एवं परसकोल माइनर के मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	07.04.2025	7.50	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	7.43	पीस बर्क	पूर्ण
13	अभनपुर नहर उद्वहन परियोजना के कालोनी के बाँउन्डी बाल के मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	07.04.2025	7.98	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	7.90	पीस बर्क	पूर्ण
14	महानदी मुख्य नहर के वितरक नहर क्र 16 के आर.डी. 10170 मी. से 13076 मी. तक मरम्मत कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन	07.04.2025	10.84	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	10.73	पीस बर्क	पूर्ण
15	सिंचाई पुस्तिका एवं रेविन्यू फॉर्म के प्रिंटिंग का कार्य	07.04.2025	10.00	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	9.90	पीस बर्क	पूर्ण
16	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र. 21 एवं 23 का मरम्मत कार्य	17.06.2025	19.77	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	16.59	पीस बर्क	पूर्ण
17	महानदी मुख्य नहर के वितरक नहर क्र 11 a ,14,15 एवं 17 का मरम्मत कार्य	17.06.2025	24.54	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	20.59	पीस बर्क	पूर्ण

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनाई गई पद्धति	रिपोर्ट
		दिनांक	राशि				
18	महानदी मुख्य नहर के वितरक नहर क्र 15 के आर.डी. 1020 मी. से 1070 मी. तक मरम्मत कार्य	24.06.2025	2.32	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	1.95	पीस वर्क	पूर्ण
19	महानदी मुख्य नहर के वितरक नहर क्र 17 के आर.डी. 6500 मी. से 6575 मी. तक मरम्मत कार्य	24.06.2025	2.48	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.08	पीस वर्क	पूर्ण
20	टीला एनीकट के गेटों में ऑइलिंग एवं पियर और स्ट्रक्चर के पेंटिंग का कार्य	24.06.2025	4.81	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.04	पीस वर्क	पूर्ण
21	रायपुरा एवं महादेव घाट एनीकट के गेटों में ऑइलिंग एवं पियर और स्ट्रक्चर के पेंटिंग का कार्य एवं माइनर मरम्मत का कार्य	24.06.2025	1.72	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	1.44	पीस वर्क	पूर्ण
22	पितईवंद एनीकट के गेटों में ऑइलिंग, ग्रीसिंग एवं पियर और स्ट्रक्चर के पेंटिंग का कार्य एवं माइनर मरम्मत का कार्य	24.06.2025	1.70	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	1.43	पीस वर्क	पूर्ण
23	राओर एनीकट के गेटों में ऑइलिंग, ग्रीसिंग एवं पियर और स्ट्रक्चर के पेंटिंग का कार्य एवं माइनर मरम्मत का कार्य	24.06.2025	3.30	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.77	पीस वर्क	पूर्ण
24	जल प्रबंध उपसंभाग क्रमांक 03, रायपुर के अंतर्गत मांडर शाखा नहर के आर.डी. 38900 मी. से 47500 मी. तक एवं वितरक क्र 11 a और 15 के मरम्मत का कार्य	08.07.2025	49.76	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	41.75	पीस वर्क	पूर्ण
25	कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भगत सिंह चौक रायपुर के मरम्मत का कार्य	25.07.2025	2.52	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.11	पीस वर्क	पूर्ण
26	महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 56200 मी. से 60200 मी. तक मरम्मत का कार्य	25.07.2025	2.46	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.06	पीस वर्क	पूर्ण
27	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 15,17,18,18 a खोला फीडर का सिंचाई के दौरान पेट्रोलिंग का कार्य	04.08.2025	40.02	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	38.60	पीस वर्क	पूर्ण
28	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 16 के आर.डी. 22 किमी से 38 किमी एवं मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 10 के ऑपरेशन एवं रेगुलेशन का कार्य	04.08.2025	31.46	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	30.41	पीस वर्क	पूर्ण
29	महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 70 किमी से 99 किमी के वितरक एवं माइनर नहरों के खरीफ सिंचाई 2025 में पेट्रोलिंग का कार्य	04.08.2025	29.78	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	29.60	पीस वर्क	पूर्ण
30	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 39 किमी से 52.80 किमी के वितरक एवं माइनर नहरों के खरीफ सिंचाई 2025 में पेट्रोलिंग का कार्य	04.08.2025	29.27	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	29.02	पीस वर्क	पूर्ण
31	अभनपुर नहर उद्दहन परियोजना के वितरक क्र 1 से 4 में खरीफ सिंचाई 2025 में पेट्रोलिंग का कार्य	04.08.2025	12.44	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	12.30	पीस वर्क	पूर्ण
32	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 1,1 a,2,2 a ,3,4,5 और 6 एवं माइनर नहरों के खरीफ सिंचाई 2025 में पेट्रोलिंग का कार्य	04.08.2025	22.37	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	21.45	पीस वर्क	पूर्ण
33	महानदी मुख्य नहर के वितरक नहर क्र 12 का मरम्मत कार्य	09.08.2025	7.23	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	6.07	पीस वर्क	पूर्ण
34	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 17 के आर.डी. 0 मी. से 3200 मी के मरम्मत का कार्य	09.08.2025	9.93	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.33	पीस वर्क	पूर्ण
35	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 17 के आर.डी. 3200 मी. से 6600 मी के मरम्मत का कार्य	09.08.2025	9.97	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.37	पीस वर्क	पूर्ण
36	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 48300 मी. से 51350 मी के मरम्मत का कार्य	09.08.2025	9.96	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.36	पीस वर्क	पूर्ण

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनाई गई पद्धति	रिमांक
		दिनांक	राशि				
37	मांडर शाखा नहर के आर.डी. 45740 मी. से 48300 मी. के मरम्मत का कार्य	09.08.2025	9.91	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.32	पीस वर्क	पूर्ण
38	दुलना एनीकट के वारिश के मौसम में ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	09.08.2025	6.41	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	6.30	पीस वर्क	पूर्ण
39	धनौद निरीक्षण गृह के माह जुलाई से सितंबर 2025 में मरम्मत का कार्य	09.08.2025	2.24	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	1.88	पीस वर्क	पूर्ण
40	खारुन नदी के मुंडरा एनीकट के माह जुलाई से मार्च 2025 से मार्च 2026 तक ऑपरेशन और रेग्युलेशन का कार्य	09.08.2025	20.14	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	20.01	पीस वर्क	पूर्ण
41	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 11 a,13,14 और 15 a के नहर बेड के मरम्मत का कार्य	09.08.2025	21.13	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	17.73	पीस वर्क	पूर्ण
42	महानदी मुख्य नहर के वितरक क्र 20,22, 24,25 एवं सोनभट्टा माइनर के मरम्मत का कार्य	09.08.2025	43.82	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	36.77	पीस वर्क	पूर्ण
43	वि./यां. आर एण्ड आर उपसंभाग रायपुर के कार्यालय भवन के मरम्मत का कार्य	02.09.2025	4.98	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.18	पीस वर्क	पूर्ण
44	काली मंदिर के पीछे स्टेट गैराज भवन के मरम्मत का कार्य	02.09.2025	4.84	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.06	पीस वर्क	पूर्ण
45	खोला टैंक के स्पिल चैनल के मरम्मत का कार्य	05.09.2025	2.10	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	1.04	पीस वर्क	पूर्ण
46	महानदी मुख्य नहर के आर. डी . 85.30 किमी पर नहर के क्षतिग्रस्त क्षेत्र एवं आर. डी . 85.40 किमी से 87.00 किमी के मध्य लाइनिंग के मरम्मत का कार्य	09.09.2025	10.07	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	8.45	पीस वर्क	पूर्ण
47	मांडर शाखा नहर के वितरक , और उसके माइनर के मरम्मत का कार्य	09.09.2025	45.21	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	37.93	पीस वर्क	पूर्ण
48	महानदी मुख्य नहर के आर. डी . 49.20 किमी से 60.00 किमी के मध्य लाइनिंग के मरम्मत का कार्य	09.09.2025	28.04	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	23.53	पीस वर्क	पूर्ण
49	महानदी मुख्य नहर के आर. डी . 60.00 किमी से 70.00 किमी के मध्य लाइनिंग के मरम्मत का कार्य	09.09.2025	26.96	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	22.62	पीस वर्क	पूर्ण
50	मांडर शाखा नहर के वितरक क्र 17 के माइनर क्र 2,3,4,5,6,6 a और 8 के नहर बेड के मरम्मत का कार्य	09.09.2025	19.41	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	16.29	पीस वर्क	पूर्ण
51	टीला में स्थित गार्डन के ऑपरेशन एवं मरम्मत का कार्य	09.09.2025	4.35	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	3.65	पीस वर्क	पूर्ण
52	मांडर शाखा नहर के आर. डी. 22 किमी से 38 किमी तक और वितरक क्र 10 एवं उनके माइनर के मरम्मत का कार्य	09.09.2025	29.53	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	24.78	पीस वर्क	पूर्ण
53	शासकीय कार्य सम्पादन हेतु कुशल व अकुशल श्रमिकों का प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियोजन करने का कार्य	09.09.2025	511.92	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	506.85	पीस वर्क	पूर्ण
54	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के कार्यालय भवन रायपुर में RCC स्लैब (सीपेज कंट्रोल ट्रीट्मन्ट ) के मरम्मत का कार्य	15.09.2025	4.96	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.16	पीस वर्क	पूर्ण
55	धनौद निरीक्षण गृह के माह अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 में मरम्मत एवं लेबर लगाने का कार्य	15.09.2025	5.75	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	4.82	पीस वर्क	पूर्ण

स.क्र.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का पद	अद्यतन व्यय	स्वीकृत कार्य हेतु अपनाई गई पद्धति	रिमार्क
		दिनांक	राशि				
56	चम्पारण निरीक्षण गृह के माह नवंबर 2025 से मार्च 2026 में मरम्मत एवं लेबर लगाने का कार्य	17.10.2025	3.71	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	3.11	पीस वर्क	पूर्ण
57	चम्पारण निरीक्षण गृह रेन वाटर हार्वैस्टिंग का कार्य	24.10.2025	2.31	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	1.94	पीस वर्क	पूर्ण
58	छट पूजा महोत्सव 2025 के लिए रायपुरा एवं महादेव घाट एनीकट के साफ सफाई का कार्य	29.10.2025	2.26	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.21	पीस वर्क	पूर्ण
59	पूननी मेला के लिए रायपुरा एवं महादेव घाट एनीकट के साफ सफाई का कार्य	29.10.2025	2.44	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	2.40	पीस वर्क	पूर्ण
60	जिला गरियाबंद के राजिम मे राजिम लक्ष्मण झूला के इलेक्ट्रिकल एवं लाइटिंग के मरम्मत का कार्य	01.12.2025	24.97	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	20.95	पीस वर्क	पूर्ण
61	अभनपुर नहर उद्वहन परियोजना अभनपुर के अप्रोच चैनल एवं पम्प हाउस के साफ सफाई का कार्य	19.12.2025	15.62	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	15.55	पीस वर्क	पूर्ण
62	रायपुर ट्रेनिंग सेंटर के पीछे खेल मैदान के उन्नयन एवं अस्थाई विकास का कार्य	16.01.2026	7.40	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	7.33	पीस वर्क	पूर्ण
63	अभनपुर नहर उद्वहन परियोजना अभनपुर के अंतर्गत साइन बोर्ड एवं किमी स्टोन लगाने का कार्य	16.01.2026	9.47	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध क्रमांक 01, रायपुर	9.40	पीस वर्क	पूर्ण
	योग		1362.335		1279.16		

  
कार्यपालन अभियंता,  
जल प्रबंध संभाग क्र. 1  
रायपुर (छ. ग.)

  
मुख्य अभियंता (प्रबो.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
शिवनाथ भवन  
भदख नगर, जिला-रायपुर

परिशेष - चौदह  
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1710) की जानकारी

प्रपत्र-

क्रमांक	दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	कार्यालय जहां शिकायत की गई	जांच प्रतिवेदन/ कार्यवाही विवरण
1	10.01.2024	श्री राजकुमार पारेख	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर	इस संबंध में संबंधित बस संचालक को चेतावनी दी गई।
2	09.05.2025	श्रीमती चातुरी नंद	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, नवा रायपुर	शिकायत अप्रमाणित।
3	09.09.2025	श्री अब्दुल सुलेमान	जिला परिवहन अधिकारी बेमेतरा	इस संबंध में संबंधित बस संचालक को चेतावनी दी गई।
4	28.12.2025	श्री नीलेश चन्द्राकर	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, नवा रायपुर	शिकायत अप्रमाणित।
5	16.01.2025	श्री परमेश्वर देवांगन	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, नवा रायपुर	शिकायत अप्रमाणित।


अनुभाग अधिकारी  
परिवहन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - पन्द्रह  
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1752) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश (ख) के संबंध में जानकारी

क्र.	प्राथमिक लघु वनोपज समिति का नाम
1.	गोलापल्ली
2.	कोन्टा
3.	एराबोर
4.	पालाचलमा
5.	किस्टाराम
6.	जग्गावरम
7.	दोरनापाल
8.	दुब्बाटोटा
9.	बोडकेल
10.	मिचीगुड़ा
11.	जगरगुड़ा
12.	केरलापाल
13.	सुकमा
14.	फूलबगडी
15.	कोण्डरे
16.	गुम्मा
17.	छिन्दगढ़

  
प्रबंधक (लेखा)

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

## परिशिष्ट - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1874) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	प्रकरण का विवरण एवं दिनांक 31.01.2026 तक की गई कार्यवाही का विवरण
1.	श्री लोकनाथ पटेल, वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. के पत्र दिनांक 21.03.2025 द्वारा स्पष्टीकरण चाहे जाने पर श्री पटेल द्वारा पत्र दिनांक 24.04.2025 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वनबल प्रमुख द्वारा उक्त प्रतिउत्तर से असहमत होते हुए, कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्ताव, पत्र दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किये जाने पर छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु विभाग के पत्र दिनांक 15.07.2025 द्वारा श्री पटेल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुक्रम में श्री पटेल द्वारा पत्र दिनांक 11.08.2025 द्वारा प्रतिवाद उत्तर शासन को प्रस्तुत किया गया। शासन के पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा श्री पटेल के प्रतिवाद उत्तर पर अभिमत चाहे जाने पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के पत्र दिनांक 13.11.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त से बिन्दुवार टीप/अभिमत चाहा गया है तथा पत्र दिनांक 16.12.2025 एवं पत्र दिनांक 10.02.2026 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त को स्मरण पत्र जारी किया गया है। वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	श्री विश्वनाथ मुखर्जी, तत्का. संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2025)	श्री विश्वनाथ मुखर्जी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28.05.2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था। उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।
3.	श्री सतीश कुमार मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, तत्का. परिक्षेत्राधिकारी, रायपुर परिक्षेत्र, वनमण्डल रायपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित कर, पत्र दिनांक 28.04.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा अधिरोपित आरोपों की विधिवत् जांच हेतु आदेश दिनांक 17.11.2025 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर, वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  — श्री सतीश कुमार मिश्रा को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. के आदेश दिनांक 05.12.2025 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया तथा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2025 द्वारा परिक्षेत्राधिकारी, दुर्गुकोंदल (सामान्य) परिक्षेत्र, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल में पदस्थ किया गया है।

  
**अनुभाग अधिकारी**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर**

4.	श्री तेजा सिंह साहू, वनपाल, तत्का. सहायक परिक्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी इंदिरा निकुंज माना रोपणी, रायपुर वनमण्डल	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित कर, पत्र दिनांक 17.04.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा अधिरोपित आरोपों की विधिवत् जांच हेतु आदेश दिनांक 14.08.2025 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर, संलग्नाधिकारी, धमतरी वनमण्डल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। - श्री तेजा सिंह साहू को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 14.08.2025 द्वारा निलंबन से बहाल कर, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, रायपुर में पदस्थ किया गया है।
5.	श्री प्रदीप तिवारी, सहायक ग्रेड- 02, तत्का. व्यय शाखा प्रभारी, रायपुर वनमण्डल	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित कर, पत्र दिनांक 17.04.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा अधिरोपित आरोपों की विधिवत् जांच हेतु आदेश दिनांक 29.05.2025 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर, संलग्नाधिकारी, धमतरी वनमण्डल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। - श्री प्रदीप तिवारी को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 30.05.2025 द्वारा निलंबन से बहाल कर, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, रायपुर में पदस्थ किया गया है।
6.	श्री अविनाश वाल्दे, सहायक ग्रेड- 02, तत्का. कैम्पा शाखा प्रभारी, रायपुर वनमण्डल	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित कर, पत्र दिनांक 17.04.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा अधिरोपित आरोपों की विधिवत् जांच हेतु आदेश दिनांक 29.05.2025 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर, संलग्नाधिकारी, धमतरी वनमण्डल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। - श्री अविनाश वाल्दे को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 30.05.2025 द्वारा निलंबन से बहाल कर, जंगल सफारी, रायपुर में पदस्थ किया गया है।
7.	श्री अजीत डडसेना, सहायक ग्रेड- 03, तत्का. परिक्षेत्र लिपिक, रायपुर परिक्षेत्र, वनमण्डल रायपुर	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित कर, पत्र दिनांक 17.04.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा अधिरोपित आरोपों की विधिवत् जांच हेतु आदेश दिनांक 29.05.2025 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर, संलग्नाधिकारी, धमतरी वनमण्डल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। - श्री अजीत डडसेना को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 30.05.2025 द्वारा निलंबन से बहाल कर, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, रायपुर में पदस्थ किया गया है।

  
**अनुभाग अधिकारी**  
**वन एवं सततता पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तिस गढ़**

प्रपत्र "ब"

स.क्र.	निलंबित अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	कब निलंबित किया गया	निलंबन के बाद बहाली दिनांक	निलंबन से बहाली पश्चात नवीन पदस्थापना
1	श्री सतीश कुमार मिश्रा, वनक्षेत्रपाल तत्का. परिक्षेत्राधिकारी, रायपुर परिक्षेत्र वनमण्डल रायपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग. के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित किया गया।	श्री मिश्रा को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2025 से निलंबन से बहाल किया गया।	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 26.12.2025 से श्री मिश्रा को परिक्षेत्राधिकारी, दुर्गकौदल (सामान्य) परिक्षेत्र पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल में पदस्थ किया गया है।
2	श्री तेजा सिंह साहू वनपाल, तत्का सहायक परिक्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी इंदिरा निकुंज माना रोपणी, रायपुर वनमण्डल	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित किया गया।	श्री साहू को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 14.08.2025 से निलंबन से बहाल किया गया।	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा श्री साहू को अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल रायपुर में पदस्थ किया गया है।
3	श्री प्रदीप तिवारी, सहायक ग्रेड-2 तत्का. व्यय शाखा प्रभारी, रायपुर वनमण्डल	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित किया गया।	श्री तिवारी को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 30.05.2025 से निलंबन से बहाल किया गया।	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा श्री तिवारी को अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल रायपुर में पदस्थ किया गया है।
4	श्री अविनाश वाल्दे, सहायक ग्रेड-2 तत्का. कैम्पा शाखा प्रभारी, रायपुर वनमण्डल	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित किया गया।	श्री वाल्दे को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 30.05.2025 से निलंबन से बहाल किया गया।	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा श्री वाल्दे को जंगल सफारी, रायपुर में पदस्थ किया गया है।
5	श्री अजीत डडसेना, सहायक ग्रेड-3 तत्का परिक्षेत्र लिपिक, रायपुर परिक्षेत्र, वनमण्डल रायपुर	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा निलंबित किया गया।	श्री डडसेना को मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश दिनांक 30.05.2025 से निलंबन से बहाल किया गया।	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा श्री डडसेना को अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल रायपुर में पदस्थ किया गया है।

  
**अनुभाग अधिकारी**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर**

। पारिशेष - सत्रह  
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1944) की जानकारी

“प्रपत्र”

क्र.	पट्टेदार का नाम	खदान ग्राम/ ग्राम पंचायत	तहसील	रकबा (हेक्टे में)	अवधि	वर्ष 2025-26 (31.1.2026 तक)			रिमारक
						वास्तविक उत्पादन	रायल्टी	नीलामी राशि	
1	श्री भुपेन्द्र सिंह ठाकुर	लछनपुर / पेण्डरवा (उ)	बिलासपुर	4.900	6.10.2023 से 5.10.2028	26100	1305000	1566000	खदान दिनांक 25.02.2026 से पर्यवसित की गई है।
2	श्री पुरुषोत्तम यादव	उदईबंद / अमलडीहा	पचपेड़ी	4.090	12.02.2024 से 11.02.2029	31500	1575000	189000	संचालित
3	श्री निलेश चन्द्र भार्गव	अमलडीहा / अमलडीहा	पचपेड़ी	4.090	13.02.2024 से 12.02.2027	25820	1291000	1549200	संचालित
4	सरपंच, ग्राम पंचायत करहीकछार	करहीकछार / करहीकछार	बेलगहना	4.00	27.02.2024 से 26.02.2029	10800	540000	1116000	संचालित
5	सरपंच, ग्राम पंचायत छतौना	सोढ़ाखुर्द / छतौना	बेलगहना	4.600	08.11.2024 से 07.11.2029	3000	150000	180000	संचालित
6	सरपंच, ग्राम पंचायत कोनचरा	कोनचरा / कोनचरा	बेलगहना	4.600	16.07.2025 से 15.07.2030	---	---	---	भू-प्रवेश की कार्यवाही प्रचलन में है।
						97220	4861000	6301200	

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
13:45:33

परिशेष - अट्टारह  
परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2067) की जानकारी

प्रपत्र-अ

स.क्र.	वर्ष	कार्य का प्रकार	कार्य की संख्या	जिला	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
1	2022-23	सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	राजनांदगांव	-	-	
		नहर लाईनिंग कार्य	7	राजनांदगांव	3748.81	3387.98	
		जलाशय	-	राजनांदगांव	-	-	
		बांध	-	राजनांदगांव	-	-	
		एनीकट	1	राजनांदगांव	208.60	70.34	
		अन्य निर्माण	-	राजनांदगांव	-	-	
		संधारण मरम्मत	112	राजनांदगांव	109.35	109.35	
		सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	-	-	
		नहर लाईनिंग कार्य	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	4070.84	3559.63	
		जलाशय	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		बांध	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		एनीकट	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	293.92	269.90	
		अन्य निर्माण	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
संधारण /मरम्मत	3	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	4405.76	3870.42			
<b>योग:-</b>			<b>125</b>		<b>12837.28</b>	<b>11267.62</b>	

स.क्रं.	वर्ष	कार्य का प्रकार	कार्य की संख्या	जिला	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
2	2023-24	सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	राजनांदगांव	-	-	
		नहर लाईनिंग	4	राजनांदगांव	675.46	460	
		जलाशय/बांध	-	राजनांदगांव	-	-	
		एनीकट	-	राजनांदगांव	-	-	
		अन्य निर्माण	1	राजनांदगांव	1307.20	1387.65	
		संधारण मरम्मत	71	राजनांदगांव	56.69	56.69	
		सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	-	-	
		नहर लाईनिंग	5	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	1652.35	1278.63	
		जलाशय	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	2282.94	2163.04	
		बांध	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		एनीकट	2	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	549.59	542.27	
		अन्य निर्माण	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	79.25	31.55	
संधारण /मरम्मत	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0			
<b>योग:-</b>					<b>6603.48</b>	<b>5919.83</b>	

स.क्रं.	वर्ष	कार्य का प्रकार	कार्य की संख्या	जिला	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
3	2024-25	सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	राजनांदगांव	-	-	
		नहर लाईनिंग कार्य	2	राजनांदगांव	11628.97	1077.88	
		जलाशय/बांध	-	राजनांदगांव	-	-	
		एनीकट	-	राजनांदगांव	-	-	
		अन्य निर्माण	-	राजनांदगांव	-	-	
		संधारण मरम्मत	64	राजनांदगांव	68.92	68.92	
		सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	-	-	
		नहर लाईनिंग कार्य	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	78.25	23.08	
		जलाशय	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		बांध	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		एनीकट	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		अन्य निर्माण	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		संधारण /मरम्मत	8	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	167.66	83.58	
<b>योग:-</b>			<b>75</b>	<b>11943.8</b>	<b>1253.46</b>		

स.क्रं.	वर्ष	कार्य का प्रकार	कार्य की संख्या	जिला	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07	08
4	2025-26 31.01.2026 तक	सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	राजनांदगांव	-	-	
		नहर लाईनिंग कार्य	2	राजनांदगांव	2417.77		
		जलाशय/बांध	-	राजनांदगांव	-	-	
		एनीकट	-	राजनांदगांव	-	-	
		अन्य निर्माण	1	राजनांदगांव	469.99	-	
		संधारण मरम्मत	50	राजनांदगांव	136.88	136.88	
		सिंचाई परियोजनाओं हेतु नहर निर्माण	-	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	-	-	
		नहर लाईनिंग कार्य	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	207.82	0	
		जलाशय	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		बांध	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		एनीकट	1	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	403.25	0	
		अन्य निर्माण	0	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	0	0	
		संधारण /मरम्मत	11	मोहला.मानपुर.अ.चौकी	712.71	524.81	
योग:-			66	4348.42	661.69		
महायोग:-			351	35732.98	19102.6		

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 10-03-2026  
15:21:53

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

**वर्ष 2022-23 से 31.01.2026 तक राजनांदगांव एवं मोहवा-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं में किये गये निरीक्षण की जानकारी**

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	जिला	विकासखण्ड	निरीक्षण कर्ता का नाम व दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	की गई कार्यवाही
01	02	03	04	05	06	07	08
1	2022-23	भण्डारी भद्रा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लायनिंग कार्य	राजनांदगांव	छुरिया	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 22.01.2025	1- दही.आर.बी. पाईप ज्वाइंट के कॉक्रीट में हनीकाम्ब पाया गया। 2- क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	कार्य पूर्ण। दही.आर.बी. पाईप ज्वाइंट के कॉक्रीट कार्य में वाईब्रेटर से वाईब्रेशन किया गया। क्युरिंग का कार्य जुट बैग लगाकर किया गया।
2	2022-23	छोपानाला व्यपवर्तन नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	श्री निरपवत्स रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 05.06.2024	1- सी-एन-एस- के काम्पेक्शन में कमी पायी गई। 2- क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	कार्य पूर्ण। क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर किया गया एवं सी.एन.एस. का पर्याप्त काम्पेक्शन किया गया।
3	2022-23	धर्मटोला जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	छुरिया	श्री निरपवत्स रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 14.01.2024	1- सीमेंट कॉक्रीट बनाने हेतु साफ पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा था। 2- सी.एन.एस. के काम्पेक्शन में कमी पायी गई। 3- क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	कार्य पूर्ण। सीमेंट कॉक्रीट बनाने हेतु साफ पानी का उपयोग किया गया। क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर किया गया है एवं सी.एन.एस. का पर्याप्त काम्पेक्शन किया गया है।
4	2022-23	जामरी व्यपवर्तन क्रमांक-02 (नाबार्ड) नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	श्री दिनेश कुमार भगोरिया अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग दिनांक 04.01.2024	1 - एल.बी.सी. में आर.डी. 4050 से 6660 मी. तक लांगीट्यूडिनल स्लीपर का निर्माण किया जाना आवश्यक है। 2 - 420 मीटर पर पूर्व निर्मित दही.आर.बी. को पुनः निर्माण किया जावे जिससे बैड लेवल मिलान हो सके।	कार्य पूर्ण। निरीक्षण में दिये गये निर्देशानुसार कार्य कराया गया।
5	2022-23	देवकट्टा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	श्री दिनेश कुमार भगोरिया अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग दिनांक 04.01.2024	मुह्य नहर के आर.डी. 0 मी. से 6540 मी. तक केनाल बैड में लांगीट्यूडिनल स्लीपर का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है एवं नहर के कंट्रिम रिच में आवश्यकता के अनुसार पोरस पॉक्रेट का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।	कार्य पूर्ण। निरीक्षण में दिये गये निर्देशानुसार कार्य कराया गया।

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	जिला	विकासखण्ड	निरिक्षण कर्ता का नाम व दिनांक	निरिक्षण के दौरान पाई गई कमियां	की गई कार्यवाही
01	02	03	04	05	06	07	08
6	2022-23	बनसोड़ी जलाशय बांध मरम्मत एवं नहर लाईनिंग	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री निरखवास रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 23.10.2023	जलाशय शीर्ष कार्य पहुंच मार्ग खराब स्थिति में पाया गया।	कार्य पूर्ण।
7	2022-23	मारगांव विरगांव जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 23.01.2025	1- सी-पन-एस- के काम्पेक्शन में कमी पायी गई। 2- क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर किया जा रहा है एवं सी.एन.एस. का पर्याप्त काम्पेक्शन किया जा रहा है।
8	2022-23	गातापार एजीकट निर्माण कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री जी.डी.रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 28.12.2023	1 कांक्रिट कार्य में काम्पेक्शन में कमी पायी गई। 2 क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	कार्य पूर्ण। कांक्रिट कार्य में वाईब्रेटर का उपयोग कर वाईब्रेशन किया गया। क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर क्युरिंग किया गया।
9	2022-23	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर का सी.सी. लाईनिंग एवं 04 नग लघु नहरों का निर्माण कार्य ।	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री स्तीश कुमार ठीकम मुख्य अभियंता मगोक रायपुर दिनांक 01-12-2024 एवं 12-03-2025	1- अनुबंध में बर्म का प्रावधान नहीं पाया गया 2- ओपन चैनल की डेडाई में कमी पाई गई। 3- नहर की आर.डी- 21.465 मी. से 21.515 मी. के लेवट साईड बैंक में रिटैनिंग वाल की कमी पाई गई। 4- स्केप चैनल निर्माण का प्रावधान नहीं पाया गया।	उक्त अनुबंध में अतिरिक्त कार्य की अनुपूरक सूची प्राप्त कर निर्देशित कार्य का संपादन किया जा रहा है।
10	2022-23	कोटरी नदी में टारनी एजीकट का निर्माण कार्य	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	मोहला	श्री दिनेश कुमार भगोरिया अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग दिनांक 18-08-2024	एजीकट के अपस्ट्रीम में मिट्टी कटाव रोकने हेतु प्रोटेक्शन वाल नहीं पाया गया।	उक्त अनुबंध में अतिरिक्त कार्य की अनुपूरक सूची प्राप्त कर निर्देशित कार्य का संपादन किया गया
11	2023-24	तेन्दुमांठ जलाशय नहर जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 19.01.2025	1- सीमेंट कांक्रिट बनाने हेतु साफ पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा था। 2- सी.पन.एस. के काम्पेक्शन में कमी पायी गई। 3- क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	सीमेंट कांक्रिट बनाने हेतु साफ पानी का उपयोग किया जा रहा है। क्युरिंग का कार्य गनी बैग लगाकर किया जा रहा है एवं सी.एन.एस. का पर्याप्त काम्पेक्शन किया जा रहा है।

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	जिला	विकासखण्ड	निरिक्षण कर्ता का नाम व दिनांक	निरिक्षण के दौरान पाई गई कमियां	की गई कार्यवाही	
01	2023-24	खैरा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 03.05.2025	06	07	08
12	2023-24	खैरा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 03.05.2025	06	07	08
13	2023-24	अवर्धा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 24.05.2025	06	07	08
14	2023-24	बोटेपार जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री निलेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव दिनांक 24.05.2025	06	07	08
15	2023-24	मटियादरी पनौकट कम काजवे का तटबंध संरक्षण एवं मरम्मत कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री सतीश कुमार ठोकम मुख्य अभियंता, मगोक, रायपुर एवं श्री एस.के. पांडेय अधीक्षण अभियंता दिनांक 01.12.2024	06	07	08
16	2023-24	खाटुटोला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर के सी0-सी10 लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री सतीश कुमार ठोकम मुख्य अभियंता मगोक रायपुर दिनांक 08-03-2025	06	07	08
17	2023-24	गौदानाला जलाशय के जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य ।	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	अ.चौकी	श्री राजीव कांत अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी मिट्टी परीक्षण रायपुर दिनांक 06-03-2025 एवं 03-02-2025	06	07	08

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	जिला	विकासखण्ड	निरीक्षण कर्ता का नाम व दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	की गई कार्यवाही
01	02	03	04	05	06	07	08
18	2023-24	गुण्डरदेही जलाशय के जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य ।	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	अ.चौकी	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग दिनांक 17-01-2026	1- सी-एन-एस- के कामेक्शन में कमी पायी गई। 2- क्यूरिंग का कार्य गंभीर ढंग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	क्यूरिंग का कार्य गंभीर ढंग लगाकर किया जा रहा है एवं सी.एन.एस. का पर्याप्त कामेक्शन किया जा रहा है।
19	2023-24	बोगटोला जलाशय के जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य ।	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	मोहला	श्री भूपेन्द्र कुमार बावनशेडे कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव दिनांक 02-01-2026	जलाशय शीर्ष कार्य पहुंच मार्ग खराब स्थिति में पाया गया।	उक्त अनुबंध में अतिरिक्त कार्य की अनुसूचक सूची प्राप्त कर निर्देशित कार्य का संपादन किया गया।
20	2023-24	देवरसर जलाशय के जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य ।	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	मोहला	श्री भूपेन्द्र कुमार बावनशेडे कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव दिनांक 02-01-2026	सीमेंट कांक्रिट बनाने हेतु साफ पानी का उपयोग किया जा रहा था।	सीमेंट कांक्रिट बनाने हेतु साफ पानी का उपयोग किया जा रहा है।
21	2023-24	नागरकोहरा एनोकेट का निर्माण कार्य	राजनंदगांव	छुरिया	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग दिनांक 17-11-2024	1- एनोकेट की लंबाई में कमी पाए जाने पर संचाल लंबाई बढ़ाने हेतु निर्देश दिया गया। 2- प्राकल्पन में एपेच रोड का प्रावधान नहीं पाया गया।	उक्त अनुबंध में अतिरिक्त कार्य की अनुसूचक सूची प्राप्त कर निर्देशित कार्य का संपादन किया गया।
22	2023-24	बादराटोला से चंद्रहाबजारी के बीच एनोकेट कमकाजर्वे का निर्माण कार्य	राजनंदगांव	छुरिया	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग दिनांक 04-03-2025	1- क्रॉस विंग वाल के स्थान पर क्रॉस टै-वाल प्रावधानित था। 2- क्यूरिंग का कार्य गंभीर ढंग लगाकर नहीं किया जा रहा था। 3- विंग वाल की लंबाई में कमी पायी गई है।	उक्त अनुबंध में अतिरिक्त कार्य की अनुसूचक सूची प्राप्त कर निर्देशित कार्य का संपादन किया गया।
23	2023-24	मोंगरा बैराज के साइड में निरीक्षण गूह का निर्माण कार्य	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	अ.चौकी	श्री भूपेन्द्र कुमार बावनशेडे कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव दिनांक 06-08-2025	1- उचित सुरक्षात्मक उपकरण (हस्ताने हेल्मेट) का उपयोग नहीं किया जा रहा था। 2- कार्य निर्धारित समयावधि से विलंब था। 3- क्यूरिंग का कार्य नियमानुसार नहीं पाया गया।	उचित सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, कार्य समयावधि में पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को पत्राचार किया गया एवं क्यूरिंग कार्य नियमानुसार किया जा रहा है।
24	2024-25	कलकसा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	राजनंदगांव	राजनंदगांव	श्री नितेश कुमार रामटेके कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनंदगांव दिनांक 24-05-2025	1- स्ट्रक्चर निर्माण में प्रापर फिनिशिंग नहीं पाया गया। 2- क्यूरिंग का कार्य गंभीर ढंग लगाकर नहीं किया जा रहा था।	प्रगतिपर स्लोपर कास्टिंग के दौरान कांक्रिट में हनीकम्ब को ठीक किया गया। लाईनिंग कार्य में क्यूरिंग कार्य किया जा रहा है।

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	जिला	विकासखण्ड	निरीक्षण कर्ता का नाम व दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	की गई कार्यवाही
01	2024-25	शिवनाथ व्यपवर्तन मुख्य नहर शाखा नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री सतीश कुमार ठीकम मुख्य अभियंता, मगोक, रायपुर एवं श्री एस.के. पाण्डेय अधीक्षण अभियंता दिनांक 22.02.2026	06	08
25	2024-25	शिवनाथ व्यपवर्तन मुख्य नहर शाखा नहर लाईनिंग कार्य	राजनांदगांव	डोंगरगांव	श्री सतीश कुमार ठीकम मुख्य अभियंता, मगोक, रायपुर एवं श्री एस.के. पाण्डेय अधीक्षण अभियंता दिनांक 22.02.2026	06	08
26	2024-25	नवागांव जलाशय का जौणादवार एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य ।	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	मानपुर	श्री भूपेन्द्र कुमार बावनथड़े कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव दिनांक 02-01-2026	07	08
27	2025-26 31.01.2026 तक	राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड छुरिया की छुमरियानाला बैराज के जंतर माईनर में पाईप लाईन कार्य	राजनांदगांव	छुरिया	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय अधीक्षण अभियंता शिवनाथ मंडल दुर्ग दिनांक 28-01-2026	07	08

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 10-03-2026  
15:22:57

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - उन्नीस  
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2104) की जानकारी


प्रपत्र-अ

अविभाजित जिला राजनांदगांव में शासकीय महाविद्यालय के भवन की स्थिति की  
जानकारी

क्र.	जिला	विकासखंड का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय भवन की स्थिति (स्वयं/भवन विहीन/जर्जर)
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव	स्वयं का भवन
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय कमलादेवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	स्वयं का भवन
3	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	स्वयं का भवन
4	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका	स्वयं का भवन
5	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	वीरंगना रानी अवंतीबाई लोधी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रामाटोला	स्वयं का भवन
6	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय लाल बहादुर	स्वयं का भवन
7	राजनांदगांव	डोंगरगांव	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव	स्वयं का भवन
8	राजनांदगांव	छुरिया	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया	स्वयं का भवन
9	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	स्वयं का भवन
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय आदर्श महाविद्यालय सोमनी, जिला- राजनांदगाँव	स्वयं का भवन
11	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	अम्बागढ़ चौकी	शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अं. चौकी	स्वयं का भवन
12	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	मोहला	स्व. लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला	स्वयं का भवन
13	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	मानपुर	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर	स्वयं का भवन
14	खैरागढ़ - छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	रानी रश्मिदेवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़	स्वयं का भवन


  
अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नया रावपुर (छ.ग.)

15	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	छुईखदान	वीरांगना अवंती बाई शासकीय महाविद्यालय छुईखदान	स्वयं का भवन
16	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	छुईखदान	रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय साल्हेवारा	स्वयं का भवन
17	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	छुईखदान	स्व. श्री देवी प्रसाद जी चौबे शासकीय महाविद्यालय गंडई	स्वयं का भवन
18	राजनांदगांव	राजनांदगाव	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अर्जुनी	भवन विहीन
19	मोहला-मानपुर- अं चौकी	मोहला	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला	भवन विहीन
20	मोहला-मानपुर- अं चौकी	औधी	शासकीय नवीन महाविद्यालय औधी	भवन विहीन
21	मोहला-मानपुर- अं चौकी	अम्बागढ़ चौकी	नवीन शासकीय महाविद्यालय चिल्हाटी	भवन विहीन
22	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई	भवन विहीन
23	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	संत गुरु घासीदास बाबा शासकीय नवीन महाविद्यालय, टेलकाडीह	भवन विहीन
24	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा	भवन विहीन
25	खैरागढ़ – छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बाजार अतरिया	भवन विहीन


  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

अविभाजित जिला राजनांदगांव में शासकीय महाविद्यालय के स्वीकृत व भरे पदों की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	157	83	74
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	65	36	29
3	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	57	21	36
4	राजनांदगांव	डोंगरगांव	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	47	20	27
5	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	37	18	19
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय रानी अवन्तीबाई महाविद्यालय, घुमका	28	8	20
7	राजनांदगांव	राजनांदगांव	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुरनगर	26	11	15
8	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	वीरांगना रानी अवन्ती बाई लोधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रामाटोला	14	8	6
9	राजनांदगांव	छुरिया	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	35	13	22
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महा., सोमनी	38	9	29
11	राजनांदगांव	डोंगरगांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अर्जुनी, डोंगरगांव	33	3	30
12	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी	अम्बागढ़ चाकी	शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी	60	22	38
13	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी	मानपुर	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	33	9	24
14	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी	मोहला	शासकीय स्व. लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मोहला	29	12	17
15	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी	मानपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, औधी	21	5	16

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

16	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़चौकी	अम्बागढ़ चाकी	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिल्हाटी	33	2	31
17	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़चौकी	मोहला	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	33	1	32
18	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	खैरागढ़	शासकीय रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़	37	16	21
19	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	छुईखदान	शासकीय वीरांगना अवन्ती बाई महाविद्यालय, छुईखदान	32	9	23
20	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	छुईखदान	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	35	13	22
21	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	छुईखदान	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	29	6	23
22	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	खैरागढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ठेलकाडीह	21	14	7
23	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	खैरागढ़	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	33	1	32
24	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	खैरागढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बाजार अतरिया	33	0	33
25	खैरागढ़-छुईखदान - गंडई	खैरागढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जालबांधा	33	2	31
			योग:-	999	342	657

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

## परोशेष्ट - बीस

परोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2121) की जानकारी

## प्रपत्र "अ"

## निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी एवं कार्यवाही का विवरण

क्र	वर्ष	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा हे०	जिनके विरुद्ध अवैध प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त हुई है नाम व पता
1	2026	झुराड़बरी	129/1	0.091	पंकज जैन पिता अमृत लाल निवासी पदनभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग
			137/1	0.423	
2	2026	झुराड़बरी	565/1	0.319	रुखमणी पिता छेरकू निवासी ग्राम झुराड़बरी राजनांदगांव
3	2026	झुराड़बरी	569/1	0.159	प्रमोद चौधरी पिता रामायण चौधरी निवासी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ०ग०
			723/1	0.377	
4	2026	झुराड़बरी	570/1	0.313	नेहा महाजन पिता अंकुश महाजन निवासी ग्राम जुनवानी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग
5	2026	झुराड़बरी	648/1	0.111	राघवेन्द्रसिंह पिता हंसध्वज निवासी हरिनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ०ग०
			712/3	0.107	
6	2026	झुराड़बरी	713/2	0.233	सीमा मौर्या पति राजनाथ मौर्या निवासी जुनवानी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ०ग०
7	2026	झुराड़बरी	729/1	0.101	सम्पत पिता हीरालाल पारख निवासी झुराड़बरी तहसील व जिला राजनांदगांव छ०ग०
8	2026	जोरातराई	105/1	0.356	शिवचरण देवांगन पिता सखाराम देवांगन व अन्य 01 निवासी मिनाक्षी नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग
			106/1	0.388	
9	2026	जोरातराई	18/2	1.7264	मे. ऋषभ रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग द्वारा रोशन जैन पिता ओमप्रकाश जैन निवासी महावीर नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग छ०ग०
10	2026	जोरातराई	30/1	0.4584	मे. ऋषभ रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग द्वारा रोशन जैन पिता ओमप्रकाश जैन निवासी महावीर नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग छ०ग०
			155/1	0.061	
कुल खसरा 15, कुल रकबा 5.2238 हे. कुल भूमिस्वामी 10					


3/0  
अनुभाग अधिकारी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
जंमखण्ड नया नगर, अटल नगर

## प्रपत्र "ब"

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं कार्यवाही का विवरण

क्रं	वर्ष	ग्राम का नाम	खसरा	रकबा	जिनके विरुद्ध अवैध कब्जा की शिकायत प्राप्त हुई है नाम व पता	कब्जा का प्रकार	कार्यवाही का विवरण	कार्यवाही कर्ता अधिकारी
1	2026	झूराडबरी	672	13.354 हे. में से 0.0742 हेक्टेयर	श्री राघवेन्द्र सिंह श्री हेमंत सिंह श्री प्रमोद चौधरी सभी निवासी भिलाई जिला- दुर्ग	शौचालय एवं मुरुम डालकर कच्चे रास्ते का निर्माण	प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही है।	नायब तहसीलदार राजनांदगांव
2	2026	झूराडबरी	558	6.635 में से 0.1188 हेक्टेयर	श्री राघवेन्द्र सिंह श्री हेमंत सिंह श्री प्रमोद चौधरी सभी निवासी भिलाई जिला- दुर्ग	कच्चा रास्ता एवं प्रवेश द्वार का निर्माण	प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही है।	नायब तहसीलदार राजनांदगांव
3	2026	झूराडबरी	508	0.134 हेक्टेयर में से 0.0184 हेक्टेयर	श्री राघवेन्द्र सिंह श्री हेमंत सिंह श्री प्रमोद चौधरी सभी निवासी भिलाई जिला- दुर्ग	पानी की निकासी हेतु अस्थायी पुल का निर्माण	प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही है।	नायब तहसीलदार राजनांदगांव
4	2026	झूराडबरी	544	2.314 हेक्टेयर में से 0.005 हेक्टेयर	श्री राघवेन्द्र सिंह श्री हेमंत सिंह श्री प्रमोद चौधरी सभी निवासी भिलाई जिला- दुर्ग	पानी की निकासी हेतु अस्थायी पुल का निर्माण	प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही है।	नायब तहसीलदार राजनांदगांव



अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "स"  
निजी भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं कार्यवाही का विवरण

क	वर्ष	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा हे०	जिनके विरुद्ध निजी भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत प्राप्त हुई हैं नाम व पता	शिकायतकर्ता का नाम व पता	कार्यवाही का विवरण	कार्यवाहीकर्ता अधिकारी
1	2026	झुराड़बरी	421	1.522	राघवेन्द्र सिंह पिता हंसध्वज, प्रमोद चौधरी पिता रामायण चौधरी सभी निवासी भिलाई, जिला दुर्ग	उमानलाल साहू निवासी जोरातराई	प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही है।	नायब तहसीलदार राजनांदगांव
			473	0.207				

  
अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "द"  
राजस्व प्राप्ति की जानकारी

क्रं	ग्राम का नाम	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		योग
		भूमि स्वामीयों की संख्या	राशि	भूमि स्वामीयों की संख्या	राशि	भूमि स्वामी की संख्या	राशि	भूमि स्वामी की संख्या	राशि	भूमि स्वामी की संख्या	राशि	
1	मनगटा	निरंक	निरंक	1	22769	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	22769
2	झूराडबरी	5	272653	0	0	0	0	0	0	40	257059	529712
3	जोरातराई	निरंक	निरंक	0	0	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0
	योग		272653		22769						257059	552481

  
अनुभाग अधीक्षक  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
त्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - इक्कीस  
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2158) की जानकारी

प्रपत्र - अ

## शासकीय नवीन महाविद्यालय औंधी


कला संकाय	
कक्षाएं	छात्र-छात्राओं की संख्या
बी.ए. प्रथम सेमेस्टर	37
बी.ए. तृतीय सेमेस्टर	32
बी.ए. भाग तीन	36
विज्ञान संकाय	
बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	23
बी.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर	30
बी.एस.सी. भाग तीन	11
वाणिज्य संकाय	
बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	00
बी. कॉम. तृतीय सेमेस्टर	00
बी. कॉम. भाग तीन	00

  
अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
भदल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - ब

औंधी में संचालित नवीन महाविद्यालय में प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

कं	पदनाम एवं विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य	1	0	1
2	सहायक प्राध्यापक - इतिहास	1	0	1
3	सहायक प्राध्यापक - हिन्दी	1	0	1
4	सहायक प्राध्यापक - अग्रेजी	1	0	1
5	सहायक प्राध्यापक - समाजशास्त्र	1	0	1
6	सहायक प्राध्यापक - अर्थशास्त्र	1	0	1
7	सहायक प्राध्यापक - प्राणीशास्त्र	1	0	1
8	सहायक प्राध्यापक - रसायन शास्त्र	1	0	1
9	सहायक प्राध्यापक - वनस्पतिशास्त्र	1	1	0
10	सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य	2	1	1
11	प्रयोगशाला तकनीशियन	3	0	3
12	सहायक ग्रेड - 01	1	0	1
13	सहायक ग्रेड - 02	1	1	0
14	सहायक ग्रेड - 03	1	0	1
15	भृत्य	2	2	0
16	चौकीदार	1	0	1
17	स्वीपर (अंशकालीन)	1	0	1
	कुल योग	21	5	16

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अदल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

## परिशिष्ट - बाईस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2281) की जानकारी

## प्रपत्र-अ

वित्तीय वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कार्य की संख्या	वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत कार्य की संख्या	रोपण का रकबा	परियोजना प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित पौधों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (राशि रू. में)	व्यय राशि (राशि रू. में)	कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि एवं प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम	कार्यों का जियो टैगिंग एवं तृतीय पक्ष सत्यापन कराया गया है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022-23	चिल्हाटी	1	1	8 Km	4000	4000	6552000	1326672	रखरखाव कार्य प्रगति पर है। इसलिए कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।	हैं। जियो टैगिंग किया गया है एवं जिला पंचायत बिलासपुर के द्वारा नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा तृतीय पक्ष सत्यापन किया गया है।
	पचपेडी	1	1	8 Km	4000	4000	6552000	1086408		
	पचपेडी	1	1	5 Km	2500	2500	4298000	386331		
	टिकारी	1	1	6 Km	3000	3000	5045000	694204		
	टिकारी	1	1	4 Km	2000	2000	3560000	734914		
	योग	5	5	31 km	15500	15500	26007000	4228529		
2023-24										
2024-25										
2025-26										

प्रधान मुख्य विन संरक्षक  
विकास योजना / बजट लेखा एवं ऑडिट  
नवा रायपुर अटल नगर

## प्रपत्र-ब

वित्तीय वर्ष	रोपण स्थल का नाम	रोपण स्थल की संख्या	स्वीकृत राशि				भुगतान राशि			
			ट्री गार्ड	सिंचाई	रखरखाव	योग	ट्री गार्ड	सिंचाई	रखरखाव	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022-23	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य जोंधरा से चिल्हाटी	1	1800000	398520	3525120	5723640	684000	0	227097	911097
2022-23	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य चिल्हाटी से पचपेड़ी	1	1800000	398520	3525120	5723640	594000	0	105894	699894
2022-23	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य पचपेड़ी से मल्हार	1	1125000	290160	2203200	3618360	0	0	40977	40977
2022-23	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य मल्हार से टिकारी	1	1350000	290160	2643840	4284000	396000	0	1326	397326
2022-23	सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य टिकारी से मस्तुरी	1	900000	290160	1762560	2952720	396000	0	7514	403514
	योग	5	6975000	1667520	13659840	22302360	2070000	0	382808	2452808
2023-24										
2024-25										
2025-26										

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
विकास योजना / बजट लेखा एवं ऑडिट  
नवा रायपुर अटल नगर

## पारिशेष - तेईस

पारिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 40 (क्र. 2292) की जानकारी

प्रपत्र - अ

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वन रक्षक, उप वन परि.अधि., वन परि.अधि. एवं सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद वनरक्षक (100 प्रतिशत सीधी भर्ती का पद)

क्र.	जिला का नाम	स्वीकृत पद			कार्यरत पद			रिक्त पद			योग					
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	सामान्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	सामान्य						
1	कांकेर	13	192	49	90	344	10	129	47	7	193	3	63	2	83	151
2	कोण्डगांव	8	145	29	25	207	8	92	23	10	133	0	53	6	15	74
3	नारायणपुर	4	65	13	10	92	1	38	7	4	50	3	27	6	6	42
4	बस्तर	11	145	32	51	239	9	74	20	17	120	2	71	12	34	119
5	दन्तेवाड़ा	4	76	14	6	100	2	42	8	2	54	2	34	6	4	46
6	सुकमा	4	90	8	8	110	4	61	1	4	70	0	29	7	4	40
7	बीजापुर	16	157	35	13	221	16	131	18	6	171	0	26	17	7	50
	योग :-	60	870	180	203	1313	50	567	124	50	791	10	303	56	153	522

टीप - वनरक्षक का पद वनमण्डलवार स्वीकृत है। जिले के अंतर्गत आने वाले वनमण्डल को शामिल कर, जिलेवार जानकारी दर्शायी गई है।

उप वनक्षेत्रपाल, वनक्षेत्रपाल एवं सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

क्र.	जिला का नाम	उप वनक्षेत्रपाल		वनक्षेत्रपाल		सहायक वन संरक्षक		टीप/रिमाक		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त			
1	कांकेर	59	42	17	29	5	15	11	4	1. उप वनक्षेत्रपाल, वनक्षेत्रपाल एवं सहायक वन संरक्षक का पद राज्य स्तरीय पद है। जिले के अंतर्गत आने वाले वनमण्डल को शामिल कर, जिलेवार जानकारी दी गई है।
2	कोण्डगांव	35	37	-2	18	2	7	5	2	2. राज्य स्तरीय पद होने के कारण वर्तमान में पदोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होने के कारण जिले के आधार पर वर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद बताया जाना संभव नहीं है। अतः जिले के आधार पर कुल स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी दी गई है।
3	नारायणपुर	17	21	-4	9	1	4	3	1	
4	बस्तर	38	30	8	20	16	11	9	2	
5	दन्तेवाड़ा	12	11	1	5	7	4	3	1	
6	सुकमा	15	13	2	7	6	5	5	0	
7	बीजापुर	24	23	1	19	1	8	9	-1	
	योग :-	200	177	23	107	38	54	45	9	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.अराज.)

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल

अनुभाग अधिकारी  
वन एवं वन्यपशु परिवर्तन विभाग  
बस्तर, नवा रायपुर, अटल नगर

## वर्ष 2023-24 से अब तक नवीन नियुक्ति एवं पदोन्नति की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	नवीन नियुक्ति/ भर्ती		पदोन्नति	
		वनरक्षक	वनपाल	वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल	
1	कांकेर	28	48	32	
2	कोण्डागांव	13	34	14	
3	नारायणपुर	6	17	9	
4	बस्तर	10	17	11	
5	दन्तेवाड़ा	1	14	7	
6	सुकमा	0	21	10	
7	बीजापुर	4	15	14	
योग :-		62	166	97	

टीप:- 1. वनरक्षक से वनपाल एवं वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वृत्त स्तर पर होती है। अतः जिले के अंतर्गत आने वाले वनमण्डल को शामिल कर, जिलेवार जानकारी दर्शायी गई है।

2. वनक्षेत्रपाल एवं सहायक वन संरक्षक का पद राज्य स्तरीय पद है। वनक्षेत्रपाल के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के पद है तथा सहायक वन संरक्षक के 67 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 33 प्रतिशत पदोन्नति के पद है। वर्ष 2023-24 से अब तक वनक्षेत्रपाल के 156 एवं सहायक वन संरक्षक के 32 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही कर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग के रिक्त पद भी शामिल है।

2. वनक्षेत्रपाल एवं सहायक वन संरक्षक का पद राज्य स्तरीय पद होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही सम्पूर्ण राज्य के रिक्त पद के विरुद्ध की जाती है। वर्ष 2023-24 से अब तक उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर 169 तथा वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर 51 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग के पद भी शामिल है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.)  
छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.)

छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर

## परिशेष - चौबीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2432) की जानकारी

## प्रपत्र—“अ”

क्र.	अनुज्ञापिधारी का नाम	ग्राम	तहसील	अनुज्ञापि की अवधि	खनिज मात्रा (क्षमता) जिसके लिये अनुज्ञापि प्राप्त किया गया हो (टन में)	वैध/अवैध
1	2	3	4	5	6	7
1	मे० एच०बी०एन०ट्रेडर्स प्रो०श्री फखरउद्दीन	किरना	पथरिया	24.05.2018 से 23.0.2028 तक	3000 टन	वैध
2	मे० शीतला इंटर प्रा० प्रो०श्री मनीष कुमार अग्रवाल	किरना	पथरिया	21.05.2020 से 20.05.2030 तक	20000 टन	वैध
3	श्री आशुतोष सिंघल	मोहभट्टा	पथरिया	21.05.2020 से 20.05.2030 तक	1000 टन	वैध
4	मे० महादेव ट्रेडिंग प्रो०श्री विष्णु अग्रवाल	भकुरीडीह	पथरिया	10.11.2022 से 09.11.2032 तक	7000 टन	वैध
5	मे० सीता ग्लोबल प्रा०लि० प्रो० श्री नीरज अग्रवाल	रामबोड़	पथरिया	20.02.2023 से 19.02.2033 तक	31000 टन	वैध
6	मे०कर्मन कोल ट्रेडिंग कं. प्रो०श्री सुरेन्द्र सिंह	सरगांव	पथरिया	25.02.2020 से 24.02.2030 तक	25000 टन	वैध
7	मे० हनुमान कोल एण्ड लाजिस्टिक प्रो० श्री जितेन्द्र बजाज	सरगांव	पथरिया	22.08.2023 से 21.08.2033 तक	25000 टन	वैध
8	मे० आरिफ शेख निवासी मरवाही जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	साकेत	पथरिया	04.10.2023 से 03.10.2033 तक	2000 टन	वैध
9	मे० श्याम ट्रेडिंग प्रो०श्रीमति शकुन्तला पटेल	पेण्ड्री	पथरिया	28.06.2024 से 27.06.2034 तक	5000 टन	वैध

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
15:04:09

## प्रपत्र-“ब”

क्र.	अनुज्ञापत्रधारी का नाम	निरीक्षण दिनांक	पायी गई अनियमितता की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1	मे0 एच0बी0एन0ट्रेडर्स प्रो0श्री फखरउद्दीन	16.01.2026	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
2	मे0 शीतला इंटर प्रा0 प्रो0श्री मनीष कुमार अग्रवाल	16.01.2026	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
3	श्री आशुतोष सिंघल	17.09.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
4	मे0 महादेव ट्रेडिंग प्रो0 श्री विष्णु अग्रवाल	20.11.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
5	मे0 सीता ग्लोबल प्रा0लि0 प्रो0 श्री नीरज अग्रवाल	16.10.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
6	मे0कर्मन कोल ट्रेडिंग कं. प्रो0श्री सुरेन्द्र सिंह	07.10.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
7	मे0 हनुमान कोल एण्ड लाजिस्टिक प्रो0 श्री जितेन्द्र बजाज	21.01.2026	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
8	मे0 आरिफ शेख	28.11.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
9	मे0 श्याम ट्रेडिंग प्रो0 श्रीमति शकुन्तला पटेल	07.11.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
10	मेसर्स अमीषा ट्रेडर्स प्रो0 श्री नरेन्द्र कौशिक	-	सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के मुख्तयारनामा जारी करने डिपो संचालन करवाने पर कार्यवाही	छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परियहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 15(एक)(तीन) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्त किया गया है।

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
15:05:49

## प्रपत्र-“स”

क्रं.	उद्योग का नाम एवं पता	संचालक/पार्ट नर	क्षमता	जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक	सम्मति की वैधता	पर्यावरणीय नियमों की पालन की स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मेसर्स अमिशा उद्योग (कोल भंडारण) ग्राम-सरगांव, तह. -पथरिया, जिला-मुंगेली	श्री नरेन्द्र कुमार कौषिक	स्टोरेज ऑफ कोल- 12,000 मी. टन/ वर्ष स्टोरेज ऑफ कोल- 5,000 मी. टन एक समय पर	21/12/2012 19/09/2022	18/09/2027	पालन किया जा रहा है।	-	-
2.	मेसर्स गुरुनानक कोल डिपो, ग्राम-पेण्ड्री, सरगांव, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली	श्री अमरजीत सिंह	स्टोरेज ऑफ कोल- 6,000 मी.टन/ वर्ष स्टोरेज ऑफ कोल - 2,000 मी. टन एक समय पर	09/05/2012 14/10/2015	21/12/2025	पालन किया जा रहा है।	-	उद्योग को सम्मति नवीनीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
3.	मेसर्स शीतला इंटरप्राइजेस, ग्राम-किरना, सरगांव, जिला-मुंगेली	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	स्टोरेज ऑफ कोल - 20,000 मी. टन/ एक समय पर, क्रशिंग ऑफ कोल - 1,44,000 मी. टन/ वर्ष	17/09/2020	16/09/2026	पालन किया जा रहा है।	-	-
4.	मेसर्स करमन कोल ट्रेडिंग कंपनी, ग्राम-सरगांव, पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	श्री सुरेन्द्र सिंह	स्टोरेज ऑफ कोल - 8,100 टन/ एक समय में स्टोरेज ऑफ कोल - 25,000 टन/ एक समय में	20/02/2020 17/12/2021	16/12/2027	पालन किया जा रहा है।	-	-
5.	मेसर्स सीता ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-रामबोड़, पोस्ट-सरगांव, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	श्री नीरज अग्रवाल	स्टोरेज ऑफ कोल-31000 मी.टन एक समय पर	28/06/2023	27/06/2029	पालन किया जा रहा है।	-	-

क्रं.	उद्योग का नाम एवं पता	संचालक/पार्ट नर	क्षमता	जल एवं वायु सम्मति जारी दिनांक	सम्मति की वैधता	पर्यावरणीय नियमों की पालन की स्थिति	की गई कार्यवाही	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	मेसर्स एच.बी.एन. ट्रेडर्स, ग्राम-किरना, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली	श्री फखरुद्दीन	स्टोरज ऑफ कोल - 3,000 टन/एक समय पर, क्रशिंग ऑफ कोल - 45,000 टन/वर्ष	03/05/2019	02/05/2030	पालन किया जा रहा है।	-	-

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
15:07:08

## प्रपत्र-“द”

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	प्राप्त शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	पायी गई अनियमितता की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका परिषद सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	18.06.2024	कोल डिपो से उड़ने वाली डस्ट धूल प्रदूषण और अन्य वायु जनित दिक्कत के संबंध में शिकायत।	पत्र क्र 897 दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर को जांच हेतु पत्र प्रेषित किया गया। पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर की जांच में कोल डिपो में ग्रीन नेट/विंड ब्रेकिंग वॉल की व्यवस्था नहीं होना पाया गया, पर्याप्त संख्या में वृक्षरोपण होना नहीं पाया गया है, भण्डारण क्षेत्र के चारों ओर गारलेन ड्रेन का निर्माण नहीं होना एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होना नहीं पाया गया।	क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर द्वारा उक्त पायी गई कमियों के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए 10 दिवस के भीतर की गई कार्यवाही से अवगत कराने में 0 कर्मन कोल ट्रेडिंग कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।
2	पुलिस थाना प्रभारी सरगांव जिला - मुंगेली (छ.ग.)	20.12.2024	अमीषा ट्रेडर्स के नाम से कोल डिपो का व्यवसाय हेतु मुख्तयारनामा नियुक्तकर्ता मृतक नरेन्द्र कुमार कौशिक निवासी बिलासपुर (छ. ग.) के द्वारा मुख्तयार ग्रहिता राजेश कोटवानी निवासी बिलासपुर को मुख्तयारनामा निष्पादित किया गया है जिसे निरस्त करने के संबंध में शिकायत।	सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के मुख्तयारनामा दिया गया।	कार्यालय के पत्र क्र. 20 दिनांक 07.01. 2025 को जारी किया गया नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर छ.ग. गौण खनिज(खनन,परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 15(एक)(तीन) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्त किया गया है।

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
15:08:34

## परिशेष - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 2463) की जानकारी

## प्रपत्र-“अ”

क्र.	तहसील	स्थान	भू-स्वामी का नाम	परिवहनकर्ता (व्यक्ति, फर्म या एजेंसी) का नाम	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2024-25				
1	अर्जुन्दा	ग्राम बघेली ग्राम पंचायत बघेली	संतोष कुमार महार,	श्री दीपक सिंह	735/1, 735/3
2	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत डेंगरापार	मुखनी बाई, सुशीला	श्री खेमेन्द्र देवागंन	259
3	डौण्डी लोहरा	ग्राम खामभाट ग्राम पंचायत फलसुदरी	दुवाल दास	श्री थिसिस कुमार	251
4	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत माहुद अ	मोरजध्वज साहू	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	907/1, 907/3
5	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत गब्दी तह. अर्जुन्दा	रीना साहू, नामदेव, गयाराम, चंदरबाई, मीना बाई	श्री माधोप्रसाद	792/1, 798, 814
6	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत डेंगरापार तह.मारीबंगला देवरी	दल्लूराम, राजबाई, सरोजबाई, इंदरबती, महाबती, कुमारी बाइ, बिसकुंवर	श्री सुग्रीव साहू	197
7	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत फरदफोड़	पुरुषोत्तम, सोनसीर, रुखमीन, सोनासीर, केशो, दुशाला	नोहरलाल आ. अगरलाल	158/2, 1940/1
8	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत फरदफोड़	नाथुराम ठाकुर	भावेश साहू	2011
9	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत डुडिया	महेन्द्र सिंह पवार	दीपक सिंह	785/1, 88/4
10	अर्जुन्दा	ग्राम टेकापार ग्राम पंचायत सिब्दी	शासकीय भूमि	मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन	212

क्र.	तहसील	स्थान	भू-स्वामी का नाम	परिवहनकर्ता (व्यक्ति, फर्म या एजेंसी) का नाम	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
11	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत जेवरतला	अधनूराम, रामराज, सविता, जगौतिन, सुकवारो, भोजराम, ओमप्रकाश, रामबाई, घसनीन, सुरूज	मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन	456 / 3, 436
12	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत घीना	रोशन लाल वर्मा गिरीश कुमार वर्मा	श्री मनीष देशमुख आ. श्री सोभित देशमुख	785 / 1, 785 / 3, 785 / 4
13	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत डोगरापार	तुन्ना लाल	श्री गोपीलाल साहू आ. श्री रेंदलाल साहू	143 / 1
14	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत राघोनवागांव	केशलाल, कविता, विष्णु, दिनेश कुमार	मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन	248
15	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत डुडिया	टामन सिंह	श्री सुग्रीव साहू	624, 625, 626
16	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत बघेली तह. अर्जुन्दा	तिलोचन साहू	श्री दीपक सिंह	748, 949
17	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत ओडारसकरी	रमाकांत, सुखदेव, धन्नालाल	श्री विद्या भूषण ठाकुर	972 / 1, 488 / 2, 488 / 1
18	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत माहुद अ	संजीवन राम, भारत सिंह, उत्तम बाई, रुमेश्वरी दिनेश्वरी, दशोदा, योगेश्वर कुमार, गणेशीराम, लोकनाथ, छबिलाल साहू	श्री माधोप्रसाद	1275 / 4, 1275 / 5, 915 / 3, 355 / 6, 188, 1258 / 1, 884 / 1
19	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत माहुद अ	जीवन	श्री लुकेश्वर कुमार आ. गिरवर निवासी	880 / 3
20	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत खलारी	बलद	श्री परमेश्वर	637

क्र.	तहसील	स्थान	भू-स्वामी का नाम	परिवहनकर्ता (व्यक्ति, फर्म या एजेंसी) का नाम	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
21	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत माहुद अ	उमेश कुमार	श्री दीपक सिंह	123/1, 136, 144, 142, 164, 174/1, 174/2, 179
22	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत खप्परवाडा	प्रणव कुमार गायकवाड़	बी. अभिलाष	284, 275/2
23	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिरी	कृतकेय, भूपेन्द्र, बालमुकुंद, अभिलाषा, श्रीमती विद्या बाई	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	673
24	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिरी	शासकीय भूमि	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	542
25	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिरी	बलीराज कुलेश्वर प्रसाद बघेल	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	788/1, 788/3, 806, 808
	वर्ष 2025-26				
26	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिरी	शासकीय भूमि	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	542
27	डौण्डी लोहारा	ग्राम व ग्राम पंचायत कसहीकला	शासकीय भूमि	श्री उदय लाल निषाद	239

क्र.	तहसील	स्थान	भू-स्वामी का नाम	परिवहनकर्ता (व्यक्ति, फर्म या एजेंसी) का नाम	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
28	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत ओडारसकरी	देवकी, गुलशन	श्री दीपक सिंह	773/2
29	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिरी	नीरज, निशी, परमेश्वरी	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	804, 805
30	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत डुडिया	लक्ष्मी पवार	श्री सुगीव साहू	635/1, 642, 644/2
31	अर्जुन्दा	ग्राम व ग्राम पंचायत मटिया'अ'	शासकीय भूमि	श्री हेमंत कुमार साहू	611
32	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत डेंगरापार	दल्लू राम, राजबाई, सरोज बाई, इन्दरबती, कमारी बाई पिसरान हीरालाल, बिसकुंवर	श्री शिवकुमार	197
33	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत खप्परवाड़ा	शासकीय भूमि	मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	506
34	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत खप्परवाड़ा	शासकीय भूमि	मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	457
35	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत खप्परवाड़ा	शासकीय भूमि	मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	206
36	मारीबंगला देवरी	ग्राम व ग्राम पंचायत घीना	गोकुल राम, मेमीन	श्री दीपक सिंह	495/1, 495/2
37	मारीबंगला देवरी	ग्राम खामभाट ग्राम पंचायत फुलसुन्दरी	ईश्वरी बाई, सरिता बाई, शकुन बाई, उमाबाई,	श्री उमेश रजक	317

क्र.	तहसील	स्थान	भू-स्वामी का नाम	परिवहनकर्ता (व्यक्ति, फर्म या एजेंसी) का नाम	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
			फअकन, बलदेव, एवन सिंह, हेमिन बाई		
38	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिर्री	दानीराम, छगन लाल	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	690, 693, 694
39	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिर्री	शासकीय भूमि	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	543
40	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिर्री	शासकीय भूमि	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	546
41	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत डौकीडीह	शासकीय भूमि	मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	63
42	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिर्री	दीपाबाई बघेल	मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	347, 387, 677
43	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत गोडेला	देवेन्द्र कुमार बंजारे	मेसर्स नईममुद्दीन असफाक	722 / 1
44	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत माहुद अ	जगतूराम	श्री नवीन कुमार देवांगन	926 / 3
45	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत सिर्री	शासकीय भूमि	मेसर्स एस.एम.एस लिमिटेड परियोजना प्रबंधक श्री डी विश्वानाथन	749

क्र.	तहसील	स्थान	भू-स्वामी का नाम	परिवहनकर्ता (व्यक्ति, फर्म या एजेंसी) का नाम	खसरा नं.
1	2	3	4	5	6
46	गुण्डरदेही	ग्राम व ग्राम पंचायत माहुद अ	वीरसिंह, रामजी, योगेश्वर कुमार मारकंडे, मिलनराम,, चैतराम, गोविंदराम, फमेश कुमार	श्री माधोप्रसाद	695 / 2, 933 / 2, 583, 358 / 10, 96 / 3, 186

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:42:25

## प्रपत्र-“ब”

क्र.	तहसील	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	स्थान	वसूल की गई समझौता राशि (रु. में)
1	2	3	4	5
	वर्ष 2024-25			
1	गुण्डरदेही	आशीष तिवारी एवं कंस्ट्रक्शन	ग्राम भरदाकला ग्राम पंचायत भरदाकला	33750
2	अर्जुन्दा	मेसर्स सेवासिंह ओबेरॉय एंड कंपनी	ग्राम घीना ग्राम पंचायत घीना	प्रकरण कमिश्नर न्यायालय में विचाराधीन
3	अर्जुन्दा	डुमनलाल	ग्राम घीना ग्राम पंचायत घीना	27100
4	अर्जुन्दा	बी. अभिलास	ग्राम मोहंदीपाट ग्राम पंचायत मोहंदीपाट	62250
	वर्ष 2025-26			
5	अर्जुन्दा	माधो प्रसाद	ग्राम भालूकोन्हा ग्राम पंचायत भालूकोन्हा	28500
6	गुण्डरदेही	1) गुप्तेश कुमार साहू (2) हरीश सिन्हा	अचौद व ग्राम पंचायत अचौद	76250

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:03:34

## परिशेष - छब्बीस

परिवर्तित अतारोकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2465) की जानकारी

प्रपत्र-अ

## जिला-जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत नहर मरम्मत/ लाइनिंग कार्य हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		टेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
		राशि	दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2024-25							
1	जाजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत खिसौरा माइनर (आर.डी. 1600 मी. से 2100 मी.) एवं पोड़ी माइनर 02 (फिटूर केनाल) (आर.डी. 130 मी. से 700 मी.) तक फिटिंग रीच में टो-वॉल का निर्माण कार्य।	293.51	23.08.2024	मेसर्स नीरा कन्स्ट्र. विलासपुर	321.00	-	प्रगतिरत
2	जाजगीर चाम्पा जिले के मिनीनाला बागो परियोजना अंतर्गत नवागढ़ शाखा नहर अंतर्गत पेन्डी उपवितरक नहर प्रणाली में निट्टी मरम्मत लाइनिंग एवं पक्की स्ट्रक्चर कार्य।	218.24	23.08.2024	मेसर्स वैभव अग्रवाल, विलासपुर	198.88	122.86	प्रगतिरत
3	जाजगीर चाम्पा जिले के मिनीनाला बागो परियोजना अंतर्गत नवागढ़ शाखा नहर अंतर्गत माठली उपवितरक नहर प्रणाली में निट्टी मरम्मत, लाइनिंग एवं पक्का स्ट्रक्चर कार्य।	298.60	23.08.2024	-	-	-	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत बनाहिल वितरक नहर के आर.डी. 2000 मी. से 8000 मी. एवं कोसा उपशाखा नहर के आर.डी. 0 मी. से 1500 मी. के मध्य क्षतिग्रस्त सी.सी. लाइनिंग का मरम्मत कार्य।	294.44	23.08.2024	मेसर्स संजय कुमार अग्रवाल, विलासपुर	256.79	103.78	प्रगतिरत
5	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत शिवरीनारायण वितरक नहर के आर.डी. 14200 मी. में स्थित पाइप साइफन की जगह आर.सी.सी. साइफन का निर्माण एवं साइफन के अपस्ट्रीम में 500 मी. एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मी. तक प्रोटेक्शनवॉल का निर्माण कार्य।	292.64	23.08.2024	मेसर्स अम्बिका प्रोजेक्ट सरगुजा	256.47	-	प्रगतिरत
6	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 2200 मी. से 2700 मी. 2900 मी. से 3500 मी. एवं 3600 मी. से 4050 मी. तक फीलिंग रीच में कांक्रिट. टो-वॉल का निर्माण कार्य।	290.24	23.08.2024	-	-	-	निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि	व्यय राशि	रिमाक
		राशि	दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8
7	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत मुड़पार शाखा नहर आर.डी. 0 कि. मी. से 15 कि.मी. के मध्य फिलिंग रीच में दोनो ओर टो-वाल निर्माण कार्य।	289.50	23.12.2024	मेसर्स अच्छेलाल अग्रवाल, विलासपुर	278.51	111.33	प्रगतिरत
8	जाजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा शाखा नहर आर.डी. 26 कि. मी. से 42 कि.मी. के अंतर्गत आने वाले माइनरो के लाईनिंग, स्ट्रक्चर्स एवं मिट्टी कार्य का जीर्णोद्धार कार्य।	392.96	23.12.2024	मेसर्स जे.के. इंटरप्राइजेस, भिलाई-दुर्ग	345.06	19.03	प्रगतिरत
9	जाजगीर-चाम्पा जिले के डोंगाकोहरौद उपशाखा नहर के अंतर्गत (1) मुईगांव वितरक नहर (2) कमरीद वितरक नहर (3) खोखरी वितरक नहर एवं ससौटा वितरक नहर के अंतर्गत आने वाले माइनरो का लाईनिंग, स्ट्रक्चर्स एवं मिट्टी कार्य का जीर्णोद्धार कार्य।	577.32	24.12.2024	मेसर्स पूरनचंद अग्रवाल, अकलतरा	586.00	96.37	प्रगतिरत
10	जाजगीर-चाम्पा जिले के शिवरीनारायण वितरक नहर के आर.डी. 0 कि.मी. से 19.29 कि.मी. के अंतर्गत आने वाले माइनरो के लाईनिंग स्ट्रक्चर्स एवं मिट्टी कार्य का जीर्णोद्धार कार्य।	689.29	24.12.2024	मेसर्स पूरनचंद अग्रवाल, अकलतरा	699.50	36.32	प्रगतिरत
		<b>3636.74</b>			<b>2942.21</b>	<b>489.69</b>	
वर्ष 2025-26							
1	जाजगीर-चाम्पा जिले के विकासखण्ड अकलतरा के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 19 कि.मी. में स्थित स्केप का उन्नयन एवं नाला ट्रीटमेंट कार्य।	423.29	12.01.2026	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन
2	जाजगीर-चाम्पा जिले के विकासखण्ड पामगढ़ अंतर्गत हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के डुमरपाली वितरक नहर, हड़सपुर वितरक नहर एवं बुड़गा वितरक नहर तथा इनके माइनरो के क्षतिग्रस्त लाईनिंग, स्ट्रक्चर्स एवं बैंको का जीर्णोद्धार कार्य।	411.25	12.01.2026	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति पूर्ण। शोड्यूल की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
3	जाजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत जाजगीर जिले के मुन्दरेली वितरक नहर के गतवा माइनर, पोंडीकला माइनर नं. 01, 02, पोड़ीखुर्द माइनर, दारंग माइनर 01, 02 एवं पेटफोरवा माइनर का सी.सी. लाईनिंग एवं स्टक्चर्स का रिमाडिलिंग कार्य।	316.45	15.01.2026	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		टेकेदार का नाम	अनुबन्धित राशि	व्यय राशि	रिमाक
		राशि	दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	जाजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत बालपुर माईनर 2 का लाईनिंग एवं बैंक प्रोटेक्शन का उन्नयन कार्य।	421.50	12.01.2026	-	-	-	तकनीकी स्वीकृति पूर्ण। शोड्यूल की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	जर्व जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग मरम्मत कार्य।	135.94	13.08.2025	-	-	-	द्वितीय निविदा आमंत्रित है।
6	छड़गाबहरा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग मरम्मत कार्य।	269.57	13.08.2025	रितेश कुमार अग्रवाल, नया बाराद्वार	210.50	-	कार्य प्रगति पर।
योग :-		1978.00			210.50	0.00	
(वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) योग :-		5614.74			3152.71	489.69	

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

जिला -जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में नहर मरम्मत/लाइनिंग कार्य हेतु प्रस्ताव की  
अद्यतन जानकारी

सं.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	रिमार्क	राशि लाख में
1	2	3	4	
वर्ष 2024-25				
1	जांजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत अफलतरा शाखा नहर के आर.डी. 13000 मी. से 13600 मी. 14800 मी. से 15200 मी. 19200 मी. से 19700 मी. एवं 20590 मी. से 21200 मी. तक दोनों तरफ टो-वॉल निर्माण एवं लाइनिंग मरम्मत कार्य।	492.51	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
2	जांजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत चाम्पा शाखा नहर के आर.डी. 19600 मी. से 28000 मी. के मध्य सी.सी. लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर का मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य।	495.20	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
		987.71		
योग :-				
वर्ष 2025-26				
1	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत अफलतरा शाखा नहर के कोसा उपवितरक नहर के आर.डी. 1500 मी. से 9000 मी. के मध्य लाइनिंग, स्ट्रक्चर्स एवं बैंक को सुदृढीकरण कार्य।	494.01	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
2	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत खटोला वितरक नहर के कोटमी उपवितरक नहर 1 आर.डी. 0 मी. से 8400 मी. एवं कोटमी माइनर, कोटमी माइनर 2 तथा कोटमी उपवितरक नहर 2 के आर.डी. 0 मी. 4830 मी. एवं कोटमी माइनर आर.डी. 0 मी. से 1400 मी., अर्जुनी माइनर आर.डी. 0 मी. से 900 मी. में क्षतिग्रस्त लाइनिंग, स्ट्रक्चर का नवीनीकरण एवं बैंको का मजबूतीकरण का कार्य।	495.16	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
3	जांजगीर-चाम्पा जिले के मिनीमाला बांगो परियोजना अंतर्गत सरखों वितरक नहर के बांयी एवं दांयी ओर आर.डी. 8200 मी. से 9450 मी. में टो-वाल निर्माण कार्य तथा खेरा माइनर आर.डी. 200 मी. से 1650 मी. में सी.सी. लाइनिंग एवं बैंको का मजबूतीकरण एवं स्ट्रक्चर का नवीनीकरण का कार्य।	482.41	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
4	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत चाम्पा शाखा नहर के आर.डी. 25900 मी. में वने स्क्रेप चैनल का उन्नयन, प्रोटेक्शन कार्य एवं व्ही.आर.वी. निर्माण कार्य एवं माइनर नं. 01, 02, सोठी माइनर नं. 02 घटोली माइनर नं. 02, हथनेवरा माइनर के लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर रिमाडिलिंग कार्य।	816.20	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	रिमार्क
1	2	3	4
5	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत फरसवानी उपशाखा नहर के कोसमंदा माइनर नं. 03, सब माइनर, मुड़पार माइनर, सरवानी माइनर, अफरीद माइनर नं. 01, 02, को सी.सी. लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर्स की उन्नयन कार्य।	250.00	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
6	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर आर.डी. 34.50 कि.मी. से 42 कि.मी. के मध्य फिलिंग रीच में टो-वॉल का निर्माण कार्य।	486.11	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
योग :-		3023.89	
(वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) योग :-		4011.60	



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

## परिशेष - सत्ताईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2495) की जानकारी

प्रपत्र

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01.04.2025 से अभी तक विद्युत उपकेन्द्रों की मांग/स्वीकृति की जानकारी

क्रमांक	विकास खंड	ग्राम का नाम जहाँ नवीन विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग प्राप्त हुई	उपकेन्द्र वोल्टेज क्षमता	मांग अनुसार क्षमता (एमव्हीए)	स्वीकृत हां/ नहीं	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स/लोहारा	स/लोहारा	132/33 केव्ही	2X40	नहीं	पूँजी निवेश कार्ययोजना में शामिल	तकनीकी साध्यता एवं जमीन उपलब्धता हेतु प्रक्रियाधीन
2	स/लोहारा	कारेसरा	33/11 केव्ही	5	हां	कार्य पूर्ण	दिनांक 26.12.2025
3	कवर्धा	कोयलारी डीह	33/11 केव्ही	5	हां	कार्य प्रगतिरत	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि, मार्च 2027
4	पण्डरिया	पौनी	33/11 केव्ही	-5	हां	कार्य प्रगतिरत	
5	पण्डरिया	भुवालपुर	33/11 केव्ही	5	हां	कार्य प्रगतिरत	

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उर्बा विभाग  
संचालक, नवा रायपुर अटल नगर

## परिशेष - अट्टाईस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 50 (क्र. 2499) की जानकारी

प्रपत्र

## जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में वनों की अवैध कटाई की शिकायत का विवरण

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण
1	श्री दुर्गेश सिंह बिसेन, संवाददाता, जी खोडरी बीट में हुए वनों की अवैध कटाई में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, लिप्त वन कर्मियों और वन तस्करों की सूचना एवं कार्यवाही बाबत। आजाद चौक, पेण्ड्रा	मरवाही वनमंडल के खोडरी वन परिक्षेत्र के अखंड वन खोडरी बीट में हुए वनों की अवैध कटाई में लिप्त वन कर्मियों और वन तस्करों की सूचना एवं कार्यवाही बाबत।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/ शिकायत) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 1068, दिनांक 24.06.2020 एवं पत्र क्रमांक 279 दिनांक 20.01.2021 द्वारा प्रकरण मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को प्रेषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त स्तर पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	श्री एल.एन.वैश्य, अध्यक्ष, गायत्री शक्तिपीठ पेण्ड्रारोड, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग.	जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के गुरुकूल परिसर में 78 अदभूत वनसंपदा औषधियुक्त वृक्षों की कटाई को जीवन स्वास्थ्य हित एवं प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने हेतु तत्काल रोकने बाबत।	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के पत्र क्र. 784 दिनांक 10.03.2025 के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत पत्र में दर्शित 78 नग वृक्षों की कटाई नहीं की गयी है। बल्कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेण्ड्रारोड के अनुमति के अनुरूप ही 20 नग वृक्षों की कटाई किये पाये जाने के कारण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/ शिकायत) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/सत.शिका./323 दिनांक 18.03.2025 द्वारा नस्तीबद्ध करते हुए आवेदक को सूचित किया गया है।
3	श्री एकांत लाल सोनवानी, ग्राम सिवनी, तह. मरवाही, जिला गौ. पे.म. छ.ग.	ग्राम पंचायत सिवनी के वन विभाग के बीट गार्ड रमेश साहू और डिप्टी रेंजर मानिक लाल राय के लगातार मुख्यालय से नदारद रहने के कारण कतल गड़ाई बांध के पास लगातार साल वृक्षों की कटाई हो रही है।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/ शिकायत) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक पत्र 3549, दिनांक 23.08.2023 द्वारा उक्त प्रकरण शिकायत की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को प्रेषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त स्तर पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

७८

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण
4	श्री चन्द्रप्रीतम भैना, सरपंच ग्राम-पंचायत खरडी, तहसील सकोल, जिला- जी.पी. एम	जप्त लकड़ी वापस दिलाने एवं बीट गार्ड के ऊपर उचित कार्यवाही करने बाबत	शिकायत की जांच उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा द्वारा की गई एवं उनके जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री चन्द्रप्रीतम पिता - हरनाम सिंह, ग्राम - पंचायत खरडी के घर दिनांक 22.10.2024 को सच्य वारंट द्वारा छापा मारकर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से रखे 45 नग साल चिरान को वन अपराध प्रकरण दर्ज कर जप्त की गई। उक्त प्रकरण में श्री विष्णु कुमार जायसवाल, वनरक्षक को निलंबन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई, जिसकी जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	सरपंच ग्राम ललाती, सुशासन तिहार आवेदन में। क.-25143749000041	ललाती बीट अंतर्गत अवैध कटाई के संबंध	खोडरी परिक्षेत्र अंतर्गत परिसर ललाती एवं ग्राम पंचायत ललाती से सरपंच द्वारा परिसर रक्षक निर्मल सोनवानी के विरुद्ध शिकायत किये जाने पर जांच सरपंच, पंचगण परिक्षेत्र सहायक के समक्ष किया गया। सरपंच द्वारा जांच दिनांक 28.04.2025 को बताया गया कि लकड़ी की कटाई मुख्यतः महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है जिसके रोकथाम हेतु विभाग से समय-समय पर महिला कर्मचारियों के द्वारा वनक्षेत्र का गस्त कराये जाने की मांग की गई। गश्ती दल के साथ में रहकर महिला कर्मचारियों के द्वारा भी समय-समय पर वनक्षेत्रों की भ्रमण की जा रही है।
6	श्री रितेश कुमार गुप्ता, मरवाही	डी.एफ.ओ. को पूर्व में प्रेषित शिकायत के संबंध में मरवाही वनपरिक्षेत्र में अवैध कटाई, अंतर्राज्यीय तस्करी, शासकीय वाहन के दुरुपयोग एवं अवैध वसूली पर उच्च स्तरीय जांच एवं विधिसम्मत कार्यवाही हेतु आवेदन।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतर्कता/शिकायत) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/379157 दिनांक 19.02.2026 द्वारा मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त को उक्त शिकायत की जांच हेतु प्रेषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर स्तर पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण
7 ग्रामवासी ग्राम उषाढ़, वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष उषाढ़ एवं उपसरपंच ग्राम - उषाढ़	पुराने सरई (साल) पेड़ की अवैध कटाई एवं तस्करी किये जाने के खिलाफ शिकायत।	उक्त शिकायत की जांच में 08 नग साल वृक्षों की कटाई कक्ष क्रं. पी. -2034 (पुराना कक्ष क्रं. 1498) की सीमा लाईन से लगभग 208 मीटर की दूरी पर राजस्व क्षेत्र में होना पाया गया। 08 नग साल के वृक्ष के लट्टों को संबंधित वनरक्षक के द्वारा जप्तीनामा बनाया गया। उक्त प्रकरण राजस्व क्षेत्र के होने के कारण राजस्व विभाग से संपर्क स्थापित कर कार्यवाही की जा रही है। जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के द्वारा अपने अभिकथन में लिपिबद्ध कराया गया कि उक्त शिकायत मनगढंत एवं फर्जी है तथा इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।
8 श्री रामनारायण कैवर्त, अधिवक्ता श्री मधुकर द्विवेदी, अधिवक्ता	श्री राकेश पंकज एवं हरिहर डहरिया, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र मरवाही के द्वारा वनक्षेत्र में कीमती लकड़ी के अवैध कटाई कर तस्करी एवं शासकीय वाहन से रात्रि में वसूली करने पर कार्यवाही करने बाबत।	शिकायत में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उल्लेखित आरोप असत्य एवं निराधार पाये जाने के फलस्वरूप शिकायत नस्तीबद्ध किया गया।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.)

५ छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - उन्तीस  
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 2510) की जानकारी

प्रपत्र- "अ"

स. क्र.	जिले का नाम	वर्षवार प्राप्त राजस्व (रूपये में)				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (31 जनवरी की स्थिति में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बस्तर	83731800	131142470	73622996	70174188	58048550
2	दंतेवाड़ा	74596839918	56519750037	53273223564	62037955482	59213344734
3	कोंडागाव	1827153	1827153	1827153	1827153	1827153
4	कांकेर	2919712863	2756341346	2001967026	2855463322	3697315917
5	नारायणपुर	40025625	600028962	728873909	1078561241	1337185885
6	सुकमा	2102000	2017000	1662000	427000	479000
7	बीजापुर	4476530	5513624	1214391	5663200	2568250

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
16:59:28

## प्रपत्र- "ब"

क्र.	शिकायत प्राप्त दिनांक	शिकायत का विषय	की गई कार्यवाही की जानकारी
1	19.12.2023	दंतेवाड़ा (छ.ग.) के डंकनी नदी के किनारे स्थित गढ़दे में ठोस अपशिष्ट (लौह अयस्क टेलिंग्स) डालने एवं नदी तल पर रिटेनिंग वॉल के निर्माण के कारण पर्यावरणीय क्षति हुई होने एवं टेलिंग्स से पुनर्भरण विषयक।	शिकायत के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 02/01/2024 को क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर द्वारा मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, इंडिया लिमिटेड किरंदुल कंपनी को भू-भराव हेतु आबंटित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डंकनी नदी के रिवर बैंक में भू-भरण एवं समतलीकरण का कार्य बंद पाया गया। मौके पर टेलिंग्स नदी में प्रवाहित होना नहीं पाया गया। पूर्व में टेलिंग्स का भू-भरण प्राकृतिक बण्ड के दूसरी ओर किया जा रहा था, ना कि नदी की ओर। पूर्व में डम्प किए गए टेलिंग्स के ऊपर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण किया जाना पाया गया। वर्तमान में दिनांक 27/02/2026 को किये गये निरीक्षण में स्थिति सामान्य पाई गई।
2	19.12.2023	जिला दंतेवाड़ा के शंकनी-डंकनी नदी के किनारे "शंकनी-डंकनी नदी का पर्यावरण संरक्षण, नदी किनारे के मृदा अपरदन व पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम" के नाम पर बिना पर्यावरण मंजूरी एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के तीव्र गति से चल रहे सिविल निर्माण को तत्काल बंद कराये जाने निवेदन विषयक।	शिकायत के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 02/01/2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर द्वारा मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, इंडिया लिमिटेड किरंदुल कंपनी को भू-भराव हेतु आबंटित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डंकनी नदी के तट पर मिट्टी का कटाव रोकने हेतु माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य संचालित पाया गया। रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य प्राकृतिक नदी तट से लगभग 10 फीट छोड़कर किया जाना पाया गया। मौके पर निर्माण कार्य से जल प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई तथा नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया जाना नहीं पाया गया। तथापि बारिश में जल स्तर बढ़ने पर मिट्टी एवं अन्य निर्माण सामग्री बहकर नदी में न जाए, इस हेतु जिला निर्माण समिति को निर्देशित किया गया। वर्तमान में दिनांक 27/02/2026 को किये गये निरीक्षण में स्थिति सामान्य पाई गई।
3	17.01.2024	स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाने और वनस्पतियों तथा जीवों को नुकसान पहुंचने की विशेषज्ञों की एक टीम के निष्कर्ष बावजूद 2021 में नदी के किनारे स्थित गढ़दे में ठोस अपशिष्ट (लौह अयस्क टेलिंग्स) डालने और दंतेवाड़ा (छ.ग.) के डंकनी नदी के नदी तल पर सीईसीबी के तत्वावधान में एक रिटेनिंग दीवार के निर्माण से पर्यावरणीय क्षति, 2023 में फिर से अपशिष्ट द्वारा लैंडफिलिंग शुरू होने तथा सीईसीबी ने जानबूझकर इस पर आंखें मूंद ली विषयक।	शिकायत के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03/02/2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर द्वारा मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, इंडिया लिमिटेड किरंदुल कंपनी को भू-भराव हेतु आबंटित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डंकनी नदी के किनारे माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य संचालित पाया गया। लोअर रिटेनिंग वाल के नीव हेतु निर्मित गड्डों में रिसकर जमा मिट्टी युक्त जल को बाहर निकाल कर रखे जाने के दौरान मिट्टी युक्त जल नदी के सतही जल के संपर्क में आना पाया गया। तत्संबंध नोडल एजेंसी जिला निर्माण समिति को दिनांक 05/02/2024 के माध्यम से समाधानात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में दिनांक 27/02/2026 को किये गये निरीक्षण में स्थिति सामान्य पाई गई।

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
17:00:48

परिशेष - तीस  
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 2533) की जानकारी

प्रपत्र

रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) के तहत  
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा हेतु स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य एवं लंबित कार्य की जानकारी

क्रं.	कार्य का नाम	इकाई	स्वीकृत कार्य	कार्यपूर्ण	लंबित कार्य
1.	फीडर सेग्रीगेशन	नग	42	29	13
2.	फीडर बाईफरकेशन	नग	21	13	8
3.	11 के.व्ही. लाईन	किमी	590.87	585.67	5.2
4.	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	नग	462	415	47
5.	ए.बी. केबल कार्य	किमी	95	50	45
6.	कंडक्टर से ए.बी. केबल बदलना	किमी	924	645.5	278.5
7.	डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बदलना	नग	1098	1098	0

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - इकतीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 2535) की जानकारी

प्रपत्र-अ

## दर्ज प्रकरण की जानकारी (प्राप्त शिकायत)

क्र.	शिकायतकर्ता (आवेदक)	अवैध कब्जाधारी (अनावेदक)	ग्राम	खसरा नंबर	अतिक्रमित रकबा	अतिक्रमित रकबा हे में
1	छ.ग. शासन पता-	शिव महेश्वरी पता-सेजबहार रायपुर	सेजबाहरा	338	2.914 हे. का भाग	2.914 हे. का भाग
2	लक्ष्मी पता-काठाडीह रायपुर	शिवकुमार पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
3	लक्ष्मी पता-काठाडीह रायपुर	हीरालाल पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
4	लक्ष्मी पता-काठाडीह रायपुर	धर्नजय पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
5	लक्ष्मी पता-काठाडीह रायपुर	बोहरू पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1000 वर्गफुट	0.0139
6	लक्ष्मी पता-काठाडीह रायपुर	रवि पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
7	पुष्पलता पता-काठाडीह रायपुर	विष्णु पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
8	पुष्पलता पता-काठाडीह रायपुर	संजय पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
9	पुष्पलता पता-काठाडीह रायपुर	दिनु पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
10	पुष्पलता पता-काठाडीह रायपुर	केदार यादव पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
11	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	बिहारी पता-ग्राम मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	500 वर्गफुट	0.0046
12	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	अनिल महेश्वरी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1000 वर्गफुट	0.0093
13	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	उत्तरा पाटेकर पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	900 वर्गफुट	0.0083
14	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	मणीराम महेश्वरी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	800 वर्गफुट	0.0074
15	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	सुरेन्द्र यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4200 वर्गफुट	0.039
16	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	मशाराम यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1200 वर्गफुट	0.0111
17	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	अनिता पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
18	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	भोनू महेश्वरी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1200 वर्गफुट	0.0111
19	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	बल्लू चक्रधारी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	200 वर्गफुट	0.0018
20	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	संतु यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4200 वर्गफुट	0.039
21	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	हेमंत यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4200 वर्गफुट	0.039
22	अतीश चन्द्राकर पता-मुजगहन	कुलेश्वर यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4500 वर्गफुट	0.041
23	छ0ग0 शासन पता-	राजेश पता-ग्राम मुजगहन रायपुर	पिरदा	26 का भाग	0.405 हे.	0.405
24	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	सोनूराम चक्रधारी पता-पता आमासिवनी, रायपुर छ0ग0	आमासिवनी	232/3	0.091 हे.	0.091
25	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	केशर चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छ0ग0	आमासिवनी	232/3	0.059 हे.	0.059
26	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	पुणितराम चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छ0ग0	आमासिवनी	232/3	56 वर्गमीटर	0.0056
27	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	रमेश चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छ0ग0	आमासिवनी	232/3	27 वर्गमीटर	0.0027
28	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	धलेन्द्र कुमार चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छ0ग0	आमासिवनी	232/3	20 वर्गमीटर	0.002
29	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	गौतम प्रसाद चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छ0ग0	आमासिवनी	232/3	33 वर्गमीटर	0.0033
30	छ0ग0 शासन पता-छ0ग0 शासन	संतोष जैन वगेरह	अमलीडीह	25	0.3369 हे.	0.3369
				कुल अतिक्रमित रकबा		1.2561


3/10

अधीकारी


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रपत्र-ब

क्र.	अवैध कब्जाधारी (अनावेदक)	ग्राम	खसरा नंबर	कब्जा मुक्त रकबा	कब्जा मुक्त रकबा हे में
1	शिवकुमार पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
2	धनंजय पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
3	रवि पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
4	विष्णु पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
5	संजय पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
6	दिनु पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
7	केदार यादव पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
8	बिहारी पता-ग्राम मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	500 वर्गफुट	0.0046
9	अनिल महेश्वरी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1000 वर्गफुट	0.0093
10	उत्तरा पाटेकर पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	900 वर्गफुट	0.0083
11	मणीराम महेश्वरी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	800 वर्गफुट	0.0074
12	मशाराम यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1200 वर्गफुट	0.0111
13	संतु यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4200 वर्गफुट	0.039
14	हेमंत यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4200 वर्गफुट	0.039
15	कुलेश्वर यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4500 वर्गफुट	0.041
16	राजेश पता-ग्राम मुजगहन रायपुर	पिरदा	26 का भाग	0.405 हे.	0.405
				कुल रकबा	0.662

  
 अनुभाग अधिकारी  
 सजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्र.	अवैध कब्जाधारी (अनावेदक)	ग्राम	खसरा नंबर	अतिक्रमित रकबा	अतिक्रमित रकबा हे में
1	शिव महेश्वरी पता-सेजबहार रायपुर	सेजबाहस	338	2.914हे.का भाग	
2	हीरालाल पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
3	बोहरू पता-काठाडीह रायपुर	काठाडीह	43/7 का भाग	1000 वर्गफुट	0.0139
4	सुरेन्द्र यदु पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	4200 वर्गफुट	0.039
5	अनिता पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1500 वर्गफुट	0.0139
6	भोनू महेश्वरी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	1200 वर्गफुट	0.0111
7	बल्लू चक्रधारी पता-मुजगहन	मुजगहन	25/10 का भाग	200 वर्गफुट	0.0018
8	सोनूराम चक्रधारी पता-पता आमासिवनी, रायपुर छोगो	आमासिवनी	232/3	0.091 हे.	0.091
9	केशर चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छोगो	आमासिवनी	232/3	0.059 हे.	0.059
10	पुणितराम चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छोगो	आमासिवनी	232/3	56 वर्गमीटर	0.0056
11	रमेश चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छोगो	आमासिवनी	232/3	27 वर्गमीटर	0.0027
12	धतेन्द्र कुमार चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छोगो	आमासिवनी	232/3	20 वर्गमीटर	0.002
13	गौतम प्रसाद चक्रधारी पता-आमासिवनी, रायपुर छोगो	आमासिवनी	232/3	33 वर्गमीटर	0.0033
14	संतोष जेन वगैरह	अमलीडीह	25	0.3369हे.	0.3369
				कुल रकबा	0.5941

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

## परिशिष्ट - बत्तीस

परिचित अतारोकेत प्रश्न सख्या 59 (क्र. 2543) की जानकारी

## प्रपत्र-‘अ’

पेरार्इ वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (15 फरवरी 2026 तक) सहकारी शक्कर कारखानों में लक्ष्य के विरुद्ध गन्ना पेरार्इ एवं शक्कर उत्पादन की जानकारी

(मात्रा मी. टन में)

क्र.	कारखाना का नाम	पेरार्इ सत्र 2022.23			पेरार्इ सत्र 2023.24			पेरार्इ सत्र 2024.25			पेरार्इ सत्र 2025.26		
		लक्ष्य	गन्ना पेरार्इ	शक्कर उत्पादन									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	4,50,000	3,46,822.41	38,552.80	4,50,000	3,88,828.32	43,393.40	4,50,000	2,78,177.48	25,901.40	4,50,000	2,50,490.00	29,696.00
2.	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	4,00,000	2,70,582.12	33,690.00	3,50,000	3,13,000.32	35,093.00	4,00,000	1,50,153.42	16,451.95	3,50,000	1,21,721.64	13,486.45
3.	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	3,50,000	2,66,062.29	23,807.35	3,50,000	2,62,814.62	26,030.00	3,50,000	1,99,519.78	18,398.00	4,00,000	1,15,533.51	9,875.00
4.	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	65,000	59,019.64	6,334.50	70,000	69,175.35	7,513.25	70,000	64,647.95	6,668.25	64,000	35,940.00	3,650.00

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारी विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब'

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (15 फरवरी 2026 तक) तक प्रदेश में संचालित सहकारी शक्कर कारखानों के रख-रखाव एवं मरम्मत में व्यय की गयी राशि की जानकारी

(राशि रू. करोड़ में)

क्र.	कारखाना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (15 फरवरी, 2026 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	1.11	2.15	2.06	2.09
2.	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	5.73	5.48	2.62	3.40
3.	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	1.13	4.97	2.03	1.12
4.	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	0.90	0.74	0.72	0.85

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

प्रपत्र-‘स’

विगत 03 वित्तीय वर्षों में सहकारी शक्कर कारखानों को हुए वित्तीय लाभ या हानि की जानकारी

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	कारखाना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
1.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	-21.91	-23.95	-10.02
2.	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया	-28.77	-38.90	-29.16
3.	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर	-20.04	-20.92	-31.71
4.	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद	-13.48	-13.00	-15.54



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

## परिशेष - तैतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 2556) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2025 सीजन में तेन्दूपत्ता संग्रहण, विक्रय एवं शेष मात्रा की जानकारी  
(तारांकित प्रश्न क्रमांक 2556 द्वारा श्री विक्रम मंडावी, सदस्य विधान सभा)

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा)	भण्डारित मात्रा (मानक बोरा)	विक्रय मात्रा (मानक बोरा)	विक्रय हेतु शेष मात्रा (मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	12186.966	10975.41	1543.966	9431.444
2	सुकमा	70998.974	70831.86	28126.352	42705.508
3	दंतेवाड़ा	16605.264	16313.85	16286.460	27.385
4	जगदलपुर	17122.437	16567.40	6473.821	10093.58
5	कोण्डागांव	12813.934	12806.33	9634.987	3171.347
6	केशकाल	20710.866	19160.91	16596.500	2564.413
7	नारायणपुर	16589.384	16510.82	7034.954	9475.867
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	79516.360	78922.51	60550.265	18372.245
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	73753.900	72414.00	47053.140	25360.86
10	कांकेर	28232.230	27776.17	27776.172	0
	योग	348530.315	342279.27	221076.617	121202.649

  
अनुभाग अधिकारी  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - चौतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 2557) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

प्रदेश में निम्नदाब / उच्चदाब उपभोक्ताओं की श्रेणीवार बिजली खपत की जानकारी (दिसम्बर 2025 की स्थिति में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	उपभोक्ता संख्या	खपत (यूनिट में)	औसत दर (रूपये)
1	2	3	4	5	6
	जनवरी 2024 से मई 2024 तक	एल.व्ही.-1	5016556	2882891411	5.04
		एल.व्ही.-2	423308	581726640	9.91
		एल.व्ही.-3	547150	2768235813	4.88
		एल.व्ही.-4	4541	18444235	7.55
		एल.व्ही.-5	38671	371416151	8.36
		एल.व्ही.-6	54485	422428974	7.84
		एल.व्ही.-7	9	240769	9.51
		एल.व्ही.-8	264287	970111146	4.78
		<b>निम्नदाब योग</b>	<b>6349007</b>	<b>8015495139</b>	<b>5.61</b>
		एच. व्ही.-1	28	580440270	5.64
		एच. व्ही.-2	284	237412072	19.29
		एच. व्ही.-3	2654	944321021	9.89
		एच. व्ही.-4	568	4506853617	6.83
		एच. व्ही.-5	229	98768411	12.15
		एच. व्ही.-6	78	74699437	10.06
		एच. व्ही.-7	33	2894482	55.99
	एच. व्ही.-8	8	3227820	5.68	
	एच. व्ही.-9	4	358211	8.42	
	एच. व्ही.-10	34	5677381	19.20	
	<b>उच्चदाब योग</b>	<b>3920</b>	<b>6454652722</b>	<b>7.78</b>	
	जून 2024 से दिसम्बर 2024 तक	एल.व्ही.-1	5047051	4076193498	6.76
		एल.व्ही.-2	432226	837829124	11.94
		एल.व्ही.-3	568425	3457143315	5.31
		एल.व्ही.-4	4650	26011566	9.30
		एल.व्ही.-5	39116	444687589	9.48
		एल.व्ही.-6	56629	571351856	9.20
		एल.व्ही.-7	9	274950	11.83
		एल.व्ही.-8	262492	1042345174	6.58
		<b>निम्नदाब योग</b>	<b>6410598</b>	<b>10455837072</b>	<b>6.93</b>
		एच. व्ही.-1	28	803188420	7.44
		एच. व्ही.-2	286	365381551	19.72
		एच. व्ही.-3	2756	1296918126	10.18
		एच. व्ही.-4	568	5981285951	8.06
		एच. व्ही.-5	236	151245112	12.99
		एच. व्ही.-6	86	107774194	10.68
		एच. व्ही.-7	35	4367098	55.87
	एच. व्ही.-8	8	5989354	6.49	
	एच. व्ही.-9	7	1110967	7.73	
	एच. व्ही.-10	38	9018055	19.96	
	<b>उच्चदाब योग</b>	<b>4048</b>	<b>8726278828</b>	<b>8.96</b>	
	<b>महायोग (निम्नदाब + उच्चदाब)</b>	<b>6414646</b>	<b>33652263761</b>	<b>7.31</b>	

उच्च सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	उपभोक्ता संख्या	खपत (यूनिट में)	औसत दर (रूपये)
1	2	3	4	5	6
		एल.की-1	5081052	3711769371	5.73
		एल.की-2	439859	755045140	10.86
		एल.की-3	589524	3683725600	5.16
		एल.की-4	4753	23250347	8.64
		एल.की-5	39299	427579287	9.58
		एल.की-6	59273	582308053	9.54
		एल.की-7	9	271533	8.90
		एल.की-8	308182	1544491731	5.31
		<b>निम्नदाब योग</b>	<b>6521951</b>	<b>10728441062</b>	<b>6.20</b>
	जनवरी 2025 से जून 2025 तक	एच.की-1	28	731125509	7.21
		एच.की-2	281	320721640	17.71
		एच.की-3	2867	1231336288	9.57
		एच.की-4	572	5191084436	8.02
		एच.की-5	245	128895107	13.52
		एच.की-6	86	93482857	10.32
		एच.की-7	37	8695601	28.67
		एच.की-8	8	11435154	6.48
		एच.की-9	8	2255555	6.81
		एच.की-10	45	8351417	19.67
		<b>उच्चदाब योग</b>	<b>4177</b>	<b>7727383564</b>	<b>8.75</b>
		एल.की-1	5146257	3389210010	6.58
		एल.की-2	450118	724820921	11.97
		एल.की-3	601763	2905264100	5.61
		एल.की-4	4927	22271546	9.33
		एल.की-5	39666	394490130	9.71
		एल.की-6	60348	435464659	11.57
		एल.की-7	8	230930	10.72
		एल.की-8	283751	983766916	6.79
		<b>निम्नदाब योग</b>	<b>6586838</b>	<b>8855519212</b>	<b>7.12</b>
	जुलाई 2025 से दिसम्बर 2025 तक	एच.की-1	28	739675537	7.41
		एच.की-2	278	426437407	17.10
		एच.की-3	2943	1193049866	9.78
		एच.की-4	579	5242835501	6.98
		एच.की-5	251	128034745	14.71
		एच.की-6	87	92038220	10.49
		एच.की-7	39	6899456	46.94
		एच.की-8	8	13627129	6.85
		एच.की-9	8	2127778	6.95
		एच.की-10	41	10446352	19.73
		<b>उच्चदाब योग</b>	<b>4262</b>	<b>7855171991</b>	<b>8.21</b>
		<b>महायोग (निम्नदाब + उच्चदाब)</b>	<b>6591100</b>	<b>35166515829</b>	<b>7.44</b>



उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	उपभोक्ता संख्या	खपत (यूनिट में)	औसत दर (रूपये)
1	2	3	4	5	6
		एल.व्ही.-1	5146257	564868335	6.58
		एल.व्ही.-2	450118	120803487	11.97
		एल.व्ही.-3	601763	484210683	5.61
		एल.व्ही.-4	4927	3711924	9.33
		एल.व्ही.-5	39666	65748355	9.71
		एल.व्ही.-6	60348	72577443	11.57
		एल.व्ही.-7	8	38488	10.72
		एल.व्ही.-8	283751	163961153	6.79
		<b>निम्नदाब योग</b>	<b>6586838</b>	<b>1475919869</b>	7.12
	जनवरी 2026 से 19.02.2026 तक	एच. व्ही.-1	28	123279256	7.41
		एच. व्ही.-2	278	71072901	17.10
		एच. व्ही.-3	2943	198841644	9.78
		एच. व्ही.-4	579	873805917	6.98
		एच. व्ही.-5	251	21339124	14.71
		एच. व्ही.-6	87	15339703	10.49
		एच. व्ही.-7	39	1149909	46.94
		एच. व्ही.-8	8	2271188	6.85
		एच. व्ही.-9	8	354630	6.95
		एच. व्ही.-10	41	1741059	19.73
		<b>उच्चदाब योग</b>	<b>4262</b>	<b>1309195332</b>	8.21
		<b>महायोग (निम्नदाब + उच्चदाब)</b>	<b>6591100</b>	<b>2785115201</b>	7.63

  
**उप सचिव**  
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

मार्च 2019 से 19 फरवरी 2026 तक घरेलू विद्युत देयकों में राहत योजना के तहत मांग एवं शासन से प्राप्त राशि का विवरण

राशि करोड़ रुपये में							
क्र.	वर्ष	अनुमोदित बजट	पूर्ववती वर्षों की बकाया राशि	वर्षावधि की दावा राशि	योग	राज्य शासन द्वारा वर्षावधि में उपलब्ध कराई गई राशि	वर्ष के अंत में शेष बकाया राशि
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	2018-19	0.00		183.76	183.76	0.00	183.76
2	2019-20	977.21	183.76	783.61	967.37	977.21	-9.84
3	2020-21	850.00	-9.84	848.79	838.95	850.00	-11.05
4	2021-22	900.00	-11.05	871.63	860.58	900.00	-39.42
5	2022-23	1145.48	-39.42	1004.58	965.16	1115.48	-150.32
6	2023-24	1197.02	-150.32	1085.55	935.23	1196.73	-261.50
7	2024-25	1274.00	-261.50	1253.00	991.50	1274.00	-282.50
8	2025-26	1000.00	-282.50	610.53	328.03	550.00	-221.97
योग				6641.45	6070.58	6863.42	

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभागे  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - "स"

जनवरी, 2024 से 19.02.2026 की अवधि के दौरान टैरिफ दर में ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार में हुई वृद्धि का विवरण

## निम्नदाब

टैरिफ क्र.	उपभोक्ता का वर्ग	उप-वर्ग	यूनिट खण्ड	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 01.06.2024 से टैरिफ में वृद्धि		वर्ष 2025-26		वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.07.2025 से टैरिफ में वृद्धि	
				ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	स्थायी प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	स्थायी प्रभार में वृद्धि / (-कमी)
				(रु./यूनिट)		(रु./यूनिट)		(रु.)	(रु.)	(रु./यूनिट)		(रु.)	(रु.)
एलवी-1	बीपीएल उपभोक्ता सहित घरेलू उपभोक्ता		0-100 यूनिट	3.7	रु. 20/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. तक, रु. 30/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. से अधिक और 10 कि.वा. तक, रु. 40/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 10 कि.वा. से अधिक	3.9	रु. 20/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. तक, रु. 30/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. से अधिक और 10 कि.वा. तक, रु. 40/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 10 कि.वा. से अधिक	0.2		4.1	रु. 20/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. तक, रु. 30/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 5 कि.वा. से अधिक और 10 कि.वा. तक, रु. 40/- प्रति कि.वा./माह स्वीकृत भार 10 कि.वा. से अधिक	0.2	
			101 से 200 यूनिट	3.9		4.1		0.2	0	4.2		0.1	0
			201 से 400 यूनिट	5.3		5.5		0.2		5.6		0.1	
			401 से 600 यूनिट	6.3		6.5		0.2		6.6		0.1	
			601 और अधिक यूनिट	7.9		8.1		0.2		8.3		0.2	
एलवी-2	गैर-घरेलू	सिंगल फेस गैर-घरेलू (05 किलोवॉट तक)	0-100 यूनिट	5.85		6.05		0.2		6.3		0.25	
			101-400 यूनिट	6.85	रु. 50 प्रति कि.वा. प्रतिमाह	7.05	रु. 50 प्रति कि.वा. प्रतिमाह	0.2	0	7.3	रु. 50 प्रति कि.वा. प्रतिमाह	0.25	0
			401 और अधिक यूनिट	8.25		8.45		0.2		8.7		0.25	
		(अ) 15 कि.वा. तक	0-400 यूनिट	6.85	मांग प्रभार - रु. 120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	7.05	मांग प्रभार - रु. 120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	0.2	0	7.3	मांग प्रभार - रु. 120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	0.25	0
			401 और अधिक यूनिट	8.25		8.45		0.2		8.7		0.25	0
		(ब) 15 कि.वा. से अधिक	सभी यूनिटों पर	7.55	मांग प्रभार - रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	7.75	मांग प्रभार - रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	0.2	0	8	मांग प्रभार - रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	0.25	0
			इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन	5		6.92		1.92	0	7.02		0.1	0
		एलवी-3	कृषि		सभी यूनिटों पर	5.05	100 रु./एचपी/माह	5.3	100 रु./एचपी/माह	0.25	0	5.8	100 रु./एचपी/माह
एलवी-4	कृषि सहवर्ती कार्य		(अ) 25 एचपी तक	5.05	रु. 100/एचपी/माह या रु. 134/कि.वा./माह	5.3	रु. 100/एचपी/माह या रु. 134/कि.वा./माह	0.25	0	5.8	रु. 100/एचपी/माह या रु. 134/कि.वा./माह	0.5	0
			(ब) 25 एचपी से अधिक और 150 एचपी तक	5.45	रु. 110/एचपी/माह या रु. 147/कि.वा./माह	6.05	रु. 110/एचपी/माह या रु. 147/कि.वा./माह	0.6	0	6.35	रु. 110/एचपी/माह या रु. 147/कि.वा./माह	0.3	0
			मांग आधारित टैरिफ पर सविदा मांग 15 कि.वा. से 112.5 कि.वा.	5.65	रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	6.25	रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	0.6	0	6.55	रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	0.3	0

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

एलवी-5	निम्नदाब उद्योग	25 एच.पी. अथवा 18.7 कि. वा. तक के आटा चक्की, हॉलर, पावरलूम, मसाला ग्राइंडिंग हेतु ग्राइंडर, टेराकोटा, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण इकाई, लघु वन उत्पाद	सभी यूनिटों पर	4.15	रु. 80/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	4.75	रु. 80/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.6	0	5.05	रु. 80/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.3	0	
		बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु	सभी यूनिटों पर	3.75	रु. 80/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	4.25	रु. 80/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.5	0	4.55	रु. 80/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.3	0	
		अन्य उद्योग												
		25 एच.पी. भार या 18.7 कि.वा. तक	सभी यूनिटों पर	5.15	रु. 120/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	5.75	रु. 120/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.6	0	6.05	रु. 120/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.3	0	
		बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु	सभी यूनिटों पर	4.15	रु. 100/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	4.75	रु. 100/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.6	0	5.05	रु. 100/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.3	0	
		25 एच.पी. से अधिक एवं 150 एच.पी. तक (18.7 कि.वा. से 112.5 कि.वा. तक)	सभी यूनिटों पर	5.9	रु. 150/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	6.5	रु. 150/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.6	0	6.8	रु. 150/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.3	0	
		बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु	सभी यूनिटों पर	5.4	रु. 130/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	6	रु. 130/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.6	0	6.3	रु. 130/कि.वा. /माह बिलिंग डिमाण्ड पर	0.3	0	
एलवी-6	जन उपयोगिता		सभी यूनिटों पर	6.25	रु. 142/एचपी/माह या रु. 190/कि.वा. /माह	6.85	रु. 142/एचपी/माह या रु. 190/कि.वा. /माह	0.6	0	7.35	रु. 142/एचपी/माह या रु. 190/कि.वा. /माह	0.5	0	
एलवी-7	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एवं नियातोनमुखी वस्त्र उद्योग		सभी यूनिटों पर	5.15	बिलिंग मांग पर मांग प्रभार रु. 150/कि.वा. /माह	5.75	बिलिंग मांग पर मांग प्रभार रु. 150/कि.वा. /माह	0.6	0	6.05	बिलिंग मांग पर मांग प्रभार रु. 150/कि.वा. /माह	0.3	0	
एलवी-8	अस्थायी आपूर्ति	इस टैरिफ का प्रयोजन अस्थाई प्रकृति के निम्नदाब कनेक्शन पर होगा।	सभी यूनिटों पर		संबंधित प्रयोजन हेतु लागू सामान्य टैरिफ की ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार का 1.5 गुना होगा		संबंधित प्रयोजन हेतु लागू सामान्य टैरिफ की ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार का 1.5 गुना होगा				संबंधित प्रयोजन हेतु लागू सामान्य टैरिफ की ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार का 1.25 गुना एलवी-1 एवं एलवी-2 के लिए एवं शेष सभी श्रेणी हेतु डेढ़ गुना होगा			

## उच्चदाब

टैरिफ क्र.	उपभोक्ता का वर्ग	आपूर्ति वोल्टेज	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 01.06.2024 से टैरिफ में वृद्धि		वर्ष 2025-26		वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.07.2025 से टैरिफ में वृद्धि	
			ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार	ऊर्जा प्रभार	ऊर्जा प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	मांग प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	मांग प्रभार में वृद्धि / (-कमी)
			(रु./केवीएएच)	(रु./केवीए/माह)	(रु./केवीएएच)	(रु./यूनिट)	(रु.)	(रु.)	(रु./केवीएएच)	(रु./केवीए/माह)	(रु.)	(रु.)
एचवी-1	रेल्वे कर्षण	132 केवी/220 केवी	4.55	375	5.25	375	0.7	0	5.55	375	0.3	0
एचवी-2	खदान	220 केवी आपूर्ति	6.75	500	6.85	500	0.1	0	6.95	500	0.1	0
		132 केवी आपूर्ति	6.9	500	7	500	0.1	0	7.1	500	0.1	0
		33 केवी आपूर्ति	7.15	500	7.25	500	0.1	0	7.5	500	0.25	0
		11 केवी आपूर्ति	7.45	500	7.55	500	0.1	0	7.8	500	0.25	0
एचवी-3	अन्य औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक सामान्य प्रयोजन	220 केवी आपूर्ति	6.45	375	6.55	375	0.1	0	6.65	375	0.1	0
		132 केवी आपूर्ति	6.6	375	6.7	375	0.1	0	6.8	375	0.1	0
		33 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर>15%)	6.85	375	6.95	375	0.1	0	7.2	375	0.25	0
		33 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर≤15%)	7.05	190	7.15	190	0.1	0	7.4	190	0.25	0
		11 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर>15%)	7.25	375	7.35	375	0.1	0	7.6	375	0.25	0
		11 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर≤15%)	7.45	190	7.65	190	0.2	0	7.9	190	0.25	0
एचवी-4	स्टील उद्योग	220 केवी आपूर्ति	5.7	375	5.95	375	0.25	0	6.1	375	0.15	0
		132 केवी आपूर्ति	5.85	375	6.1	375	0.25	0	6.25	375	0.15	0
		33 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर>15%)	6.1	375	6.35	375	0.25	0	6.65	375	0.3	0
		33 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर≤15%)	6.6	190	6.85	190	0.25	0	7.15	190	0.3	0

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

टैरिफ क्र.	उपभोक्ता का वर्ग	आपूर्ति वोल्टेज	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 01.06.2024 से टैरिफ में वृद्धि		वर्ष 2025-26		वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.07.2025 से टैरिफ में वृद्धि	
			ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार	ऊर्जा प्रभार	ऊर्जा प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	मांग प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार में वृद्धि / (-कमी)	मांग प्रभार में वृद्धि / (-कमी)
			(रु./केवीएएच)	(रु./केवीए/माह)	(रु./केवीएएच)	(रु./यूनिट)	(रु.)	(रु.)	(रु./केवीएएच)	(रु./केवीए/माह)	(रु.)	(रु.)
		11 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर > 15%)	6.2	375	6.45	375	0.25	0	6.75	375	0.3	0
		11 केवी आपूर्ति (लोड फैक्टर ≤ 15%)	7	190	7.25	190	0.25	0	7.55	190	0.3	0
एचवी-5	सिंचाई एवं कृषि सहवर्ती कार्य, सार्वजनिक जल कार्य		5.85	375	6.35	375	0.5	0	6.6	375	0.25	0
एचवी-6	उच्चदाब धरेलू		6.05	375	6.55	375	0.5	0	6.8	375	0.25	0
एचवी-7	स्टार्ट अप पॉवर टैरिफ	400/220/132/33/11 केवी	8.35	200	8.85	200	0.5	0	9.1	200	0.25	0
एचवी-8	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग	220/132/33/11 केवी	4.15	130	4.65	130	0.5	0	4.95	130	0.3	0
एचवी-9	उच्चदाब सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एवं निर्यातानुषंगी वस्त्र उद्योग		4.25	150	4.75	150	0.5	0	5.05	150	0.3	0
एच.वी.-10	अस्थायी आपूर्ति	इस टैरिफ का प्रयोजन अस्थाई प्रकृति के 220/132/33/11 केवी पर उच्चदाब कनेक्शन जिसमें ((एचवी-7 श्रेणी) के अन्तर्गत स्टार्ट अप पॉवर टैरिफ के उपभोक्ता सम्मिलित नहीं) पर होगा।			संबंधित प्रयोजन हेतु लागू सामान्य टैरिफ की मांग प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार के डेड. गुना होगी।			0	0	संबंधित प्रयोजन हेतु लागू सामान्य टैरिफ की मांग प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार के डेड. गुना होगी।	0	0
एच.वी.-11	इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन		5	0	6.92	0	1.92	0	6.32	0	-0.6	0

  
 उप सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पेंतीस  
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 2559) की जानकारी

‘प्रपत्र’

अल्पकालीन वस्तु एवं नगद कृषि ऋण वितरण की जिलेवार एवं सीजनवार जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिले का नाम	खरीफ 2023				रबी 2023-24			
		कृषक संख्या	नगद	वस्तु	योग	कृषक संख्या	नगद	वस्तु	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	74,668	25,786.81	8,136.47	33,923.28	3,337	1,059.76	355.57	1,415.33
2	गरियाबंद	47,860	15,595.97	4,886.57	20,482.54	8,693	2,377.57	661.96	3,039.53
3	बलौदाबाजार	1,01,698	33,996.67	8,587.63	42,584.30	1,190	446.61	107.19	553.80
4	महासमुंद	82,504	32,957.77	10,726.21	43,683.98	5,328	2,540.32	542.54	3,082.86
5	धमतरी	64,797	20,254.88	6,242.20	26,497.08	12,349	4,072.40	1,063.85	5,136.25
6	दुर्ग	82,459	26,948.40	8,796.54	35,744.94	34,275	9,064.63	1,685.64	10,750.27
7	बालोद	1,14,465	36,737.46	10,672.57	47,410.03	32,772	8,801.12	1,486.56	10,287.68
8	बेमेतरा	1,11,028	37,599.42	11,498.08	49,097.50	81,293	22,429.40	3,102.07	25,531.47
9	राजनांदगांव	97,520	38,762.72	8,787.40	47,550.12	29,420	5,550.72	1,528.62	7,079.34
10	कबीरधाम	89,451	47,562.74	8,504.89	56,067.63	28,010	2,199.27	1,295.08	3,494.35
11	खैरागढ़	45,762	27,904.68	4,961.05	32,865.73	19,814	2,600.74	942.94	3,543.68
12	मानपुर.चौकी	36,531	9,010.61	3,602.05	12,612.66	5,094	893.70	290.36	1,184.06
13	जगदलपुर	28,968	13,832.71	3,594.73	17,427.44	6,320	4,146.07	343.81	4,489.88
14	कोडागांव	30,629	11,950.73	3,655.97	15,606.70	7,471	3,144.54	656.69	3,801.23
15	नारायणपुर	5,376	2,622.90	455.42	3,078.32	557	346.33	13.64	359.97
16	कांकेर	66,355	21,722.03	6,846.80	28,568.83	18,231	5,801.24	1,259.53	7,060.77
17	दंतेवाड़ा	2,742	1,454.14	154.29	1,608.43	114	120.85	0.76	121.61
18	सुकमा	8,543	3,495.03	528.51	4,023.54	363	368.28	1.59	369.87
19	बीजापुर	12,502	6,453.44	900.57	7,354.01	306	400.22	1.87	402.09
20	बिलासपुर	69,931	18,433.80	6,039.05	24,472.85	4,306	246.66	409.85	656.51
21	पेण्ड्रा मरवाही	8,165	2,678.87	783.36	3,462.23	289	5.49	32.47	37.96
22	मुंगेली	34,262	12,448.23	3,833.82	16,282.05	1,828	245.01	131.54	376.55
23	जांजगीर	43,934	14,156.46	4,343.85	18,500.31	2,860	67.89	201.55	269.44
24	सक्ती	34,707	16,029.01	4,787.80	20,816.81	756	4.73	88.41	93.14
25	कोरबा	20,462	6,323.72	2,049.09	8,372.81	0	0	0	0
26	सरगुजा	38,510	12,034.15	4,457.11	16,491.26	7,179	1,236.00	542.00	1,778.00
27	बलरामपुर	20,707	6,518.82	3,286.00	9,804.82	2,427	75.00	237.00	312.00
28	सूरजपुर	35,551	8,717.48	4,300.68	13,018.16	5,278	912.00	424.00	1,336.00
29	कोरिया	14,900	3,550.70	1,777.74	5,328.44	1,918	213.60	129.90	343.50
30	मनेन्द्रगढ़	7,666	1,660.33	784.78	2,445.11	1,575	40.30	124.60	164.90
31	रायगढ़	34,672	10,628.38	5,480.25	16,108.63	5,642	109.68	735.48	845.16
32	सारंगढ़	41,806	13,101.93	3,952.09	17,054.02	3,289	274.77	331.35	606.12
33	जशपुर	14,022	3,477.59	2,185.83	5,663.42	234	0	28.65	28.65
	योग	15,23,153	5,44,408.58	1,59,599.40	7,04,007.98	3,32,518	79,794.90	18,757.07	98,551.97

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिले का नाम	खरीफ 2024				रबी 2024-25			
		कृषक संख्या	नगद	वस्तु	योग	कृषक संख्या	नगद	वस्तु	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	74,049	25,108.73	8,266.64	33,375.37	4,370	1,489.07	504.88	1,993.95
2	गरियाबंद	46,111	14,137.84	4,973.844	19,111.68	9,139	2,527.48	720.58	3,248.06
3	बलौदाबाजार	1,02,369	33,648.48	9,666.96	43,315.44	2,344	1,009.43	241.68	1,251.11
4	महासमुंद	82,434	32,227.35	10,498.31	42,725.66	6,180	3,159.38	650.56	3,809.94
5	धमतरी	64,975	19,490.10	6,536.46	26,026.56	14,848	4,776.28	1,161.22	5,937.50
6	दुर्ग	83,140	25,810.41	8,390.59	34,201.00	31,656	7,425.28	1,796.38	9,221.66
7	बालोद	1,14,732	35,043.47	9,838.54	44,882.01	33,757	8,778.16	1,463.54	10,241.70
8	बेमेतरा	1,12,860	35,761.60	11,756.62	47,518.22	79,741	17,705.14	3,920.78	21,625.92
9	राजनांदगांव	95,096	36,766.24	8,678.42	45,444.66	23,708	5,876.06	1,312.51	7,188.57
10	कबीरधाम	86,165	47,958.23	7,947.01	55,905.24	33,238	1,500.39	1,532.66	3,033.05
11	खैरागढ़	45,013	27,011.18	5,172.48	32,183.66	23,885	1,703.75	643.61	2,347.36
12	मानपुर.चौकी	37,249	9,217.41	3,645.27	12,862.68	6,005	1,222.30	342.36	1,564.66
13	जगदलपुर	30,891	1,6400.00	4,198.17	20,598.17	7,103	5,155.00	399.66	5,554.66
14	कौडागांव	32,407	12,910.00	4,108.07	17,018.07	9,456	3,693.96	843.71	4,537.67
15	नारायणपुर	5,733	2,734.38	585.62	3,320.00	519	440.67	6.63	447.30
16	कांकेर	68,125	21,176.04	7,501.22	28,677.26	20,161	6,745.10	1,331.64	8,076.74
17	दंतेवाड़ा	2,725	1,595.11	80.80	1,675.91	155	181.22	0	181.22
18	सुकमा	9,331	4,165.45	690.14	4,855.59	440	464.68	1.21	465.89
19	बीजापुर	13,056	6,542.05	819.66	7,361.71	372	483.35	30.19	513.54
20	बिलासपुर	71,701	18,636.00	5,449.11	24,085.11	5,123	46.59	472.41	519.00
21	पेण्डा मरवाही	8,146	2,636.46	817.81	3,454.27	0	0	0	0
22	मुगेली	32,635	12,148.93	3,512.27	15,661.20	1,746	246.75	132.55	379.30
23	जांजगीर	34,834	12,957.03	3,949.97	16,907.00	10,396	5.67	606.61	612.28
24	सक्ती	32,839	14,917.83	4,561.27	19,479.10	3,813	0	286.49	286.49
25	कोरबा	21,845	5,927.87	1,990.92	7,918.79	0	0	0	0
26	सरगुजा	40,477	12,142.50	4,699.22	16,841.72	7,089	1,033.30	562.49	1,595.79
27	बलरामपुर	20,505	5,303.55	3,210.62	8,514.17	1,787	109.91	173.14	283.05
28	सूरजपुर	36,309	7,946.45	4,279.75	12,226.20	5,111	614.50	396.65	1,011.15
29	कोरिया	15,611	3,433.81	1,711.31	5,145.12	1,601	227.83	103.09	330.92
30	मनेन्द्रगढ़	8,753	1,730.96	852.92	2,583.88	1,251	129.01	65.20	194.21
31	रायगढ़	34,357	10,095.61	5,286.17	15,381.78	5,213	58.60	499.49	558.09
32	सारंगढ़	41,703	12,996.04	4,144.11	17,140.15	3,792	126.04	309.78	435.82
33	जशपुर	16,589	4,333.62	2,603.61	6,937.23	199	0	20.78	20.78
	योग	15,22,765	5,32,910.73	1,604,23.88	6,93,334.61	3,54,198	76,934.90	20,532.48	97,467.38

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिले का नाम	खरीफ 2025				रबी 2025-26 (जनवरी 2026 तक)			
		कृषक संख्या	नगद	वस्तु	योग	कृषक संख्या	नगद	वस्तु	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	74,311	25,405.54	8,163.6	33,569.14	2,209	929.59	199.88	1,129.47
2	गरियाबंद	45,656	14,882.55	4,753.53	19,636.08	3,739	907.07	341.65	1,248.72
3	बलौदाबाजार	1,04,649	34,118.02	9,720.75	43,838.77	1,182	573.89	118.48	692.37
4	महासमुंद	82,278	32,579.23	8,902.24	41,481.47	3,104	1,233.79	307.98	1,541.77
5	धमतरी	66,160	20,030.83	6,560.12	26,590.95	8,743	3,019.35	782.84	3,802.19
6	दुर्ग	82,398	27,217.78	7,234.47	34,452.25	19,762	6,130.79	973.26	7,104.05
7	बालोद	1,10,540	37,311.95	10,499.36	47,811.31	12,979	4,490.49	457.17	4,947.66
8	बेमेतरा	1,14,543	36,503.46	7,829.14	44,332.60	60,089	16,262.05	2,323.18	18,585.23
9	राजनांदगांव	97,113	38,296.39	8,683.90	46,980.29	12,880	1,546.17	1,047.86	2,594.03
10	कबीरधाम	89,167	51,395.88	9,143.79	60,539.67	14,688	328.61	633.38	961.99
11	खैरागढ़	48,908	26,560.77	5,253.49	31,814.26	10,697	397.84	605.26	1,003.10
12	मानपुर.चौकी	37,851	9,291.26	3,506.65	12,797.91	2,394	235.11	130.14	365.25
13	जगदलपुर	31,173	18,115.49	4,114.98	22,230.47	3,434	2,885.20	226.66	3,111.86
14	कोंडागांव	32,830	13,624.08	4,333.35	17,957.43	4,936	1,962.87	547.77	2,510.64
15	नारायणपुर	6,040	3,031.42	712.52	3,743.94	183	74.03	4.61	78.64
16	कांकेर	65,833	22,143.13	6,672.39	28,815.52	8,860	2,900.24	648.56	3,548.80
17	दंतेवाड़ा	2,647	1,638.89	94.09	1,732.98	52	50.03	0	50.03
18	सुकमा	10,151	5,047.38	585.96	5,633.34	102	108.77	1.26	110.03
19	बीजापुर	13,951	8,018.90	958.23	8,977.13	93	138.19	1.87	140.06
20	बिलासपुर	63,757	17,119.67	5,727.63	22,847.30	624	90.02	56.09	146.11
21	पेण्ड्रा मरवाही	8,268	2,507.85	697.65	3,205.50	169	13.27	0.53	13.80
22	मुंगेली	36,443	1,1934.70	3,772.43	15,707.13	115	58.78	6.87	65.65
23	जांजगीर.	53,642	11,841.67	4,652.06	16,493.73	19	0	2.98	2.98
24	सक्ती	46,031	13,525.16	4,400.26	17,925.42	0	0	0	0
25	कोरबा	23,030	5,940.19	1,909.41	7,849.60	0	0	0	0
26	सरगुजा	37,099	9,579.14	3,170.90	12,750.04	2,799	85.55	197.72	283.27
27	बलरामपुर	18,096	4,892.05	2,260.08	7,152.13	37	10.46	9.44	19.90
28	सूरजपुर	34,030	8,026.90	3,139.10	11,166.00	1,609	51.13	168.8	219.93
29	कोरिया	15,522	3,261.50	1,624.60	4,886.10	1,065	43.87	73.08	116.95
30	मनेन्द्रगढ़	8,908	1,836.91	887.73	2,724.64	1,054	19.95	72.04	91.99
31	रायगढ़	35,130	9,837.31	4,561.46	14,398.77	1,164	0	148.52	148.52
32	सारंगढ़	42,010	12,776.15	3,936.34	16,712.49	31	10.66	2.29	12.95
33	जशपुर	17,671	4,511.35	2,544.72	7,056.07	3	0	0.41	0.41
योग		15,55,836	5,42,803.50	1,51,006.93	6,93,810.43	1,78,815	44,557.77	10,090.58	54,648.35

(देवलाल भारती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट - छत्तीस  
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 2752) की जानकारी

“प्रपत्र”

स.क्र.	खदान/पट्टेदार का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	गौण खनिज से प्राप्त राजस्व (रायल्टी) (राशि रूपयों में)		
			2023-24	2024-25	2025-26 (15.02.2026 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिरेन्द्र सिंह	चंगोरी	257000	318000	—
2.	राम सिंह	चंगोरी	796000	1360000	—
3.	मनोज कुमार अग्रवाल	चंगोरी	1312000	2951500	1496000
4.	विवेक गोयल	चंगोरी	1238000	1267200	—
5.	रमेश मित्तल	चंगोरी	360000	929600	—
6.	हरिओम अग्रवाल	चंगोरी	560000	560000	—
7.	मेसर्स महामाया ट्रेडर्स	चंगोरी	3723200	1600000	—
8.	मोहनलाल अग्रवाल	चंगोरी	480000	480000	—
9.	मनोज कुमार यादव	चंगोरी	1440000	—	—
10.	सियाराम	चंगोरी	—	720000	—
11.	संगीता सिंह	चंगोरी	—	240000	—
12.	राजेन्द्र प्रसाद	चंगोरी	—	80000	80000
13.	प्रकाश चंद राय	कर्मा	6023960	1120000	—
14.	सुरेश मित्तल	कर्मा	1068000	1840000	320000
15.	बिरेन्द्र कुमार सिंह	कर्मा	621000	—	—
16.	कांती गुप्ता	कर्मा	—	798000	736000
17.	गंगा प्रसाद	कर्मा	—	524750	—
18.	द्विजेन्द्र मिश्रा	कर्मा	—	200000	—
19.	शिवनारायण	अमड़ी	568000	568000	320000
20.	मनोज कुमार अग्रवाल	अमड़ी	224000	108000	—
21.	संगीता सिंह	अमड़ी	560000	1560000	—
22.	सूरज प्रसाद गुप्ता	अमड़ी	120000	80000	80000
23.	राजेन्द्र प्रसाद	अमड़ी	—	344800	—
24.	मुकेश मित्तल	अमड़ी	—	240000	—
25.	पूनम राय	अजिरमाकला	461000	—	—
26.	अभिषेक सिंह	अजिरमाकला	196680	—	—
27.	रश्मि मित्तल	अजिरमाकला	—	1411800	—

28.	चंचल अग्रवाल	अजिरमाकला	—	390000	—
29.	कृष्णलाल यादव	खुरनडीह	46000	—	—
30.	उर्मिला गुप्ता	कुदर	—	1168000	—
31.	सूरज प्रसाद गुप्ता	कुदर	—	—	280000
32.	रीना गुप्ता	जरहाडीह	—	63400	—
33.	आयुष अग्रवाल	लमगांव	—	10000	10000
34.	गुलाम अबिया	खाराकोना	—	—	7000

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
13:37:16

## अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

## पारिशेष्य - सैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क. 1195) की जानकारी

प्रश्न - 'अ'

अ.क्र.	वर्ष	शिकायतकर्ता का नाम	किंगको शिकायत की गई दिनांक	शिकायत का विषय	शिकायतकर्ता के विरुद्ध शिकायत की गई है	कार्य में अनियमितता का विवरण	शिकायत पर कार्यवाही/जांच कब किया गया	जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अद्यतन स्थिति
1	2023	श्री कें.के. सविता	19.10.2023	वेब पोर्टल <a href="http://janashikayat.org.nic.in">http://janashikayat.org.nic.in</a> के पीजीएच प्रकरणों एवं ऑनलाइन की गई कार्यवाही दर्ज करने बाबत। (पी.जी.एच. कमरे (771123117281) (ऑफ़ीसियल पेशकरण के बहाने वन विभाग द्वारा 22 करोड़ की अर्चना/खरीद वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से घाटे की पूर्ति की जाने हेतु)	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	9 जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/5/2, दिनांक 03.03.2025 से प्रेषित। शिकायत निराधार एवं वनस्पटलाधिकारी पत्रा गया। जांच अवधि - दिनांक 21.11.2023 से 21.02.2025 तक	श्री यू.आर. बसंत उप वनस्पटलाधिकारी पिथौरा	11 प्रक्रियाधीन
2	2023	श्री जयकुमार सायबो	20.09.2023	श्री राम लाल व्यवहार वन पक्षिेत्र अधिकारी सरायपाली, जिला महाराष्ट्र के विरुद्ध विनागीय जांच संश्लित कर प्रथम सूचना दर्ज वन पक्षिेत्र अधिकारी कर दख्तासक कार्यवाही करने के संबंध में।	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	8 कार्य पत्र क्रमांक/87 दिनांक 18.03.2024 द्वारा प्रकरण नसतीबद्ध किया गया। शिकायत निराधार पत्रा गया। जांच अवधि - दिनांक 03.10.2023 से 31.10.2023 तक	श्री यू.आर. बसंत उप वनस्पटलाधिकारी पिथौरा	निराकृत
3	2023	श्री मनुजय त्रिपाठी	17.10.2023	Representation for redressal of grievances regarding law & order and related matters- forwarding of	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	8 जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/2248, दिनांक 31.10.2023 से प्रेषित। शिकायत निराधार एवं वनस्पटलाधिकारी पत्रा गया। जांच अवधि - दिनांक 20.10.2023 से 26.10.2023 तक	श्री अब्दुल वहीद खान महासमुद्र	निराकृत
4	2024	श्री जयवंत पवार	22.02.2024	शिकायत बाबत-श्री विकास चन्दाकर सड़क तत्का रेंज ऑफिसर बागवहारा द्वारा ऑरिगिनेल पोल खरीदी में की गई फर्जीवाडा में जांच कार्यवाही बाबत।	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	8 उ.म. शासन वन विभाग के पत्र क्र. /713/117/ 2024/ 10-1 / वन, दिनांक 04.04.2025 द्वारा प्रकरण नसतीबद्ध किया गया है। जांच अवधि - दिनांक 29.02.2024 से 05.07.2024 तक	श्री अब्दुल वहीद खान महासमुद्र	निराकृत
5	2024	श्री लोचन चौहान	19.07.2024	वन पक्षिेत्र विभाग अर्थात् रोपणी कोटादावर में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुई व्यापक अनियमितता व फर्जीवाडा की सूचना जांच कर दोषियों पर पुलिस कार्यवाही बाबत।	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	8 मु.सू.स. रायपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/7770 दिनांक 18.07.2024 द्वारा व.म.अ. महासमुद्र को जांच हेतु प्रेषित। जांच अवधि - दिनांक 24.07.2024 से 15.02.2025 तक	श्री यू.आर. बसंत उप वनस्पटलाधिकारी पिथौरा	प्रक्रियाधीन
6	2024	श्री लोचन चौहान	24.07.2024	गुणवत्ता विहीन किये गये डब्ल्यू. डी.एच. सड़क निर्माण की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही बाबत।	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	8 मु.सू.स. रायपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/8665 दिनांक 27.08.2025 द्वारा अतिरिक्त उप वनस्पटलाधिकारी जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु व.म.अ. महासमुद्र को प्रेषित। जांच अवधि - दिनांक 31.07.2024 से 16.09.2024 तक	श्री यू.आर. बसंत उप वनस्पटलाधिकारी सरायपाली	प्रक्रियाधीन
7	2024	श्री गणेशराम केंवट	08.07.2024	500 करोड़ के पैतों को मानरे बाले लापरवाह वन अधिकारियों के खिलाफ विनागीय जांच की कार्यवाही करने बाबत।	उल्लेखित नहीं है। (महाराष्ट्र वन विभाग के विरुद्ध अनियमितता।)	महाराष्ट्र शासन के अधीन कार्य में अनियमितता।	8 व.म.अ. महासमुद्र के पत्र क्रमांक/1488, दिनांक 22.07.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित। मु.सू.स. रायपुर वृत्त स्तर पर प्रक्रियाधीन। जांच अवधि - दिनांक 22.07.2024	श्री यू.आर. बसंत उप वनस्पटलाधिकारी	प्रक्रियाधीन



## महासमुंद्र वनमण्डल अंतर्गत सामग्री खरीदी एवं अन्य कार्यों में अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

अ.क.	वर्ष	शिकायतकर्ता का नाम	किनको शिकायत की गई है	शिकायत का विषय	किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है	सामग्री खरीदी/अन्य कार्यों में अनियमितता का विवरण	शिकायत पर कार्यवाही/जांच कब किया गया	जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अद्यतन स्थिति
1	2025	श्री राजेश सिन्हा	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. रायपुर	महासमुंद्र परिक्षेत्र के गालघाट रोपणी में हार्डिक रोपणी में हुए श्री तोषराम सिन्हा प्रभारी शिकायत करने पर कार्यवाही करने पर कार्यवाही बाबत।	श्री तोषराम सिन्हा प्रभारी शिकायत करने पर कार्यवाही करने पर कार्यवाही बाबत।	फर्जी बिल वाचवर बनाकर करारों को अनियमितता का विवरण	महासमुंद्र के व.म.अ. क्रमांक/684/2/1/2488 / 2025, उप वनमण्डलाधिकारी दिनांक 30.07.2025 से जांच हेतु भेजी गई महासमुंद्र है। प्रतिवेदन अप्राप्त।	पत्र श्री गोविन्द सिंह वनमण्डलाधिकारी महासमुंद्र	प्रक्रियाधीन
16	2025	श्री राजेश सिन्हा	माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन	श्री पंकज राजपूत आई.एफ.एस. व.म.अ. महासमुंद्र द्वारा महासमुंद्र जिला में किये गये आर्थिक अपराध की ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच एवं कार्यवाही बाबत।	श्री पंकज राजपूत, श्री तोषराम सिन्हा, श्री लोकनाथ धुव, श्री मोतीलाल साहू, श्री सुखराम निराला, श्री प्रद्युम्न टाण्डेय, श्री अब्दुल वहीद खान, श्री यू.आर. बसंत, श्री अनिल मास्करण	सामग्री खरीदी में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुंद्र के पत्र क्रमांक 1825, दिनांक 27.06.2025 से प्रतिवेदन प्रेषित। मु. व.सं. रायपुर वृत्त द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त क्रमांक 9868, दिनांक 04.07.2025 से चाही गई है। जांच अवधि - दिनांक 27.06.2025	श्री वैकटेश एम.जी. वनमण्डलाधिकारी महासमुंद्र	प्रक्रियाधीन
17	2025	मीरा	प्रमुख सचिव, खनिज विभाग	राजस्व क्षेत्र में गौण खनिज का अवैध उत्खनन संबंधी श्री पंकज राजपूत सिंह भा.व.से. तत्वा. व.म.अ. महासमुंद्र वनमण्डल, श्री राज अगासिनी मु.व.सं. रायपुर वृत्त, रायपुर के विरुद्ध शिकायत राशि रु. 1,79,48,009/- के गबन के संबंध में।	श्री पंकज राजपूत, श्री राजू अगासिनी	रायट्री चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना मुगान।	व.म.अ. महासमुंद्र के पत्र क्रमांक/25, दिनांक 02.01.2026 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डलाधिकारी पिथौरा को लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	शुभ्री डिम्पी बैस उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा	प्रक्रियाधीन
18	2025	श्री मुंशी प्रधान	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री प्रद्युम्न टाण्डे वन परिक्षेत्र सरायपाली के द्वारा किये गये फर्जीबाजा व अनियमितता के संबंध में तत्काल निष्पक्ष जांच कार्यवाही के संबंध में।	श्री प्रद्युम्न टाण्डे	फॉसिंग कार्य में अनियमितता, शिष्टपाल पत्रत सौदरीकरण में अनियमितता, बांस व मिर्चा लगान के कार्य में अनियमितता आदि।	व.म.अ. महासमुंद्र के पत्र क्रमांक/271, दिनांक 09.02.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन उप वनमण्डलाधिकारी को भिजा। मु.व.सं. रायपुर वृत्त द्वारा अतिरिक्त सरायपाली जानकारी पत्र क्रमांक 200746, दिनांक 17.02.2026 से चाही गई है। जांच अवधि - दिनांक 29.07.2025 से 03.11.2025 तक	श्री यू.आर. बसंत उप वनमण्डलाधिकारी सरायपाली	प्रक्रियाधीन
19	2025	श्री लोजन चौहान	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	नरवा विकास योजना के तहत झर नाला में कराये गये कार्यों की भौतिक सत्यापन व तकनीकी गुणवत्ता की जांच कर कार्यवाही बाबत।	परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा	नरवा विकास कार्य में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुंद्र के पत्र क्र. 3446, दिनांक 03.09.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुंद्र को लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	शुभ्री डिम्पी बैस उप वनमण्डलाधिकारी महासमुंद्र	प्रक्रियाधीन
20	2025	श्री लोजन चौहान	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	महासमुंद्र वन परिक्षेत्र के वक्ष क्र. 69 रकबा 50 हेक्टर में बिना बांस मिर्चा सफाई कार्य के राशि व्यय करने में संलग्न अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही बाबत।	परिक्षेत्र अधिकारी महासमुंद्र	बांस मिर्चा कार्य में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुंद्र के पत्र क्र. 3446, दिनांक 03.09.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुंद्र को लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	शुभ्री डिम्पी बैस उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुंद्र को पिथौरा लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	प्रक्रियाधीन
21	2025	श्री लोजन चौहान	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	नरवा विकास योजना से करमेल नाला में कराये गये निर्माण कार्यों भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी गुणवत्ता की जांच कर कार्यवाही बाबत।	परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा	नरवा विकास कार्य में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुंद्र के पत्र क्र. 3446, दिनांक 03.09.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुंद्र को लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	शुभ्री डिम्पी बैस उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुंद्र को पिथौरा लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	प्रक्रियाधीन



अ.क्र.	वर्ष	शिकायतकर्ता का नाम	किनको शिकायत की गई है	शिकायत प्राप्त दिनांक	शिकायत का विषय	किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है	सामग्री खरीदी/अन्य कार्यों में अनियमितता का विवरण	जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अद्यतन स्थिति
10	2025	श्री लोचन चौहान	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	23.07.2025	नरवा विकास योजना से बागडोगरी नाला में कपाय गये निर्माण कार्य भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी गुणवत्ता की जांच कर कार्यवाही बाबत।	परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा	नरवा विकास कार्य में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुद्र के पत्र क्र./3446, दिनांक 03.09.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुद्र को पिथौरा लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन श्री गोविन्द सिंह उप वनमण्डलाधिकारी महासमुद्र अप्राप्त है।	प्रक्रियाधीन
31	2025	श्री लोचन चौहान	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	23.07.2025	नरवा विकास योजना से पिरवाकटेल नाला में कपाय गये निर्माण कार्य भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी गुणवत्ता की जांच कर कार्यवाही बाबत।	परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा	नरवा विकास कार्य में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुद्र के पत्र क्र./3446, दिनांक 03.09.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डलाधिकारी पिथौरा/ महासमुद्र को पिथौरा लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन श्री गोविन्द सिंह उप वनमण्डलाधिकारी महासमुद्र अप्राप्त है।	प्रक्रियाधीन
32	2025	शेख अब्दुल करीम	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. रायपुर	19.06.2025	छोगा 10 वन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायत एवं निष्पक्ष जांच की मांग।	वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी	सामग्री खरीदी में अनियमितता, अनुचित दर।	व.म.अ. महासमुद्र के पत्र क्र./2543, दिनांक 07.07.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डलाधिकारी महासमुद्र को लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	प्रक्रियाधीन
33	2025	श्री ललित मुखर्जी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. रायपुर	07.05.2025	महासमुद्र जिले के वन परिक्षेत्र सरायपाली अंतर्गत ग्राम केलेडा में वनरक्षक आवास भवन निर्माण में हुए व्यापक भ्रष्टाचार, गबन की जांच कर दोषियों के विरुद्ध एक.आई.आर. दर्ज करने बाबत।	श्री पंकज राजपूत, श्री अतिल मास्करण	वनरक्षक भवन निर्माण में अनियमितता।	व.म.अ. महासमुद्र के पत्र क्रमांक/1733 दिनांक 15.10.2025 से प्रेषित। मु.व.सं. रायपुर वृत्त द्वारा अतिरिक्त जानकारी पत्र क्रमांक 226174, दिनांक 29.12.2025 से चाही गई है। <b>जांच अवधि - दिनांक 09.04.2025 से 15.10.2025 तक</b>	प्रक्रियाधीन
34	2025	श्री ललित मुखर्जी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. रायपुर	07.05.2025	महासमुद्र जिले के वन परिक्षेत्र सरायपाली अंतर्गत बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध क.ओ.र कार्यवाही किये जाने बाबत।	श्री अनिल मास्करण उप वनमण्डलाधिकारी सरायपाली, वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य में अनियमितता।	प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी हेतु मु.व.सं. रायपुर वृत्त के पत्र क्रमांक 229401 दिनांक 24.12.2025 द्वारा व.म.अ. महासमुद्र को लेख किया गया है।	प्रक्रियाधीन
35	2025	श्री श्रीराम चन्द्राकर	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	17.05.2025	वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री प्रद्युम्न साहय वन परिक्षेत्र सरायपाली में बांस पुनरुत्पादन के नाम पर 04 करोड़ से अधिक मार्ग मस्यता, पहाड़ों के संरक्षण, सर्वेक्षण, पर्यटन स्थल शिशुपाल पर्वत में सीढ़ी निर्माण संरक्षण के नाम पर मार्च 2025 से बांस पुनरुत्पादन के अतिरिक्त करोड़ों का फर्जी आहरण वनों के अंदर नगण्य दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया, इस भ्रष्टाचार का सूत्र है। (CPGRAMS नं. क्र. MOEAF/2025/001778)	श्री प्रद्युम्न साहय	बांस पुनरुत्पादन में अनियमितता, शिशुपाल पर्वत सौंदर्यकरण में अनियमितता, पुल पुलिया निर्माण में अनियमितता, कुशापोषण में अनियमितता आदि।	छ.ग.शासन, वन विभाग के पत्र क्र.पीयूडीआर-4008/388/2025-वन, दिनांक 14.11.2025 द्वारा नस्तीबाद। <b>जांच अवधि - दिनांक 26.05.2025 से 29.08.2025 तक</b>	निराकृत

महासमुद्र वनमण्डल अंतर्गत सामग्री खरीदी एवं अन्य कार्यों में अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

अ.क्र.	वर्ष	शिकायतकर्ता का नाम	किसको शिकायत की गई है	शिकायत का विषय	किस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है	सामग्री खरीदी/अन्य कार्यों में अनियमितता का विवरण	शिकायत पर कार्यवाही/जांच कब किया गया	जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अद्यतन स्थिति
16	2025	श्री अजय कुमार अग्रवाल	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर	वनमण्डल महासमुद्र अंतर्गत वन परिक्षेत्र बसना में तिलाईदादर से सिमदरहा डब्ल्यू.सी.एम. मार्ग 7 पुलिया निर्माण में गड़बड़ी बाबत।	वन परिक्षेत्र अधिकारी बसना	डब्ल्यू.सी.एम. मार्ग 7 पुलिया निर्माण में अनियमितता।	कार्या. पत्र क्र./170601 दिनांक 16.09.2025 द्वारा मुख.सं. रायपुर वृत्त को उप वनमण्डलाधिकारी अतिरिक्त जानकारी हेतु लेख किया गया। सहायपाली है। जानकारी अप्राप्त।	श्री अनिल भास्करण वनमण्डलाधिकारी	प्रक्रियामुक्त
37	2025	श्री ललित चन्द्रगौड़	माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन	वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल महासमुद्र श्री पंकज राजपूत (भा.व.से.) का स्थानांतरण एवं ग्रहट आचरण की जांच कार्यवाही के संबंध में।	श्री पंकज राजपूत	फसल सतिपूर्ति में अनियमितता, रासायनिक खाद खरीदी में अनियमितता, हार्डटेक रोपणी गाझघाट के कार्य में अनियमितता आदि।	व.म.अ. महासमुद्र के पत्र क्र./3013, दिनांक 31.07.2025 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी अतिरिक्त जानकारी हेतु लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	श्री गोकुल सिंह वनमण्डलाधिकारी महासमुद्र	प्रक्रियामुक्त

  
**अनुभाग अधिकारी**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर**

## प्रपत्र-ब

जिला महासमुन्द में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	भर्ती का तरीका	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1	क्षेत्रीय वनमंडल अंतर्गत सीधी भर्ती/पदोन्नति/अन्य	250	195	55
2.	वन विकास निगम अंतर्गत सीधी भर्ती/पदोन्नति/अन्य	पृथक से सेटअप स्वीकृत नहीं	19	0
3.	जिला लघु वनोपज कार्यालय अंतर्गत सीधी भर्ती/पदोन्नति/अन्य	16	13	3



अनुभाग अधिकारी  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## परिशेष - अड़तीस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1503) की जानकारी

विषय :- बीजापुर जिले में कैम्पा मद से प्राप्त एवं व्यय राशि  
प्रपत्र

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2023-24	भैरमगढ़	भू-जल संरक्षण कार्य	94.68	94.68	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	भू-जल संरक्षण कार्य	55.58	55.58	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	भू-जल संरक्षण कार्य	25.51	25.51	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	37.87	37.87	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	अग्नि सुरक्षा कार्य	8.64	8.61	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	वाहन का रखरखाव	1.80	1.80	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	प्रशिक्षण कार्य	15.00	15.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	फलदार वृक्षारोपण	4.00	4.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	चारगाह विकास	4.00	4.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	तालाब निर्माण	5.00	5.00	पूर्ण
2023-24	मद्देड़	भू-जल संरक्षण रखरखाव कार्य	9.15	9.15	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण रखरखाव कार्य	7.81	7.81	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण रखरखाव कार्य	6.86	6.86	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण रखरखाव कार्य	11.71	11.71	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण रखरखाव कार्य	6.02	6.02	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	प्रशिक्षण कार्य	1.00	1.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	प्रशिक्षण कार्य	0.75	0.75	पूर्ण
2023-24	मद्देड़	प्रशिक्षण कार्य	0.75	0.75	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	अग्नि सुरक्षा कार्य	8.64	8.64	पूर्ण

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2023-24	भैरमगढ़	वाहन का रखरखाव	1.80	1.80	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	प्रशिक्षण कार्यशाला	15.00	15.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	फलदार वृक्षारोपण	4.00	4.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	चारागाह विकास	4.00	4.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	तालाब निर्माण	5.00	5.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	वन्यप्राणी प्रशिक्षण	1.19	1.19	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	2.98	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	2.99	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	2.89	पूर्ण
2023-24	मददेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	2.92	पूर्ण
2023-24	गंगालूर	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	1.36	पूर्ण
2023-24	पामेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	2.12	पूर्ण
2023-24	आवापल्ली	स्ट्राईक फोर्स वाहन का रख-रखाव	3.00	2.96	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	पेयजल व्यवस्था कार्य	7.40	7.40	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	पेयजल व्यवस्था कार्य	7.40	7.40	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	बौउण्डीवॉल निर्माण कार्य	13.13	13.12	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	136.67	136.65	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	49.30	49.30	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	148.42	148.37	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	84.73	84.71	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	27.81	27.81	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	66.39	66.38	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	भू-जल संरक्षण कार्य	48.87	48.87	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित	1.00	1.00	पूर्ण

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2023-24	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित	1.00	1.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित	1.00	1.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित	1.00	1.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित	1.00	1.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित	1.00	1.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	विद्युत लाईन के नीचे रोपण चतुर्थ वर्ष रख-रखाव	2.16	2.16	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	फलदार वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष रख-रखाव	3.80	3.74	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	फलदार वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रख-रखाव	3.20	3.20	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	फलदार वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रख-रखाव	3.20	3.18	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	असिंचित बांस वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रख-रखाव	0.77	0.77	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	असिंचित बांस वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रख-रखाव	1.55	1.55	पूर्ण
2023-24	मददेड़	असिंचित बांस वृक्षारोपण तृतीय वर्ष रख-रखाव	0.77	0.77	पूर्ण
2023-24	मददेड़	ईम्पुवमेंट ऑफ़ ग्रोविंग स्टॉक इन आरेंज एरिया पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	1.46	1.45	पूर्ण
2023-24	आवापल्ली	ईम्पुवमेंट ऑफ़ ग्रोविंग स्टॉक इन आरेंज एरिया पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	0.23	0.23	पूर्ण
2023-24	मददेड़	ईम्पुवमेंट ऑफ़ ग्रोविंग स्टॉक इन आरेंज तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	5.58	5.58	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	चौकीदार का वेतन	8.64	8.64	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	वाहन का रखरखाव	1.80	1.80	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	वन प्रबंधन समितीयो का प्रशिक्षण	15.00	15.00	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	वॉटर होल निर्माण	5.00	5.00	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	4.27	4.27	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	4.27	4.27	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	4.27	4.27	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	3.41	3.41	पूर्ण
2023-24	भैरमगढ़	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	6.83	6.79	पूर्ण

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2023-24	गंगालूर	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	6.83	6.83	पूर्ण
2023-24	मददेड़	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	6.83	6.81	पूर्ण
2023-24	आवापल्ली	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	5.12	5.11	पूर्ण
2023-24	आवापल्ली	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	5.12	5.11	पूर्ण
2023-24	आवापल्ली	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	3.92	3.92	पूर्ण
2023-24	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य	10.24	10.24	पूर्ण
2023-24	गंगालूर	बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	24.72	24.72	पूर्ण
2023-24	भोपालपट्टनम	बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	18.54	18.53	पूर्ण
			1110.38	1107.27	
योग वित्तीय वर्ष 2023-24					
2024-25	बीजापुर	अग्नि सुरक्षा कार्य	4.85	4.85	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	अग्नि सुरक्षा कार्य	9.70	9.70	पूर्ण
2024-25	गंगालूर	अग्नि सुरक्षा कार्य	6.87	6.87	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.72	11.72	पूर्ण
2024-25	पामेड़	अग्नि सुरक्षा कार्य	7.68	7.68	पूर्ण
2024-25	भो.पटनम	अग्नि सुरक्षा कार्य	6.06	6.06	पूर्ण
2024-25	मददेड़	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.25	5.25	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	4.67	4.66	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	4.67	4.67	पूर्ण
2024-25	भोपालपट्टनम	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	4.67	4.67	पूर्ण
2024-25	मददेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	4.67	4.67	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	4.67	4.67	पूर्ण
2024-25	पामेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	4.67	4.67	पूर्ण
2024-25	मददेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	1.17	1.15	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	विद्युत लाईन के नीचे रोपण पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	4.69	4.66	पूर्ण

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2024-25	भोपालपट्टनम	संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा श्रमिक	16.15	16.15	पूर्ण
2024-25	मददेड़	असिंचित बांस वृक्षारोपण (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव कार्य)	0.36	0.36	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	असिंचित बांस वृक्षारोपण (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव कार्य)	0.36	0.36	पूर्ण
2024-25	भोपालपट्टनम	असिंचित बांस वृक्षारोपण (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव कार्य)	0.72	0.72	पूर्ण
2024-25	मददेड़	इस्युवमेंट ऑफ़ ग्राविंग स्टॉक इन आरेंज एरिया विथाउट प्लांटेशन कार्य चतुर्थ वर्ष रखरखाव	3.60	3.60	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित एवं वैकल्पिक कार्य सहित द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.87	0.86	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित एवं वैकल्पिक कार्य सहित द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.87	0.86	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित एवं वैकल्पिक कार्य सहित द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.87	0.86	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित एवं वैकल्पिक कार्य सहित द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.87	0.86	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित एवं वैकल्पिक कार्य सहित द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.87	0.86	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज बुआई सहित एवं वैकल्पिक कार्य सहित द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.87	0.86	पूर्ण
2024-25	भोपालपट्टनम	फलदार वृक्षारोपण (चतुर्थ वर्ष रखरखाव)	1.30	1.30	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	फलदार वृक्षारोपण (चतुर्थ वर्ष रखरखाव)	1.30	1.23	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.70	0.70	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.70	0.70	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.70	0.70	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.56	0.56	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	1.12	1.12	पूर्ण

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2024-25	गंगालूर	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	1.12	1.12	पूर्ण
2024-25	मददेड़	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	1.12	1.07	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.84	0.83	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.84	0.83	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	0.64	0.64	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य द्वितीय वर्ष रखरखाव	1.68	0.98	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	अग्नि सुरक्षा कार्य	8.64	8.50	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	वाहनों का रखरखाव	1.80	1.80	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	वन्यप्राणियों के सुरक्षा हेतु वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से जागरूकता प्रशिक्षण	15.00	14.99	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	फलदार वृक्षारोपण	3.20	3.04	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	चारगाह विकास कार्य	3.60	3.36	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	वॉटर होल निर्माण कार्य	5.00	5.00	पूर्ण
2024-25	पामेड़	वनपक्षिेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	30.46	11.19	प्रगति पर
2024-25	पामेड़	वनपक्षिेत्र अधिकारी आवास भवन निर्माण	22.40	9.25	प्रगति पर
2024-25	पामेड़	वनपाल / उपवनक्षेत्रपाल आवास भवन निर्माण	10.88	4.58	प्रगति पर
2024-25	पामेड़	वन रक्षक आवास भवन निर्माण	7.13	3.49	प्रगति पर
2024-25	बीजापुर	अग्नि सुरक्षा कार्य	4.98	4.98	पूर्ण
2024-25	भैरमगाढ़	अग्नि सुरक्षा कार्य	9.96	9.96	पूर्ण
2024-25	गंगालूर	अग्नि सुरक्षा कार्य	7.06	7.06	पूर्ण
2024-25	भो.पटनम	अग्नि सुरक्षा कार्य	6.23	6.23	पूर्ण
2024-25	मददेड़	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.40	5.40	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	अग्नि सुरक्षा कार्य	12.04	12.04	पूर्ण
2024-25	पामेड़	अग्नि सुरक्षा कार्य	7.89	7.89	पूर्ण
2024-25	बीजापुर वनमण्डल	फायर ब्लोवर क्रय	60.00	59.95	पूर्ण

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2024-25	भैरमगढ़	वाटर हॉर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्यों का रख-रखाव	10.23	9.91	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	वॉटर हॉर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्यों का रख-रखाव	5.80	5.62	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	वॉटर हॉर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्यों का रख-रखाव	2.47	2.40	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	वॉटर हॉर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्यों का रख-रखाव	9.28	9.01	पूर्ण
2024-25	भोपालपट्टनम	नरवा विकास कार्यों का रखरखाव	3.52	3.45	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	नरवा विकास कार्यों का रखरखाव	5.65	5.55	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	नरवा विकास कार्यों का रखरखाव	13.17	12.19	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	नरवा विकास कार्यों का रखरखाव	13.65	13.39	पूर्ण
2024-25	भोपालपट्टनम	स्ट्राईक फोर्स वाहन का मरम्मत कार्य	0.97	0.97	पूर्ण
2024-25	आवापल्ली	स्ट्राईक फोर्स वाहन का मरम्मत कार्य	0.87	0.87	पूर्ण
2024-25	बीजापुर	लैपटॉप क्रय	0.90	0.90	पूर्ण
2024-25	भैरमगढ़	विद्युत लाईन के नीचे बौनी प्रजाति रोपण षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य	1.31	0.00	प्रगति पर
			414.47	367.03	
			योग वित्तीय वर्ष 2024-25		
2025-26	भोपालपट्टनम	आर.सी.सी. मुनारा निर्माण	6.42	6.41	पूर्ण
2025-26	बीजापुर	आर.सी.सी. मुनारा निर्माण	11.80	9.79	पूर्ण
2025-26	पामेड़	आर.सी.सी. मुनारा निर्माण	7.44	7.26	पूर्ण
2025-26	भैरमगढ़	चौकीदार का वेतन	8.64	2.84	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	वाहन का रखरखाव	1.80	0.00	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	वनप्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण	15.00	13.50	पूर्ण
2025-26	भैरमगढ़	फलदार वृक्षारोपण	3.20	0.28	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	चारगाह विकास कार्य	3.60	0.29	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	तालाब निर्माण	5.00	4.33	पूर्ण
2025-26	मददेड़	असिंचित बांस वृक्षारोपणपंचम वर्ष रख-रखाव कार्य	0.36	0.36	पूर्ण
2025-26	बीजापुर	असिंचित बांस वृक्षारोपणपंचम वर्ष रख-रखाव कार्य	0.36	0.36	प्रगति पर

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2025-26	भोपालपट्टनम	असिंचित बांस वृक्षारोपण पंचम वर्ष रख-रखाव कार्य	0.73	0.73	पूर्ण
2025-26	भोपालपट्टनम	फलदार वृक्षारोपण पंचम वर्ष रख-रखाव कार्य	0.70	0.70	पूर्ण
2025-26	बीजापुर	फलदार वृक्षारोपण पंचम वर्ष रख-रखाव कार्य	0.70	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.69	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.69	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.69	0.43	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.55	0.43	प्रगति पर
2025-26	गंगालूर	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	1.11	0.24	प्रगति पर
2025-26	मददेड़	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	1.11	0.53	प्रगति पर
2025-26	आवापल्ली	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	1.11	0.96	प्रगति पर
2025-26	आवापल्ली	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.83	0.64	प्रगति पर
2025-26	आवापल्ली	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.83	0.64	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.64	0.64	पूर्ण
2025-26	बीजापुर	बिगाड़े बांस वनों के सुधार कार्य तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	1.66	0.11	प्रगति पर
2025-26	मददेड़	इम्पुवमेंट ऑफ़ ग्रीविंग स्टॉक इन आरेंज एरिया विथाउट प्लांटेशन कार्य पंचम वर्ष रख-रखाव	3.64	3.64	पूर्ण
2025-26	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज एवं वैकल्पिक कार्य सहित तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.80	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज एवं वैकल्पिक कार्य सहित तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.80	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज एवं वैकल्पिक कार्य सहित तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.80	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज एवं वैकल्पिक कार्य सहित तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.80	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज एवं वैकल्पिक कार्य सहित तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.80	0.43	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	चारागाह विकास कार्य बीज एवं वैकल्पिक कार्य सहित तृतीय वर्ष रख-रखाव कार्य	0.80	0.43	प्रगति पर
2025-26	भोपालपट्टनम	सर्वेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	9.09	6.11	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	1.49	प्रगति पर
2025-26	आवापल्ली	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	1.31	प्रगति पर

वित्तीय वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन एवं भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
2025-26	भोपालपट्टनम	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	1.50	प्रगति पर
2025-26	मददेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	1.17	प्रगति पर
2025-26	गंगाबूर	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	1.32	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	0.50	प्रगति पर
2025-26	पामेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	1.09	प्रगति पर
2025-26	बीजापुर	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	2.34	0.57	प्रगति पर
2025-26	भैरमगढ़	फलदार वृक्षारोपण	4.00	3.90	पूर्ण
2025-26	भैरमगढ़	चारागाह विकास कार्य	4.00	3.98	पूर्ण
2025-26	मददेड़	स्ट्राईक फोर्स वाहन के रख-रखाव	1.17	0.92	पूर्ण
योग वित्तीय वर्ष 2025-26			121.04	82.79	
कुल योग			1645.89	1557.09	

H  
मुख्य कार्यपालन, अधिकारी (कैम्पा)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

## पारिशेष्य - उनतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1717) की जानकारी

प्रपत्र

मा

(ग्राम जम्हर में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई और जांच की निष्पत्ता)

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	अवैध कटाई के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	जप वनोपज की जानकारी			अवैध कटाई के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी	अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का नाम, पदनाम	प्रकरण में जांच अधिकारी/साभित का नाम एवं पदनाम	अवैध कटाई से आर्थिक क्षति (रु. में)	रियाक		
					काष्ठ (घ.मी. में)	जलाक (चट्टे में)	बल्ली (नग में)						अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	न्यायालय में प्रस्तुत
1	महासमुन्द	पिथौरा	242	14325/14 दिनांक 11/01/2026	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	महासमुन्द	पिथौरा	242	13417/25 दिनांक 13/01/2026	3.803		33							वैट निरीक्षण अड्डात के विरुद्ध दर्ज
2	महासमुन्द	पिथौरा	242	14325/16 दिनांक 18/01/2026	1.577		0				(1) प्रकरण में श्री शालिक रसम डडसेवा (उच्चको) प्रमारी परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक रायपुर, वृत्त रायपुर के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।	(4) इनमंडलाधिकारी महासमुन्द के आदेश क्रमांक 23 दिनांक 21/01/2026 के द्वारा बीट का सघन जांच करने हेतु	वैट निरीक्षण अड्डात के विरुद्ध दर्ज	
3	महासमुन्द	पिथौरा	242	22686/01 दिनांक 18/01/2026	3.702		19				(2) श्री नकुसिया साहू, बनपाल, परिक्षेत्र सहायक परिचम पिथौरा के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।	(1) श्री निखिल पैकरा, अनुदेशक वन विद्यालय महासमुन्द एवं	अड्डात के विरुद्ध दर्ज	
4	महासमुन्द	पिथौरा	242	14325/15 दिनांक 18/01/2026	4.164		9				(2) श्री सुखराम निराला वन परिक्षेत्र अधिकारी बसना दो सदस्यीय टीम गठित किया गया।	(ii) श्री सुखराम निराला वन परिक्षेत्र अधिकारी बसना दो सदस्यीय टीम गठित किया गया।	अड्डात के विरुद्ध दर्ज	
5	महासमुन्द	पिथौरा	242	22686/02 दिनांक 21/01/2026	0.216		8				(3) श्री सुमन तिवारी वनसंरक्षक, परिसर रबी जम्हर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक(अनु, एवं मूल्यांकन) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के द्वारा प्र. क्रमांक/अनु/मूल्या./80 दिनांक 11/02/2026 से श्री के.आर. जके(विधाय विशेषज्ञ) को जांच करने हेतु लिखा गया है।	श्री ललित चौधरी बन्द बरगम चौधरी ग्राम जम्हर के घर बाड़ी से सर्व वारंट से सागौन दिनांक 01 नग = 0.08 घ.मी. एवं सागौन बल्ली 08 नग = 0.138 घ.मी. प्रपत्र वनोपज से प्राप्त वनोपज	
6	महासमुन्द	पिथौरा	242	22684/08 दिनांक 23/01/2026	1.271		45							श्री टीकराम पटेल बन्द पुन पटेल ग्राम रायपुर के घर बाड़ी से सर्व वारंट से प्राप्त वनोपज
7	महासमुन्द	पिथौरा	242	22684/11 दिनांक 28/01/2026	0.306		2							श्री टीकराम पटेल बन्द पुन पटेल ग्राम रायपुर के घर बाड़ी से सर्व वारंट से प्राप्त वनोपज
8	महासमुन्द	पिथौरा	242	14325/18 दिनांक 03/02/2026	0.729		0							अड्डात के विरुद्ध दर्ज
9	महासमुन्द	पिथौरा	242		0.311		0							श्री टीकराम बन्द आशराम सिन्हा ग्राम रायपुर कुसुम्बाही के घर बाड़ी से सर्व वारंट से प्राप्त वनोपज
					16.079	0	116	0	0	9				

योग :-

अनुभाग अधिकारी  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, जटल नगर

## पारिशेष - चालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1753) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्र.	ख0नं0	रकबा(हे0)	एकड़	भूमिस्वामी/काश्तकार का नाम	प्रयोजन
1	84/5	0.291	0.72	सुशील पिता राधेश्याम वर्मा	कृषि
2	87/1	0.069	0.17	पवन कुमार पिता विजय कुमार डागा	
3	85	0.206	0.51	सुशील पिता राधेश्याम वर्मा	
4	95	0.340	0.84	राजरानी वर्मा पति राधेश्याम वर्मा	"_"
5	101/1	0.004	0.01	खोरबाहरा वल्द छेरका(ग्राम नौकर)	"_"
6	101/2	0.040	0.10	राजरानी वर्मा पति राधेश्याम वर्मा	"_"
7	101/3	0.300	0.74	कु. शार्विका दुबे पिता आलोक दुबे	"_"
8	141/1	0.010	0.02	खोरबाहरा वल्द छेरका(ग्राम नौकर)	"_"
9	141/2	0.225	0.56	राधेश्याम पिता लल्लू प्रसाद	"_"
10	145	0.555	1.37	राधेश्याम पिता लल्लू प्रसाद	"_"
11	186/1 एवं 186/18	0.214	0.53	प्रीतम सिंह पिता सतनाम सिंह शेरगिल	"_"
12	186/2	0.065	0.16	जगजीत सिंह पिता सुरजीत सिंह बालिया	"_"
13	186/2 क	0.069	0.17	लाल बाबू यादव पिता परमानंद यादव	"_"
14	186/4 क	0.081	0.20	कमलजीत कौर पड़डा पति पलविंदर सिंह	"_"
15	186/4 ख	0.082	0.20	तजिंदर सिंह कलसी पिता हरमेल सिंह	"_"
16	186/5	0.163	0.40	विजय कुमार पिता एस.आर. तिरपुडे, रंजन पाल, राधाकांत पाल	"_"
17	186/6	0.118	0.29	आरती झा पति स्व. अवधेश झा	"_"
18	186/7	0.069	0.17	सबिता बाई पति राजकुमार	"_"
19	186/8 एवं 186/9	0.065	0.16	गुरप्रीत सिंह पिता तेजसिंह कुलार	"_"
20	186/10 एवं 186/11	0.061	0.15	गुरदीप सिंह पिता बिबकर सिंह सिद्धू	"_"
21	186/12 एवं 186/13	0.085	0.21	विनोद पिता ताराचंद	"_"
22	186/14	0.096	0.24	नछत्तर सिंह पिता कपूर सिंह	"_"
23	186/15	0.080	0.20	कमला जोशी पति विष्णु जोशी	"_"
24	186/16	0.026	0.06	हर्षनारायण	"_"
25	143/3	0.607	1.50	जीतराम पिता ढेलूराम	"_"
26	143/5	0.129	0.32	जीतराम पिता ढेलूराम	"_"
योग		4.050	10.00		

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	ख0नं0	भूमिस्वामी का नाम	प्रयोजन	क्रय-विक्रय / नामांतरण की जानकारी
1	130/1	शासकीय घास भूमि	चराई	शासकीय भूमि (कोटवारी भूमि नहीं )
2	143/5	जीतराम पिता डेलूराम	कृषि	न्या0 अति. तह0 धरसीवा के रा0मा0क0 36 बी121 वर्ष 2014-15 आ0दि0 12.11.2014
3	108/1	अश्विनी पिता पुनउ वगै0	कृषि	पैतृक भूमि है। फोती से प्राप्त। (कोटवारी भूमि नहीं )
4	110	आशिष झा पिता सुनिल झा	कृषि	दिनेश पिता त्रिलोकचंद रामपुरिया से क्रय (कोटवारी भूमि नहीं )
5	74/1	रामकुमार वगै0 पिता सिरगनाथ	कृषि	नामांतरण आदेश का उल्लेख नहीं
6	74/2	पवन कुमार पिता विजय कुमार झागा	कृषि	नामांतरण आदेश का उल्लेख नहीं
7	85	सुशील पिता राधेश्याम वर्मा	कृषि	ना0क0 25 प्र0दि0- 24.07.2007
8	95	राजरानी वर्मा पति राधेश्याम वर्मा	कृषि	ना0क0 24 प्र0दि0- 24.07.2007
9	101/1	खोरबाहरा वल्द छेरका(ग्राम नौकर)	कृषि	स्वयं के नाम पर
10	101/2	राजरानी वर्मा पति राधेश्याम वर्मा	कृषि	ना0क0 24 प्र0दि0- 24.07.2007
11	101/3	कु. शार्विका दुबे पिता आलोक दुबे	कृषि	राजरानी से रुखमणीबाई पुनः रुखमणीबाई। से कु. शार्विका दुबे द्वारा क्रय किया गया है।
12	141/2	राधेश्याम पिता लल्लू प्रसाद	कृषि	ना0क0 22 प्र0दि0- 15.06.2007
13	145	राधेश्याम पिता लल्लू प्रसाद	कृषि	नामांतरण आदेश का उल्लेख नहीं
14	186/1 एवं 186/18	प्रीतम सिंह पिता सतनाम सिंह शेरगिल	कृषि	ना0क0 41 आ0दि0 07.03.2020
15	186/2	जगजीत सिंह पिता सुरजीत सिंह वालिया	कृषि	शिवनंदन पिता बोधीराम से क्रय
16	186/2 क	लाल बाबू यादव पिता परमानंद यादव	कृषि	ना0क0 15 आ0दि0- 01.01.2010
17	186/4 क	कमलजीत कौर पड़डा पति पलविंदर सिंह	कृषि	वेता पति समीर पारेख से क्रय से
18	186/4 ख	तर्जिंदर सिंह कलसी पिता हरमेल सिंह	कृषि	ना0क0 4/3 आ दि0- 09.01.2011
19	186/5	विजय कुमार पिता एस.आर. तिरपुड़े, रंजन पाल, राधाकांत पाल	कृषि	ना0क0 09 आ0दि0 01.05.2010
20	186/6	आरती झा पति स्व. अक्वेश झा	कृषि	ना0क0 64 आ0दि0 30.09.2019
21	186/7	सबिता बाई पति राजकुमार	कृषि	ना0क0 10 प्र0क0 08 आ0दि0 29.06.2009
22	186/8 एवं 186/9	गुरप्रीत सिंह पिता तेजसिंह कुलार	कृषि	शिवनंदन पिता बोधीराम से क्रय
23	186/10 एवं 186/11	गुरदीप सिंह पिता बिबकर सिंह सिद्धू	कृषि	शिवनंदन पिता बोधीराम से क्रय
24	186/12 एवं 186/13	विनोद पिता ताराचंद	कृषि	अचित शिंदे से क्रय-विक्रय से
25	186/14	नछत्तर सिंह पिता कपूर सिंह	कृषि	अमर इफा0 लि0 डाय0 सुरेन्द्र राठी से क्रय
26	186/15	कमला जोशी पति विष्णु जोशी	कृषि	अमर इफा0 लि0 डाय0 सुरेन्द्र राठी से क्रय
27	186/16	हर्षनारायण	कृषि	अमर इफा0 लि0 डाय0 सुरेन्द्र राठी से क्रय
28	186/ 17	हर्षनारायण	कृषि	अमर इफा0 लि0 डाय0 सुरेन्द्र राठी से क्रय

  
 अनुभाग अधिवारी  
 जख एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 नत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोक्ष - इकतालीस  
अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1945) की जानकारी

ii =

विषय - अनुभाग एवं तहसील कार्यालयों को आहरण एवं वितरण अधिकार प्रदाय करने के संबंध में		
क्र.	जिला का नाम	तहसील का नाम जहाँ DDO पदस्थ नहीं
1	मनेदगढ़ चिरमिरी भरतपुर	निरंक
2	कोरिया	पटना, पौडी (बचरा)
3	सूरजपुर	भटगांव,
4	बलरामपुर-रामानुजगंज	सामरी, रामचन्द्रपुर, डौरा-कोचली, चांदो, रघुनाथ नगर, चलगली
5	सरगुजा	दरिमा
6	जशपुर	बागबहार, सन्ना, तपकरा
7	बिलासपुर	बेलतरा, बोदरी, रीपत, पचपेड़ी, बेलगहना, रतनपुर, सकरी
8	कोरबा	बरपाली, भीसमा, अजगरबहार, टरी, दीपका हरदीबाजार, पसान
9	मुंगेली	सरगांव, जरहागांव, लालपुर
10	गौरिला पेण्ड्रा मरवाही	पेंड्रा रोड, मरवाही
11	रायगढ़	मुकडेगा, कापू, छाल
12	जांजगीर-चांपा	सारागांव, बम्हनीडीह, नवागढ़, शिवरीनारायण
13	सक्ती	चन्द्रपुर, भोयिया, हसौद
14	सारंगढ़-बिलाईगढ़	भटगांव, सरसीवा, सरिया, कोसीर
15	रायपुर	धरसीवा, मंदिर हसौद, खोरा, गोबराजवापारा
16	बलौदाबाजार भाटापारा	निरंक
17	महासमुन्द	कोमाखान
18	धमतरी	भखारा, कुकरेल, बेलरगाँव
19	गरियाबंद	फिंगेश्वर, अम्लीपदर
20	दुर्ग	निरंक
21	बेमेतरा	नांदघाट, देवकर, भीभीरी, दाढी
22	बालोद	मारी बंगला ( देवरी )
23	राजनांदगांव	लाल बहादुर नगर, कुमारदा, घुमका
24	मोहला मानपुर अं. चौकी	औधी, खडगाँव
25	खैरागढ़-छुईखदान गण्डई	गंडई, सल्हेवारा
26	कबीरधाम	रैगाखारकला, कुंडा, पिपरिया, कुन्दुर
27	बस्तर	बास्तानार, करपावंड
28	उत्तर बस्तर कांकेर	आमाबेडा, सरोना, बानदे, कोयलीबेडा
29	सुकमा	गादीरास, तोंगपाल,
30	नारायणपुर	छोटेडोंगर, कोहकामेटा
31	कोण्डागांव	धनोरा मर्दापाल
32	बीजापुर	उसूर, कुटूर
33	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	बड़ेबचेली, बारसूर

*3/12*  
अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आय  
पुंखन विभाग

## विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियां

1. चिंतन शिविर एवं चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन।
2. शासन के विभिन्न विभागों के मध्य सतत् एवं प्रभावी समन्वय व्यवस्था विकसित कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाओं की पहचान करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया गया। प्रमुख एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से क्षमता निर्माण, विशेषज्ञ परामर्श तथा विभिन्न महत्वपूर्ण सुधारों की पहचान कर विभागों को क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।
3. राज्य स्तर पर इनोवेशन आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक एकीकृत सुशासन पोर्टल विकसित किया गया। इस मंच के माध्यम से अधिकारियों द्वारा व्यवहारिक, स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित एवं परिवर्तनकारी नवाचारों को साझा किया जा रहा है।
4. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से सुशासन विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन।
5. IIT नवा रायपुर तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (ISTM), भारत सरकार द्वारा मंत्रालयीन अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
6. अभिलेख निस्तारीकरण अभियान (Weeding Out Drive) के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा 7.8 लाख से अधिक पुराने, अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी अभिलेखों का नियमानुसार निस्तारण किया गया।
7. सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं का संकलन एवं परीक्षण किया गया। विभाग की योजना है कि लोक सेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्राप्त हों, जिससे एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से इन सभी सेवाओं की ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।
8. मुख्यमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार अंतर्गत विभागों/जिलों में उत्कृष्ट नवाचारात्मक एवं सुधारात्मक पहलों हेतु 5 विभागों तथा 5 जिलों को 'मुख्यमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26' प्रदान किया गया।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभाशाली स्नातक एवं स्थानीय मूल निवासी युवाओं को भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर से पब्लिक पॉलिसी एवं गवर्नेंस विषय में निःशुल्क 02 वर्षीय MBA की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

10. अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड विकसित कर शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की KPI के आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है।
11. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना का क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था विकसित की जा रही है।
12. सुशासन के विभिन्न आयामों एवं विभिन्न पहलों पर चर्चा हेतु सुशासन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
13. विभाग द्वारा सुशासन सप्ताह "प्रशासन गाँव की ओर" कार्यक्रम के दौरान जिलों को समस्या निवारण एवं शिविर आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग एवं समन्वय किया गया।

### विभाग गठन का उद्देश्य

1. बेहतर प्रशासन व जनता तक शासन के प्रयास पहुँचाने हेतु सुशासन की पहल व विचारधारा पर कार्य।
2. नये विचारों एवं क्रियाविधि के संबंध में शोध, क्षेत्र परीक्षण व क्रियान्वयन।
3. प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत कार्य क्षमता व दक्षता बढ़ाने हेतु सुनियोजित योजना।
4. भावी योजना।
5. राज्य शासन के चिन्हांकित परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।
6. योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों का अभिसरण।
7. नवाचार का उपयोग प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे- कार्यक्षमता, समीक्षा, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में किया जाना एवं विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी द्वारा समाधान उपलब्ध कराना।
8. डिजिटल गवर्नेंस – प्रशासन के समस्त स्तरों पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
9. प्रशिक्षण-शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रबंधन तथा क्रियान्वयन से सम्बंधित व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण का आयोजन।
10. राष्ट्रीय सुशासन केंद्र व गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत राज्य का प्रतिनिधित्व करना।
11. पुरस्कार -मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार का प्रदाय।
12. सुशासन फेलोशिप-राज्य में सुशासन के अंतर्गत किये जाने वाली अभिनव पहल हेतु चयनित अशासकीय व्यक्तियों को सुशासन फेलोशिप का प्रदाय
13. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति।
14. विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित कर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा।
15. स्थानिक और क्षेत्रीय योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण।
16. ई-समीक्षा, लोक-सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटैरियट।



## पारिशेष - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2064) की जानकारी

प्रपत्र

मिसल वर्ष 1929-30		अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55		बंदोबस्त वर्ष 1986-87		रिमार्क
ख.नं.	भूमिस्वामी	ख.नं.	भूमिस्वामी	ख.नं.	भूमिस्वामी	
60	पानी के नीचे	60	पानी के नीचे	54	गोपालदास	60, 192/2 से मिलकर नया नं. 54 बना
79	आशाराम	79/2	अनुरागदास	76	गोपालदास	79/2, 80/2 से मिलकर नया नं. 76 बना
80	रायसिंग	80/2	अनुरागदास	78	गोपालदास	80/2 का नया नं. 78,79 बना
80	रायसिंग	80/2	अनुरागदास	79	गोपालदास	80/2 का नया नं. 78,79 बना
192	रायसिंग	192/2	अनुरागदास	54	गोपालदास	60, 192/2 से मिलकर नया नं. 54 बना
195	घांसीराम	195/2	अनुरागदास	56	गोपालदास	195/2, 192/3 से मिलकर नया नं.56 बना
242	रायसिंग	242	अनुरागदास	838	गोपालदास	242/1 का नया नं. 838 बना

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

## पारोशेष्ट - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2083) की जानकारी

प्रपत्र

## मास्ट की जानकारी

क्रं.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	मद	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (राशि रुपये में)	स्वीकृत कार्य संख्या	कार्य की अद्यतन स्थिति	स्थापनाकर्ता इकाई का नाम
01	मुंगेली	जरहागांव	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
02	मुंगेली	धरमपुरा	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
03	मुंगेली	कंतेली	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
04	मुंगेली	बैहाकापा (छाता)	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
05	मुंगेली	रोहराखुर्द	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
06	मुंगेली	सांगवाकापा	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
07	मुंगेली	दाबो	क्रेडा अतिरेक	09.05.2025	487396	01	पूर्ण	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर (छ.ग.)
08	पथरिया	मदकू	क्रेडा अतिरेक	09.07.2025	1357193	03	पूर्ण	मेसर्स किसान सोलर एजेन्सी एण्ड सन्-सो-लाईट, अंबिकापुर (छ.ग.)
09	पथरिया	पथरगढ़ी	क्रेडा अतिरेक	19.08.2025	446096	01	अपूर्ण	मेसर्स किसान सोलर एजेन्सी एण्ड सन्-सो-लाईट, अंबिकापुर (छ.ग.)
10	पथरिया	जोता	क्रेडा अतिरेक	15.10.2025	446096	01	अपूर्ण	मेसर्स श्री सिद्धी विनायक सोलर सॉल्यूषन प्रा.लि., रायपुर (छ.ग.)
<b>योग</b>					<b>5661157</b>	<b>12</b>		

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर


## पारोशेष्ट - पैतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2084) की जानकारी

प्रपत्र -अ

सत्र 2023-24 में प्रारंभ किये गये नवीन शासकीय महाविद्यालयों की सूची

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1	रायपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह, रायपुर	351
2	रायपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय माना कैम्प, रायपुर	115
3	रायपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तामासिवनी तहसील-अभनपुर	164
4	गरियाबंद	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद	279
5	महासमुंद	स्वामी आत्मानंद शास. अग्रंजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	297
6	महासमुंद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भंवरपुर तहसील-बसना	293
7	महासमुंद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान तहसील-बागबहरा	248
8	दुर्ग	नवीन संगीत महाविद्यालय, दुर्ग	78
9	दुर्ग	नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगपुरा	157
10	बालोद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, घोटिया	88
11	बालोद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जेवरतला वि.ख. डौंडीलोहारा	199
12	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, नांदघाट	230
13	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, दाढ़ी	295
14	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, देवरबीजा	223
15	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, भिंभोरी तहसील-बेरला	191
16	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, टेलका तहसील-साजा	56
17	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, बोरतरा तहसील-साजा	47
18	राजनांदगांव	शासकीय महाविद्यालय, बाजार अतरिया	236
19	राजनांदगांव	शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा	225
20	राजनांदगांव	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अर्जुनी वि.ख. डोंगरगांव	136
21	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	नवीन शास. कन्या महाविद्यालय खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	266
22	मोहला मानपुर अंबागढ़चौकी	शासकीय नवीन महाविद्यालय चिल्हाटी वि.ख. अंबागढ़चौकी	181
23	मोहला मानपुर अंबागढ़चौकी	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	111
24	कबीरधाम	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कुण्डा वि.ख. पंडरिया	283
25	बस्तर	शासकीय महाविद्यालय, लोहण्डीगुडा	197
26	बस्तर	नवीन संगीत महाविद्यालय, जगदलपुर	14
27	कोंडागांव	शासकीय महाविद्यालय, घनोरा	153
28	कोंडागांव	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मर्दापाल	219
29	नारायणपुर	शासकीय महाविद्यालय, छोटे डोंगर	83
30	बीजापुर	शासकीय महाविद्यालय, कुटूरु	56
31	बिलासपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अकलतरी वि.ख. बिल्हा	197
32	बिलासपुर	स्वामी आत्मानंद शास. अग्रंजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, बिलासपुर	537
33	बिलासपुर	नवीन संगीत महाविद्यालय, बिलासपुर	72

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	छात्र संख्या
34	बिलासपुर	नवीन शासीय महाविद्यालय, पचपेड़ी वि.ख. मस्तुरी	304
35	बिलासपुर	नवीन शासीय महाविद्यालय, बेलतरा वि.ख. बिल्हा	52
36	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	नवनी शासकीय कन्या महाविद्यालय, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	138
37	मुंगेली	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जरहागांव	175
38	जांजगीर चांपा	नवीन शासकीय महाविद्यालय, केरा वि.ख. नवागढ़	98
39	सक्ती	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, सक्ती	394
40	कोरबा	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कोरबा	191
41	कोरबा	नवीन शासकीय महाविद्यालय, रामपुर	120
42	कोरबा	नवीन शासकीय महाविद्यालय, उमरेली	199
43	रायगढ़	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, रायगढ़	140
44	सारंगढ़ बिलाईगढ़	नवनी शास. कन्या महा. सारंगढ़-बिलाईगढ़	202
45	सरगुजा	शासकीय महाविद्यालय, धौरपुर	237
46	सरगुजा	नवीन संगीत महाविद्यालय, अंबिकापुर	54
47	बलरामपुर रामानुजगंज	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रघुनाथनगर	290
48	बलरामपुर रामानुजगंज	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रनहत	183
49	कोरिया	शासकीय महाविद्यालय, पोड़ी बचरा	140
50	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	53

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

## प्रपत्र -ब

सत्र 2023-24 में प्रारंभ किये गये नवीन शासकीय महाविद्यालयों में व्यवस्था की गई सहायक प्राध्यापकों की जानकारी

स.क	महाविद्यालय का नाम	जिला का नाम	नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
1	नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह रायपुर (छ.ग.)	रायपुर	डॉ. अविनाश कुमार लाल	सहायक प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान
2	नवीन शासकीय महाविद्यालय माना कैम्प	रायपुर	डॉ अनुपम कुमार शर्मा	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
3	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गरियाबंद	गरियाबंद	डॉ. जी.एस. दास	सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र
4	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुन्द	महासमुन्द	श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी
			श्री रवि देवांगन	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
			श्री तरुण बांधे	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
5	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान	महासमुन्द	डॉ. भूमिका शर्मा	सहायक प्राध्यापक - अर्थशास्त्र
6	नवीन शासकीय महाविद्यालय जेवरतला	बालोद	श्री अनिल चन्द्रवंशी	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
			श्री गुरुप्रीत सिंह भाटिया	सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र
7	नवीन शासकीय महाविद्यालय घोटिया बालोद	बालोद	श्री दीपक कुमार मेश्राम	सहायक प्राध्यापक-इतिहास
8	शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट	बेमेतरा	डॉ.नम्रता पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी
9	नवीन शासकीय महाविद्यालय, दाढ़ी	बेमेतरा	डॉ. कमलेश दुबे	सहायक प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान
10	नवीन शासकीय महाविद्यालय देवरबीजा	बेमेतरा	श्री युगेन्द्र कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
11	नवीन शासकीय महाविद्यालय भिभौरी	बेमेतरा	श्री गिरवर सिंह भारद्वाज	सहायक प्राध्यापक-भूगोल
12	नवीन शासकीय महाविद्यालय टेलका	बेमेतरा	डॉ. आई.पी दिनकर	सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र
13	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई	श्री संजय देवांगन	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
14	शासकीय नवीन महाविद्यालय बाजार अतरिया, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई	श्री प्रदीप कुमार	सहायक प्राध्यापक-वनस्पति विज्ञान

  
**अनुभाग अधिकारी**  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अदल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र	महाविद्यालय का नाम	जिला का नाम	नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
15	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला	मोहला - मानपुर -अम्बागढ़ चौकी	श्री नागेश मंडावी	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
16	नवीन शासकीय महाविद्यालय चिल्हाटी	मोहला - मानपुर -अम्बागढ़ चौकी	डॉ. खेमू राम रावटे	सहायक प्राध्यापक-इतिहास
17	नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा	कबीरधाम	श्री दीपक कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक-माइक्रोबायोलॉजी
18	नवीन शासकीय महाविद्यालय लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	श्री भगवान प्रसाद साहू	सहायक प्राध्यापक-वनस्पति शास्त्र
19	नवीन शासकीय महाविद्यालय धनोरा	कोंडागाव	श्री ओंकार प्रसाद साहू	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
20	नवीन शासकीय महाविद्यालय छोटेडोंगर,	नारायणपुर	श्री अविनाश कुमार	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी
21	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुटरू	बीजापुर	श्री गोपी राम ठाकुर	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
22	नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी	बिलासपुर	श्री अजय कुमार बघेल	सहायक प्राध्यापक-समाज शास्त्र
23	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	डॉ. जी.ए. घनश्याम	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी
			डॉ. प्रेमलता वर्मा	सहायक प्राध्यापक गणित
			डॉ. संजय कुमार धनवानी	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
			श्रीमती ऋचा बंसल	सहायक प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान
24	नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय बिलासपुर	बिलासपुर	डॉ. मनीष कुमार दीवान	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी
25	नवीन शासकीय महाविद्यालय पचपेड़ी	बिलासपुर	श्री मंगल चंद निराला	सहायक प्राध्यापक-भूगोल
26	नवीन शासकीय महाविद्यालय बेलतरा	बिलासपुर	डॉ. देवेन्द्र कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र
			डॉ. श्रुतिदेव गवास्कर	सहायक प्राध्यापक-इतिहास
27	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	डॉ. अनुराधा दीवान	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य
28	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव,	मुंगेली	डॉ. कैलाशा टाइगर	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
29	नवीन शासकीय महाविद्यालय, केरा	जांजगीर -चांपा	डॉ. प्रभा गुप्ता	सहायक प्राध्यापक-राजनीति शास्त्र
			श्री जी.एन. रात्रे	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र	महाविद्यालय का नाम	जिला का नाम	नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
30	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कोरबा	कोरबा	डॉ. डे. जी. कुजूर	सहायक प्राध्यापक—हिन्दी
			सुश्री दिव्या पटेल	सहायक प्राध्यापक—अंग्रेजी
31	शासकीय महाविद्यालय उमरेली	कोरबा	डॉ. प्रभा गुप्ता	सहायक प्राध्यापक—राजनीति शास्त्र
32	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय रायगढ़	रायगढ़	रितेश कुमार अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक—अर्थशास्त्र
			कुंतल किशोर	सहायक प्राध्यापक—भूगोल
33	नवीन शासकीय महाविद्यालय धौरपुर	सरगुजा	डॉ० जुगल किशोर कुजूर	सहायक प्राध्यापक—हिन्दी
34	नवीन शासकीय महाविद्यालय रघुनाथनगर	बलरामपुर	श्री रेवती प्रसाद	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य
35	शासकीय महाविद्यालय रनहत	बलरामपुर—रामानुजगंज	श्री विवेक सिंह आयम	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य
36	नवीन शासकीय महाविद्यालय पोड़ी बचरा कोरिया	कोरिया	श्री बेचू लाल सोनवानी	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य
37	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मनेंद्रगढ़	मनेंद्रगढ़—भरतपुर—चिरमिरी	डॉ. सरोजबालाश्याग विश्‍नोई	सहायक प्राध्यापक—गृहविज्ञान



अनुभाग अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)


## प्रपत्र -स

दिनांक 31.01.2026 तक की अवधि में कार्यमुक्त नहीं किये गये सहायक प्राध्यापकों की सूची

स.क्र	महाविद्यालय का नाम	जिला का नाम	नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
1	नवीन शासकीय महाविद्यालय माना कैम्प	रायपुर	डॉ अनुपम कुमार शर्मा	सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य
2	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गरियाबंद	गरियाबंद	डॉ. जी.एस. दास	सहायक प्राध्यापक -समाजशास्त्र
3	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुन्द	महासमुन्द	श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर	सहायक प्राध्यापक -हिन्दी
			श्री रवि देवांगन	सहायक प्राध्यापक -अर्थशास्त्र
			श्री तरुण बांधे	सहायक प्राध्यापक -वाणिज्य
4	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान	महासमुन्द	डॉ. भूमिका शर्मा	सहायक प्राध्यापक -अर्थशास्त्र
5	नवीन शासकीय महाविद्यालय घोटिया बालोद	बालोद	श्री दीपक कुमार मेश्राम	सहायक प्राध्यापक -इतिहास
6	शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट	बेमेतरा	डॉ.नम्रता पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक -हिन्दी
7	नवीन शासकीय महाविद्यालय, दाढ़ी	बेमेतरा	डॉ. कमलेश दुबे	सहायक प्राध्यापक -राजनीति विज्ञान
8	नवीन शासकीय महाविद्यालय देवरबीजा	बेमेतरा	श्री युगेन्द्र कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक -अर्थशास्त्र
9	नवीन शासकीय महाविद्यालय भिभौरी	बेमेतरा	श्री गिरवर सिंह भारद्वाज	सहायक प्राध्यापक -भूगोल
10	नवीन शासकीय महाविद्यालय, जालबांधा	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई	श्री संजय देवांगन	सहायक प्राध्यापक -वाणिज्य
11	शासकीय नवीन महाविद्यालय बाजार अतरिया, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)	खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई	श्री प्रदीप कुमार	सहायक प्राध्यापक -वनस्पति विज्ञान
12	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मोहला	मोहला - मानपुर -अम्बागढ़ चौकी	श्री नागेश मंडावी	सहायक प्राध्यापक -वाणिज्य
13	नवीन शासकीय महाविद्यालय चिल्हाटी जिला - मोहला - मानपुर -अम्बागढ़ चौकी (छ.ग.)	मोहला - मानपुर -अम्बागढ़ चौकी	डॉ. खेमू राम रावटे	सहायक प्राध्यापक -इतिहास
14	नवीन शासकीय महाविद्यालय धनोरा	कोंडागाव	श्री ओंकार प्रसाद साहू	सहायक प्राध्यापक -वाणिज्य

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र	महाविद्यालय का नाम	जिला का नाम	नाम	पदनाम
1	2	3	4	5
15	नवीन शासकीय महाविद्यालय छोटेटोंगर,	नारायणपुर	श्री अविनाश कुमार	सहायक प्राध्यापक—अंग्रेजी
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुटरू	बीजापुर	श्री गोपी राम ठाकुर	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य
17	नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी	बिलासपुर	श्री अजय कुमार बघेल	सहायक प्राध्यापक—समाज शास्त्र
18	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	डॉ. प्रेमलता वर्मा	सहायक प्राध्यापक गणित
19	नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय बिलासपुर	बिलासपुर	डॉ. मनीष कुमार दीवान	सहायक प्राध्यापक—हिन्दी
20	नवीन शासकीय महाविद्यालय पचपेड़ी	बिलासपुर	श्री मंगल चंद निराला	सहायक प्राध्यापक—भूगोल
21	नवीन शासकीय महाविद्यालय बेलतरा	बिलासपुर	डॉ. देवेन्द्र कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक—राजनीतिशास्त्र
			डॉ. श्रुतिदेव गवास्कर	सहायक प्राध्यापक—इतिहास
22	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव,	मुंगेली	डॉ. कैलाशा टाइगर	सहायक प्राध्यापक—अर्थशास्त्र
23	नवीन शासकीय महाविद्यालय, केरा	जांजगीर—चांपा	श्री जी.एन. रात्रे	सहायक प्राध्यापक—अंग्रेजी
24	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कोरबा	कोरबा	डॉ. डे. जी. कुजूर	सहायक प्राध्यापक—हिन्दी
			सुश्री दिव्या पटेल	सहायक प्राध्यापक—अंग्रेजी
25	शासकीय महाविद्यालय उमरेली	कोरबा	डॉ. प्रभा गुप्ता	सहायक प्राध्यापक—राजनीति शास्त्र
26	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय रायगढ़	रायगढ़	रितेश कुमार अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक—अर्थशास्त्र
			कुंतल किशोर	सहायक प्राध्यापक—भूगोल
27	नवीन शासकीय महाविद्यालय धौरपुर	सरगुजा	डॉ० जुगल किशोर कुजूर	सहायक प्राध्यापक—हिन्दी
28	नवीन शासकीय महाविद्यालय रघुनाथनगर	बलरामपुर	श्री रेवती प्रसाद	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य
29	शासकीय महाविद्यालय रनहत	बलरामपुर—रामानुजगंज	श्री विवेक सिंह आयम	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य
30	नवीन शासकीय महाविद्यालय पोड़ी बचरा कोरिया	कोरिया	श्री बेचू लाल सोनवानी	सहायक प्राध्यापक—वाणिज्य

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष - छियालीस  
अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2116) की जानकारी

“प्रपत्र”

राशि लाख रुपये में

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	मुंगेली	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का मानदेय भुगतान (03 पद) हेतु (जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक)	1.66
2	लोरमी	पिछड़े जनजाति बैगा समुदाय के युवाओं की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु (25 पद)	11.25
3	लोरमी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का मानदेय भुगतान (03 पद) हेतु	6.63
4	मुंगेली	ए.एन.एम. विहिन स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ए.एन.एम. की सेवाएं(8 पद)	11.52
5	मुंगेली	जिला चिकित्सालय मुंगेली हेतु स्टाफनर्स (8 पद)	15.84
6	मुंगेली एवं लोरमी	जिला अस्पताल मुंगेली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में 05 पद वार्ड आया का मानदेय भुगतान हेतु	5.28
7	मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया	जिला अस्पताल मुंगेली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी, सरगांव एवं पथरिया में 15 पद स्टाफ नर्स का मानदेय भुगतान हेतु	29.70
8	मुंगेली एवं लोरमी	जिला अस्पताल मुंगेली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में 05 पद वार्ड बॉय का मानदेय भुगतान हेतु	5.28
9	मुंगेली	जिला अस्पताल मुंगेली/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल ऑफिसर 01 पद का मानदेय भुगतान हेतु	9.00
10	मुंगेली, पथरिया, लोरमी	जिले में स्वास्थ्य सेवाएँ हेतु विभिन्न मानव संसाधनों कुल 54 पद की मानदेय भुगतान (हड्डी रोग विशेषज्ञ-1 पद, डार्टीयन सिस्टर-1 पद, सहायक पंचकर्म-1 पद, एएनएम-7 पद, स्टाफ नर्स - 24 पद, वार्ड आया - 5 पद, एनआरसी स्टाफ नर्स - 6 पद, वार्ड बॉय- 5 पद, एनआरसी कुक -1 पद, एनआरसी अटेंडेंट -1 पद, फीडिंग डिमास्ट्रेटर-2 पद) माह अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक	50.31
11	मुंगेली	विशेषज्ञ चिकित्सक एम.डी. मेडिसीन (01 पद) माह अप्रैल 2025 से माह सितंबर 2025 तक	5.81
12	पौनी, सीतलदह, दशरंगपुर	वि.ख. मुंगेली में कुल 03 मुख्य ग्राम खण्ड ईकाई हेतु (पशु औषधालय) भवन निर्माण कार्य	45.00
13	मनोहरपुर, कोसमतारा	वि.ख. लोरमी में कुल 02 पशु औषधालय भवन निर्माण कार्य	30.00
14	नगरीय निकाय लोरमी	पशु चिकित्सालय लोरमी में प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण कार्य	12.67
15	चिरहुला	रेशम केन्द्र चिरहुला में भवन निर्माण कार्य	18.06
16	बटहा	चैनलिंग फेसिंग कार्य टसर प्रक्षेत्र भाग-1	19.98
17	बटहा	चैनलिंग फेसिंग कार्य टसर प्रक्षेत्र भाग-2	19.98
18	हथनीकला, पिपरलोड एवं लोहदा	कस्टम हायरिंग सेंटर ग्राम हथनीकला, पिपरलोड एवं लोहदा में स्थापना कार्य	9.00
19	मोहबंधा, मनोहरपुर एवं गुरुवाईनडबरी	कस्टम हायरिंग सेंटर ग्राम मोहबंधा, मनोहरपुर एवं गुरुवाईनडबरी में स्थापना कार्य	9.00

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
20	सिंगारपुर, सेमरकोना एवं फुलवारी	कस्टम हायरिंग सेंटर ग्राम सिंगारपुर, सेमरकोना एवं फुलवारी में स्थापना कार्य	9.00
21	किरना	टसर केन्द्र में कोसा भवन निर्माण कार्य	17.49
22	मुंगेली	मुंगेली विकासखण्ड के सामान्य ग्रामों में कृषकों को नि:शुल्क वितरण हेतु पौध संरक्षण यंत्र डबल मोटर पावर स्प्रेयर 170 नग क्रय	8.50
23	पथरिया	पथरिया विकासखण्ड के सामान्य ग्रामों में कृषकों को नि:शुल्क वितरण हेतु पौध संरक्षण यंत्र डबल मोटर पावर स्प्रेयर 140 नग क्रय	7.00
24	लोरमी	लोरमी विकासखण्ड के सामान्य ग्रामों में कृषकों को नि:शुल्क वितरण हेतु पौध संरक्षण यंत्र डबल मोटर पावर स्प्रेयर 140 नग क्रय	7.00
25	मुंगेली पथरिया लोरमी	जिले के तीनों विकास खण्डों के प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों को नि:शुल्क 435 नग बैटरी कम हेण्ड ऑपरेटेड स्प्रेयर वितरण	25.00
26	लोरमी ब्लॉक	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का मानदेय भुगतान (02 पद) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु	2.80
27	जमकोर	लाईवलीहुड कॉलेज मुंगेली में पी.एम. जनमन योजना के क्रियान्वयन हेतु बैगा आदिवासी हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनान्तर्गत आवासीय कौशल प्रशिक्षण संचालन हेतु	7.65
28	धरमपुरा	जिला पंचायत संसाधन केन्द्र परिसर में प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	20.00
29	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज परिसर हेतु कैंटीन जीर्णोद्धार कार्य	7.35
30	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज परिसर हेतु कम्प्यूटर लैब परिवर्तन/परिवर्धन कार्य	4.39
31	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज परिसर हेतु मिटींग हॉल उन्नयन कार्य	8.00
32	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज परिसर हेतु काफेंस हॉल हेतु जीर्णोद्धार कार्य	18.00
33	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज परिसर हेतु बालक छात्रावास अधीक्षक आवास निर्माण कार्य	11.44
34	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज परिसर हेतु स्मार्ट क्लास परिवर्तन/उन्नयन कार्य	17.46
35	जमकोर	लाईवलीहुड कालेज जमकोर में आवश्यक संसाधन हेतु	6.93
36	करही	जनपद स्तर प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण कार्य	20.00
37	करही	जनपद स्तर प्रशिक्षण केन्द्र में आवश्यक संसाधन हेतु	4.00
38	धरमपुरा	जिला पंचायत परिसर स्थित डीपीआरसी भवन में उन्नयन कार्य	17.76
39	धरमपुरा	जिला पंचायत परिसर स्थित डीपीआरसी में आवश्यक संसाधन हेतु	12.24
40	लिलवाकापा	आर.एस.ई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र भवन हेतु उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य	19.97
41	भालापुर, चकरभाठा, नारायणपुर, नेवासपुर, टेढाधौरा, किरना, चारभाठा, खैरवार, भठलीखुर्द, केशरुवाडीह, दशरंगपुर, सोढार, बीजातराई, सिपाही, सिंगबांधा एवं सिल्ली	मुंगेली वि.ख. के कुल 16 स्थानों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य	27.04
42	इंदलपुर, आंछीडोगरी, डिण्डौरी	लोरमी वि.ख. के कुल 3 स्थानों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य	5.07
43	छिन्दभोग	शास. प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य	10.00
44	लालपुरकला	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लालपुरकला में सभा गृह निर्माण कार्य	15.00
45	खेड़ा लोरमी	आदिवासी कन्या आश्रम खेड़ा(मुंगेली), लोरमी, अनु. जनजाति कन्या आश्रम लोरमी	6.00

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
	कुकुसदा लमनी छपरवा	आदिवासी बालक आश्रम कुकुसदा , लमनी, छपरवा में एल.ई.डी. टी.वी. स्थापना कार्य	
46	बंधवा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा में आवश्यक संसाधन हेतु	15.37
47	लिलवाकापा	पुस्तकालय भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य बी.आर.साव विद्यालय के पास दाऊपारा मुंगेली	12.94
48	लिलवाकापा	पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य बी.आर.साव विद्यालय के पास दाऊपारा मुंगेली	16.96
49	चातरखार	कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर चातरखार में आहाता निर्माण कार्य	9.60
50	नगरीय निकाय मुंगेली	जिला ग्रंथालय संचालन हेतु	3.00
51	लिलवाकापा	शास. कन्या उच्च. माध्य. विद्यालय परिसर मुंगेली में अतिरिक्त कक्ष एवं प्रयोगशाला निर्माण कार्य	16.19
52	चातरखार	इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में मैदान समतलीकरण कार्य	19.97
53	चातरखार	इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	19.96
54	मुण्डादेवरी	नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य	10.00
55	नगरीय निकाय मुंगेली	जिला मुंगेली में स्थित कला केन्द्र के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्य संचालन हेतु	5.00
56	लिलवाकापा	समन्वय कला संगीत महाविद्यालय निर्माण कार्य (पाठक भवन के ऊपर बी.आर. साव)	13.70
57	पण्डरभट्टा	शास. प्राथ. शाला पण्डरभट्टा में आहाता निर्माण कार्य	9.00
58	संबलपुर	शास. प्राथ. शाला संबलपुर में आहाता निर्माण कार्य	9.00
59	कोना	शास. माध्य. शाला कोना में आहाता निर्माण कार्य	8.00
60	गँजी	शास. पूर्व माध्य. शाला गँजी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00
61	बिजराकापाकला	शास. प्राथ. शाला बिजराकापाकला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	12.00
62	नगरीय निकाय सरगांव	शास. प्राथ. शाला खपरी नवीन भवन निर्माण कार्य	15.23
63	सारधा	आई.टी.आई. सारधा उन्नयन कार्य	2.78
64	खेढ़ा	कौ ल विकास अंतर्गत संचालित डीपीआरसी प्रि ष्ण केन्द्र के प्राचार्य निवास परिसर हेतु अतिरिक्त कक्ष एवं भौचालय निर्माण कार्य	9.86
65	राम्हेपुर	शा. प्रा. शाला राम्हेपुर लोरमी (वार्ड क्र. 13) में नवीन शौचालय भवन निर्माण कार्य	2.00
66	खपरी	शासकीय प्राथमिक शाला खपरी (वार्ड क्र.1 न.पं.सरगांव) में शौचालय निर्माण कार्य	2.00
67	खपरी	शासकीय प्राथमिक शाला खपरी (वार्ड क्र.1 न.पं.सरगांव) में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	6.00
68	खपरी	शासकीय प्राथमिक शाला खपरी (वार्ड क्र.1 न.पं.सरगांव) में किचन शेड निर्माण कार्य	2.00
69	सरगांव	स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम सरगांव में शेड निर्माण कार्य	5.00
70	लिलवाकापा	आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य (बी.आर.साव हिंदी माध्यम परिसर में)	3.97
71	मुंगेली	जिला मुंगेली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बैंक, एस. एस. सी., रेल्वे, सी.जी.पी. एस.सी. नि.शुल्क कोचिंग संचालन हेतु	16.60
72	मुंगेली	स्वामी आत्मानंद स्कूल मुंगेली हेतु 2 स्वीपर व भृत्य के मानदेय हेतु	1.00
73	दाऊपारा मुंगेली	जिला प्रशासन द्वारा सेजस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा मुंगेली में संचालित सुपर 100 कोचिंग के संचालन हेतु	10.00
74	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला निर्माण कार्य पार्ट-01 अतिरिक्त राशि आबंटन हेतु	3.00
75	जरेली	डीएव्ही स्कूल में जीर्णोद्धार कार्य	10.00
76	दाबो	2 नग अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (पी एम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में)	19.95

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
77	दाबो	2 नग प्रयोगशाला कक्ष निर्माण कार्य (पी एम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में)	16.66
78	लालपुरकला	शासकीय प्राथमिक शाला लालपुरकला में किचन शेड निर्माण कार्य	3.00
79	नगरी निकाय मुंगेली	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, समन्वय कला संगीत महाविद्यालय निर्माण कार्य	19.79
80	नगरी निकाय मुंगेली	जिला ग्रंथालय जिला मुंगेली में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना कार्य	33.05
81	मौहामांचा	शास.प्राथ. शाला मौहामांचा में जीर्णोद्धार /मरम्मत कार्य	4.65
82	बिजराकछार	शास.प्राथ. शाला बिजराकछार में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	6.80
83	नगरीय निकाय पथरिया	टो वॉल एवं पचरी निर्माण कार्य	20.00
84	डोंगरिया	ब्लाक प्लांटेशन चैनलिक फॉसिंग एवं बोर खनन कार्य	10.39
85	मुंगेली	जिला मुंगेली के कुल 09 स्थानों में 250 एल.पी.एच. आर.ओ. प्लांट प्रतिस्थापना कार्य	34.20
86	मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया	जिला मुंगेली अंतर्गत कुल 33 विभिन्न स्थानों में बोर खनन एवं मोटर पंप प्रतिस्थापना कार्य	66.00
87	राजपुर	आहाता निर्माण कार्य (उपस्वास्थ्य केन्द्र परिसर में)	6.00
88	करही	जिला स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना/संचालन 03 माह (जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक) हेतु	3.60
89	मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया	जिला स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना/संचालन 02 माह (जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024) हेतु	2.40
90	लोरमी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में शवगृह निर्माण कार्य	14.00
91	पथरिया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया में शवगृह निर्माण कार्य	14.00
92	सरगांव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरगांव में शवगृह निर्माण कार्य	14.00
93	करही	जिला स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना/संचालन 06 माह (मार्च 2024 से अगस्त 2024) हेतु	7.20
94	नगरीय निकाय सरगांव	वार्ड क्र. 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाऊण्डी वाल निर्माण कार्य	20.31
95	करही	जिला स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना/संचालन 04 माह (सितम्बर 2024 से दिसंबर 2024 तक) हेतु	4.80
96	करही	जिला स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना/संचालन 1 वर्ष (अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक) हेतु	14.40
97	गैंजी	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (टल्लू के घर से नहर तक)	5.00
98	परसिया	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (महामाया से मुख्य मार्ग तक)	10.00
99	बम्हनी	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (धरम के घर से तितरू के घर तक)	5.00
100	कुम्हरौली	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मनोज के घर से छेदी यादव के घर तक)	10.00
101	सेमरसल	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन से धनन्जय के घर तक)	10.00
102	छिरहुट्टी	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (डी1 नहर से पूरन यादव के घर तक)	10.66
103	घानाघाट	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (पुनाराम के घर से उधो के घर तक)	5.00
104	बोईरपारा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (डामर रोड से ज्ञाने वर क्षत्रिय के घर तक)	5.00
105	सुखाताल	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (सुरेन्द्र बंजारे के घर से त्रिलोक बंजारे के घर तक)	5.00
106	गोड़खाम्ही	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (पटवारी कार्यालय से साहु समाज सामुदायिक भवन तक)	3.00
107	गोड़खाम्ही	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (पंचायत भवन परिसर में)	2.00
108	डोंगरिया	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (जानी के घर से चबुतरा तक)	9.08
109	झझपुरीकला	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (शिकारी के घर से तालाब तक)	5.00

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
110	रौनाकापा	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य (शासकीय उचित मूल्य दुकान से कमल मरकाम के घर की ओर)	5.00
111	रामबोड़	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य (मेन रोड से सामुदायिक भवन तक)	5.00
112	लमती	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य (शिव मंदिर से मुक्तिधाम की ओर)	5.00
113	रामबोड़	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य (बंधु के घर से बुधराम साहू के घर तक)	5.00
114	ढोढमा	पक्का नाली निर्माण कार्य (लक्ष्मी साहू के घर से नदी की ओर)	10.00
115	पेण्डी ज.	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (गोपाल के घर से सोनू के घर की ओर)	10.00
116	ढोढमा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (साहू तालाब से बस्ती की ओर)	10.00
117	जमुनाही	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (बिल्लु यादव के घर से शिवनंदन के घर तक)	5.00
118	घोरपुरा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (कोटवार के घर से जेटू के घर तक)	10.00
119	करही (ध.)	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (जागेश्वर के घर से गोलु यादव के घर तक)	10.00
120	खेड़ा	आर. सी. सी. नाली निर्माण कार्य (मेनरोड के पास)	10.00
121	खेड़ा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (अजय के पंप से मेनरोड तक)	10.00
122	करही	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (आशाराम के घर से धर्मनंद के घर तक)	5.00
123	करही	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (एस.पी. बंगला से नाला तक)	10.00
124	जमहा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (मेनरोड से नवागांव खार तक)	5.00
125	खेड़ा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (मुक्तिधाम पहुँच मार्ग तक)	5.00
126	बुचुवाकापा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (दुर्गेश के घर से प्रदीप के घर तक)	5.00
127	डोमनपुर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (महेश यादव के घर से आवासपारा की ओर)	5.00
128	केशरूवाडीह	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (तालाब से साधे टण्डन के घर तक)	5.00
129	किरना	रिटनिंग वॉल निर्माण कार्य (तालाब में गौठान के पास)	10.00
130	लिमहा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (संतोष साहू के घर से बायपास तक)	10.00
131	बरबसपुर	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (हरदेव के घर से मंदिर चौक तक)	10.00
132	नुनियाकछार	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (गोपाल के घर से आगर नदी तक)	10.00
133	गीधा	आर. सी. सी. नाली निर्माण कार्य (ईश्वर यादव के घर से तालाब तक)	10.00
134	मानपुर	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मेनरोड से पुनाराम के घर तक एवं मेनरोड से मुकेश के घर तक)	6.00
135	करही	सामुदायिक भवन पहुँच मार्ग (सी.सी.रोड) निर्माण आवासीय प्रशिक्षण शाला परिसर में	4.98
136	कोसमा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (कोसमा से भुसण्डी पहुँच मार्ग)	10.00
137	कोसमा	रिटनिंग वॉल निर्माण कार्य (लक्ष्मण सागर तालाब में)	10.00
138	लोरमी	जनपद पंचायत लोरमी क्षेत्रांतर्गत 01 नग मोबाईल टॉयलेट यूनिट व्यवस्था हेतु	12.50
139	मुंगेली	जनपद पंचायत मुंगेली क्षेत्रांतर्गत 01 नग मोबाईल टॉयलेट यूनिट व्यवस्था हेतु	12.50
140	नगरीय निकाय मुंगेली	नगर पालिका परिषद क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था हेतु (अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक)	17.93
141	करही	पक्का नाली निर्माण कार्य (शिव मंदिर से नाला तक एवं मेन रोड से गोविंद सूर्यवंशी के घर तक)	10.00
142	करही	पक्का नाली निर्माण कार्य (खोरबहरा यादव के घर से होरी लाल के घर की ओर)	5.45
143	मदकू	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (शौचालय निर्माण कार्य)	11.46
144	करही	जनपद पंचायत के सामने सामुदायिक एस.एच. जी. भवन निर्माण कार्य	6.10
145	जमुनाही / बोकराकछार	महिला स्व-सहायता समूह की सुदृढीकरण आजीविका के विकल्प हेतु एक पहल कार्य	4.66
146	लोरमी	रा.ग्रा.आ.मि.बि.योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समुह को सेंट्रिंग प्लेट उपलब्ध कराने हेतु	15.00
147	लोरमी	रा.ग्रा.आ.मि.बि. योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समुह को सेंट्रिंग प्लेट	10.00

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
		उपलब्ध कराने हेतु	
148	रामगढ़	वृद्ध आश्रम का रंगरोगन कार्य	0.70
149	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला ट्रांजिस्ट हॉस्टल कैम्पस में निर्माण कार्य (पार्ट-03)	19.96
150	रामगढ़	आदर्श अमृत सरोवर तालाब रामगढ़ में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं पोल स्थापना कार्य	4.00
151	मुंगेली	सी-मार्ट मुंगेली एवं मिलेट कैफे मुंगेली में विद्युत व्यवस्था हेतु सौर उर्जा संयंत्र प्रतिस्थापना कार्य	5.00
152	मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया	जिला मुंगेली के तीनों विकास खण्ड अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर हाई मास्क लाईट स्थापना कार्य	7.00
153	बिंदावल	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (रामफल के घर से मनोज ध्रुव दुकान तक)	5.00
154	बोड़तरा कला	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मालिक यादव के घर से होलू साहू के घर तक)	5.00
155	उरईकछार	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (बीरबल पटेल के घर से ठाकुर बगीचा तक)	5.00
156	झाफल	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (डॉ. धर्मन्द्र राजपूत के घर से राजेश श्रीवास के खेत तक नहर रोड़)	5.00
157	मोहतराकुर्मी	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (रामनिहोरा कश्यप के घर से मदन कश्यप के घर तक)	5.00
158	बघर्रा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (आश्रित ग्राम बघर्रा में)	5.00
159	बांधी	सी.सी.रोड निर्माण (मनोहर ध्रुव के घर से नदी तक)	5.00
160	नवरंगपुर	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (डी-3 नहर मोहपाड़ नालापुल से श्मशान घाट तक)	5.00
161	तुलसाघाट	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (उमेश के घर से सुरेश साहू के घर तक)	5.00
162	खेकतरा	मुक्तिधाम निर्माण कार्य (यादव समाज हेतु)	5.00
163	खेकतरा	पुलिया निर्माण कार्य (डबरी के पास)	5.00
164	देवरी	अहाता निर्माण कार्य (महामाया के पास)	3.00
165	चिरौटी	पचरी निर्माण कार्य (टेसुवा नाला में)	3.46
166	चन्द्रगढ़ी	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (रामप्रसाद के घर से केजू निशाद के घर की ओर)	10.00
167	परसदा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (तालाब से डबरी तक)	10.00
168	खुटेरा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग से कमलेश के घर तक)	5.54
169	जोता	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	5.00
170	सकरैरी	मंच निर्माण कार्य	3.00
171	दलपुरवा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	5.00
172	छिन्दभोग	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (धमधापारा मे जयस्तंभ से राजकुमार बंजारे के घर तक)	5.00
173	छाता, देवरी (संगवा), संगवाकापा, मानपुर, भालापुर, दामापुर, धरमपुरा, भठलीकलॉ, दशरंगपुर, एवं डोमनपुर,	मुंगेली वि.ख. अंतर्गत कुल 10 ग्रामों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	60.00
174	धरमपुरा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (मिनी माता धरमपुरा)	6.50
175	फरहदा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	6.50
176	सेतगंगा	पर्यटन स्थल सेतगंगा में विभिन्न निर्माण कार्य	20.07
177	लोहड़िया	सामुदायिक भवन जीर्णोद्धार कार्य	3.48
178	लोहड़िया	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मेनरोड से तालाब तक)	5.50
179	लोहड़िया	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य (कमलेश्वर साहू के घर से नवधा मंच तक)	8.25
180	लोहड़िया	किचन शेड निर्माण कार्य	5.00

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
181	लोहड़िया	सांस्कृतिक भवन जीर्णोद्धार कार्य	4.00
182	लोहड़िया	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य (आवासपारा)	19.99
183	लोहड़िया	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य (नक्धा मंच से नाला तक)	5.50
184	लोहड़िया	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (गुनीराम के घर से तालाब तक)	5.50
185	मुंगेली	मुंगेली जनपद पंचायत के लाईवलीहुड कॉलेज, पॉलीटेक्नीक कॉलेज, एग्रीकलचर कॉलेज एवं आई.टी.आई. कॉलेज में युवा गतिविधियों को बढ़ावा अंतर्गत लाइब्रेरी स्थापना	79.70
186	लोरमी	खेल केन्द्र पुराना बस स्टैण्ड लोरमी हेतु खेल सामग्री क्रय कार्य	5.00
187	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही में स्थापित जिम एवं अन्य में आवश्यक सुविधा हेतु	3.00
188	लिलवाकापा	डॉ. भयामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के खेल परिसर में खेल मैदानों का उन्नयन एवं विद्युतीकरण कार्य	5.00
189	करही	डी.एम.एफ. कार्यालय कक्ष का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु	7.82
190	करही	कलेक्टोरेट एवं जनपद पंचायत परिसर में वाईफाई जोन स्थापना	4.90
191	करही	आगर सभा कक्ष में जिला स्तरीय डिजिटल डाटा सेंटर स्थापना कार्य	33.75
192	पीथमपुर, कोदवाबानी, सोढार, हेडसपुर, खैरा सेतगंगा, टेमरी, चकरभाठा, अचानकपुर एवं खुर्शी	मुंगेली वि.ख. अंतर्गत कुल 09 ग्रामों में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	19.80
193	भरूवागुडा	सी. सी. रोड निर्माण कार्य	6.00
194	लालाकापा	सी. सी. रोड निर्माण कार्य	6.00
195	धनगांव च.	सी. सी. रोड निर्माण कार्य	6.00
196	करही	आर. सी.सी नाली निर्माण कार्य (बरगद पेड़ से मेन रोड तक)	1.67
197	कुकुसदा	सी. सी. रोड निर्माण कार्य (कन्हैया के घर से गुड़ी की ओर)	6.00
198	कोहड़िया	टी 04 से कोहड़िया सड़क में पुलिया निर्माण कार्य	24.18
199	लिलवाकापा	मुंगेली नवागढ़ मार्ग पर बामपारा पहुंच मार्ग 100 मी. निर्माण कार्य	10.82
200	खेढा	जी.ए.डी. कॉलोनी फेस-1 परिसर में ओपन जिम एवं समतलीकरण निर्माण कार्य	11.39
201	करही	आहाता एवं नाली निर्माण कार्य (आवासीय प्रशिक्षण शाला परिसर में)	13.33
202	खेढा	जी.ए.डी. कॉलोनी फेस-1 परिसर में सार्वजनिक शेड निर्माण कार्य	9.33
203	गीधा	सार्वजनिक प्रतिकालय निर्माण कार्य	9.74
204	कोसमा	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	10.00
205	कान्हरपुर	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य (मेन रोड से सेवन के घर की ओर)	5.00
206	धरमपुरा	स्काउट गाईड स्कूल धरमपुरा में अहाता निर्माण कार्य	9.37
207	ढोढापुर	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	5.00
208	कान्हरपुर	छत युक्त मंच निर्माण कार्य	2.00
209	नगरीय निकाय मुंगेली	वार्ड क्र. 08 देवांगन समाज मुक्तिधाम के लिए बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	10.16
210	अचानकपुर	रिटैनिंग वॉल एवं पचरी निर्माण कार्य (मोहरगिया नदिया में)	5.00
211	लिलवाकापा	यात्री प्रतिकालय निर्माण कार्य (04 नग विभिन्न स्थानों पर बाईपास रोड में)	9.42
212	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही परिसर में कान्फ्रेंस हॉल परिवर्तन/उन्नयन कार्य	6.19
213	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही परिसर में गार्डन निर्माण कार्य पार्ट - 01	2.40
214	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही परिसर में गार्डन निर्माण कार्य पार्ट - 02 हेतु	2.67

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
215	सारधा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मेनरोड से आई.टी.आई. बी.टी.रोड तक)	10.00
216	डिंडोल	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (महामाया मंदिर से भयामलाल राजपूत के फार्म तक एवं भयामलाल राजपूत के फार्म से कैंवट पारा की ओर)	6.00
217	पेण्डीतालाब एन	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (रामस्वरूप के घर से रामायण के घर की ओर)	5.00
218	बिजराकापा कला	नाली निर्माण कार्य	3.00
219	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही परिसर में पार्किंग एवं पाथवे में पेवर ब्लॉक कार्य	18.97
220	धौराभाठा	शेड निर्माण कार्य (मानस मंच के पास)	6.00
221	धौराभाठा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (भगोला के घर से पुराना तालाब की ओर)	3.00
222	लिलवाकापा	सरस्वती शिशु मंदिर परिसर पेंडाराकापा में नाली निकासी कार्य	1.30
223	रामगढ़	आदर्श अमृत सरोवर तालाब में विभिन्न कार्य	4.25
224	मनोहरपुर	आदर्श अमृत सरोवर तालाब में विभिन्न कार्य	7.99
225	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही परिसर में पार्किंग शेड निर्माण कार्य	5.79
226	झझपुरीकला	आदर्श अमृत सरोवर में विभिन्न कार्य	2.68
227	नगरीय निकाय मुंगेली	जिले में स्थापित साईबर सेल का अपग्रेडेशन/उन्नयन कार्य	15.00
228	खेढा	तुमणेल नाला में नवीन पुलिया निर्माण कार्य जीएडी कॉलोनी पहुंच मार्ग में	19.92
229	खेढा	तुमणेल नाला के पास जीएडी कॉलोनी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य	8.00
230	करही	युथ क्लब में पार्टिशन कार्य	1.50
231	लिलवाकापा	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम मुंगेली कांकीट क्रिकेट का मैदान में स्टील पोल चैन फेंसिंग कार्य	10.30
232	लिलवाकापा	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम मुंगेली कांकीट क्रिकेट का मैदान निर्माण कार्य	16.08
233	लालाकापा	एमटी पार्किंग शेड उन्नयन कार्य रक्षित आरक्षित केन्द्र परिसर हेतु	2.50
234	करही	कुटील कक्ष निर्माण कार्य	5.00
235	हथकेरा	डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण कार्य हथकेरा	5.00
236	मदकू	शेड में सीढ़ी निर्माण कार्य (मदकूद्वीप में)	2.11
237	करही	खनिज प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुदृढीकरण हेतु जिला विशेष शाखा भवन का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु	7.94
238	लिलवाकापा	श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में शेड उन्नयन कार्य	16.08
239	लिलवाकापा	श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में अतिरिक्त निर्माण कार्य	10.30
240	खैरवार	बाईपास रोड नवागढ़ चौक से खैरवार (6 किमी.) तक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य	137.71
241	खेढा	देवरी रोड से खेढा कालोनी में स्ट्रीट लाईट संस्थापना कार्य	34.35
242	मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया	जिला मुंगेली के कुल 15 स्थानों में सोलर हाईमास्ट लाईट प्रतिस्थापना कार्य	71.25
243	करही	आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र भवन करही में एयर कंडीशनर यूनिट की स्थापना कार्य	7.50
244	बरदुली	स्टाप डेम निर्माण कार्य (बंजरनाला में)	10.00
245	मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया	जिला मुंगेली के 14 शासकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापना कार्य	50.61
246	सारधा	आई.टी.आई.सारधा लोरमी में कम्प्यूटर लैब हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री कार्य	9.61
247	करही	आवासीय प्रशिक्षण शाला करही में जिमखाना स्थापना कार्य	4.91
248	करही	कन्या महाविद्यालय मुंगेली में आवश्यक संसाधन हेतु	6.00
249	दाऊपारा मुंगेली	जिला प्रशासन द्वारा सेजेस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा मुंगेली में संचालित सुपर 100 कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु	4.00
250	नगरीय निकाय	जिला ग्रंथालय मुंगेली में आवश्यक संसाधन हेतु	9.00

क्र.	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
	मुंगेली		
251	करही	यूथ क्लब उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु	13.96
252	नगरीय निकाय मुंगेली	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में खेल सामग्री व्यवस्था	3.00
253	सिलतरा	मिनी स्टेडियम में समतलीकरण कार्य	1.00

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:40:07

## परोशेष्ट - सेतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2137) की जानकारी

राशि लाख में

## प्रश्नांश की जानकारी

प्रपत्र-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन की तिथि	आबंटित राशि	व्यय राशि	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	2022-23	-	0	0	-
2	2023-24	-	0	0	-
3	2024-25	-	0	0	-
4	2025-26	09.05.2025	890.77	507.87	(दिनांक 27.02.2026 की स्थिति में)



अनुभाग अधिकारी  
वन एवं जलवायु परितंत्र विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - अड़तालीस  
अंतराधिकृत प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2245) की जानकारी

“प्रपत्र”

खनिपट्टा

क्र.	जिला	पट्टेदार का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम/तहसील	रकबा (हे.में)	आदिवासी भूमि का कुल रकबा (हे.में.)	भूस्वामी से प्राप्त सहमति/शासन से प्राप्त अनुमति की जानकारी
1.	सरगुजा	मेसर्स छ0ग0 मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर अटल नगर	बाक्साइट	उरंगा- बरीमा मैनपाट	179.595	61.107	दिनांक 30.06.2022 को ग्राम सभा में भू-स्वामियों द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
		मेसर्स छ0ग0 मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नवा रायपुर अटल नगर	बाक्साइट	डांडकेसरा लखनपुर	44.718	28.084	भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर के द्वारा फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा दिनांक 08.12.2025 को जारी की गई है।
2	सूरजपुर	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पता ए/9, शताब्दी नगर, सोनगंगा कॉलोनी के पीछे सीपत रोड बिलासपुर (छ0ग0)	कोयला	बड़सरा, खाड़ापारा, बस्करपारा, कुरीडीह, केंवरा, दलौनीखुर्द कुसमुमी/भैय थान	932	173.122	भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत अवार्ड पारित कर 3.319 हेक्टेयर आदिवासी भूमि पर भू-प्रवेश की अनुमति दी गई है।

## उत्खनिपट्टा

क्र.	जिला	पट्टेदार का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम/ तहसील	आदिवासी भूमि का कुल रकबा	भूस्वामी से प्राप्त सहमति/ शासन से प्राप्त अनुमति की जानकारी
1	बीजापुर	मेसर्स चन्द्राकर मिनरल्स, राउतपारा वार्ड क्रमांक 02, बीजापुर, तहसील बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	नगर पंचायत भैरमगढ़/ भैरमगढ़	2.023 हे०	भू-स्वामी से प्राप्त सहमति कर
2	सरगुजा	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता श्री सूरज प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम अमड़ी तह. लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ०ग०	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	चंगोरी लुण्ड्रा	1.234 हे.	भू-स्वामी से प्राप्त सहमति कर
		श्री द्वितेन्द्र मिश्रा पिता स्व. जीवन नाथ मिश्रा निवासी विवेकानंद नगर, कृ'ण कॉलोनी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	करा लुण्ड्रा	1.000 हे	भू-स्वामी से प्राप्त सहमति कर
3	सूरजपुर	श्री आदर्श जायसवाल आ० श्री विजय जायसवाल निवासी करंजी, तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०)	मिट्टी (ईंट)	मानी (लेनपारा)/ सूरजपुर	2.170 हेक्टेयर	भू-स्वामी से प्राप्त सहमति कर
		श्री विभूति शुक्ला आ० श्री गिरीजा प्रसाद शुक्ला निवासी ब्रम्हपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०)	मिट्टी (ईंट)	मदननगर/ प्रतापपुर	1.050 हेक्टेयर	भू-स्वामी से प्राप्त सहमति कर
4.	जशपुर	श्री विष्णु प्रसाद आ.स्व. विन्देश्वरी प्रसाद निवासी सिंगीबहार तहसील फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.)	मिट्टी (ईंट)	उपरकछार/ फरसाबहार	2.023 हे.	भू-स्वामी से प्राप्त सहमति कर

### भण्डारण अनुज्ञप्ति

क्र.	जिला	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम/ तहसील	आदिवासी भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भूस्वामी से प्राप्त सहमति/ शासन से प्राप्त अनुमति की जानकारी
1	बीजापुर	मेसर्स चन्द्राकर मिनरल्स, राउतपारा वार्ड क्रमांक 02, बीजापुर, तहसील बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	नगर पंचायत भैरमगढ़/ भैरमगढ़	2.0230	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		सरपंच, ग्राम पंचायत कोत्तूर, जनपद पंचायत भोपालपटनम, जिला बीजापुर (छ.ग.)	रेत	तारलागुड़ा/ भोपालपटनम	1.214	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		मेसर्स हरि कंस्ट्रक्शन बीजापुर, प्रो. श्रीमती दानेश्वरी मोरला, पता डिपो पारा, वार्ड नंबर 05, बीजापुर, तहसील बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.)	रेत	मिनगाचल/ भैरमगढ़	1.214	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
2	कांकेर	श्री अमन तिवारी, भानुप्रतापपुर, कांकेर	रेत	डांगरा/ दुर्गुकोंदल	1.21	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		मेसर्स अर्जुन कंस्ट्रक्शन, प्रो. श्री अखिल सिंह रौठौर, भानुप्रतापपुर	रेत	सोनादई/ दुर्गुकोंदल	1.51	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		श्री जितेंद्र चौबे, सिरगिट्टी, बिलासपुर	रेत	गोडपाल/ दुर्गुकोंदल	1.420	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
3	सूरजपुर	श्री राजीव कुमार गोयल पिता स्व. श्री पुरुषोत्तम राम गोयल निवासी ग्राम भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0)	साधारण पत्थर	रजनी/ भैयाथान	0.800	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
4	कोरिया	मेसर्स देवसर वेनचर्स एल0एल0पी0 स्टोन कशर प्रो0 श्री मयंक अग्रवाल एवं श्री सौरभ अग्रवाल निवासी व तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)	साधारण पत्थर	जगतपुर/ बैकुण्ठपुर	0.150	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
5	मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर	श्रीमती रेखा अग्रवाल पति श्री निलेश अग्रवाल निवासी महात्मा गांधी वार्ड 11 कचहरी पारा तह. बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)	साधारण पत्थर	बरबसपुर तह0 मनेन्द्रगढ़	0.580	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		खन्ना स्टोन केशर प्रो. श्रीमती रश्मि खन्ना निवासी मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)	साधारण पत्थर	बेलबहरा तह0 मनेन्द्रगढ़	0.32	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		खन्ना स्टोन केशर प्रो. श्रीमती रश्मि खन्ना निवासी मनेन्द्रगढ़	साधारण पत्थर	बेलबहरा तह0 मनेन्द्रगढ़	0.61	भूस्वामी से सहमति प्राप्त

क्र.	जिला	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम/ तहसील	आदिवासी भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भूस्वामी से प्राप्त सहमति/ शासन से प्राप्त अनुमति की जानकारी
		जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)				
		दुर्गासी लाजिस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड प्रो. दुर्गाचरण सिंह आ. स्व. हीरालाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट चाकघाट जिला रीवा (म.प्र.)	साधारण रेत	डांडहसवाही तह० केलहारी	1.00	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		चांग सेवा समिति सचिव श्री मिथलेश दुबे, आ. श्री अंगद प्रसाद दुबे निवासी ग्राम व तह. भरतपुर जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)	साधारण रेत	ठिसकोली तह० भरतपुर	0.13	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		श्री लखन लाल श्रीवास्तव आ. श्री सुंदरलाल श्रीवास्तव निवासी मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)	साधारण रेत	भल्लौर तह० मनेन्द्रगढ़	0.352	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		श्री संतोष कुमार आ. श्री जमुना प्रसाद साहू निवासी ग्राम मनवारी एवं श्री रामनारायण मिश्रा आ. महादेव राम मिश्रा निवासी पसौरी तह. केलहारी जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)	साधारण रेत	सेमरिया तह० केलहारी	0.500	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		श्री विजय कुमार महतो आ. श्री रंजीत महतो निवासी वार्ड नं. 11 रेल्वे कॉलोनी मनेन्द्रगढ़ जिला एम. सी.बी. (छ.ग.)	साधारण रेत	चैनपुर तह० मनेन्द्रगढ़	0.202	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
6	जशपुर	श्री बसंत कुमार वर्मा आ. श्री पुनी राम वर्मा निवासी पतरापाली तहसील कांसाबेल जिला-जशपुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	कोहपानी/ फरसाबहार	0.890	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदार मुकेश कुमार जैन निवासी कॉलेज रोड़ जशपुर तहसील जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	आरा/ जशपुर	0.646	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
7	बलराम- पुर	श्री अतुल कुमार आ. श्री माती साहु निवासी पड़ोली पो0 धौरपुर तहसील लुण्ड्रा जिला सरगुजा	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम भिलाईखुंद तहसील राजपुर	0.40	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		श्री धीरज कुमार आ0 भैयाराम सिंह, निवासी ग्राम आलमपुर तहसील शिवसागर जिला रोहतास (बिहार)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम डिगनगर तहसील राजपुर	1.435	भूस्वामी से सहमति प्राप्त

क्र.	जिला	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	खनिज	ग्राम/ तहसील	आदिवासी भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भूस्वामी से प्राप्त सहमति/ शासन से प्राप्त अनुमति की जानकारी
		श्री हरिशंकर मिश्रा, आ0 पद्मनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-तहसील कुसमी	साधारण पत्थर	ग्राम गजाधरपुर तहसील कुसमी	0.433	भूस्वामी से सहमति प्राप्त
		श्री रामचन्द्र गोयल, निवासी मेंन रोड विश्रामपुर जिला सूरजपुर	साधारण पत्थर	ग्राम डुमरपान तहसील रामचन्द्रपुर	0.79	भूस्वामी से सहमति प्राप्त

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
13:40:17

## पारिशेष्य - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2273) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कार्यपालन अभियंता, वि/यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, दुर्ग  
नियमित स्थापना में कार्यरत, स्वीकृत पद की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृति पद संख्या	कार्यरत
1	2	3	4
1	कार्यपालन अभियंता	1	1
2	सहायक अभियंता	7	8
3	संभागीय लेखाधिकारी	1	1
4	मानचित्रकार	1	-
5	सहायक मानचित्रकार	1	1
6	उपअभियंता	25	20
7	अनुरेखक	1	-
8	सहायक वर्ग-2	8	6
9	सहायक वर्ग-3	8	1
10	डाटा एंट्री आपरेटर	6	-
11	स्टेनो टायपिस्ट	1	-
12	दफ्तरी	1	-
13	भृत्य	9	3
	<b>कुल</b>	<b>70</b>	<b>41</b>

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 10-03-2026  
17:49:44

**अवर सचिव**  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

## प्रपत्र-ब

कार्यपालन अभियंता, वि/यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, दुर्ग  
कार्यभारित स्थापना कार्यरत स्वीकृत पद की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृति पद संख्या	कार्यरत
1	2	3	4
1	मैकेनिक ग्रेड-1	1	-
2	मैकेनिक ग्रेड-2	1	-
3	मैकेनिक ग्रेड-3	-	1
4	सहायक मैकेनिक	5	6
5	फिटर ग्रेड-2	3	-
6	फिटर ग्रेड	2	-
7	फिटर	2	-
8	टर्नर-2	1	-
9	इलेक्ट्रिशियन	1	-
10	वायरमेन-1	1	1
11	वायरमेन-2	-	-
12	आयल मेन-1	2	1
13	आयल मेन-2	3	-
14	रिंग आपरेटर	1	-
15	ट्रक चालक	27	5
16	जीप चालक	7	6
17	ट्रेक्टर चालक	10	-
18	स्थल सहायक/प्रोग्रेसमेन/मस्टर क्लर्क/भंडार सहायक	16	5
19	नलकूप फिटर	5	-
20	नलकूप मैकेनिक	2	-
21	डालिंग आपरेटर	1	-
22	कम्प्रेसर आपरेटर	1	-
23	नलकूप चालक/पंप आपरेटर	136	3
24	चौकीदार कार्यालय	6	1
25	चौकीदार स्टोर साईट	22	6
26	वाटर मेन	2	1
27	डाक रनर	3	5
28	कुक	3	1
29	कैंप अडेडेंट	10	5
30	परिचालक	33	13
31	कुशल सहायक	29	7
32	अकुशल सहायक	23	13
33	क्लीनर	1	-
34	खलासी	-	1
	<b>कुल</b>	<b>360</b>	<b>81</b>

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI अवर सचिव  
Date: 10-03-2026  
17:49:11 जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-स

कार्यपालन अभियंता, वि/यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, दुर्ग के  
अंतर्गत  
कार्यभारित सांख्येत्तर पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृति पद संख्या	कार्यरत
1	2	3	4
1	फिटर ग्रेड-3	-	-
2	फिटर ग्रेड-2	2	2
3	नलकूप चालक/पम्प आपरेटर	25	25
4	स्टोर/साईट आपरेटर	17	17
5	डाक रनर	-	-
6	कुक	2	2
7	स्थल सहायक	-	-
	<b>कुल</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 10-03-2026  
17:48:37

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

## प्रपत्र-द

जिला-राजनांदगांव के वि./यां. लाईट मशीनरी एवं गेट उपसंभाग  
कार्यालय के कार्यभारित स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृति पद संख्या	कार्यरत
1	2	3	4
1	नलकूप चालक	57	1
2	परिचालक	8	1
3	डाक रनर	2	2
4	चौकीदार साईट	35	-
5	चौकीदार कार्यालय	1	3
6	जूनियर मैकेनिक	1	-
7	जीप चालक	2	1
8	ट्रैक्टर चलाक	2	-
9	अकुशल सहायक	7	3
10	कुक	1	1
11	कुशल सहायक	2	2
12	नलकूप मैकेनिक	2	-
13	डीलिंग ग्रेड 2	1	-
14	ट्युवेळ बिलर	3	-
15	स्थल सहायक	4	-
16	प्रोग्रेस मेन	2	1
17	ट्रक चालक	5	3
18	सहायक मैकेनिक	2	1
19	वाटर मैन	-	1
20	केपअडेडेट	-	-
20	कनीलर	1	-
	<b>कुल</b>	<b>138</b>	<b>20</b>

Digitally signed by

VIDYA BHARTI

Date: 10-03-2026 अवर सचिव

17:48:02

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-इ

जिला-राजनांदगांव के वि./यां. लाईट मशीनरी एवं गेट उपसंभाग कार्यालय  
के स्वीकृत पद एवं कार्यरत की जानकारी  
कार्यभारित सांख्येत्तर पद की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृति पद संख्या	कार्यरत
1	2	3	4
1	फिटर ग्रेड-2	-	-
2	नलकूप चालक/पम्प आपरेटर	13	13
3	स्टोर/साईट आपरेटर	3	3
4	डाक रनर	-	-
5	कुक	-	-
6	स्थल सहायक	-	-
	<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Digitally signed by

VIDYA BHARTI

Date: 10-03-2026

17:47:26

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

## परिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2275) की जानकारी

प्रपत्र - अ

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की जानकारी

क्रमांक	स्थान	उपकेन्द्र में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर क्षमता (संख्या में)	
		5 एम.व्ही.ए.	3.15 एम.व्ही.ए.
1	टेलकाडीह	2	-
2	अमलीपारा	2	-
3	साल्हेभरी	2	-
4	रहुद	-	2
5	मण्डला	1	1
6	जालबांधा	2	-
7	अतरिया	2	1
8	बुंदेली	2	1
9	उदयपुर	1	1
10	छुईखदान	1	1
11	झुरानदी	1	1
12	गण्डई	2	1
13	लिमो	1	1
14	पैलीमेटा	1	1
15	साल्हेवारा	-	1
16	बैहाटोला	1	1
17	खैरागढ़	2	-
18	मुढीपार	1	1
19	ईटार	-	2
20	खम्हारडीह	-	1
21	धोधा	-	2
कुल एम.व्ही.ए.		24x5=120	19x3.15=59.85
		179.85	



उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग  
भवनलय, नया सयपुर अटल नगर

## जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन की जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड	आवेदनकर्ता का नाम	ग्राम	क्षमता (मेगावॉट)	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7
1	खैरागढ़	लक्ष्मी कृपा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	2	स्वीकृत	
2	खैरागढ़	लक्ष्मी कृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	3	स्वीकृत	
3	खैरागढ़	न्यूटेक पाइप्स वर्ल्ड	सहसपुर	1	स्वीकृत	
4	खैरागढ़	प्रोटेक शार्इन एण्ड केयर एलएलपी	सहसपुर	1	स्वीकृत	
5	खैरागढ़	लालगंगा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	2	स्वीकृत	
6	खैरागढ़	हिन्द मल्टी सविसेस प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	3	स्वीकृत	
7	खैरागढ़	सेंट्रल सीमेंट इंडस्ट्रीज	सहसपुर	2	स्वीकृत	
8	छुईखदान	आरडीबी ग्रीन एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	थंडर	6	स्वीकृत	
9	छुईखदान	जयश्री ग्रेन प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड	थंडर	3	स्वीकृत	
10	छुईखदान	अग्रवाल स्पंज प्राईवेट लिमिटेड	थंडर	4	स्वीकृत	
11	छुईखदान	वीरान्हा इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	थंडर	4	स्वीकृत	
12	छुईखदान	वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	थंडर	16.25	स्वीकृत	
13	छुईखदान	बी.के. रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	थंडर	1.25	स्वीकृत	
14	छुईखदान	विश्वशक्ति इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	चकनार	2	स्वीकृत	
15	छुईखदान	टेक्नो वायर्स एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड	चकनार	1	स्वीकृत	
16	छुईखदान	व्ही.वाय. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस प्राईवेट लिमिटेड	चकनार	2	स्वीकृत	
17	खैरागढ़	एवीस एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	महरूमखुर्द	15	स्वीकृत	
18	खैरागढ़	विजय एगोटेक	भोठी (लिटिया)	3.5	स्वीकृत	
19	खैरागढ़	विजय फूड्स	भोठी (लिटिया)	3	स्वीकृत	
20	खैरागढ़	विजय राईस मील	भोठी (लिटिया)	3.5	स्वीकृत	
21	खैरागढ़	एस.आर.व्ही. सोलर ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड (फेज-1)	सहसपुर	15	स्वीकृत	
22	खैरागढ़	स्ट्रॉग गोल्ड सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	4	स्वीकृत	
23	छुईखदान	पाईपस सोलर प्राईवेट लिमिटेड	गंडई	22.5	स्वीकृत	
24	छुईखदान	एस.आर.व्ही. सोलर ऊर्जा प्राईवेट (फेज-3)	थंडर	21	स्वीकृत	
25	छुईखदान	एस.आर.व्ही. सोलर ऊर्जा प्राईवेट (फेज-4)	थंडर	21	स्वीकृत	
26	छुईखदान	राज विद्युत प्राईवेट लिमिटेड (C/O अंलकार स्टील प्राईवेट लिमिटेड)	थंडर	1.25	स्वीकृत	
27	खैरागढ़	लक्ष्मी कृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	1.2	स्वीकृत	
28	खैरागढ़	लक्ष्मी कृपा इस्पात पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	सहसपुर	1	स्वीकृत	
29	खैरागढ़	जैनम फेरो एलॉअस (II) लिमिटेड	बलदेवपुर/कलकसा /टेकापार	18	स्वीकृत	
30	खैरागढ़	ए.एम.पी. एनर्जी सी एण्ड आई 26 प्राईवेट लिमिटेड	मुटेडा	22	स्वीकृत	
31	खैरागढ़	श्री तिरुपति इंडस्ट्रीज	भोठी	1.5	स्वीकृत	
32	खैरागढ़	आयुष इंडस्ट्रीज	भोठी	2	स्वीकृत	
33	खैरागढ़	जया इंडस्ट्रीज	भोठी	1.4	स्वीकृत	

उप राशिद  
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

स.क्र.	विकासखण्ड	आवेदनकर्ता का नाम	ग्राम	क्षमता (मेगावॉट)	स्वीकृत	अस्वीकृत
34	खैरागढ़	अविष कॉमर्शियल कंपनी	जालबांधा	2.25	स्वीकृत	
35	खैरागढ़	बालाजी पॉलीप्लास्ट	भोठी (लिटिया)	1	स्वीकृत	
36	खैरागढ़	जैनम फेरो एलॉयस (I) लिमिटेड	बलदेवपुर / कलकसा / टेकापार	18	स्वीकृत	
37	खैरागढ़	जे.डी. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड	भोठी	40	स्वीकृत	
38	खैरागढ़	पिलानिया स्टील प्राईवेट लिमिटेड	घोटिया	1.8	स्वीकृत	
39	खैरागढ़	बी.बी.सी. राईस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	चिखलदाह	4.5	स्वीकृत	
40	खैरागढ़	भगवती पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड	विचारपुर	10		अस्वीकृत
41	खैरागढ़	एम.जे. स्टील प्राईवेट लिमिटेड	विक्रमपुर	28	स्वीकृत	
42	खैरागढ़	श्री धिरेद्र कुमार जोगेवर	साल्हेभरी	2.5	स्वीकृत	
43	खैरागढ़	श्री विक्रान्त सिंह	सहसपुर	2.5	स्वीकृत	
44	खैरागढ़	श्री सुलभ सिंह बघेल	कुलीकसा	2.5	स्वीकृत	
45	खैरागढ़	श्रीमती शिवानी सिंह	सहसपुर	2.5	स्वीकृत	
46	खैरागढ़	श्री सर्वेस सिंह	सहसपुर	2.5	स्वीकृत	
47	खैरागढ़	श्रीमती मीना जोगेवार	साल्हेभरी	2.5	स्वीकृत	
<b>कुल</b>				<b>330.9</b>		



..उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र - स

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत 132/33 के.व्ही. एवं 33/11 उपकेन्द्रों से जुड़े सोलर प्लांट की क्षमतावार जानकारी

क्रमांक	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की क्षमता	उपकेन्द्र से जुड़े स्थापित सोलर प्लांट की क्षमता (मेगावाट में)
1	2	3	4
1	220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र टेलकाडीह	3 X 160 एम.व्ही.ए. 2 X 40 एम.व्ही.ए.	162.2
2	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र खैरागढ़	1 X 40 एम.व्ही.ए.	29.15
3	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र गण्डई	2 X 40 एम.व्ही.ए.	61.83
4	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र टेलकाडीह	2 X 5 एम.व्ही.ए.	24
5	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र सालहेभरी	1 X 5 एम.व्ही.ए.	1.5
		कुल	278.68



उप सचिव  
खैरागढ़ शासन, उर्जा विभाग  
सहायक, नया रायपुर अटल नगर

प्रपत्र

परोशिष्ट - इन्क्यावन  
अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2293) की जानकारी

क्र.	तहसील का नाम	ब्यवसायिक प्रयोजन में व्यपवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित/प्रक्रियाधीन प्रकरणों की संख्या	विवादास्पद प्रकरणों की संख्या
1	तोकापाल	94	92	1	1	0
2	बस्तानार	4	04	0	0	0
3	दरभा	9	09	0	0	0
4	बस्तर	52	44	2	6	0
5	भानपुरी	19	15	0	4	0
6	बकावण्ड	26	23	2	1	0
7	करपावण्ड	5	05	0	0	0
8	जगदलपुर	169	150	15	4	0
9	नानपुर	18	18	0	0	0
10	लोहण्डीगुड़ा	24	23	1	0	0
	योग	420	383	21	16	0



अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
जनालय, नवा रायपुर, भदोल नगर

प्रपत्र-अ

**गोपनीय**  
Confidential

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिये  
For Official use only



छत्तीसगढ़ शासन

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन

के

कार्य नियम

तथा

उन नियमों के अधीन जारी किये गये

निर्देश तथा अनुदेश

28 अगस्त, 2009 तक यथासंशोधित

**RULES OF BUSINESS**

OF THE

EXECUTIVE GOVERNMENT

OF

CHHATTISGARH

AND

**DIRECTIONS AND INSTRUCTIONS**

ISSUED UNDER THOSE RULES

As corrected up to 28-8-2009

सामान्य प्रशासन विभाग

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**

राजनांदगांव

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय

2012

## भाग चार—समन्वय के मामलों के संबंध में कार्य नियम के नियम 10 के अधीन जारी किये गये निदेश

कार्य नियमों के नियम 10 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मुख्यमंत्री को शासन के कार्य के संबंध में मामले प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित निदेश जारी करते हैं :-

(एक) “ निम्नलिखित मामले तथा इन नियमों के भाग-तीन के निदेश 3 में दर्शित मामले, भारसाधक मंत्री द्वारा विचार करने के पश्चात्, संबंधित विभाग के सचिव द्वारा मुख्य सचिव के मार्फत् मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे.—

(क) ऐसे मामले, जिनसे राज्य शासन के भारत सरकार, किसी अन्य राज्य शासन, राज्य के उच्च न्यायालय या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी लोक संघ से संबंध प्रभावित हो या जिनमें राज्य शासन द्वारा उनके नेमी विषयों पर पत्र व्यवहार के सिवाय अन्य पत्र व्यवहार अन्तर्वलित हों और ऐसे प्रस्ताव, जिनमें उच्च न्यायालय के गठन संबंधी कोई परिवर्तन अन्तर्वलित हो :

परन्तु कोई भी ऐसा विषय, जिससे कि राज्य शासन का, भारत सरकार के साथ या अन्य किसी राज्य शासन के साथ, संविवाद होने की संभावना हो, ऐसे संविवाद की संभावना का पता लगते ही मुख्यमंत्री की जानकारी में यथाशीघ्र लाया जायगा.

(ख) ऐसे मामले, जिनमें राज्य के सचिव (सेक्रेटरी अफ स्टेट) द्वारा नियुक्त किये गये या अखिल भारतीय सेवा संवर्ग का पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन अन्तर्वलित हो ;

(ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामले, ऐसे मामले से जिसमें कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित हो, भिन्न प्रत्येक ऐसे मामले के संबंध में, जो छः माह से अधिक समय से लंबित हो, त्रैमासिक प्रतिवेदन भी तैयार किया जायेगा ;

(घ) ऐसे मामले, जिनसे राज्य की शान्ति या प्रशान्ति गंभीर रूप से प्रभावित होती हो या गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना हो तथा राजनैतिक परिस्थितियों तथा विधि एवं व्यवस्था से संबंधित नियतकालिक या विशेष प्रतिवेदन, जिनके अन्तर्गत साम्प्रदायिक विवादों तथा ध्वंसक आन्दोलनों से संबंधित प्रतिवेदन आते हैं ;

(गग) ऐसे मामले जिनमें छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज (सेफ गार्डिंग आफ नेशनल सीक्यूरिटी) रूल्स, 1950 के अधीन किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो ;

(घघ) निकाल दिया गया.

(ङङ) निकाल दिया गया.

“(चच) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा से संबंधित नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई तथा अन्य विषयों से संबंधित समस्त मामले.”

(छछ) ऐसे मामले, जिनमें राजपत्रित अधिकारियों को (लोक स्वास्थ्य विभाग में के सहायक सर्जन तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित मामलों को छोड़कर) अधिवार्षिकी आयु से परे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाना प्रस्तावित हो ;

(जज) ऐसी समितियों की, जो कि सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, बैठकों की कार्यवाहियां ;

(झझ) ऐसे मामले, जो संसद तथा राज्य विधान मंडल के निर्वाचनों, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अपराधों तथा याचिकाओं से संबंधित हों ;

(ञञ) ऐसे मामले, जिनमें राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या स्वीकृत नीति का कोई महत्वपूर्ण रूप से अनुसरण न किया जाना अन्तर्वलित हो ;

(टट) शासन के नियंत्रणाधीन सेवा करने वाले किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को भेजे गये अभ्यावेदन ;

(ठठ) ऐसे मामले, जो अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान से संबंधित हों, यदि सहायता अनुदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी विभाग का भारसाधक मंत्री हो और वह संबंधित संस्था से संबद्ध हो ;

(डड) ऐसे मामले, जो नगरपालिकाओं के विघटन से संबंधित हों ;

(ढढ) ऐसे मामले, जो नगरों, ग्रामों, नदियों तथा रेल्वे स्टेशनों आदि के नामों में परिवर्तन करने से संबंधित हो ;

प्रपत्र-ब

उपसचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्य शासनों को, छ, ग तथा घ को प्रेषित पत्र क्रमांक 130-53-सार्वजनिक/पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 की प्रति ।

विषय: - ग्रामों, नगरों आदि के नामों परिवर्तन प्रक्रिया ।

मुझे यह कहने का निदेश किया गया है कि ग्रामों, आदि के नामों के परिवर्तन करने के लिये राज्य शासनों से हाल ही में अनेक अनुरोध प्राप्त हुये हैं । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया है तथा वह ऐसा मानती है कि ग्रामों, नगरों आदि के नामों में परिवर्तनों को यथासंभव हतोत्साहित किया जाना चाहिये, यह कि किसी परिवर्तन के लिये तब तक सहमति नहीं दी जानी चाहिये, जब तक उसे न्यायोचित ठहराने के लिये ब्याधकारी कारण न हो, और यह कि किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने से पूर्व सभी प्रस्ताव भारत सरकार, गृह मंत्रालय को निर्दिष्ट किये जाने चाहियें ।

2:- यह आवश्यक है कि स्थानों के नामों में परिवर्तन करने के संबंध में समान प्रक्रिया होनी चाहिये और यह कि राज्य शासनों की ग्रामों नगरों आदि के नामों में परिवर्तन करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित प्रमुखा सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहियें :-

- : एक: जब तक कुछ अत्यन्त विशिष्ट कारण न हो, किसी ऐसे नाम में परिवर्तन करना वांछनीय नहीं है, जिसके लोग अभ्यस्त हो गये हों ।
- : दो: ऐतिहासिक संबंध रखने वाले ग्रामों, आदि के नामों में यथासंभव परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये ।
- : तीन: किसी प्रकार का परिवर्तन मात्र स्थानीय देशभक्ति के आधारों पर या भाषायी कारणों से नहीं किया जाना चाहिये, अर्थात्, राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर मात्र उनके प्रति सम्मान दर्शाने के लिये या भाषा आदि के मामले में स्थानीय भावना को संतुष्ट करने के लिये ग्रामों, आदि के नाम पुनः नहीं रहे जाना चाहिये ।
- : चार: नए नामों का चयन करते समय, इस बात की सावधानी रखी जानी चाहिये कि राज्य में तथा पड़ोस में उसी नाम का गाँव का नगर न हो, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हों ।
- : पाँच: किसी परिवर्तन की सिफारिश करते समय, राज्य शासन को नाम में परिवर्तन करने के लिये तथा नए नाम का चयन करने के लिये विस्तृत

प्रस्तुत करने चाहिये ।

3: - उपर्युक्त पैराग्राफ-2- में दी गई किसी बात के होते हुए भी यह वाँछनीय होगा कि जहाँ किसी प्राचीन स्थान का अपक्षय हो गया हो तथा उस पुराने स्थान का नाम भी लुप्त हो गया हो, तो प्राचीन नाम ही पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये । उदाहरणार्थ, उज्जैन के निकट पुरानी देवास रियासत में स्थित वर्तमान गंधावल नामक ग्राम, विजयादित्य के समय से एक प्राचीन धनी झावादी वाले तथा समृद्ध नगर के खण्डहरों पर बनाया गया है तथा इसका उल्लेख प्राचीन शिलालेखों तथा अन्य ग्रंथों में "गंधर्वपुरी" के रूप में किया गया है । वर्तमान नाम "गंधावल" स्पष्ट तथा "गंधर्वपुरी" का विकृत रूप है । मध्यप्रदेश शासन, जिसके राज्य-क्षेत्र में यह ग्राम स्थित है, प्राचीन नाम को पुनर्स्थापित करने के औचित्य पर विचार कर सकता है ।

प्रका-स

Copy of D.O.No.11/2/93-VIS, dated the 15th February, 1953 from Shri S.L. Chatterjee, Home Minister, New Delhi, New Delhi to Shri Kunwar Mahmud Ali Khan H.E. Governor of Madhya Pradesh, Bhopal.

This is regarding changing of names of geographical entities such as villages, towns and districts on the basis of proposals received from the State Governments.

2. After independence, State Governments began changing the names of places including change in the spelling of existing places. In most cases, this was actuated by a desire to remove distortions which had crept in during the long colonial rule. However, with a view to ensuring uniformity and to avoid confusion in matters of maintenance of vital records by agencies such as the Survey of India, it was decided to lay down a procedure to be adopted by the State Governments before any change was effected. Certain guidelines were also formulated. These were communicated to the States vide this Ministry's letter No. 130/53-Public dated 11th September, 1953 (copy enclosed).
3. The views of the Ministry of Law were also sought as to whether the subject matter of change of names of places fell within the constitutional purview of the Centre or the States. The Law Ministry have advised that the subject would more appropriately come under item 97 of List-I which would render it a Union subject.
4. It has come to the notice of the Central Government that some State Governments are not following the procedure laid down in the Ministry's letter referred to above and are effecting changes without any reference to and approval from the Central Government. This has resulted in avoidable confusion in records maintained by Central Government Departments and Agencies.
5. Under the circumstances, I shall be grateful if the procedure outlined in this Ministry's letter is followed strictly and approval of the Government of India obtained before notifying any change in the names of villages, towns, cities and districts.

Copy of letter No.130/53-Public, dated the 11th September, 1953 from Sardar Fateh Singh, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-2, to all State Governments (A, B, C & D) except Jammu & Kashmir.

Sub:- Changes in the names of villages, towns etc.-  
procedure of-

I am directed to say that of late several requests have been received from the State Governments for changing the names of villages etc. The question has been examined in detail by the Government of India, and they consider that changes in the names of villages, towns, etc. should be discouraged as far as possible; that no change should be agreed to unless there were compelling reasons to justify it; and that all proposals should be referred to the Government of India in the Ministry of Home Affairs before any change is made.

2. It is essential that there should be a uniform procedure in the matter of changing the names of places and that the State Governments should keep in view the following broad principles when making proposals for changes in the names of villages, towns etc. to the Government of India:-

- i) Unless there is some very special reason, it is not desirable to change a name which people have got used to.
- ii) Names of villages etc, having a historical connection should not be changed as far as possible.
- iii) A change should not be made merely on grounds of local patriotism or for linguistic reasons, e.g. villages etc. should not be renamed after national leaders merely to show respect to them or for satisfying local sentiment in the matter of language etc.
- iv) In selecting new names, care should be taken to see that there is no village or town etc. of the same name in the State and neighbourhood which might lead to confusion.
- v) While recommending any change, the State Government should furnish detailed reasons for proposing change in the name and also for selecting the new name.

3. Notwithstanding what has been stated in para 2 above, it may be eminently desirable that where an ancient place has

fallen into decay and with that the old place name has also disappeared, the ancient name should be restored. To cite an instance, a village now called Gandhawal in the old Dewas State near Ujjain has been built on the ruins of an ancient town populous and flourishing in the times of Vikramaditya, and is mentioned in the ancient scriptures and other books as 'Gandharvapuri'. The present name 'Gandhawal' is obviously a corruption of Gandharvapuri. The Government of Madhya Pradesh in whose territory the village is now situated, may consider the propriety of restoring the ancient name.

## पारिशेष - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 2410) की जानकारी

## "प्रपत्र"

क्र	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	अवधि	अद्यतन स्थिति
1	सीतापुर	भवराडांड	21.10.2019 से 20.10.2021	अवधि समाप्त
2		राधापुर	08.06.2020 से 07.06.2022	अवधि समाप्त
3		प्रतापगढ़	08.06.2020 से 07.06.2022	अवधि समाप्त
4		प्रतापगढ़	12.03.2024 से 11.03.2029	संचालित
5		राधापुर	—	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन।
6	मैनपाट	हरामार	—	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन।
7		राजापुर	—	उत्खनन योजना अनुमोदन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:38:23

## परीशेष - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2426) की जानकारी

## "प्रपत्र"

क्र.	स्थान का नाम	विकासखंड का नाम	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	खनिज की मात्रा (घ.मी. में)	खनिज नियमों के तहत वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
<b>वित्तीय वर्ष 2023-24</b>					
1	खुटेरी रेंगरकठेरा	गुण्डरदेही	पवन धनकर	03	25525
2	अरौद	बालोद	हिमलेश्वर ठाकुर	01	25150
3	अरौद	बालोद	राजु साहू	03	25525
4	ओटेबंद	गुण्डरदेही	रामजी कुंजाम	03	25525
5	देवरी (ख)	गुण्डरदेही	महासिंग गायकवाड़	03	25525
6	खेरूद	गुण्डरदेही	संतोष कुमार यादव	03	25525
7	सिकोसा	गुण्डरदेही	1. नरेन्द्र कुमार साहू 2. लुमेयवर 3. चंद्रकांत 4. चंद्रिका प्रसाद 5. प्रदीप महेकर	12	27100
8	मरामखेड़ा	डौण्डी	1 महादेव कंस्ट्र. 2. अरिहंत डेवलपर्स	400	120000
9	पोंड	गुरुर	1. लोकेश कुमार 2. केदार साहू 3. राधेश्याम	20	53500
10	भैसमुंडी	गुरुर	01 रविकांत साहू 02 शंकर लाल 03 हरीश सिन्हा	490	185750
11	भैसमुंडी	गुरुर	देवव्रत ठाकुर	480	184000
12	पोंड	गुरुर	01 देवेन्द्र साहू 02 आलोक सिंह 03 हितेश जैन	500	187500
<b>वित्तीय वर्ष 2024-25</b>					
13	पोंड	गुरुर	01. शुभम वर्मा 02 गोपाल ओमप्रकाश जाजू 03 राजेश देवांगन	20	103500

क्र.	स्थान का नाम	विकासखंड का नाम	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	खनिज की मात्रा (घ.मी. में)	खनिज नियमों के तहत वसूल की गई समझौता राशि (रूपये में)
14	रेंगाकठेरा	गुण्डरदेही	आदित्य प्रताप सिंह	285	100000
15	ओरमा	बालोद	गिरजेश गुप्ता	114	120000
16	गोडपाल	बालोद	भोलाराम पटेल	30	55250
17	सिंगनवाही	डौण्डी	शंतानु कुलदीप	60	60500
18	बेलोदा	डौण्डी	देवनिषाद	150	76250
19	रेंगाकठेरा	गुण्डरदेही	विश्वास गुप्ता	60	110500
20	पोंड	गुरुर	प्रकाश कुमार धोबी	430	125250

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:07:52

## परिशेष - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2439) की जानकारी

## प्रपत्र - "अ"

वर्ष	तालाबों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	फर्म का नाम	फर्म को भुगतान की गई राशि (लाख रु.)	फर्म को भुगतान हेतु शेष राशि (लाख रु.)
	3	4	5	6	7	8
2023-24	11	25.51	पूर्ण	एस डी कंस्ट्रक्शन दीप ट्रेडर्स योगेश कुमार खत्री जे के कंस्ट्रक्शन नटराज इंटरप्राईजेस शिवांगी प्यूल्स	1.22 4.92 0.12 0.43 5.22 4.15	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024-25				निरंक		
2025-26 (15 फरवरी 2026 तक)	1	10.07	पूर्ण	जे के कंस्ट्रक्शन	7.10	0.00
	12	35.58			23.15	0.00

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

## प्रपत्र-"ब"

वर्ष	जिले का नाम	कैम्पा द्वारा जारी राशि (लाख रू.)	कार्यों की संख्या
1	2	3	4
2023-24	जांजगीर-चांपा सक्ती	319.34 178.70	19 7
योग: वर्ष 2023-24		498.04	26
2024-25	जांजगीर-चांपा सक्ती	1886.5 89.74	20 7
योग: वर्ष 2024-25		1976.24	27
2025-26 (15/02/2026 तक)	जांजगीर-चांपा सक्ती	1969.61 76.22	16 12
योग: वर्ष 2025-26 (15/02/2026 तक)		2045.83	28

H  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

## पारिशेष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2453) की जानकारी

## "प्रपत्र"

(अ) अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई समझौता राशि
<b>जिला- जांजगीर-चांपा</b>				
<b>वर्ष 2024-25</b>				
1	श्री रामकुमार जायसवाल	बम्हनीडीह	18	29212
2	श्री राहुल सिंघानिया	बम्हनीडीह	18	29212
3	श्री शिव कुमार केशरवानी	बम्हनीडीह	30	32020
4	श्री लक्ष्मी यादव	बम्हनीडीह	321	100114
<b>वर्ष 2025-26 (15.02.2026 तक)</b>				
5	श्री आकाश वैष्णव	खपरीडीह	165	63610
6	श्री शिव कुमार जायसवाल	बम्हनीडीह	108	50272
7	श्री रामकुमार खुटे	बम्हनीडीह	96	47464
8	श्री अशोक कुमार केवट	बम्हनीडीह	40	32360
9	श्री मोहम्मददीन खान	बम्हनीडीह	195	60880
10	श्री बसंत कुमार पटेल	पिपरदा	675	149200
<b>जिला - सक्ती</b>				
<b>जिला- वर्ष 2024-25</b>				
11	श्री गनपत बघेल	करही	778	203940
<b>वर्ष 2025-26 (15.02.2026 तक)</b>				
12	श्री रोहित कुमार	करही	153	60190
13	श्री गनपत बघेल	करही	792	दिनांक 06.0.2025 को एफ. आई.आर. दर्ज कराया गया है
14	श्री रंजीत साहू, श्री राजेन्द्र कुमार तेन्दुलकर	करही	760	
15	श्री सकंट मोचन टासपोट मालिक श्री सीवचोहरी	करही	0	
16	श्री रोहित कुमार टण्डन	करही	252	82960
17	श्री जिस्मीत ससीन	किकिरदा	652	175000

## (ब) अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई समझौता राशि
<b>जिला- जांजगीर-चांपा</b>				
<b>वर्ष 2024-25</b>				
1.	श्री सुदर्शन	बम्हनीडीह	12	27208
2.	श्री आकाश बंजारे	बम्हनीडीह	30	30520
3.	श्री राजेश कुमार	बम्हनीडीह	15	27760
4.	श्री सूरज कुमार बंजारे	बम्हनीडीह	15	27760
5.	श्री सुमन्त कुमार	बम्हनीडीह	18	28312
6.	श्री विजय भारती	बम्हनीडीह	15	27760
7.	श्री कैलाश पटेल	बम्हनीडीह	18	28312
8.	श्री रवि कुमार दिवाकर	बम्हनीडीह	15	27760
9.	श्री प्रहलाद चौहान	बम्हनीडीह	15	27760
10.	श्री धनेश्वर यादव	बम्हनीडीह	3	10552
11.	श्री घनश्याम यादव	बम्हनीडीह	3	10552
12.	श्री शिवराम	बम्हनीडीह	12	27208
13.	श्री दुर्गेश यादव	बम्हनीडीह	3	10552
14.	श्री आनंद केंवट	बम्हनीडीह	3	10552
15.	श्री शिवप्रसाद यादव	बम्हनीडीह	3	10552
16.	श्री मनीराम कश्यप	बम्हनीडीह	15	27760
17.	श्री अनिल कुमार पटेल	खपरीडीह	3	10552
18.	श्री पिंटू प्रसाद	बम्हनीडीह	20	28680
19.	श्री अमरदीप भार्गव	बम्हनीडीह	12	27208
20.	श्री हृदयशंकर साहू	बम्हनीडीह	20	28680
21.	श्री अनिश कुमार पटेल	पिपरदा	3	10552
22.	श्री प्रदीप यादव	पिपरदा	3	10552
<b>वर्ष 2025-26 (15.02.2026 तक)</b>				
23.	श्री नंदकिशोर	खपरीडीह	12	27208
24.	श्री ओमप्रकाश कुर्मी	खपरीडीह	12	27208
25.	श्री देवेश कुमार	खपरीडीह	3	10552
26.	श्री सुकदेव प्रसाद साहू	खपरीडीह	3	10552
27.	श्री सूरजकुमार	खपरीडीह	3	10552
28.	श्री अंजोर पाटले	खपरीडीह	20	27208
29.	श्री पिंटू केंवट	खपरीडीह	12	27208
30.	श्री नवलदास मानिकपुरी	खपरीडीह	20	27208
31.	श्री बंशी भारद्वाज	खपरीडीह	20	27208
32.	श्री गणेशराम	खपरीडीह	12	27208
33.	श्री दिलहरण पटेल	खपरीडीह	12	28680
34.	श्री संजीव खुटे	खपरीडीह	12	27208
35.	श्री लावन्य वर्मा	खपरीडीह	12	28680
36.	श्री प्रकाश केंवट	खपरीडीह	3	10552
37.	श्री मोटे यादव	खपरीडीह	3	10552
38.	श्री अमर केंवट	खपरीडीह	20	28680
39.	श्री शिवफल चौहान	खपरीडीह	3	10552
40.	श्री शिवफल चौहान	खपरीडीह	3	10552
41.	श्री राकेश कुमार यादव	खपरीडीह	24	29416

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई समझौता राशि
42.	श्री लाला उर्फ संजीव कुमार कुर्रे	खपरीडीह	24	29416
43.	श्री भुपेन्द्र कुमार धुरी	बम्हनीडीह	12	27208
44.	श्री कैलाश पटेल	बम्हनीडीह	20	28680
45.	श्री राहुल सिंघानिया	बम्हनीडीह	15	28680
46.	श्री सुंजु पटेल	बम्हनीडीह	3	10552
47.	श्री दीपक कुमार यादव	बम्हनीडीह	3	10552
48.	श्री प्रेमसागर केवट	बम्हनीडीह	12	27208
49.	श्री सुखीराम केवट	बम्हनीडीह	3	10552
50.	श्री राजा विमल	बम्हनीडीह	20	28680
51.	श्री सोन सिंह	बम्हनीडीह	20	28680
52.	श्री मुकेश यादव	बम्हनीडीह	12	27808
53.	श्री हरिशचंद्र कश्यप	बम्हनीडीह	20	29680
54.	श्री यशवत जायसवाल	बम्हनीडीह	3	10552
55.	श्री लखन सहीस	बम्हनीडीह	3	10552
56.	श्री शिवशंकर पटेल	बम्हनीडीह	3	10552
57.	श्री अमन कुमार सांडे	बम्हनीडीह	23	29232
58.	श्री राजेश कुमार यादव	बम्हनीडीह	14	27576
59.	श्री अजय कुमार चौहान	बम्हनीडीह	18	28312
60.	श्री गिरी लाल यादव	बम्हनीडीह	24	29416
61.	श्री गोपी चन्द्रशेन	बम्हनीडीह	20	28680
62.	श्री संजय कुमार रोहिदास	बम्हनीडीह	3	10552
<b>जिला- सक्ती</b>				
<b>वर्ष 2024-25</b>				
63.	श्री मृत्युंजय	करही	3	10750
64.	श्री दुर्गा	करही	3	10750
65.	श्री छात्रपाल	करही	3	10750
66.	श्री प्रकाश दास	करही	3	10750
67.	श्री पुरुधर	करही	3	10750
68.	श्री ओमप्रकाश	करही	3	10690
69.	श्री प्रकाश	करही	12	27760
70.	श्री दुलेश	करही	3	10690
71.	श्री सुनली	करही	12	27760
72.	श्री टीकाराम	करही	3	10690
73.	श्री रोहन	करही	3	10690
74.	श्री सुखीराम	करही	12	16210
75.	श्री कुशल प्रसाद	करही	3	10750
76.	श्री हीराराम	करही	3	10750
77.	श्री अजय दास	करही	3	10690
78.	श्री उत्तरा	करही	3	10690
79.	श्री मायाराम	करही	3	10690
80.	श्री दरसराम	करही	3	10690
81.	श्री निर्मल	करही	3	10690
82.	श्री निखिल	करही	20	29600
83.	श्री समीर बरेठ	करही	3	10690
84.	श्री पुनाराम	डोटमा	3	10690
85.	श्री अबजद	डोटमा	3	10690
86.	श्री रोशनकुमार सारथी	डोटमा	3	10690
87.	श्री नंदकिशोर	डोटमा	3	10690

क.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई समझौता राशि
88.	श्री शंकर कुमार	डोटमा	3	10690
89.	श्री महेन्द्र दास कुमार	डोटमा	3	10690
90.	श्री मोतीराम	डोटमा	3	10690
91.	श्री अजय	डोटमा	3	10690
92.	साहिल पटेल	डोटमा	3	10750
93.	युवराज कुर्रे	डोटमा	3	10750
94.	डायस कुमार	डोटमा	3	10750
95.	संपत पटेल	डोटमा	3	10750
96.	घनश्याम	डोटमा	3	10750
97.	श्री हेतराम	डोटमा	3	10690
98.	श्री मदन	डोटमा	3	10690
99.	श्री ग्वासकर मैत्री	डोटमा	3	10690
100.	श्री शांता कुमार	डोटमा	18	29480
101.	भुनेश्वर चौहान	डोटमा	3	10750
102.	दिलेश्वर तेली	डोटमा	3	10750
103.	श्रवण बंजारे	डोटमा	3	10750
104.	सीयाराम	डोटमा	3	10750
105.	श्री संजीव कुमार	डोटमा	31	32750
106.	श्री संजीव कुमार	डोटमा	31	32750
107.	श्री बूदलाल	डोटमा	3	10750
108.	श्री पूरन	डोटमा	3	10750
109.	श्री भोजराम	डोटमा	3	10750
110.	श्री फिरोज	डोटमा	3	10750
111.	श्री पालेश्वर	डोटमा	3	10750
112.	श्री नीलाम्बर	डोटमा	3	10750
113.	श्री अजय	डोटमा	3	10750
114.	श्री दामोदर,	डोटमा	3	10750
115.	श्री राघव	डोटमा	3	10750
116.	श्री उपेन्द्र सिदार	डोटमा	3	10750
117.	श्री लाला	डोटमा	3	10750
118.	श्री विरेन्द्र	डोटमा	3	10690
119.	विजय भास्कर	डोटमा	3	10750
120.	कमलेश सतनामी	डोटमा	3	10750
121.	श्री लाकेश	डोटमा	3	10690
<b>वर्ष 2025-26 (15.02.2026 तक)</b>				
122.	श्री अनुराग	करही	3	10700
123.	श्री सोमनाथ साहू	करही	3	10700
124.	श्री शिव कुमार	करही	12	27760
125.	श्री उमेश कुमार केवट	करही	12	27760
126.	श्री बालकराम	करही	3	10690
127.	श्री देवतन	करही	3	10690
128.	श्री अजय रात्रे,	करही	3	10690
129.	श्री विद्यानंद,	करही	3	10690
130.	श्री भुनेश्वर	करही	3	10690
131.	श्री मनहरणलाल	करही	3	10690
132.	श्री मनोज	करही	3	10690
133.	श्री पारस	करही	3	10690
134.	श्री सबदर खान	करही	24	30700
135.	श्री रवि	करही	3	11000

क्र.	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई समझौता राशि
136.	श्री हेमसागर	करही	3	10690
137.	श्री परमेश्वर	करही	3	11000
138.	श्री चेतन	करही	3	11000
139.	श्री केसरी	करही	3	10690
140.	श्री लक्ष्मी नारायण सिदार	करही	3	10690
141.	श्री राहुल कुमार चन्दा	करही	3	10690
142.	श्री नीलमणि राव	करही	3	10690
143.	श्री राम कुमार साहू	करही	3	10690
144.	श्री शत्रुहन	करही	3	10690
145.	श्री फिरतू यादव	करही	3	10690
146.	श्री रविन्द्र कुमार	करही	12	27760
147.	श्री अमन	करही	20	29600
148.	श्री सुनील कुमार	करही	24	30520
149.	श्री देवेन्द्र	करही	3	10690
150.	श्री कमलेश	करही	3	10690
151.	श्री लखेश्वर साहू	करही	3	10000
152.	श्रीकरमहदास	करही	24	30520
153.	श्री रविन्द्र कुमार	करही	12	28000
154.	श्री बलराम	किकिरदा	3	10690
155.	श्री अबूबककर सिद्धीकी	डोटमा	12	27760
156.	श्री प्रियान्शु	डोटमा	3	11000
157.	श्री गोपाल लहरे	डोटमा	3	10690
158.	श्री खगेश्वर पटेल	डोटमा	3	10690
159.	श्री गणेश रात्रे	डोटमा	3	10690
160.	श्री धुरन्धर	डोटमा	3	10690
161.	श्री हरीश	डोटमा	3	10690
162.	श्री राजू	डोटमा	3	10690
163.	श्री तिलकराम	डोटमा	3	10690
164.	श्री गेसराज	डोटमा	3	10690
165.	श्री ललीत	डोटमा	3	10690
166.	श्री अश्वनी साहू	डोटमा	3	10690
167.	श्री रमेश,	डोटमा	3	10690
168.	श्री कमल किशोर	डोटमा	3	10690
169.	श्री रामकृपाल	डोटमा	3	10690
170.	श्री सूरज कुमार	डोटमा	3	10690
171.	श्री रामकुमार	डोटमा	3	10690
172.	श्री कृष्ण कुमार	डोटमा	3	10740

## (स) अवैध भण्डारण

क.	अवैध भण्डारणकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	खनिज की मात्रा (घन मीटर)	वसूल की गई समझौता राशि
जिला- जांजगीर-चांपा				
2024-25				
1	श्री गोपेश जायसवाल	बम्हनीडीह	450	130300
2	श्री श्यामलाल डड़सेना	बम्हनीडीह	300	95200
वर्ष 2025-26 (15.02.2026 तक)				
3	श्री ताजखनन मुसलमान	बम्हनीडीह	1200	305800
4	श्री संस्कार जायसवाल	बम्हनीडीह	120	53080
5	श्री रोशन निषाद	बम्हनीडीह	40	32360
6	श्री शिव जायसवाल	बम्हनीडीह	2400	586600
7	श्री राहुल सिघानिया	बम्हनीडीह	300	80200
जिला- सक्ती				
वर्ष 2024-25				
निरंक				
वर्ष 2025-26 (15.02.2026 तक)				
8	श्री देवकुमार बघेल	करही	60	38800

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:23:57

## पारोक्ष - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 2456) की जानकारी

## "प्रपत्र"

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	स्थान	समझौता राशि (रूपये में)
1	3	4	5
1	मेसर्स बी.एस.बी.के. प्रा. लि.,	औरी	106880
2	मेसर्स अमर इन्फ्रास्ट्रचर लिमिटेड डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र राठी	औरी	109487
3	श्री देवानंद वर्मा	भाठा कोकड़ी	25000
4	श्री अवधराम साहू	डंगनिया	26180
5	श्री मुकेश कुमार देवांगन	गभरा	25000
6	श्री दिलेश कुमार यदु	नगपुरा	32110
7	श्री गोपीचंद चन्द्राकर	अमेरी	29740
8	श्री मुकेश देवांगन	अमेरी	29740
9	श्री हेमराय सिन्हा	करेली	41590
10	श्री दुष्यन्त कुमार	नगपुरा	64220
11	श्री लक्ष्मण वर्मा	धरमपुरा	36850
12	श्री धनंजय	पोटिया	41590
13	श्री रिषी कुमार साहू	टेंगाभाठ	79875
14	श्री वासुदेव यादव	पतौरा	55925
15	श्री देवराज पटेल	खेलीडीह	67660
16	श्री अनमोल अग्रवाल	मड़ियापार	62920
17	श्री अभिलाष सुब्बाराव	मुड़पार	39220
18	श्री चन्द्रकांत साहू	नगपुरा	53318
19	श्री राजेन्द्र कुमार राय	सेलूद	41590
20	श्री नोमेश साहू	मोहभट्टा	60550
		योग	1029445

## रेत

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम व पता	स्थान	समझौता राशि
1	3	4	5
1	श्री वेकटेंश शर्मा	दानीकोकड़ी	53800
2	श्री रोशनलाल देशमुख	चिंगरी	42200
3	श्री परमानंद साहू	कौही	26440
4	श्री दीपेश साहू	कौही	10720
5	श्री दीपेश साहू	कौही	10720
6	श्री अभिषेक शशांक मिश्रा	घुघवा	75400
7	श्री देवराज पटेल	सिल्ली	53800
		योग	273080

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
13:43:29


## परोक्ष - अनठावन

अतरांकेत प्रश्न संख्या 44 (क्र. 2464) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जशपुर जिला अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों के NAAC द्वारा मूल्यांकन की स्थिति

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	शासकीय महाविद्यालय का नाम	NAAC मूल्यांकन की स्थिति		
				मूल्यांकन वर्ष	चक्र	ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7
1	जशपुर	जशपुर-12	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	2023	द्वितीय	B
2			शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुरनगर	2023	द्वितीय	B
3			शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाविद्यालय, बगीचा	2022	प्रथम	D
4			नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा	2021	प्रथम	C
5			शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा	निरंक	निरंक	निरंक
6			शासकीय नवीन महाविद्यालय, सन्ना	निरंक	निरंक	निरंक
7		कुनकुरी-13	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	2022	प्रथम	C
8			शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	2022	प्रथम	C
9			लिखन साय शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	2022	प्रथम	C
10		पत्थलगांव-14	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	2022	प्रथम	B
11			शासकीय नवीन महाविद्यालय, कांसावेल	निरंक	निरंक	निरंक
12			शासकीय नवीन महाविद्यालय, बागबाहर	निरंक	निरंक	निरंक

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-ब


गत तीन वर्षों में ICT लैब, पुस्तकालय उन्नयन, स्मार्ट क्लास एवं प्रयोगशाला सुदृढीकरण हेतु संबंधित 12 महाविद्यालयों में निम्न मदों में राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है:-	
(1)	पुस्तके एवं पत्रिकाएं: मांग संख्या 41-2202-03-103-0102-0798-04-004 एवं 44-2202-03-103-0101-0798-04-004
(2)	सूचना प्रौद्योगिकीरू मांग संख्या 41-2202-03-103-0102- 0798-04-009 एवं 44-2202-03-103-0101-0798-04-009
(3)	भंडार तथा कच्चा माल: मांग संख्या 41-2202-03-103-0102-0798-25-001 एवं 44-2202-03-103 -0101-0798-25-001
(4)	औजार संयंत्र मांग संख्या 41-2202-03-103-0102-0798-33-003 एवं 44-2202- 03-103-0101-0798-33-003

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र- स

जशपुर जिला अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्वीकृत पद की जानकारी


जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	शासकीय महाविद्यालय का नाम	विषय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
जशपुर	जशपुर-12	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	इतिहास	1	0	1
			अर्थशास्त्र	1	0	1
			भूगोल	1	0	1
			राजनीतिशास्त्र	1	0	1
			रसायनशास्त्र	1	0	1
			वाणिज्य	1	0	1
			गणित	1	0	1
	अंग्रेजी	1	0	1		
	जशपुर-12	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुरनगर	वनस्पतिशास्त्र	1	0	1
			माइक्रोबायोलॉजी	1	0	1
			इतिहास	1	0	1
			कंप्यूटर साइंस	1	0	1
	पत्थलगांव-14	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	समाजशास्त्र	1	0	1
			राजनीतिशास्त्र	1	0	1
कुनकुरी-13	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	भूगोल	1	0	1	
जशपुर-12	नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा	वनस्पतिशास्त्र	1	0	1	
		रसायनशास्त्र	1	0	1	

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र- द

जशपुर जिला अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में NAAC ग्रेडिंग में उन्नयन हेतु गतिविधियों का विवरण

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र	शासकीय महाविद्यालय का नाम	NAAC ग्रेडिंग में उन्नयन हेतु गतिविधियाँ
1	2	3	4	5
1	जशपुर	जशपुर-12	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	<p>One Day Workshop on Crop Diversity in Chhattisgarh &amp; IPR Awareness – 2023</p> <p>Two Days Workshop on Dissertation and Social Outreach Report Writing (18.04.2024 – 19.04.2024)</p> <p>One Day Seminar on Sensitizing Students to Cracking UGC-NET Examination (05.05.2024)</p> <p>One Day Workshop on Impact of Global Warming on Climate Change – 2025 National Mathematics Day – 2025</p> <p>One Day Workshop on Examination Stress Management (20.04.2024)</p> <p>Mental Health and Counselling Cell</p> <p>Campus Green Audit (19.06.2025)</p> <p>Alumni Association Registration</p> <p>Best Practices -Jashpur Library and Information Science Network (JLISNET) – Mental Health and Counselling Cell</p> <p>Medicinal Garden – Promotion, Conservation and Awareness</p>
2			शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुरनगर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन</li> <li>2. 06 दिवसीय FDP का आयोजन</li> <li>3. CCOSTI द्वारा दो शोध परियोजनाएं स्वीकृत</li> <li>4. शोध छात्राओं द्वारा 10 शोध पत्र प्रकाशित एवं अन्य प्रकाशनाधीन</li> <li>5. विद्वान वक्ताओं द्वारा व्याख्यान का आयोजन</li> </ol>
3			शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाविद्यालय, बगीचा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IQAC बैठक के माध्यम पाठ्यक्रम पूर्णता, रिजल्ट, कक्षागत प्रक्रियाओं में ICT के प्रयास, अकादमिक कैलेंडर अनुसार गतिविधियों पर चर्चा करते हुए गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास किए गए।</li> <li>2. NEP 2020 अनुसार स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित किया गया है।</li> <li>3. सहायक प्राध्यापक के 6 रिक्त पदों को शासन द्वारा भरा गया है एवं शेष सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था की गई।</li> <li>4. राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है।</li> <li>5. भूतपूर्व छात्र संघ का पंजीयन किया गया है।</li> <li>6. अधिकारियों द्वारा शोध पत्र एवं पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।</li> </ol>

  
अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

4		नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा	IQAC बैठक के माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता, रिजल्ट, कक्षागत प्रक्रियाओं में ICT के प्रयास, अकादमिक कैलेंडर अनुसार गतिविधियों पर चर्चा करते हुए गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास किए गए। NEP 2020 अनुसार छात्र स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित किया गया। 2022 में सहायक प्राध्यापक के 5 रिक्त पदों को शासन द्वारा भरा गया। छात्रकोत्तर स्तर पर एमएससी रसायन का संचालन शुरू किया गया और इस हेतु 1 सहायक प्राध्यापक और 1 प्राध्यापक के नए पद सृजित किए गए। सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था की गई।
5		शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा	लागू नहीं
6		शासकीय नवीन महाविद्यालय, सभ्रा	लागू नहीं
7	कुनकुरी-13	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	निरंक
8		शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	1. गत मूल्यांकन में शोध अनुसन्धान हेतु 0 अंक प्राप्त हुआ था। इस हेतु वर्तमान में 2 सहायक प्राध्यापक एवं 3 अतिथि व्याख्याता शोध कार्य में संलग्न हैं। 2. समितियों का पुनर्गठन कर कार्य में तेजी लायी गयी है। 3. दस्तावेजों का व्यवस्थित संग्रह बनाया गया है। 4. बाउंड्रीवाल हेतु कार्य प्रारंभ हो चुका है। 5. विद्यार्थियों हेतु सायकल स्टैंड की राशी प्राप्त हो चुकी है। 6. ICT कक्ष तैयार कर नियमित कक्षा संचालित की जा रही है।
9		लिखन साय शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	1. अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 2. 06 दिवसीय FDP का आयोजन 3. CCOST द्वारा दो शोध परियोजनाएं स्वीकृत 4. शोध छात्राओं द्वारा 13 शोध पत्र प्रकाशित एवं अन्य प्रकाशनाधीन 5. विद्वान वक्ताओं द्वारा व्याख्यान का आयोजन
10	पत्थलगांव- 14	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	1. पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया

  
अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. मानवाधिकार दिवस पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन।</li> <li>3. जनजातीय संस्कृति साइबर सुरक्षा मिलेट्स का महत्व रिसर्च मेथोडॉलॉजी विषय पर कार्यशाला का आयोजन। विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन।</li> <li>4. अन्य संस्थाओं से विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान का आयोजन।</li> <li>5. प्राध्यापकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन व पेटेंट किया गया है।</li> <li>6. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व करियर मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम का आयोजन।</li> <li>7. राष्ट्रीय महत्व के दिवस में कार्यक्रम व विद्यार्थियों हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन।</li> <li>8. गुणवत्ता बढ़ाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित समितियों का गठन व स्टाफ काउंसिल व IQAC की बैठक का नियमित आयोजन।</li> <li>9. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में पोस्टर प्रदर्शन।</li> </ol>
11		शासकीय नवीन महाविद्यालय, कांसाबेल	लागू नहीं	
12		शासकीय नवीन महाविद्यालय, बागवाहर	लागू नहीं	

  
 अनुभाग अधिकारी  
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

## पारोशेष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2478) की जानकारी

## प्रपत्र- 'अ'

जिला रायगढ़ अंतर्गत सहकारी समितियों में खाद, बीज के मांग, भंडारण (पूर्ति) की जानकारी

क्रमांक	समिति	खाद भण्डारण की जानकारी खरीफ 2024-25 (01-04-2024 से 30-09-2024 तक)				बीज भण्डारण की जानकारी खरीफ 2024-25 (01-04-2024 से 30-09-2024 तक)	
		(मात्रा मी-टन में)				(मात्रा किंटल में)	
		समितियों की मांग	वचत रकम (31-03-2024 पर)	समिति में भण्डारण	कुल भंडारण (पूर्ति)	समितियों की मांग	समिति में भण्डारण (पूर्ति)
1	कोकड़ीतराई	203.83	52.32	177.45	229.77	315.00	315.00
2	तुरेकेला	373.56	30.90	389.90	420.80	480.00	480.00
3	तारापुर	392.81	127.10	361.05	488.15	480.00	480.00
4	धनागर	393.15	15.15	417.20	432.35	510.00	510.00
5	नंदेली	517.23	36.50	526.50	563.00	420.00	420.00
6	चायंग	398.84	17.64	389.15	406.79	420.00	420.00
7	भातपुर	658.46	84.36	602.85	687.21	510.00	510.00
8	कांटाहरदी	399.98	159.13	240.90	400.03	390.00	390.00
9	बंगुरसिया	248.85	10.65	272.60	283.25	135.00	135.00
10	दारपाली	269.95	21.15	248.80	269.95	420.30	420.30
11	जामगांव	288.07	20.04	295.60	315.64	240.00	240.00
12	लोहंग	439.36	28.63	439.15	467.78	537.90	537.90
13	कोड़तराई	516.90	64.00	495.98	559.98	450.00	450.00
14	कछार	348.99	5.22	391.05	396.27	389.70	389.70
15	पुसौर	295.35	0.00	308.60	308.60	462.60	462.60
16	पड़ीगाँव	288.42	30.50	269.40	299.90	345.00	345.00
17	बड़े हल्दी	469.15	0.20	468.95	469.15	300.00	300.00
18	बड़े भंडार	484.10	3.20	532.00	535.20	474.00	474.00
19	गोर्सा	540.14	31.23	540.75	571.98	480.00	480.00
20	नवापारा मांड	409.15	49.57	419.48	469.04	375.00	375.00
21	कोड़तराई	486.02	68.68	471.20	539.88	475.50	475.50
22	तेलिपाली	306.48	23.98	310.00	333.98	270.00	270.00
23	जतरी	292.63	24.98	326.30	351.28	435.00	435.00
24	छिछोर उमरिया	488.20	6.75	483.75	490.50	450.00	450.00
25	तेतला	481.04	31.15	516.20	547.35	459.00	459.00
26	तिलगी	464.90	71.43	420.90	492.33	450.00	450.00
27	कोड़पाली	637.78	11.29	648.50	659.79	450.00	450.00
28	केशला (331)	343.61	60.35	298.75	359.10	375.60	375.60
29	गढ़उमरिया	194.01	17.61	176.40	194.01	300.00	300.00
30	खरसिया	541.78	69.01	509.75	578.76	510.00	510.00
31	हालाहुली	707.86	30.85	699.79	730.64	432.30	432.30
32	बरगढ़	1016.30	29.05	992.74	1021.79	570.00	570.00
33	तुरेकेला	866.16	33.96	832.20	866.16	472.80	472.80
34	चपले	685.00	3.20	682.30	685.50	441.00	441.00
35	वनीपाथर	663.90	38.95	635.55	674.50	495.00	495.00
36	मुरा	674.05	0.15	690.55	690.70	420.00	420.00
37	जैमुरा	725.40	0.70	726.40	727.10	320.10	320.10
38	जोबी	588.35	32.55	556.85	589.40	119.00	119.00
39	फरकानारा	506.35	15.25	494.70	509.95	426.00	426.00
40	खडगाँव	750.07	89.07	683.45	772.52	210.00	210.00
41	धरमजयगढ़	720.90	149.26	574.20	723.46	344.40	344.40
42	सिसरिंगा	504.74	16.18	495.16	511.34	780.00	780.00
43	खम्हार	244.05	0.00	244.05	244.05	360.00	360.00
44	जमारगीडीह	389.05	0.00	389.05	389.05	45.00	45.00
45	खडगाँव	389.55	0.00	389.55	389.55	339.00	339.00

46	गेरसा	371.45	0.00	371.45	371.45	45.00	45.00
47	कुडेकेला	664.04	187.51	521.54	709.05	210.00	210.00
48	छाल	243.52	12.92	232.80	245.72	310.50	310.50
49	कापू	505.69	31.81	491.95	523.76	740.10	740.10
50	घरघोड़ा	317.00	0.00	324.60	324.60	753.60	753.60
51	कुडुमकेला	275.90	0.00	275.90	275.90	225.00	225.00
52	कुर्मीभीना	376.00	4.45	371.55	376.00	243.30	243.30
53	टेंडानवापारा	601.45	20.90	635.10	656.00	355.80	355.80
54	छर्राटांगर	403.60	15.75	400.10	415.85	367.20	367.20
55	तमनार	440.55	29.85	417.40	447.25	835.20	835.20
56	जरेकेला	426.60	14.17	443.35	457.52	750.00	750.00
57	खम्हरिया	182.95	4.90	178.05	182.95	120.00	120.00
58	उरवा	174.40	0.00	174.40	174.40	239.40	239.40
59	धीराभांटा	517.05	29.25	497.60	526.85	738.00	738.00
60	हमीरपुर	259.55	0.00	265.85	265.85	150.00	150.00
61	सराईटोला	574.30	0.00	604.45	604.45	355.50	355.50
62	सराईपाली	312.05	0.55	311.50	312.05	240.00	240.00
63	लैतूंगा	261.95	24.61	247.90	272.51	660.60	660.60
64	राजपुर	188.98	56.57	207.60	264.17	745.20	745.20
65	कोड़ासिया	355.48	83.17	281.05	364.22	790.20	790.20
66	केशला ( 100 )	315.00	10.75	304.25	315.00	331.50	331.50
67	लारीपानी	299.95	41.57	300.60	342.17	447.60	447.60
68	मुकडेगा	130.34	35.27	136.90	172.17	380.90	380.90
69	लिबरा	368.37	14.45	415.75	430.20	477.00	477.00
योग		30170.57	2230.27	29447.27	31677.54	28595.80	28595.80

क्रमांक	समिति	खाद भण्डारण की जानकारी रबी 2024-25 (01-10-2024 से 31-03-2025 तक)				बीज भण्डारण की जानकारी रबी 2024-25 (01-10-2024 से 31-03-2025 तक)	
		(मात्रा मी-टन में)				(मात्रा क्विंटल में)	
		समितियों की मांग	वचत स्कन्थ (30-09-2024 पर )	समिति में भण्डारण	कुल भंडारण (पूर्ति)	समितियों की मांग	समिति में भण्डारण (पूर्ति)
1	कोकड़ीतराई	60.03	25.94	90.33	116.26	70.00	70.00
2	तरेकेला	79.53	47.24	84.15	131.39	81.20	81.20
3	तारापुर	97.88	95.65	90.30	185.95	100.80	100.80
4	धनागर	83.29	39.20	85.50	124.70	81.20	81.20
5	नंदेली	217.84	45.78	210.60	256.38	4.00	4.00
6	दायंग	94.61	7.96	116.80	124.76	0.00	0.00
7	भातपुर	309.65	28.75	330.90	359.65	100.80	100.80
8	कांटाहरदी	127.95	0.05	158.95	159.00	0.00	0.00
9	बंगुरसिया	22.35	35.22	60.15	95.37	0.00	0.00
10	टारपाली	1.29	0.55	60.15	60.70	0.00	0.00
11	जामगांव	20.18	28.25	60.15	88.40	0.00	0.00
12	लोइंग	12.03	28.42	30.15	58.57	0.00	0.00
13	कोड़तराई	237.80	43.08	217.10	260.18	84.40	84.40
14	कछार	107.44	47.28	90.10	137.38	40.00	40.00
15	पुसौर	65.48	13.25	119.30	132.55	101.20	101.20
16	पड़ीगाँव	39.74	11.48	59.63	71.11	0.00	0.00
17	बड़े हल्दी	88.40	0.00	143.10	143.10	40.40	40.40
18	बड़े भंडार	44.90	51.55	59.70	111.25	120.00	120.00
19	गोर्रा	130.85	31.84	148.38	180.22	81.20	81.20
20	नवापारा मांड	177.88	59.89	122.28	182.17	61.20	61.20
21	कोड़ातराई	94.73	53.86	150.45	204.31	60.80	60.80
22	तेलिपाली	56.75	27.50	59.25	86.75	60.80	60.80
23	जतरी	0.00	58.65	29.93	88.58	0.00	0.00
24	छिछोर उमरिया	26.15	2.30	121.58	123.88	100.00	100.00
25	तेतला	119.53	66.31	123.68	189.99	90.80	90.80

26	तिलगी	105.89	27.43	181.95	209.38	80.00	80.00
27	कोड़पाली	51.71	22.01	178.80	200.81	0.00	0.00
28	केशला ( 331 )	14.53	15.49	59.70	75.19	80.80	80.80
29	गढ़उमरिया	49.05	2.65	112.35	115.00	0.00	0.00
30	खरसिया	73.32	36.98	121.50	158.48	84.80	84.80
31	हालाहुली	129.93	22.78	276.25	299.03	70.00	70.00
32	वरगढ़	251.35	5.25	246.10	251.35	20.00	20.00
33	तुरेकेला	178.29	0.00	262.45	262.45	100.00	100.00
34	घपले	0.00	0.00	129.40	129.40	198.40	198.40
35	बनीपाथर	59.83	9.25	135.70	144.95	50.00	50.00
36	मुरा	118.56	16.64	230.95	247.59	100.00	100.00
37	जैसुरा	51.56	1.70	135.40	137.10	0.00	0.00
38	जोवी	47.17	0.00	195.60	195.60	0.00	0.00
39	फरकानारा	33.26	1.15	143.95	145.10	0.00	0.00
40	खडगांव	71.77	18.10	161.20	179.30	0.00	0.00
41	धरमजपगढ़	0.00	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00
42	सिसरिंगा	0.00	6.38	60.15	66.53	0.00	0.00
43	खम्हार	0.00	2.53	30.15	32.68	0.00	0.00
44	जमारभीडीह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	खडगांव	0.00	0.00	30.15	30.15	0.00	0.00
46	गेरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	कुडेकेला	45.01	75.64	136.65	212.29	6.12	6.12
48	छात	0.00	2.20	0.00	2.20	4.00	4.00
49	कापू	0.00	18.07	30.15	48.22	0.00	0.00
50	घरघोड़ा	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00
51	कुडुमकेला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	कुर्मीभीना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	देडानवापारा	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
54	छरटांगर	221.10	12.25	261.30	273.55	0.00	0.00
55	तमनार	0.00	6.70	0.00	6.70	21.20	21.20
56	जरेकेला	0.00	30.92	62.50	93.42	0.00	0.00
57	खम्हरिया	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
58	उरवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	धीराभांटा	0.00	9.80	26.00	35.80	0.00	0.00
60	हमीरपुर	0.00	6.30	50.20	56.50	0.00	0.00
61	सराईटोला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	सराईपाली	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00
63	तैलूंगा	0.00	13.41	30.15	43.56	50.00	50.00
64	राजपुर	0.00	164.19	0.00	164.19	0.00	0.00
65	कोड़ासिया	0.00	67.76	60.30	128.06	0.00	0.00
66	केशला ( 100 )	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00
67	लारीपानी	0.00	52.17	30.15	82.32	0.00	0.00
68	सुकडेगा	0.00	49.65	30.15	79.80	0.00	0.00
69	लिवरा	0.00	73.78	55.15	128.93	0.00	0.00
योग		3818.57	1686.62	6407.42	8094.05	2144.12	2144.12

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

## प्रपत्र-ब'

जिला रायगढ़ अंतर्गत सहकारी समितियों में खाद, बीज के मांग, भंडारण (पूर्ति) की जानकारी

क्रमांक	समिति	खाद भण्डारण की जानकारी खरीफ 2025-26 (01-04-2025 से 30-09-2025 तक)				बीज भण्डारण की जानकारी खरीफ 2025-26 (01-04-2025 से 30-09-2025 तक)	
		(मात्रा मी-टन में)				(मात्रा क्विंटल में)	
		समितियों की मांग	वचत स्कन्ध (31-03-2025 पर)	समिति में भण्डारण	कुल भंडारण (पूर्ति)	समितियों की मांग	समिति में भण्डारण (पूर्ति)
1	कोकड़ीतराई	244.38	56.23	213.30	269.53	330.00	330.00
2	तुरेकेला	369.98	51.86	376.20	428.06	510.00	510.00
3	तारापुर	408.88	87.76	360.75	448.51	510.00	510.00
4	धनागर	356.61	41.41	324.75	366.16	510.00	510.00
5	नंदेली	537.99	38.54	541.50	580.04	471.00	471.00
6	वायंग	399.07	30.15	434.35	464.50	435.00	435.00
7	भातपुर	652.78	50.00	649.10	699.10	460.50	460.50
8	कांटाहरदी	437.24	31.05	427.40	458.45	517.50	517.50
9	बंगुरसिया	246.98	64.45	219.60	284.05	92.70	92.70
10	टारपाली	314.27	60.15	302.10	362.25	381.00	381.00
11	जामगांव	266.10	67.55	234.47	302.01	270.00	270.00
12	लोईंग	430.09	46.54	393.65	440.19	390.00	390.00
13	कोड़तराई	533.63	22.38	536.20	558.58	525.00	525.00
14	कछार	385.20	29.95	382.05	412.00	420.00	420.00
15	पुसीर	301.60	67.07	240.70	307.77	710.10	710.10
16	पड़ीगाँव	262.85	31.37	269.70	301.07	480.00	480.00
17	वड़े हल्दी	416.51	54.70	362.30	417.00	315.00	315.00
18	वड़े भंडार	435.75	65.90	373.50	439.40	540.00	540.00
19	गोर्वा	546.36	49.37	509.33	558.69	419.40	419.40
20	नवापारा मांड	415.74	4.38	418.70	423.08	361.50	361.50
21	कोड़ातराई	458.68	109.58	384.00	493.58	510.00	510.00
22	तेलिपाली	381.65	30.00	367.90	397.90	345.00	345.00
23	जतरी	281.37	55.77	241.05	296.82	399.60	399.60
24	छिछोर उमरिया	422.27	97.74	326.82	424.56	435.00	435.00
25	तेतला	444.11	69.93	396.40	466.33	504.30	504.30
26	तिलगी	392.52	103.29	300.45	403.74	677.40	677.40
27	कोड़पाली	546.86	149.10	419.40	568.50	460.80	460.80
28	केयला ( 331 )	370.26	60.67	314.25	374.92	480.00	480.00
29	गढ़उमरिया	221.70	65.95	176.80	242.75	420.00	420.00
30	खरसिया	568.86	85.16	483.70	568.86	548.10	548.10
31	हालाहुली	730.20	169.10	587.05	756.15	306.00	306.00
32	वरगढ़	918.79	0.00	919.15	919.15	402.00	402.00
33	तुरेकेला	740.06	84.16	666.35	750.51	348.60	348.60
34	चपले	758.90	129.40	634.10	763.50	345.60	345.60
35	वनीपाथर	569.57	87.47	506.95	594.42	360.00	360.00
36	सुरा	611.23	129.03	508.70	637.73	321.00	321.00
37	जैमुरा	719.14	85.34	639.25	724.59	315.00	315.00
38	जोवी	686.55	148.43	554.00	702.43	153.50	153.50
39	फरकानारा	472.44	115.44	362.70	478.14	200.10	200.10
40	खडगाँव	702.94	107.53	595.42	702.95	180.00	180.00
41	धरमजयगढ़	727.92	21.49	725.69	747.17	180.00	180.00
42	सिसरिंगा	501.83	66.53	438.30	504.83	540.00	540.00
43	खम्हार	249.35	32.68	229.30	261.98	249.90	249.90
44	जमारगीडीह	417.55	0.00	417.55	417.55	65.10	65.10

45	खड़गाँव	364.46	30.15	335.90	366.05	262.20	262.20
46	गेरसा	400.65	0.00	400.70	400.70	60.00	60.00
47	कुडेकेला	702.17	167.28	579.65	746.93	201.00	201.00
48	छाल	204.30	2.20	202.50	204.70	217.50	217.50
49	कापू	495.42	48.22	461.35	509.57	395.10	395.10
50	घरघोड़ा	297.85	7.61	311.80	319.41	752.10	752.10
51	कुडुमकेला	215.65	0.00	215.65	215.65	90.00	90.00
52	कुर्मीभीना	194.59	0.00	204.15	204.15	137.70	137.70
53	ढेंडानवापारा	404.26	4.40	400.86	405.26	156.60	156.60
54	छरटांगर	259.64	47.80	314.25	362.05	157.20	157.20
55	तमनार	365.05	6.70	361.35	368.05	498.90	498.90
56	जरेकेला	369.40	93.42	288.30	381.72	523.20	523.20
57	खम्हरिया	105.25	70.00	56.15	126.15	111.00	111.00
58	उरवा	207.05	0.00	207.05	207.05	222.00	222.00
59	धीराभांटा	492.45	34.80	460.65	495.45	413.70	413.70
60	हमीरपुर	272.80	56.50	216.30	272.80	132.90	132.90
61	सराईटोला	349.05	30.15	318.90	349.05	267.00	267.00
62	सराईपाली	304.25	50.40	326.45	376.85	142.00	142.00
63	लैलूगा	285.02	39.02	250.00	289.02	261.90	261.90
64	राजपुर	246.41	67.44	220.60	288.04	383.40	383.40
65	कोड़ासिया	339.15	69.05	270.75	339.80	606.90	606.90
66	केशला ( 100 )	325.30	0.00	325.90	325.90	369.60	369.60
67	लारीपानी	175.45	35.00	140.45	175.45	315.00	315.00
68	मुकडेगा	172.88	69.13	110.90	180.03	240.00	240.00
69	लिबरा	320.56	77.46	248.10	325.56	490.50	490.50
योग		28725.72	3961.26	25993.55	29954.80	24803.10	24803.10

क्रमांक	समिति	खाद भण्डारण की जानकारी रबी 2025-26 (01-10-2025 से 31-01-2026 तक)				बीज भण्डारण की जानकारी रबी 2025-26 (01-10-2025 से 31-01-2026 तक)	
		(मात्रा मी-टन में)				(मात्रा किटल में)	
		समितियों की मांग	वचत स्कन्ध (30-09-2024 पर)	समिति में भण्डारण	कुल भंडारण (पूर्ति)	समितियों की मांग	समिति में भण्डारण (पूर्ति)
1	कोकड़ीतराई	22.16	25.16	0.00	25.16	24.40	50.00
2	तरेकेला	71.76	58.08	60.15	118.23	0.00	24.00
3	तारापुर	0.00	39.64	90.30	129.94	0.00	60.00
4	धनागर	0.00	9.56	120.30	129.86	0.00	80.80
5	नंदेली	136.18	42.05	120.30	162.35	0.00	0.00
6	बायंग	0.00	65.43	60.15	125.58	0.00	0.00
7	भातपुर	138.67	46.32	211.45	257.77	0.00	20.00
8	कांटाहरदी	0.00	21.22	177.45	198.67	0.00	0.00
9	बंगुरसिया	0.00	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00
10	दारपाली	0.85	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00
11	जामगाँव	21.75	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00
12	लोइंग	2.10	10.10	30.15	40.25	0.00	0.00
13	कोइतराई	95.99	24.95	195.45	220.40	0.00	0.00
14	कछार	0.00	26.81	150.45	177.26	0.00	0.00
15	पुसौर	0.00	6.17	65.15	71.32	89.60	89.60
16	पड़ीगाँव	0.00	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00
17	बड़े हल्दी	0.00	0.50	90.30	90.80	20.00	20.00
18	बड़े भंडार	0.00	3.65	30.15	33.80	30.00	30.00
19	गोर्सा	0.00	12.34	120.45	132.79	0.00	120.80
20	नवापारा मांड	0.00	7.34	89.85	97.19	0.00	20.00
21	कोड़ातराई	0.00	34.90	90.30	125.20	0.00	30.00
22	तेसिपाली	0.00	16.25	30.15	46.40	0.00	40.80
23	जतरी	0.00	15.45	30.15	45.60	30.00	30.00
24	छिछोर उमरिया	0.00	2.54	0.00	2.54	10.00	10.00
25	तेतला	52.83	21.07	60.15	81.22	50.00	70.00

26	तिलगी	35.38	11.23	30.15	41.38	7.20	60.00
27	कोड़पाली	0.00	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00
28	केयाला (331)	0.00	8.66	0.00	8.66	30.80	40.00
29	गढ़उमरिया	0.00	21.05	30.15	51.20	0.00	0.00
30	खरसिया	127.75	0.00	145.45	145.45	60.00	60.00
31	हालाहुली	0.00	25.95	0.00	25.95	15.00	70.00
32	बरगढ़	27.90	0.36	30.15	30.51	38.00	48.00
33	तुरेकेला	62.00	10.45	160.35	170.80	3.20	100.00
34	चपले	0.00	4.61	0.00	4.61	30.80	110.00
35	वनीपाथर	0.00	24.86	85.30	110.16	24.00	40.00
36	सुरा	104.95	26.50	90.30	116.80	60.00	60.00
37	जैमुरा	53.80	5.65	55.15	60.80	0.00	0.00
38	जोवी	0.00	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00
39	फरकानारा	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00
40	खडगाँव	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
41	धरमजयगढ़	0.00	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00
42	सिसरिंगा	0.00	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00
43	खम्हार	0.00	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00
44	जमारगीडीह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	खडगाँव	0.00	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00
46	गेरसा	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
47	कुडेकेला	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00
48	छाल	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
49	कापू	0.00	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00
50	घरघोड़ा	0.00	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00
51	कुडुमकेला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	कुर्मीभीना	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00
53	टेंडानवापारा	0.00	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00
54	छर्टांगर	36.15	122.41	120.30	242.71	0.00	0.00
55	तमनार	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00
56	जरेकेला	0.00	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00
57	खम्हरिया	0.00	98.40	30.00	128.40	0.00	0.00
58	उरवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	धीराभांटा	0.00	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00
60	हमीरपुर	0.00	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00
61	सराईटोला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	सराईपाली	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00
63	लैलूंगा	0.00	3.12	0.00	3.12	46.00	51.20
64	राजपुर	0.00	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00
65	कोड़ासिया	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00
66	केयाला (100)	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
67	लारीपानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	मुकडेगा	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00
69	लिवरा	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00
योग		990.21	1543.36	2600.10	4143.46	569.00	1335.20

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सहकारिता विभाग

## परिशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 2482) की जानकारी

प्रपत्र

## गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में शामिल योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	कार्य/योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का क्र. एवं दिनांक	निविदा आमंत्रण की तिथि	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत	निविदा की स्थिति	कारण
1	2	3	4	5	6	7
<b>वित्तीय वर्ष 2024-25</b>						
1	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही अंतर्गत गहिरा नवागांव डायवसेन नहर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य	-	-	-	-	-
2	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के खरसुल जलाशय योजना के शीषे कार्य एवं नहर का रिमाडलिंग, लाईनिंग तथा पक्के कार्यों का मरम्मत कार्य	-	-	-	-	-
3	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के बघेलीभीठा जलाशय योजना के शीषे कार्य एवं नहर का रिमाडलिंग, लाईनिंग तथा पक्के कार्यों का मरम्मत कार्य	-	-	-	-	-
4	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के काड़ेवा जलाशय का लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य	-	-	-	-	-
5	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के कैवट नवागांव जलाशय का लाईनिंग जीर्णोद्धार कार्य	-	-	-	-	-
6	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के परना जलाशय का लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य	-	-	-	-	-
7	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के देवरी देवसरा जलाशय के शीषे कार्य एवं नहर का रिमाडलिंग, लाईनिंग तथा पक्के कार्यों का मरम्मत कार्य	-	-	-	-	-
8	बालोद जिले के कार्यालय खरखरा माहंदीपाट नहर परियोजना उपसंभाग क्र. 2, अर्जुन्दा का नवीन कार्यालय भवन एवं शासकीय आवास का निर्माण	-	-	-	-	-
9	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के बासीन जलाशय का वस्त वियर गेट एवं केनाल स्टक्वर रिपेयरिंग तथा केनाल लाईनिंग का कार्य	-	-	-	-	-
10	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के बारी व्यपवतन शीषे एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य	-	-	-	-	-
11	बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के कादुल व्यपवतन शीषे एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य	3251/23-08-2024	14-10-2024	पूर्ण	-	-
12	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम भिलाई में उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण	-	-	-	-	-
13	बालोद जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत जेवरतला के मुड़पार ग्राम में स्टापडेम निर्माण	-	-	-	-	-
14	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के मटिया-मटवा स्टापडेम कम काजवे निर्माण कार्य	-	-	-	-	-
15	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत कादुल अंतर्गत नवीन हाट बाजार के समीप नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य	3665/13-08-2025	29-05-2025	पूर्ण	-	-
16	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के डुड़िया नाला अर्जुन्दा पर स्टापडेम का निर्माण कार्य	-	-	-	-	-
17	बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड अंतर्गत चोरिल-पैरी स्टापडेम कम रपटा मरम्मत एवं 2 फीट ऊंचाई बढ़ाने का कार्य	-	-	-	-	-

स.क्र.	कार्य/योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का क्र. एवं दिनांक	निविदा आमंत्रण की तिथि	पूर्ण/अपूर्ण/प्रतिरत	निविदा की स्थिति	कारण
1	2	3	4	5	6	7
18	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के अरोद से कमरोद एनीकट कम काजवे का निर्माण कार्य	-	-	-	-	-
19	बालोद जिले के खरखरा मोहदीपाट मध्यम परियोजना के कसही वितरक नहर के लासाटोला उपवितरक नहर, बासीन माईनर, सनौद माईनर, डण्डेरा माईनर, कादुल माईनर क्र- 1 रिमाडलिंग एवं लाईनिंग तथा 5 नग व्ही-आर-बी, इनलेट/आउटलेट कार्य	-	-	-	-	-
20	बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही के रूदा व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य, नहर मरम्मत एवं स्ट्रक्चर (पक्के कार्य) तथा लाईनिंग कार्य	-	-	-	-	-
21	खपरी मध्यम परियोजना जलाशय का गहरोकरण एवं जीणोद्वार कार्य	-	-	-	-	-
22	खपरी जलाशय के उलट में आर.सोसो, रपटा निर्माण कार्य	-	-	-	-	-
<b>वित्तीय वर्ष 2025-26</b>						
1	बालोद जिले के खरखरा मोहदीपाट में भीमकन्हार उद्ग्रहन सिंचाई योजना	-	-	-	-	-
2	बालोद जिले के तांदुला परियोजना अंतर्गत सकरोद वितरक नहर के नाहंदा माईनर, डीकोडीह माईनर, सुखरी माईनर, भदरा माईनर का रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं पक्के कार्यों का उन्नयन कार्य	-	-	-	-	-
3	ग्राम मारीदेवरी में खरखरा नदी के बांयो आर शीतला मंदिर के पास घाट एवं तटबंध निर्माण कार्य	-	-	-	-	-
4	देवरीनाला पर रपटा कम एनीकट का निर्माण थाने के पास	-	-	-	-	-
5	मारीदेवरी लोकलनाला पर रपटा कम एनीकट का निर्माण	-	-	-	-	-
6	खरा-परसुली एनीकट	-	-	-	-	-
7	बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड में भन्दरानाला पर एनीकट का निर्माण	367/19-01-2026	-	-	01	तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

Digitally signed by  
VIDYA BHARTI  
Date: 10-03-2026  
15:13:36

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

## पारिशेष्य - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 2487) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	न्यायालय	नामांतरण	बंटवारा	डायवर्सन	अभिलेख सुधार	योग
1	न्याया.तह. चन्द्रपुर	2160	282	0	47	2489
2	न्याया.तह.डभरा	721	223	0	716	1660
3	न्याया.अ.वि.अ. (रा.) डभरा	98	0	171	305	574
4	न्याया.तह.मालखरौदा	330	165	0	58	553
5	न्याया.तह.अड़भार	450	103	0	213	766
6	न्याया.अ.वि.अ. (रा.) मालखरौदा	0	0	161	51	212
	<b>योग</b>	<b>3759</b>	<b>773</b>	<b>332</b>	<b>1390</b>	<b>6254</b>

*[Handwritten Signature]*  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अदल नगर



## पारिशेष्य - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 2502) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुंद जिला में 01 जनवरी 2025 से 18 फरवरी 2026 की अवधि में विद्युत ट्रांसफार्मर की मांग एवं उपलब्धता की जानकारी

क्रमांक	संभाग का नाम	माह	उपभोक्ताओ/कृषकों द्वारा जिले में ट्रांसफार्मर की मांग के विरुद्ध		माह में उपलब्ध कराये गये ट्रांसफार्मर	
			पॉवर ट्रांसफार्मर	वितरण ट्रांसफार्मर	पॉवर ट्रांसफार्मर	वितरण ट्रांसफार्मर
1	2	3	4	5	6	7
1	महासमुन्द	जनवरी 2025	निरंक	21	निरंक	1
2		फरवरी 2025	निरंक	23	निरंक	17
3		मार्च 2025	निरंक	48	निरंक	28
4		अप्रैल 2025	निरंक	9	निरंक	14
5		मई 2025	निरंक	18	निरंक	24
6		जून 2025	निरंक	25	निरंक	9
7		जुलाई 2025	निरंक	15	निरंक	21
8		अगस्त 2025	निरंक	13	निरंक	6
9		सितम्बर 2025	निरंक	26	निरंक	5
10		अक्टूबर 2025	निरंक	19	निरंक	17
11		नवम्बर 2025	निरंक	23	निरंक	16
12		दिसम्बर 2025	निरंक	17	निरंक	10
13		जनवरी 2026	निरंक	12	निरंक	13
14		18 फरवरी 2026	निरंक	9	निरंक	25
15	सरायपाली	जनवरी 2025	निरंक	27	निरंक	2
16		फरवरी 2025	निरंक	2	निरंक	1
17		मार्च 2025	निरंक	20	निरंक	6
18		अप्रैल 2025	निरंक	17	निरंक	6
19		मई 2025	निरंक	3	निरंक	4
20		जून 2025	निरंक	10	निरंक	7
21		जुलाई 2025	निरंक	9	निरंक	8
22		अगस्त 2025	निरंक	5	निरंक	5
23		सितम्बर 2025	निरंक	8	निरंक	4
24		अक्टूबर 2025	निरंक	6	निरंक	3

उप सचिव  
जनसंचार, उर्जा विभाग  
मंत्रालय, नया दिल्ली

25		नवम्बर 2025	निरंक	4	निरंक	2	
26		दिसम्बर 2025	निरंक	3	निरंक	1	
27		जनवरी 2026	निरंक	2	निरंक	2	
28		18 फरवरी 2026	निरंक	3	निरंक	3	
29	पिथौरा	जनवरी 2025	निरंक	3	निरंक	3	
30		फरवरी 2025	निरंक	18	निरंक	2	
31		मार्च 2025	निरंक	21	निरंक	3	
32		अप्रैल 2025	निरंक	2	निरंक	2	
33		मई 2025	निरंक	13	निरंक	2	
34		जून 2025	निरंक	5	निरंक	4	
35		जुलाई 2025	निरंक	22	निरंक	3	
36		अगस्त 2025	निरंक	4	निरंक	2	
37		सितम्बर 2025	निरंक	5	निरंक	0	
38		अक्टूबर 2025	निरंक	2	निरंक	0	
39		नवम्बर 2025	निरंक	2	निरंक	1	
40		दिसम्बर 2025	निरंक	11	निरंक	2	
41		जनवरी 2026	निरंक	3	निरंक	2	
42		18 फरवरी 2026	निरंक	6	निरंक	0	
कुल योग				514		286	

  
 उप परिषद  
 छात्रोत्सव, लखनऊ, उत्तरांचल प्रदेश  
 मंत्रालय, भव्या रायपुर अटल नगर

## पारोशिए - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 2530) की जानकारी

प्रप्र

भू-अभिलेख कर्मचारियों के लिए राजस्व भू-आपन  
(केडस्ट्रल सर्वे) पर अनुदेश

भूमिका -- वर्तमान भू-मानन थियोडोलाइट और अन्य तरीकों से निश्चित किए गए नियंत्रण बिंदुओं के आधार पर स्थानीय पटवारियों द्वारा किया गया था। थियोडोलाइट व अन्य पद्धति से ग्राम सीमा व उनके भीतर कतिपय स्थान, तिगड़े, रेखामापन चिन्ह या उप-रेखामापन (सब-ट्रवर्स) चिन्हों (जो आमतौर पर तिगड़े चांदे या शिखमी चांदे के रूप में जाने जाते हैं) द्वारा चिन्हित कर दिए जाते हैं, जिनकी सहायता से पटवारी खेत की सीमा आदि का विस्तृत भू-मानन करता है, किन्तु खेतों को आपस में मिला देने या विभाजित कर देने के कारण पहले की स्थिति (विस्तृत भू-मानन) में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। औसत ग्राम परिमिति में लगभग डेढ़ वर्गमील क्षेत्र आता है तथा सीमाओं पर या उनके पास लगभग 50 चिन्ह (स्टेशन) तथा ग्राम क्षेत्र के भीतर उप-रेखामापन (सब-ट्रवर्स) स्टेशन (शिखमी चांदे) चिन्ह भी रहते हैं। नक्शे पर उन चिन्हों को अंकित किया जाता है। नक्शों पर बाद का काम क्षेत्र का विस्तृत भू-मानन यह मानकर किया जाता है कि वह भू-तल, जिसका भू-मानन किया जाना है, समतल है और सभी क्षेत्रों का माप क्षैतिज समतल पर लिया जाता है। ग्राम परिमिति के रेखा-मानन में प्रत्येक ग्राम की सीमाओं के साथ एक चांदे से दूसरे चांद तक अनेक सीधी रेखाएं रहती हैं। इस प्रकार तैयार किए गए सभी नक्शों में रेखा-मानन का मूल अंकन ठीक उत्तर दिशा की ओर से किया जाता है।

ऐसा रेखा-मानन क्षेत्र या शीट दिए जाने पर, जिसमें केवल ग्राम परिमिति के बहुभुज और रेखा-मानन चिन्ह (स्टेशन) दर्शाए गए हों, भू-मापक (पटवारी) एक रेखा-मानन चिन्ह से दूसरे रेखा-मानन चिन्ह तक या उनके बीच के चिन्हों (स्थानों) से अपनी जरीब डालेगा जैसा कि आगे बताया गया है और क्षेत्र-पुस्तक में पार की गई सीमाएं, वृक्ष या जरीब-लाइन के प्रत्येक ओर की निर्धारित दूरी के भीतर आनेवाली अन्य विशेषताएँ लिखेगा जहाँ तक कि समकोण नापने के उपकरण से लम्ब (ऑफ-सेट्स) डाले जाते हैं, इन मापों की स्थिति बाद में नक्शे पर मापमान (स्केल) पर और पक्कार से अंकित की जाती है।

टीप : — बन्द रेखा-मान एक ऐसा मार्ग है, जो विभिन्न लम्बाई की रेखाओं के साथ गोलाकार मार्ग द्वारा एक स्थान से आरम्भ होकर उसी स्थान पर समाप्त होता है।


3. ऊपर समझाई गई बातों से यह सहज ही स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी रेखा-मान चिन्हों (स्टेशनों) (ग्राम तिगड़ों सहित) और उप-रेखामापन चिन्हों (सब-ट्रवर्स स्टेशनों) को भूमि पर उनकी मूल स्थिति में हमेशा सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाए क्योंकि सभी क्षेत्र-सीमाओं के भू-मान या उनमें किए गए परिवर्तनों की शुद्धता उन्हीं पर आधारित होती है। जिन जिलों में चांदे थियोडोलाइट रेखा-नापन द्वारा निर्धारित किए गए हों, वहाँ उन्हें अच्छी हालत में सुरक्षित रखना जिला कर्मचारियों का एक कर्तव्य है। असावधानी से या अन्य कारणवश चांदों के गुम जाने के कारण थियोडोलाइट की सहायता से भू-मानन दल द्वारा पुनः रेखा-मानन बहुत महँगा पड़ता है क्योंकि ऐसे दल की प्रतिनियुक्ति में बहुत व्यय होता है।

4. खोये हुए या गलत चांदों को दो अन्य चांदों की सहायता से निश्चित करना — जब कोई रेखा-मान चिन्ह खोया हुआ हो तथा उसकी स्थिति नक्शे में सुधार करने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक हो तब उसे सामान्यतया कटान द्वारा अर्थात् दो अन्य रेखा-मान चिन्हों पर आधारित त्रिभुज के शीर्ष बिन्दु पर निश्चित नहीं करना चाहिए। सही तरीका यह है कि खोए हुए रेखा-मान चिन्ह के दोनों ओर एक-एक रेखा-मान चिन्ह चुने जाएँ, जिनके बीच की रेखा नक्शे में दर्शित हुए खोए हुए चांदे की मूल स्थिति के पास से (अर्थात् कुछ गजों के अन्तर में) गुजरेगी। नक्शे के चांदे के आधार पर यह सुनिश्चित करने के बाद कि भूमि पर चुने गए दूसरे दो चिन्हों के समकोणों पर खोया हुआ चांदा कितनी दूर होगा, उस बिन्दु तक तत्स्थानी दूरी को जरीब से नापकर समकोण नापने के यंत्र से लम्ब डालना और अपेक्षित दूरी नापना सरल होगा जहाँ कि चांदा लगाया जा सकेगा। फिर भी नक्शे के अनुसार जरीब नाप की परिशुद्धता जानने के लिए जरीब लाइन को आगे के चिन्ह या चांदे तक बढ़ाना आवश्यक है।

5. यदि भूमि पर पहले से ही विद्यमान चांदे के सही होने के बारे में सन्देह हो, तो उपर्युक्त तरीके से उसकी जाँच निस्संदेह की जा सकती है। जब जरीब लाइन रेखा-मान चिन्हों की स्थिति निर्धारित करने (या जाँच) के लिए डाली जाएँ, तब जब भी सम्भव हो, बाद के स्थिति अंकन (प्लॉटिंग) के लिए क्षेत्र पुस्तक में उन पर के कटान या साफ सेट (लम्ब) सामान्य रूप से ही अंकित कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह बहुत समय बच जाता है।

6. चांदों का प्रतिस्थापन — खोए या गलत चांदों की स्थिति निश्चित करते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि उस समय दर्शाए गए सभी स्थानों पर स्थायी रूप से दूसरे चिन्ह लगाए जा सकें। यदि यह कार्य स्थगित किया जाता रहा तो न केवल इस कार्य के लिए लगा समय ही व्यर्थ जाएगा, बल्कि यह खतरा भी पैदा हो सकता है कि बाद में लगाए गए चांदे गलत स्थान पर लगा दिए जाएँ। यदि पटवारी खोए हुए या गलत चांदे फिर से न लगा पाए, तो राजस्व निरीक्षक स्वयं इस कार्य को करेंगे। स्वयं नक्शे में दर्शाए गए चांदे किसी भी दशा में स्थल के अनुसार ही सुधारे जाएंगे।

7. पड़ताल — सभी नए भू-मानों में निरीक्षक को ग्राम की प्रत्येक शीट में एक या अधिक पड़ताल रेखाएं (जाँच रेखा) बिना किसी अपवाद के चलना चाहिए और उस प्रकार, भीतरी खेतों के कम-से-कम दसवें भाग का परीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक ग्राम के आधार एक पक्की या लम्बी पड़ताल रेखा डाली जानी चाहिए। जबकि ग्राम के विभिन्न भागों में जहाँ कि सुधार-कार्य किया जा चुका हो। या छोटी पड़ताल लाइनें डाली जाना हों, तब प्रत्येक ग्राम के अनुसार एक पक्की या कच्ची पड़ताल रेखा डाली जानी चाहिए। पक्की (या प्राथमिक) पड़ताल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक स्थापन चिन्ह (स्टेशन) या रेखा-मापन चिन्ह (डार्क लाइन) से दूसरे भू-मापन चिन्ह (स्टेशन) तक या दो स्थापन चिन्हों (स्टेशनों) के बीच की रेखा-मापन रेखा (डार्क लाइन) के किसी बिन्दु तक डाली जाती हैं। कच्ची (या गौण) पड़ताल रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनके एक या दोनों सिरो पर स्थापन चिन्ह (स्टेशन) या रेखा-मापन चिन्ह (डार्क लाइन) के अतिरिक्त किसी एक बिन्दु पर खेती की सीमांकन रेखाओं या खेतों के किनारों के रूप में मिलान होती हैं। इस तरह बने दोनों बिन्दुओं की परिशुद्धता की जांच कर ली जानी चाहिए। कच्ची पड़तालें कम होनी चाहिए और केवल निरीक्षण अधिकारी द्वारा डाली जानी चाहिए ताकि जाँच के दौरान में एक रेखा से जाँचने में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समय लगे। यदि

  
अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

किसी विशेष स्थान पर पड़ताल करने के लिए समय के चंदे उपलब्ध हों। यदि व्यवस्थापत्र द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः सही हो, तो कच्ची पड़ताल से सामान्यतः उसकी परिशुद्धता सिद्ध हो जायेगी, किन्तु यदि कार्य सही नहीं हो, तो निरीक्षक द्वारा कच्ची पड़तालों पर लगाया गया निरीक्षण बेकार हो जायेगा। गलत स्थितियों का पता आसानी से हो जायेगा और उनके आधार पर किया गया स्थितिक-अंकन (प्लॉटिंग) हो जायेगा। अतः कच्ची पड़तालों को निरीक्षण के लिए अपनाई जानी चाहिए, जबकि ऊपर बताए अनुसार ग्राम के विभिन्न भागों में गहन जाँच करने के लिए पक्की उपाययोजनाएं की जानी चाहिए। पटवारियों को किसी भी स्थिति में उनके काम के लिए नक्शों में सुधार करने के लिये कच्ची रेखाएं डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, चूँकि नीचे पैराग्राफ 36 में दी गई विशेष परिस्थितियों में त्रिभुज बनाने की अनुमति दी गई है। क्षेत्र के अंदर के विस्तार भरने के लिए इस नियम का अपवाद पैराग्राफ 56 में दिया गया है, जिसकी सीमाओं में नियमानुसार पहले ही सुधार किया जा चुका हो।

8. प्रभारी अधिकारी या अधीक्षक या सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि वह अपनी पड़ताल का कुछ हिस्सा निरीक्षक की देखरेख तक सीमित रखे और यह देखे कि कार्य सही है या नहीं। क्योंकि यह एक साफ बात है कि यदि निरीक्षक अपना काम ढंग से करेंगे तो भू-मापन कार्य निस्संदेह अच्छा होगा।

9. ऐसी स्थिति को छोड़कर जबकि कार्य इतने निचले दर्जे का पाया जाए कि उसे फिर से करना आवश्यक प्रतीत हो, तो जहां तक संभव हो गलतियों का सुधार-स्थल पर ही किया जाना चाहिए। निचले दर्जे का कार्य होने की स्थिति में पेंसिल से किया गया कार्य मिटा देना चाहिए और शीट आवश्यक पुनर्मापन के लिए वापस कर दी जानी चाहिए।

10. जाँच के लिए अभिमत पड़ताल रेखाएं सावधानीपूर्वक चुनी जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वे सदैव एक रेखा-मापन चिन्ह से दूसरे रेखामापन चिन्ह तक ही डाली जाएं। वे खेतों तक ही सीमित रह सकती हैं, वे एक स्थापन चिन्ह से अन्य रेखामापन चिन्ह के बीच की रेखा पर किसी ज्ञात बिन्दु तक भी डाली जा सकती हैं। भा.प्र. में शीट की पार्श्व (मार्जिन) रेखा के साथ पड़ताल रेखा चलाना वांछनीय है; क्योंकि ऐसे ग्राम के मामलों में, जिनमें दो या अधिक शीटें आती हैं, पार्श्व पर बहुत गलतियां हो जाती हैं। कर्मचारियों को यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि पड़तालों जहां तक संभव हो, स्थापन चिन्हों से ही शुरू व समाप्त होनी चाहिए। पड़ताल चुनते समय ध्यान में रखने योग्य सबसे मुख्य बात यह है कि पड़ताल रेखा ऐसी हो कि कम-से-कम दूरी चलने से इलाके (विशेष रूप से खेतों की सीमाएं और कटान) की विशेषताओं की अधिक से अधिक पड़ताल हो सके। नियम: पड़ताल में जब समकोण मापने के यंत्र से समकोण बनाए जाएं तब दायीं और बायीं ओर की सभी विशेषताओं दो या तीन जरीब में आ जानी चाहिए तथा सभी माप-क्षेत्र पुस्तकों में नियमित रूप से दर्ज किए जाने चाहिए। जब खेती जरीब के भीतर तक जाती हो, तब आवश्यक होने पर लांब (ऑफसेट) दस जरीब तक लिए जा सकते हैं, ताकि वृक्षों को काटना न पड़े।

11. नियमतः जहाँ संभव हो, पड़ताल रेखाओं का स्थिति-अंकन उसी दिन किया जाना चाहिए, जिस दिन वे चली जाती हैं। ताकि यदि कोई भूल हो तो वह तत्काल पटवारियों को बतलाई जा सके। यदि किसी कारणवश स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) उसी दिन नहीं किया जा सके तो अधिक से अधिक यह कार्य दूसरे दिन किया जाना चाहिए। स्थिति-अंकन का कार्य एक साथ बहुत दिनों के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस बीच वह पटवारी, जिसे शीटें वापस की जाएं, पाई गई गलतियां स्वयं सुधार सकता है और भू-नाप की विश्वसनीयता के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। इस प्रकार, निरीक्षण का मूल प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।

12. विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा चली पड़ताल रेखाएं नक्शे पर खींची जाना चाहिए और जमीन पर नापी गई दूरी तथा नक्शे पर दूरी में पाए गए भेदों को इस प्रकार 15.30 | 15.25 अभिलिखित करते हुए निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, पद, नाम और दिनांक के साथ चली गई रेखा की दिशा दो इंच लंबे तीर द्वारा दर्शानी चाहिए।

13. पड़ताल रेखाएं चलने के प्रयोजनों से दो बिन्दुओं के बीच एक सीध में झंडियां लगाने का काम सामान्यतः जरीब-मापन के पूर्व किया जाना चाहिए। जब आगे के बिन्दु पर लगाई गई झंडी दिखाई न देती हो तो पटवारियों को मध्यवर्ती झंडियां लगाने के लिए किसी भी स्थिति में रखवा (क्रास स्टाफ) का उपयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम बहुत गलत निकलता है। दो दूर के बिन्दुओं के बीच एक सीध में झंडियां लगाने का सही तरीका यह है कि दो व्यक्तियों को उस मध्यवर्ती बिन्दु पर भेज दिया जाए, जहाँ झंडी लगाई जाना हो, वे एक दूसरे से 50-60 कदम के फासले पर खड़े रहें। उनमें से प्रत्येक को एक-दूसरे के सिर के ऊपर से झंडी को देखना चाहिए और एक-दूसरे को दाएं या बाएं हटने के लिए तब तक कहना चाहिए जब तक कि वे दोनों दूसरी झंडी की सीध में न आ जाएं। अधिक परिशुद्धता के लिए वे झंडों के डंडे पकड़े रहें, इनमें से एक झंडी वाला डंडा ऐसा होगा जो भूमि में गाड़ा जा सकता है। किन्तु जब जरीब रेखा के सिरों पर की झंडियों को देखा जाना कठिन हो तब तीन या अधिक व्यक्तियों को इस कार्य पर ऊपर बतलाए अनुसार लगाया जा सकता है जब तक कि वे बिल्कुल एक ही रेखा में न आ जाएं।

14. वृक्षों की बेकार कटाई से बचने के लिए मध्यवर्ती झंडियां बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि बहुत संभव है कि कुछ डालों को काटकर आगे-पीछे दोनों ओर की झंडियां देखी जा सकती हैं तथा एक बड़े वृक्ष के पास ऊपर बतलाए गए तरीके से लगाई गई झंडी से यह कार्य सही ढंग से किया जा सकता है। घने वृक्षों वाले इलाके में दो कठिन बिन्दुओं को एक सीध में लाते समय झंडियां कई बार अधिक उपयोगी नहीं होती और ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो दिन में सूर्य किरणों को प्रतिबिम्बित करने के लिए आईनों का उपयोग करना या रात को लालटेन का उपयोग करना ही ठीक होगा, क्योंकि झंडियों की अपेक्षा प्रकाश सदैव ही पत्तों के गुच्छों के पार अधिक सरलता से देखा जा सकता है।

15. प्रशिक्षित भू-नापकों को एक निश्चित बिन्दु, जैसे चांदा या दो चांदों के बीच की सीधी रेखा पर स्थित किसी बिन्दु से पीछे की झंडियों द्वारा आगे के अपेक्षित बिन्दु के पास तक जरीब रेखा डालने की अनुमति दी जा सकती है। जैसे-जैसे जरीब आगे बढ़ाई जाए, वैसे-वैसे मध्यवर्ती झंडियां लगाई जाएं और पीछे छोड़ी गई झंडी द्वारा काफी सावधानी पूर्वक सीधी मिलाई जाए। बधाई गई रेखा सदैव ही दो अन्य रेखामापन चिन्हों के बीच की रेखा पर स्थित बिन्दु 'क' पर समाप्त होनी चाहिए। इस बिन्दु पर पहुँचने पर अपेक्षित रेखा का लगभग अंतिम हिस्सा भूमि पर सावधानीपूर्वक अंकित किया जाता है। कटाव के ठीक-ठीक बिन्दु को दो समीपवर्ती चांदों के बीच की रेखा पर खड़ा लांब लेकर भी निश्चित किया जाता है तथा रेखा इस तरह बढ़ाई जाती है कि वह भूमि पर उसे काट सके। इसके बाद

पहले नक्शे पर त्रुटि रेखा पर कटाव बिन्दु अंकित करना और वहां से अपेक्षित पड़ताल रेखा मूल प्रारंभ बिन्दु तक खींचना सरल होगा। पड़ताल लाइन समाप्ति के स्थान ठीक-ठीक निश्चित करने के लिए किसी चांदे से प्रारंभ करना लगभग सदैव ही संभव है; अन्यथा इसके लिए तीन पृथक रेखाओं से जरीब डालना आवश्यक होगा। इस प्रकार जब लांबे बढ़ाए जाने पर स्थल पर नापी गई दूरी व नक्शे पर पाई गई दूरी (एक प्रतिशत के भीतर) मिल जाने से यह सिद्ध हो जाएगा कि सीध मिलाने का काम पर्याप्त रूप से सही हुआ है या नहीं। इस तरीके से दो लाभ हैं - एक तो इससे समय की बचत होती है क्योंकि एक सीध में झंडियां लगाने का प्रारंभिक कार्य नहीं करना पड़ता और लगाई गई झंडियां एक-दूसरे के पास रहने के कारण रेखा को अधिक साफ-सफाई करने से बचा जा सकता है, जो कि पहले-पहले साधारण तरीके से झंडियां एक सीध में लगाए जाने की स्थिति में आवश्यक होता है।

16. गोटा अथवा भूमि पर जरीब रेखा के हिस्से यदि पटवारी भू-मापन के साथ-साथ भूमि पर अपनी जरीब लाइन पर प्रत्येक पाँचवीं और दसवीं जरीब दर्शाता हुआ चिन्ह या गोटा बनाता चले तो इससे उसके कार्य में काफी सहायता मिलेगी। यह कार्य हमेशा निम्नानुसार किया जाना चाहिए :- छोटे फावड़ा या उसी प्रकार के किसी अन्य औजार से ऐसे स्थानों के चारों ओर जहाँ कि प्रत्येक पाँचवीं जरीब पूरी होती है, गोलाकार 6 इंच गहरी और ढाई फुट व्यास का चिन्ह या गड्ढा बना दिया जाना चाहिए। प्रत्येक दसवीं जरीब पर (10, 20, 30 आदि) दो छोटी लाइनें घेरे के दोनों ओर भूमि पर खोद दी जानी चाहिए जिससे कि जरीब लाइन की दिशा बतलाई जा सके। ये चिन्ह खण्ड के भीतरी भागों में बाद में किए जानेवाले कामों के लिए एक कर्ण से दूसरे कर्ण तक आपार शिकमी लाइन खींचने के लिए बिन्दु का काम देते हैं। चूँकि नक्शे पर स्थिति अंकित करते समय (पैरा 28) तदस्थानी चिन्ह पेंसिल से लगाए जाएंगे। अतः अपेक्षित किसी विशेष इलाके की जाँच के लिए कतिपय क्षेत्रों में निर्दिष्ट गोटों का चयन करना सरल होता है, जहाँ कि झंडियां गाड़ी जा सकती हैं और जिनके बीच शिकमी लाइनें डाली जा सकती हैं। यह प्रयोग नए भू-मापकों या बड़े पैमाने पर नक्शा-सुधार के संबंध में विशेष रूप से लागू होता है।

17. अनुपात अधिकतम त्रुटि — नक्शा सुधार कार्य के लिए लाइनों डालकर किए जाने वाले मापन-कार्य में अनुपात अधिकतम त्रुटि-सीमा एक प्रतिशत है, अर्थात् यदि वास्तविक माप द्वारा जरीब लाइन नक्शे पर इस अनुपात से अधिक या कम हो जाए, तो यह समझना चाहिए कि कोई स्पष्ट भूल हो गई है और स्थिति अंकन (प्लॉटिंग) न कर त्रुटि का पता लगाया जाना चाहिए। यह त्रुटि अक्सर अनुभवी जरीब वालों द्वारा माप करने वाले जरीब वालों तक सूचना पहुँचाने में होती है, जो कि पूरी लाइन को फिर से माप कर ही ठीक तरह से सुधारी जा सकती है। अतः भू-मापक को कार्यरत जरीब वालों पर पूरी-पूरी नजर रखनी चाहिए। जरीब में भी गड़बड़ी हो सकती है और यदि हाल ही में उसकी जाँच न की गई हो तो उसकी जाँच की जानी चाहिए। कभी-कभी त्रुटि ट्रावर्स स्टेशन के स्थान परिवर्तन के कारण भी होती है, जिसे आरम्भ के या अन्त के (या दोनों) बिन्दुओं के समीपवर्ती अन्य ट्रावर्स बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए (पैराग्राफ 4 और 5 में बतलाए गए तरीके से) जाँच कर सुधारा जा सकता है। बंदोबस्त नक्शों की तुलना प्रति से तुलना करने पर सामान्यतः यह पता लग जाता है कि क्या त्रुटि अवश करने के कपड़े (ट्रेसिंग क्लॉथ) पर बने नक्शों को फैलाने के कारण हुई है। तथापि पटवारियों के काम के लिए दिए गए चालू नक्शे अब कपड़े पर चिपकाए गए वर्गीकर कागज (स्केलेवर शीट) की शीटों पर चिपकाकर किए जाते हैं, ताकि इस तरीके से होनेवाली त्रुटि बहुत पहले ही समाप्त की जा सके।

18. जरीब — सामान्यतः गुंथ जरीब का उपयोग किया जाता है, जो कि 66 फुट लम्बी होती है और जिसमें 100 कड़ियां होती हैं, इस प्रकार प्रत्येक कड़ी 96।100 फुट या 7.92 इंच के बराबर होती है। इस जरीब का उपयोग विशेष रूप से बंदोबस्त प्रयोजनों में किया जाता है। इसके उपयोग से क्षेत्रफल लगाना में सुविधा होती है क्योंकि 10 वर्ग जरीब एक एकड़ के बराबर होती है। तथापि कुछ अन्य जरीबें भी होती हैं जो कि 750 फुट, 821 फुट, 731 फुट लम्बी होती हैं और जिनका उपयोग राज्य के कुछ भागों में किया जाता है। ये सभी जरीबें भी 100 कड़ियों की होती हैं और क्षेत्रफल की गणना विभिन्न माप के बीघों में की जाती है। मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण अब उपयोग में लाई जानेवाली जरीब 20 मीटर की होती है और वह भी 100 कड़ियों की होती है तथा क्षेत्रफल गणना हेक्टेयर तथा एकड़ों में की जाती है।

19. जरीबों में त्रुटियां होने की संभावना — जरीब में (1) अपने आप में और (2) उसके उपयोग करने तथा खूंटों के सहारे उसे जमीन पर लगाने के तरीके में कई त्रुटियां हो सकती हैं। यदि जरीब को बहुत अधिक खींचा जाए तो कड़ियों के बीच के छल्ले खुल जाएंगे और जरीब बहुत अधिक लम्बी हो जाएगी और खूंटे (जमीन में सीधे गड़े रहने के बजाय) झुक जाएंगे और इस प्रकार नापी गई लाइन अपनी वास्तविक लम्बाई से कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि जरीब पर्याप्त न खींची जाए या वह पर्याप्त लम्बी न हो तो नापी गई लम्बाई वास्तविक लम्बाई से अधिक हो जाएगी। अतएव किसी भी दिन का काम सदैव ही सही जरीब से किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरीक्षकों को अपने पटवारियों की जरीबों की बराबर जाँच करने के प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के स्टील के हाथ-फीते दिए जाते हैं। यदि जरीब की लम्बाई में कुछ कमी मालूम पड़े तो यह समझना चाहिए कि उसकी कुछ कड़ियां अवश्य ही मुड़ गई हैं और उन्हें सीधी किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि जरीब जरूरत से ज्यादा लम्बी हो तो जरीब के प्रत्येक सिरे से आवश्यकतानुसार एक या अधिक छल्ले निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार जो भी दुरुस्ती की जाए वह जरीब के दोनों ही सिरों पर समान रूप से की जानी चाहिए ताकि जरीब का मध्य बिन्दु अपनी सही स्थिति में रह सके और उसकी सम्पूर्ण लम्बाई में सुधार किया जा सके। जब पटवारी गांव में कार्य आरम्भ करे और उसकी जरीब की जाँच की जा चुकी हो तब निरीक्षक को निवास-स्थान के निकट यह देख लेना चाहिए कि वह समतल जमीन पर खूंटियों की सहायता से जरीब की सही लम्बाई अंकित करता है या नहीं और इस प्रकार उस दिन का कार्य आरम्भ करने के पहले उसकी जरीब की जाँच की जा सकती है। यदि जरीब नई हो तो उसकी जाँच प्रतिदिन तब तक अवश्य ही कर लेनी चाहिए जब तक कि वह ढीली न पड़ जाए और यदि वह पुरानी हो तो सप्ताह में एक या दो बार उसकी जाँच करना पर्याप्त होगा।

20. क्षैतिज दूरी अपेक्षित है, न कि वास्तविक दूरी — यह पहले ही बताया जा चुका है (पैराग्राफ एक वेटियर) कि ट्रावर्स तथा क्षेत्र-मापन क्षैतिज समतल पर किया जाता है। अतएव, जब वह भूमि, जिस पर जरीब से माप ली जानी हो, चढ़ाव या उतार वाली हो, तब यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्षैतिज दूरी ही भू-मापन के लिए आवश्यक होती है, न कि सतह पर नापी गई वास्तविक दूरी। नक्शा बनाने की प्रक्रिया के अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि ऐसे ढालू खेत की उपज, समतल खेत में होनेवाली उपज की अपेक्षा अधिक नहीं हो सकती, जिसका क्षेत्रफल क्षैतिज रूप से निकाला जाने पर उतना ही हो, क्योंकि पौधे नियमतः लम्बे रूप में ही बढ़ते हैं। 21. साधारण प्रयोजन के लिए क्षैतिज मापन का तरीका — जरीब के उस निचले सिरे को, जिसके नीचे जमीन ढाल हो, इस प्रकार पकड़कर रखा जाता है कि वह यथासंभव क्षैतिज स्थिति में रहे और दूसरे को उसके नीचे खड़ा लगा दिया जाता है। चाहे जितनी दूरी मापनी हो इसी प्रकार कार्यवाही अपनायी जाती है। पहाड़ियों के ढालों पर पैदल चलते समय ऊँचे-नीचे ढलानों की समाई व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए जरीब को तोड़-तोड़ कर चलाने की विधि अपनाकर पर्याप्त शुद्धता से मापा जा सकता है। जरीब को तोड़-तोड़ कर चलाने की विधि में, जरीब के कुछ हिस्से को क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है और उस हिस्से के छोर पर

दूसरे छोर से उस पर मापना अथवा नीचे ढालकर जमीन तक पहुँचाया जाता है। इस सरल तरीके से बहुत अधिक ढलान भूमि की भी माप ठीक-ठीक हो सकती है और फिर, स्लोप करेक्शन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती।

22. लठे (ऑफसेट राड) — सामान्यतः जिस लठे (ऑफसेट राड) का उपयोग किया जाता है वह बाँस का होता है (बढ़िया उसमें लोहे की शम्सें रहती हैं ताकि वह सड़े नहीं) और 20 या 10 कड़ी लम्बा होता है तथा उस पर 1 से 5 कड़ियों के निशान बने रहते हैं। इसका उपयोग जरीब लाइन के बिन्दुओं से खेतों की सीमाओं के कोनों या मोड़ों तक के (ऑफसेटों) या छोटे लठों को और जरीब लाइन के दायें या बायें ओर के अन्य छोटे-मोटे भागों आदि को मापने में किया जाता है। दूसरी शुद्धता की जाँच निरीक्षक द्वारा जरीब की जाँच करते समय कर ली जानी चाहिए जितनी दूर तक ऑफसेट लिया जाना चाहिए वह परिशिष्ट 14 में दी गई है। लठे को मापे जाने वाले भाग के बिन्दु पर सीधा खड़ा किया जाता है और जब मापने वाले के यंत्र (ऑफसेट स्केयर) की सहायता से जरीब लाइन पर मापने वाला खड़ा दिखाई दे तब वहाँ उपस्थित भू-मापक अपनी क्षेत्र पुस्तक में माप (आँख बन्द से) दर्ज करता है और लठे वाले व्यक्ति की माली की दूरी मापने में सहायता कर सकता है। यह हर प्रकार किया जा सकता है। लठे को पर्याप्त सम्भाल जमीन पर आड़ा डाल दिया जाता है और उसे सीधी लाइन में पलटते हुए उस बिन्दु तक ले जाया जाता है जहाँ कि भू-मापक खड़ा हो। लठा पकड़ने वाले व्यक्ति को यह बता देना चाहिए कि वह गिने गए लठों की संख्या जोर-जोर से बोलता जाए। भू-मापक को निम्नलिखित के संबंध में विशेष ध्यान देना चाहिए :-

- (1) इस प्रकार लठे द्वारा मापी गई दूरी को अपनी क्षेत्र-पुस्तक में दर्ज करने के पहले उसकी शुद्धता;
  - (2) लठा जमीन पर सीधा डाला जाता है या नहीं, क्योंकि लठा पकड़ने वाला व्यक्ति (लठे से माप करते समय हर बार काफी नीचे झुकने से बचने की दृष्टि से) ऐसा नहीं करेगा जिसका परिणाम यह होगा कि मापी गई दूरी वास्तविक दूरी से अधिक हो जाएगी;
  - (3) ढाल या ऊँची-नीची जमीन की माप करते समय (जैसा कि जरीब के संबंध में पहले स्पष्ट किया गया है) लठे को क्षैतिज स्थिति में रखा जाना चाहिए। जब क्षेत्र बड़े आकार के हों तब यदि जरीब की प्रत्येक बाजू में एक-एक लठे का उपयोग किया जाए तो कार्य में काफी सुविधा हो जाती है।
23. क्षेत्र पुस्तक — क्षेत्र पुस्तक लगभग साढ़े चार इंच चौड़ी और सात इंच लम्बे कोरे कागजों को एक साथ सीकर, और उसके प्रत्येक पृष्ठ को पाँच खानों में विभाजित करके बनाई जा सकती है (परिशिष्ट 'अ' देखिए)। मध्य के खाने में केवल जरीब लाइन की माप दर्ज की जाती है तथा इसके दायें और के खानों में दायें और बायें ओर के ऑफसेटों की दूरी दर्ज की जाती है और बाहरी खानों में ऐसे स्थल चित्र (स्केच) दिए जाते हैं जिनमें खेतों के कोने, सीमाओं के मोड़, नाले, वृक्ष और सामान्यतः ऑफसेट... दूरी के भीतर आनेवाली भूमि की स्थिति दर्शाई जाती है। जब जरीब लाइन के रेखा-चित्र की उसी से तुलना करनी हो तब पृष्ठ को इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि दोनों तरफ़ी खाने परस्पर मिल जाएँ। क्षेत्र पुस्तकों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। प्रविष्टियाँ लिखते समय पृष्ठ के निचले सिरे से प्रारंभ की जानी चाहिए। प्रत्येक जरीब लाइन से संबंधित प्रविष्टि में क्षेत्र का स्पष्ट रूप उल्लेख होना चाहिए कि जरीब लाइन कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है, उदाहरणार्थ वह खेत क्र. 5 के कोने से प्रारंभ होती है और आबादी के दक्षिण में स्थित चौबे से डाली गई लाइन पर खेत क्र. 57 में 10वीं जरीब पर समाप्त होती है। उसमें प्रत्येक लाइन डाली जाने की तारीख भी जानी चाहिए। एक अच्छी क्षेत्र पुस्तक की कसौटी यह होगी कि उसके आधार पर अक्ष (ट्रेस) के बिना ही अलग से नए नक्शे के अधिकांश योग्य तैयार किए जा सकें, बशर्ते कि ड्राइंग स्लेट दिया जाए।

24. ऊपर वर्णित क्षेत्र पुस्तक तैयार करने और उसका उपयोग करने के तरीके के संबंध में भू-मानचित्र सिखलाने संबंधी कक्षाओं में उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

25. स्थिति अंकन (प्लॉटिंग) — जब जरीब लाइन डाली गई हो और जब दूरी नक्शे में बताई गई दूरी से मिलती हो तब नक्शे पर पेंसिल से सावधानीपूर्वक एक बारीक सीधी लाइन इस प्रकार खींची जाएगी कि वह दोनों अंतिम बिंदुओं से होकर निकले, जिनके आधार पर स्थिति अंकन (प्लॉटिंग) किया जाना हो। एक सतत लाइन न खींचने का उद्देश्य यह है कि पट्टालों तथा सीमाओं के बीच सरलता से विभेद किया जा सके। यदि लाइन पर बहुत ही छोटी-मोटी रेखाओं द्वारा प्रति 5 तथा 10 जरीब पर खण्ड बना दिए जाएँ तो बाद के स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) में इससे सुविधा मिलती है, जैसे :- (5) (10) (15) (20) (25) कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े निश्चित ही अक्ष (ट्रेस) पर नहीं लिखे जाएँगे। यदि बाद में 17वीं जरीब पर कटान का स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) करना हो तो लाइन पर 5-5 जरीब के तीन खण्ड सहज ही देखे जा सकते हैं और फिर परकार की सहायता से पटरी (स्केल) द्वारा केवल जरीब मापना ही आवश्यक होगा।

26. यदि जमीन पर निकाली गई दूरी और नक्शे पर पटरी के आधार पर अंकित दूरी में एक प्रतिशत से अधिक का अंतर हो तो कोई भी स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) ठीक से नहीं किया जा सकता। त्रुटि का कारण खोजा जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो लाइन को फिर से मापा चाहिए (पैराग्राफ 17 देखिए)।

27. यदि अंतर एक प्रतिशत से अधिक न हो तो सीमाओं आदि का स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) करते समय समापन त्रुटि को अंकगणितीय हिसाब से तथा आनुपातिक विभाजन से ठीक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे छोटे खण्डों के संबंध में कार्य करते समय इस प्रकार उनको नक्शे पर ठीक-ठीक जमाना संभव नहीं है। नक्शों को सुधारते समय आमतौर पर इस समय अपनाया जानेवाला उचित तरीका इस प्रकार है :- पट्टाल की गई जरीब लाइन की लंबाई में से दस-दस जरीब के खण्डों में दूरी अलग कर दीजिए, पटरी और परकार की सहायता से नक्शे में ऐसी दूरी लीजिए जो शेष के बराबर हो और समापन बिंदु से नक्शे पर उसे अंकित कीजिए (या यदि आवश्यक हो तो नक्शे पर लाइन को निकटतम दस के खण्ड तक बढ़ाइए)। इसके बाद नक्शे पर केवल परकार का उपयोग करते हुए और पटरी के बिना ही (प्रारंभिक बिंदु से गणना करते हुए) क्रमशः दस और पाँच जरीब के भागों में लाइन अंकित कीजिए ताकि त्रुटि की क्षय मात्रा नक्शे पर स्वतः ही इस तरह विभाजित हो जाए। इसके बाद, इस प्रकार किए गए खण्डों की गणना करते हुए और सामान्यतः प्रयोग में लाए जानेवाले तरीके से पटरी तथा परकार की सहायता से पाँच जरीब से कम का अंतर लेते हुए क्षेत्र पुस्तक के अनुसार स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) किया जाएगा।

उदाहरण — यदि जमीन पर लाइन (पट्टाल) 43.40 जरीब हो और नक्शे पर 43.40 जरीब हो तो 30 कड़ियों के अन्तर से स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूँकि 16 इंच = 1 मील के पैमाने में नक्शे पर उसकी लम्बाई वास्तविक लम्बाई के 1 : 1000 वी. मी. कम होगी। अतः पटरी से 3.40 लीजिए और समाप्त बिन्दु से अंकित कीजिए। शेष अर्थात् 40 जरीब त्रुटि सहित को पहले परकार की सहायता से सावधानीपूर्वक 20 जरीबों के खण्डों में विभाजित किया जाएगा और फिर 10 तथा 5-5 जरीब के खण्डों में विभाजित किया जाएगा। फिर इन खण्डों में से किसी भी खण्ड के भीतर आनेवाली सीमाओं आदि की स्थिति पहले स्पष्ट किए अनुसार पटरी तथा परकार की सहायता से अंकित (या संशोधित) की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण — नक्शे पर लम्बी पट्टालें अंकित करते समय दस-दस जरीबों के खण्डों के लिए बीच-बीच जरीबों के खण्ड चलायमान अर्थात् परकार को तब तक थोड़ा-थोड़ा बहुत धीरे-धीरे करके निकाले जा सकते हैं, जब तक कि ठीक-ठीक विभाजन न हो जाए, उदाहरणार्थ — यदि पट्टाल 63.40 हो तो पहले के मापांक में से 3.40 निकाल दीजिए और शेष को ठीक 20-20 की जरीबों (जिसमें शेष भी शामिल होगी) के तीन खण्डों में विभाजित कीजिए और पहले के अनुसार ही कार्यवाही करते जाइए।

28. प्रत्येक ग्राम के लिए एक ही नक्शा तथा खसरा तैयार किया जाए।

29. किन्तु उस स्थिति को छोड़, जहाँ विभिन्न अधिकारों में धारित भूमि की सीमा निर्धारित करने की दृष्टि से सीमा-रेखा को नक्शे पर उसी रूप में रखा जाना हो या जब खेत की लम्बाई-चौड़ाई बहुत अधिक हो जाए, कुटिलगत क्षेत्रों की ऐसी सीमाओं को, जो अक्ष (ट्रेस) पर तो दर्शाई गई हों किन्तु जमीन पर न दर्शाई गई हों, छोटे-छोटे गुणन चिन्हों द्वारा स्वच्छतापूर्वक काट दिया जाना चाहिए, जैसे :

X X X X

यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यह हिदायत बन्दोबस्त के पहले, सामान्यतः फिर से नक्शे बनाने के कार्य के सम्बन्ध में ही लागू होती है। बन्दोबस्त सीमाओं में सुधार करते समय सदैव ही पूरी-पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। भू-अभिलेख पुस्तिका, जिल्द एक में नक्शा-सुधार के सम्बन्ध में दिए गए नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए।

30. उन सीमाओं को, जो जमीन पर तो दर्शाई गई हों, किन्तु नक्शे पर न दर्शाई गई हों, सही रूप से नापा जाना चाहिए और कार्य की जाँच कर उसे स्वीकृत कर दिए जाने तक पेंसिल से अंकित किया जाना चाहिए। सामान्यतः नक्शों में सुधार करने के अनुसार किया जाएगा।

31. यदि अज्ञात छोड़ दिए गए खेतों की सीमाओं को पहचानने में कठिनाई प्रतीत हो और यदि ऐसी सीमाओं के दोनों ओर के खेतों के काश्तकार उन्हें पहचान न सकें तब मौजूद नक्शों में दर्शाई गई सीमाओं को ही सही मान लिया जाना चाहिए।

जब धाराधिकारधारी (भू-स्वामी) द्वारा एक ही प्रकार के अधिकार (हक्क) में धारित खेतों को आपस में मिला दिया गया हो और यदि जमीन पर सीमा मौजूद हो तो नक्शे पर विभाजन रेखा छोटे-छोटे बिन्दुओं द्वारा दर्शाई जाएगी, अन्यथा खेत को नक्शे पर एक ही खेत के रूप में दर्शाया जाएगा।

टिप्पणी : — जब इस प्रकार आपस में मिला दिए जाने से नक्शे पर खेत का आकार बहुत बड़ा या बहुत ही भद्दा हो जाता हो तब उस पर फसल का सरलता से अनुमान लगाने के लिए यह उपयुक्त होगा कि सीमा को बिन्दु रेखा में ही रहने दिया जाए और पृथक-पृथक क्रमांक तथा क्षेत्रफल रहने दिए जाएँ।

32. जब किसी धाराधिकारधारी ने विभिन्न अधिकारों में धारित भूमि को आपस में मिला दिया हो तब नक्शे पर ऐसे खेतों के विभाजन रेखा बिन्दी-बिन्दी तथा बिन्दु रेखाओं (डैश-डॉट लाइन) के रूप में रखी जानी चाहिए और उनके क्रमांक पृथक-पृथक होने चाहिए।

33. भूमि के जल द्वारा कटाव को रोकने के लिए खेत में बनाए गए बाँध (बँधारा या मेढ़िया), चाहे वह खेत के आरपार हो या न हो, नक्शे पर बिन्दु-रेखा द्वारा दर्शाया जाना चाहिए और ऐसे खेत का एक ही क्रमांक होना चाहिए।

34. लगे हुए ग्रामों के नाम प्रत्येक शीट के किनारे पर पश्चिम से पूर्व की ओर पेंसिल से लिखे जाने चाहिए।

35. शीट के हाशिये पर खेत — शीट के हाशिए (मार्जिन) पर आनेवाले खेतों का उस शीट पर और साथ ही लगे हुए शीट पर भी पूर्ण स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) किया जाना चाहिए। दूसरी शीट पर उन्हें बिन्दु-रेखाओं द्वारा अंकित किया जाना चाहिए ताकि खसरा लिखे जाने के समय उन्हें दुबारा क्रमांकित करने से खेतों को बचाया जा सके।

36. नए भू-मापन — नई खेती सम्बन्धी सभी विस्तृत भू-माप और गलत खण्डों का पुनर्मापन जब भी संभव हो, टावर स्टेशनों पर आधारित होना चाहिए; बिन्दु कर्ण रेखाओं के बजाय, खेतों की यथासंभव अधिक-से-अधिक सीमाएं लेते हुए भू-खण्डों के आरपार भीतरी लाइनें बनाई जानी चाहिए। यदि खण्ड बड़ा हो या उसमें जंगल खण्ड हो या बीच-बीच में घासटियाँ हों, तो उनके समीप यथार्थ रेखाओं पर स्थित-बिन्दुओं से त्रिभुज लेकर खेतों का भू-मापन किया जा सकता है तथा खण्ड के ठीक आरपार जरीब लाइनें डालने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक-ठीक त्रिभुज उसे दुबारा जरीब से नापकर या स्वयं त्रिभुज में जोड़कर तथा मापों की तुलना कर बनाया जा सकता है। इक्के-दुक्के खेतों का स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) कार्य ऐसी इकहरी लाइन द्वारा किया जा सकता है, जिसकी दिशा दो समीपवर्ती सुनिश्चित बिन्दुओं को जोड़कर और लाइन को आगे इतनी बढ़ाकर कि वह खेत को काटे, जानी जा सकती है। समय की बचत करने और लाइन की सफाई करने के लिए साधारणतः अनुमत ऑफसेट से बड़े ऑफसेटों का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। (देखिए पैरा 10)।

37. यदि परिवर्तन (दुरुस्तियाँ) अनेक और जटिल हों, जैसे-बहुत छोटे खेतों में, और उनके कारण अकसर किए गए नक्शों पर गड़बड़ी होती हो, तो सम्बंधित क्षेत्र की मूल पेंसिल रेखाएँ मिटा देनी चाहिए तथा स्थिति अंकन (प्लॉटिंग) कार्य फिर से किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ मामलों में, जब कि खेत इतने छोटे हों कि क्रमांक दर्ज करना संभव न हो, तो वे अकसर किए गए नक्शों के किसी खाली भाग में बड़े पैमाने पर दर्शाए जाने चाहिए।

38. धान के खेत — धान के खेतों का स्थिति-अंकन (प्लॉटिंग) करते समय बाहरी सीमाएं खसरा क्रमांक की सीमाएं दर्शाते हुए सीधी रेखाओं द्वारा खींची जानी चाहिए और मुख्य धूरी अथवा सीमाओं को पहचानने के लिए भीतरी बाँध या डोलियों की केवल एक या दो रेखाएं ही उनके दोनों ओर दर्शाई जानी चाहिए। शेष भीतरी डोलियों का स्थिति अंकन नहीं किया जाएगा, किन्तु वे नीचे दिए गए रूढ़ चिन्हों या अलामत द्वारा दर्शाई जाएंगी :-

39. पड़त भूमि और अकृष्य भूमि का अन्तर और नक्शे बनाने के कार्य में ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में किस तरह कार्यवाही की जाएगी, यह भू-अभिलेख पुस्तिका, जिल्द एक में रूप में दिया गया है।

40. नक्शे में पक्की सड़कें भूमि पर लगे पत्थरों के अनुसार दर्शाई जाएंगी और वे पक्की सड़क के लिए चिन्ह अर्थात् दो भीतरी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी। खुले मौसम की सड़कें केवल टूटी रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती हैं। यदि रास्ता पड़त भूमि से होकर जाता हो तो उसे नक्शे पर कम से कम 40 कड़ियों की चौड़ाई में दर्शाया जाना चाहिए ताकि बाद में भूमि पर खेती की जाने की स्थिति में रास्ते के आवागमन के अधिकार का अभिलेख उपलब्ध रहे।

41. यदि पिछले बन्दोबस्त के बाद किसी सड़क, गाड़ी या पशुओं के आने-जाने के मार्ग (गोड़ा) पर बेज़ा कब्जा कर लिया गया हो और वह पुराने बन्दोबस्त नक्शों में दर्शाए गए मार्ग (गोड़ा) से हटकर हो तो मूल सीमाओं का मापन किया जाना चाहिए और खसरे में दिए गए क्रमांक के सामने एक टीप लिखकर निरीक्षक को अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे ग्रामवासियों को उस मार्ग को पूर्ववत् स्थिति में लाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए तथा नक्शों के आधार पर मूल सीमाओं का मापन कर जमीन पर खूँटे गाड़ देने चाहिए या ढेले जमा कर देने चाहिए। बेज़ा कब्जे की सूचना भी सामान्य मार्ग से जिलाध्यक्ष के आदेशार्थ भेजी जानी चाहिए। यदि ऐसे बेज़ा कब्जे में इमारतें आदि सम्मिलित हों तो नक्शा सुधार पदाधिकारियों (मैप करेक्शन अधिकारी) द्वारा उसे हटाए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए किन्तु ऊपर बताए अनुसार जिलाध्यक्ष को सूचना दी जानी चाहिए और दोनों में से किसी भी मामले से सम्बन्धित तथ्य खसरे में लिखे जाने चाहिए।

42. अपनाया जाने वाला सामान्य सिद्धांत यह है कि जब मार्ग (आवागमन) का अधिकार वस्तुतः विद्यमान हो, भले ही वह बैलगाड़ी, पैदल चलनेवालों, पशुओं के लिए ही क्यों न हो, तब वह अधिकार भू-मापन करके और उस रूप में नक्शे तथा खसरे में अभिलिखित कर परिलक्षित किया जाना चाहिए, भले ही वह पिछले बन्दोबस्त में विद्यमान रहा हो अथवा नहीं।

43. सभी भूमियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में सावधानी से जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। ऐसी भूमियों पर अधिकारों के, यदि कोई हों, मूल के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए और उसकी सीमाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

44. शासन या स्थानीय निकायों द्वारा धारित भूमियों की सीमाएं, जैसे-शालाएं, औषधालय, या डाकबंगलों के अहाते, शिविर भूमियां आदि सावधानी से सत्यापित की जानी चाहिए और उनका भू-मापन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार का बेज़ा कब्जा हो तो उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए और जिलाध्यक्ष के आदेशार्थ तदसम्बन्धी सूचना भेजी जानी चाहिए।

45. भू-चिन्ह — गांव के प्रमुख स्थलों, जैसे- मंदिरों, बड़े-बड़े वृक्षों आदि को ठीक-ठीक माप लेना चाहिए और उनकी स्थिति को अंकित कर देना चाहिए। कुंज (बाग) के प्रत्येक वृक्ष का अलग-अलग मापन नहीं किया जाएगा किन्तु कुंज क्षेत्र, कुंज के रूढ़ चिन्ह (अलामत) द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

46. नक्शों के सुधार का निरीक्षण — निरीक्षकों को न केवल भू-मापन और खसरा सम्बन्धी कार्यों की पूरी-पूरी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक जानकारी ही होनी चाहिए किन्तु उन्हें अपने पटवारियों पर नियंत्रण रखने, उन्हें हिदायतें देने और उनके कार्य की सूक्ष्म जांच करने की योग्यता भी होनी चाहिए। निरीक्षकों को यह समझा दिया जाना चाहिए कि यदि वे इन प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो उनके संबंध में प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जाएगा। अधीक्षकों को भी यह देखना चाहिए कि पटवारियों को भू-अभिलेख पुस्तिका की नियमावली का ज्ञान है और यह कि उनमें ठीक से भू-मापन और स्थिति अंकन (प्लॉटिंग) करने की योग्यता है। इन बातों की अनुपस्थिति के उदाहरण दैनिकियों (डायरियों) में लिख देना चाहिए।

47. ग्राम सीमाएं — क्षेत्र कार्य के लिए अकस (ट्रेस) किए गए नक्शे देने के पहले ग्राम सीमाओं और शीट के हाशियों का मिलान कर लेना चाहिए और विरोधों को चिन्हित कर देना चाहिए। उनकी पुष्टि के लिए निरीक्षक जिम्मेदार होंगे।

48. जब भी संभव हो, निरीक्षक यह व्यवस्था करेगा कि लगे हुए गांवों में कार्य करने वाले दो पटवारी मिली-जुली सीमा का काम मिलकर एक साथ करें। जब गांव विभिन्न हल्कों में हों, तब दोनों निरीक्षकों को सावधानीपूर्वक मिलान की व्यवस्था करनी चाहिए।

49. जब कोई विवाद न हो और विशेष मूल भू-मापन में गलती होने या सीमा बनाने वाले नालों में परिवर्तन होने के कारण हो तब निरीक्षक उसका एक अकस तैयार करेगा और कलेक्टर तथा भू-मापन द्वारा सही पाई गई सीमा भी दर्शाएगा और प्रतिवेदन सहित उसे आदेशार्थ प्रस्तुत करेगा। पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी गांव की सीमा में संशोधन नहीं किया जाएगा।

50. विवाद — जब विवाद हो तब निरीक्षक को दोनों पक्षों के दावों के अनुसार गांव की सीमाओं की स्थिति अंकित करनी चाहिए तथा प्रत्येक पक्ष के अभिकथन का संक्षिप्त किन्तु तर्कपूर्ण सार देना चाहिए जो ऊपर दर्शित अनुसार आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

51. निरीक्षक द्वारा पड़ताल का मानक — बन्दोबस्त से पहले के नए भू-मापन या पुनर्मापन कार्य तथा नक्शा सुधार कार्यों के लिए न्यूनतम पड़ताल के रूप में निरीक्षक को प्रति 500 एकड़ पर 100 जरीब की पड़ताल करनी चाहिए। धान के खेतों के मामले में प्रत्येक 200 एकड़ के भू-खण्ड के लिए ऐसी कम-से-कम एक पड़ताल करनी चाहिए (कंडिका 10 भी देखिए)।

52. पटवारियों द्वारा न्यूनतम जरीब मापन — ऊपर के पैराज में बताए गए कार्य के लिए पटवारी द्वारा किया जाने वाला जरीब-मापन निम्नानुसार है :-

प्रत्येक 100 एकड़ में खण्ड (मूल) से होकर गुजरनेवाली दो लाइनें होनी चाहिए जो लगभग समकोण पर हों और पटवारी द्वारा प्रत्येक 100 एकड़ के लिए लगभग 100 जरीबों का भू-मापन (पेमाइश) किया जाना चाहिए। धान की खेती में इसकी संख्या प्रति 50 एकड़ के लिए 100 जरीबों तक बढ़ा दी जाएगी। पटवारी झंडियां

लगाने, जरीब चलाने (ऑफसेट) लेने और अपने नक्शे पर प्लॉटिंग करने के संबंध में निर्धारित नियम का सावधानी से पालन करेगा और निरीक्षक इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि उसके पटवारी उन्हें समझते हैं।

जब खण्ड (ब्लॉक) का कार्य पूर्ण होने पर गलतियां पाई जाएं तो भू-खण्ड को सही करने की दृष्टि से और भी शिकमी लाइनें डाली जाएंगी। यदि कार्य सही हो तो पटवारी को अनावश्यक लाइनों डालने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहां अधिक संख्या में सुधार करने आवश्यक न हों, पटवारी को एक दिन में औसतन नक्शों की प्रवास एक भूमि का पुनरीक्षण करना चाहिए।

53. जिस क्रम से गांवों का काम हाथ में लिया जाएगा उसकी व्यवस्था अधीक्षक के आदेश के अधीन निरीक्षकों द्वारा की जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे पर्यवेक्षण और सीमा के मिलान की सुविधा की दृष्टि से यथासंभव लगातार हों।

54. मेंड़ मिलान -- जब किसी खण्ड का जरीब द्वारा भू-मापन पूर्ण हो जाए तो पटवारी को भूमि पर प्रत्येक खसरा क्रमांक के चारों ओर जाकर देखना चाहिए और इसका मिलान सावधानी-पूर्वक नक्शे में करना चाहिए। शासकीय वनों से मिलने वाली सीमाओं का भी इसी प्रकार मिलान किया जाएगा। यदि कोई भेद पाया जाए तो उसकी सूचना निरीक्षक को दी जाएगी। यदि वे मिलती हों तो नक्शे में वह भाग ठीक समझा जाएगा। यदि कोई अन्तर हो तो शिम्पी लाइन या लाइनों डाली जाएंगी और जहां आवश्यकता हो सुधार किए जा सकेंगे। ऐसी लाइनें यथासंभव छोटी होनी चाहिए और उन स्थानों पर आधारित होनी चाहिए जो पहले ही डाली गई "पक्की" लाइनों द्वारा सुनिश्चित कर लिए गए हों।

55. उपखण्ड, नाले और इक्की-दुक्की वस्तुएं किस प्रकार अंकित की जाएंगी --

यदि दशा सही पाया जाए किन्तु किसी खेत के उप-खण्ड या इक्की-दुक्की वस्तुएं, जैसे-वृक्ष, कुएं या नाले न दर्शाए गए हों तो पटवारी उस खेत के आर-पार एक कोने से दूसरे कोने तक एक छोटी लाइन डालेगा और उसमें आवश्यक निशानात चिन्हित करेगा। किसी भी ऐसे नाले की स्थिति जिसकी धारा का मार्ग परिवर्तित हो गया हो, इसी प्रकार अंकित की जाएगी।

56. भू-मापता द्वारा फसलों को नुकसान -- पटवारी को भू-मापन के दौरान खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ज्वार जैसी ऊंची फसलों के क्षेत्रों में, लाइन का सीध मिलाने के बाद कास्तकारों से यह निवेदन करना चाहिए कि वे डंठलों को ऊपर बांध दें और उन्हें एक ओर झुका दें ताकि जरीब वाला वहां से गुजर सके। लाइनों की ठीक से सीध मिलाने और कास्तकारों द्वारा जरीब वाले के लिए साफ रास्ता बनाने में पथ-प्रदर्शन करने के लिए लंबे बांस फसल के बीच में खड़े किए जा सकते हैं। यदि कास्तकारों को यह समझा दिया जाए कि ऐसा करने का उद्देश्य फसल को नुकसान से बचाना है तो वे सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहां ऐसे खेतों में जरीब द्वारा मापन किया जाए, जिनमें गेहूं या अलसी जैसी फसलें बोई गई हों, वहां जरीब वाले को जरीब फसल से ठीक ऊपर तान कर पकड़ रखनी चाहिए और सीध मिल जाने के बाद सावधानी से नीचे डालनी चाहिए। जरीब में झोल नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे पौधों को नुकसान पहुंचता है।

57. क्रमांक डालना -- किसी गांव में क्रमांक डालने का कार्य गांव में उत्तर-पश्चिमी कोने से प्रारम्भ किया जाकर दक्षिण-पश्चिमी कोने में समाप्त किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो नदियों, नालों या सड़कों को एक बार से अधिक क्रमांक नहीं दिए जाने चाहिए। यदि दो खेतों की स्थिति ऐसी हो कि उनमें से एक दूसरे के भीतर हों तो भीतर के खेत को पहले क्रमांक दिया जाना चाहिए।

58. नक्शों पर स्थायी फेरना और उन्हें अंतिम रूप देना -- ज्योही जमीन पर भू-मापन की पड़ताल या नक्शों में सुधार संबंधी कार्य समाप्त हो जाए त्योंही नक्शों पर स्थायी फेरना और उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य कार्यालय में प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र कर्मचारियों को क्षेत्रों को उतारने के लिए प्रयोग गांवों के नक्शे उपलब्ध हो सकें।

59. क्षेत्रफल निकालना -- किसी खेत का क्षेत्रफल वर्ग जरीबों में होने पर उसे 10 से भाग देकर एकड़ों में बदला जा सकता है, चूंकि एक जरीब में 100 कड़ियां होती हैं और 10 वर्ग जरीबें 100,000 वर्ग कड़ियों के बराबर होती हैं। अतः 100,000 द्वारा भाग देने का वही अर्थ होगा जो दाहिनी ओर से 5 स्थान छोड़कर दशमलव बिंदु रखने का होता है। अतएव यदि किसी खेत का क्षेत्रफल वर्ग कड़ियों में दिया गया हो तो उसे दाहिनी ओर से पांचवें और छठवें अंकों के बीच दशमलव बिंदु रखकर आसानी से एकड़ों में बदला जा सकता है। दाहिनी ओर की संख्या एकड़ों की भिन्न होगी और बायीं ओर की शेष संख्या एकड़ होगी।

उदाहरण -- 6.78 जरीब चौड़े और 8.32 जरीब लंबे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निम्नानुसार निकाला जाएगा, अर्थात्  $678 \times 832 = 564096$  वर्ग कड़ियां, अथवा 5.64096 एकड़ जिसे सामान्यतः 5.64 एकड़ के रूप में दर्शाया जाता है।

60. उपरोक्त विधि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भू-अर्जन सर्वेक्षण विशेष प्रयोजनों के हेतु क्षेत्रफल की गणना करने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल दो व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग कंधी द्वारा निकाला जाता है। यह उपकरण क्षेत्र मिति द्वारा की जाने वाली गणना में तेजी लाने के लिए बनाया गया है क्योंकि वह पद्धति बंदोबस्त के प्रयोजनों के लिए काफी कठिन होती है। कोई भी व्यक्ति कंधी की नोकों में दर्शाए गए किसी भू-खण्ड के ऊपर रखकर उसे एक वर्ग जरीब चौड़ी पट्टियों में माप सकता है और चूंकि ऐसी दस जरीब लंबी पट्टी एक एकड़ के बराबर होती है अतः प्रकार और स्केल द्वारा स्केल की रेखाएं माप से क्षेत्रों की गणना शीघ्र ही की जा सकती है।

अलग-अलग दो व्यक्तियों द्वारा की गई दो क्षेत्रों की गणना का मिलान किया जाना चाहिए। और यदि दोनों में 1 प्रतिशत से अधिक की घट-बढ़ न हो तो दोनों के मध्यमान को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। क्षेत्रफल उतारते के कार्य में निम्नलिखित सीमा तक की त्रुटियां क्षम्य हैं :—

क्षेत्रफल एकड़ों में —

## सीमा

- 0.10 दशमलव तक ... कुछ नहीं  
 0.11 से 0.50 तक ... 0.01 दशमलव  
 0.50 से 1.00 एकड़ तक ... 0.02 "  
 1 एकड़ से 10 एकड़ तक ... 2%  
 10 एकड़ से 50 एकड़ तक ... 1%  
 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल ... 1 1/2%  
 क्षेत्रफल बीघों में —

## सीमा

- 10 बिस्वा तक ... कुछ नहीं  
 11 बिस्वा से 1 बीघा तक ... 1 बिस्वा  
 1 बीघा से 5 बीघा तक ... 4%  
 5 बीघा से 20 बीघा तक ... 2%  
 20 बीघा से 100 बीघा तक ... 1%  
 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल ... 1 1/2%  
 हेक्टेयरों और 1 : 4000 के पैमाने की मीट्रिक प्रणाली में त्रुटियां निम्नलिखित सीमा तक क्षम्य हैं :—  
 0.05 एकड़ तक ... कुछ नहीं  
 0.50 एकड़ से 25 एकड़ तक ... 1 एकड़  
 26 एकड़ से 50 एकड़ तक ... 2 एकड़  
 51 एकड़ से 1 हेक्टेयर तक ... 3 एकड़  
 यदि क्षेत्रफल का अंतर ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक हो तो संबंधित भू-मापन क्रमांकों के क्षेत्रफल की गणना फिर से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा तब तक की जानी चाहिए जब तक कि कोई दो गणनाएं उल्लिखित सीमा के भीतर न मिल जाएं। दस-दस भू-मापन क्रमांकों के समूहों में क्षेत्रफल का योग निकाला जाता है और किसी गाँव के ऐसे सभी समूहों के कुल क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाता है। बाद में इस संख्या की तुलना वर्गों में गणना किए गाँव के क्षेत्रफल से की जाती है।

61. क्षेत्र कार्यों के लिए जरीबवाला या मजदूर — जिलाधीश द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार और समय-समय पर बंदोबस्त आयुक्त या संचालक, भू-अभिलेख द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार प्रत्येक पटवारी या क्षेत्र कर्मचारी के क्षेत्र कार्यों के लिए फील्ड सीजन में कार्य की वास्तविक अवधि के लिए काम पर लगाए जाएंगे :—

(क) नाप सुधार के लिए दो जरीब वाले या मजदूर।

(ख) नए सिरे से भू-मापन के लिए तीन जरीब वाले या मजदूर, प्रत्येक निरीक्षक या पर्यवेक्षण कर्मचारी वर्ग भर के लिए एक निपुण श्रेणी का मजदूर भी रख सकेंगे।

62. क्षेत्र कार्य मौसम — क्षेत्र कार्य मौसम (फील्ड सीजन) प्रति वर्ष 15 अक्टूबर से 15 जुलाई तक या समय-समय पर निर्धारित अवधि के लिए होगा।

63. निरीक्षकों द्वारा उपकरणों की जांच — प्रत्येक निरीक्षक को एक समकोण नापने का यंत्र और 66 फीट या 15 मीटर लंबे एक मापे का फीता आवश्यकतानुसार दिया जाएगा जिससे वह अपने प्रत्येक निरीक्षण के अवसर पर पटवारी की जरीबों की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां उन्हें ठीक करा देना चाहिए। ऊपर पैरा 10 में बताए अनुसार नई जरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अपनी पड़तालों के दौरान पटवारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापकों जानने के यंत्रों की युक्तता की जांच करनी चाहिए और पटवारियों द्वारा रोजाना कार्य प्रारंभ करने से पहले आने उपकरणों की जांच कैसे की जानी चाहिए इस संबंध में भी उन्हें निर्देश देने चाहिए।

64. पटवारियों के लिए उपकरण — इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि सभी पटवारियों को संचालक, भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुमतियों के अनुसार नए सिरे से भू-मापन या सुधार के धारण के लिए उपकरणों का पूरा सेट, लेखन-सामग्री, सही कागज और आवश्यक अभिलेख दिए जाते हैं।

पटवारियों को दिए जाने वाले उपकरणों, लेखन-सामग्री और फार्मों की सूची के परिशिष्ट 'ख' के रूप में संलग्न है। इसमें दी जाने वाली ग्राह्य मात्रा भी दर्शाई गई है।

65. बंदोबस्त आयुक्त तथा संचालक, भू-अभिलेख आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रस्थ सर्वे (फील्ड) सभी आवश्यक विवरण समय-समय पर जारी करेंगे।

### पटवारियों के लिए उपकरण

- स्टेट सहित तख्ता (पूरा) ..... एक सेट
- सुहागल (लंबा बांस) ..... एक
- सिवत (साइड-स्तल) ..... एक
- स्पिरिट लेवल (छोटा 2 इंच वाला) ..... एक
- समकोणीय चुंबक कुबुकुंबा (बॉक्स कम्पास) ..... एक
- जरीब (आवश्यकतानुसार) ..... दस

- खूटे ..... दो
- लठा (ऑफसेट रॉड) ..... एक
- समकोण नापने का यंत्र (ऑप्टिकल स्केयर) ..... एक
- झंडियों के लिए बांस ..... पांच
- झंडियां (कपड़े की) ..... पांच
- डायगोनल स्केल ..... एक
- गुनिया (ऑफसेट स्केल) ..... एक
- परकार 5 से 6 इंच तक के आकार का ..... एक
- टिन का सिलेंडर (शीट के नक्शे रखने के लिए) ..... एक
- तख्ते को ढांकने के लिए कैनवास का कपड़ा ..... एक
- परकार की चाबी ..... एक
- बटन पिनें या ड्राइंग पिनें ..... छह

### लेखन-सामग्री

- कोरे शीट (नक्शे तैयार करने के लिए) ..... छह या जितने भी आवश्यक हों
- कड़ी पेंसिल 3 इंच 4 इंच ..... तीन माह में एक
- नरम पेंसिल एच.बी. .... प्रत्येक माह में एक
- नरम ब्रश ..... तीन माह में एक
- पेन होल्डर ..... एक मौसम के लिए दो
- दवातें ..... एक मौसम के लिए दो
- स्याही की टिकिया, नीली, काली ..... प्रतिमाह दो
- स्याही की टिकिया, लाल ..... पूरे मौसम के लिए एक
- बस्ता ..... एक मौसम के लिए 25 गज
- डोरा (बंटा हुआ) ..... पूरे मौसम के लिए दो गाठें
- तख्ते पर बिछाने के लिए बादामी कागज ..... पूरे मौसम के लिए दो दर्जन या जितनी भी आवश्यक हों
- पिनें ..... पूरे मौसम के लिए दो दर्जन या जितनी भी आवश्यक हो बादामी कागज ..... प्रतिमाह 4 शीट
- स्याही सोख ..... तीन माह के लिए एक शीट

### फार्म

- दैनिक (डायरी) ..... एक
- खसरा फार्म ..... गांव के अनुसार
- फर्द पड़ताल ..... प्रत्येक गांव के लिए एक
- क्षेत्र-पुस्तक के फार्म ..... गांवों के क्षेत्र के अनुसार  
इसी प्रकार प्रत्येक निरीक्षक को निम्नलिखित उपकरण दिए जाएंगे। उसे कुछ अतिरिक्त उपकरण और फार्म भी जब आवश्यक हो तब पटवारियों को देने के लिए रखने चाहिए। उसे इन अतिरिक्त उपकरणों और शीटों को रखने के लिए एक संदूक भी दिया जाएगा :—
- इस्पात का फीता ..... एक जरीब की जांच करने के लिए
- समकोण नापने का यंत्र (ऑप्टिकल स्केयर) ..... एक
- पटरी डायगोनल स्केल ..... एक
- गुनिया (ऑफसेट स्केल) ..... एक
- परकार (बाल कमानी) ..... एक 5 इंच से 6 इंच तक और एक 2 इंच से 2½ इंच तक
- टिन का सिलेंडर ..... एक
- पैरेलल रूलर ..... एक
- पेंसिल, कड़ी 2 एच, 3 एच, या 4 एच ..... छह माह में एक
- पेंसिल नरम एच.बी. .... तीन माह में एक
- लाल और नीली पेंसिल ..... छह माह में एक
- कार्बन पेंसिल ..... छह माह में एक
- ब्रश नरम ..... तीन माह में एक
- पेन होल्डर ..... एक वर्ष में दो
- दवातें ..... एक वर्ष में दो
- स्याही की टिकिया ..... प्रतिमाह दो लाल और दो नीली
- लिखने के लिए कागज ..... प्रति माह एक दस्ता
- कार्बन पेपर ..... तीन
- जावक रजिस्टर ..... एक

- डाक पुस्तक ..... एक
- सरकारी डाक टिकट ..... रूपए (आवश्यकतानुसार)  
थियोडोलाइट व अन्य किसी पद्धति से ग्राम सीमाओं व उनके भीतर कतिपय स्थान, तिगड्डे, रेखा-मापन चिन्ह अथवा उप-रेखामापन (सब-टावर्स) चिन्हों (जो स्थानीय रूप में त्रिमेड़ा, चांदा या शिकमी चांदा कहे जाते हैं) द्वारा, चिन्हित कर लिए जाते हैं, जिनकी सहायता से पटवारी विस्तृत भू-मापन करता है औसतन ग्राम परिमिति में लगभग डेढ़ वर्गमील क्षेत्र आता है तथा सीमाओं पर या उनके पास लगभग 50 चिह्न तथा ग्राम क्षेत्र के भीतर उप-रेखामापन (सब-टावर्स) (शिकमी चाँदा) चिह्न भी रहते हैं ।

अब समकोण नापने के यंत्र से उस बिन्दु तक

इनका सदैव ही न तो एक रेखामापन चिह्न से दूसरे रेखामापन चिह्न तक चला जाना और न ही केवल खेती तक सीमित रखा जाना आवश्यक है ।

भूमि पर शीट की पार्श्व (मार्जिन) रेखा के साथ पड़ताल रेखा चला जाना वांछनीय है, क्योंकि ऐसे ग्रामों के मामलों में जिनमें दो या अधिक सीटें हों, पार्श्व में बहुधा गलतियां हो जाती हैं ।

इस प्रकार 15.30 । 15.25 व निरीक्षण अधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम तथा दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए ।

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

## पारिशेष - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 2537) की जानकारी

प्रपत्र

प्राकृतिक

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आपदा से हुई मृत्यु पर आर्थिक अनुदान सहायता के संबंध में जानकारी।

क्र.	वित्तीय वर्ष	आर.बी.सी. 6.4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने का कारण	व्यक्ति का नाम जिन्हें राशि दी गई है	राशि प्रदान करने की तिथि	दी गई सहायता राशि(रूपये में )
1	2	3	4	5	6
1	2023-24	तालाब के पानी में डूबने से	सावित्री धीवर	05.04.2023	400000
2		तालाब के पानी में डूबने से	रूपेन्द्र निषाद	05.04.2023	400000
3		तालाब के पानी में डूबने से	शुभांगी गुप्ता	05.04.2023	400000
4		तालाब के पानी में डूबने से	नीलम उइके	05.04.2023	400000
5		तालाब के पानी में डूबने से	नीलम ठाकुर	05.04.2023	400000
6		तालाब के पानी में डूबने से	बेलमती बघेल	05.04.2023	400000
7		तालाब के पानी में डूबने से	दिनेश कुमार साहू	05.04.2023	400000
8		तालाब के पानी में डूबने से	नूतन देवांगन	05.04.2023	400000
9		नदी के पानी में डूबने से	रमेश विश्वकर्मा	05.04.2023	400000
10		नदी के पानी में डूबने से	टिकेश्वर साहू	05.04.2023	400000
11		नदी के पानी में डूबने से	मनराखन पाल	05.04.2023	400000
12		नहर के पानी में डूबने से	सोनू यादव	05.04.2023	400000
13		नहर पानी में डूबने से	सेजा वर्मा	05.04.2023	400000
14		आकाशीय बिजली	श्रीमती परनिया धीवर	01.02.2024	400000
15		सर्प काटने के कारण	रमाशंकर यादव पिता एकबाल यादव	16.08.2024	400000
16		आग में जलने से	भोजन्ती बघेल	29.12.2023	400000
17		आग में जलने से	जनक राम साहू	29.12.2023	400000
18		आग में जलने से	महेन्द्र जांगड़े	29.12.2023	400000
<b>योग</b>					<b>7200000</b>
1	2024-25	अतिवृष्टि के कारण दीवाल गिरने से	रूखमणी ध्रुव	09.10.2024	400000
2		आकाशीय बिजली	यामिनी साहू	16.12.2024	400000
3		आकाशीय बिजली	रमाकांत सोनकर	10.10.2024	400000
4		आकाशीय बिजली	कबीर पिता स्व. अशोक चन्द्राकर	13.02.2024	400000
5		आग में जलने से	विमला दिप पति स्व. अंगत दिप	10.12.2024	400000
6		आग में जलने से	शिवा यादव पिता घासीराम यादव	09.12.2024	400000
7		आग में जलने से	जनक राम साहू	20.09.2024	400000
8		आग में जलने से	महेन्द्र जांगड़े	20.09.2024	400000
9		आग में जलने से	मुकुल मजुमदार	17.10.2024	400000
10		आग में जलने से	आत्माराम सिन्हा पिता रघुनाथ सिन्हा	17.01.2024	400000
11		आग में जलने से	श्रीमती कल्याणी सेन पति स्व. सनत सेन	13.02.2024	400000
12		आग में जलने से	शेख जुम्मन पिता शेख तालिब हुसैन	08.08.2024	400000
13		तालाब के पानी में डूबने से	श्री कुलदीप दुबे पिता गोपीनाथ दुबे	10.01.2025	400000

क्र.	वित्तीय वर्ष	आर.बी.सी. 6.4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने का कारण	व्यक्ति का नाम जिन्हें राशि दी गई है	राशि प्रदान करने की तिथि	दी गई सहायता राशि(रूपये में )
1	2	3	4	5	6
14	2024-25	तालाब के पानी में डूबने से	श्री हृदय मरकाम पिता स्व. बिसरू राम मरकाम	19.02.2025	400000
15		तालाब के पानी में डूबने से	संजय	15.10.2024	400000
16		तालाब के पानी में डूबने से	रत्ना कर्मकार पति निर्मल कर्मकार	10.01.2024	400000
17		तालाब के पानी में डूबने से	नारायण निषाद पिता कलीराम निषाद	13.02.2024	400000
18		तालाब के पानी में डूबने से	दुलारी बाई धीवर पति भगोला राम धीवर	08.02.2024	400000
19		तालाब के पानी में डूबने से	बसंती बाई पति सोमनाथ साहू	01.03.2024	400000
20		तालाब के पानी में डूबने से	उदय यादव पिता सुक्लू	11.06.2024	400000
21		तालाब के पानी में डूबने से	सोनी साहू पति रवि साहू		400000
22		तालाब के पानी में डूबने से	डोमन लाल पटेल पिता रामनारायण पटेल	08.07.2024	400000
23		नहर में डूबने से	राम प्यारी पति मेहत्तर यादव	21.01.2024	400000
24		नहर में डूबने से	प्रकाश तेजवानी पिता कृष्णमल तेजवानी	17.01.2024	400000
25		नदी में डूबने से	कुंती लहरे पति अमर लाल लहरे	21.02.2024	400000
26		नदी में डूबने से	अशंवतिन ध्रुव पति मोहन ध्रुव	21.02.2024	400000
27	बांध में डूबने से	शरणजीत सिंह पिता कृपाल सिंह	05.03.2024	400000	
<b>योग</b>					<b>10800000</b>
1	2025-26	आग में जलने से	श्री रामखिलावन साहू पिता फिरतुराम	18.03.2025	400000
2		आग में जलने से	समीर सिंह पिता श्री एस. एच. सिंह	08.04.2025	400000
3		आग में जलने से	श्री पुरन लाल जोशी पिता सुधुराम जोशी	22.05.2025	400000
4		आग में जलने से	सरोज साहू पति चेतन साहू	02.07.2025	400000
5		आग में जलने से	होरी लाल साहू	16.12.2025	400000
6		सर्प काटने के कारण	श्रीमती गिरजा बाई निषाद पति रवि निषाद	18.03.2025	400000
7		तालाब के पानी में डूबने से	श्री नारद दास पिता झुमुक दास	18.03.2025	400000
8		तालाब के पानी में डूबने से	श्रीमती द्रोपती बाई डीमर	05.08.2025	400000
9		नदी के पानी में डूबने से	श्रीमती कोमल हरिनखेड़े	05.08.2025	400000
10		नदी के पानी में डूबने से	बलराम उइके	16.12.2025	400000
11		नदी के पानी में डूबने से	मायावती	13.10.2025	400000
12		नदी के पानी में डूबने से	विशाल नेताम	13.10.2025	400000
13		नदी के पानी में डूबने से	लक्ष्मी बंजारे	13.10.2025	400000
14		नदी के पानी में डूबने से	राजकुमार छाबड़िया	13.10.2025	400000

क्र.	वित्तीय वर्ष	आर.बी.सी. 6.4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने का कारण	व्यक्ति का नाम जिन्हें राशि दी गई है	राशि प्रदान करने की तिथि	दी गई सहायता राशि(रूपये में )
1	2	3	4	5	6
15	2025-26	नदी के पानी में डूबने	श्रीमती दुला बाई साहू पति स्व. सीताराम साहू	30.05.2025	400000
16		नहर के पानी में डूबने	हमीदा खातून पति स्व. मो0 सईम	03.07.2025	400000
17		आकाशीय बिजली	शिवशरण साहू	09.01.2026	400000
<b>योग</b>					<b>6800000</b>
<b>कुल योग</b>					<b>24800000</b>

## पारिशेष - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 2551) की जानकारी

प्रपत्र

## वर्ष 2021 से 19/02/2026 तक विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

स.क्र.	कार्य का नाम	योजना/मद	कार्य की स्थिति			पूर्ण करने का प्रस्तावित माह/वर्ष	रिमांक
			पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>वर्ष 2020-21</b>							
01	केशवा व्यपवर्तन के नहरों का लाइनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य।	45/4702 लघु सिंचाई योजना	पूर्ण	-	-	-	
02	कोडार जलाशय की बम्हनी वितरक नहर लाइनिंग कार्य। (नाबाड)	75/4700 लघु सिंचाई योजना	पूर्ण	-	-	-	
03	पासिद जलाशय के नहर लाइनिंग के पक्के कार्यों का सुधार एवं जीर्णोद्धार कार्य।	75/4702 लघु सिंचाई योजना	पूर्ण	-	-	-	
<b>वर्ष 2021-22</b>							
01	सारम सिंधी जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर का जीर्णोद्धार, पक्के कार्यों का उन्नयन एवं सी.सी. लाइनिंग कार्य।	45/4702 लघु सिंचाई योजना	पूर्ण	-	-	-	
02	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण शीर्ष कार्य दौरे तट का ग्राम मुड़ना से शीर्ष कार्य के पहुंच मार्ग पर सीमेंट कांक्रीट कार्य।	45/4702 लघु सिंचाई योजना	पूर्ण	-	-	-	
<b>वर्ष 2022-23</b>							
01	जल संसाधन संभाग महासमुंद के अंतर्गत संभाग एवं उपसंभाग के समस्त कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य।	23/4700 वृहद सिंचाई योजना	अपूर्ण			06/2026	प्रगतिरत
02	महासमुंद जिले के कोडार परियोजना अंतर्गत कोडार बांयी तट नहर के चैन क्र. 78 पर निर्मित नहर सायफन का पुर्ननिर्माण कार्य।	23/4700 वृहद सिंचाई योजना	अपूर्ण			06/2026	प्रगतिरत
03	महासमुंद जिले के कोडार परियोजना अंतर्गत शीर्ष कार्य के डाउनस्ट्रीम में हॉल रोड निर्माण एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य ।	23/4700 वृहद सिंचाई योजना	अपूर्ण			06/2026	प्रगतिरत
<b>वर्ष 2023-24</b>							
निरंक							
<b>वर्ष 2024-25</b>							
01	कोडार परियोजना के अंतर्गत बड़गांव वितरक नहर एवं उसके 20 माइनर नहरों का जीर्णोद्धार पक्के कार्यों का उन्नयन एवं लाइनिंग कार्य	75/4702 लघु सिंचाई योजना	अपूर्ण			01/2027	प्रगतिरत
02	पीढ़ी जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहरों के लाइनिंग एवं पक्के कार्यों का मरम्मत कार्य	45/4702 लघु सिंचाई योजना	अपूर्ण			06/2026	प्रगतिरत
<b>वर्ष 2025-26 (19.02.2026 तक)</b>							
निरंक							

  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 जल संसाधन विभाग,

## पारोशेष्ट - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 2562) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्यों का नाम	स्वीकृत वर्ष	लागत राशि (लाख में)
1	जगदलपुर	करनपुर	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य / गंगादीमाता मंदिर से कमलोचन घर तक 240 मी.	2024-25	778000.00
2	जगदलपुर	करनपुर	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य / भालगुड़ा गायदडास नाला से माड़पाल संघ तक 600 मी.	2024-25	1950000.00
3	जगदलपुर	पण्डरीपानी	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / खसपारा पखनाखदान पारा में 300 मी.	2024-25	1000000.00
4	जगदलपुर	कुम्हली	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / सोमनाथ घर से रती घर तक 300 मी.	2024-25	1000000.00
5	जगदलपुर	कावापाल	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / आयतु घर से टाईपदर मार्ग पर 200 मी.	2024-25	650000.00
6	जगदलपुर	कावापाल	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / फारेस्ट नाका से पुजारी घर तक 150 मी.	2024-25	525000.00
7	जगदलपुर	नेतानार	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / गोरियापाल पारा में पुलिया से मानसिंह घर तक 200 मी.	2024-25	650000.00
8	जगदलपुर	आड़ावाल	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / नयापारा में छविलाल घर से सोमदेव घर तक 250 मी.	2024-25	813000.00
9	जगदलपुर	आड़ावाल	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / नीवन ठाकुर घर से सुखमन घर तक 250 मी.	2024-25	813000.00
10	जगदलपुर	बिलोरी-02	आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य / महादेव घर से हरिनाथ घर तक 200 मी.	2024-25	520000.00

10  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 संतलाय, गवा रावपुर, आड़ा नगर

11	जगदलपुर	आसना	सी.सी.सड़क सह नाली निर्माण कार्य / बलराम घर से धनसाय घर तक बनवापारा में 200 मी.	2024-25	1332000.00
12	जगदलपुर	गरावण्डखुर्द	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / कुम्हरावंड मुख्य मार्ग से कलचा सीमा तक 500 मी.	2024-25	1625000.00
13	जगदलपुर	गरावण्डखुर्द	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य / महारापारा आंतरिक गली में 500 मी.	2024-25	1625000.00
14	जगदलपुर	माड़पाल	शेड निर्माण कार्य / कोटगुड़िन लिंगई माता मंदिर में पातरपारा	2024-25	500000.00
15	जगदलपुर	बिलोरी-01	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य / गंगादेई माता मंदिर में	2024-25	651000.00
16	जगदलपुर	चोकावाड़ा	डोम निर्माण कार्य / ग्राम देवड़ा में सर्व सामाजिक परिसर में / चोकावाड़ा	2024-25	3000000.00
17	जगदलपुर	आड़ावाल	बाजार शेड निर्माण कार्य	2024-25	2000000.00
18	दरभा	मुण्डागढ़	शेड निर्माण कार्य / काचिररास में बेहरीन मातागुड़ी के पास	2024-25	500000.00
योग :- एक करोड़, निन्याबे लाख, बत्तीस हजार मात्र					19932000.00

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 संचालक, नगर रावपुर, जयपुर नगर

## पारोक्ष - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 2575) की जानकारी

## “प्रपत्र”

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
1	20 बिस्तरीय अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (जिला चिकित्सालय परिसर में) सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
2	सीएचसी बिलाईगढ़ के नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़
3	बस स्टैण्ड परिसर सारंगढ़ में 02 नग यात्री प्रतिकालय निर्माण	सारंगढ़	सारंगढ़
4	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन जीर्णोद्धार कार्य सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
5	मरीजों के परिजनों हेतु प्रतिका कक्ष एवं दवा वितरण कक्ष निर्माण कार्य (जिला चिकित्सालय परिसर में) सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
6	सिंचाई हेतु ड्रिप सिस्टम स्थापना निर्माण कार्य सुखापाली	सुखापाली	बरमकेला
7	चैन लिंक तार फेंसिंग निर्माण कार्य (वृक्षारोपण प्रोजेक्ट) सुखापाली	सुखापाली	बरमकेला
8	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य (माध्य. शाला डुरुमगढ़ में)	डमरुगढ़	बिलाईगढ़
9	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (माध्य.शाला धारासीव)	धारासीव	बिलाईगढ़
10	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (माध्य.शाला बिसनपुर)	बिसनपुर	बिलाईगढ़
11	खेल मैदान सह बाल उद्यान निर्माण कार्य (मंदिर के पास) भेड़वन	भेड़वन	सारंगढ़
12	सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (पूर्व माध्य. शाला में) धौराभाठा घो	धौराभाठा घो	बिलाईगढ़
13	चौन फेंसिंग कार्य (शा.नर्सरी पेण्ड्रावन)	पेण्ड्रावन	बिलाईगढ़
14	आहाता निर्माण और सी.सी. निर्माण कार्य (आंगनबाड़ी के पास) सहजपाली	सहजपाली	बरमकेला
15	आहाता एवं कांक्रीटीकरण कार्य (प्रा.शा. परिसर में) खिचरी	खिचरी	बरमकेला
16	सुरक्षा दिवाल सह पिचिंग निर्माण कार्य (महानदी के तट पर) पोस्थ	पोस्थ	बरमकेला
17	शेड निर्माण(स्लैब) कार्य (राम मंदिर के पास) दानसरा	दानसरा	सारंगढ़
18	सांस्कृतिक रंगमंच सह प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (मा.शा. परिसर में) साल्हे	साल्हे	सारंगढ़
19	सांस्कृतिक कार्यक्रम सह प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (शास. हायर सेके. स्कूल में) बेंगपाली	बेंगपाली	बिलाईगढ़
20	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (प्राथमिक शाला तेन्दुआ में) तेन्दुआ	तेन्दुआ	सारंगढ़
21	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (स्कूल के पिछे तालाब से आगे की ओर) शिवपुरी	शिवपुरी	सारंगढ़
22	वार्ड क्रमांक 07 रेस्ट हाउस के पास आर.सी.सी. नाली कव्हर निर्माण	सारंगढ़	सारंगढ़
23	वार्ड क्रमांक 07 रेस्ट हाउस के पास इंटरलॉकिंग कार्य	सारंगढ़	सारंगढ़
24	सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुल्यों के संवर्धन हेतु भवन निर्माण	कनकबीरा	सारंगढ़
25	पंचकर्म सेंटर ( एक कमरा एवं एक हाल) निर्माण कार्य	भेड़वन	सारंगढ़
26	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (प्रा.शाला परसाडीह)	परसाडीह	सारंगढ़
27	डब्ल्यू बी एम सड़क निर्माण कार्य (मुक्तिधाम से सिदार घर की ओर) ग्राम गोविन्दवन	गोविन्दवन	बिलाईगढ़
28	रंगमंच निर्माण कार्य ग्राम सेन्दुरस	सेन्दुरस	बिलाईगढ़
29	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (गेंदराम के घर से कमलेश घर की ओर) ग्राम शीतलपुर ग्राम पंचायत मुच्छमल्दा	शीतलपुर	बिलाईगढ़
30	प्रार्थना शेड निर्माण (हायर सेकेण्ड्री स्कूल परिसर में) ग्राम धोबनी	धोबनी	बिलाईगढ़
31	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (साहू सामुदायिक भवन से कब्रिस्तान की ओर) पण्डीपानी	पण्डीपानी	बिलाईगढ़

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
32	पुलिया निर्माण कार्य (मुक्तिधाम तालाब के पास) ग्राम उच्चभिट्टी	उच्चभिट्टी	सारंगढ़
33	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (हेमलाल घर से आंगनबाड़ी तक) ग्राम उच्चभिट्टी	उच्चभिट्टी	सारंगढ़
34	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (मैन रोड से शमसान घाट की ओर) ग्राम हरदी	हरदी	सारंगढ़
35	पुलिया निर्माण कार्य ग्राम दर्रा	दर्रा	बिलाईगढ़
36	रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य ग्राम दर्रा	दर्रा	बिलाईगढ़
37	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य(मैन रोड से सेजेस स्कूल होते हुए कोदवा तालाब तक) सरसीवां	सरसीवां	बिलाईगढ़
38	प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (पूर्व माध्यमिक शाला) झुमका	झुमका	बिलाईगढ़
39	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य(पनखती तालाब मॉड में) ग्राम खर्री बड़े	खर्री बड़े	सारंगढ़
40	प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (माध्यमिक शाला धारासीव में)	धनसीर	बिलाईगढ़
41	प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (माध्यमिक शाला बिसनपुर में)	बिसनपुर	बिलाईगढ़
42	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (मुक्तिधाम पहुंच मार्ग) बेलाडुला	बेलाडुला	बिलाईगढ़
43	नाली निर्माण कार्य (तिरित राम घर से आगे की ओर) डुमरडीह	धुमरडीह	सारंगढ़
44	नाली निर्माण कार्य (कोतरी)	कोतरी	सारंगढ़
45	नाली निर्माण कार्य (बड़े टार से तालाब की ओर) फर्सवानी	फर्सवानी	सारंगढ़
46	कांक्रीटी करण कार्य (स्कूल प्रांगण कर्राडोडी में)	कर्राडोडी	सारंगढ़
47	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (ईश्वर घर से आगे की ओर) पचपेड़ी	पचपेड़ी	बिलाईगढ़
48	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (भूमिका घर से आगे की ओर) पचपेड़ी	पचपेड़ी	बिलाईगढ़
49	पुलिया निर्माण कार्य (धनश्याम घर के खेत के पास) रोहीनापाली	रोहीनापाली	सारंगढ़
50	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (मिडील स्कूल प्रांगण से आगे की ओर) बुदेली	बुदेली	सारंगढ़
51	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (सोनाडुला से अमलीडीपा की ओर) सोनाडुला	सोनाडुला	सारंगढ़
52	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (शोभा घर से भूषण घर की ओर) गंधराचुआं	गंधराचुआं	सारंगढ़
53	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (विजय घर से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग) मल्दी	मल्दी	बिलाईगढ़
54	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (सोनचरण घर से उल्टा तालाब की ओर) मल्दी	मल्दी	बिलाईगढ़
55	सी.सी. निर्माण कार्य (स्कूल प्रांगण में) पण्डीपाली	पण्डीपाली	बिलाईगढ़
56	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (मिडील स्कूल के अंदर) सेंदूरस	सेंदूरस	बिलाईगढ़
57	पुलिया निर्माण कार्य (जमदरहीन नाला में) सहसपानी	सहसपानी	सारंगढ़
58	नाली निर्माण कार्य (शशिभूषण घर से आगे की ओर) फर्सवानी	फर्सवानी	सारंगढ़
59	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (खाल्हेपारा में) सिगारपुर	सिगारपुर	सारंगढ़
60	ट्रेनिंग हाल भवन निर्माण कार्य (कार्यालय पुलिस अधीक्षक के लिए) रेडा	रेडा	सारंगढ़
61	काम्प्लेक्स टायलेट निर्माण कार्य (कार्यालय पुलिस अधीक्षक के लिए) रेडा	रेडा	सारंगढ़
62	आहाता निर्माण कार्य भाग-1 (खेलभाठा मैदान में) सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
63	खेल मैदान जीर्णोद्धार कार्य (खेलभाठा मैदान में) सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
64	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (प्रवेश द्वार से गजेन्द्रों घर तक) चिखली	चिखली	सारंगढ़
65	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (सिदार घर से नेहरू घर की ओर) सिंघनपुर	सिंघनपुर	सारंगढ़
66	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (प्रकाश घर से आगे की ओर) दानसरा	दानसरा	सारंगढ़
67	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग में आमाबोराई के पास) गिरहुलपाली	गिरहुलपाली	बरमकेला
68	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (मुकेश वस्त्रालय के पास) सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
69	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (बोदिया इलेक्ट्रानिक के सामने) सारंगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़
70	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (पैटु तालाब से शिव मंदिर की ओर) भीखमपुरा	भीखमपुरा	बरमकेला
71	सी.सी. निर्माण कार्य (समारू चौहान से मुक्तिधाम की ओर) खिचरी	खिचरी	बरमकेला
72	सी.सी. निर्माण कार्य (हरिशंकर घर से मुक्तिधाम की ओर) सण्डा	सण्डा	बरमकेला
73	पचरी निर्माण कार्य (पनखती तालाब में) खर्री बड़े	खर्री बड़े	सारंगढ़
74	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (ठाकुरदीया मंदिर से आगे की ओर) दानसरा	दानसरा	सारंगढ़
75	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (मुख्य सड़क से महानदी पहुंच मार्ग तक) छोटला छोटे	छोटला छोटे	सारंगढ़

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
76	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (जगन्नाथ मंदिर से खेरखाडांड की ओर) फर्सवानी	फर्सवानी	सारंगढ़
77	सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण हेतु पाथ-वे निर्माण कार्य मकरी	मकरी	सारंगढ़
78	सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण हेतु तटबंध निर्माण कार्य मकरी	मकरी	सारंगढ़
79	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (कुरसो घर से लक्ष्मीनारायण घर तक) गोबरसिंहा	गोबरसिंहा	बरमकेला
80	सायकल स्टैण्ड सह प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (स्कूल परिसर में) अमलीपाली अ	अमलीपाली अ	सारंगढ़
81	शासकीय प्राथमिक शाला में जीर्णोद्धार कार्य सोहागपुर	सोहागपुर	बिलाईगढ़
82	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (पुल से स्कूल की ओर) सोहागपुर	सोहागपुर	बिलाईगढ़
83	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (नेतराम साहू घर से कुशराम घर की ओर) दुम्हानी	दुम्हानी	बिलाईगढ़
84	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (सोनाराम घर से निर्मल घर की ओर) गोविन्दवन	गोविन्दवन	बिलाईगढ़
85	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (झुरदाई पहुंच मार्ग से रामविलास घर की ओर) मधाईभाठा	मधाईभाठा	बिलाईगढ़
86	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (राम मंदिर से पानी टकी ओर) कोदवां	कोदवां	बिलाईगढ़
87	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (पुराना प्राथमिक शाला भवन से आगे की ओर) झनकपुर	झनकपुर	बरमकेला
88	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (प्राथमिक शाला से डीपापारा की ओर) पाकरडीह	पाकरडीह	सारंगढ़
89	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (आंगनबाडी भवन से आगे की ओर) परसकोल	परसकोल	सारंगढ़
90	पचरी सह दीवाल निर्माण कार्य (कोमल तालाब में) सरियादरहा	सरियादरहा	सारंगढ़
91	नाली निर्माण कार्य (मणी कंचन घर से कोटेण्ड डीपा की ओर) बिलाईगढ़ ब	बिलाईगढ़ ब	बरमकेला
92	सांस्कृतिक रंगमंच सह सायकल स्टैण्ड (माध्यमिक शाला स्कूल परिसर में) केडार	केडार	सारंगढ़
93	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (पंडा खेत से आगे की ओर) अचानकपाली	अचानकपाली	सारंगढ़
94	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (पुलिया से मेन रोड़ की ओर) सराईपाली	सराईपाली	सारंगढ़
95	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (मनोहर घर से बस्ती की ओर) लेन्धा	लेन्धा	सारंगढ़
96	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग के पास) उच्चभिटी	उच्चभिटी	सारंगढ़
97	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (श्यामलाल घर से शंकर घर की ओर) दुर्गापाली	दुर्गापाली	सारंगढ़
98	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (पार्वती घर से आगे की ओर) बरदुला	बरदुला	सारंगढ़
99	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (जेजेराम घर से परमानंद घर की ओर) दमदमा	दमदमा	बरमकेला
100	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (भाभनमुडा रोड़ नावाडीह के आगे) मुड़पार छोटे	मुड़पार छोटे	सारंगढ़
101	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (मैन रोड़ से नेहरू घर तक) हरदी	हरदी	सारंगढ़
102	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (स्कूल से बस्ती की ओर) कांसा	कांसा	सारंगढ़
103	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (सारथी घर से तुलसी निषाद घर की ओर) कारीगांठी	कारीगांठी	बरमकेला
104	नाली निर्माण कार्य (मंडी रोड़ थाना से राजेश घर की ओर) कोसीर	कोसीर	सारंगढ़
105	नाली निर्माण कार्य (चमकाहा के पास) सिंगारपुर	सिंगारपुर	सारंगढ़
106	नाली निर्माण कार्य (निलाम्बर घर से नाला की ओर) हसौद	हसौद	सारंगढ़
107	पाईप लाईन विस्तार निर्माण कार्य धौराभाठा घो	धौराभाठा घो	बिलाईगढ़
108	नाली निर्माण कार्य (बस्ती में) दानसरा	दानसरा	सारंगढ़
109	प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (हाई स्कूल परिसर में) छिन्द	छिन्द	सारंगढ़
110	सिचाई नाली निर्माण कार्य (कोसम तालाब से आगे) कान्दुरपाली	कान्दुरपाली	सारंगढ़
111	चक डेम निर्माण कार्य (कटेल नाला में) बैगिनडीह	बैगिनडीह	सारंगढ़
112	सिचाई नाली निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन से तालाब की ओर) अंडोला	अंडोला	सारंगढ़
113	स्टाप डेम निर्माण कार्य (संक्रम नाला में) अण्डोला	अण्डोला	सारंगढ़
114	नाली निर्माण कार्य (धनंजय घर से नाला की ओर) टांडीपार	टांडीपार	सारंगढ़
115	नाली निर्माण कार्य (लातनाला की ओर) सालर	सालर	सारंगढ़

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
116	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (कल्फु घर से कुमारी घर की ओर) दुर्गापाली	दुर्गापाली	सारंगढ़
117	पुलिया सह सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (गोदगोदो नाला में) तिलाईपाली	तिलाईपाली	सारंगढ़
118	नाली निर्माण कार्य (छिंदपतेरा सीमा से तालाब की ओर) करामाल	करामाल	बरमकेला
119	तटबंध निर्माण कार्य (बालपुर मार्ग नाला में) भदरा	भण्डोरा	सारंगढ़
120	तटबंध निर्माण कार्य (शकराम नाला में) अण्डोला	अण्डोला	सारंगढ़
121	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (सरवन जुगू खेत सड़क से अचानकपाली की ओर) अचानकपाली	अचानकपाली	सारंगढ़
122	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (महेश घर खेत से तालाब की ओर) सिंघनपुर	सिंघनपुर	सारंगढ़
123	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (नदी से हरिचरण खेत की ओर) माधोपाली	माधोपाली	सारंगढ़
124	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (मुड़ा तालाब में बड़े पानी टंकी से आगे की ओर) डूमरडीह	डूमरडीह	सारंगढ़
125	नाली निर्माण कार्य (बाजार परिसर में) गोबरसिंहा	गोबरसिंहा	बरमकेला
126	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (मनसा घर से शमशान घाट की ओर) छपोरा	छपोरा	बिलाईगढ़
127	नाली निर्माण कार्य (शासकीय कुआं से खेरखा डांड तक) बटाऊपाली ब	बटाऊपाली ब	सारंगढ़
128	स्टाप डेम निर्माण कार्य (लेलहर नाला में) रामभांठा चांटीपाली	रामभांठा	सारंगढ़
129	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (परसाजोरी मार्ग में) रामटेक	रामटेक	सारंगढ़
130	चबुतरा निर्माण कार्य नोहरपाली	नोहरपाली	बिलाईगढ़
131	सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य (लात नाला में) मौहाढोढा	मौहाढोढा	सारंगढ़
132	सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य (घोघरा नाला में) तामनडीह	तामनडीह	सारंगढ़
133	शौचालय निर्माण कार्य (शासकीय माध्य. शाला में) धौराभांठा घो	धौराभांठा घो	बिलाईगढ़
134	सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य (गोपालपुर बस्ती से रामकृष्ण घर तक) गोपालपुर	गोपालपुर	बरमकेला
135	चेक डेम निर्माण कार्य (सेमर डोली प्रकाश खेत के पास) खोरीगांव	खोरीगांव	बरमकेला
136	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (पानी टंकी से दुकालु यादव घर की ओर) बुदेली	बुदेली	बरमकेला
137	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (सेतकुमार धर से गुरुदेव सिदार घर की ओर) तैसीर	तैसीर	बरमकेला
138	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य (प्राथमिक शाला भवन गोड़ा में)	गोड़ा	सारंगढ़
139	तटबंध निर्माण कार्य (धरमदास खेत के पास) नोहरपाली	नोहरपाली	बिलाईगढ़
140	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (बीच बस्ती बाजार चौक में) गोबरसिंहा	गोबरसिंहा	बरमकेला
141	एस-पी कार्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कम्युनिटी हॉल के मरम्मत कार्य	सारंगढ़	सारंगढ़
142	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (मैन रोड़ के किनारे) घौठला बड़े	घौठला बड़े	सारंगढ़
143	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (ब्रजेन्द्र पटेल कि खेत से आगे की ओर) तुलसीडीह	तुलसीडीह	सारंगढ़
144	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (पैतुनार से मसुरीहा नार की ओर) टांडीपार	टांडीपार	सारंगढ़
145	स्टाप डेम निर्माण कार्य (छिंधां नाला में) डोमाडीह अ	डोमाडीह अ	सारंगढ़
146	सिंचाई नाली निर्माण कार्य (जगत के खेत से बरातु के खेत की ओर) गंधराचुंवा	गंधराचुंवा	सारंगढ़
147	स्टाप डेम निर्माण कार्य (बांध तालाब में परसकोल)	परसकोल	सारंगढ़
148	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (हेमकांत घर से श्याम सूनंदर घर की ओर) पुरैनपाली	पुरैनपाली	बरमकेला
149	एसएचजी शेड निर्माण कार्य (पंचायत भवन के पास) रिकोटार	रिकोटार	बिलाईगढ़
150	एसएचजी शेड निर्माण कार्य (आंगनबडी के बाजू में) अमलीडीह	अमलीडीह	बिलाईगढ़
151	एसएचजी शेड निर्माण कार्य भण्डोरा	भण्डोरा	बिलाईगढ़
152	तटबंध निर्माण कार्य (महानदी में) जैतपुर	जैतपुर	बिलाईगढ़
153	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (महाराज घर से आगे कि ओर) सिंगारपुर	सिंगारपुर	सारंगढ़
154	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य (गोपेश खेत से कर्राढोढी मार्ग में) खरवानी बड़े	खरवानी बड़े	सारंगढ़
155	पुलिया निर्माण कार्य (लात नाला के किनारे) सोनाडुला	सोनाडुला	सारंगढ़

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
156	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (मुख्य बस्ती से मुक्तिधाम तक) मुंगलीपाली	मुंगलीपाली	बरमकेला
157	नाली निर्माण कार्य (सिदार पारा में) नौरंगपुर	नौरंगपुर	सारंगढ़
158	नाली निर्माण कार्य (मनमोहन गली में) नौरंगपुर	नौरंगपुर	सारंगढ़
159	नाली निर्माण कार्य (शौकिलाल घर से आगे की ओर) बोईरडीह	बोईरडीह	सारंगढ़
160	स्टाप डेम निर्माण कार्य (नाला में) कोर्पापानी	कोर्पापानी	सारंगढ़
161	नाली निर्माण कार्य (आंगनबाड़ी 01 से सुन्दरलाल घर की तक) हरदी	हरदी	सारंगढ़
162	नाली निर्माण कार्य (फिरतु राम जागड़े घर से सुभाष वारे घर तक) हरदी	हरदी	सारंगढ़
163	नाली निर्माण कार्य (पानी टंकी से नाला की ओर) छिन्द	छिन्द	सारंगढ़
164	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग से बस्ती की ओर) झरपडीह	झरपडीह	सारंगढ़
165	स्टाप डेम निर्माण कार्य (छिन्दहा तालाब में) डोमाडीह अ	डोमाडीह अ	सारंगढ़
166	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन के पास) खजरी	खजरी	सारंगढ़
167	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (मोन्दू घर से आगे की ओर) लेन्धा	लेन्धा	सारंगढ़
168	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (कोटवार घर से बजरंग चौक की ओर) खुरदरहा	खुरदरहा	बिलाईगढ़
169	समूह आयवर्धन हेतु शेड निर्माण कार्य (पूर्व माध्य. शाला के बगल में) सिंधीचुवा	सिंधीचुआ	बिलाईगढ़
170	समूह आयवर्धन हेतु शेड निर्माण कार्य (देवी मंदिर के पास) देवसागर	देवसागर	बिलाईगढ़
171	नाली निर्माण कार्य (घसिया घर से आगे की ओर) बोईरडीह	बोईरडीह	सारंगढ़
172	नाली निर्माण कार्य (बस्ती में) झारपाली	झारपाली	सारंगढ़
173	आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (फागु बंजारे घर से स्कूल की ओर) दुम्हानी	दुम्हानी	बिलाईगढ़
174	आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (तुलसी बाई घर से तालाब की ओर) भारतपुर	भारतपुर	बिलाईगढ़
175	आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन से आगे की ओर) किसड़ा	किसड़ा	बिलाईगढ़
176	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (मैन रोड से राजेन्द्र घर की ओर) सलौनीकला	सलौनीकला	बिलाईगढ़
177	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (हुलस घर से मुक्तिधाम तक) खुडूभांठा	खुडूभांठा	सारंगढ़
178	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (सुरेश घर से आगे की ओर) लीमगांव	लीमगांव	सारंगढ़
179	नाली निर्माण कार्य (बंशी के खेत के पास) कपरतुंगा	कपरतुंगा	सारंगढ़
180	सी.सी.रोड निर्माण कार्य (गनपत घर से तालाब की ओर) पीपरभांवना ग	पीपरभवना ग	बिलाईगढ़
181	आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य (मुरुम खाचा तालाब से दिनेश घर की ओर) बंदारी	बंदारी	बिलाईगढ़
182	पुलिया निर्माण कार्य (तिखुरबेची बंधान में) झिलगीटार	झिलगीटार	सारंगढ़
183	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (भरत घर से मंगल घर की ओर) पचरी	पचरी	बिलाईगढ़
184	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (पुलिया से आगे की ओर) तिलाईपाली	तिलाईपाली	सारंगढ़
185	समूह के आयवर्धन हेतु शेड निर्माण कार्य (स्कूल मैदान परिसर में) चचरेल	चचरेल	बिलाईगढ़
186	समूह के आयवर्धन हेतु शेड निर्माण कार्य (शनि मंदिर के पास) कैथा	कैथा	बिलाईगढ़
187	समूह आयवर्धन हेतु शेड निर्माण कार्य (सामुदायिक भवन के पास) झलमला	झलमला	सारंगढ़
188	मंच निर्माण कार्य (खेलभांठा मैदान में)	सारंगढ़	सारंगढ़
189	पचरी जीर्णोद्धार कार्य (शिव मंदिर के पास) पोस्थ	पोस्थ	बरमकेला
190	तटबंध निर्माण कार्य (अमरैईया के पास) किसड़ा	किसड़ा	बिलाईगढ़
191	सामुदायिक भवन जीर्णोद्धार कार्य (बस स्टैण्ड के पास) सरसीवां	सरसीवां	बिलाईगढ़
192	सिचाई नाली निर्माण कार्य (दयाराम घर से आगे की ओर) जसरा	जसरा	सारंगढ़
193	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (शहिद चौक से आगे की ओर) कपिस्ता ब	कपिस्ता ब	सारंगढ़
194	सी.सी. रोड निर्माण कार्य (नंदलाल घर से मुक्तिधाम की ओर) पिकरी	पिकरी	सारंगढ़
195	पुलिया निर्माण कार्य (खजरी मैन रोड से बरभांठा मार्ग में) टांडीपार	टांडीपार	सारंगढ़
196	सांस्कृतिक कार्यक्रम सह शेड निर्माण कार्य (स्कूल प्रांगण में) बोहराबहाल	बोहराबहाल	सारंगढ़
197	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु शेड निर्माण कार्य (स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में) परसापाली	परसापाली	बिलाईगढ़
198	जीर्णोद्धार निर्माण कार्य (शास. माध्य. शाला) बेलटीकरी	बेलटीकरी	बिलाईगढ़

स.क्र.	कार्य का नाम	स्थान	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
199	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु शेड निर्माण कार्य (शा. पूर्व माध्य. शाला परिसर में) धनसीर	धनसीर	बिलाईगढ़
200	बाल उद्यान निर्माण कार्य (स्कूल प्रांगण में) सहसपानी	सहसपानी	सारंगढ़
201	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु शेड निर्माण कार्य (शा.पुर्व माध्य. शाला परिसर में) दुम्हानी	दुम्हानी	बिलाईगढ़
202	सांस्कृतिक कार्यक्रम सह प्रार्थना शेड निर्माण कार्य(स्कूल प्रांगण में) गगोरी	गगोरी	बिलाईगढ़
203	युवा गतिविधि को बढ़ावा दिये जाने हेतु नगर पालिका सारंगढ़ स्थित स्पोर्ट्स क्लब भवन जीर्णोद्धार कार्य	सारंगढ़	सारंगढ़
204	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु शेड निर्माण कार्य (माध्य. शाला परिसर में) छातादेई	छातादेई	सारंगढ़
205	सांस्कृतिक शेड निर्माण कार्य (मंदिर के पास) बरभांठा	बरभांठा	सारंगढ़
206	वृद्धा श्रम में बोर खनन सह पम्प स्थापना निर्माण कार्य(वार्ड क्रमांक 07 वृद्धा श्रम में)	सारंगढ़	सारंगढ़
207	सांस्कृतिक कार्यक्रम सह शेड निर्माण कार्य (स्कूल परिसर में) माजरमांटी	माजरमांटी	सारंगढ़
208	इंटरलाकिंग निर्माण कार्य भाग 02 (वार्ड क्रमांक 02 खेलभाठा दुग्ध केन्द्र से कोसीर मुख्य मार्ग तक)	कोसीर	सारंगढ़
209	सांस्कृतिक रंगमंच सह शेड निर्माण कार्य (माध्य. शाला परिसर में) कुधरी	कुधरी	सारंगढ़
210	खेल मैदान सह बाल उद्यान निर्माण कार्य (मा.शा. परिसर में) रांपागुला	रांपागुला	सारंगढ़
211	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु शेड निर्माण कार्य (हाई स्कूल रामपुर)	रामपुर	बिलाईगढ़
212	शेड निर्माण कार्य (स्कूल के पास) भीमसेनडीह	भीमसेनडीह	सारंगढ़
213	शेड निर्माण कार्य (जगन्नाथ मंदिर के सामने) बोरे	बोरे	बरमकेला
214	सांस्कृतिक कार्यक्रम सह प्रार्थना शेड निर्माण कार्य (प्राथ. शाला परिसर में) अमेठी	अमेठी	सारंगढ़
215	शेड निर्माण कार्य (सोसायटी के पास) अमझर	अमझर	सारंगढ़
216	नगर पंचायत सरिया में बस स्टैण्ड भवन और वाणिज्यिक दुकान निर्माण कार्य	सरिया	बरमकेला

Digitally signed by  
Vijay Kumar Saxena  
Date: 10-03-2026  
14:36:13

## परिशेष - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क. 2579) की जानकारी

प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र पथलगांव जिला-जशपुर अन्तर्गत दर्ज एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

क्र	विकास खण्ड का नाम	नामान्तरण (अ-6)			सीमांकन (अ-12)			बटवारा (अ-27)			राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार (अ-27)		
		कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पथलगाँव	1409	1354	55	1435	1402	33	740	708	32	1636	1611	25
2	कांसाबेल	1144	1133	11	796	788	8	515	506	9	789	785	4
योग :-		2553	2487	66	2231	2190	41	1255	1214	41	2425	2396	29

टीप :- उक्त जानकारी पूर्व एवं नवीन मिसल बन्दोबस्त में हुई त्रुटि से संबंधित नहीं है।

  
अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## पारिशेष्य - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 2580) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में दिसंबर, 2023 से 19 फरवरी, 2026 तक किराये क हेलीकॉप्टर व विमान का कार्यवार भुगतान की जानकारी

क्र.	हेलीकॉप्टर/विमान	भुगतान राशि रूपये	कार्य
1	शासकीय हेलीकॉप्टर	—	शासकीय हेलीकॉप्टर वर्ष 2022 में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उक्त जानकारी निरंक है।
2	शासकीय विमान	5,49,83,537	मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट खरीदी तथा नियमित संधारण कार्य के लिये
3	निजी हेलीकॉप्टर	1,18,54,94,202	शासकीय यात्रा/ प्रवास कार्यक्रम के उड़ान के लिये किराया भुगतान
4	निजी विमान	11,75,25,459	शासकीय यात्रा/ प्रवास कार्यक्रम के उड़ान के लिये किराया भुगतान

  
 अवर सचिव  
 उत्तीसगढ़ शासन  
 विमानन विभाग  
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगरे

1  
 2  
 3  
 4

प्रदेश में दिसंबर, 2023 से 19 फरवरी, 2026 तक निजी हेलीकॉप्टर / विमान सेवा के लिये फर्मों को कार्यवार किये गये भुगतान की जानकारी

क्र०	निजी हेलीकॉप्टर सेवा के लिये फर्म	भुगतान राशि रूपये	निजी विमान सेवा के लिये फर्म	भुगतान राशि रूपये	कार्य
1	दिल्लन एविएशन प्रा०लि०, गुडगांव	1,18,54,94,202	दिल्लन एविएशन प्रा०लि०, गुडगांव	11,14,68,125	शासकीय उपयोग हेतु किराये से उपलब्ध कराये गये हेलीकॉप्टर/विमान का किराया भुगतान
2	--	--	डेक्कन चार्टर प्रा०लि०, कर्नाटक	60,57,334	



अधिवक्ता, कृषि, पशु  
संवर्धन एवं मत्स्य  
विभाग  
भंडालय, नवा रायपुर, अटल


म.स.प.  
२०२६

परिशेष - इकहत्तर  
अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 2608) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बंटवारा								
क्र	विकासखंड	तहसील	वर्ष	दर्ज	निराकृत	लंबित		
1	2		3	7	8	9		
1	राजनादगाव	राजनादगाव	01.10.2023 से 30.09.2024	187	187	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	149	149	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	94	46	48		
		योग :-			430	382	48	
		घुमका	01.10.2023 से 30.09.2024	82	82	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	57	54	3		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	32	6	26		
		योग :-			171	142	29	
		महायोग				601	524	77
		2	डोंगरगाव	डोंगरगाव	01.10.2023 से 30.09.2024	81	81	0
01.10.2024 से 30.09.2025	90				90	0		
01.10.2025 से 15.02.2026 तक	67				37	30		
योग :-				238	208	30		
महायोग				238	208	30		
3	छुरिया	छुरिया	01.10.2023 से 30.09.2024	106	106	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	163	163	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	70	38	32		
		योग :-			339	307	32	
		कुमरदा	01.10.2023 से 30.09.2024	24	24	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	42	42	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	26	12	14		
		योग :-			92	78	14	
महायोग				431	385	46		
4	डोंगरगढ	डोंगरगढ	01.10.2023 से 30.09.2024	62	62	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	15	15	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	25	18	7		
		योग :-			102	95	7	
		लाल बहादुर नगर	01.10.2023 से 30.09.2024	57	56	1		
			01.10.2024 से 30.09.2025	51	46	5		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	8	2	6		
		योग :-			116	104	12	
महायोग				218	199	19		
जिला महायोग :-				1488	1316	172		

नामांतरण							
क्र	विकासखंड	तहसील का नाम	वर्ष	दर्ज	निराकृत	लंबित	
1	2	3	4	5	6	7	
1	राजनादगाव	राजनादगाव	01.10.2023 से 30.09.2024	269	269	0	
			01.10.2024 से 30.09.2025	316	316	0	
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	182	105	77	
		योग :-			767	690	77
		घुमका	01.10.2023 से 30.09.2024	84	84	0	
			01.10.2024 से 30.09.2025	90	90	0	
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	58	19	39	
		योग :-			232	193	39
		नजूल राजनादगाव	01.10.2023 से 30.09.2024	459	459	0	
			01.10.2024 से 30.09.2025	493	487	6	
01.10.2025 से 15.02.2026 तक	213		106	107			
योग :-			1165	1052	113		
महायोग				2164	1935	229	

  
अनुभाग अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

2	डोंगरगाव	डोंगरगाव	01.10.2023 से 30.09.2024	275	275	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	372	372	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	230	133	97		
			योग :-	877	780	97		
3	छुरिया	छुरिया	01.10.2023 से 30.09.2024	390	390	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	463	463	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	206	140	66		
			योग :-	1059	993	66		
		कुमरदा	01.10.2023 से 30.09.2024	81	81	0		
			01.10.2024 से 30.09.2025	117	117	0		
			01.10.2025 से 15.02.2026 तक	51	32	19		
			योग :-	249	230	19		
		महायोग				1308	1223	85
		4	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	01.10.2023 से 30.09.2024	82	82	0
01.10.2024 से 30.09.2025	52				52	0		
01.10.2025 से 15.02.2026 तक	39				25	14		
योग :-	173				159	14		
लाल बहादुर नगर	01.10.2023 से 30.09.2024			62	58	4		
	01.10.2024 से 30.09.2025			72	68	4		
	01.10.2025 से 15.02.2026 तक			21	2	19		
	योग :-			155	128	27		
महायोग				328	287	41		
जिला महायोग :-				4677	4225	452		


  
 अनुभागी अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

## जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

## बंटवारा

विकासखण्ड	तहसील	वर्ष	दर्ज	निराकृत	शेष
खैरागढ़	खैरागढ़	01.10.2023 से 30.09.2024	111	111	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	155	155	0
	खैरागढ़	01.10.2025 से 15.02.2026 तक	42	15	27
योग			308	281	27
छुईखदान	छुईखदान	01.10.2023 से 30.09.2024	47	47	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	34	33	1
	छुईखदान	01.10.2025 से 15.02.2026 तक	2	2	0
	गण्डई	01.10.2023 से 30.09.2024	14	14	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	42	42	0
		01.10.2025 से 15.02.2026 तक	10	2	8
	सालहेवारा	01.10.2023 से 30.09.2024	14	14	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	3	3	0
		01.10.2025 से 15.02.2026 तक	8	4	4
योग			174	161	13
महायोग			482	442	40

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 नंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## नामांतरण

विकासखण्ड	तहसील	वर्ष	दर्ज	निराकृत	शेष
खैरागढ़	खैरागढ़	01.10.2023 से 30.09.2024	281	252	29
		01.10.2024 से 30.09.2025	424	396	28
	खैरागढ़	01.10.2025 से 15.02.2026 तक	137	20	117
योग			842	668	174
छुईखदान	छुईखदान	01.10.2023 से 30.09.2024	83	83	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	55	55	0
	छुईखदान	01.10.2025 से 15.02.2026 तक	6	6	0
	गण्डई	01.10.2023 से 30.09.2024	64	64	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	71	71	0
	गण्डई	01.10.2025 से 15.02.2026 तक	12	5	7
	साल्हेवारा	01.10.2023 से 30.09.2024	14	14	0
		01.10.2024 से 30.09.2025	14	14	0
	साल्हेवारा	01.10.2025 से 15.02.2026 तक	7	4	3
योग			326	316	10
महायोग			1168	984	184

  
 अनुभाग अधिकारी  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
 कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - स

(राजस्व न्यायालय में 01 वर्ष से लंबित बंटवारानामा, नामांतरण के मामले)  
जिला राजनांदगांव:-

क्र.	कार्यालय का नाम	लंबित बंटवारा प्रकरण	लंबित नामांतरण प्रकरण	लंबित होने के कारण	
1	तहसील	राजनांदगांव	0	0	
2		घुमका	0	0	
3		डोंगरगढ़	0	0	
4		लाल बहादुर नगर	2	0	01 प्रकरण में पक्षकार असहमत होने के कारण पटवारी का फर्द बंटवारा अप्राप्त था। वर्तमान में पक्षकारों की सहमति होने पर पटवारी से फर्द बंटवारा प्राप्त हो गया है। प्रकरण आदेश हेतु नियत है। 01 अन्य प्रकरण सिविल न्यायालय डोंगरगढ़ में वाद लंबित होने के कारण प्रकरण को स्थगित किया गया है।
5		छुरिया	0	0	
6		कुमरदा	0	0	
7		डोंगरगांव	0	0	
8	नजूल शाखा	0	2	दोनों प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा समय-समय पर प्रक्रिया अनुसार पुनरीक्षण/अपीलीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रकरणों की सुनवाई प्रक्रियाधीन है।	
	योग:-		2	2	

  
अनुभवि अधिकारी  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

## पारिशेष - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 2641) की जानकारी

प्रश्नांश "क" - प्रदेश में लघु वनोपज संग्रहण की संशोधित जानकारी

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	वर्षवार न्यूनतम समर्थन मूल्य दर, समर्थन मूल्य दर, संग्रहण लक्ष्य एवं संग्रहण मात्रा						संग्रहण मात्रा (किं.में) (15.02.2026 की स्थिति में)		
			2023-24			2024-25				2025-26	
			न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)		न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत वनोपज</b>											
1	मालकागनी बीज (सूखा)	-	10000.00	-	-	10000.00	-	0.00	10000.00	-	0.00
2	बायबॉडेग	-	9400.00	-	-	10000.00	-	0.00	10000.00	-	0.00
3	कालमेघ / भूईनीम (सूखा)	ग्रेड-1	3500.00	-	2.42	3500.00	-	213.75	3500.00	-	0.00
	कालमेघ / भूईनीम (सूखा)	ग्रेड-2	3150.00	-	0.00	3150.00	-	0.00	3150.00	-	0.00
4	आंवला (बीज रहित) (सूखा)	-	5700.00	-	1.68	5700.00	-	0.00	5700.00	-	0.00
5	रंगीनी लाख / छिली लाख (सूखा)	-	22000.00	-	0.00	22000.00	-	0.00	22000.00	-	0.00
6	रीठा फल (सूखा)	-	1400.00	-	0.00	1500.00	-	0.00	1500.00	-	0.00
7	वन जौरा बीज	-	6300.00	-	0.00	6300.00	-	0.00	6300.00	-	0.00
8	सतावर जड़ (सूखा)	-	10000.00	-	0.00	10000.00	-	0.00	10000.00	-	0.00
	चरोटा बीज	ग्रेड-1	1600.00	-	1.00	1750.00	-	0.00	1750.00	-	0.00
9	चरोटा बीज	ग्रेड-2	1450.00	-	0.00	1600.00	-	6.52	1600.00	-	0.75
10	शहद	-	22500.00	-	256.32	22500.00	-	287.81	22500.00	-	193.85
11	नागरमोथा (सूखा)	-	3000.00	-	30.01	3300.00	-	5.40	3300.00	-	0.00
12	माहुल पत्ता	-	1500.00	-	199.07	1500.00	-	80.33	1500.00	-	34.35
	हर्री साबूत (सूखा)	ग्रेड-1	1500.00	-	0.00	1500.00	-	0.00	1500.00	-	18.50
13	हर्री साबूत (सूखा)	ग्रेड-2	1350.00	-	0.00	1350.00	-	0.00	1350.00	-	7.52
14	हर्री कचरिया	-	2500.00	-	376.89	2500.00	-	235.48	2500.00	-	215.39
	बहेड़ा साबूत (सूखा)	ग्रेड-1	1700.00	-	0.00	1700.00	-	128.05	1700.00	-	0.00
15	बहेड़ा साबूत (सूखा)	ग्रेड-2	1530.00	-	0.00	1530.00	-	0.00	1530.00	-	0.00
16	बहेड़ा कचरिया	-	2000.00	-	170.59	2000.00	-	36.51	2000.00	-	1.35
	गिलोय (सूखा)	ग्रेड-1	4000.00	-	6.41	4000.00	-	55.75	4000.00	-	0.00
17	गिलोय (सूखा)	ग्रेड-2	3600.00	-	0.00	3600.00	-	0.00	3600.00	-	0.00
18	कुसुमी लाख / छिली लाख (सूखा)	-	30000.00	-	7.34	30000.00	-	6.64	30000.00	-	0.00

क्र.	वनोंपज का नाम	ग्रेड	वर्षवार न्यूनतम समर्थन मूल्य दर, समर्थन मूल्य दर, संग्रहण लक्ष्य एवं संग्रहण मात्रा						2025-26				
			2023-24			2024-25			न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	संग्रहण मात्रा (15.02.2026 की स्थिति में)		
			न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3											
19	वन तुलसी बीज	-	1450.00	-	0.00	1450.00	-	0.00	1450.00	-	0.00	-	0.00
20	भोलवा	-	975.00	-	0.00	975.00	-	1.20	975.00	-	0.00	-	0.00
21	शिकार्काई फल्ली (सूखा)	-	5000.00	-	0.00	5500.00	-	1.50	5500.00	-	0.00	-	0.00
22	इमली आटी (बीज सहित)	ग्रेड-1	3600.00	-	2001.29	3600.00	-	0.00	3600.00	-	0.00	-	0.00
	इमली आटी (बीज सहित)	ग्रेड-2	3300.00	-	0.00	3300.00	-	0.00	3300.00	-	0.00	-	0.00
23	इमली फल (बीज सहित)	-	6900.00	-	51.90	6900.00	-	0.00	6900.00	-	0.00	-	0.00
24	इमली बीज	-	1100.00	-	1.55	1200.00	-	0.00	1200.00	-	0.00	-	0.00
25	महुआ फल (सूखा)	-	3000.00	-	1677.38	3300.00	-	524.27	3300.00	-	0.00	-	0.00
26	महुआ बीज	-	2900.00	-	82.10	3150.00	-	164.47	3150.00	-	0.00	-	0.00
27	झाड़ फल (घास)	-	5000.00	-	178.97	5000.00	-	0.00	5000.00	-	0.00	-	0.00
28	कौच बीज	-	2100.00	-	0.00	2100.00	-	0.00	2100.00	-	0.00	-	0.00
29	धवई फल (सूखा)	ग्रेड-1	3700.00	-	4.43	3700.00	-	0.45	3700.00	-	0.00	-	0.00
	धवई फल (सूखा)	ग्रेड-2	3350.00	-	0.00	3350.00	-	0.00	3350.00	-	0.00	-	0.00
30	चिरौली गुठली	ग्रेड-1	12600.00	-	0.00	13800.00	-	895.24	13800.00	-	0.00	-	0.00
	चिरौली गुठली	ग्रेड-2	11500.00	-	0.00	12600.00	-	0.00	12600.00	-	0.00	-	0.00
31	करंज बीज	-	2400.00	-	0.00	2400.00	-	0.00	2400.00	-	0.00	-	0.00
32	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड-1	3000.00	-	92.84	3000.00	-	0.00	3000.00	-	0.00	-	0.00
	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड-2	2700.00	-	0.00	2700.00	-	2.70	2700.00	-	0.00	-	0.00
33	कुल्लू गोद	-	12500.00	-	0.00	12500.00	-	0.00	12500.00	-	0.00	-	0.00
34	काजू गुठली	ग्रेड-1	9000.00	-	1165.74	9900.00	-	80.33	9900.00	-	0.00	-	0.00
	काजू गुठली	ग्रेड-2	8100.00	-	0.00	9000.00	-	0.00	9000.00	-	0.00	-	0.00
35	सालबीज	ग्रेड-1	2000.00	-	224240.12	2000.00	-	0.00	2000.00	-	0.00	-	0.00
	सालबीज	ग्रेड-2	1800.00	-	0.00	1800.00	-	2333.74	1800.00	-	33.21	-	0.00
36	कुसुम बीज	ग्रेड-1	2300.00	-	0.00	2300.00	-	0.00	2300.00	-	0.00	-	0.00
	कुसुम बीज	ग्रेड-2	2070.00	-	0.00	2070.00	-	0.00	2070.00	-	0.00	-	0.00
37	नीम बीज (सूखा)	-	2700.00	-	0.00	2900.00	-	0.00	2900.00	-	0.00	-	0.00
	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड-1	4200.00	-	0.00	4200.00	-	0.00	4200.00	-	0.00	-	0.00
38	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड-2	3800.00	-	0.00	3800.00	-	0.00	3800.00	-	0.00	-	0.00
	योग				230548.05			5060.14					504.92

क्र.	वनीपज का नाम	श्रेड	वर्षवार न्यूनतम समर्थन मूल्य दर, समर्थन मूल्य दर, संग्रहण लक्ष्य एवं संग्रहण मात्रा				2024-25				2025-26			
			2023-24		2024-25		2024-25		2025-26		2024-25		2025-26	
			न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत वनीपज</b>														
39	मालकागनी फल कच्चा (लाल रंग)	-	-	1700.00	0.00	-	1700.00	0.00	-	1700.00	0.00	-	1700.00	
40	कालमेष / भूईनीम (कच्चा)	-	-	550.00	1.70	-	550.00	0.00	-	550.00	0.00	-	550.00	
41	आंवला फल (कच्चा)	-	-	2800.00	693.86	-	2800.00	269.79	-	2800.00	35.43	-	2800.00	
42	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-1	-	27500.00	0.00	-	27500.00	0.00	-	27500.00	0.00	-	27500.00	
42	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-2	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	
43	हरण कच्चा	-	-	600.00	4.40	-	600.00	0.00	-	600.00	0.00	-	600.00	
44	हरण बाल	-	-	3000.00	0.00	-	3000.00	0.00	-	3000.00	0.00	-	3000.00	
45	बहेड़ा कच्चा	-	-	500.00	12.11	-	500.00	6.47	-	500.00	0.00	-	500.00	
46	गिलोय (कच्चा)	-	-	550.00	270.71	-	550.00	0.00	-	550.00	0.00	-	550.00	
47	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-1	-	55000.00	19.51	-	55000.00	0.00	-	55000.00	0.00	-	55000.00	
47	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	ग्रेड-2	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	
48	महुआ फल कच्चा (फूड ग्रेड)	-	-	1000.00	630.64	-	1000.00	790.42	-	1000.00	1.21	-	1000.00	
49	झाड़ू कोटा (घास)	-	-	2500.00	0.00	-	2500.00	0.00	-	2500.00	0.00	-	2500.00	
50	झाड़ू छिंद (घास)	-	-	1500.00	0.00	-	1500.00	0.00	-	1500.00	0.00	-	1500.00	
51	बेल फल (कच्चा)	-	-	1000.00	0.00	-	1000.00	103.45	-	1000.00	57.56	-	1000.00	
52	जामुन फल (कच्चा)	-	-	2300.00	366.55	-	2300.00	285.74	-	2300.00	0.00	-	2300.00	
52	रैली कोसा (साबुन) (दर नाग हेतु)	ग्रेड-1	-	7.50	396789	-	6.80	2080845	-	6.80	0.00	-	6.80	
53	रैली कोसा (साबुन) (दर नाग हेतु)	ग्रेड-2	-	6.67	0.00	-	6.00	0.00	-	6.00	0.00	-	6.00	
53	रैली कोसा (साबुन) (दर नाग हेतु)	ग्रेड-3	-	5.15	0.00	-	4.60	0.00	-	4.60	0.00	-	4.60	
54	रैली कोसा (पोली) (दर नाग हेतु)	ग्रेड-1	-	2.30	44197	-	1.95	47420	-	1.95	0.00	-	1.95	
54	रैली कोसा (पोली) (दर नाग हेतु)	ग्रेड-2	-	2.00	0.00	-	1.65	0.00	-	1.65	0.00	-	1.65	
54	रैली कोसा (पोली) (दर नाग हेतु)	ग्रेड-3	-	1.55	0.00	-	1.25	0.00	-	1.25	0.00	-	1.25	

क्र.	वनीपज का नाम	ग्रेड	वर्षवार न्यूनतम समर्थन मूल्य दर, समर्थन मूल्य दर, संग्रहण लक्ष्य एवं संग्रहण मात्रा													
			2023-24						2024-25						2025-26	
			न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (किं.में)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	समर्थन मूल्य दर (रु.किं.में)	संग्रहण मात्रा (15.02.2026 की स्थिति में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
55	सर्वई घास	-	-	1500.00	0.00	-	1500.00	24.10	-	1500.00	0.00					
56	कोदो	-	-	3000.00	13466.06	-	3200.00	23989.72	-	3200.00	0.00					
57	कुटकी (काला)	-	-	3100.00	233.87	-	3350.00	564.11	-	3350.00	0.00					
	कुटकी (भूरा)	-	-	3100.00	875.84	-	3350.00	951.41	-	3350.00	0.00					
58	रागी	-	-	3578.00	2538.53	-	4290.00	2157.26	-	4290.00	0.00					
59	पाताल कुहड़ा कंद (सूखा)	-	-	2000.00	21.82	-	2000.00	0.00	-	2000.00	0.00					
60	सफेद मुसली कंद (सूखा)	-	-	65000.00	1.13	-	65000.00	10.98	-	65000.00	1.67					
61	तीसुर कंद (कच्चा)	-	-	1700.00	50.40	-	1700.00	195.44	-	1700.00	131.05					
62	अश्वगंधा जड़ (सूखा)	-	-	18000.00	0.00	-	30000.00	0.00	-	30000.00	0.00					
63	कोरिया बीज (इन्द्र जो) (सूखा)	-	-	5000.00	0.00	-	6000.00	0.00	-	6000.00	0.00					
64	कुटज छाल (सूखा)	-	-	1200.00	177.39	-	1200.00	0.00	-	1200.00	0.00					
65	पलाय फूल (सूखा)	-	-	1150.00	622.91	-	1150.00	152.14	-	1150.00	104.91					
	अमचूर सफेद	ग्रेड-1	-	12000.00	159.29	-	16000.00	26.87	-	16000.00	0.00					
	अमचूर भूरा	ग्रेड-2	-	8000.00	410.74	-	13000.00	95.67	-	13000.00	0.00					
	इमली फल (खिलका सहित)	ग्रेड-1	-	1250.00	6.20	-	2000.00	319.14	-	2000.00	0.00					
67	इमली फल (खिलका सहित)	ग्रेड-2	-	0.00	0.00	-	1800.00	0.00	-	1800.00	0.00					
					20563.65			29942.71			331.83					
					251111.69			35002.85			836.75					

उप महायोजक (उत्पा./मण्डा.)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनीपज सहकारी संघ मर्या. नवा

योग  
महायोग